लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....59.....
Dated....2 NOV 2007

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 17, बुधवार, 17 अगस्त, 2005/26 श्रावण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 324 और 326	1–43
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 325 और 327 से 340	43–72
अतारांकित प्रश्न संख्या 3283 से 3506	72–446
सभा पटल पर रखे गए पत्र	447–452, 525–526
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	452
विवरण	452
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
(एक) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले उपयुक्त विधान की आवश्यकता	453
श्री ए. कृष्णास्वामी	453, 454–456
श्री अर्जुन सिंह	453–454, 472–474
श्री के. सुब्बारायण	456
प्रो. एम. रामदास	457–459
श्री सुशील कुमार मोदी	459–461
श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन	461–462
श्री एस.के. खारवेनथन	463
श्री पी. मोहन	463
श्री चरणजीत सिंह अटवाल	463–464
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	464–466
श्री मोहन सिंह	466–467
श्री इलियास आजमी	467–468
श्री अर्जुन सेठी	468–469
श्री नीतीश कुमार	469
डा. एम. जगन्नाथ	469–470

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	कलसा और बंडुरी नाला परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	474–484
	श्री अनन्त कुमार	474, 476–479
	श्री प्रियरंजन दासमुंशी	474–476, 480–484
	श्री प्रहलाद जोशी	479–480
नियम 377 के अधीन मामले		490–500
(एक)	हिमाचल प्रदेश के चहुंमुखी विकास हेतु विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती प्रतिभा सिंह	490–491
(दो)	18 अगस्त, 2005 को स्वतंत्रता सेनानी, डा. सुन्दरम की जन्मशताब्दी पर स्मारक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन.एस.वी. चित्तन	491–492
(तीन)	315-ए और 316-ए रेल सेवाओं को पश्चिम बंगाल के जाल्दा होते हुए मुरी तक विस्तार किए जाने और शक्ति पूजा एक्सप्रेस को मुरी जाल्दा और बोकारो स्टील सिटी होते हुए नए मार्ग पर चलाए जाने की आवश्यकता	
	श्री बीर सिंह महतो	492
(चार)	हिमाचल प्रदेश में चांसल-शिमला-सोलन बहुउद्देश्यीय जलापूर्ति परियोजना स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	492–493
(पांच)	आंध्र प्रदेश की लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री रायापति सांबासिवा राव	493–494
(छह)	पंजाब में युवकों द्वारा ड्रग्स के प्रयोग पर रोक लगाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री अविनाश राय खन्ना	494
(सात)	बंजारा और अन्य घुमंतु जनजातियों को उनके सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक उत्थान हेतु दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिभाऊ राठौड़	494
(आठ)	उड़ीसा में क्योंझरगढ़-दैतानी-बंसपानी रेलवे सेक्शन का कार्य द्रुतगति से पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि मुहैया कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनन्त नायक	495
(नौ)	महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में आयुर्वेद के चिकित्सकों को एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली का उपयोग करने संबंधी दी गई अनुमति जारी रखे जाने की आवश्यकता	
	श्री हंसराज जी. अहीर	495–496

विषय		कॉलम
(दस)	पश्चिम बंगाल में हल्दिया और दीघा के बीच समुद्रतटीय राजमार्ग के निर्माण के साथ-साथ इस क्षेत्र में पर्यटन और लघु उद्योग परिसर बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रशान्त प्रधान	496
(ग्यारह)	सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने के कारण घाघरा नदी के किनारे पर बसे गांवों में आसन्न संकट को दूर करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिकेवल प्रसाद	497
(बारह)	ऐसे किसान जिनकी फसल सुल्तानपुर जिले के हलियापुर और जगदीशपुरी में गोमती नदी से कटाव के कारण प्रभावित हुई है, उन्हें राहत दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री मो. ताहिर	497–498
(तेरह)	जनजातीय समुदाय के लाभार्थ उड़ीसा के फूलबनी संसदीय क्षेत्र में तकनीकी शैक्षणिक संस्थान खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री सुग्रीव सिंह	498
(चौदह)	अदालतों में लंबित मामलों के द्रुत निपटान हेतु उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	डा. एम. जगन्नाथ	498–499
(पन्द्रह)	पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से उत्तर पूर्व औद्योगिक नीति, 1997 के अंतर्गत और क्षेत्रों को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सर्वानन्द सोनोवाल	499–500
मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004		500–506, 507–525, 526–544, 544–563
विचार करने के लिए प्रस्ताव		500
	श्री के. चन्द्रशेखर राव	500, 554–558
	श्री थावरचन्द गेहलोत	500–506
	श्री मधुसूदन मिस्त्री	507–513
	श्री सांताश्री चटर्जी	514–517
	श्री सी. कुप्पुस्वामी	518–519
	श्री शैलेन्द्र कुमार	519–521
	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	521–525
	श्री के. सुब्बारायण	526–527
	प्रो. रासा सिंह रावत	527–530
	श्री एस.के. खारवेनथन	530–534
	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	534–537

विषय	कॉलम
श्री राजाराम पाल	537–540
श्री बसुदेव आचार्य	540–544
श्री गिरधारी लाल भार्गव	544–547
चौधरी लाल सिंह	547–548
श्री राम कृपाल यादव	550–552
श्री जोवाकिम बखला	552–554
खंड 2 से 11 और 1	562–563
पारित करने के लिए प्रस्ताव	563
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करने की फीस में कमी करने के बारे में	506
अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा	
लोक सभा की नियत बैठक रद्द करने और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का पुन:-निर्धारण	544
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	581
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	582–588
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	589–590
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	589–592

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 17 अगस्त, 2005/26 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल की कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए, आप जानते हैं कि सभी को मौका मिलता है।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

पूर्वी तथा पश्चिमी तट को जोड़ना

***321. श्री अजीत जोगी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वी तट और पश्चिमी तट को जोड़ने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) इस बारे में विवरण, इस सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार, सेतुसमुद्रम जहाजी नहर-परियोजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें, पाल्क की खाड़ी और पाल्क स्ट्रेट (संकरी खाड़ी) के रास्ते, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़े जाने के प्रयोजन से, एक जहाजी-नहर तैयार की जानी परिकल्पित है, ताकि ड्राबाव की अपेक्षाओं के अनुसार, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच चलने वाले अधिकतर जहाजों को, भारत की अपनी जल-सीमा में ही प्रायद्वीप के चारों ओर एक नौगम्य समुद्री मार्ग उपलब्ध हो सके।

(ग) उपर्युक्त परियोजना के पूरी तरह कार्यान्वित कर दिए जाने पर होने वाले लाभ निम्नानुसार हैं:-

* उपर्युक्त जलमार्ग, देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच चलने वाले पोतों के लिए 424 समुद्री मीलों की नौगम्य दूरी और 30 घंटे की समुद्री यात्रा के समय की बचत करेगा, जिससे समुद्री परिवहन की लागत में कमी आने से घरेलू जहाजी माल के तटीय संचलन को बढ़ावा मिलेगा।

* उपर्युक्त जलमार्ग के साथ-साथ पत्तनों को विकसित किए जाने से, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में आर्थिक और औद्योगिक विकास में तेजी आएगी।

* उपर्युक्त परियोजना, राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिससे तटों के बीच तेजी से आना-जाना सुकर हो जाएगा और उसके साथ-साथ नौसेना और तट-रक्षकों के पोतों द्वारा कार्रवाई करने में लगने वाले समय में कमी आएगी।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(घ) उपर्युक्त परियोजना की संस्वीकृत लागत, 2427.40 करोड़ रु. है।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कई फायदों का उल्लेख किया है जो समुद्र के इन दोनों तटों को वाटर-वे से जोड़ने से देश की समग्र अर्थव्यवस्था को होंगे। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मदुरई में इस योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। इस योजना में दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह योजना अभी किस स्तर पर है, क्या इसका प्लान और इस्टीमेट बन गया है, क्या इसके लिए कॉंट्रैक्ट देने की कार्यवाही शुरू हो गयी है, यह योजना किस स्तर पर लम्बित है और इसको कार्यान्वित करने में आप कुल कितना समय लगाएंगे?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, इस विशेष परियोजना को प्रारम्भ करते समय पाइंट केलीमर से 35 किलोमीटर दूर निकर्षण का कार्य शुरू किया गया। अब तक 7,86,000 क्यूबिक मीटर कचरा निकाला जा चुका है। दिन-रात कार्य किया जा रहा है। अन्य तीन संरचनाओं के लिए निविदाएं मंगायी गयी हैं और अगले माह तक इस बारे में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। इस बारे में डी.पी.आर. पहले ही तैयार किया जा चुका है और डी.पी.आर. तैयार करने के बाद ही परियोजना पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस योजना के जल्द कार्यान्वयन की बात उन्होंने कही है। देश की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन के लिए फास्ट ट्रैक योजना में शामिल किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी अच्छी योजना को, जिससे न केवल समुद्र के किनारे के प्रदेशों की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, केवल तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को इससे फायदा होगा, इस योजना को फास्ट ट्रैक योजनाओं में शामिल करके आप इसको जल्दी कार्यान्वित करेंगे?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, यह विशिष्ट परियोजना साढ़े तीन वर्ष के निर्धारित समय के भीतर या इससे पहले ही पूरी की जाएगी जैसा कि इस परियोजना की गतिविधियों से पता चलता है। इससे 424 समुद्री मील की नौगम्य दूरी की बचत होगी तथा 30 घंटे का नौवहन समय बच सकेगा। इस तरह ईंधन और समय बचाया जा सकेगा। मैं माननीय सदस्य को यह बातें बताना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको शुभकामना देता हूं।

श्री पी.एस. गढ़वी: सेतु समुद्रम परियोजना के अलावा राजग सरकार की पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को सड़क मार्ग से जोड़ने के बारे में एक योजना थी।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने की परियोजना अर्थात् सौराष्ट्र से कोलकाता तक सड़क मार्ग से जोड़ने की कोई परियोजना है। यदि हां, तो इस परियोजना के संबंध में क्या प्रगति हुई है और यह कब तक पूरी कर ली जाएगी।

श्री टी.आर. बालू: पूर्वी-पश्चिमी कारीडोर सड़क परियोजना दिसम्बर, 2007 तक पूरी कर ली जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: बिल्कुल सीधा जवाब दिया है।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई।

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:** माननीय अध्यक्ष महोदय, सेतु समुद्रम परियोजना के प्रारम्भ होने से तमिल लोगों के 150 वर्ष पुराने स्वप्न के पूरा होने की खुशी बांटते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। परन्तु अपने स्वार्थी हितों के कारण कुछ लोग इस परियोजना के कार्यान्वयन को सहन नहीं कर पा रहे हैं और वे मछुआरों के मन में भय पैदा कर रहे हैं उन्हें भड़का रहे हैं अफवाह फैला रहे हैं कि इस परियोजना का उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अत:, कुछ स्थानों पर मछुआरे चिन्तित हो गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस परियोजना में कुछ जोखिम है जिनका प्रभाव मछुआरों पर पड़ेगा तथा इस भय को कम करने तथा मछुआरों के हितों की रक्षा करने के लिए व उन्हें सहायता देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री टी.आर. बालू: अध्यक्ष महोदय, मैं तमिल भाषा में जवाब दूं या अंग्रेजी भाषा में?

अध्यक्ष महोदय: आप तमिल में जवाब दे सकते हैं।

***श्री टी.आर. बालू:** महोदय, आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तमिल लोग विशेषकर संसद सदस्य आज हर्षपूर्वक अपने पूर्व केन्द्रीय उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री

*मूलत: तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

थिरू मुरासोली मारन के जन्मदिन की वर्षगांठ मना रहे हैं। आज 17 अगस्त को उनकी 71वीं वर्षगांठ है और आज इस सम्माननीय सभा में मुझे तमिल में जवाब देने का अवसर मिला है। मुझे इस पर गर्व है और यह अवसर देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

महोदय, हम मछुआरों के हितों का ध्यान रख रहे हैं जो कि समाज के कमजोर वर्ग का एक अंग है। हम उनकी तथा उनकी आजीविका की सुरक्षा करेंगे। मछुआरों के भय को कम करने और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए इस परियोजना का प्रारम्भ करते समय इस संप्रग सरकार में शामिल सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और सदस्यों ने मछुआरों की बस्तियों और गांवों का दौरा किया। हमने उनके मसुदाय के नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ इस परियोजना के कारण होने वाले प्रभावों के सूक्ष्म विश्लेषण तथा उनकी राय लेने के लिए 4 से 5 घंटों तक की बैठकें की हैं। विशेषकर मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि मछुआरों के मन में अपने परम्परागत व्यवसाय को चलाने के संबंध में किसी शंका की गुंजाईश नहीं है। कतिपय स्वार्थी हितों और राजनीतिक उद्देश्यों के कारण उन्हें इस लाभकारी परियोजना के विरुद्ध भड़काने की कोशिश की जा रही है। जब कभी भी ऐसी बड़ी परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं तो उनका विरोध किया जाना कोई नयी बात नहीं है। कोई भी जिम्मेदार सरकार न तो इनकी उपेक्षा कर सकती है और न ही इनके सामने घुटने टेक सकती है। इन सब बातों के बीच 2 जुलाई, 2005 को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने मदुरै में इस परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे प्रिय नेता डा. कलैग्नर करूणानिधि की उपस्थित में शुरू हुई। इस प्रतिष्ठित परियोजना के प्रारम्भ के समय वहां लाखों लोग एकत्रित थे। इससे 145 वर्ष पूर्व के स्वप्न को पूरा किया गया। इस परियोजना के भाग के रूप में मछुआरों को नए बनाये जा रहे नौगम्य मार्ग के आस-पास रामेशवरम, नागपट्टिनम, मल्लीपट्टिनम, सेतुबाबा समुद्रम जैसे छोटी पत्तनों के विकास का लाभ मिल सकता है। इन पत्तनों से मछुआरों को लाभ होगा। आमतौर पर वहां मछली की उपलब्धता यानी मछली की उपलब्धता की मात्रा में कमी के संबंध में आशंका है। इस आशंका का कोई वैध आधार नहीं है। केन्द्रीय समुद्री मत्स्ययन अनुसंधान संस्थान (सी.एम.एफ.आर.आई.) द्वारा इस संबंध में सर्वेक्षण किया गया था और यह पाया गया कि मछली की मात्रा में कोई कमी नहीं आयी बल्कि इसमें हमेशा वृद्धि ही हुई है। वर्ष 1992 में 55,320 टन मछली पकड़ी गयी थी, वर्ष 1993 में 66,141 टन, वर्ष 1994 में 78,210 टन, वर्ष 1995 में 95,981 टन और वर्ष 1996 में 1,02,898 टन। मैं यह बताना चाहता हूं कि सर्वेक्षण से पता चलता है कि मछली की मात्रा में हमेशा विशेषकर टूटीकोरिन पत्तन का निर्माण पूरा होने के बाद वृद्धि ही हुई है। जैसा कि मछली की उपलब्धता में वृद्धि ही हुई है, मछुआरों के मन में आशंका की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि उचित ध्यान रखा जा रहा है, उचित कदम उठाये जा रहे हैं तथा सेतु समुद्रम परियोजना पूरी होने की प्रक्रिया के दौरान मछुआरों को उचित प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री राजाराम पाल—उपस्थित नहीं।

डा. सुजान चक्रवर्ती।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, हम सभी जानते हैं कि कोलकाता पत्तन प्राचीनतम पत्तनों में से एक है। यह पत्तन नदी के मुहाने पर है। कोलकाता पत्तन तक परिवहन बहुत समय से लंबित मुद्दा है तथा इस पर काफी विचार-विमर्श हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कोलकाता पत्तन की सम्पर्कता के संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: पत्तन सम्पर्कता किससे?

मोहम्मद सलीम: यह बहु-आयामी सम्पर्कता के बारे में है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सड़क मार्ग से पत्तन तक सम्पर्कता के बारे में है?

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, यह सड़क मार्ग से पत्तन की सम्पर्कता के बारे में है।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, इस मामले पर पहले ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ-साथ संसद सदस्यों के साथ भी विचार-विमर्श हो चुका है। कल ही मैंने उनसे इस विषय पर बातचीत की है। पन्द्रह दिनों के बाद मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा संसद सदस्यों से मिलने वाला हूं। हम इस मामले को सुलझा लेंगे। हम पत्तन तक पक्का सड़क सम्पर्क बनायेंगे।

[हिन्दी]

पत्रों के वितरण में विलंब/पत्रों का गलत वितरण/पत्रों का वितरण न किया जाना

+
***322. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आम जनता से डाकघरों के विरुद्ध पत्रों आदि का समय पर वितरण न किए जाने/वितरण बिल्कुल न किए जाने/गलत वितरण किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार/मंडल-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों के निवारण हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) देरी से वितरण/वितरण नहीं होने/गलत वितरण से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हालांकि, विभाग द्वारा हैंडल की गई डाक की कुल मात्रा की तुलना में ऐसी शिकायतों की संख्या काफी कम है जैसा कि इन शिकायतों के लिए निम्नांकित शिकायत व डाक परियात अनुपात से स्पष्ट है:

अपंजीकृत पत्र	2003-04	2002-03	2001-02
डाक परियात (लाख में)	84216	88716	108134.5
शिकायतें (हजार में)	8.6	6.9	10.3
शिकायत व डाक परियात का अनुपात (%)	0.0001%	0.00008%	0.0001%

(ख) पत्रों के देरी से वितरण/वितरण नहीं होने/गलत वितरण से संबंधित सर्किलवार शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अपंजीकृत पत्रों के लिए

सर्किल का नाम	देर से वितरण होने की शिकायतों की संख्या			वितरण न होने की शिकायतों की संख्या			गलत वितरण होने की शिकायतों की संख्या		
	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	25	116	9	0	6	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	44	34	36	84	40	20	0	0	0
बिहार	72	20	9	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	6	1	4	0	0	0	4	0	0
दिल्ली	475	401	320	0	0	0	0	0	0
गुजरात	259	701	298	7	73	9	0	13	0
हरियाणा	30	12	33	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	8	5	3	0	0	0	0	0	0
जम्मू-कश्मीर	0	42	23	0	0	0	0	0	0
झारखंड	14	73	59	3	4	0	0	0	0
कर्नाटक	560	376	288	63	50	39	0	2	0
केरल	914	1336	2154	238	131	153	14	2	8
मध्य प्रदेश	70	164	53	0	0	3	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	467	634	329	1	5	0	0	0	0
उत्तर पूर्व	8	12	5	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	29	11	13	3	0	0	0	0	1
पंजाब	58	28	32	7	0	3	0	0	0
राजस्थान	84	70	38	14	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	684	374	744	76	54	45	0	126	0
उत्तर प्रदेश	712	443	254	0	60	9	0	0	0
उत्तरांचल	1	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	490	394	240	2	2	2	0	0	0
एपीएस	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	5010	5247	4944	498	381	283	18	143	9

देरी से डाक वितरण/विरण नहीं होने/गलत वितरण के कारणों में ट्रेनों/एयर लाइनों/बसों का रद्द होना/देर से चलना, पत्रों पर पाने वाले का पता अधूरा अथवा गलत होना, पिनकोड का इस्तेमाल न किया जाना, कुछ क्षेत्रों में अनियोजित कालोनियों का विस्तार, त्योहारों के समय भारी कार्यभार होना, संबंधित पोस्टमास्टर को बिना सूचित किए पाने वाले के निवास के पते में परिवर्तन करना आदि शामिल हैं।

शिकायतों का निपटारा एक सतत प्रक्रिया है और 2004-05 के दौरान प्राप्त हुई सभी शिकायतों में से 90.53% का निपटारा प्राप्ति के तीन महीने के भीतर कर दिया गया।

(ग) विभाग प्राप्त हुई शिकायतों के निवारण के लिए तत्काल कार्रवाई करता है। व्यक्तिगत शिकायतों पर, विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी द्वारा जांच की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस क्षेत्र की डाक वितरण व्यवस्थाओं में कोई खामी है या शिकायत की वजह किसी और कमी का होना है। इस जांच के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। डाक वितरण में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और विभाग ने इस दिशा में विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें मुंबई और चेन्नै में आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना, तेजी से छंटाई और पारेषण के लिए डाक का स्थानीय, मैट्रो और अंतर्राष्ट्रीय मेल चैनलों में विभाजन, टेस्ट लैटर और ट्रायल कार्ड के माध्यम से नियमित मानीटरिंग, लाइव मेल सर्वेक्षण, डाक वितरण स्टाफ का औचक निरीक्षण, नए विकासशील क्षेत्रों में डाक वितरण कार्य का युक्तिकरण और पुनर्गठन, थोक डाक भेजने वालों में पूर्व-छंटाई को प्रोत्साहन, डाकघरों में पोस्ट बैगों और बाक्सों के इस्तेमाल को बढ़ावा, एयर लाइन, रेलवे और रोडवेज जैसी पारेषण एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखना शामिल है। शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए विभाग ने शिकायतों को आनलाइन रजिस्टर कराने की सुविधा प्रदान की है और विशेष रूप से डिजाइन की गई इंटर-कनैक्टेड वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए देश भर में 1116 कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं।

[हिन्दी]

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में डाक द्वारा पत्र भेजने की एक मात्र सुविधा है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में डाक कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण समय पर पत्र वितरण नहीं हो पाते हैं। ये रिक्त पद भरने के लिए सरकार की क्या प्रक्रिया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, खाली पदों को भरने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूं और आप मेरी बात को एप्रीसिएट करेंगे कि इंडियन पोस्टल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। चीन आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से हमसे बड़ा है, लेकिन चीन में पोस्ट-आफिसेज की संख्या 70 हजार से कम है, जबकि भारत में पोस्ट-आफिसेज की संख्या 1 लाख 55 हजार से अधिक है। इसमें लगभग ढाई लाख रैगुलर एम्प्लाइज हैं, जो डिपार्टमेंटल एम्प्लाइज कहलाते हैं। कुल मिलाकर डाक विभाग में लगभग 2.98 लाख कर्मचारी और हैं। प्लानिंग कमीशन ने हमें सजैशन दिया है जिसमें नये पोस्ट-आफिसेज खोलने के टार्गेट फिक्स नहीं हुए हैं जोकि पहले जमाने में होते थे। नये पोस्ट-आफिसेज और एम्प्लाइज को एपाइंट करने में वित्तीय संकट है। लेकिन हमने आवश्यकता के अनुसार एम्प्लाइज रखे हुए हैं और जहां-जहां आवश्यकता होगी, रिलोकेट करके हम उनकी नियुक्ति की बात भी करेंगे। लेकिन जो हमारी वित्तीय क्षमता और वित्तीय स्थिति है और जिनता एक्सपेंशन है, जो प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइन्स हमें मिली हैं, उनके अुसार ही हम आगे की कोई कार्रवाई कर सकते हैं।

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि आर्थिक परिस्थिति के अनुसार रिक्त जगह भरने की कार्रवाई की जाएगी। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि देश में निजी कंपनियों द्वारा कोरियर सेवा में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है और इसकी वजह से डाक विभाग का राजस्व कम होता जा रहा है। डाक विभाग का राजस्व बढ़ाने के लिए यह जो निजी कंपनियों द्वारा निजी सेवा चल रही है, इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कोई परियोजना बनाई जाएगी?

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि कोरियर सर्विसेज ने हमारे कुछ काम को अपने हाथों में लिया है। कोरियर सर्विसेज हमारे इंडियन पोस्टल एक्ट-1898 द्वारा संचालित है और उसमें बहुत साफ पर्मिशन कोरियर सर्विसेज को नहीं दी गयी है कि सर्टेन लैटर्स वे ले जा सकते हैं, जो एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के बीच में हो और उसमें पैसा चार्ज नहीं करना है। उसका लाभ उठाकर कोरियर सर्विसेज के लोग लैटर न लिखकर एडवरटाइजमेंट में हमेशा दस्तावेज लिखते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जो 1898 का हमारा सौ वर्ष से अधिक पुराना इंडियन पोस्टल एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट करेंगे और इस साल के अंत तक निश्चित रूप से अमेंडमेंट करेंगे और कोरियर सर्विसेज को भी उसके अंदर लाएंगे और इसके लिए जो आवश्यक कार्यवाही होगी, हम करेंगे।

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, एक जमाने में हमारी डाक व्यवस्था विश्व की सर्वोत्तम डाक व्यवस्था कही जाती थी, लेकिन दोषपूर्ण कार्यप्रणाली और नौकरशाही के दबाव के कारण न केवल यह अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है, बल्कि भारी घाटा भी उठा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज के युग में भी आपस में संपर्क का सबसे बड़ा साधन "पत्र" है, लेकिन वितरण व्यवस्था में खामी और डाक कर्मियों की लापरवाही के चलते या तो लोगों को पत्र मिलते ही नहीं हैं या महीनों-वर्षों के बाद मिलते हैं। अकेले 2004-05 में 44329 पत्रों के वितरण न होने की शिकायतें दर्ज हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री हरिकेवल प्रसाद: महोदय, यही हाल दूसरी डाक सामग्रियों और मनीआर्डरों के वितरण में भी है। सरकार का कहना है कि डाक प्रणाली में कुशलता और उसकी क्षमता में सुधार लाने तथा राजस्व अर्जित करने के लिए उसके आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें डाकघरों का कंप्यूटरीकरण ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत-सी बातें जानना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों को आधुनिकीकरण करने पर भी विचार कर रहे हैं? यदि नहीं, तो डाक सामग्रियों के समय पर और सही ढंग से वितरण के लिए क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और डाकघरों की संख्या बढ़ाई जाएगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आशा करता हूं कि आपने इस बारे में स्थायी समिति का प्रतिवेदन देखा होगा।

डा. शकील अहमद: जी, हां।

[हिन्दी]

महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि बहुत सी कम्पलेंट्स हैं कि समय पर डाक नहीं पहुंचती है। यह बात सही है कि ये कम्पलेंट्स हमारे इतने बड़े नेटवर्क में हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से देश और सदन को बताना चाहता हूं कि कम्पलेंट्स परसेंटेज क्या है। हम मुख्यत: तीन तरह से लेटर्स को हैंडल करते हैं- अन-रजिस्टर्ड मेल, स्पीडपोस्ट और रजिस्टर्ड मेल। अन-रजिस्टर्ड मेल में जहां वर्ष 2003-04 में हमारा कम्पलेंट का प्रतिशत 0.0001 है, जबकि स्पीड पोस्ट का 0.107 प्रतिशत है और रजिस्टर्ड लैटर का 0.089 प्रतिशत है। महोदय, हमारा कम्पलेंट कम प्रतिशत है

जबकि हम इतनी मेल सर्विसेज हैंडल करते हैं और परसेंट इतना कम है, लेकिन अगर एक परसेंट भी है तो हमारी कमजोरी है और हम उसमें सुधार के लिए सदा प्रयत्नशील हैं। मैकनाइजेशन के लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं और हमारे देश में 1116 कम्प्यूटराइज्ड कम्प्यूटर केयर सेंटर्स हैं, अगर किसी को भी कोई शिकायत है या कोई डिलीवरी की शिकायत है तो वह पोस्ट आफिस में शिकायत दर्ज करा सकता है। वहां से वह सीधे जो हमारे देश में 1116 कम्प्यूटराइज्ड केयर सेंटर हैं, वहां वह रेफर होता है और वहां से हमारे हैडक्वाटर्स से सीधा कनेक्शन है। वहां से हम इसकी मानिटरिंग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2003-04 में अन-रजिस्टर्ड मेल 90 से 91 परसेंट समय पर सर्विस किए गए हैं और 97 प्रतिशत जो रजिस्टर्ड मेल्स की शिकायत थीं, उनका हम लोगों ने निराकरण किया है। शेष तीन प्रतिशत का भी हम लोग जल्दी निराकरण कर लेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम सभी को कोशिश करनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: महोदय, मैं केवल एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आपका सवाल हो गया है। आपको मौका दे दिया गया है और आपने बहुत लम्बा सवाल पूछा है। हमें रूल के हिसाब से चलना है।

श्री मदन लाल शर्मा।

अध्यक्ष महोदय: आपको बुलाया है, आपने प्रश्न किया और मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो उसे चैलेंज करने का तरीका है। आप उसे दीजिए।

श्री मदन लाल शर्मा: स्पीकर सर, मैं आपकी विसादत से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरा दूर-दराज और पहाड़ी इलाकों से जुड़ा सवाल है। हमारे मुल्क ने तरक्की की और इस महकमे का बहुत बड़ा विस्तार हुआ लेकिन बार्डर रियासत जम्मू-कश्मीर में खास तौर पर बार्डर के साथ लगने वाले देहात और पहाड़ी इलाके जहां आज भी 2-3 दिन पैदल चल कर अपने गांव तक पहुंचा जा सकता है, वहां की शिकायत है कि पत्र वक्त पर नहीं मिलते हैं या मिलते ही नहीं हैं। क्या आनरेबल मिनिस्टर या उनके महकमे ने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि जो लोग अपनी डाक न मिलने से महरूम रहते हैं, उन्हें इन्साफ दिलाया जाए? खास तौर पर हमारी रियासत में पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवान, अगर रोजगार पाने के लिए देश के किसी हिस्से में कहीं एप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू के लिए काल लैटर उनके एड्रैस पर पहुंचता नहीं है। जब इंटरव्यू हो जाती है, तब वह लैटर मिलता है। मैं समझता हूं कि लाखों पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों का भविष्य इसके साथ जुड़ा है। क्या उन्हें इन्साफ दिलाने के लिए उन्होंने और उनके महकमे ने कोई प्रोग्राम बनाया है?

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न बार्डर एरियाज के लिए नहीं है। यह प्रश्न पूरे देश से संबंधित है। माननीय सदस्य का संबंध जम्मू-कश्मीर राज्य से है। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि अनरजिस्टर्ड लैटर्स की वर्ष 2003-04 में कुल 42 शिकायतें थीं जो 2004-05 में घट कर 23 हो गईं। जम्मू-कश्मीर में नान डिलीवरी लैटर्स की कोई शिकायत नहीं है और रौंग डिलिवरी लैटर्स की शिकायत की कोई संख्या नहीं है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई स्पैसिफिक मामला हो तो हम उसे निश्चित रूप से देखेंगे। इनके बारे में जो शिकायतें मिलती हैं, विभाग उन्हें सुधारने के लिए तत्पर है और कार्रवाई भी करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सदन को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में हम लोगों ने शिकायतों के प्राप्त होने पर पदाधकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। 2001-02 में 62 सुपरवाइजर्स और 94 क्लैरिकल स्टाफ के खिलाफ पब्लिक कम्पलेंट मिलने पर एक्शन लिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह पूछा जा रहा है कि यदि किसी को अपना साक्षात्कार-पत्र समय पर नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हैं?

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद: उसकी भी जांच होगी लेकिन हम इंटरव्यू नहीं करवा सकते हैं। ऐसी कोई स्पैसिफिक शिकायत मिलने पर जांच करते हैं लेकिन इस बारे में सभी विभागों को तय करना पड़ेगा। अगर डाक विभाग की गलती से हुआ है तो हम उसकी जांच कर सकते हैं। अगर किसी भी रिसपांसिबिल्टी फिक्स होती है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं।

श्री हरिभाऊ राठौड़: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने पत्रों के वितरण में हो रहे विलम्ब और पत्रों की गलत डिलिवरी के बारे में बताया और कहा कि शिकायतें 0.0001 परसैंट होती हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में बताया कि पिछले साल 2004-05 में उकी संख्या जीरो थी लेकिन केवल मेरे जिले में 50 के ऊपर शिकायतें आई थीं। अभी-अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि इंटरव्यू लैटर समय पर नहीं मिलता है। हमारे यहां किसी की नौकरी में नियुक्ति हो गई लेकिन उसके एक साल बाद उसे लैटर मिला। परीक्षा होती है लेकिन उसके बाद लैटर मिलता है। एक पोस्टमैन को 10 या 12 विलेजेस दिए जाते हैं और उसकी डेट फिक्स होती है कि वह वीक में एक बार जाएगा और दो गांव कवर करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह लैटर्स की डिलिवरी के लिए वीक में एक बार जा पाता है जिससे उस बीच में सारी डेट निकल जाती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह दूसरा ही प्रश्न है और हमने पहले ही 25 मिनट बिता दिए हैं।

[हिन्दी]

आप प्रश्न पूछिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़: मेरा प्रश्न यह है कि वे लैटर्स की डिलिवरी के लिए एक वीक में एक गांव कवर करते हैं। पोस्टमैन को गांव में लैटर्स की डिलिवरी के लिए कम से कम दो दिन जाना चाहिए। क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए कोई प्रावधान करने वाले हैं?

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के बारे में माननीय सदस्य ने जो कहा है मैंने उत्तर में स्वीकार किया है कि इस वर्ष भी 2004-05 में महाराष्ट्र में 329 कम्पलेंट्स हैं लेकिन मैंने देश भर में परसेंटेज का आंकड़ा बताया है, इसमें भी जो कम्प्लेंट्स हैं वे लेट डिलीवरी की हैं तो तीन महीने के अंदर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों आपस में बात न कीजिये। माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष महोदय, तीन महीने के अंदर, छः महीने के अंदर या 12 महीने के अंदर कार्रवाई करते हैं। 90 परसेंट डाक कम्प्लेंट्स जिस पर होती हैं तो तीन महीने के अंदर कार्रवाई करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से माननीय सदस्य को कोई स्पेसिफिक जानकारी किसी केस के बारे में है तो हम उसकी इंक्वायरी करा सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले कृपया बिना भूमिका के बहुत छोटे और स्पष्ट प्रश्न पूछिये।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, डाक विभाग दुनिया में सबसे प्रसिद्ध डिपार्टमेंट है लेकिन लेट डिलीवरी होती है। मेरा सवाल है कि लेट डिलीवरी होती है तो उसके लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं? आपने कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की है? मेरा दूसरा सवाल है कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: दूसरा प्रश्न नहीं। मंत्री महोदय आप केवल पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, बहुत से स्कूलों में पोस्ट आफिस चलते हैं जिससे बच्चों को तकलीफ होती है, इसलिए स्कूल में पोस्ट आफिस को बंद करके गांव में नये पोस्ट आफिस चालू करने की आवश्यकता है।

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष महोदय, जहां तक आठवले साहब का प्रश्न है कि क्या एक्शन क्या लिया गया है, मैं बता रहा था कि वर्ष 2001-02 में 270 कर्मचारियों के खिलाफ पब्लिक कम्पलेंट्स पर कार्रवाई हुई है। वर्ष 2002-03 में 326 लोगों के खिलाफ नान-डिलीवरी या लेट डिलीवरी की वजह से कार्रवाई हुई है और वर्ष 2003-04 में 451 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है।

जहां तक पोस्ट आफिस बंद करने की बात है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पोस्ट आफिस कहां है, स्पेसिफिक पोस्ट आफिस की लोकेशन क्या है। हम जब भी कहीं पोस्ट आफिस बंद करने की बात करते हैं तो उस क्षेत्र की जनता को आपत्ति होती है। अगर कोई स्पेसिफिक मामला किसी पर्टीकुलर स्कूल का है और माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो हम उसकी जांच कराएंगे।

[अनुवाद]

खाद्य और औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

***323. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में और अधिक खाद्य और औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा विद्यमान प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) इन प्रयोगशालाओं की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या प्रस्तावित प्रयोगशालाओं में सभी प्रकार की औषधों का परीक्षण किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

खाद्य सुरक्षा और औषधों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत विद्यमान खाद्य एवं औषध प्रयोगशालाओं की तकनीकी क्षमताओं का उन्नयन किया जा रहा है और उनको आधुनिक बनाया जा रहा है तथा तीन नए सृजित किए गए राज्यों अर्थात् झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल सहित अन्य राज्यों में नई आधुनिक खाद्य एवं औषध प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र में खाद्य एवं औषध प्रयोगशालाओं के लिए निश्चित किए गए राज्य-वार स्थान और धनराशि का ब्यौरा क्रमश: अनुबंध-I और II में संलग्न है।

इन सभी प्रयोगशालाओं का उन्नयन/स्थापना का कार्य परियोजना अवधि के भीतर अर्थात् दिसम्बर, 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा।

इन प्रयोगशालाओं के उन्नयन से अधिकतर औषधों की मौजूदा और अनुमोदित किस्मों का परीक्षण करना संभव होगा।

अनुबंध I

राज्य क्षेत्र में खाद्य एवं औषधों से संबंधित क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत कवर की गई प्रयोगशालाओं के स्थान को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	खाद्य क्षेत्र	क्रम संख्या	औषध क्षेत्र
		सुदृढ़ की जा रही प्रयोगशालाएं/स्थापित की जा रही नई प्रयोगशालाएं		सुदृढ़ की जा रही प्रयोगशालाएं/स्थापित की जा रही नई प्रयोगशालाएं
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद एवं विजाग	1.	हैदराबाद
2.	असम	गुवाहाटी		
3.	बिहार	पटना		
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर*	2.	रायपुर*
5.	गोवा	पणजी	3.	पणजी
6.	गुजरात	भुज और राजकोट	4.	वड़ोदरा
7.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	5.	कंडाघाट

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	चंडीगढ़	6.	चंडीगढ़
9.	झारखण्ड	रांची*	7.	रांची*
10.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू	8.	श्रीनगर और जम्मू
11.	कर्नाटक	बंगलौर	9	बंगलौर
12.	केरल	तिरूवनन्तपुरम, कोजीकोड, कोचीन और कालीकट	10.	तिरूवनन्तपुरम
13.	महाराष्ट्र	पुणे और मुम्बई	11.	मुम्बई और औरंगाबाद
14.	मध्य प्रदेश	भोपाल	12.	भोपाल
15.	मणिपुर	इम्फाल और मोरेह		
16.	मेघालय	शिलांग		
17.	नागालैंड	कोहिमा		
18.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	13.	भुवनेश्वर
19.	पंजाब	चंडीगढ़		
20.	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर	14.	जयपुर
21.	सिक्किम	गंगटोक*		
22.	तमिलनाडु	गिन्डी, पल्लायमकोटई और तंजावूर	15.	चेन्नई
23.	त्रिपुरा	अगरतला	16.	अगरतला
24.	उत्तरांचल	रूद्रपुर	17.	रुद्रपुर*
25.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर	18.	लखनऊ
26.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	19.	कोलकाता
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर		
28.	दिल्ली	दिल्ली	20.	दिल्ली
29.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	21.	पांडिचेरी
	कुल	42		23

टिप्पणी: * स्थापित की जा रही नई प्रयोगशालाएं

अनुबंध II

केन्द्रीय क्षेत्र में खाद्य एवं औषधों से संबंधित क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत कवर की गई प्रयोगशालाओं के स्थान को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	खाद्य क्षेत्र	क्र.सं.	औषध क्षेत्र
	प्रयोगशाला का नाम		प्रयोगशाला का नाम
1.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता	1.	केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद
2.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मुम्बई*	2.	केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई
3.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कांडला/भुज*	3.	केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़
4.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, रक्सौल*	4.	क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी
5.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, भारत-नेपाल सीमा	5.	केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, कोलकाता
6.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, अट्टारी*	6.	केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई
7.	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर		
8.	राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद		
9.	खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद		

टिप्पणी: * स्थापित की जा रही नई प्रयोगशालाएं

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेलमथन: माननीय अध्यक्ष महोदय, माशेलकर समिति का गठन डा. आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता में जनवरी, 2003 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नकली और घटिया औषधियों की समस्या सहित औषधि संबंधी अवसंरचना के सभी पहलुओं का परीक्षण करने और इस समस्या से निपटने हेतु अपनी सिफारिशें देने तथा अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए उपाय सुझाने के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 2003 में प्रस्तुत कर दी थी। प्रमुख सिफारिशें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किए गए दंडों में वृद्धि करने से संबंधित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार माशेलकर समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु कोई विधेयक लायेगी।

डा. अंबुमणि रामदास: दो तरह की सिफारिशें थीं। एक है अंतरिम सिफारिशें और दूसरी है पूर्व रिपोर्ट। दांडिक प्रावधानों में वृद्धि करने संबंधी अंतरिम सिफारिशों के आधार पर पिछले सत्र में सम्माननीय राज्य सभा में एक विधेयक पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है और हम और कठोर विधिक प्रावधानों तथा प्रवर्तन के साथ उसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

श्री एस.के. खारवेलमथन: केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्रयोगशाला है और इसे सभी 28 राज्यों तथा सात संघ राज्य क्षेत्रों के लिए और केंद्रीय औषधि निरीक्षकों द्वारा लिए गए नमूनों के लिए विश्लेषक के रूप में कार्य करना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का दक्षिण भारत विशेषकर चेन्नई में एक और अपीलीय प्रयोगशाला शुरू करने का प्रस्ताव है।

डा. अंबुमणि रामदास: इस समय हमारा एक अपीलीय प्रयोगशाला शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है परन्तु विश्व बैंक की क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की औषधि और खाद्य प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करने का विचार बनाया गया है। वस्तुत: हम चेन्नई में एक नई औषधि परीक्षण प्रयोगशाला बनाने जा रहे हैं जो कि देश में सबसे अच्छी प्रयोगशालाओं में से एक होगी। चेन्नई और मुम्बई के अलावा हमारे पास कोलकाता में पहले से ही केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला है जिसका हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। हम इसमें विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री विनोद खन्ना: धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। चूंकि माननीय मंत्री ने कहा है कि हमारे पास विश्वस्तरीय प्रयोगशालाएं

नहीं हैं और हम अपनी प्रयोगशालाओं का दर्जा बढ़ा रहे हैं तो क्या सरकार ने सार्वजनिक-निजी साझेदारी पर विचार किया है? खाद्य और औषधियों में मानकों का रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे पूरा विश्व बहुत गम्भीरता से लेता है परन्तु हमारे पास अभी खाद्य-परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं ही नहीं हैं। जहां तक डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का संबंध है तो उस विशेष खाद्य पदार्थ के तत्वों, यथा इसमें कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितनी वसा और कितनी शर्करा है, का ब्यौरा अधिकांश देशों में प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए, चूंकि हमारे पास अभी ऐसी प्रयोगशालाएं नहीं हैं जो विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप हों, तो क्या सरकार की सार्वजनिक-निजी साझेदारी की कोई योजना है क्योंकि हमारे पास निजी क्षेत्र में विश्वस्तरीय प्रयोगशालाएं हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: इस समय जैसा मैंने कहा कि हम क्षमता निर्माण पर विचार कर रहे हैं। जहां प्रयोगशालाओं को विश्वस्तरीय बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण पर 356 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। उसमें से लगभग 214 करोड़ रुपए खाद्य प्रयोगशालाओं को जा रहे हैं और लगभग 110 करोड़ रुपए औषधि प्रयोगशालाओं को जा रहे हैं।

आज हम पूरे देश में राज्य और केन्द्रीय औषधि तथा खाद्य प्रयोगशालाओं में यह सोचकर कि हम उन्हें विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप बना रहे हैं लगभग 84 प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। आज हमारे पास इन प्रयोगशालाओं में सार्वजनिक-निजी साझेदारी का विकल्प नहीं है क्योंकि इन्हें विनियमित किए जो की आवश्यकता है। किंतु हम राष्ट्रीय औष प्राधिकरण की परिकल्पना पर विचार कर रहे हैं जहां यह स्वतंत्र औषध प्राधिकरण होगा जो नियमों को और कड़ाई से लागू कराकर जिसमें उद्योगों की भी एक भूमिका होगी, देश की जरूरतों को पूरा करेगा। राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण में उद्योग उपभोक्ताओं, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार और कानूनी जगत के भागीदार होंगे। वे सब राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण के भाग होंगे।

प्रश्न के दूसरे भाग पर आते हुए, सरकार देश में खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाये जाने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है जहां तत्व ही नहीं बल्कि पौष्टिकता संबंधी स्थिति को भी प्रदर्शित करना पड़ेगा। इसलिए कुछ माह पश्चात् जब हम उन्हें अधिसूचित करेंगे तो देश में सभी खाद्य पदार्थों में अनिवार्यत: कैलोरी, वसा की मात्रा और अन्य पौष्टिकता संबंधी मात्राओं का उल्लेख करना पड़ेगा। हम उसे अधिसूचित करने जा रहे हैं। कुछ माह में हम उसे अधिसूचित कर देंगे।

श्री लक्ष्मण सेठ: खाद्य और औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं खाद्य और औषधियों में मिलावट और संदूषण का पता लगाने और उसे रोकने के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसलिए, मैं समझता हूं कि जहां औषधियों का आयात और निर्यात का कार्य होता है वहां प्रयोगशालायें होना बहुत आवश्यक है। प्रयोगशालायें राज्यों की राजधानियों में होती हैं। उदाहरणार्थ हल्दिया में पत्तन है परन्तु खाद्य और औषधियों के परीक्षण के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं है। हल्दिया और कोलकाता के बीच 130 कि.मी. की दूरी है। पत्तन को वहां से आने और जाने वाले खाद्य और औषधियों के परीक्षण में कठिनाई होती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या खाद्य और औषधियों में मिलावट और संदूषण से निपटने के लिए हल्दिया पत्तन के आस-पास या परिसर में औषध तथा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाने का कोई प्रस्ताव है।

डा. अंबुमणि रामदास: आज हमारा विचार देश की सीमाओं पर अर्थात गुजरात में कांडला में, बिहार में रक्सौल में, बाघा सीमा पर अटारी में और मणिपुर में मोरे में केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला नाम से नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है। इन नई प्रयोगशालाओं को सीमाओं पर स्थापित करने का प्रस्ताव है। खाद्य वस्तुओं का आयात करने के लिए हम कोलकाता, चेन्नई, कोचीन और कांडला में विमानपत्तन और पत्तन प्रयोगशालाओं को और विकसित कर रहे हैं। वस्तुत: हम कांडला पत्तन और दिल्ली, जोधपुर इनलैंड कंटेनर डिपो, विशाखापत्तनम, अटारी, रक्सौल और गोरखपुर में सोनाली में वर्तमान प्रयोगशालाओं को और विकसित बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: हल्दिया दूरस्थ है। आपने बहुत कुशलता से अपने उद्देश्य को स्वीकार कर लिया है।

डा. पी.पी. कोया: माननीय मंत्री को गर्व है कि हमारे पास प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला है जो कि किसी भी स्थिति से निपटने में समर्थ है। सदस्य अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत उत्सुक हैं क्योंकि हमारी कुछ खाद्य सामग्रियों में जहर अथवा बहुत हानिकारक उत्पाद मिले होते हैं।

माननीय मंत्री से मेरा यही मुख्य प्रश्न है। इस देश में अधिकांश खाद्य उत्पादों में कीटनाशकों की मिलावट है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो पक्षी इन खाद्यान्नों को खाते हैं वे मर रहे हैं। यह भी बताया गया है कि बहुत से पशु मर चुके हैं क्योंकि उनमें कीटनाशकों से जहर फैल गया है। इस स्थिति में क्या हमारी प्रयोगशालाओं में खाद्यान्नों में कीटनाशकों के जहर की मात्रा का पता लगाने और उसके पश्चात् उपचारात्मक उपाय करने की क्षमता है।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: सर, आप अकेले-अकेले क्या खा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे अफसोस है। यह केवल गले का परीक्षण है। मुझे उम्मीद है आप मेरा दुख समझेंगे।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: मैं स्वीकार करता हूं कि आज देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। हमें और नमूने उठाने तथा परीक्षण करने की जरूरत है और हमें अधिक कार्मिकों की आवश्यकता है। किंतु मेरी समस्या फिर राज्य सरकारें हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह मत कहिये कि समस्या राज्य सरकारें हैं।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: किंतु मैं समस्या की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर नहीं जाने दूंगा। हम एक साथ काम कर रहे हैं और समन्वय कर रहे हैं और हम उनके कार्मिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम उनकी प्रयोगशालाओं का दर्जा बढ़ा रहे हैं क्योंकि यह देश की समस्या है और निश्चय ही राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों इस बारे में चिंतित हैं। इन नई आधुनिकतम प्रयोगशालाओं में कीटनाशकों के परीक्षण की सुविधाएं होंगी। परन्तु हम कीटनाशकों के लिए देश में सभी खाद्य उत्पादों का परीक्षण नहीं कर सकते। हमने सभी नमूने लिए हैं। 2003 के दौरान हमने लगभग 80,000 नमूने उठाये हैं और उन नमूनों में से; हमने लगभग 9,226 नमूनों में मिलावट पाई इनमें मिलावट की प्रतिशतता 11 थी। परन्तु इस मिलावट का अर्थ है कि पैकेजिंग में भी कुछ त्रुटि है। विभिन्न प्रकार की मिलावटें होती हैं। इसलिए, एक छोटी त्रुटिपूर्ण लेबललिंग भी मिलावट कही जा सकती है। वस्तुत:, हमने लगभग 5768 मामलों में अभियोजन शुरू किया और लगभग 900 मामलों में दोष सिद्धि हुई। अत: ऐसा चल रहा है। मैं मानता हूं कि हमें इसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है और इसे ही नहीं बल्कि प्रवर्तन तंत्र को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए, हम खाद्य निरीक्षकों और औषध निरीक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम राज्य तथा केन्द्र सरकारों के बीच प्रबंधन सूचना प्रणाली, इलैक्ट्रानिक संपर्क स्थापित कर रहे हैं जिसके द्वारा यदि कोई मामले होंगे तो उन्हें तत्काल अधिसूचित किया जाएगा। हम वे सब चीजें कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री विनोद खन्ना: इसीलिए एक विनियामक निकाय और निजी प्रयोगशालायें बनाना बहुत महत्वपूर्ण है जहां इन सब चीजों को किया जा सके।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कितनी नई लैबोरेट्रीज खोलने जा रहे हैं या नहीं खोलने जा रहे हैं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीजें हमें मिल रही हैं, जैसे दिल्ली में हम जो दूध लेते हैं, हम लोगों के मन और मस्तिष्क में हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं यूरिया वाला मिलावटी दूध तो हमें नहीं पिलाया जा रहा है। यदि हम दवा लेने के लिए जाते हैं तो हमें यह पूछना पड़ता है कि कौन सी दवा की दुकान ऐसी है जो रिलायबल है, जहां से यदि हम दवा लें तो वह आरिजनल और ठीक मिलेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ऐसे कौन से उपाय करने जा रहे हैं जिनसे लोगों के मन में यह विश्वास पैदा हो कि हम दवाइयां, दूध तथा जो भी अन्य चीजें बाजार से ले रहे हैं या किसानों के खेतों में काम आने वाली पेस्टिसाइड्स या अन्य दवाइयां हों, वे सब-स्टैन्डर्ड तो नहीं हैं। लोगों में यह विश्वास पैदा करने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं। चूंकि आपकी लैबोरेटरी में हम डोल लेकर दूध टैस्ट कराने के लिए नहीं जा सकते हैं। आज सब तरफ यह स्थिति है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से रोजाना हजारों लीटर नकली दूध की आपूर्ति हो रही है। बिना किसी रोक-टोक के यह सब हो रहा है, अर्थात इन गतिविधियों पर कोई रोक-टोक नहीं है। मैंने डर की वजह से दिल्ली में दूध पीना बंद कर दिया है। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि आप जनता में विश्वास कैसे पैदा करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें अनुमति दी है। वह एक महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहे हैं। कृपया उनके उत्तर को सुनें।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गयी चिंता से सहमत हूं। इसीलिए, मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि हमारी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रयोगशालाओं को आधुनिकीकृत तथा कर्मियों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

इसकी जिम्मेदारी केवल केन्द्र सरकार की ही नहीं है अपितु राज्य औषधि नियंत्रकों तथा राज्य कर्मचारियों की भी है। उन्हें काम पर लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में और अधिक कर्मचारियों को इस काम पर लगाया जाना चाहिए, वहां और अधिक औषधि नियंत्रक भर्ती किये जाने चाहिए तथा और खाद्य निरीक्षकों को काम पर लगाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को भी बड़ी संख्या में नियुक्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को और अधिक लोगों को नियुक्त करना चाहिए। बाद में हम उन कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे और राज्यों की कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: सीमा पर लगाने पड़ेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि दूध का क्या होगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव, आप छोटा प्रश्न करें।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं छोटा प्रश्न ही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि विश्व बैंक से जो राशि आबंटित की जाएगी, उससे पूरे देश के पैमाने पर राज्यवार लैबोरेट्रीज को सुदृढ़ करने जा रहे हैं, तकनीकी रूप से साउंड करने जा रहे हैं। जवाब में जो ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, उसमें बिहार के संबंध में कहा गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र पटना में खाद्य के क्षेत्र में एक लैबोरेट्री है मगर दवाइयों के क्षेत्र में एक भी लैबोरेट्री नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पटना में खाद्य क्षेत्र में जो लैबोरेट्री है, उसको तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिए आप कितनी राशि आबंटित कर रहे हैं और औषधि क्षेत्र में कोई लैबोरेट्री वहां स्थापित करने का विचार कर रहे हैं?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं इस मामले पर विचार करूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह इस मामले पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इससे ज्यादा वह और क्या कह सकते हैं? उन्होंने आपकी समस्या पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: राशि के बारे में नहीं कहा है कि कितनी राशि दे रहे हैं। यह तो बहुत सरल प्रश्न है कि माडर्नाइजेशन के लिए कितनी राशि आबंटित कर रहे हैं। यह एक साधारण सा प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह इसका पता लगायेंगे। प्रत्येक बात का जवाब देना संभव नहीं है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं खाद्य तथा औषधि प्रयोगशालाओं के आवंटन के बारे में माननीय सदस्य को पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराऊंगा।

निजी अस्पतालों को नाममात्र दरों पर भूमि

*324. **श्री एम. शिवन्ना:**
श्री कमला प्रसाद रावत:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कतिपय निजी अस्पतालों को बहुत ही कम दर पर भूमि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अस्पतालों को दिशानिर्देशों के विरुद्ध धर्मार्थ संस्थाओं के नाम पर वाणिज्यिक तौर पर चलाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन अस्पतालों/संस्थाओं को इस संबंध में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

चूंकि भारत के संविधान में स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए प्राइवेट अस्पतालों को भूमि आबंटित करने संबंधित दिशा-

निर्देश तैयार करने का दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली में भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय ने 5 प्राइवेट अस्पतालों को पूर्व निर्धारित दरों पर भूमि आबंटित की थी और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 50 अस्पतालों/संस्थाओं को क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग दरों पर भूमि आबंटित की थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटित किए गए 50 अस्पतालों/संस्थाओं में से 23 अस्पतालों को इस शर्त पर भूमि आबंटित की गई कि वे निर्धन रोगियों के उपचार के लिए अन्तरंग रोगी विभाग (आईपीडी) में 25 प्रतिशत बिस्तर और बाह्य रोगी विभाग में 40 प्रतिशत बिस्तर नि:शुल्क उपलब्ध कराएंगे। इस तथ्य को पट्टा विलेख (लीज डीड्स) में शामिल किया गया है। भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा आबंटित भूमि के दो मामलों में निर्धन रोगियों के लिए 70 प्रतिशत बिस्तर नि:शुल्क रखने की शर्त निर्धारित की गई थी।

भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने सूचित किया है कि विमहान्स ने आर्थिक रूप से गरीब वर्गों के लिए नि:शुल्क बिस्तर उपलब्ध कराने संबंधी शर्त का पालन नहीं किया है। इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद विमहान्स के पक्ष में किए गए भूमि आबंटन को रद्द कर दिया गया। विमहान्स ने इस निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है जिस पर शहरी विकास मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सचिव, शहरी विकास की अध्यक्षता वाली समिति ने 10 ऐसे अस्पतालों के नाम बताएं हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए भूमि आबंटन की शर्तों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। इसके बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन दस अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा उनसे प्राप्त उत्तरों को विस्तृत जांच के लिए स्वास्थ्य निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को भेज दिया गया है क्योंकि प्रायोजित करने वाला विभाग ही अस्पतालों के दैनिक कार्य-व्यवहार की मानीटरिंग करने के लिए जिम्मेदार होता है।

अध्यक्ष महोदय: इसका केन्द्र सरकार से कुछ भी लेना-देना नहीं है। आप ऐसी बात पूछें जिससे केन्द्र सरकार का लेना-देना हो।

***श्री एम. शिवन्ना:** अध्यक्ष महोदय, विमहांस, एस्कार्ट्स तथा इसी तरह के दूसरे अस्पताल समाज के निर्धन वर्गों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं जबकि सरकार से आश्चर्यजक सस्ती दरों पर जमीन खरीदते वक्त उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी। लेकिन अब वे इस बात की पूरी तरह अनदेखी कर रहे हैं और आम जनता से अप्रत्याशित रूप से उच्च चिकित्सा शुल्क वसूल रहे हैं।

इन अस्पतालों को चिकित्सा पर्यटन के इस युग में पंचतारा होटलों की तरह चलाया जा रहा है। होटल उद्योग से तो सरकारी खजाने में कुछ पैसा भी आता है लेकिन इन अस्पतालों से सरकार को कुछ भी नहीं मिलता।

अत:, क्या सरकार जरूरत के तौर पर इन अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण करेगी और यदि सरकार को यह लगता है कि उसे व्यापार के क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए तो क्या सरकार इस बात को आवश्यक समझती है कि वह इन अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण कर दे और उन्हें सेंटूर होटल की तरह बढ़े हुए मूल्य पर बेच दे ताकि सरकार के खजाने में अतिरिक्त धनराशि जुटायी जा सके और समाज के निम्न वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक न्याय तथा उचित स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके।

अध्यक्ष महोदय: यह विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। इसका जवाब यह कैसे दे सकते हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जैसा कि आपने कहा यह विषय राज्य के अंतर्गत आता है और इस बारे में विभिन्न राज्यों की अपनी नीतियां होती हैं। हमारा सरोकार उपचार की गुणवत्ता और चिकित्सकों की लापरवाही आदि से है।

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, दिल्ली में भी विमहांस और एस्कार्ट्स अस्पताल हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपने वक्तव्य में दिल्ली को भी शामिल किया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह दिल्ली के बारे में जवाब दे रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जहां तक दिल्ली का संबंध है, भूमि और विकास कार्यालय ने 1960 से पांच अस्पतालों को अनुमति दी है और साठ के दशक में जब उन्होंने पहले अस्पताल को अनुमति-पत्र जारी किया था तो इस तरह की कोई अनुमति नहीं दी गयी थी और उसके बाद के दो अस्पतालों अर्थात् विमहांस और वीरानमुडी इंटरनेशनल हास्पिटल के बारे में इस आशय का एक खंड जोड़ा गया कि इन अस्पतालों में भर्ती उन 70 प्रतिशत मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया जायेगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं। लेकिन विमहांस ने इस शर्त को नहीं माना है कुछ अन्य मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लगभग

*मूलत: कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

50 अस्पतालों को भूमि आवंटित की है। इनमें से 23 अस्पतालों पर यह शर्त लगायी गयी है कि वे अपने यहां भर्ती 25 प्रतिशत मरीजों का तथा 40 प्रतिशत बहिरंग मरीजों का इलाज नि:शुल्क करेंगे।

अत: इस बारे में भूमि और विकास कार्यालय ने कई प्रश्न उठाये थे। माननीय सदस्यों ने उनमें से कुछ बातों को यहां उठाया है। इस बारे में न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की गई और इससे संबंधित कुछ आदेश भी जारी किये गये हैं।

जहां तक विमहांस अस्पताल का सवाल है, उसे इस आशय का एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि उससे जमीन वापस क्यों न ले ली जाये। यह मामला अब भी शहरी विकास मंत्रालय के विचाराधीन है। जहां तक वीरनवली अस्पताल का सवाल है, उससे संबंधित कोई मामला ही नहीं बनता क्योंकि वह गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। कुल 23 अस्पतालों में से केवल 10 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वस्तुत: शहरी विकास मंत्रालय इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है और वे इसे शीघ्र सुलझा लेने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए वे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने अथवा या पूर्व में दी गयी जमीन को वे वर्तमान दरों पर अस्पताल को बेचने जैसी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। मेरे सहयोगी शहरी विकास मंत्री ने इन सभी मुद्दों को अपनी बातचीत में उठाया है। यदि आप अनुमति दें, तो वे इस बारे में अद्यतन स्थिति समझा सकेंगे।

***श्री एम. शिवन्ना:** महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन अस्पतालों को लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं चलाया जा रहा है और क्या इन अस्पतालों में इलाज शुल्क की कोई निश्चित दरें नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप ये लोग मनमाने ढंग से इलाज शुल्क के नाम पर अनाप-शनाप पैसे वसूल नहीं कर रहे हैं।

मैं समझता हूं उक्त अस्पतालों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को आगे आना चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों विशेषकर हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों को गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

अत:, मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार उन अस्पतालों में वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करायेगी जिन्हें सरकार ने नाममात्र की कीमत पर जमीन उपलब्ध कराई है।

अध्यक्ष महोदय: भारतीय चिकित्सा परिषद तो इलाज करती नहीं है।

*मूलत: कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

डा. अंबुमणि रामदास: भारतीय चिकित्सा परिषद केवल चिकित्सीय शिक्षा से संबंधित है। इसका अस्पतालों से कुछ भी लेना-देना नहीं है। जहां तक इनके प्रश्न के दूसरे भागों का संबंध है उसका उत्तर मेरे सहयोगी शहरी विकास मंत्री द्वारा दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए लिखित अनुरोध नहीं आया है अत: मैं उन्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद रावत: अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में, विशेष कर महानगरों में फाइवस्टार होटलों की तरह ब्रांडिड अस्पतालों की बाढ़-सी आ गई है। रोगियों को छुट्टी देते समय अस्पताल प्रशासन बढ़ा-चढ़ा कर बिल दे देते हैं, जिससे रोगियों के सामने मानसिक, शारीरिक और वित्तीय समस्याएं आती हैं। इसी तरह से छोटे शहरों और कस्बों में नर्सिंग होम मनमानी फीस वसूल करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह अस्पतालों के लिए कोई अधिनियम क्यों नहीं बनाते हैं, जिससे इस प्रकार की लूट-खसोट से बचा जा सके?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, ये निजी संस्थाएं हैं और हम उनके बारे में कोई कानून नहीं बना सकते। निश्चित तौर पर हम स्वास्थ्य देखरेख की गुणवत्ता को बनाये रखने के पक्षधर हैं और जहां कहीं सरकारी अस्पताल नहीं हैं वहां हम निजी-सरकारी सहभागिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इलाज शुल्क में कमी आये और यह सभी मरीजों के लिए सुलभ हो। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में सकल स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं का केवल 20 प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र में है और 80 प्रतिशत भाग निजी क्षेत्र में है। इसलिए हम इलाज शुल्क में कमी लाने के लिए निजी-सरकारी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु प्रयास कर रहे हैं। हम अस्पतालों से भी यह अनुरोध कर रहे हैं कि वे जरूरतमंद लोगों के प्रति अधिक से अधिक सामाजिक प्रतिबद्धता दर्शाये, पर हम इस बारे में कोई कानून नहीं ला सकते। हम केवल उनसे अनुरोध और आग्रह कर सकते हैं। हम अपने देश में उपकरण निर्माताओं को बढ़ावा देकर शल्य चिकित्सा के शुल्क में भी कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं।

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। दिल्ली के कुछ अस्पताल जिन्हें इस शर्त पर कम कीमत पर जमीन उपलब्ध करायी गयी थी कि उनके यहां आने वाले 25 प्रतिशत रोगियों का इलाज मुफ्त किया जायेगा, ने सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए ये प्रस्ताव

दिया है कि वे मुफ्त इलाज करने के बजाय, जिसे कई वर्षों तक जारी रखा जाता वे कम कीमत पर ली गयी जमीन का वर्तमान मूल्य चुकता करने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

डा. एम. जगन्नाथ: मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार कर रही है और क्या वह इन विशिष्ट अस्पतालों को जमीन बेच रही है। इनमें से कुछ अस्पतालों को तो 15 या 20 साल पहले जमीन उपलब्ध करा दी गयी थी लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है और जमीन खाली पड़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वह जमीन वापस लेकर उसे किसी अन्य कार्य के लिए प्रयुक्त करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि यह प्रश्न शहरी विकास मंत्री से पूछा जाना चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास: जी श्रीमान, इसीलिए मैं शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रश्न का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय: मेरी समझ से आपने गलत मंत्री से प्रश्न पूछ लिया है।

डा. एम. जगन्नाथ: लेकिन प्रमुख प्रश्न तो इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष जी, सभी निजी हास्पिटल्स कामर्शियल बेसिस पर चल रहे हैं, जबकि सरकार की जमीन है। लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा देनी होती है तो भारत सरकार उसे इजाजत देती है। मगर भारत सरकार पी.जी. कोर्स के लिए उनको इजाजत देती है, उस समय यह कंडीशन रख सकती है कि नहीं, हमें 25 परसेंट कन्सेशन पेशेण्ट्स को देना है या नहीं देना है और जो कंडीशन का उल्लंघन करते हैं, उनको पी.जी. का कोर्स देने से भारत सरकार इन्कार करेगी। वैसे कामर्शियली जब हास्पिटल्स चल ही रहे हैं तो वे साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स भी चलाएंगे।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों का स्वागत करता हूं।

जहां तक पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित मुद्दे का सवाल है इसमें दो निकाय शामिल हैं अर्थात् भारतीय चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय बोर्ड/भारतीय चिकित्सा परिषद पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधा केवल मेडिकल कालेज अस्पतालों में ही उपलब्ध कराती है और राष्ट्रीय बोर्ड इसके लिए अस्पतालों को अनुमति प्रदान करता है। हम भविष्य के संदर्भ के लिए माननीय सदस्य के सुझावों को स्वीकार करते हैं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: यह मामला सही है कि अर्बन डवलपमेंट के साथ ज्यादा संबंधित है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि: ''सरकार अनुरोध कर रही है...'' इतने असहाय स्वास्थ्य दफ्तर नहीं हैं। जो एच.आर.डी. की स्टेंडिंग कमेटी थी, उसकी भी रिपोर्ट थी कि प्राइवेट हास्पिटल्स को कन्सेशन दिया जाता है, लेकिन जिस शर्त पर दिया जाता है, बाद में वे उसे नहीं मानते हैं तो हैल्थ मिनिस्ट्री क्या कर सकती है। अर्बन डवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी यह बात स्टेंडिंग कमेटी से ही दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं, जैसा पाटिल साहब ने भी सही कहा कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे सैण्ट्रल गवर्नमेंट के हों, हर साल हैल्थ का लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है, वह डायरैक्टर हैल्थ सर्विसेज करते हैं। दूसरी बात है कि जस तरह से लैंड का मामला है, उसी तरह से कांस्टेंट अपग्रेडेड इक्विपमेंट्स चाहिए और उसके लिए कस्टम ड्यूटी कन्सेशन दिया जाता है। आप उसे इसी तरह से 20-25 परसेंट किफायत में करेंगे या फ्री करेंगे? यह कहा जाता है और आप क्या ऐसे हास्पीटल्स को ब्लैक लिस्ट करेंगे और आगे उन्हें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जायेगी।

दूसरी बात, जैसे अर्बन डवलपमेंट मिनिस्ट्री ने भी यह काम किया है कि वे मार्केट प्राइस से पैसा दें और उस पैसे से गरीब मरीजों को कन्सेशन दिया जाये। उसी तरह से आप भी उनसे पैसा रिकवर करके जो कन्सेशन आपने दिया है, आज के मार्केट रेट से उनसे लें और फिर आप 25 या 30 परसेंट हो, गरीबों को इलाज के लिए कन्सेशन दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का जवाब आप दें और प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब आपके सहयोगी शहरी विकास मंत्री देंगे।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य के इस प्रश्न में दो अलग-अलग बातें अंतर्ग्रस्त हैं। एक तो रियायत के बारे में है। हम क्लिीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट नामक एक नया विधेयक ला रहे हैं जिसमें देश के सभी अस्पतालों को प्राधिकरण के अधीन

पंजीकृत किया जाएगा— हम राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं जिसमें सभी अस्पतालों और निदान केन्द्रों को इस जिला प्राधिकरणों में अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना होगा। हमें इन अस्पतालों के लिए कुछ मानदण्ड बनाने होंगे और इन प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को उन उपचार मानकों को पूरा करना होगा। इसलिए हम सभी मानदण्ड बनाने जा रहे हैं।

मैंने पिछले महीने लगभग 50 चिकित्सा व्यवसायी निकायों के साथ भी परामर्श किया था और वहां आए आईएमए, फेडरेशन आफ अब्सटेट्रिक एण्ड गाइनीकलाजिकल सोसायटिज आफ इंडिया (एफओजीएसआई) (भारतीय प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान सोसाइटी फेडरेशन) सहित सभी संगठनों और अन्य एसोसिएशन ने नैदानिक अधिष्ठापन अधिनियम (क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट) के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है जिससे हम अस्पतालों को विनियमित कर सकेंगे और अधिक गुणवत्तायुक्त बना सकेंगे।

जहां तक रियायत देने का मामला है तो इसमें कुछ बाधाएं हैं जब वे कहते हैं कि 25 प्रतिशत मरीज स्थानीय और 40 प्रतिशत बाहर से आए मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया है तो इन अस्पतालों को अनुमति देने के लिए कोई निगरानी तंत्र वहां नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य सरकार रोगियों और अस्पतालों का प्रत्येक रोगी के आधार पर और अस्पताल के आधार पर निगरानी नहीं कर सकती है। आज हम ऐसी स्थिति पर आ गए हैं जहां गतिरोध है वहां इस प्रकार के काफी मामले हैं। हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें कहना पड़ रहा है कि हम स्वीकार करते हैं कि यहां पर समस्या थी लेकिन अस्पताल आज उनके बाजार दर में मूल्य दे सकते हैं और उस मामले को हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं।

दूसरा मामला जो इसमें शामिल है वह निकाय (कार्पस) राशि को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले मरीजों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रयोग करने के बारे में है। उनका उपचार स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन मुफ्त किया जा सकता है। लेकिन शहरी विकास मंत्रालय इन मुद्दों पर अभी विचार कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 325, श्री गिरिधारी यादव— उपस्थित नहीं।

श्री सुशील कुमार महतो—उपस्थित नहीं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 326, श्री एन. जनार्दन रेड्डी- उपस्थित नहीं।

श्रीमती नीता पटैरिया यहां हैं मैं समझता हूं कि आपको इसकी आशा नहीं थी। अत: मैं दूसरा प्रश्न ले सकता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: महोदय, लेट होने के कारण मैं देख नहीं पायी, इसके लिए मैं सदन से माफी मांगती हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, ऐसा होता है।

[अनुवाद]

हम थोड़ा जल्दी चलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

क्या आपका कोई सप्लिमेन्टरी प्रश्न है। वैसे तो बहुत बड़ा जवाब दिया हुआ है, फिर भी आप पूछ लीजिए।

[अनुवाद]

केंद्रीय सड़क निधि का कम उपयोग

+

*326. **श्रीमती नीता पटैरिया:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा केंद्रीय सड़क निधियों का बड़े पैमाने पर कम उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त निधियों का पूरा उपयोग किया है अथवा जो उक्त निधियों का उपयोग नहीं कर पाए हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य को स्वीकृत निधियों की तुलना में उपयोग नहीं की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इनका उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने निधियों के समुचित उपयोग पर निगरानी रखने के लिए किसी तंत्र की स्थापना की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-सीमा के भीतर सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) राज्यों द्वारा केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के कम उपयोग की प्रतिशतता नीचे दर्शायी गई है-

वर्ष	उपयोग न की गई राशि की प्रतिशतता
2002-2003	3.03
2003-2004	14.47
2004-2005	14.94

गत तीन वर्षों के दौरान उपयोग न की गई राशि सहित जिन राज्यों ने सीआरएफ का पूरा उपयोग किया/कम उपयोग किया, के नाम अनुबंध-I में दिए गए हैं। राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग न किए जाने संबंधी कारण अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(घ) से (च) ये कार्य राज्यीय सड़कों से संबद्ध हैं। भारत सरकार इन कार्यों के लिए प्रशासनिक मंजूरी देती है और निधियां मुहैया करती है। राज्य सरकारें प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं और निधियां जारी करते समय इनकी समीक्षा की जाती है। ये निधियां, राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्रों के आधार पर ही जारी की जाती हैं।

अनुबंध I

गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के अधीन राज्य-वार जमा, जारी और उपयोग न की गई राशि के ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03			2003-04			2004-05		
		जमा	जारी	उपयोग न की गई राशि	जमा	जारी	उपयोग न की गई राशि	जमा	जारी	उपयोग न की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	81.45	111.24	-29.79	77.08	77.08	0.00	74.70	74.70	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.86	10.08	0.78	9.71	9.71	0.00	9.25	9.25	0.00
3.	असम	15.40	35.64	-20.24	14.44	14.35	0.09	13.57	14.57	0.00
4.	बिहार	33.90	23.99	9.91	24.49	14.71	9.78	21.91	12.90	9.01
5.	छत्तीसगढ़	17.28	42.85	-25.57	20.79	8.71	12.08	20.28	0.00	20.28
6.	गोवा	4.09	1.31	2.78	4.02	1.28	2.74	4.02	1.39	2.63
7.	गुजरात	68.13	63.76	4.37	59.83	59.83	0.00	55.21	55.21	0.00
8.	हरियाणा	35.75	21.03	14.72	33.56	33.56	0.00	32.09	32.09	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	10.75	11.89	-1.14	10.13	6.30	3.83	9.75	9.75	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	31.05	22.70	8.35	28.37	14.65	13.72	27.43	20.56	6.87
11.	झारखंड	11.25	5.39	5.86	16.15	9.72	6.43	17.44	0.00	17.44
12.	कर्नाटक	58.13	76.34	-18.21	55.11	55.11	0.00	52.76	52.76	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	केरल	27.71	6.68	21.03	25.68	19.56	6.12	25.20	25.20	0.00
14.	मध्य प्रदेश	66.59	80.65	-14.06	55.35	42.50	12.85	52.01	52.01	0.00
15.	महाराष्ट्र	101.41	96.81	4.60	98.87	98.87	0.00	91.60	91.60	0.00
16.	मणिपुर	3.24	2.60	0.64	2.83	1.50	1.33	3.06	3.06	0.00
17.	मेघालय	4.29	6.64	-2.35	3.96	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00
18.	मिजोरम	2.96	0.96	2.00	2.68	2.68	0.00	2.55	2.55	0.00
19.	नागालैंड	2.47	2.11	0.36	2.22	3.80	1-.58	2.13	2.22	-0.09
20.	उड़ीसा	29.82	18.21	11.61	27.31	38.09	-10.78	27.27	21.17	6.10
21.	पंजाब	40.43	54.12	013.69	38.48	28.66	9.82	37.36	28.66	8.70
22.	राजस्थान	76.71	99.34	-22.63	71.02	47.23	23.79	67.87	67.87	0.00
23.	सिक्किम	1.10	1.55	-0.45	0.99	0.99	0.00	1.06	1.58	-0.52
24.	तमिलनाडु	67.22	62.30	4.92	62.46	62.46	0.00	57.98	57.98	0.00
25.	त्रिपुरा	1.93	2.09	-0.16	1.78	1.12	0.66	1.74	0.00	1.74
26.	उत्तरांचल	7.59	10.55	-2.96	10.81	5.09	5.72	10.13	7.43	2.70
27.	उत्तर प्रदेश	96.43	50.19	46.24	82.47	70.55	11.92	80.61	54.64	25.97
28.	पश्चिम बंगाल	36.88	23.82	13.06	35.01	35.01	0.00	32.59	32.59	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.69	0.00	1.69
30.	चंडीगढ़	2.21	2.86	-0.65	2.21	2.21	0.00	2.04	2.02	0.02
31.	दादरा व नगर हवेली	1.07	0.41	0.66	1.07	0.41	0.66	0.99	0.00	0.99
32.	दमन और दीव	0.76	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	0.70	0.00	0.70
33.	दिल्ली	27.05	0.00	27.05	27.05	8.16	18.89	24.98	0.00	24.98
34.	लक्षद्वीप	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05
35.	पांडिचेरी	2.19	2.19	0.00	2.19	1.09	1.10	2.02	1.64	0.38
	कुल जोड़	980.00	950.29	29.71	910.76	778.95	131.81	868.00	738.36	129.64

अनुबंध II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सीआरएफ का उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:-

1. संबंधित राज्यों द्वारा कार्यों की धीमी गति से कार्यान्वयन।
2. राज्यों द्वारा विशेष पास/टोकन/कार्ड जारी किए जाने जिससे वर्ष 2003-04 में वाहनों में अधिक भार लदान आसान हो गया था, के कारण सात राज्यों के लिए धनराशि का जारी किया जाना रोकना।
3. वर्ष 2004-05 में देश में आम चुनाव और कुछ राज्यों में चुनाव जिससे नई परियोजनाओं की स्वीकृति प्रभावित हुई।
4. धनराशि जारी करने के लिए प्रतिपूर्ति प्रक्रिया।
5. राज्यों द्वारा पर्याप्त प्रस्तावों को प्रस्तुत न किया जाना, और
6. कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्या।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: महोदय, क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा केंद्रीय सड़क निधियों का बड़े पैमाने पर कम उपयोग किया गया है। यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने उक्त निधियों का पूरा उपयोग किया अथवा जो उक्त निधियों का उपयोग नहीं कर पाए हैं। प्रत्येक राज्य को स्वीकृत निधियों की तुलना में उपयोग नहीं की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इनका उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: महोदय, माननीय सदस्या मूल प्रश्न को ही पढ़ रही हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, यह सच है कि आपको इसकी आशा नहीं थी। मुझे आपको कुछ नहीं कहना है।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहती हूं कि केन्द्र सकरार ने केंद्रीय सड़क निधियों से मध्य प्रदेश को कितनी राशि दी है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उत्तर में सूचना दी गई है लेकिन इनके हित के लिए आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, 2002-03 में कुल जमा राशि 980 करोड़ रुपये थी। जारी की गई राशि 950.29 करोड़ रुपये थी और अप्रयुक्त राशि 29.71 करोड़ रुपये थी। अगले वर्ष 2003-04 में जमा राशि 910.76 करोड़ रुपये थी, जारी की गई राशि 778.95 करोड़ रुपये थी और अप्रयुक्त राशि 131.81 करोड़ रुपये थी। 2004-05 में जमा राशि 868 करोड़ रुपये थी, जारी की गई राशि 738.36 करोड़ रुपये थी और अप्रयुक्त राशि 129.64 करोड़ रुपये थी।

अध्यक्ष महोदय: आपको आंकड़े देने की जरूरत नहीं है उनका वर्णन लिखित विवरण में किया गया है। यदि आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है, तो आप उसे माननीय सदस्य को दे सकते हैं। आपको दुबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री टी.आर. बालू: 2004-05 में मध्य प्रदेश ने जारी की गई धनराशि का पूरा उपयोग किया है। यदि वह चाहती हैं तो मैं उन्हें सारी सूचना दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: इस राशि का मध्य प्रदेश शासन ने पूरा उपयोग किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि बाकी राशि कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: पिछले वर्ष उन्होंने जारी की गई राशि का पूरा-पूरा उपयोग किया है। यह तो चालू प्रक्रिया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही हम कह सकेंगे कि उन्होंने इस वर्ष राशि का पूरा उपयोग किया है कि नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य: केन्द्रीय सड़क निधि का उपयोग राज्य राजमार्ग की मरम्मत और मजबूत करने के लिए किया जाता है। 2005-06 के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित 4 परियोजनाएं भेजी हैं। क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं क्या सरकार ने उन चार परियोजनाओं, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिश से काफी पहले कम से कम तीन महीने पहले भेजा गया था, को मंजूरी दे दी है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने इस परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है या नहीं।

श्री टी.आर. बालू: मैं इसके बारे में आपको जानकारी भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए अलग सूचना देनी होगी।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि "ये कार्य राज्यीय सड़कों से सम्बद्ध हैं।" इसका तात्पर्य यह है कि के.स. निधि राज्य सड़क के लिए ही है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नए सम्पर्क मार्गों के लिए धन देता है। जिला सड़कें और अन्य महत्वपूर्ण सड़कें किसी क्षेत्र की मुख्य धमनियां होती हैं जिसके लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है। क्या मंत्री जी सीआरएफ की परिधि को बढ़ाने पर विचार करेंगे ताकि ऐसे जिले के व अन्य महत्वपूर्ण मार्गों को भी इसमें शामिल किया जा सके।

श्री टी.आर. बालू: आधिकारिक विवरण (प्रोटोकोल) में यह कार्य मेरे अन्य मित्र के कार्य क्षेत्र में आते हैं। मेरा संबंध राष्ट्रीय राजमार्गों से है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि राज्य सड़कों के लिए धनराशि के.स.नि. से दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ। मैं सभी माननीय सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। मैंने पहले एक प्रस्ताव रखा था कि सभी माननीय सदस्यों और सभी माननीय मंत्रियों को अपने प्रश्नों और उत्तर के साथ तैयार रहना चाहिए। मुझे यह पता लगे कि कौन तैयार होकर आया है और कौन तैयार होकर नहीं आया है। हम एक दिन इस का प्रयास करेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, माननीय मंत्री जी ने उनके प्रश्न के उत्तर नहीं दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा कि यह राज्यों से सम्बद्ध है उनके पास कोई उत्तर नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: सीआरएफ को राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय मंजूरी दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद श्री स्वाईं। यह आपका सुझाव है और मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय इसे ध्यान में रखेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

झरिया कोयला खान में आग

***325. श्री गिरिधारी यादव:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूमिगत आग लगने के कारण भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का कुल कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ, अब तक कोयले की कितनी मात्रा जल गयी है और आग बुझाने संबंधी परियोजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) झरिया क्षेत्र में कोयले का कितना अनुमानित भंडार है और इसमें से कितना कोयला भंडार आग सुलगने से भूमि धंसाव के कारण प्रभावित हुआ है;

(ग) सुलगती आग को बुझाने और झरिया शहर को बचाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार झरिया शहर को अन्यत्र बसाने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनर्वास योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) 1999 में सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड (सी.एम.पी.डी.आई.एल.) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार लगभग 270 वर्ग किलोमीटर के कुल पट्टाधारी क्षेत्र में से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) में आग से प्रभावित कुल क्षेत्र लगभग 8.9 वर्ग किलोमीटर है। आग के कारण ध्वस्त कुल भंडार का अनुमान लगभग 37 मिलियन टन लगाया गया है। 10 स्थानों पर लगी आग को बुझाया गया है और शेष स्थानों पर लगी आग पर कुल मिलाकर नियंत्रण पा लिया गया है।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार बी.सी.सी.एल. के पट्टाधारी क्षेत्र में 1.1.2005 की स्थिति के अनुसार 1200 मीटर की गहराई तक कुल भू-गर्भीय भंडार 18.27 बिलियन टन है। आग लगने के कारण आग/धंसाव की वजह से 1995 में लगाए गए अनुमान के अनुसार अवरुद्ध भंडार लगभग 1453 मिलियन टन है।

(ग) परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए बी.सी.सी.एल. द्वारा आग पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

- ब्लेंकिटिंग/सतही सिलिंग/सीलिंग;
- रेत भराई;
- इनर्ट गैस-इन्जैक्शन;
- ट्रैंच कटिंग;
- वाटर पूलिंग इत्यादि।

(घ) से (च) बी.सी.सी.एल. के पट्टाधारी क्षेत्र में आग, धंसाव तथा पुनर्स्थापन से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान अप्रैल, 2004 में तैयार किया गया है। इस मास्टर प्लान में झरिया कोलफील्ड के अस्थिर एवं अनियंत्रणीय धंसाव संभावित आवास क्षेत्रों के पुनर्स्थापन पर विचार किया गया है। मुख्य झरिया शहर को अन्यत्र बसाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आस-पास क्षेत्रों से लगे झरिया शहर के भागों को आग तथा धंसाव के प्रभाव के कारण स्थानान्तरित करने के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है। मास्टर प्लान का कुल पूंजीगत परिव्यय 5792.21 करोड़ रुपए है, जिसमें से पुनर्स्थापन की लागत 2446.91 करोड़ रुपए (मार्च, 2004 आधार) है।

[अनुवाद]

किशोरावस्था में मातृत्व

*327. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 15 वर्ष से कम आयु की कितनी बालिकाओं ने मातृत्व प्राप्त किया;

(ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसी माताओं की संख्या कितनी है और उनमें से कितनी विवाहित हैं; और

(ग) ऐसे मातृत्व पर रोक लगाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मातृत्व प्राप्त करने वाली 15 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के अनुसार वर्ष 2001 की जनगणना में 15 वर्ष से कम आयु की विवाहित माताओं की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसे मातृत्व को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं-

(1) बाल विवाह (अवरोध) अधिनियम, 1929 पहले से प्रचलन में है। तथापि, इस अधिनियम में संशोधनों के प्रस्ताव पर इस समय कार्मिक और लोक शिकायत, विधि और न्याय मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए गए प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर ध्यान देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) आपाती गर्भनिरोधकों सहित गर्भनिरोधक सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

(4) विवाह की सही आयु के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रचार अभियान/कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं।

(5) महिला और बाल विकास विभाग ने देश के चुने हुए ब्लाकों में "किशोरी शक्ति योजना" आरम्भ की है। किशोरावस्था के आरम्भ में गर्भधारण करने के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विशिष्ट परामर्श एवं सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण सामग्री वितरित की जा रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरम्भ किया है जिसमें किशोरों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों के लोगों को गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विवरण

भारत/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 15 वर्ष से कम आयु की विवाहित माताओं की संख्या

भारत की जनगणना-2001

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विवाहित माताओं की संख्या
1	2	3
भारत		296790
1.	आंध्र प्रदेश	12848
2.	अरुणाचल प्रदेश	267
3.	असम	7045
4.	बिहार	31665
5.	छत्तीसगढ़	4060
6.	गोवा	127
7.	गुजरात	12300
8.	हरियाणा	7605
9.	हिमाचल प्रदेश	1280

1	2	3
10.	जम्मू-कश्मीर	5159
11.	झारखण्ड	5713
12.	कर्नाटक	11822
13.	केरल	3504
14.	मध्य प्रदेश	16211
15.	महाराष्ट्र	15672
16.	मणिपुर	349
17.	मेघालय	458
18.	मिजोरम	115
19.	नागालैंड	464
20.	उड़ीसा	8565
21.	पंजाब	8387
22.	राजस्थान	21156
23.	सिक्किम	129
24.	तमिलनाडु	15896
25.	त्रिपुरा	728
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह संघ क्षेत्र	74
27.	दादरा व नगर हवेली संघ क्षेत्र	19
28.	दमन व दीव संघ क्षेत्र	18
29.	दिल्ली संघ क्षेत्र	2348
30.	लक्षद्वीप संघ क्षेत्र	4
31.	पांडिचेरी संघ क्षेत्र	112
32.	चंडीगढ़ संघ क्षेत्र	213
33.	उत्तर प्रदेश	73408
34.	उत्तरांचल	1987
35.	पश्चिम बंगाल	27082

खेल अकादमियां खोलना

***328. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में निजी संगठनों/कंपनियों की सहायता से युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए खेल अकादमियां खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अकादमियां में खेल से संबंधित कार्य-कलापों के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) सरकार द्वारा इन संगठनों/कंपनियों को अब तक कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने इन अकादमियों में अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ऐसी कितनी अकादमियां खोले जाने का विचार है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) भारत सकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए राज्य खेल अकादमी की योजना प्रारंभ की है। योजना का मुख्य उद्देश्य 10-13 वर्ष के आयु वर्ग के बीच खेलों में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा का चयन तथा 10-18 वर्ष के आयु वर्ग में राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों का चयन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने हेतु आने वाले वर्षों तक उनको तैयार करना तथा उनकी देखभाल करना है।

योजना में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन तथा सहयोगी उद्यम के रूप में एक प्रायोजक के संयुक्त वित्त पोषण से राज्य खेल अकादमी के गठन की परिकल्पना की गई है।

पूंजी, 8.30 करोड़ रुपये के अपर कैप के साथ गैर-आवर्ती लागतों के संबंध में, अकादमी के लिए वित्तीय सहायता में 51:25:24 के अनुपात से प्रायोजक, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अंश होंगे। इसके अलावा, 17.00 लाख रुपये प्रति वर्ष की आवर्ती लागत अथवा वास्तविक व्यय का 25% इसमें से जो भी कम हो, भारत सरकार द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए देय है।

(ग) से (छ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, "राज्य खेल अकादमी" के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय 93.24 करोड़ रुपये है। वर्ष 2003-04 और 2004-05 में, प्रत्येक के लिए बजट प्रावधान 7.00 करोड़ रुपये था। वर्ष 2005-06 के लिए बजट अनुमान में इस योजना के लिए आबंटित धनराशि 5.00 करोड़ रुपये है। वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान, व्यवहार्य प्रस्तावों की कमी के कारण कोई धनराशि जारी नहीं की जा सकी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान, जारी धनराशि राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्भर होगी।

औषधों का चिकित्सीय परीक्षण

*329. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में औषधों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु विदेशी कंपनियों को अनुमति देने की वर्तमान प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त प्रक्रिया अन्य देशों, विशेषकर अमरीका की तरह सख्त नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो अन्य देशों की तुलना में देश में अपनाई जा रही प्रक्रिया का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) विदेशी कंपनियों सहित देश में नैदानिक परीक्षण करने के मानदण्ड औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 122 डीए से 122 ई तथा नियमावली की अनुसूची वाई के अधीन निर्धारित हैं। ये नियम नैदानिक परीक्षण करने हेतु अनुमति मांगने के लिए विशिष्ट आवेदन प्रपत्र और संगत दस्तावेज अपेक्षाएं निर्धारित करते हैं। विषय के विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद आंकड़ों/दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाता है।

इस समय विदेशों में विकसित की गई नई औषधों के लिए चरण-1 का परीक्षण करने अर्थात् मानव में प्रथम बार इसके इस्तेमाल के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। चरण-2 और चरण-3 अवस्था के बहु-केन्द्रिक परीक्षण केवल तभी अनुमत हैं यदि सदृश परीक्षण को संबंधित विदेशों के विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

अनुसूची वाई, जिसके अंतर्गत भारत में विपणन के लिए नई औषधों के नैदानिक परीक्षण और/अथवा विनिर्माण अथवा आयात करने के लिए अनुमति देने हेतु अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं, को निरापदता और नीति संबंधी मानदण्डों, प्रायोजकों के उत्तरदायित्वों, अन्वेषकों और सांस्थानिक नीति संबंधी समिति आदि का निर्धारण करने के लिए जनवरी, 2005 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। नैदानिक परीक्षण विषयों से सूचित सहमति प्राप्त करने के तरीके और विशिष्ट प्रपत्र भी निर्धारित किए गए हैं। नियमों में यह भी व्यवस्था है कि देश में कोई भी नैदानिक परीक्षण करने से पूर्व सांस्थानिक नीति संबंधी समिति का पूर्वानुमोदन अवश्य प्राप्त करना होगा।

सरकार ने उत्कृष्ट नैदानिक पद्धतियों पर विस्तृत दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं जिनका परीक्षण के दौरान पालन करना अपेक्षित है।

भारत में निर्धारित किए गए ये मानदण्ड संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों के समान हैं।

[हिन्दी]

गुटखा खाने के दुष्प्रभाव

*330. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुटखा खाने के दुष्प्रभावों के संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने गुटखा के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कतिपय राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भी मंगाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में केंद्र सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) पान मसाला और गुटखा में तम्बाकू के प्रयोग और जन स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की जांच करने के प्रयोजन से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि गुटखे और तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

सरकार ने गुटखे के सेवन के कुप्रभावों से संबंधित कोई भी रिपोर्ट भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से नहीं मांगी है।

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा राज्यों ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7(4) के तहत गुटखे के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा रखी है जिसके द्वारा राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरणों को जन-स्वास्थ्य के हित में फिलहाल किसी भी खाद्य सामग्री पर रोक लगाने की शक्ति प्रदान की गई है।

बाद में, गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट्स लि. और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य से संबंधित वर्ष 2002 की एसएलपी सं. 24449 पर 02.08.2004 को अपना निर्णय सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया था कि अधिनियम की धारा 7(4) राज्य प्राधिकरण के लिए शक्ति का स्वतंत्र स्रोत नहीं है था विवादित अधिसूचनाएं असंवैधानिक और निरर्थक हैं। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा गुटखे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जारी अधिसूचनाएं रद्द कर दी गई थीं।

सरकार ने तम्बाकू और तम्बाकू से बने पदार्थों के सेवन को हतोत्साहित करने और गुटखा सहित अन्य तम्बाकू उत्पादों और सिगरेट के विज्ञापनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सिगरेट और अन्य तम्बाकू-उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा वाणिज्य और व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया है।

कोयला उत्पादन

*331. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्यमान कोयले के बड़े भंडारों की तुलना में कोयले का उत्पादन बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयले का उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जान का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) देश में कोयला उत्पादन की आयोजना योजना आयोग के मांग प्रक्षेपणों के आधार पर बनाई जाती है। यदि कोयले की मांग बढ़ती है, तो उत्पादन को भी तद्नुसार बढ़ाया जा सकता है परन्तु उत्पादन की संभाव्यता का निर्धारण अनेक कारकों के संयोजन से किया जाता है जैसे प्रौद्योगिकीय संगतता, संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा और बचाव आदि। कोयला सीमों को, आर्थिक पहलुओं पर उचित ध्यान देते हुए खनित किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2004-05 के दौरान कोयले का अखिल भारतीय उत्पादन 382.14 मिलियन टन था, जबकि 1.1.2005 को देश में कोयले के प्रमाणित कोयला भंडार 92,960 मिलियन टन थे। कोल इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान कोयला उत्पादन के वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य से अधिक प्राप्त कर लिया है।

(ग) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाए जाने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) दसवीं योजना के दौरान 101 खनन परियोजनाओं को शुरू किए जाने पर विचार किया गया है।

(2) सी.आई.एल. द्वारा योजनागत उत्पादन को आगे बढ़ाया जाना।

(3) मौजूदा खानों का यंत्रीकरण/आधुनिकीकरण किया जाना।

(4) उपकरणों के उपयोग में सुधार।

(5) भूमिगत और ओपनकास्ट खानों में उत्पादकता को बढ़ाया जाना।

(6) परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन।

(7) अन्त्य उपयोगकर्त्ताओं को गृहीत खनन हेतु कोयला ब्लाकों का आबंटन।

[अनुवाद]

विदेशों में आयुर्वेदिक औषधों की बिक्री पर प्रतिबंध

*332. **श्री वाडिगा रामकृष्णा:**
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ आयुर्वेदिक औषधों पर प्रतिबंध लगाया गया है जैसा कि दिनांक 22 जुलाई, 2005 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उन कंपनियों और उनके उत्पादों के नाम क्या हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप विदेशों में भारतीय आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में उत्पन्न शंकाओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) जी, हां। कनाडा सरकार ने भारत के निम्नलिखित आयुर्वेदिक और यूनानी उत्पादों पर इस आधार पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है कि उनमें शीशा, पारा और/अथवा संखिया जैसी धातुओं की भारी मात्रा मौजूद है:

क्र.सं.	प्रतिबंधित उत्पाद	कंपनी का नाम
1.	केरल टेबलेट	श्रीजी हर्बल प्रोडक्ट, इंडिया
2.	केरल कैपस्यूल	हिमालय ड्रग कंपनी, इंडिया
3.	महा सुदर्शन चूर्ण पाउडर	झंडू फार्मास्युटिकल्स, मुंबई, इंडिया
4.	महा सुदर्शन चूर्ण पाउडर	डी एंड के फार्मेसी, भावनगर, इंडिया
5.	महा सुदर्शन चूर्ण पाउडर	छत्रिशा, लालपुर, इंडिया
6.	महा सुदर्शन चूर्ण पाउडर	डाबर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, इंडिया
7.	साफी तरल	हमदर्द-वक्फ, इंडिया
8.	योगराज गुग्गुल टेबलेट	झंडू फार्मास्युटिकल्स, मुंबई, इंडिया
9.	सुदर्शन टेबलेट	झंडू फार्मास्युटिकल्स, मुंबई, इंडिया
10.	शिलाजीत कैपस्यूल	डाबर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, इंडिया

(घ) से (छ) कनाडा सरकार से औपचारिक रूप से अनुरोध किया गया है कि वह अपने द्वारा किए गए परीक्षण और तदनुरूप विश्लेषण के प्रणाली विज्ञान से जुड़ी हुई विस्तृत सूचना उपलब्ध कराए जिसके आधार पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के मामले में उल्लिखित आयुर्वेदिक दवाओं के विनिर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वे राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रयोगशाला समिति (एनएबीएल)/उत्तम प्रयोगशाला प्रक्रिया (जी एल पी) से प्रत्यायित प्रयोगशालाओं द्वारा अपने उत्पादों पर सुरक्षा/विषालुता अध्ययन संपन्न कराएं और तीव्र, अल्प तीव्र और दीर्घ सुरक्षा/विषालुता औषधि अध्ययनों से संबंधित अपने प्रतिवेदन भेज दें। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई सी एम आर) ने भी धातु पर आधारित भस्मों की विषालुता पर अध्ययन प्रारंभ किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (ए एस यू) औषधियों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अनुसरण में अनेक पहलें की गई हैं। इनमें राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों के लिए सहायता बढ़ाना, भेषज मानक निर्धारित करना, औषध विनिर्माताओं द्वारा अनुपलनार्थ उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाओं (जी एम पी) को अधिसूचित करना आदि शामिल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई सी एम आर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के साझे में स्वर्णिम त्रिभुज परियोजना भी शुरू की गई है जो वर्तमान आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (ए एस यू) औषधियों को वैज्ञानिक दृष्टि से विधिमान्य करेगी और आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी की नई औषधियों का विकास करेगी।

स्वास्थ्य कनाडा चेतावनी आयुर्वेदिक दवाओं के निर्यात पर उस देश के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। फिर भी यह असंभव लगता है कि इसका विश्व स्तर पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जम्मू-कश्मीर में टेलीफोन घनत्व बढ़ाना

*333. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय जम्मू-कश्मीर राज्य में टेलीफोन घनत्व लगभग एक प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2007 तक राज्य के टेलीफोन घनत्व को 10 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा राज्य में मोबाइल और डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोनों के लिए कुल कितना लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) उपर्युक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार, जम्मू और कश्मीर का टेलीघनत्व 5.71% था।

(ख) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने दिसम्बर, 2007 तक राज्य का टेलीघनत्व लगभग 16.6% तक बढ़ाने की योजना बनायी है।

(ग) 1 अप्रैल, 2005 से दिसम्बर, 2007 की अवधि के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का लक्ष्य राज्य में टेलीफोनों की संख्या में लगभग 13.5 लाख टेलीफोनों की वृद्धि करने का है। इनका वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

टेलीफोनों का प्रकार	2005-06	2006-07	2007-08 (दिसम्बर, 2007 तक)	जोड़
डब्ल्यूएलएल और स्थिर (फिक्सड)	0.5 लाख	0.9 लाख	1.0 लाख	2.4 लाख
सेल्यूलर	3.5 लाख	4.0 लाख	3.6 लाख	11.1 लाख
जोड़	4.0 लाख	4.9 लाख	4.6 लाख	13.5 लाख

(घ) चालू वर्ष (2005-06) के दौरान, बीएसएनएल ने जम्मू और कश्मीर में मोबाइल (जीएसएम) फोनों की क्षमता 3.50 लाख लाइनें और डब्ल्यूएलएल उपस्कर की क्षमता 90,500 लाइनें करने की योजना बनायी है।

(ङ) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

जीएसएम- 2.8 लाख ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) लाइनों के लिए उपस्कर प्राप्त किए जा चुके हैं। इनमें से, एक लाख लाइनें पहले ही संस्थापित कर दी गई हैं। शेष उपस्कर चालू करने संबंधी कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, लगभग 70,000 जीएसएम लाइनों के उपस्कर शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

डब्ल्यूएलएल- चालू वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर के लिए आबंटित 90,500 लाइनों की डब्ल्यूएलएल क्षमता में से 11,000 लाइनों की डब्ल्यूएलएल क्षमता संस्थापित की जा चुकी है। इनके स्वीकृति परीक्षण (एक्सेप्टेन्स टेस्टिंग) का कार्य चल रहा है। इसके अलावा, 79,500 डब्ल्यूएलएल लाइनों की क्षमता के लिए क्रय-आदेश दे दिए गए हैं।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का नाभिकीय कृषि कार्यक्रम

***334. श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के नाभिकीय कृषि कार्यक्रम में देश में अधिक उपज वाले बीजों का विकास करना भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन फसलों की किस्मों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक जारी किया गया है तथा देश में वाणिज्यिक खेती हेतु अधिसूचित किया गया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, विकिरण प्रेरित उत्परिवर्तनों और पुनर्संयोजन प्रजनन की सहायता से अधिकतर तिलहनों और दालों में (मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंग दाल, अरहर, लोबिया) तथा चावल और गेहूं जैसे अनाजों में भी आनुवंशिक सुधार लाने के लिए काम करता आ रहा है। अधिक उपज देने वाले और रोग-प्रतिरोधी जैसे विभिन्न वांछनीय गुणधर्मों के साथ प्रजनन वंशावली का मूल्यांकन इन उत्परिवर्तियों अथवा उत्परिवर्ती व्युत्पन्नों को वाणिज्यिक खेती के लिए जारी करने से पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय समन्वित विभिन्न प्रकार के परीक्षणों में अथवा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में किया गया। जिन किस्मों के प्रजनक बीजों की मांग है उनको भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र अथवा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा गुणात्मक रूप से बढ़ाकर राष्ट्रीय और राज्य बीज निगमों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, कृषि विभागों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, गैर-सरकारी संगठनों, बीज कम्पनियों, किसानों आदि को सप्लाई किया जाता है। इसके

परिणामस्वरूप, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की किस्मों के गुणवत्ता वाले बीज किसानों तक पहुंचे हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय केन्द्रों आदि के साथ संबंध और पारस्परिक संपर्क स्थापित किए हैं।

(ग) अभी तक ऐसी पच्चीस (25) बेहतर फसल वाली किस्मों को वाणिज्यिक खेती के लिए जारी किया गया है। इनमें उड़द की चार, मूंग की चार, अरहर की दो, मूंगफली की दस, सरसों की दो और चावल, पटसन और सोयाबीन की एक-एक किस्में शामिल हैं, इन किस्मों के विस्तृत गुणधर्म संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), ट्राम्बे द्वारा विकसित की गई फसलों की किस्में (रिलीज और अधिसूचित की गई)

फसल	नाम	रिलीज/ पहचान करने का वर्ष	परिपक्वता (एम) पैदावार (वाई) पैदावार से वृद्धि (वाईआई)	जिन राज्यों के लिए रिलीज की गई	बीज का स्रोत
1	2	3	4	5	6
उड़द	टीएयू-1	1985	एम: 70-75 दिन वाई: 800-1000 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 24%	महाराष्ट्र	एमएसएससी, अकोला
	टीएयू-2	1992	एम: 70-75 दिन वाई: 900-1000 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 18%	महाराष्ट्र	एमएसएससी, अकोला
	टीपीयू-4	1992	एम: 70-75 दिन वाई: 900-1000 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 22%	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	एमएसएससी, अकोला
	टीयू-94-2	1999	एम: 70 दिन वाई: 900-1000 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 19-37%	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु	बीएआरसी, मुंबई
मूंग	टीएपी-7	1983	एम: 60 दिन वाई: 700-800 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 23%	महाराष्ट्र, कर्नाटक	एमएसएससी, अकोला
	टीएआरएम-2	1992	एम: (रबी 90 दिन) वाई: 1000-1100 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 80%	महाराष्ट्र	एमएसएससी, अकोला

1	2	3	4	5	6
	टीएआरएम-1	1995	एम: 80 दिन वाई: 765 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 45%	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा	बीएआरसी, मुंबई
	टीएआरएम-18	1995	एम: 65-70 दिन वाई: 1051 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर	महाराष्ट्र	बीएआरसी, मुंबई
अरहर	टीटी-6	1983	एम: 135-140 दिन वाई: 1200-1300 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 15%	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल	एमएसएससी, अकोला
	टीएटी-10	1985	एम: 110-115 दिन वाई: 900-1000 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर	महाराष्ट्र	एमएसएससी, अकोला
मूंगफली	टीजी-1	1973	एम: 130-135 दिन वाई: 2400-2500 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 15-20%	महाराष्ट्र, गुजरात	बीएआरसी, मुंबई
	टीजी-17	1985	एम: 115-120 दिन वाई: 1700-2000 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 15-20%	महाराष्ट्र	बीएआरसी, मुंबई
	टीजी-3	1987	एम: 110 दिन वाई: 2000-2500 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर	केरल	ओयूएटी तथा ओएसएससी, भुवनेश्वर
	टीजीएस-1	1989	एम: 110-125 दिन वाई: खरीफ 2000 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 23%	गुजरात	जीएयू, जूनागढ़ बीएआरसी, मुंबई
	टीजीएस-24	1991	एम: खरीफ 100-105 दिन तथा ग्रीष्म 112-117 दिन वाई: खरीफ 1300 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर ग्रीष्म 2500 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 24% ग्रीष्म 50%	महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक	एमएसएससी, अकोला, एनएससी, नई दिल्ली, यूएएस, धारवाड़

1	2	3	4	5	6
	टीजी-22	1992	एम: खरीफ 115-120 दिन वाई: खरीफ 677 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 30%	बिहार	बीएचयू, रांची
	टीकेजी-19ए	1994	एम: 120-125 दिन वाई: ग्रीष्म 2000-2500 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 12-13%	महाराष्ट्र	एमएसएससी, अकोला
	टीजी-26	1995	एम: 110-120 दिन वाई: ग्रीष्म 2500 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 23-39%	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	एमएसएससी, अकोला, यूएएस, धारवाड़, एमपीकेवी, राहुड़ी
मूंगफली	टीपीजी-41	2004	एम: 120 दिन वाई: ग्रीष्म 2407 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 26%	सम्पूर्ण भारत	बीएआरसी, मुंबई
	टीजी-37ए	2004	एम: 110 दिन वाई: खरीफ 1993 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 26-38%	राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा	बीएआरसी, मुंबई
सरसों	टीएम-2	1987	एम: 90 दिन वाई: 1370 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 25%	असम	बीएआरसी, मुंबई
	टीएम-4	1987	एम: 95 दिन वाई: 1470 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 35%	असम	बीएआरसी, मुंबई
चावल	हरी	1988	एम: 135-140 दिन वाई: 6000 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 20%	आंध्र प्रदेश	बीएआरसी, मुंबई
पटसन	टीकेजे-40	1983	एम: 125-130 दिन वाई: 2800-3100 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 10-13%	उड़ीसा	बीएआरसी, मुंबई

1	2	3	4	5	6
सोयाबीन	टीएएमएस-38	2005	एम: 93 दिन वाई: 2248 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर वाई आई: 23-25%	विदर्भ, एम.एस.	डा. पी.डी.के.वी., अकोला

[हिन्दी]

नाभिकीय विद्युत रिएक्टर

*335. **श्री राजनरायन बुधौलिया:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तारापुर स्थित दाबानुकूलित गुरू जल रिएक्टरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह देश में ही डिजाइन और निर्मित देश का सबसे बड़ा नाभिकीय विद्युत रिएक्टर है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने देश में ही नाभिकीय रिएक्टर को डिजाइन, निर्मित और परिचालित किया है;

(ङ) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक से उत्पादित विद्युत का ब्यौरा क्या है और उन पर कितना व्यय किया गया;

(च) क्या उक्त उत्पादित विद्युत निर्धारित लक्ष्य से कम है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) इस समय देश में निर्माणाधीन और स्थापित किए जाने वाले नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ स्थान-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(झ) उनके द्वारा उत्पादन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) तारापुर, महाराष्ट्र में स्थित दाबित भारी पानी रिएक्टर परियोजना के दो यूनिट वाले टीएपीपी-3 एवं 4 (2×540 मेगावाट-ई) के पहले रिएक्टर टीएपीपी-4 (540 मेगावाट-ई) का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है। इस यूनिट को 4.6.2005 को ग्रिड के साथ जोड़ भी दिया गया है। दूसरे यूनिट (टीएपीपी-3) का निर्माण-कार्य भी प्रगति अवस्था में है और इसके वर्ष 2006-07 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) जी, हां।

(ग) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पहले स्थापित किए गए दाबित भारी पानी रिएक्टर का यूनिट साइज 220 मेगावाट-ई था। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने 540 मेगावाट-ई के परमाणु विद्युत रिएक्टर का अभिकल्पन, निर्माण करके अब उसका परिचालन शुरू कर दिया है। स्वदेशी रूप से अभिकल्पित यह देश का सबसे बड़े आकार का रिएक्टर है। ताप विद्युत संयंत्रों जिनका अधिकतम यूनिट साइज 500 मेगावाट-ई है, के साथ तुलना करने पर 540 मेगावाट-ई का यह यूनिट साइज भी देश में सबसे अधिक है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रत्येक रिएक्टर के पूरा होने पर आई लागत, जोकि वार्षिक व्यय पर आधारित है और वास्तविक विद्युत उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

यूनिट	वाणिज्यिक रूप से परिचालन की तारीख	पूरा होने पर आई लागत (करोड़ रुपए)	मार्च, 2005 तक हुआ उत्पादन (एमयूज)
1	2	3	4
टीएपीएस-1	28 अक्तूबर, 1969	93	34209
टीएपीएस-2	28 अक्तूबर, 1969		34231

1	2	3	4
आरएपीएस-1	16 दिसम्बर, 1973	176	12039
आरएपीएस-2	01 अप्रैल, 1981		24996
एमएपीएस-1	27 जनवरी, 1984	246	19921
एमएपीएस-2	21 मार्च, 1986		19124
एनएपीएस-1	01 जनवरी, 1991	724	17733
एनएपीएस-2	01 जुलाई, 1992		17315
केएपीएस-1	06 मई, 1993	1367	15945
केएपीएस-2	01 सितम्बर, 1995		15450
कैगा-1	16 नवम्बर, 2000	2896	6704
कैगा-2	16 मार्च, 2000		7679
आरएपीएस-3	01 जून, 2000	2511	7542
आरएपीएस-4	23 दिसम्बर, 2000		6833
	कुल		239728

(च) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का कार्य-निष्पादन, प्रचालनरत रिएक्टरों के वार्षिक औसतन संयंत्र भार गुणक के संदर्भ में ताप बिजलीघरों के राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। परमाणु बिजलीघरों से हुआ वास्तविक उत्पादन पिछले कई वर्षों से लगातार निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रहा है।

(छ) उपर्युक्त (च) के मद्देनजर यह लागू नहीं होता।

(ज) और (झ) तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-4 जिसे ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है और जिसके जल्द ही वाणिज्यिक रूप से प्रचालन शुरू कर देने की आशा है, सहित नौ रिएक्टर इस समय निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

परियोजना	अवस्थिति	क्षमता मेगावाट-ई	पूरा होने पर आई लागत* करोड़ रुपए	वाणिज्यिक प्रचालन का निर्धारित समय
तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-3 तथा 4	तारापुर, महाराष्ट्र	2×540	6525	यूनिट-4 मार्च, 2006 यूनिट-3 जनवरी, 2007
कैगा परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-3 तथा 4	कैगा, कर्नाटक	2×220	3282	यूनिट-3 मार्च, 2007 यूनिट-4 सितम्बर, 2007
कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-1 तथा 2	कुडनकुलम, तमिलनाडु	2×1000	13171	यूनिट-1 दिसम्बर, 2007 यूनिट-2 दिसम्बर, 2008
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-5 तथा 6	रावतभाटा, राजस्थान	2×220	3072	यूनिट-5 अगस्त, 2007 यूनिट-6 फरवरी, 2008
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर)	कलपक्कम, तमिलनाडु	1×500	3492	मार्च, 2011

*पूरा होने पर आने वाली लागत में, परियोजना के पूरा होने तक होने वाली मूल्य वृद्धि और उधार ली गई राशि पर निर्माण के दौरान लगने वाला ब्याज (आईडीसी) शामिल है।

[अनुवाद]

दक्षिण एशियाई संसद का गठन

***336. श्री रेवती रमन सिंह:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में 'साऊथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन (सापमा)' की बैठक में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए दक्षिण एशिया के लगभग 120 संसद सदस्यों ने एक दक्षिण एशियाई संसद के गठन के विचार का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त विचार पर आगे कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी, हां। 15-20 मई, 2005 से इस्लामाबाद एवं भुरबन, पाकिस्तान में दक्षिण एशियाई सौहार्द विकसित करने के लिए दक्षिण एशिया से संसद सदस्यों, पत्रकारों तथा विशेषज्ञों के दक्षिण एशिया स्वतंत्र पत्रकार एसोसिएशन (साफमा) के दक्षिण एशियाई संसद में हिस्सा लेने की जानकारी सरकार को है। भारत से 31 संसद सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में पारित भुरबन घोषणा में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षिण एशियाई प्रशुल्क/सीमा-शुल्क/वित्तीय संघ, दक्षिण एशियाई संसद, दक्षिण एशियाई ऊर्जा ग्रिड, सहकारी सुरक्षा तथा परस्पर-विरोध-समाधान तंत्र, दक्षिण एशियाई संघ, आदि के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही गयी है।

(ग) से (ङ) भुरबन घोषणा और उसकी सिफारिशों पर सार्क और उसके सदस्य देशों द्वारा यथोचित रूप से विचार किया जाएगा।

भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाना

***337. श्री गणेश सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास और विश्व बाजार में इसे लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति के उचित विकास हेतु बजटीय आबंटन पर्याप्त नहीं है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार इस उद्देश्य के लिए धनराशि बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ङ) से (छ) आयुष विभाग का बजटीय आबंटन 2004-05 में 181.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005-06 में 350.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो एक ही वर्ष में 93.04 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है।

विवरण

भारत सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का विदेशों में प्रचार-प्रसार करने में प्रयत्नशील रही है। 1995 में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का अलग विभाग बनने के पश्चात् इन प्रयत्नों को और अधिक वेग प्राप्त हो गया। वर्ष 2001 से, आरोग्य दिल्ली में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता रहा है और अब देश के दूसरे बड़े शहरों में भी आयोजित किया जा रहा है। यह संवर्धन करने वाली प्रदर्शनी है। इन पद्धतियों के औषधि विनिर्माताओं और चिकित्साभ्यासियों के साथ भारत सरकार ने भी विदेशों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाली प्रस्तुतियों एवं प्रदर्शनियों में शिरकत की है। सरकार ने इन पद्धतियों के संवर्धन और प्रचार के उद्देश्य से वृत्तचित्र, साहित्य आदि का भी निर्माण किया है। आयुर्वेद और योग में विश्व की रुचि बढ़ी हुई है। इसका प्रमाण भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी की औषधियों, पादपों और पादप उत्पादों, रसों और सारों आदि के निर्यात में 1997-98 में 1056.28 करोड़ रुपये से 2003-04 में 1127.06 करोड़ रुपये की वृद्धि होना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्टइंडीज, रूस और हंगरी जैसे देशों की संस्थानों ने अपने यहां आयुर्वेद पढ़ाने वाले विशेषज्ञों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में इनकी बढ़ती हुई रुचि को देखकर चुनिंदा शैक्षिक संस्थाओं में विदेशी नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित

कर दी गई हैं। विदेशों के व्यावसायिकों के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय में विशेष पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहां संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड, जर्मनी, ब्राजील आदि से व्यवसायीगण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

वार्षिक आर्थिक विकास दर

*338. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वार्षिक आर्थिक विकास लक्ष्य को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाने जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि लाने के लिए कृषि विकास को बढ़ावा देने संबंधी कोई कार्य योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हेतु कृषि विकास को 4% से भी अधिक बढ़ाने में यह योजना कितनी सहायक होगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) अर्थव्यवस्था के विकास लक्ष्य में सुधार के प्रस्तावित उपायों के ब्यौरे दसवीं योजना (2002-07) के मध्यावधि मूल्यांकन में दिए गए हैं जिसे संसद के ग्रन्थागार में रख दिया गया है। इनमें से कुछेक विभिन्न क्षेत्रकों विशेष रूप से कृषि आधारिक संरचना अर्थात् विद्युत, सड़कों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक ध्यान देना, अभिशासन में सुधार करना आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में कृषि विकास को बढ़ावा देने के प्रस्तावित उपायों में सिंचाई और जल संसाधन प्रबन्धन में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने, जलसंभर विकास और बेकार/अवक्रमित भूमि को कृषि योग्य बनाने, विकेंद्रित सिंचाई प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए जल पात्रताओं का प्रावधान करने, उपयुक्त तकनीकी इनपुटों के साथ लघु सिंचाई करने, सहायता प्रणालियों जैसेकि विस्तार, ऋण का नवीकरण करने, कृषि संबंधी प्रसंस्करण और विपणन को तेज करने के उपाय शामिल हैं। सरकार ने वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों के परिव्यय को भी पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया है।

(घ) मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार, जिस पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 4 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में कृषि क्षेत्रक की विकास दर 2.2 प्रतिशत होने की संभावना है। दीर्घावधि अनुमान उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय युवा आयोग

*339. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय युवा आयोग (एन.सी.वाई.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय युवा आयोग ने युवाओं से संबंधित विद्यमान योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) राष्ट्रीय युवा आयोग द्वारा युवाओं से संबंधित विद्यमान योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन और समन्वयन हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन पर क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग 15.3.2002 को स्थापित किया गया था और 30.9.2004 को इसका कार्यकाल समाप्त हुआ।

(ख) और (ग) जी, हां। विचारार्थ विषयों के अनुसार, युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग ने निम्नलिखित मौजूदा मुख्य युवा संबंधी योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा की है:-

1. राष्ट्रीय सेवा योजना;
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन;
3. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान;
4. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना;
5. युवा गतिविधियों के संवर्धन और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की योजना;
6. राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन;
7. साहस के संवर्धन की योजना;
8. युवा छात्रावास योजना;
9. उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार की योजना;
10. ग्रामीण युवकों और खेल क्लबों को सहायता की योजना; और
11. स्काउटिंग और गाईडिंग के संवर्धन की योजना।

(घ) युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा मौजूदा युवा संबंधी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाए गए विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं-

1. विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को मिलाना;
2. युवा कार्यक्रमों पर अंतर-विभागीय समिति गठित करना;
3. नेहरू युवा केन्द्र संगठन को सुदृढ़ और पुनरुज्जीवित करना;
4. गष्ट्रीय सेवा योजना का विस्तार; और
5. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को पुनरुज्जीवित करना।

(ङ) इस दिशा में पहले कदम के रूप में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ विभिन्न युवा संबंधी योजनाएं/कार्यक्रमों को मिलाने का कार्य आरंभ किया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को पुनरुज्जीवित किया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के विस्तार और नेहरू युवा केन्द्र संगठन को सुदृढ़ करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है और मामले को क्रमशः योजना आयोग और व्यय विभाग को भेजा गया है।

दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा

*340. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में क्या सिफारिशें की गई हैं/सुझाव दिए गए हैं;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारें मध्यावधि मसीक्षा में की गई सिफारिशों/सुझावों को क्रियान्वित करने पर सहमत हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत नकद राशि को बढ़ाने के मामले पर भी चर्चा हुई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों को दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज के परिशिष्ट में सूचीबद्ध किया गया है जिसे संसद की लाइब्रेरी और प्रकाशन काउन्टर पर पहले ही रख दिया गया है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद ने आम राय के साथ मध्यावधि मूल्यांकन में सुझाई गई नीतियों एवं लक्ष्यों पर व्यापक सहमति व्यक्त की जो दसवीं योजना में विकास मामलों पर आगे की कार्रवाई के लिए तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना पर कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में एक रूपरेखा का कार्य करेगी। चर्चाओं के दौरान मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए कुछ बहुमूल्य सुझावों की जांच करने के लिए योजना आयोग को निदेश दिया गया जिनके संबंध में कुछ नीतियों, कार्यक्रमों और दृष्टिकोणों की समीक्षा करना आवश्यक है।

(ङ) और (च) रोजगार गारंटी अधिनियम पर चर्चा करते समय, एनडीसी ने इस सुझाव को नोट किया कि मजदूरी का भुगतान अधिकतर नकद में होना चाहिए क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने में समस्याएं हैं तथा इसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी विधेयक के अंतिम मसौदे में शामिल करने हेतु विचार करने का निदेश दिया।

मोबाइल सेवाएं बाधित होना

3283. श्री सुबोध मोहिते: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर में सक्करदारा स्थित "मेन स्विचिंग सेंटर" (एमएससी) के अत्यधिक उपयोग के कारण बीएसएनएल की मोबाइल सेवाएं बार-बार बाधित हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सक्करदारा एक्सचेंज की एमएससी क्षमता का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में इसका कितना उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) उक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) जी, नहीं। सक्करदारा एक्सचेंज में मोबाइल संचार हेतु एक नई ग्लोबल प्रणाली (जीएसएम) पर आधारित मोबाइल स्विचिंग केन्द्र (एमएससी) चालू किया गया है। इस एमएससी की क्षमता 1,50,000 लाइनों की है और इस समय 1,49,000 लाइनों का उपयोग हो रहा है और इस प्रकार, एक्सचेंज का भार इसकी नियोजित क्षमता के भीतर है। तथापि, इस एमएससी को स्थिर बनाने की कार्यवाही चल रही है। विगत 3 माह में इसके प्रचालन में साफ्टवेयर सिस्टम में कुछ भारी कठिनाइयां आयी हैं जिस कारण कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए थे।

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) स्विच तथा मोबाइल नेटवर्क की लगातार निगरानी रखना।

(2) उपस्कर-विक्रेता की ओर से विशेषज्ञों की तैनाती, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आसानी से सहायता ली जा सके।

(3) पर्याप्त फालतू पुर्जों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय राजमार्ग "सेन्ट्रल वर्ज" पर झाड़ियां

3284. श्री रघुनाथ झा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 2, 8, 24 इत्यादि जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों के "सेन्ट्रल वर्ज" पर 5 फीट की ऊंचाई तक की झाड़ियां नहीं उगी हैं और जहां उगी हैं वहां ये झाड़ियां विरल हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों पर इन झाड़ियों के कब तक उगाए जाने की संभावना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर जहां 4 लेन अथवा 6 लेन बनाई जाती हैं, की माध्यिकाओं में झाड़ियां लगाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। झाड़ियों की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और सड़क जंक्शन, और माध्यिका में खुले स्थान तथा ऐसे स्थानों पर जहां मुड़ने की लेन के लिए माध्यिका में मोड़ दिया गया है, झाड़ियां नहीं लगाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1, 2, 8 और 24 के उन खंडों जहां 4/6 लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है, सहित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर सेंट्रल बर्ज/माध्यिका में जिनकी चौड़ाई 1.5 मीटर से अधिक है, सतत आधार पर झाड़ियां लगाई गई हैं और उनका रखरखाव किया जा रहा है। दो लेन की सड़कों में सेन्ट्रल बर्ज नहीं होती है। अनेक स्थानों पर स्थानीय कारणों से और विशेषत: निर्मित क्षेत्र के हस्तक्षेप के कारण झाड़ियां अपेक्षित सघनता में नहीं उगी हैं।

(ग) 4/6 लेन की परियोजना के भाग के तौर पर झाड़ियां लगाई जाती हैं अथवा कुछ मामलों में अनुरक्षण निधि से झाड़ियां लगाई जाती हैं। चूंकि झाड़ियां लगाने और उनके रखरखाव के लिए सामान्यत: कोई अलग प्राक्कलन अनुमोदित नहीं किया जा रहा है, अनन्य रूप से झाड़ियां लगाने पर किए गए व्यय के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

मुलुन्ड डाकघर मुंबई में धोखाधड़ी

3285. श्री सुरेश बाबमारे:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री 23 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3257 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुलुन्ड डाकघर के छोटे निवेशकों को पैसा लौटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या जीपीओ, मुंबई और ईओडब्ल्यू, मुंबई में हस्ताक्षर सत्यापन के कार्य में विलम्ब हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। सही पाए गए निवेशकों के दावों का निपटारा किया जा चुका है।

(ख) से (घ) 12 जमाकर्त्ताओं के दावों संबंधी 2,34,364 रु. की राशि पहले ही मंजूर की जा चुकी है जबकि अन्य 14 मामलों में 2,40,420 रु. के भुगतान का अनुमोदन भी जारी कर दिया गया है। अन्य दावों पर कार्रवाई जारी है। हैदराबाद के हस्तलेखा विशेषज्ञ द्वारा इकतीस वाउचरों का सत्यापन कर दिया गया है जबकि कोलकाता तथा हैदराबाद के हस्तलेखा विशेषज्ञों से 10-10 वाउचरों की सत्यापन रिपोर्टें प्राप्त होनी बाकी हैं। बाकी वाउचरों को कोलकाता एवं हैदराबाद के हस्तलेखा विशेषज्ञों को चरणबद्ध रूप से सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। मामले आर्थिक अपराध शाखा, सीबी सीआईडी, मुंबई और मुलुंड पुलिस थाने में भी दर्ज कराए गए हैं। मामले को सीबीआई के सुपुर्द करने के निदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

(ङ) और (च) किसी भी वाउचर को मुंबई जीपीओ में सत्यापन के लिए नहीं भेजा गया है। हालांकि, अगस्त, 2004 से 112 वाउचरों को सत्यापन के लिए आर्थिक अपराध शाखा के सुपुर्द कर दिया गया है।

(छ) आर्थिक अपराध शाखा, सीबी सीआईडी, मुंबई से इस मामले की स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में अन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए न्यायालय और पुलिस से भी संपर्क किया गया है।

विभागीय पदोन्नति समितियां

3286. डा. राजेश मिश्रा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि विभागीय पदोन्नति समितियों (डी.पी.सी.) द्वारा केन्द्र सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में नीतियों/दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन किया जाए;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि विभागीय पदोन्नति समितियों की कार्यवाही पारदर्शी और उनके दिशानिर्देशों के अनुरूप हो;

(ग) क्या डी.पी.सी. द्वारा अधिकारियों को पदोन्नति देने या नहीं देने के कारणों को रिकार्ड करना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पदोन्नति हेतु डी.पी.सी. द्वारा 'कार्य-निष्पादन समीक्षा रिपोर्ट' के नाम से ज्ञात परिवीक्षा अवधि की रिपोर्टों पर भी विचार किया जाना चाहिए; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) समूह 'क' अधिकारियों की उच्चतर पदों पर पदोन्नति के संबंध में केवल उन पदों को छोड़कर जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार-क्षेत्र से छूट दी गई हो, सामान्यतया संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य को विभागीय पदोन्नति समिति के साथ सहयोजित किया जाता है। वह अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। जहां संघ लोक सेवा आयोग को सहयोजित नहीं किया जाता, वहीं कतिपय मामलों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नामित एक अधिकारी को विभागीय पदोन्नति समिति के साथ सहयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभागीय पदोन्नति समिति की 'कार्यवाही' कार्यवृत्त में दर्शाई जाती है। नियुक्ति प्राधिकारी को सिफारिशें स्वीकार करने से पूर्व, विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही की उपयुक्तता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेना आवश्यक होता है। यदि किसी अभ्यावेदन के आधार पर अथवा अन्यथा मूल विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही में कोई त्रुटि अथवा चूक पाई जाती है तो बाद में किसी भी समय विभागीय पदोन्नति की पुन: समीक्षा के माध्यम से विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही की समीक्षा की जा सकती है। व्यथित व्यक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के माध्यम से कानूनी समाधान की मांग कर सकता है।

(ग) और (घ) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, विभागीय पदोन्नति समितियों को, अधिकारियों का 'उपयुक्त' अथवा 'अनुपयुक्त' बैंचमार्क से मूल्यांकन करना अपेक्षित होता है और 'उपयुक्त' पाए गए अधिकारियों के नामों का पैनल फीडर ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों की संख्या तक बनाना होता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फ्यूजन रिएक्टर से विद्युत उत्पादन

3287. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अहमदाबाद में एक संस्थान फ्यूजन रिएक्टर विकसित करने के लिए अनुसंधान परियोजना पर कार्यरत है जिससे विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा जैसाकि 5 जुलाई, 2005 के 'राष्ट्रदूत' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) फ्यूजन रिएक्टर से विद्युत उत्पादन की सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (आईपीआर), गांधीनगर एक परीक्षणात्मक गतिविधि के रूप में संलयन अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है।

(ख) और (ग) गांधीनगर (गुजरात) में स्थित प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक और इंजीनियर टोकामैक डिवाइस-एक चुम्बकीय बोतल जिसमें कई मिलियन डिग्री के तप्त प्लाज्मा को रखा जा सकता है, में परीक्षण कर रहे हैं। पहला अतिचालक टोकामैक (एसएसटी-1) जिसका अभिकल्पन, संविरचन और समुच्चयन प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में किया गया है, को कमीशन किया जाना बाकी है। जब एसएसटी-1 का प्रचालन शुरू कर दिया जाएगा तब यह विश्व में हजार सैकण्ड दीर्घ-अपवर्तक प्लाज्मा डिस्चार्ज उत्पन्न करने वाली संभवत: पहली मशीन होगी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जिसकी तुलना संयुक्त राज्य अमरीका अथवा यूरोप की प्रयोगशालाओं से की जा सकती है और जो कुछ क्षेत्रों की तुलना में बेहतर भी है, में किए जा रहे संलयन अनुसंधान से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (आईटीईआर) जोकि शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए संलयन ऊर्जा की वैज्ञानिक और तकनीकी संभाव्यता को सिद्ध करेगा और जिसकी मुख्य विशेषता सतत् संलयन विद्युत उत्पादन हासिल करना होगी, में भारतीय प्रतिभागिता के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

(घ) चूंकि प्लाज्मा अनुसंधान रिएक्टर इस समय केवल संलयन अनुसंधान में परीक्षणात्मक कार्य करने में जुटा हुआ है, अत: इस अवस्था संलयन रिएक्टर से बिजली पैदा करने की किसी कार्य-योजना के बारे में विचार करना असामयिक है।

नीम हकीमों की गतिविधियों को रोकना

3288. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नीम हकीमों की गतिविधियों को रोकने के लिए एक कृतिक बल का गठन करने हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) स्वास्थ्य, राज्य का विषय है तथा प्रेक्टिस करने वाले चिकित्सकों का पंजीकरण राज्य सरकार एवं चिकित्सा परिषदें करती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं।

आयुर्विज्ञान के अंपजीकृत चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 तथा होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में प्रावधान मौजूद हैं। प्रावधानों की अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति को संबंधित अधिनियमों के तहत कैद या जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

[अनुवाद]

समवर्ती सूची में स्वास्थ्य

3289. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में बदतर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के कारण प्रतिवर्ष कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए 'स्वास्थ्य' को समवर्ती सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) डायरिया, न्यूमोनिया, कुपोषण, शिशु जन्म संबंधी समस्याओं, टी.बी., मलेरिया तथा एचआईवी/एड्स जैसे रोकथाम करने योग्य संक्रमणों से अभी भी मौतें हो रही हैं। सरकार ऐसे छ: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ट्यूबरक्लोसिस, कुष्ठरोग, एड्स, कैंसर तथा मानसिक स्वास्थ्य को कार्यान्वित कर रही है। ये कार्यक्रम मृत्यु दर को कम करने में योगदान कर रहे हैं।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

तटवर्ती क्षेत्रों में एड्स ग्रस्त बच्चे

3290. श्री बापू हरी चौरे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में तटवर्ती क्षेत्रों में असहाय बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि के मद्देनजर उनमें एचआईवी संक्रमण/एड्स के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने एचआईवी/एड्स से ग्रस्त उक्त बच्चों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। तथापि, पिछले तीन वर्षों में देश में सूचित किए गए एड्स के बाल रोगियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	सूचित किए गए बाल रोगी
2002	759
2003	1013
2004	1419

इनमें से कुछेक बाल रोगी बच्चों के यौन-शोषण के कारण हो सकते हैं।

(ख) और (ग) 31 जून, 2005 को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सूचित किए गए 1,11,608 एड्स के कुल रोगियों में से 4854 रोगी 0-14 के आयु वर्ग के थे। इनमें से कुछ बाल रोगी यौन शोषण के कारण हो सकते हैं।

(घ) भारत में एच.आई.वी./एड्स के फैलाव के निवारण और नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है, जो इस समय संपूर्ण भारत में निम्नलिखित घटकों के साथ केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वयनाधीन है:-

* उच्च जोखिम वाली जनसंख्या के लिए हमउम्र परामर्श, यौन संचारित संक्रमणों के उपचार और व्यवहार में बदलाव लाने वाले संप्रेषण सहित एक बहुमुखी कार्ययोजना को अपनाते हुए लक्षित कार्यकलापों के जरिए निवारक कार्यकलाप।
* सामान्य जनसंख्या के लिए रक्त निरापदता, स्वैच्छिक परामर्श और जांच सेवाओं, माता-पिता से बच्चों में होने वाले संचरण की रोकथाम सेवाओं, सूचना शिक्षा और संप्रेषण हेतु कार्यक्रमों के जरिए निवारक कार्यकलाप और किशोर किशोरियों के बीच जागरूकता पैदा करना और एड्स वैक्सीन संबंधी पहल के बारे में जानकारी देना।
* सामुदायिक परिचर्या सेवाओं, अवसरवादी संक्रमणों का उपचार और व्यावसायिक अरक्षितता के निवारण की व्यवस्था द्वारा कम लागत की परिचर्या और सहायक सेवाओं का प्रावधान।
* कार्यस्थल कार्यकलापों और सरकारी-निजी सहभागिता संबंधी अंत:क्षेत्र कार्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सहयोगात्मक प्रयत्न।
* निगरानी, प्रशिक्षण, मानीटिरंग और मूल्यांकन, तकनीकी संसाधन समूहों, प्रचालनात्मक अनुसंधान और कार्यक्रम प्रबंधन के जरिए कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं का सृजन करना।
* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने बाल अधिकार प्रभाग जो शोषण सहित सभी बाल और एचआईवी/एड्स मुद्दों की जांच-पड़ताल करेगा, की स्थापना करके एक नई बाल चिकित्सा पहल शुरू की है।

[अनुवाद]

दवाओं का निर्यात

3291. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजनावधि के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होमियोपैथी में प्रयोग होने वाली दवाओं के निर्यात का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं योजना अवधि के लिए क्या निर्धारित लक्ष्य रखे गये हैं;

(ग) अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(घ) होमियोपैथी, आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) नौवीं योजना अवधि के दौरान कच्ची औषधियों सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधियों में प्रयुक्त दवाओं के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की दवाओं के लिए निर्यात लक्ष्य अलग से नियत नहीं है।

(घ) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नांकित कदम उठाए हैं:-

(1) औषधीय पादप क्षेत्र के समेकित विकास के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड गठित किया गया है।

(2) भा.चि.प. एवं हो. पद्धतियों तथा इसकी दवाओं का विविध देशों में प्रचार करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों की सदस्यता वाले सरकारी प्रतिनिधि मंडल भेजे गए हैं।

(3) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए उद्योगों को सहायता दी गई है ताकि वे अपने उत्पाद प्रदर्शित कर सकें।

(4) निर्यात को सुकर बनाने के लिए लेबल लगाने से जुड़े उपबंधों में ढील दी गई है।

(5) परीक्षण सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

(6) उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाएं (जीएमपी) अधिसूचित की गई है।

(7) जैव प्रौद्योगिक विभाग ने भी देश में प्रयुक्त औषधीय तथा सुगंधित पादपों से जुड़ी अनुसंधान व विकास परियोजनाओं में सहायता की है।

विवरण

1997-98 से 2001-02 तक होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी जड़ी-बूटियों तथा औषधियों का निर्यात मूल्य

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	मद विवरण	मद कोड	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	योग नौवीं योजना
1.	सुगंधशाला, फार्मेसी अथवा कीटनाशी, फफूंदीनाशी या सदृश प्रयोजनों हेतु, ताजा या सूखी हुई चाहे कटी हुई, पिसी हुई अथवा पाउडरकृत है अथवा नहीं, में प्राथमिक रूप से प्रयुक्त कोई भी वनस्पद और पादपों के भाग (बीज एवं फल सहित)	1211	254.64	268.75	191.45	357.45	370.95	1443.24
2.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी जड़ी-बूटी जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	12119026	22.76	39.76	18.51	22.50	31.70	153.23
3.	उपचारी रोग निरोधी प्रयोगों के लिए आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियां, जो फुटकर बिक्री हेतु नहीं है।	30039001	42.24	34.76	36.23	96.54	92.26	302.03
4.	उपचारी रोग निरोधी प्रयोगों के लिए होम्योपैथिक औषधियां, जो फुटकर बिक्री हेतु नहीं है।	30039002	3.10	0.37	0.67	2.19	2.04	8.37
5.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियां, जो फुटकर बिक्री हेतु हैं।	30049001	118.77	98.85	108.80	124.97	147.53	598.92
6.	होम्योपैथिक औषधियां, जो फुटकर बिक्री हेतु हैं।	30049002	0.79	1.33	3.19	8.97	3.74	18.02
	कुल (क्र.सं. 1 + क्र.सं. 3 से क्र.सं. 6)		419.54	404.06	340.34	590.12	616.52	2370.58
	कुल (क्र.सं. 2 से क्र.सं. 6)		187.66	175.07	167.40	255.17	277.27	1062.57
7.	वानस्पतिक उत्पादों से प्राप्त वनस्पति रस एवं अर्क, पाचक पदार्थ, कंकताकार, पेक्टेट, अगर-अगर और अन्य श्लेष्मा एवं सघन कारक चाहे वे आशोधित हों या नहीं।	1302	636.74	826.79	921.42	698.99	593.19	3677.13

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय, कोलकाता-700001 द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार मासिक सांख्यिकीय-वार्षिक संख्या

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारतीय खेल-कूद

3292. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओलंपिक और एशियाई खेलों में मान्यताप्राप्त भारतीय खेल-कूद का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी मान्यता हेतु लंबित खेल-कूद का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) कबड्डी और शतरंज भारतीय मूल के खेल हैं जो एशियाई खेलों में शामिल हैं, हाकी और कुश्ती ओलंपिक और एशियाई, दोनों खेलों में शामिल हैं।

(ख) ओलंपिक/एशियाई खेलों के लिए विभिन्न खेल-कूदों की मान्यता का निर्णय क्रमश: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तथा एशियाई ओलंपिक समिति द्वारा लिया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ और भारतीय ओलंपिक संघ के निर्देशों पर विचार करेंगी।

(ग) इस संबंध में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

[अनुवाद]

भू-विस्थापितों को रोजगार

3293. श्री सुनील खां: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई.सी.एल. के अर्धा-ग्राम, कालिदासपुर और बकुलिया कोलियरी के भू-विस्थापित को रोजगार दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भेजिया से कालिदासपुर तक की जीर्णशीर्ण सड़क की ई.सी.एल. द्वारा मरम्मत की जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो कब तक;

(च) क्या सरकार का कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए झांजरा परियोजना में परिवर्तन करने की योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) अर्धा-ग्राम ओ.सी.पी., कालिदासपुर परियोजना एवं बकुलिया परियोजना के भू-वंचितों को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) द्वारा दिए गए रोजगार की स्थिति नीचे दी गई है:-

अर्धा-ग्राम ओ.सी.पी. : 61 में से 50 रोजगार दे दिए गए हैं, 2 अभ्यर्थियों के प्रस्तावों की जांच की जा रही है और अभ्यर्थियों के बीच विवाद के कारण भू-वंचितों से और आगे दावे प्राप्त नहीं हुए हैं।

कालिदासपुर परियोजना : 12 मामलों में से 11 को रोजगार दे दिया गया है तथा शेष 1 मामले में भूमि के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज को उपयुक्त नहीं पाया गया।

बाकुलिया परियोजना : दामोदर घाटी निगम जिसमें पहले "लागत जमा आधार" पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के साथ करार सम्पन्न करने की इच्छा व्यक्त की थी, बाद में उनका विचार बदल जाने से इस परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इस परियोजना में भू-वंचितों को कोई रोजगार नहीं दिया गया।

(घ) और (ङ) मेजिया से कालिदासपुर सड़क चोरेसा मोड़ से गुजरती है जिसका केवल 1.0 किलोमीटर क्षेत्र ई.सी.एल. का है तथा शेष हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार का है। ई.सी.एल. ने अपने हिस्से की 1.0 किलोमीटर सड़क की मरम्मत के लिए कदम उठाए हैं और उक्त भाग की मरम्मत इस वित्तीय वर्ष में हो जाएगी।

(च) और (छ) झांजरा भूमिगत (भू.ग.) परियोजना का मोचननिषेध चल रहा है। झांजरा भू.ग. परियोजना से कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

(1) सी.आई.एल. बोर्ड ने 69.28 करोड़ रुपए के निवेश से 0.42 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए सतत खनिक प्रौद्योगिकी को लागू करने निमित्त परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया है।

(2) ई.सी.एल. बोर्ड ने झांजरा भू.ग. परियोजना के आर-VI सीम में 280.81 करोड़ रुपए के निवेश से 1.70 मिलियन टन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता के लिए पावर्ड सपोर्ट लांगवाल प्रौद्योगिकी (पीएसएलडब्ल्यू) को लागू करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

पेंशनभोगियों के स्वास्थ्य भत्ते में बढ़ोत्तरी

3294. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सकरार के पेंशनभोगियों को 1997 से सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के बदले स्वास्थ्य भत्ते के रूप में 100 रुपए प्रति मास दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए जहां स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं बहुत महंगी हैं, पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस भत्ते में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने दिसम्बर, 1997 के दौरान, केन्द्र सरकार के उन पेंशनभोगियों तथा कुटुम्ब पेंशनभोगियों, जो स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु चलाई गई तदनुरूपी स्वास्थ्य योजनाओं के दायरे के क्षेत्र में नहीं रहते, की दिन प्रतिदिन की चिकित्सा जिसमें अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक नहीं होता, संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए प्रतिमास आधार पर 100 रुपए (केवल एक सौ रुपए) के नियत चिकित्सा भत्ते दिए जाने की योजना शुरू की।

(ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने उपर्युक्त (क) में संदर्भित सिफारिशें करते समय सामान्य तथा पर्वतीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में कोई भेद नहीं किया था।

(ग) और (घ) इस समय, इस भत्ते को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

'सिकल-सेल' रोगियों के संबंध में सर्वेक्षण

3295. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश में 'सिकल-सेल' रोगियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का 'सिकल-सेल' थैलिसेमिया के रोगियों के इलाज के लिए परिचर्या केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार चार राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा में कराए गए छिटपुट अध्ययनों से पता चलता है कि अध्ययन किए गए लोगों में इसकी व्यापतता दर 0.6 से 25 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार यह रोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी व्याप्त है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह भी बताया है कि अपने संस्थानों/केन्द्रों आदि के नेटवर्क के जरिए परिषद ने सीकल सेल एनीमिया के संबंध में कार्यकलाप और अनुवर्ती कार्रवाई की है क्योंकि ये विकार अनुवांशिक और लाइलाज होते हैं। अत: जहां कहीं आवश्यकता है सीकल सेल संबंधी विकार और अन्य अनुवांशिक विकारों के लिए नैदानिक सुविधाएं दी जा रही हैं, संवाहकों एवं पीड़ितों का पता लगाने के लिए अनुवांशिक सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुवांशिक परामर्श, विवाह संबंधी परामर्श और प्रसव पूर्व निदान सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

[अनुवाद]

अधिकृत स्थानीय दवा विक्रेता

3296. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सीजीएचएस के अंतर्गत अधिकृत स्थानीय दवा विक्रेताओं की संख्या कितनी है;

(ख) सीजीएचएस औषधालयों से संबद्ध स्थानीय दवा विक्रेता की नियुक्ति हेतु मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या सीजीएचएस को इन दवा विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति की गई दवाओं का उचित सत्यापन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने नमूनों का सत्यापन किया गया है और इसके निष्कर्ष क्या निकले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत 36 अधिकृत स्थानीय कैमिस्ट हैं।

(ख) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत अधिकृत स्थानीय कैमिस्ट नियुक्त करने के लिए अनुपालन की जाने वाली क्रियाविधि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

1. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों की नियुक्ति हेतु निविदाएं जारी करने के बारे में प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं जिसमें फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोयडा और गुड़गांव जैसे आस-पास के नगर शामिल हैं।

2. विधिवत रूप से गठित की गई एक समिति निविदा दस्तावेज में निर्धारित किए गए मानदंडों के आधार पर निविदाओं को खोलती हैं और उनकी जांच करती है। सभी अनुमोदित बोलियों (बिडों) को बोली बोलने वाले कैमिस्टों के संस्थापनों/परिसरों के निरीक्षण हेतु विधिवत रूप से गठित की गई अन्य समिति को भेजा जाता है।

3. निरीक्षण समिति अधिकृत स्थानीय कैमिस्ट के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पाए गए उपयुक्त बोली बोलने वालों के नामों की सिफारिश करती है।

4. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों की नियुक्ति हेतु मानदण्ड मुख्यतया बोली बोलने वाले कैमिस्ट द्वारा औषध/दवाई की मुद्रित/खुदरा कीमत पर प्रस्तुत किए गए अधिकतम छूट तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय से कैमिस्ट की दुकान/संस्थापना की निकटता पर आधारित हैं।

5. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों को दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

(ग) जी, हां। संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और भेषजज्ञ/भंडार पाल द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को औषध दिए जाने से पहले लाभार्थियों के अलग-अलग नुस्खे के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों द्वारा आपूर्ति की गई औषधों को सत्यापित किया जाता है और उसकी जांच की जाती है।

(घ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत केन्द्रीय मानक नियंत्रण संगठन उत्तर क्षेत्र कार्यालय ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत विभिन्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों एवं चिकित्सा सामग्री भण्डारों से जांच के लिए नमूने लिए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है-

वर्ष	लिए गए नमूनों की संख्या	मानक गुणवत्ता से घटिया घोषित किए गए नमूनों की संख्या	नकली घोषित किए गए नमूनों की संख्या
2002-03	21	शून्य	शून्य
2003-04	86	4	शून्य

उपरोक्त के अलावा, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र) कार्यालय ने वर्ष 2004-05 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत नियुक्त छब्बीस अधिकृत स्थानीय भेषजज्ञों, जिनकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में दुकानें हैं, का निरीक्षण किया है और पीरक्षण तथा विश्लेषण के लिए अठारह नमूने लिए हैं।

कृष्णापट्नम-पत्तन का विकास

3297. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम-पत्तन को विकास हेतु निजी/सरकारी कंपनियों को दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का इस पत्तन को निजी कंपनियों से वापस लेने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश में अवस्थित कृष्णापट्टनम पत्तन, एक महापत्तन नहीं है, इसलिए यह पत्तन केन्द्र सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं है। महापत्तनों के सिवाय अन्य पत्तनों को विकसित करने की जिम्मेदारी, संबंधित राज्य सरकार की है, जो इन पत्तनों को विकसित किए जाने हेतु इन्हें गैर-सरकारी/सरकारी कम्पनी को देने का अधिकार रखने सहित, इन पत्तनों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी रखती है।

[हिन्दी]

कोयला खानों द्वारा भू-गर्भीय सर्वेक्षण

3298. श्री मनोज कुमार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की कई कंपनियों की खानों पर किए गए भू-गर्भीय सर्वेक्षण का खान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न कंपनियों के भूमिगत भंडार में कमी का ब्यौरा क्या है और इस कमी के कितने प्रतिशत पर खान-वार ध्यान नहीं दिया जाता है; और

(ग) सरकारी या कंपनी द्वारा भूमिगत भंडार में ऐसी गिरावट के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोयला सूची का आकलन भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा वार्षिक रूप से केवल भिन्न-भिन्न कोलिबरियों के लिए किया जाता है और न कि कोलियरी-वार। दिनांक 1.1.2005 की स्थिति के अनुसार कोयला भंडारों का कंपनी कमांड क्षेत्र-वार वितरण नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

कंपनी कमांड क्षेत्र	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	कुल
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	15319	22539	8029	43887
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	15078	4352	0	19430
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	16404	15424	5033	36860
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	6327	3177	2005	11509
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	11261	28947	4640	44838
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4728	5488	2290	12503
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	15161	30976	14846	60983
नार्थ ईस्टर्न क्षेत्र	432	109	369	910

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड का वास्तविक कोयला भंडार कम नहीं हुआ है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी करने के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं

3299. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने में कतिपय सुविधाएं देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) सरकार, वरिष्ठ नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने से सम्बद्ध कुछ सुविधाएं देती हैं। वरिष्ठ नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने के समय पुलिस जांच से छूट प्रदान की जाती है, बशर्ते कि उनका कम से कम एक बच्चा वैध पासपोर्ट धारक हो। उनको पासपोर्ट जारी करने के समय ईएनसीआर (उत्प्रवासन जांच अपेक्षित नहीं) भी प्रदान किया जाता है। देश भर में सभी पासपोर्ट कार्यालयों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से पंक्ति होती है।

(ग) लागू नहीं।

टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

3300. श्री सुव्रत बोस: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम और एनईआर में जिले-वार और वर्ष-वार कुल कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए;

(ख) इन राज्यों में वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान स्थापित किए जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05) के दौरान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिला-वार तथा वर्ष-वार संस्थापित नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान इन राज्यों में जिला-वार स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2005-06 के लिए योजनाशुदा 62 एक्सचेंजों में से 6 एक्सचेंजों को पहले ही चालू किया जा चुका है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थापित नए टेलीफोन एक्सचेंज

राज्य	जिला का नाम	एक्सचेंजों की संख्या			
		2002-03	2003-04	2004-05	कुल
1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल	हावड़ा	11	2	1	14
	हुगली	8	2	2	12
	24 परगना (दक्षिण)	29	17	2	48
	24 परगना (उत्तर)	26	10	10	46
	कोलकाता	76	14	15	105
	बांकुरा	7	0	1	8
	बीरभूम	7	1	0	8
	बुर्दवां	16	2	1	19
	कूच बिहार	1	4	2	7
	दार्जीलिंग	2	2	0	4
	जलपाईगुड़ी	4	3	0	7
	मालदा	3	0	1	4
	मिदनापुर (पूर्व)	8	2	2	12
	मिदनापुर (पश्चिम)	3	0	2	5
	मुर्शिदाबाद	5	0	0	5
	नाडिया	11	3	6	20
	पुरूलिया	5	0	2	7
	कुल	222	62	47	331

1	2	3	4	5	6
सिक्किम	सिक्किम (पूर्व)	2	0	0	2
	कुल	2	0	0	2
असम	बोंगाईगांव	0	1	0	1
	डिब्रूगढ़	6	2	2	10
	जोरहाट	1	0	0	1
	कामरूप	3	4	0	7
	नागांव	10	1	1	12
	शिवसागर	5	0	0	5
	गोलाघाट	5	1	0	6
	कोकराझार	3	3	0	6
	नलबारी	2	1	0	3
	गोलपाड़ा	3	1	0	4
	बारपेटा	4	2	0	6
	धुबरी	5	2	0	7
	तिनसुकिया	4	1	0	5
	मोरीगांव	2	4	0	6
	हैलाकंडी	3	0	0	3
	करीमगंज	1	2	0	3
	काचार	1	0	0	1
	दरांग	2	0	0	2
	लखीमपुर	1	1	0	2
	सोनितपुर	1	0	0	1
	कुल	62	26	3	91
नागालैंड	लोंगलेंग	1	0	0	1
	कोहिमा	0	1	3	4
	दीमापुर	0	1	0	1
	कुल	1	2	3	6

1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश	पापुपम पारे	2	0	0	2
	दिबांग वैले लोअर	1	0	0	1
	पूर्वी सिआंग	3	0	0	3
	कुल	6	0	0	6
मणिपुर	चौकल	1	0	1	2
	टामेंगलोंग	1	0	0	1
	सेनापति	1	1	1	3
	चूडाचंदपुर	0	2	0	2
	चांदेल	0	0	1	1
	कुल	3	3	3	9
मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	2	0	1	3
	पश्चिमी खासी हिल्स	0	0	2	2
	जैंतिया हिल्स	4	0	0	4
	आरआई भोई	0	0	1	1
	पश्चिमी गारो हिल्स	0	1	0	1
	पूर्वी गारो हिल्स	0	0	2	2
	कुल	6	1	6	13
मिजोरम	आईजोल	1	0	0	1
	कोलासिब	1	0	0	1
	कुल	2	0	0	2
त्रिपुरा	ढलाई	1	0	0	1
	दक्षिणी त्रिपुरा	2	1	1	4
	उत्तरी त्रिपुरा	2	1	0	3
	पश्चिमी त्रिपुरा	1	2	3	6
	कुल	6	4	4	14

विवरण II

वर्ष 2005-06 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या

राज्य	जिला का नाम	स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या
पश्चिम बंगाल	हुगली	1
	24 परगना (दक्षिण)	18
	24 परगना (उत्तर)	12
	कोलकाता	19
	कुल	50
अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग	1
	कुल	1
मेघालय	जैंतिया हिल्स	1
	पूर्वी खासी हिल्स	1
	कुल	2
त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा	1
	दक्षिणी त्रिपुरा	1
	कुल	2
असम	नलबारी	2
	तिनसुकिया	1
	शिबसागर	1
	काचार	2
	बोंगाईगांव	1
	कुल	7
	कुल योग	62

कार रेस

3301. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के किसी मेट्रो शहर में फार्मूला-1 कार रेस आयोजित कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस कार्य हेतु "मोटर रेसिंग सर्किट" और आटोमोबाइल की जांच सुविधाएं स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ऐसी प्रतियोगिताओं आयोजित नहीं करती है। भारत में मोटर स्पोटर्स के लिए मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ, फेडरेसन आफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स आफ इंडिया (एफ.एम.एस.सी.आई.) जो भारत में फार्मूला-1 रेस के लिए व्यावसायिक अधिकार धारक है, ने भी सूचित किया है कि फार्मूला-1 के प्रबंधन के संबंध में कोई औपचारिक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विभिन्न स्वास्थ्य संकेतक

3302. श्री एस. अजय कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कुल जनसंख्या के अनुपात में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं;

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सकों और अस्पताल में बिस्तरों का मौजूदा अनुपात क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन संकेतकों में अंतर के क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औसतन 32129 जनसंख्या को कवर करता है।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 59.24 एलोपैथिक पंजीकृत चिकित्सक हैं और एक एलोपैथिक सरकारी अस्पताल का पलंग देश में औसतन 2834 लोगों को सेवाएं प्रदान करता है।

(ग) सरकार इन सूचकों में सुधार लाने के सभी सम्भव प्रयास करती रही है और पिछले तीन वर्षों में डाक्टर-जनसंख्या अनुपात और अस्पताली पलंग-जनसंख्या अनुपात में कुछ सुधार हुआ है।

पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों की यात्रा

3303. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों के दर्शनार्थ खोले गए तीर्थस्थलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पाकिस्तानियों के लिए और अधिक तीर्थस्थल खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत में पाकिस्तानी फिल्मोत्सव आयोजित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) धार्मिक स्थलों की यात्राओं से सम्बद्ध द्विपक्षीय प्रोतोकोल-1974 के अनुसार निम्नलिखित धार्मिक केन्द्रों की यात्रा के लिए पाकिस्तानी यात्रियों को अनुमति दी गई है:

1. हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ।
2. हजरत अमीर खुसरो, दिल्ली।
3. हजरत मुजाद्दीद अल्फ सानी, सिरहन्द शरीफ।
4. हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबरी, कल्यार शरीफ।
5. हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली।

दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के बीच सम्पर्क को बढ़ाने के उपाय के रूप में सरकार प्रोतोकोल से अलग, अतिरिक्त धार्मिक स्थलों के लिए भी अनुमति दे रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) 26-27 जुलाई, 2005 को इस्लामाबाद में हुई सचिव (संस्कृति) स्तर की वार्ताओं के दौरान, दोनों देशों के धार्मिक स्थलों की संख्या और तीर्थयात्रियों की संख्या में भी वृद्धि करने के लिए प्रोतोकोल का विस्तार करने पर सहमति हुई। अतिरिक्त धार्मिक केन्द्रों के विवरण को परस्पर विचार-विमर्श से अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस पर परस्पर विचार-विमर्श से निर्णय लिया जाएगा।

कुष्ठ उन्मूलन

3304. श्री सनत कुमार मंडल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक वर्ष-वार और राज्य-वार कुष्ठ के कुल कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार देश में कुष्ठ से संबंधित कुल कितने अस्पताल हैं और वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान ऐसे कितने अस्पताल खोले गए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2002-2003 और वर्ष 2003-2004 व चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार अभी तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(घ) वर्ष 2002-2003 और वर्ष 2003-2004 के दौरान इन अस्पतालों को प्राप्त विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कुष्ठ के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 में अब तक कुष्ठ के पता लगाए गए रोगियों की कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) देश में इस समय मौजूद कुष्ठ अस्पतालों की कुल संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 में अब तक कोई नए कुष्ठ अस्पताल नहीं खोले गए हैं।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2002-03 और 2003-04 और वर्तमान वर्ष में अब तक राज्यों को प्रदान की गई धनराशि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) इन अस्पतालों को 2002-03 और 2003-04 के दौरान भारत सरकार के माध्यम से कोई विदेशी सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ङ) भारत सरकार ने दिसम्बर, 2005 तक कुष्ठ समापन (उन्मूलन नहीं) का लक्ष्य रखा है। कुष्ठ समापन का आशय कुष्ठ की व्यापतता दर को 10,000 जनसंख्या पर 1 से नीचे लाना है। वर्तमान व्यापतता दर 1.23 है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(1) विकेन्द्रीकरण और संस्थागत विकास, जिसके अंतर्गत 27 बड़े राज्यों में राज्य कुष्ठ सोसाइटियां बनाई गई हैं और देश के सभी जिलों में जिला कुष्ठ सोसाइटियां बनाई गई हैं जो उपयुक्त नियोजन, कार्यान्वयन, मानीटरिंग और समय पर सुधार लाने के कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं।

(2) बेहतर पहुंच और समुदाय द्वारा सेवाओं के उपयोग के लिए देश में कुष्ठ सेवाओं का सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ एकीकरण किया गया है।

(3) कुष्ठ के रोगियों का शुरू में ही पता लगाना तथा देश के सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों और अस्पतालों के माध्यम से सभी रोगियों को नि:शुल्क बहु औषध उपचार प्रदान करना।

(4) जन प्रचार तथा स्थानीय मीडिया द्वारा परिधीय क्षेत्रों में तीव्र जन जागरूकता अभियान।

(5) कुष्ठ और अशक्तता निवारण और परिचर्या में सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या कर्मचारियों को प्रशिक्षण।

(6) विरूपता की रोकथाम और परिचर्या।

विवरण I

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए नए कुष्ठ रोगियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पता लगाए गए रोगियों की संख्या			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (जून, 05 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	39115	31816	18751	2280
2.	अरुणाचल प्रदेश	126	104	66	15

1	2	3	4	5	6
3.	असम	1570	1331	1227	403
4.	बिहार	94561	65019	40395	7464
5.	छत्तीसगढ़	18468	15385	13110	2810
6.	गोवा	294	320	290	71
7.	गुजरात	11564	10229	6900	1213
8.	हरियाणा	718	643	449	77
9.	हिमाचल प्रदेश	280	308	252	78
10.	जम्मू-कश्मीर	28982	17719	19131	2116
11.	झारखंड	572	356	298	88
12.	कर्नाटक	13071	10598	7850	1590
13.	केरल	2512	1891	1500	286
14.	मध्य प्रदेश	16570	12699	7626	1658
15.	महाराष्ट्र	48549	44192	32618	4321
16.	मणिपुर	108	53	41	13
17.	मेघालय	78	17	27	5
18.	मिजोरम	23	18	18	3
19.	नागालैंड	58	55	59	63
20.	उड़ीसा	38349	21201	20595	2884
21.	पंजाब	1356	1345	1173	369
22.	राजस्थान	2212	2000	1299	384
23.	सिक्किम	46	47	39	8
24.	तमिलनाडु	24767	16051	11244	1894
25.	त्रिपुरा	80	93	60	13
26.	उत्तर प्रदेश	90586	80072	48010	10104
27.	उत्तरांचल	2246	1917	1280	237
28.	पश्चिम बंगाल	32243	25050	20891	4330
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	60	55	48	11
30.	चंडीगढ़	323	346	289	64

1	2	3	4	5	6
31.	दादरा व नागर हवेली	268	616	195	48
32.	दमन व दीव	18	5	2	2
33.	दिल्ली	5975	5362	4221	1055
34.	लक्षद्वीप	27	4	3	0
35.	पांडिचेरी	225	226	106	12
	अखिल भारतीय	476000	367143	260063	45969

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए नए कुष्ठ रोगियों की राज्य-वार संख्या

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

राज्य-वार कुष्ठ अस्पतालों की मौजूदा संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	भारत सरकार	आईएलईपी**	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	–	26	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	–	1	1
4.	बिहार	–	3	3
5.	छत्तीसगढ़	1	7	8
6.	गोवा	–	–	–
7.	गुजरात	–	–	–
8.	हरियाणा	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	1	1
10.	जम्मू-कश्मीर	–	4	4
11.	झारखंड	–	–	–
12.	कर्नाटक	–	8	8
13.	केरल	–	4	4
14.	मध्य प्रदेश	–	3	3
15.	महाराष्ट्र	–	12	12
16.	मणिपुर	–	–	–

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	–	–	–
18.	मिजोरम	–	–	–
19.	नागालैंड	–	–	–
20.	उड़ीसा	1	6	7
21.	पंजाब	–	2	2
22.	राजस्थान	–	–	–
23.	सिक्किम	–	–	–
24.	तमिलनाडु	1	24	25
25.	त्रिपुरा	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	1*	10	11
27.	उत्तरांचल	–	2	2
28.	पश्चिम बंगाल	1	7	8
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
30.	चंडीगढ़	–	–	–
31.	दादरा व नागर हवेली	–	–	–
32.	दमन व दीव	–	–	–
33.	दिल्ली	–	2	2
34.	लक्षद्वीप	–	–	–
35.	पांडिचेरी	–	–	–
	कुल	5	122	127

*भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन
**अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोधी संघों का परिसंघ

विवरण III

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्य-वार जारी की गई राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2002-2003 जारी राशि	2003-2004 जारी राशि	2005-2006* जारी राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	–	174.80	12.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	115.96	72.75	5.35

1	2	3	4	5
3.	असम	97.48	93.28	4.42
4.	बिहार	855.85	413.77	31.80
5.	छत्तीसगढ़	354.41	305.60	59.32
6.	गोवा	8.10	7.53	1.49
7.	गुजरात	99.65	88.21	26.62
8.	हरियाणा	43.89	2.16	5.00
9.	हिमाचल प्रदेश	30.45	36.15	6.50
10.	जम्मू-कश्मीर	96.39	21.90	8.31
11.	झारखंड	257.46	147.60	39.59
12.	कर्नाटक	122.66	70.46	14.00
13.	केरल	69.36	15.00	7.50
14.	मध्य प्रदेश	676.61	225.91	48.62
15.	महाराष्ट्र	263.14	83.01	87.62
16.	मणिपुर	101.25	65.50	0.75
17.	मेघालय	46.24	1.99	1.00
18.	मिजोरम	76.50	22.50	5.00
19.	नागालैंड	112.44	83.00	1.50
20.	उड़ीसा	478.63	403.22	52.52
21.	पंजाब	40.27	25.19	5.00
22.	राजस्थान	52.32	23.42	17.00
23.	सिक्किम	39.36	23.54	1.50
24.	तमिलनाडु	240.63	230.02	71.90
25.	त्रिपुरा	33.60	8.50	3.00
26.	उत्तरांचल	120.01	43.78	7.00
27.	उत्तर प्रदेश	1508.04	1168.93	75.82
28.	पश्चिम बंगाल	599.55	412.47	92.35
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	20.22	0.50	0.68
30.	चंडीगढ़	10.13	10.50	0.25

1	2	3	4	5
31.	दादरा व नागर हवेली	6.00	6.00	0.50
32.	दमन व दीव	14.50	9.50	4.75
33.	दिल्ली	93.42	100.50	0.50
34.	लक्षद्वीप	7.26	5.50	0.50
35.	पांडिचेरी	6.00	0.35	0.65
	कुल	6877.00	4403.04	700.31

*विवरण में भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता, नगद सहायता और औषध (एमडीटी) पर व्यय शामिल है।

पारादीप पत्तन, लौह अयस्क की खानों तथा इस्पात संयंत्रों की बीच सड़क संपर्क

3305. श्री जुएल ओराम: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप पत्तन, क्योंझर जिले में लौह अयस्क की खानों और कलिंग नगर में इस्पात संयंत्र के बीच सड़क संपर्क प्रदान करने हेतु केंद्रीय क्षेत्र की कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत और इसके लिए स्वीकृत धनराशि कितनी है; और

(ग) सड़क संपर्क के कार्य को पूरा करने हेतु कौन-सी लक्षित तिथि निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) पारादीप पत्तन को क्योंझर जिले की लौह अयस्क खानों तथा कलिंग नगर के इस्पात संयंत्र से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5ए के पारादीप पत्तन से चंडीखोल खंड को 428 करोड़ रु. के अनुमानित लागत से चार लेन का बनाने का कार्य चल रहा है और जून, 2007 तक इसके पूरे हो जाने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 के चंडीखोल से पनिकोइली खंड को चार लेन बनाने का कार्य मई, 2005 में पहले ही पूरा किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 के पनिकोइली से राक्सी खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 200 के वाया कलिंग नगर चंडीखोल से दुबरी खंड को क्रमश: लगभग 490 करोड़ रु. और 160 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एनएचडीपी चरण-IIIक में शामिल किया गया है। इन खंडों को चार लेन का बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट करने हेतु बोली आमंत्रित की गई हैं। इन दोनों परियोजनाओं को दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

कालों के कथित गलत बिल

3306. श्री पी.सी. थामस: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उपभोक्ताओं से उनकी कालों के कथित रूप से गलत बिल प्राप्त होने की अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उपभोक्ताओं की प्रतिपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां, उपभोक्ताओं से समय-समय पर कथित रूप से गलत बिल प्राप्त होने की शिकायतें मिली हैं। तथापि, बीएसएनएल और एमटीएनएल में कालों संबंधी गलत बिलों की शिकायतों की संख्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के भीतर ही हैं।

(ख) गलत बिलिंग की ऐसी शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बीएसएनएल और एमटीएनएल सुनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गलत बिलिंग की जांच करते हैं और यदि शिकायत ठीक पाई जाती है तो उपभोक्ता को उचित रिबेट दी जाती है।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2002-2003 शिकायतों की संख्या	2003-2004 शिकायतों की संख्या	2004-2005 शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	68	206	200
2.	आंध्र प्रदेश	10822	14342	11159
3.	असम	2677	2518	2652
4.	बिहार	2723	3302	1974
5.	झारखण्ड	875	1350	2638
6.	गुजरात	12180	19162	12063
7.	हरियाणा	3599	6055	5196
8.	हिमाचल प्रदेश	1996	2648	2776
9.	जम्मू-कश्मीर	1589	1438	1546
10.	कर्नाटक	9075	12997	10609
11.	केरल	8730	8182	6039
12.	मध्य प्रदेश	7365	11893	9281
13.	छत्तीसगढ़	1706	1868	1381
14.	महाराष्ट्र	12209	16257	11653
15.	गोवा	952	1192	773
16.	मेघालय	1529	887	489
17.	मिजोरम	85	312	256
18.	त्रिपुरा	166	454	392
19.	नागालैंड	857	822	603
20.	मणिपुर	615	353	102
21.	अरुणाचल प्रदेश	236	225	384
22.	उड़ीसा	6201	12617	6161
23.	पंजाब	7357	21466	7891
24.	राजस्थान	5423	7525	6097
25.	तमिलनाडु	9540	15424	13225

1	2	3	4	5
26.	पाण्डिचेरी	76	100	192
27.	उत्तर प्रदेश	8867	11001	12777
28.	उत्तरांचल	298	369	327
29.	पश्चिम बंगाल	10104	9943	9502
30.	सिक्किम	473	476	132
31.	एमटीएनएल दिल्ली	14800	36234	18425
32.	एमटीएनएल मुम्बई	14018	17229	17552

[हिन्दी]

पटना जिले में संघात केन्द्र

3307. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002 में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से पटना जिले के विक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक संघात केन्द्र खोला है;

(ख) क्या दुर्घटनाग्रस्त लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु इस संघात केन्द्र में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) क्या दो वर्षों के बाद भी यहां चिकित्सकों और कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संघात केन्द्र को कब तक कार्यशील बना दिए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सरकारी अस्पतालों में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत माडल विक्रम रेफरल सेंटर, पटना का 1.5 करोड़ रुपए (1.10 करोड़ रुपए भवन के लिए और 0.40 करोड़ रुपए उपकरणों के लिए) की सहायता से उन्नयन किया गया। इस योजना के अंतर्गत अभिघात सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक जनशक्ति प्रदान करना राज्य सरकार का काम है।

कोयले के खनन हेतु वैश्विक निविदाएं

3308. श्री सुरेश चन्देल:
श्री बापू हरी चौरे:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी और विदेशी कंपनियों द्वारा कोयले के खनन हेतु वैश्विक निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो एमएसईबी द्वारा आमंत्रित की गई निविदाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी व्यवस्था से स्थानीय लोगों को रोजगार न मिलना ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा और मजदूरों के शोषण को बढ़ावा मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) की उन तीन परियोजनाओं को हाल ही में सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, जहां कुछ क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग को, अधिक लागत प्रभावी कोयला खनन के हित में अनुमति दे दी गई है।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, न तो एम.सी.एल. ने और न ही महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने अब तक किसी निजी अथवा विदेशी कंपनियों द्वारा कोयले खनन के लिए कोई निविदा जारी की है।

(ग) और (घ) नई परियोजनाओं में नए निवेश से रोजगार के नए अवसरों के सृजन में सहायता प्राप्त होनी चाहिए। कार्य-प्रबंध का संचालन और मार्ग-निर्देशन संगत संविधियों द्वारा किया जाएगा।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा पोतों का निर्माण

3309. डा. पी.पी. कोया: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप प्रशासन ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को पोत-निर्माण का कोई आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए भुगतान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एच.एस.एल. ने उक्त पोत लक्षद्वीप प्रशासन को सौंप दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या एच.एस.एल. ने पोत-निर्माण हेतु प्राप्त राशि का अन्यत्र उपयोग कर लिया है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस मुद्दे को हल करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के प्रशासन ने 121.47 करोड़ रु. की लागत पर 700 यात्रियों-सह-160 टन जहाजी माल की क्षमता से युक्त एक जलयान के निर्माण का आदेश अगस्त, 2000 में मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. को दिया, जिसकी सुपुर्दगी, फरवरी, 2003 तक की जानी थी। उपर्युक्त प्रशासन ने अभी तक हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. को 107.44 करोड़ रु. का भुगतान किया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। उपर्युक्त जलयान अभी भी मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. में निर्माणाधीन है। उपर्युक्त जलयान, 30.09.2004 को पानी में उतारा गया था और उससे संबंधित ऊपरी कार्य, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की जेटी पर चल रहे हैं। देरी के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:-

(1) नियमों और मानकों का निर्वाह करने की दृष्टि से डिजाइन और दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने में देर।

(2) दूसरे चरण के इस्पात की खरीद में देर।

(3) निर्माण डाक के, पहले से विशाखापत्तनम-पत्तन-न्यास के 500 घन मीटर की क्षमता के ग्रैब हापर ड्रेजर और भारतीय नौसेना की पनडुब्बी, आईएनएस वागली से संबंधित कार्य में लगे रहने के कारण पैनलों को खड़ा किए जाने का कार्य आरंभ किए जाने के लिए बिल्डिंग डाक की अनुपलब्धता।

(4) मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हुई कार्यसाधक पूंजी से संबंधित समस्याएं।

(च) और (छ) जी, हां। चूंकि मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा था, उसने 51.56 करोड़ रु. की धनराशि का अपने कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी का भुगतान किए जाने के अपरिहार्य कर्त्तव्य को निबाहने में इस्तेमाल कर लिया है। ऐसा वेतन और मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली किसी प्रकार की औद्योगिक अशांति को पहले ही समाप्त कर देने की दृष्टि से किया गया।

(ज) भारत-सरकार, मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के पुनरुत्थान और उसकी वित्तीय पुनर्संरचना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी मैसर्स (हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की) पुरानी परियोजनाएं पूरी किए जाने के लिए आवश्यक कार्यसाधक पूंजी भी शामिल है।

[हिन्दी]

डाक टिकटों की दर में कमी

3310. श्री अखिलाश राव खन्ना: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक पोस्ट कार्ड पर विभिन्न मूल्यों की डाक टिकटें लगाने के नियम क्या हैं;

(ख) संगत कानून के अंतर्गत पोस्ट कार्ड पर सामग्री छापने की परिभाषा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पोस्ट कार्डों और शोक सन्देश भेजने हेतु उपयोग में लाए जाने वाले अन्य कार्डों पर लगाई जाने वाली डाक टिकटों की दर कम करने हेतु कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 7 (अपनी प्रथम सूची के साथ पठित) में विभिन्न श्रेणियों के पोस्टकार्डों पर विभिन्न मूल्यों के डाक-टिकट लगाने का प्रावधान है।

(ख) पोस्टकार्ड पर छापी गई सामग्री की परिभाषा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 7 के उपबंधों के अंतर्गत भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 के नियम 11(2) में दी गई है।

(ग) और (घ) फिलहाल पोस्टकार्डों या शोक संदेशों हेतु अन्य कार्डों पर डाक-टिकटों की दर घटाने संबंधी योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

लाभ दिए जाने में विलम्ब

3311. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया:
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल मामले कितने हैं और राज्य-वार, विशेषकर केरल में, कितनी राशि वितरित की जानी है; और

(ग) लंबित मामलों को निपटाने तथा भविष्य में मामलों को लंबित होने से रोकने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) वर्ष 2005-06 हेतु, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जिसमें दो घटक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस) शामिल हैं, के लिए पहली बार जुलाई, 2005 माह में धनराशि जारी की गई थी।

(ख) और (ग) स्कीम के चुनाव और कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपेक्षित लोच उपलब्ध कराने के मद्देनजर इसे 2002-03 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित कर दिया गया था। स्कीम के लिए निधि राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। अत: मामलों की सूची और एनएफबीएस और एनएसएपी के संबंध में बकाया राशि के ब्यौरे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते क्योंकि ये राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वर्ष 2004 में केरल ने एनएसएपी के 50 करोड़ रुपये में वृद्धि करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि एनएसएपी मांग आधारित स्कीम नहीं है और कवरेज में किसी भी प्रकार की कमी को राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना होता है। एनएसएपी केवल वृद्धावस्था और रोजी-रोटी कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु के मामले में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता लाभ मुहैया कराने में राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरक सहायता प्रदान करने का प्रयत्न करती है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया था कि राज्यों को एनओएपीएस और/अथवा एनएफबीएस के संबंध में उन्हें आबंटित निधियों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार व्यय करने के लिए पर्याप्त लोच दी गई है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि वर्ष 2004-05 में, एनएसएपी और अन्नपूर्णा के लिए कुल एसीए 679.87 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1189.87 करोड़ रुपये कर दी गई है। तदनुसार, केरल के लिए आबंटन को वर्ष 2004-05 के दौरान 1762.99 लाख से बढ़ाकर 2872.43 लाख रुपये कर दिया गया था। वर्ष 2005-06 के लिए केरल राज्य हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और अन्नपूर्णा के लिए संयुक्त आबंटन 2874.17 लाख रुपये है।

अवसंरचना में विकास हेतु 'रोडमैप'

3312. श्री ए. साई प्रताप: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा विमानपत्तनों, राष्ट्रीय राजमार्गों, पत्तनों, रेलवे और अन्य क्षेत्रों का विकास करने तथा देश में विश्व स्तर की अवसंरचना तैयार करने हेतु कोई 'रोड मैप' तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) देश में विश्व-स्तरीय अवसंरचना के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अवसंरचना संबंधी एक समिति गठित की गई है। योजना आयोग द्वारा इस कार्य में समिति को सहयोग दिया जा रहा है।

समिति के समक्ष हवाई अड्डों और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एक रोडमैप क्रमश: दिसम्बर, 2004 और जनवरी, 2005 में प्रस्तुत किया गया था। मई, 2005 में पत्तनों एवं रेलवे के लिए इसी प्रकार का रोडमैप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

राजमार्ग क्षेत्रक में वर्ष 2012 तक 1,72,000 करोड़ रुपये, हवाई अड्डा क्षेत्रक में वर्ष 2010 तक 40,000 करोड़ रुपये तथा पत्तन क्षेत्रक में वर्ष 2012 तक 50,000 करोड़ रुपये निवेश की परिकल्पना की गई है।

डब्ल्यू.जी.आई.जी. की बैठक

3313. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में इंटरनेट को नियंत्रित और शासित करने की शक्ति कैलिफोर्निया स्थित इंटरनेट कारपोरेशन फार एसाइन्ड नेम्स एण्ड नम्बर्स (आई.सी.ए.एन.एन.) के पास है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आई.सी.ए.एन.एन. और अमरीका के वाणिज्य विभाग के बीच सितम्बर, 2006 में समझौता ज्ञापन की समाप्ति के बाद इंटरनेट का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की तैयारी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जून, 2005 के मध्य में जिनेवा में हुई वर्किंग ग्रुप आन इंटरनेट गवर्नेंस (डब्ल्यू.जी.आई.जी.) की बैठक में भाग लिया है;

(ङ) यदि हां, तो उसमें जिन-जिन मुद्दों पर विचार किया गया उनका ब्यौरा क्या है; और

(च) उस बैठक का परिणाम और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) इंटरनेट कारपोरेशन फार एसाइन्ड नेम्स एण्ड नम्बर्स (आई.सी.ए.एन.एन.) अंतर्राष्ट्रीय रूप से संगठित एक अलाभकारी निगम है जिस पर इन्टरनेट प्रोटोकाल (आईपी) एड्रेस स्थान आबंटन, प्रोटोकाल पहचानकर्त्ता कार्य, जेनेरिक (जीटीएलडी) एवं देश कोड (सीसीटीएलडी) उच्च स्तरीय डोमेन नाम प्रणाली प्रबंध और रूट सर्वर प्रणाली प्रबंध कार्यों का उत्तरदायित्व है। एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में आई.सी.ए.एन.एन. इन्टरनेट की प्रचालनात्मक स्थिरता एवं सुरक्षा के संरक्षण के प्रति समर्पित है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकार ने सभी पणधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद घोषित किया है कि सरकारों और सभी पणधारकों को इन्टरनेट नीति पर किए जाने वाले सभी प्रकार के विचार-विमर्श में महत्व दिया जाना चाहिए। ये पारदर्शी, सम्पूर्ण एवं लोकतांत्रिक होने चाहिएं।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत के एक प्रतिनिधिमण्डल ने जेनेवा में जून, 2005 के मध्य भाग में हुई इंटरनेट शासन कार्यकारी दल (डब्ल्यूजीआईजी) की बैठक में भाग लिया। भारत ने सार्वजनिक नीति के मुद्दों और आई.सी.ए.एन.एन. के कार्यों, गठन तथा शासन के विभिन्न पहलुओं पर अपना दृष्टिकोण डब्ल्यूजीआईजी सचिवालय द्वारा परिचालित प्रश्नावली के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया।

भारत ने कहा कि इन्टरनेट की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसकी स्थिरता, विश्वसनीयता एवं सुरक्षा संचार तथा ई-वाणिज्य, ई-शासन आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

यह सुझाव दिया गया कि संगठनात्मक रूप जिस पर इन्टरनेट शासन से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के प्रबंध का दायित्व होगा, बहु-पक्षीय पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसमें सरकारों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की पूर्ण प्रतिभागिता होगी।

(च) विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा किए गए विचार-विमर्श के आधार पर इन्टरनेट शासन और इसके संस्थागत तंत्र के चार माडल डब्ल्यूजीआईजी रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए। भारत ने कहा कि यह रिपोर्ट सूचना समाज पर विश्व सम्मेलन में और अधिक विचार-विमर्श के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।

रक्त का एकसमान मूल्य

3314. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश भर में रक्त का मूल्य बहुत अधिक और भिन्न-भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश भर में रक्त का मूल्य एक समान करने हेतु कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) रक्त के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसे स्वैच्छिक और रक्त के बदले रक्त देने वाले उन रक्त-दाताओं से एकत्रित किया जाता है जिनको रक्त-दान देने के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। चूंकि रोगियों को रक्ताधान हेतु रक्त जारी करने से पहले दान में दिए गए रक्त के यूनिटों का रक्ताधान संचारित रोगों, रक्त ग्रुपिंग और क्रास मैचिंग की जांच अनिवार्य रूप से करवाई जानी अपेक्षित होती है, इसलिए सुरक्षित और जांच किए गए रक्त के प्रत्येक यूनिट के लिए रियायती सेवा प्रभार वसूल किए जाते हैं। सरकार ने दान में दिए गए रक्त के प्रत्येक यूनिट के लिए सेवा प्रभार वसूल करने के लिए सरकार, स्वैच्छिक और निजी रक्त बैंकों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। दिशानिर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

इन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सरकारी और स्वैच्छिक रक्त बैंक उनके अपने अस्पतालों अथवा अन्य सरकारी अथवा स्वैच्छिक क्षेत्र के अस्पतालों के रोगियों को इसे जारी करने से पहले रक्त के प्रत्येक यूनिट के लिए 250 रुपए का सेवा प्रभार वसूल किया जा सकता है। तथापि, निजी रक्त बैंक सेवा प्रभार हेतु अधिक से अधिक 500 रुपए प्रति यूनिट की लागत वसूल कर सकते हैं।

लेकिन देश में थैलासीमिया और हीमोफिलिया से पीड़ित रोगियों को सरकारी और स्वैच्छिक रक्त बैंकों में इन सेवा प्रभारों से छूट दी जाती है। बिल्कुल थोड़े से निजी/वाणिज्यिक रक्त बैंक भी नि:शुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं।

विवरण

रक्त के सेवा प्रभारों की वसूली हेतु दिशानिर्देश

विभिन्न क्षेत्रों द्वारा चलाए जाने वाले रक्त बैंकों द्वारा रक्त जारी करने से पहले रक्ताधान संचारित रोगों के लिए इसके अनिवार्य परीक्षण सहित रक्त को संभालने के सेवा प्रभारों की वसूली को इस प्रकार विनियमित किया जा सकता है:-

1. रक्त के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इसे स्वैच्छिक और इसके बदले देने वाले उन रक्त दाताओं से एकत्र किया जायेगा जिनको रक्त दान देने के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा।

2. रक्त की संसाधित लागत लगभग 500 रुपए प्रति यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है।

3. विभिन्न क्षेत्रों में स्थित रक्त बैंकों के लिए लागत वसूली निम्नलिखित आधार पर की जाएगी:

3.1 सरकारी और स्वैच्छिक रक्त बैंक:

(क) अपने अस्पतालों के रोगियों अथवा अन्य सरकारी अथवा स्वैच्छिक क्षेत्र के अस्पतालों को रक्त जारी करने वाले सरकारी और स्वैच्छिक रक्त बैंक 250 रुपए प्रति यूनिट ले सकते हैं और शेष लागत हेतु रियायत दे सकते हैं।

(ख) जीवन रक्षक उपायों हेतु बार-बार रक्ताधान के जरूरतमंद थैलासीमिया और हीमोफिलिया के रोगियों से रक्त/रक्त संघटक जारी करने के लिए कोई लागत नहीं ली जानी चाहिए।

(ग) निजी उपचर्या गृहों/अस्पतालों को रक्त जारी करते समय ये रक्त बैंक के प्रत्येक यूनिट के लिए 500 रुपए की पूरी संसाधित लागत ले सकते हैं।

3.2 निगमित और वाणिज्यिक रक्त बैंक:

निगमित क्षेत्र के अस्पतालों और वाणिज्यिक रक्त बैंकों द्वारा चलाए जाने वाले रक्त बैंक सेवा प्रभारों के लिए अधिक से अधिक 500 रुपए प्रति यूनिट की लागत वसूल कर सकते हैं।

यदि निगमित/निजी अस्पतालों के पास अपने रक्त बैंक नहीं होते हैं, तो वे सरकारी अस्पतालों अथवा स्वैच्छिक क्षेत्र द्वारा चलाए जाने वाले रक्त बैंकों से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों में निजी उपचर्या गृह/निगमित अस्पतालों को रोगियों से, यदि वे ऐसे रक्त बैंकों से रक्त प्राप्त करते हैं तो उसके लिए वे जो देते हैं, उससे अधिक धनराशि नहीं ली जानी चाहिए। तथापि, वे किए गए अतिरिक्त (अनिवार्य परीक्षणों को छोड़कर) परीक्षणों यदि कोई हों, के लिए प्रभार वसूल कर सकते हैं।

4. सभी रक्त बैंक स्वैच्छिक दाताओं से एकत्र किए जाने वाले रक्त की पर्याप्त मात्रा सृजित करने के लिए उपाय करेंगे।

एक यूनिट रक्त की लागत (500 रुपए)

क्र.सं.	मद	प्रभार (रुपए में)
1	2	3
1.	अनिवार्य परीक्षण:	
	(क) हीमोग्लोबिन	5.00
	(ख) ग्रुपिंग (एबीओ और आरएच)	30.00
	(ग) क्रास मैचिंग	15.00

1	2	3
	(घ) गुणवत्ता नियंत्रण, अपशिष्ट द्रव्य निकालना और दुर्घटना के मामलों/ निर्धन रोगियों को रक्त जारी करना	100.00
	(ङ) रक्ताधान संचारित रोग (वी.डी.आर.एल./ एच.बी.एस.एजी./एच.आई.वी./एम.पी.)	100.00
2.	रक्त थैली की लागत	50.00
3.	उपभोज्य, प्रभोज्य और अन्य विविध मदें	50.00
4.	अतिरिक्त परीक्षण: (अनिवार्य के अलावा)	150.00
	कुल	500.00

[हिन्दी]

भारत और पाकिस्तान के बीच हाट-लाइन

3315. श्री किरण माहेश्वरी:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच एक नई हाट-लाईन शुरू करने की तैयारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके पीछे मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा उक्त हाट-लाइन पर कितना धन व्यय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यह नई हाट-लाइन कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ङ) दिसम्बर, 2004 में भारत और पाकिस्तान, विदेश सचिवों के बीच एक समर्पित और सुरक्षित हाट-लाइन की स्थापना करने पर सहमत हुए थे। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित, (5-6 अगस्त, 2005) नाभिकीय विश्वासोत्पादक उपायों से सम्बद्ध भारत-पाकिस्तान विशेषज्ञ स्तर की वार्ता में गलतफहमी को रोकने और नाभिकीय मसलों से सम्बद्ध खतरों को कम करने के लिए अपने-अपने विदेश कार्यालयों के माध्यम से इस हाट-लाईन सम्पर्क के शीघ्र संचालित करने के महत्व पर दोनों पक्षों ने बल दिया। इस संबंध में, सम्बद्ध तकनीकी पैरामीटरों पर चर्चा हुई। कार्यान्वयन तथा परीक्षण समय-सारणी के ब्यौरों का आदान-प्रदान किया गया। इस बात पर सहमति हुई कि हाट-लाईन सम्पर्क सितम्बर, 2005 में स्थापित किया जाएगा।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन कोटे से लोगों को सहायता

3316. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन कोटे से गरीब और जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल में दाखिल करने/चिकित्सा व्ययों का निर्वहन करने हेतु कितना अनुदान दिया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त अनुदान से कितने रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान यह धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रह गई;

(घ) यदि हां, तो इस आबंटन के पूर्ण रूप से उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कोष से अनुदान पाने हेतु अभी भी कितने रोगी प्रतीक्षारत हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख)

(रुपए लाख में)

वर्ष	कुल व्यय	लाभार्थियों की संख्या
2002-03	103.00	595
2003-04	53.00	303
2004-05	43.19	227

(ग) जी, हां।

(घ) आबंटन का पूर्ण उपयोग न करने के कारणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) लगभग 900 आवेदन-पत्र अभी भी विचाराधीन हैं।

विवरण

(1) पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्रों का प्राप्त न होना।

(2) वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपए से अधिक है।

(3) पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता के लिए अनुरोध स्वीकार्य नहीं है।

(4) टी.बी. या सामान्य प्रकृति के रोगों हेतु वित्तीय सहायता की अस्वीकार्यता।

(5) निजी अस्पतालों में इलाज स्वीकार्य नहीं है।

(6) मरीज केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कर्मचारी है।

(7) ऐसे अस्पतालों, जिन्हें मरीजों के इलाज हेतु निधियां जारी की गई हैं की तरफ से वचनबद्धता पत्रों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(8) आरम्भिक आवेदनों के पश्चात मरीज उत्तर नहीं देते।

[हिन्दी]

विकास योजनाओं पर व्यय का अनुपात

3317. श्री राम कृपाल यादव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा शुरू की गई विकास योजनाओं पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यय का अनुपात क्या है; और

(ख) विकास योजनाओं के अनुसरण हेतु गांवों और शहरों के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) केन्द्र प्रायोजित स्कीमें विशिष्ट लक्ष्य(यों) के साथ तैयार की गई हैं और सामान्यत: मानदण्ड और वित्त पोषण पैटर्न स्कीम के अंतर्गत किए गए प्रावधान पर निर्भर करती हैं। स्कीमें संबंधित केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा मानीटर की जाती हैं और राज्य सरकारों/उनकी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। दिशानिर्देश राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए जाते हैं। सामान्यत: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मानीटर की जाने वाली स्कीमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं और शहरी विकास मंत्रालय तथा शहरी रोजगार व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा मानीटर की जा रही स्कीमें शहरी क्षेत्रों के लिए हैं।

विगत दो वर्षों 2003-2004 एवं 2004-05 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय तथा शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय के संबंध में बजट दस्तावेजों में केन्द्रीय योजना परिव्यय के लिए यथा इंगित बजट व्यय/संशोधित अनुमान निम्नानुसार हैं:

	मंत्रालय/विभाग	2003-04 (वास्तविक)	2004-05 (संशोधित)
1.	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
	ग्रामीण विकास विभाग	15501.18	13866.40
	भूमि संसाधन विभाग	954.35	1050.00
	पेय जलापूर्ति विभाग	2769.52	3300.00
	कुल (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	19225.05	18216.40
2.	शहरी विकास मंत्रालय	2610.71	2017.04
3.	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	634.28	650.00
	कुल (ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय)	3244.99	2667.04

कोयला हेतु विनियामक आयोग

3318. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोयला आपूर्ति के मूल्य और गुणवत्ता पर उचित नियंत्रण हेतु विनियामक आयोग के गठन के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ख) उक्त प्रस्ताव के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) सरकार ने निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले के मूल्य निर्धारण में और अन्य क्षेत्रों के लिए कोयले के मूल्य-निर्धारण के तौर तरीके सुझाने के लिए टैरिफ आयोग का सहयोग लिया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

3319. श्री वसुदेव आचार्य: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कई राज्यों ने बाजार उधारी के मुद्दे पर अपनी आशंका जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) राज्यों ने केन्द्रीय सहायता के ऋण घटक को सीधे बाजार से प्राप्त करने के संबंध में अपनी कुछ चिंताएं जताई हैं। कुछ राज्य चाहते थे कि इसे अग्रिम तैयारी के बाद लागू किया जाए। अन्य राज्य चाहते थे कि नई नीति लागू किए जाने से पूर्व इस मामले पर उनके साथ चर्चा की जानी चाहिए थी। यह भी महसूस किया गया कि भारत सरकार को चाहिए कि वह किसी कारण से सीधे बाजार ऋण प्राप्त करने में असमर्थ राज्यों को ट्रेजरी बिलों की दरों के बराबर दरों पर ऋण दे। कुछ राज्यों ने इच्छा व्यक्त की कि केन्द्रीय सहायता की वर्तमान पद्धति को जारी रखा जाए। केन्द्रीय ऋणों के बदले में सीधे बाजार उधार के लिए भी समर्थन था बशर्ते कि भारत सरकार राज्यों को यदि कोई कमी हो, तो सहायता दे। यह आशंका जताई गई कि भुगतान की यह कम अवधि और बाजार उधारों की बुलेट पेमेन्ट रिक्वायरमेंट बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार ऋणों का पुनर्नियतन किए जाने से राज्यों द्वारा प्राप्त क्षतिपूर्ति राहत को निष्प्रभावित कर सकता है। केन्द्रीय ऋणों की तुलना में बाजार उधारों के भुगतान की इस कम अवधि से अतिरिक्त राजकोषीय दबाव भी पड़ सकता है। एक सुझाव दिया गया कि केन्द्र राज्यों की ओर से बाजार से उधार ले और बाजार दर पर उन्हें सहायता दे।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य योजनाओं को निधिकरण करने की केन्द्रीय सहायता प्रक्रिया के ऋण घटक में परिवर्तन किया है। तथापि, राजकोषीय रूप से कमजोर राज्यों के लिए वित्त मंत्रालय बाजार उधार लेता रहेगा और संक्रमण अवधि के दौरान अपेक्षित सहायता मुहैया कराता रहेगा। अन्य राज्य, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अनुमतियोग्य उधार सीमा के अंतर्गत उधार ले सकते हैं, लेकिन यदि इसमें कोई कठिनाई आती है, तो वित्त मंत्रालय आवश्यकता के अनुसार उनके लिए उधार ले सकता है।

विदेश मंत्री की बांग्लादेश यात्रा

3320. श्री निखिल कुमार: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश की यात्रा की है तथा विभिन्न मुद्दों पर कई नेताओं से बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां, 6-8 अगस्त, 2005 को विदेश मंत्री ने बंगलादेश की यात्रा की थी।

(ख) इस यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने बंगलादेश के विदेश मंत्री के साथ शिष्टमण्डल स्तर की वार्ता करने की अतिरिक्त प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और विरोधी पक्ष के नेता से मुलाकात की। सुरक्षा, अवैध उत्प्रवासन, सीमा पर बाड़ लगाने, व्यापार और वाणिज्य, निवेश और संयुक्त राष्ट्र में सुधार से सम्बद्ध मसलों पर भी चर्चा हुई। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम भी सम्पन्न किया। इस यात्रा का बंगलादेश की सरकार ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 को चौड़ा किया जाना

3321. श्री सज्जन कुमार: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 (दिल्ली-रोहतक रोड) को चौड़ा करके छह लेनों का करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रा.रा.-10 के दिल्ली-हिसार खंड जिसमें दिल्ली-रोहतक सड़क शामिल है, एन एच डी पी (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) चरण-IIIक के अंतर्गत बीओटी (निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण) आधार पर चार लेन का बनाए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), तैयार करने का कार्य चल रहा है। चार लेन बनाने का कार्य दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

बयावर-पाली-सिरोही सड़क को चार लेनों का बनाया जाना

3322. श्री पुष्प जैन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 के अंतर्गत आने वाले बयावर-पाली-सिरोही सड़क पर प्रतिदिन कुल कितने वाहन चलते हैं;

(ख) क्या सरकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के अंतर्गत बयावर-पाली-सिरोह सड़क को चार लेनों का बनाए जाने के बारे में कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 के बयावर-पाली-सिरोही खंड पर यातायात लगभग 4527 सीवीडी (वाणिज्यिक वाहन प्रतिदिन) और 1830 पीसीयू (यात्री कार इकाई) है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 के बयावर-पाली-सिरोही-पिंडवाड़ा सड़क खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत बीओटी आधार पर चार लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। कार्य सौंपे जाने के बाद ही कार्य पूरा होने की तारीख के बारे में पता चल पाएगा।

[अनुवाद]

एन.एच.डी.पी. के अंतर्गत पुल का चार लेनों में परिवर्तन

3323. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर सराई घाट में दो लेनों के पुल को चार लेनों के पुल में परिवर्तित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एन.एच.डी.पी. के पूर्व-पश्चिम कारीडोर कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर सराई घाट, गुवाहाटी में विद्यमान रेल-सह-सड़क पुल की 40 मीटर डाउनस्ट्रीम पर तीन लेन के एक अतिरिक्त सड़क पुल के निर्माण की योजना बनाई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और सिविल ठेकेदारों की पूर्व-अर्हता प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और शीघ्र ही बोली आमंत्रित किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

भारत और पाकिस्तान के बीच वीजा नियमों को उदार बनाना

3324. श्री पारस नाथ यादव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों ने वीजा नियमों को उदार बनाने हेतु संबंधित सरकारों से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पत्रकारों के अनुरोध के मद्देनजर वीजा नियमों में छूट देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण एशियाई मुक्त मीडिया संघ (साफमा), भारत और पाकिस्तान से वीजा नियमों के उदारीकरण के सुझाव देता रहा है। 15-20 मई, 2005 तक बरबन में साफमा द्वारा आयोजित दक्षिण एशियाई संसदीय मंच के दौरान संघ ने संबंधित सरकारों

द्वारा वीजा नीतियों में संशोधन करने और मीडिया के लोगों और उत्पादों को सीमाओं के आर पार मुक्त आवाजाही की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

(ग) और (घ) सरकार ने पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को काफी उदार बनाया है। सितम्बर, 2004 में सरकार ने प्रत्यायित पत्रकारों, विद्वानों, प्रोफेसरों, कुलपतियों, रोगियों के साथ जाने वाले डाक्टरों और सरकार द्वारा अनुमोदित सम्मेलनों में जाने वालों के लिए उदार वीजा प्रक्रियाओं की घोषणा की। 65 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों के लिए पुलिस रिपोर्ट से छूट और यात्रा के स्थानों की संख्या को 3 से बढ़ाकर 12 तक करने की भी घोषणा की गई। प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय स्कूलों में स्कूल स्तर पर और मान्यता प्राप्त सैक्षिक संस्थाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए आने वाले पाकिस्तानी विद्यार्थियों के लिए फरवरी, 2005 से उदारीकृत वीजा योजना शुरू की गई है। भारत ने 1 अप्रैल, 2005 से अटारी जांच चौकी पर पहुंचने पर 65 वर्ष से अधिक आयु और 12 वर्ष से कम आयु वालों को वीजा प्रदान करना भी शुरू कर दिया है। यह सुविधा, सरकार द्वारा अनुमोदित समूहों के सदस्यों के लिए भी उपलब्ध होगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूमि का अधिग्रहण

3325. श्री के. सुब्बारायण: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयम्बटूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को चौड़ा करके चार लेनों का किए जाने हेतु अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कोयम्बतूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को चार लेन का बनाने के लिए अपेक्षित भूमि अधिग्रहण का कार्य वर्ष 2006 तक पूरा हो जाने की और वर्ष 2008 तक परियोजना पूरी हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

नाभिकीय सामग्री का निर्यात

3326. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नाभिकीय सामग्री के निर्यात हेतु किन-किन देशों के साथ समझौता किया गया है;

(ख) क्या उक्त निर्यात से देश में विद्युत उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) किसी नाभिकीय ईंधन सामग्री का निर्यात करने के बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई अनुबंध नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता

3327. श्री राजेन गोहेन:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत उन देशों में से एक है जहां बड़ी संख्या में बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में महानगरों में ऐसे बच्चों की शहर-वार संख्या क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इस समस्या से निपटने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 0-14 वर्ष के आयु समूह के मानसिक अक्षमताओं से पीड़ित बच्चों की संख्या 5,34,818 (पुल्लिंग 3,12,908; स्त्रीलिंग-2,21,910) है।

हमारे देश में मानसिक मन्दता के सामान्य कारण गम्भीर मातृ कुपोषण, आयोडीन अल्पता, अपर्याप्त प्रसवपूर्व एवं प्रसवकालीन परिचर्या और सामाजिक जानकारी का अभाव है।

(ग) महानगरों में मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों की संख्या का ब्यौरा केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(घ) मानसिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के पुनर्स्थापन सेवाओं हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। अब सरकार का प्रयास मानसिक रूप से बीमार रोगियों की शुरू में ही जांच करना एवं सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के जरिए उनका उपचार करने का है। मानसिक रूप से बीमार रोगियों का उपचार करने के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। मानसिक परिचर्या की पहुंच बढ़ाने एवं गुणवत्ता बेहतर करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में अतिरिक्त समरूप जिलों समेत देश में 100 जिलों को कवर करने, 37 सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और 75 मेडिकल कालेजों के मनश्चिकित्सा स्कंधों को सुदृढ़ करने, सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण कार्यकलाप तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार करने की अभिकल्पना है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक 94 जिलों को कवर किया गया है, 9 मेडिकल कालेजों के मनश्चिकित्सा स्कंधों के उन्नयन और एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को सुदृढ़ करने के लिए वित्त जारी किया गया है। इसके अलावा, अनुसंधान एवं सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण कार्यकलापों के लिए भी धन जारी किया गया है।

विवरण

मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास सेवाओं के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे

योजना	जारी धनराशि (लाख रुपए में)			
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (13.08.2005 तक)
दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित)	2848.62	2543.10	2659.12	432.40
परिचर्या प्रदायकों के लिए समुदाय आधारित प्रशिक्षण योजना (नेशनल, ट्रस्ट फार आटिज्म, सेरेबरल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसएबिलिटीज के द्वारा कार्यान्वित)	78.33	62.03	41.90	4.94
रीच एंड रिलीफ स्कीम (उक्त राष्ट्रीय न्यास के माध्यम से कार्यान्वित)	366.44	67.78	407.01	46.20
स्टेट नोडल एजेंसी सेंटर (उक्त राष्ट्रीय न्यास के द्वारा कार्यान्वित)	–	14.16	40.53	4.5
गार्डियनशिप स्कीम (उक्त राष्ट्रीय न्यास के द्वारा कार्यान्वित)	–	7.8	6.42	0

[अनुवाद]

रोगों की रोकथाम/उन्मूलन

3328. डा. रामचन्द्र डोम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कुल कितने नि:शक्त व्यक्ति हैं;

(ख) देश में राज्य-वार कुल कितने रोगी क्षयरोग, चेचक, कैंसर, एड्स इत्यादि रोगों से ग्रस्त हैं; और

(ग) पहली योजना से लेकर दसवीं पंचवर्षीय योजना की प्रत्येक योजना अवधि में इन रोगों की रोकथाम और उन्मूलन करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नए पत्तनों का निर्माण

3329. श्री पी. करूणाकरन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचाराधीन देश में नए पत्तनों के निर्माण के प्रस्तावों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): किसी नए महापत्तन को कायम किए जाने का कोई भी प्रस्ताव, भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। महापत्तनों के सिवाय अन्य पत्तनों पर राज्य सरकारों का समग्र क्षेत्राधिकार है और वे ऐसे पत्तनों का निर्माण करवाने की भी उत्तरदायी हैं।

अस्पतालों में 'मिनिमल एक्सेस सर्जरी' इकाइयां

3330. डा. एम. जगन्नाथ: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के अस्पतालों में 'मिनिमल एक्सेस सर्जरी' इकाइयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में ऐसी इकाइयों को कब तक चालू किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध अस्पतालों में मिनिमल एक्सेस सर्जरी हेतु अलग से कोई यूनिट नहीं है। तथापि, उपर्युक्त अस्पतालों के विभिन्न विभागों द्वारा मिनिमल एक्सेस सर्जरी की जाती है।

राजस्थान में दूरभाष केन्द्र

3331. श्री दुष्यंत सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कोई नए दूरभाष केन्द्र स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दूरभाष केन्द्र स्थापित किये गये;

(घ) प्रत्येक केन्द्र की क्षमता कितनी है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा राजस्थान में खोले गए नए दूरभाष केन्द्रों का स्थान-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I, II तथा III में दिया गया है।

(ग) पिछल तीन वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लि. ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 74 दूरभाष केन्द्र संस्थापित किए हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष 2002-03	-	57
वर्ष 2003-04	-	16
वर्ष 2004-05	-	01

(घ) और (ङ) दूरभाष केंद्रों की क्षमता तथा उनका ब्यौरा क्रमश: विवरण-I, II तथा III में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2002-03 के दौरान खोले गए नए दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	दूरभाष केन्द्र की अवस्थित	क्षमता	शहरी/ग्रामीण
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	ए.जे.-गांधी नगर	1950	श.
2.	अजमेर	ए.जे.-पहाड़गंज	1300	श.

1	2	3	4	5
3.	अलवर	पीपलाज	438	ग्रा.
4.	अलवर	बडाला	32	ग्रा.
5.	अलवर	बांसूर मुख्य	808	श.
6.	अलवर	भिवाड़ी	1000	श.
7.	अलवर	डुमरोली	152	ग्रा.
8.	अलवर	करणपुरा	32	ग्रा.
9.	अलवर	माजरी-खुर्द	488	ग्रा.
10.	अलवर	नयागांव पर्तापुर	32	ग्रा.
11.	अलवर	साऊथ वैस्ट ब्लाक	1000	श.
12.	बीकानेर	बाडनू	152	ग्रा.
13.	बीकानेर	बीरामसर	152	ग्रा.
14.	बीकानेर	बीकानेर एमडीबी कालोनी	3000	श.
15.	बीकानेर	खेडा	48	ग्रा.
16.	बीकानेर	शहंजारासर	24	ग्रा.
17.	बाड़मेर	भुनियां	152	ग्रा.
18.	बाड़मेर	बाड़मेर पुराना दूरभाष केंद्र	1000	श.
19.	बाड़मेर	चावा	152	ग्रा.
20.	बाड़मेर	दूधवा	152	ग्रा.
21.	बाड़मेर	रामजी का गोल	152	ग्रा.
22.	बाड़मेर	सियानी	152	ग्रा.
23.	बूंदी	ओवान	152	ग्रा.
24.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा-2	1500	श.
25.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा-एम/डब्ल्यू	2000	श.
26.	बांसवाड़ा	बोरी	152	ग्रा.
27.	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	1000	श.
28.	बांसवाड़ा	मोदार (एमसीपीसी)	152	ग्रा.
29.	बांसवाड़ा	सागवाडिया	152	ग्रा.
30.	भरतपुर	बाड़ी	1000	ग्रा.

1	2	3	4	5
31.	भरतपुर	बारोली	152	ग्रा.
32.	भरतपुर	जारगा	152	ग्रा.
33.	भरतपुर	मिठावली	152	ग्रा.
34.	भरतपुर	सैदपुरी	152	ग्रा.
35.	चुरू	चुरू	488	श.
36.	चुरू	तंदेडू	152	ग्रा.
37.	जोधपुर	चामू	152	ग्रा.
38.	जोधपुर	जोधपुर-चोपासानी एचबी	3000	श.
39.	जोधपुर	जोधपुर-कुडी भगतासनी	1000	श.
40.	जोधपुर	जोधपुर-प्रताप नगर	2000	श.
41.	जोधपुर	जोधपुर-सुर सागर	2000	श.
42.	जोधपुर	जेटीवास	152	ग्रा.
43.	जोधपुर	जोधपुर-मंदौर आईए	1000	श.
44.	जोधपुर	काकेलव	152	ग्रा.
45.	जोधपुर	नेवड़ा	152	ग्रा.
46.	जोधपुर	सालवां कलां	152	ग्रा.
47.	झुंझनू	कोट	152	ग्रा.
48.	जयपुर	भबरू	152	ग्रा.
49.	जयपुर	जयपुर-हसनपुरा	2000	श.
50.	जयपुर	जयपुर-मुरलीपुरा	1490	श.
51.	जयपुर	जयपुर-रामगंज चौपाड़	1992	श.
52.	जयपुर	जयपुर-सेठी कालोनी	480	श.
53.	जयपुर	जयपुर-तारा नगर	992	श.
54.	जयपुर	निर्माण नगर	1968	श.
55.	जैसलमेर	खुइयाला	152	ग्रा.
56.	जैसलमेर	लोहार्की	152	ग्रा.
57.	जैसलमेर	ओला	152	ग्रा.
58.	जैसलमेर	राजमठाई	152	ग्रा.

1	2	3	4	5
59.	कोटा	कैथूनी-पोल	2000	श.
60.	कोटा	कोटा-डीसीएम	2000	श.
61.	कोटा	कोटा-रामपुरा	2000	श.
62.	पाली	फालना सिटी	488	श.
63.	पाली	खांडी	152	ग्रा.
64.	पाली	पनोटा	152	ग्रा.
65.	पाली	रानीगांव	488	श.
66.	पाली	सरदार पटेल नमर	488	श.
67.	पाली	जिटारा	184	ग्रा.
68.	श्रीगंगानगर	4-0 (आरएसयू)	500	ग्रा.
69.	श्रीगंगानगर	भोपालपुरा	152	ग्रा.
70.	श्रीगंगानगर	एचजीएच जेएन-बीएस चौक	1000	श.
71.	श्रीगंगानगर	रामपुरा	152	ग्रा.
72.	श्रीगंगानगर	एसजीआर-ओसीबी मेन	2000	श.
73.	श्रीगंगानगर	एसजीआर-ओसीबी	2000	श.
74.	सीकर	दातरू	152	ग्रा.
75.	सीकर	फतेहपुर	4000	श.
76.	सीकर	सीकर कृषि मंडी	1256	श.
77.	सिरोही	बिच्छवाडी	16	ग्रा.
78.	सिरोही	धांता	32	ग्रा.
79.	सिरोही	गोलासन	16	ग्रा.
80.	सिरोही	खारा	32	ग्रा.
81.	सिरोही	खिरोड़ी	32	ग्रा.
82.	सिरोही	रायपुर	152	ग्रा.
83.	सिरोही	सानपुर	152	ग्रा.
84.	सिरोही	सर्वधा	16	ग्रा.
85.	सिरोही	सिलोयिआ	152	ग्रा.
86.	सिरोही	सिवेड़ा	304	ग्रा.

1	2	3	4	5
87.	सिरोही	तातोल	152	ग्रा.
88.	सवाई माधोपुर	मंदरायल	152	ग्रा.
89.	टोंक	टोंक	488	श.
90.	उदयपुर	बडवाली	152	ग्रा.
91.	उदयपुर	टीखी	16	ग्रा.
92.	उदयपुर	उदयपुर-काकरवास	1000	श.
93.	उदयपुर	उदयपुर-बोहड़ा गणेश	2000	श.
94.	उदयपुर	उदयपुर-टीपी नगर	2000	श.

विवरण II

वर्ष 2003-04 के दौरान खोले गए नए दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा

क्रसं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	दूरभाष केन्द्र की अवस्थिति	क्षमता	शहरी/ग्रामीण
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	अजाईनगर	3016	श.
2.	अलवर	ठुमरेला	152	ग्रा.
3.	भरतपुर	डीग एमबीएम	500	श.
4.	चूरू	मेहारी	184	ग्रा.
5.	चूरू	धानीआशा	184	ग्रा.
6.	जयपुर	आरटीटीसी	1000	श.
7.	जयपुर	चित्रकूट	2000	श.
8.	जयपुर	पृथ्वीराज नगर	2000	श.
9.	जयपुर	कारधानी (पश्चिम)	1000	श.
10.	जोधपुर	बीजेएस कालोनी	2000	श.
11.	जोधपुर	भटिंडा	152	ग्रा.
12.	जोधपुर	खुडियाला	152	ग्रा.
13.	जोधपुर	फिटकासानी	152	ग्रा.
14.	जोधपुर	केतूकाला	152	ग्रा.
15.	जोधपुर	शेखसर	152	ग्रा.

1	2	3	4	5
16.	जोधपुर	राजलानी	152	ग्रा.
17.	कोटा	वल्लाभबरी	2000	श.
18.	कोटा	रेलवे कालोनी	2000	श.
19.	कोटा	केशवपुरा	2000	श.
20.	कोटा	तलवंडी	2000	श.
21.	कोटा	महावीर नगर	2000	श.
22.	पाली	जैतारन एमबीएम	360	श.
23.	पाली	खरियांनीव	152	ग्रा.
24.	पाली	सुमेरपुर डीटीओ	488	श.
25.	पाली	टैगोर नगर	488	श.
26.	सवाई माधोपुर	कारोली एमबीएम	1000	श.
27.	सीकर	बिडोली	152	ग्रा.
28.	सीकर	ग्याना	128	ग्रा.
29.	सीकर	सीकर ईडब्ल्यूएसडी	2000	श.
30.	सीकर	सीकर आरएसयू	2000	श.
31.	सिरोही	बिनानी	488	ग्रा.
32.	सिरोही	पावटा	152	ग्रा.
33.	सिरोही	विशाला	152	ग्रा.
34.	श्रीगंगानगर	शेर्डा	56	ग्रा.
35.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर डीटीओ	6000	श.

विवरण III

वर्ष 2004-05 के दौरान खोले गए नए दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा

क्रसं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	दूरभाष केन्द्र की अवस्थिति	क्षमता	शहरी/ग्रामीण
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	मदानगंज आरआईआईसीओ	488	श.
2.	अजमेर	पर्बतपुरा	992	श.
3.	बांसवाड़ा	सागवाड़ा आरएसयू	1000	श.

1	2	3	4	5
4.	जोधपुर	जोधपुर चांदपोल	2000	श.
5.	जोधपुर	जोधपुर-सुभाष नगर	1000	श.
6.	कोटा	आरएलयू-विज्ञान नगर	2000	श.
7.	कोटा	एनटीपीसी-अंटा	300	श.
8.	सीकर	रायपुर पाटन	88	ग्रा.
9.	उदयपुर	जेके ग्राम	360	श.

बी.एस.एन.एल. मोबाईल नेटवर्क का विस्तार

3332. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) अपने मोबाईल नेटवर्क में व्यापक विस्तार की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप बी.एस.एन.एल. द्वारा कितना राजस्व अर्जित किये जाने और रोजगार के कितने अवसर सृजित किये जाने की आवश्यकता है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लि. इस समय अपने मोबाईल नेटवर्क का विस्तार कर रहा है ताकि चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त 14-एम लाइनों से नेटवर्क की क्षमता बढ़ाई जा सके। विस्तार हेतु मोबाइल उपस्करों की कुल लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपये आने की संभावना है। विस्तार संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके अलावा, भारत संचार निगम लि. ने अगले दो वित्तीय वर्षों के लिए 13,600 करोड़ रुपये की मोबाइल अवसंरचना की अनुमानित लागत पर एक अतिरिक्त 40-एम से अपने नेटवर्क का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) वर्तमान रुझान यह दर्शाते हैं कि परियोजना लगभग 24 महीनों में न लाभ, न हानि (ब्रेक ईवेन प्वाइंट) की स्थिति में होगी। अर्जित किया जाने वाला संभावित राजस्व अधिकांशत: प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में गतिशील बाजार परिस्थितियों और आम जनता की क्रय-शक्ति द्वारा संचालित होता है और तीन वर्षों में वार्षिक रूप में औसतन लगभग 5,000 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन की आशा है। इस परियोजना से हैंडसैटों के विनिर्माण, सर्विसिंग, विक्रय बाजारों (सेल्स आउटलेट्स), टर्न-की अवसंरचना की व्यवस्था करने आदि, जो आम लोगों के अधिकार-क्षेत्र में हैं, में रोजगार मिलने की काफी संभावना है और ये कार्य भारत संचार निगम लि. के हाथ में आ रहे हैं। इसका मूल्यांकन करना व्यवहार्य नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वर्ष 2005-06 में मोबाइल विस्तार की प्रगति	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार	20000	7.00
2.	आंध्र प्रदेश	963000	337.05
3.	असम	250000	87.50
4.	बिहार	455000	159.25
5.	चेन्नई टीडी	450000	157.50
6.	छत्तीसगढ़	150000	52.50
7.	गुजरात	1050000	367.50
8.	हरियाणा	528000	184.80
9.	हिमाचल प्रदेश	221000	77.35
10.	जम्मू-कश्मीर	280000	98.00
11.	झारखण्ड	250000	87.50
12.	कर्नाटक	802354	280.82
13.	केरल	950000	332.50

1	2	3	4
14.	कोलकाता टीडी	625000	218.75
15.	मध्य प्रदेश	450000	157.50
16.	महाराष्ट्र	1350000	472.50
17.	पूर्वोत्तर-I	100000	35.00
18.	पूर्वोत्तर-II	100000	35.00
19.	उड़ीसा	500000	175.00
20.	पंजाब	900000	315.00
21.	राजस्थान	850000	297.50
22.	तमिलनाडु	834800	292.18
23.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	650000	227.50
24.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	570000	199.50
25.	उत्तरांचल	201500	70.53
26.	पश्चिम बंगाल	700000	245.00
	जोड़	14200654	4970.23

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

3333. श्री देविदास पिंगले: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिकतम दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर कसरा घाट क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक हताहत लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिकतम दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की सतत् आधार पर पहचान की जाती है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय सड़क सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है।

(ग) और (घ) कसरा घाट में दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के वर्ष-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं-

वर्ष	मृत व्यक्तियों की संख्या
2002	8
2003	10
2004	8

(ङ) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सतत् आधार पर विभिन्न इंजीनियरी संबंधी उपाय किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक के भाग के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के वदपे गोंडे खंड को चार लेन का बनाए जाने का भी विचार है।

[अनुवाद]

ब्रिटेन द्वारा नाभिकीय प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

3334. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए नाभिकीय प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण संबंधी प्रतिबंध में ढील देने से मना कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के अपने दौरे के दौरान इस मुद्दे पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बातचीत की थी और इस प्रतिबंध की समीक्षा का अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो ब्रिटिश सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (घ) यूके की सरकार, नाभिकीय आपूर्तिकर्त्ता समूह (एनएसजी) की एक सक्रिय सदस्य है। पहले यूके की भारत में नाभिकीय और नाभिकीय संबंधित प्रयोगकर्त्ताओं, जिन पर एनएसजी द्वारा प्रतिबंध लगे हुए थे, के लिए एनएसजी दोहरी प्रयोग सूची में दी गई मदों

के लिए निर्यात करने की इंकार की नीति थी। अभी हाल ही में यूके सरकार ने अपनी एनएसजी प्रतिबद्धताओं के अनुसार भारत के साथ नाभिकीय संबंधित हस्तांतरणों और वैज्ञानिक सम्पर्कों के बारे में अपनी नीति में परिवर्तन किया है। तदनुसार, चूंकि यूके एनएसजी दोहरी प्रयोग सूची की मदों, जहां उनका प्रयोग असुरक्षित नाभिकीय ईंधन साइकल अथवा नाभिकीय विस्फोटक गतिविधियों के लिए किया जाना है, के उपयोग की मनाही जारी रखेगा, अब यह भारत के अन्य गतिविधियों के लिए आने वाली एनएसजी दोहरी प्रयोग सूची की मदों के प्रयोग के लिए मामला-दर-मामला आधार पर विचार करेगा।

भारत और यूके अपने घनिष्ठ और बहुपक्षीय संबंधों में एक भाग के रूप में व्यापक वार्ता में लगे हुए हैं। सितम्बर, 2004 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने "नवीन और गतिशील भागीदारी की ओर" पर एक संयुक्त घोषणा की जिसमें वे अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के अनुसार असैनिक नाभिकीय भागीदारी के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि करने पर सहमत हुए।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की मोटाई बढ़ाया जाना

3335. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री श्रीचन्द कृपलानी:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों की विद्यमान मोटाई आई.आर.सी. मानकों द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(घ) क्या सरकार ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के सामयिक अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आवश्यक धनराशि आबंटित कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर अनुमानत: और कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(च) इस धनराशि को कब तक जारी किया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष तौर पर नए घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंडों की मोटाई वर्तमान यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् कार्यकलाप है तथा सुदृकरण का कार्य धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकारों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के लिए आबंटित निधि क्रमश: 93.00 करोड़ रु. और 70.00 करोड़ रु. है। भा.रा.रा.प्रा. (एनएचएआई) द्वारा कुछेक राष्ट्रीय राजमार्ग खंड विकसित किए जाते हैं जिनके लिए फंड परियोजना-वार जारी किए जाते हैं न कि राज्य-वार।

(घ) से (च) वित्त वर्ष 2005-06 में सावधिक नवीकरण के अंतर्गत राजस्थान के लिए कुल 30.70 करोड़ रु. का आबंटन है। वर्ष 2005-06 में 322 कि.मी. लंबाई में 28.76 करोड़ रु. के 24 कार्य स्वीकृत किए गए हैं और ये कार्य चल रहे हैं। कार्यों की प्रगति के अनुसार धनराशि जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त भा.रा.रा.प्रा. (एनएचएआई) द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंडों का रखरखाव किया जाता है जिनके लिए अभी तक चालू वर्ष के दौरान 14.52 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

कोयला कंपनियों द्वारा सामान की अधिक भराई/कम भराई करना

3336. श्री मनोज कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में की गई जांच (सर्च आपरेशन) के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों को सामान की अधिक भराई या कम भराई का दोषी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोयला भंडार

3337. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रति वर्ष कोयले की औसत खपत कितनी है; और

(ख) देश में इस कोयला भंडार के कब तक चलने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) देश में कोयले की कुल मांग का आकलन योजना आयोग द्वारा किया जाता है और इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। योजना आयोग द्वारा आकलित कोयले की कुल मांग और पिछले दो वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	मांग	उत्पादन
2003-04	380.900	361.156
2004-05 (अनंतिम)	404.190	382.137

(ख) उत्पादन की मौजूदा दर पर भंडार के साथ उत्पादन का अनुपात 243 निकलता है जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि उत्पादन की मौजूदा दर पर कोयला भंडार 243 वर्षों के लिए होगा।

शल्य क्रिया द्वारा प्रसव के मामलों में वृद्धि

3338. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत में शल्यक्रिया से होने वाले प्रसवों की बढ़ती दर पर गहरी चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या उपाय कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने "विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, 2005" में चिन्ता जताई है कि विश्व भर में सिजेरियन सेक्शन की दर बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के संबंध में न तो कोई विशिष्ट सूचना भेजी है और न ही कोई चिन्ता व्यक्त की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य बीमा योजना

3339. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री एस. अजय कुमार:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 1.12.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक सूचना प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) उपर्युक्त उत्तर के संबंध में दिया गया आश्वासन वित्त मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति पर सूचना का पता लगाया जा रहा है।

कोयला खनन क्षेत्र में गैर-सरकारी कंपनियों की भागीदारी

3340. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री परसुराम माझी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी कंपनियां कोयले के रक्षित खनन को आरंभ करने के लिए आगे नहीं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा गैर-सरकारी कंपनियों को कोयला खनन क्षेत्र की ओर आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार अधिक संख्या में गैर-सरकारी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए दिशानिर्देशों में परिवर्तन और अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इन दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) गैर-सरकारी क्षेत्र को आबंटन हेतु कौन-कौन से ब्लाकों की पहचान की गयी है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) एक विधेयक अर्थात् कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 जिसमें कैप्टिव उपयोग के प्रतिबंध के बिना किसी भारतीय कंपनी को कोयले के खनन की अनुमति देने की मांग की गई है, को 24.4.2000 को राज्य सभा में पेश किया गया था तथा यह विचारार्थ लम्बित है। इसके अलावा, कैप्टिव खनन की मौजूदा नीति के तहत भी अन्त्य उपयोग की परियोजना को समय पर आरंभ करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने सम्बद्ध कैप्टिव खनन ब्लाक का शीघ्र विकास करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है ताकि अन्त्य उपयोग परियोजना के चरणों में पूरा होने तक कोयला खान, अन्त्य उपयोग संयंत्र की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन की पूरी क्षमता प्राप्त कर सके। चूंकि खान को समयानुसार अपनी पूरी क्षमता तक विकसित किया जाना है, कोयले का उत्पादन विकास की अवधि के दौरान उत्पादन होता है, इस दौरान अन्त्य उपयोग संयंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार ने लंबी अवधि के लिए कोयले को स्टोर करने के जोखिम से बचने के लिए कोल इंडिया की स्थानीय सहायक कंपनी को विकास अवधि के दौरान ही कैप्टिव खान से निष्कर्षित अतिरिक्त कोयले को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी है।

(च) सरकार ने कोयले के विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोगकर्त्ता निजी/सरकारी क्षेत्र को आबंटन के लिए 146 कोयला ब्लाकों की पहचान की है जिनमें से 86 ब्लाक आबंटित कर दिए गए हैं/ आबंटन किए जाने का निर्णय ले लिया गया है।

एड्स मामलों के विरोधात्मक आंकड़े

3341. श्री प्रहलाद जोशी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में एड्स से होने वाली मौतों के वास्तविक आंकड़ों को लेकर एन.ए.सी.ओ. और यू.एन.ए.आई.डी.एस. के पास विरोधात्मक ब्यौरे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित एड्स मामलों और मौतों संबंधी सही-सही आंकड़ों की गणना करने हेतु क्या कदम/उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार के समक्ष एन.ए.सी.ओ. और यू.एन.ए.आई.डी.एस. द्वारा इस पहलू पर सहयोगात्मक अध्ययन का कोई प्रस्ताव आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। नाको तथा यू.एन.ए.आई.डी.एस. दोनों यह महसूस करते हैं कि एचआईवी/ एड्स से जुड़ी गलत मनोवृत्ति या उनके लक्षणों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण भारत में एड्स से मौतें हो रही हैं।

(ख) राज्यों से एड्स से होने वाली मौतों की मासिक रिपोर्टों को नियमित रूप से भेजने के लिए कहा गया हैं।

समस्त जिला अस्पतालों/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों से कहा गया है कि वे एड्स के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी एक फिजिशियन की पहचान करें जो एड्स से होने वाली मौतों की सूचना संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को दे सके ताकि वे इसकी सूचना नाको को भेज दें। पिछले तीन वर्षों के दौरान एड्स के मामलों एवं उससे हुई मौतों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	सूचित किए गए एड्स के मामलों की संख्या	सूचित की गई मौतों की संख्या
2002	19077	1247
2003	21587	1541
2004	27472	1324

(ग) और (घ) एचआईवी से संबंधित मृत्यु दर के अनुमानों पर नाको/यू.एन.ए.आई.डी.एस. की एक संयुक्त बैठक 20 जुलाई, 2005 को आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान मृत्यु दर अनुमानों पर एक तकनीकी दल का गठन करने का निर्णय लिया गया।

नर्सिंग स्कूलों की स्थापना

3342. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने नर्सिंग स्कूल हैं;

(ख) क्या सरकार के पास चालू वर्ष में नये नर्सिंग स्कूलों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारतीय उपचर्या परिषद् के अनुसार देश में राज्य-वार नर्सिंग संस्थाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से संबद्ध नर्सिंग स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर इनको नर्सिंग कालेज का दर्जा देने का प्रस्ताव है। जिपमेर, पांडिचेरी में भी एक नर्सिंग कालेज खोला जा रहा है। राज्य सरकार के मेडिकल कालेजों से संबद्ध नर्सिंग स्कूल का दर्जा बढ़ाकर इसको नर्सिंग कालेज का दर्जा देने की स्कीम के तहत दो निर्धारित संस्थाओं को प्रति संस्था एकमुश्त सहायता के रूप में 1.5 करोड़ की दर से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

विवरण

31 मार्च, 2005 तक नर्सिंग शैक्षिक संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारत में भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं की कुल संख्या								
		एएनएम	जीएनएम	डीएनई एण्ड ए	बीएससी (एन)	पीबी ए एससी(एन)	एमएससी (एन)	अल्पकालिक पाठ्यक्रम	एम फिल	पीएचडी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	एएफएमएस	–	6	–	–	–	–	–	–	–
2.	अण्डमान एवं निकोबार	1	1	–	–	–	–	–	–	–
3.	आंध्र प्रदेश	30	119	–	68	1	2	–	–	–
4.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	–	–	–	–	–	–	–
5.	असम	7	11	–	2	–	–	1	–	–
6.	बिहार	25	13	–	–	–	–	–	–	–
7.	चण्डीगढ़	–	–	–	1	1	1	–	–	–
8.	छत्तीसगढ़	–	2	–	4	–	–	–	–	–
9.	दिल्ली	1	16	1	5	2	1	–	–	–
10.	गोवा	1	1	–	–	1	–	–	–	–
11.	गुजरात	2	22	–	3	1	–	–	–	–
12.	हरियाणा	10	19	–	2	–	–	–	–	–
13.	हिमाचल प्रदेश	2	6	–	–	–	–	–	–	–
14.	झारखंड	1	–	–	–	–	–	1	–	–
15.	कर्नाटक	4	274	–	149	20	20	–	1	–
16.	केरल	15	91	1	12	2	3	–	–	–
17.	एमआईवी	4	4	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	मध्य प्रदेश	9	22	2	19	4	2	–	–	–
19.	महाराष्ट्र	16	58	1	11	5	2	2	–	–
20.	मणिपुर	3	4	–	–	–	–	–	–	–
21.	मेघालय	–	5	–	–	–	–	–	–	–
22.	मिजोरम	2	4	–	1	–	–	–	–	–
23.	नागालैंड	1	1	–	–	–	–	–	–	–
24.	उड़ीसा	16	10	–	4	–	–	–	–	–
25.	पांडिचेरी	1	1	–	5	–	–	–	–	–
26.	पंजाब	33	80	–	14	5	–	–	–	–
27.	राजस्थान	8	57	–	3	–	–	–	–	–
28.	एसआईबी	3	18	–	2	1	2	–	–	–
29.	सिक्किम	–	1	–	1	–	–	–	–	–
30.	तमिलनाडु	7	66	–	38	5	19	–	1	1
31.	त्रिपुरा	1	3	–	–	–	–	–	–	–
32.	उत्तर प्रदेश	30	34	–	2	1	–	–	–	–
33.	उत्तरांचल	–	–	–	1	–	–	–	–	–
34.	पश्चिम बंगाल	20	28	–	12	1	2	1	–	–
	कुल योग	254	979	5	349	50	54	5	2	1

1-पंजाब-पंजाब+जम्मू और कश्मीर
एएनएम : सहायक नर्स धात्री
डीएनाई : डिप्लोमा इन नर्सिंग एजू. एंड एड.
बीएससी (एन) : बेचलर नर्सिंग
एमएससी : मास्टर नर्सिंग
पीबीबीएससी (एन) : पोस्ट बेसिक बेचलर इन नर्सिंग

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए धनराशि

3343. **श्री जोवाकिम बखला:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमंडल खेलों, 2010 के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना और सुविधा के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कुल कितनी धनराशि का आश्वासन दिया गया है;

(ख) वर्ष 2005-06 के लिए बजट में इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) इन खेलों के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना और सुविधाओं का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन खेलों के लिए अवसंरचनात्मक सहायता संबंधी रिपोर्ट तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नगर अवस्थापना और सुविधाओं के उन्नयन के लिए भारत सरकार को 1314 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। मामले पर मंत्रियों के समूह की वित्तीय उप समिति ने विचार किया है और यह विचार व्यक्त किया है कि चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पहले से ही योजना आयोग द्वारा निर्धारित योजनागत आबंटन प्राप्त कर रही है इसलिए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अपेक्षित अतिरिक्त योजनागत सहायता को उनकी समग्र जरूरतों में शामिल किया जा सकता है और इसे योजना आयोग के साथ तय किया जा सकता है।

(ख) अभी तक राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 2005-06 के दौरान कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(ग) फिलहाल राष्ट्रमंडल खेलों के लिए निम्नलिखित अवस्थापना और सुविधाएं उपलब्ध हैं— जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, डा. एस.पी. मुखर्जी तरणताल परिसर, तालकटोरा रोड, इंदिरा गांधी स्टेडियम और यमुना वेलोड्रम, आई.पी. एस्टेट, ध्यान चन्द राष्ट्रीय स्टेडियम, इंडिया गेट, डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद, शिवाजी स्टेडियम, कनाट प्लास, डी.डी.ए. सिरी फोर्ट खेल परिसर, सिरी फोर्ट। इनके अतिरिक्त राष्ट्रमंडल खेल गांव के निर्माण का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण की अवस्थापना के उन्नयन/नवीकरण के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की विद्यमान अवस्थापना पर परामर्श का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के दिल्ली में विद्यमान पांच स्टेडियमों की स्थिति का सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्थान के पुन: मूल्यांकन अध्ययन के लिए इवेंट नोलेज सर्विस (ई.के.एस.) को अनुबद्ध किया है और ई.के.एस. की अध्ययन टीम ने मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मसौदा रिपोर्ट ने खेल स्थानों को एकत्रित करने के विभिन्न विकल्पों पर सुझाव दिए हैं और खेल गांव की स्थिति के संबंध में मुद्दे उठाए हैं। इन पर स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श चल रहा है।

डाकघरों का खोला जाना

3344. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री मनोज कुमार:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और झारखंड में जिला-वार और स्थान-वार कितने डाकघर और शाखा डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघर खोले गये;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ इन राज्यों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी;

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान इन राज्यों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और कौन-कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की गयीं;

(ङ) केन्द्र सरकार इन राज्यों में डाक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(च) इन राज्यों में नये डाकघर कब तक खोले जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) वर्तमान वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत डाकघर खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये हैं। डाकघर शहरी क्षेत्रों में एकल अथवा दो कर्मचारियों वाले मौजूदा डाकघरों तथा सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों की पुनर्स्थापना के माध्यम से खोले जा रहे हैं जो दूरी के मानदण्ड को पूरा नहीं करते और ये डाकघर उन क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं जो डाकघर खोलने के तीनों मानदण्डों को पूरा करते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

2005-06 के दौरान अब तक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और झारखंड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है:-

कर्नाटक

शहरी क्षेत्र—बाजपे एयरपोर्ट गैर डाक वितरण उप डाकघर - दक्षिण कन्नड जिला

पश्चिम बंगाल

ग्रामीण क्षेत्र—बसंतपुर विभागीय डाकघर - जिला मुर्शिदाबाद

झारखंड

शहरी क्षेत्र—बोकारो स्टील प्लांट विभागीय उप डाकघर - जिला बोकारो

(ग) इस प्रयोजन के लिए योजना के अंतर्गत कोई निधि आवंटित नहीं की जा रही है क्योंकि डाकघर केवल मौजूदा कार्यबल की पुनर्तैनाती और मौजूदा डाकघर की पुनर्स्थापना के माध्यम से खोले जा रहे हैं।

(घ) वर्ष 2004-05 में डाकघर खोलने के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। हालांकि 2004-05 के दौरान कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मौजूदा डाकघरों की पुनर्स्थापना के माध्यम से खोले गए डाकघरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

कर्नाटक

विभागीय उप डाकघर	-	3 (शहरी-2; ग्रामीण-1)
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	-	3 (ग्रामीण-2; शहरी-1)

पश्चिम बंगाल

गैर-डाक वितरण उप डाकघर	-	2 (शहरी-2)

झारखण्ड

गैर-डाक वितरण उप डाकघर	-	1 (शहरी-1)

(ङ) इन राज्यों में डाक सेवाओं में सुधार के लिए किए जाने वाले उपाय निम्नलिखित हैं:-

1. प्रमुख डाकघरों एवं मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण।
2. डाक सेवाओं की कार्यकुशलता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी शामिल करना।
3. अधिक उत्तरदायी ग्राहक सेवा के लिए कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्रों और वेब आधारित जन शिकायत हैंडलिंग प्रणाली की स्थापना।
4. जरूरतमंद क्षेत्रों तक डाक सेवाओं का विस्तार।
5. विशिष्ट ग्राहक वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए उत्पादों की शुरुआत।

(च) डाकघर दूरी, आबादी और आय संबंधी मानदण्डों के पूरा होने और योजना के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं। इसलिए नए डाकघर खोलने का समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित नहीं किया जा सकता। यह एक सतत प्रक्रिया है।

अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेना

3345. श्री अनंत कुमार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में हुई विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और गैर-खिलाड़ियों की कुल संख्या का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त स्पर्धाओं में गैर-खिलाड़ियों द्वारा भाग लेने के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने विदेश दौरे किए गए और इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रीय जोन केन्द्र का निर्माण

3346. श्री कृष्णा मुसरी भोंबे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रीय जोन केन्द्र के निर्माण कार्य के धीमी गति से चलने के क्या कारण हैं; और

(ख) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) छात्रावास और बहुद्देश्यीय हाल के टेंडर को अंतिम रूप देने में विलंब, सिंथेटिक सतह बिछाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक, परिसर दीवार बनाने से संबंधित विवाद के हल में देरी, प्रमुख कारण है जिनकी वजह से भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रीय जोन केन्द्र, भोपाल (मध्य प्रदेश) में स्वीकृत कार्य पूरा नहीं हो सका। ये कार्य प्रगति पर हैं और अगले वित्त वर्ष में इनके पूरा होने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

नेपाल को सैन्य सहायता को पुनर्बहाल करना

3347. श्री राधापति सांबासिवा राव:
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल को सैन्य सहायता पुनर्बहाल करने के संबंध में भारत और नेपाल के बीच बातचीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इसके पश्चात् नेपाल को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) नेपाल को सैन्य आपूर्तियों का मामला उस देश में बन रही स्थिति को ध्यान में रखकर सतत् समीक्षाधीन है।

29 अप्रैल, 2005 को नेपाल में आपातकाल समाप्त किए जाने और अनेक राजनीतिक दल के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं की रिहाई के बाद भारत सरकार ने कुछ गैर-घातक आपूर्तियां की हैं। भारत सरकार का निर्णय, नेपाल नरेश को हमारी इन अपेक्षाओं के साथ अवगत करा दिया गया है कि महामहिम नेपाल की सरकार नागरिक स्वतंत्रता पर से नियंत्रण हटाने और नेपाल में बहुदलीय प्रजातंत्र बहाल करने के लिए अगला और शीघ्र कदम उठाएगी।

कोयले पर उत्पाद शुल्क

3348. श्री मदन लाल शर्मा:
श्री अनंत गुढ़े:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयला खानों से निकाले गए एवं भेजे गए कोयले पर उत्पाद शुल्क लगाया जता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन कोयला खानों से कितना राजस्व एकत्रित किया गया;

(ग) देश में अवैध रूप से चल रही कोयला खानों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इनके द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन के बारे में कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उनसे कर की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन खानों से एकत्रित राजस्व की राशि नीचे दी गई है:-

वर्ष	एकत्रित राजस्व (रुपए में)
2002-03	118,77,60,980.00
2003-04	230,34,74,170.00
2004-05	373,97,16,891.00

(ग) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सी.आई.एल. क्षेत्र में इस प्रकार की कोई गैर-कानूनी खान नहीं है। तथापित गैर-कानूनी खान परित्यक्त/बंद/पुरानी खानों अथवा आउटक्रोप क्षेत्रों से चोरी-छिपे तथा गुपचुप किया जाता है।

(घ) और (ङ) मुख्यत: गैर-कानूनी खनन को रोकने/नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व राज्य/जिला प्रशासन का है। चूंकि गैर-कानूनी खनन गुपचुप किया जाता है इसलिए कर अपवंचन के बारे में कोई आकलन करना संभव नहीं है।

परीक्षणों की घटती लागत

3349. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में एड्स रोगियों की संख्या में हो रही चौंकाने वाली वृद्धि के मद्देनजर एड्स से संबंधित विभिन्न जांचों यथा सीडी 4, सीडी 8, सैल काऊंट्स एवं वायरल लोड टेस्ट से संबंधित लागत में कमी लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अध्ययन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एआरटी में रखे गए एड्स रोगियों में सीडी-4 काउंट मानीटर किया जाता है। खर्च कम करने के निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. आरम्भिक जांच के लिए सीडी-4 परीक्षण रियायती खर्च पर चुने हुए सरकारी-एआरटी केन्द्रों में किया जाता है।
2. नि:शुल्क एआरटी कार्यक्रम के अंतर्गत चुने हुए सरकारी अस्पतालों में एआरटी उपचार हेतु पंजीकृत सभी रोगियों का परीक्षण नि:शुल्क किया जाता है।

खेल संबंधी अवसंरचना का विकास

3350. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में खेल संबंधी अवसंरचना के विकास हेतु उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दी जानी है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी देने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना का अनुमानित व्यय कितना है और प्रत्येक परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अंशदान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें कब तक मंजूरी देने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) खेल अवस्थापना संबंधी योजनाएं 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गयी हैं। केरल सरकार सहित, राज्य सरकारों को फरवरी, 2005 में योजना के हस्तांतरण के बारे में सूचित किया गया था। अत: खेल अवस्थापना संबंधी परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से वित्त पोषित की जानी हैं।

[हिन्दी]

नेत्रदान

3351. श्री चन्द्र भान सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष एक लाख नेत्रों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा नेत्रदान करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने और उनमें जागरूकता पैदा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या देश में इस समय 1.25 करोड़ लोग नेत्रहीन हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या नेत्र विशेषज्ञों की राय में नेत्रहीनता के 80 प्रतिशत मामलों में उपचार किया जा सकता है;

(च) क्या उक्त मामलों के 60 प्रतिशत मामलों में नेत्रहीनता का मुख्य कारण मोतियाबिन्द है;

(छ) यदि हां, तो उपचार के बाद दृष्टि पाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है;

(ज) क्या हाल ही के वर्षों में नेत्र रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(झ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) कार्नियल दृष्टिहीनता के उपचार के लिए दान में प्राप्त नेत्रों की आवश्यकता होती है। कार्नियल फूली (ओपेसिटी) के पिछले रोगियों एवं नए रोगियों के उपचार हेतु प्रति वर्ष दान में प्राप्त एक लाख नेत्रों की आवश्यकता है। इस समय लगभग 25000 नेत्र एकत्र किए जाते हैं जिनको दोनों कार्नियों के खराब होने से हुए दृष्टिहीन व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किया जाता है।

(ग) लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और उनको नेत्र दान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

* प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा आयोजित करना।
* दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस एवं मुद्रित सामग्री के माध्यम से संदेश देकर जन जागरूकता बढ़ाना।
* नेत्रदान के लिए स्थायी रूप से बीमार व्यक्तियों के संबंधियों को प्रोत्साहित करने के लिए पीड़ा-परामर्श के बारे में अस्पताल के स्टाफ को प्रशिक्षित करना।
* सरकारी एवं स्वैच्छिक क्षेत्रों के नेत्र बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(घ) देश में 1.21 करोड़ दृष्टिहीन व्यक्तियों के होने का अनुमान है।

(ङ) जी, हां।

(च) जी, हां।

(छ) देश में मोतियाबिन्द आपरेशन के बाद दृष्टि प्राप्त करने की सफलता दर 90 प्रतिशत है।

(ज) नेत्र रोगियों में वृद्धि को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

इंडोर स्टेडियम की स्थापना

3352. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में इंडोर स्टेडियम स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक राज्य में प्रस्तावित इंडोर स्टेडियम हेतु स्थानों की पहचान कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) 'खेल' राज्य सूची का विषय है। राज्यों में इंडोर स्टेडियमों की स्थापना करना राज्य सरकारों, जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, की जिम्मेवारी है। भारत सरकार राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान करके 31.3.2005 तक इस दिशा में उनके प्रयासों को बढ़ावा देती थी। यह योजना 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई है और तदनुसार, खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं के लिए 2005-06 के बजट में कोई आबंटन नहीं किया गया है। इस प्रकार, खेल अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं के लिए नये प्रस्तावों को राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वित्त पोषित किया जाना है। इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को फरवरी, 2005 में सूचित किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना

3353. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:**
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री मोहन रावले:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना के अंतर्गत 195 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार केन्द्रीय सहायता की मंजूरी दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्तमान में यह परियोजना किस चरण में है; और

(च) उक्त को मंजूरी देने में हुए विलम्ब, यदि कोई है, के कारण परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड ने 195.50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव राष्ट्रीय तटीय संरक्षण-परियोजना (एनसीपीपी) में शामिल किए जाने हेतु जुलाई, 2002 में प्रस्तुत किया। उपर्युक्त प्रस्ताव में मुम्बई, मुम्बई उप नगर, थाणे, रायगढ़, रत्नगिरि तथा सिंधुदुर्ग जिले में 72.36 कि.मी. के समुद्र-कटाव-रोधन से संबंधित निर्माण-कार्य शामिल है।

(ग) से (च) चूंकि राष्ट्रीय तटीय संरक्षण-परियोजना बाहर से धन की व्यवस्था किए जाने का प्रयत्न करने की दृष्टि से तैयार की गई है, इसलिए तटीय संरक्षण के बारे में दृष्टिकोण-पत्र (एपरोच पेपर) तैयार किया गया है तथा योजना-आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है। योजना आयोग ने उपर्युक्त प्रस्ताव के बारे में बाहर से धन की व्यवस्था किए जाने की संभावना का पता लगाने के लिए यह मसला, आर्थिक कार्य-विभाग से उठाया है।

[हिन्दी]

बदरपुर विद्युत संयंत्र को कोयले की आपूर्ति

3354. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र को गत कुछ माह से इसकी मांग के अनुसार कोयले की नियमित आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक इस विद्युत संयंत्र को कुल कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई है और मांग और आपूर्ति में कितना अंतर है; और

(घ) इस विद्युत संयंत्र को इसकी मांग के अनुसार कोयले की नियमित आपूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस विद्युत संयंत्र ने न तो दीर्घावधि लिंकेज लिया है और न ही ईंधन आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान बदरपुर संयंत्र को कोयले की आपूर्ति नीचे दिए अनुसार है:-

(आंकड़े '000 टन में)

वर्ष	कोयला प्रेषण की मात्रा
2002-03	3511
2003-04	3674
2004-05	4004
2005-06 (जुलाई, 05 तक) अनंतिम	1366

(घ) एक अन्तर-मंत्रालयी उप-समूह नियमित आधार पर विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति की निगरानी रख रहा है। जब कभी किसी विद्युत स्टेशन को कोयले के स्टाक के संकट का सामना करना पड़ता है तो उप-समूह स्टाक बनाने के लिए कोयले की आकस्मिक ढुलाई के लिए निर्णय लेता है ताकि बिजली का उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। चूंकि बदरपुर तापीय विद्युत स्टेशन के पास सुनिश्चित कोयला स्टाक है (विद्युत स्टेशन पर औसतन 14 दिनों की अखिल भारतीय स्टाकहोल्डिंग की तुलना में 23 दिन का स्टाक) इसलिए इस संयंत्र के लिए कोयला स्टाक में वृद्धि करने के लिए इस समय कोई विशेष प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

वियाग्रा का दुष्प्रभाव

3355. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वियाग्रा के प्रयोग से कुछ लोगों में अंधापन हो सकता है जैसाकि दिनांक 28 मई, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय बाजार में फाइजर इन्क. द्वारा विनिर्मित उक्त औषधि अथवा इसके विकल्प की बिक्री की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) विदेशों में ऐसे कुछ उदाहरण मिले हैं, जहां उत्तेजना की कमी वाले रोगियों द्वारा वियाग्रा औषध (सिल्डेनाफिल सिट्रेट) लेने से उनमें दृष्टिहीनता होने का पता चला है। तथापि, दृष्टिहीनता के सूचित किए गए रोगियों में सिल्डेनाफिल के आकस्मिक प्रभाव नहीं पाए गए हैं।

(ख) इस समय देश में विभिन्न फर्मों द्वारा विभिन्न ब्रांड नामों से सिल्डेनाफिल सिट्रेट गोलियों का विपणन किया जा रहा है।

(ग) इस मामले की औषध तकनीक सलाहकार समिति द्वारा गहन जांच की गई थी। औषध तकनीक सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार मूत्रविज्ञानियों समेत चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करके इस मामले की जांच की जा रही है।

मानव स्वास्थ्य पर मास्क्वीटो मैट एवं कायल का प्रभाव

3356. डा. के. धनराजू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई निजी कंपनियां "मास्क्वीटो मैट एवं कायल" का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे विभिन्न ब्रांड नामों से बनाया जाता है और न तो इसके मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की और न ही इसकी गुणवत्ता की कोई जांच की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वैज्ञानिकों एवं तकनीकी पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण

3357. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन में वैज्ञानिक और तकनीकी पदों में भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के संबंध में सिफारिश की थी;

(ख) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से कुल जनसंख्या में इन समुदायों की जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 2001 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता क्रमश: 16.2% और 8.2% है। संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों पर सामान्यत: स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवारों की रुचि रहती है, पर सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण की मात्रा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जुलाई, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36017/1/2004-स्थापना (आरक्षण) द्वारा संशोधन किया गया है।

प्रबंधक प्रशिक्षुओं की भर्ती

3358. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न शाखाओं में प्रबंधक प्रशिक्षुओं की भर्ती करने का विज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापित पदों हेतु अर्हता परीक्षा में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत पचपन है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इससे इन समुदायों के अभ्यर्थियों की भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। एमटीएनएल अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक और हुनर संपन्न उद्योग के रूप में प्रचालन कर रहा है। अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर विश्व-स्तरीय सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए, एमटीएनएल को प्रौद्योगिकी और मानवशक्ति दोनों में अपने प्रतिस्पर्धियों को कड़ी प्रतिस्पर्द्धा देने की आवश्यकता है। अत: एमटीएनएल को अच्छे शैक्षिक रिकार्ड एवं दक्षता-प्राप्त कर्मचारियों/अधिकारियों/कामगारों को भर्ती करने और उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता है।

वर्ष 2002 में किए गए ऐसे ही कार्य के दौरान, ऐसी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का रिस्पांस उत्साहवर्धक था। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के केवल एक-एक अभ्यर्थी को छोड़कर, एमटीएनएल में सेवा का कार्य-भार संभालने वाले इन समुदायों के सभी अभ्यर्थियों ने अपनी अर्हता डिग्रियों में 55 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। अत: एमटीएनएल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अर्हता डिग्री में कम-से-कम 55 प्रतिशत अंक तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत अंक निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) विगत अनुभव को देखते हुए, जी नहीं। तथापि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को वर्तमान रिक्तियों के बारे में अधिक-से-अधिक जानकारी देने के लिए, एमटीएनएल ने ऐसे समाचार-पत्रों में विज्ञान प्रकाशित किए हैं जिनकी ऐसी समुदाय-विशिष्ट क्षेत्रों में अधिकतम पहुंच है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में मोबाइल कनेक्शनों की कमी

3359. श्री मनोरंजन भक्त: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बीएसएनएल मोबाइल कनेक्शनों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) बीएसएनएल के मोबाइल कनेक्शनों की कमी को कब तक पूरा करने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगोट, गाराचर्मा, कैमबैलबे, कमोर्टा, हटबे और कारनिकोबार क्षेत्रों में मोबाइल कनैक्शनों की कोई कमी नहीं है। तथापि, क्षमता संबंधी दिक्कतों के कारण, पोर्ट ब्लेयर नगर-निगम क्षेत्र में फिलहाल प्री-पेड सेल्युलर कनैक्शन प्रदान नहीं किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपने सेल्युलर नेटवर्क का विस्तर कर रहा है तथा पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड के प्री-पेड कनैक्शन की कमी को मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों और पत्तनों को हुई क्षति

3360. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
डा. राजेश मिश्रा:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री अवतार सिंह भड़ाना:
श्री रूपचन्द्र मुर्मू:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात में हाल में आई बाढ़ के कारण विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों और पत्तनों को हुई क्षति/हानि का कोई आंकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राजकोष को कितने अनुमानित राजस्व की हानि हुई;

(घ) राज्यों में कितने दिनों तक सड़क और पोत परिवहन बंद रहा; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) हाल की बारिश और बाढ़ के कारण विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को सतह पर मामूली क्षति से लेकर सड़क के टूटने जैसी बड़ी क्षति हुई है तथा पत्तनों को भी कुछ क्षति पहुंची है। विभिन्न राज्यों से अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार इससे संबंधित राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों और पत्तनों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए तत्काल मरम्मत कार्य किए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	अनुमानित क्षति करोड़ रु. में	यातायात में व्यवधान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13.00	रा.रा.-16 के 35 किमी. पर दो दिन
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.19	रा.रा.-52 पर 7 दिन
3.	असम	3.84	रा.रा.-52 पर 6 दिन
4.	बिहार	21.55	-
5.	छत्तीसगढ़	3.24	-
6.	गोवा	3.60	-
7.	गुजरात	49.94*	एनई-1 पर 30.06.2005 (सायं) से 2.7.05 और रा.रा.-8 (चिलोदा-अहमदाबाद-बडोदरा) पर 30.6.2005 से 2.7.2005 तक यातायात अवरुद्ध रहा।
8.	हरियाणा	2.00	-
9.	हिमाचल प्रदेश	43.18	रा.रा.-22 पर 26 जून, 2005 से सड़क बंद रही है।

1	2	3	4
10.	जम्मू-कश्मीर	2.36	–
11.	झारखंड	7.50	–
12.	कर्नाटक	10.00	–
13.	केरल	9.00	–
14.	मध्य प्रदेश	6.00	–
15.	महाराष्ट्र	79.2*	मुंबई पत्तन और जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर पोत प्रचालन और कार्गो संचालन सात दिन प्रभावित रहा। रा.रा.-7 पर वेनगंगा पुल पर 13 घंटों के लिए यातायात अवरुद्ध रहा।
16.	मणिपुर	11.26	–
17.	मेघालय	3.00	–
18.	मिजोरम	7.15	–
19.	नागालैंड	1.53	–
20.	उड़ीसा	18.37	रा.रा.-23 और 215 पर कुछ घंटों के लिए
21.	पंजाब	1.00	–
22.	राजस्थान	0.50	–
23.	सिक्किम	0.14	–
24.	तमिलनाडु	38.62	–
25.	त्रिपुरा	0.30	–
26.	उत्तरांचल	8.00	–
27.	उत्तर प्रदेश	10.88	रा.रा.-76 पर दो दिन

* इसमें पत्तन को हुई क्षति भी शामिल है।

[हिन्दी]

कोयला डिपो

3361. श्री कैलाश मेघवाल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की सभी तहसीलों में कोयला डिपो खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कोयला डिपो की स्वीकृति हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) इसकी एजेन्सी प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है; और

(ङ) बिहार में ऐसे कितने कोयला डिपो चल रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

समूह 'क' के अधिकारियों की पदोन्नति

3362. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों की पदोन्नति के प्रयोजनार्थ कम से कम कितनी गोपनीय रिपोर्टों की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या किसी अधिकारी जिसके पास पांच से कम गोपनीय रिपोर्ट हैं और उनमें ग्रेड एक ही तरह का हो तो उसे उपलब्ध गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर पदोन्नति दी जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अधिकारियों को पदोन्नति केवल गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर ही दी जाती है अथवा पदोन्नति के प्रयोजनार्थ अधिकारियों के "सेवा रिकार्ड" को पूरी तरह से देखा जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो "सेवा रिकार्ड" संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, पदोन्नति के लिए मूल्यांकन, पिछले पांच वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर किया जाना होता है जो रिक्ति होने/पैनल तैयार किए जाने वाले वर्ष से पूर्व के वर्षों में उपलब्ध होंगी।

(ख) और (ग) सामान्यत:, मूल्यांकन पिछली पांच गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर किया जाना होता है। तथापि, यदि मौजूदा ग्रेड और निचले ग्रेड की सभी गोपनीय रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् भी पांच गोपनीय रिपोर्टें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उपलब्ध गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाए।

(घ) और (ङ) पिछली पांच गोपनीय रिपोर्टों के सैट के अतिरिक्त, पिछले दस वर्ष के दौरान अधिकारी पर लगाई गई शास्तियां, यदि कोई हों, के ब्यौरे के रूप में सेवा रिकार्ड, सतर्कता अनापत्ति इत्यादि पर भी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

झारखंड में केन्द्रीय प्रायोजित स्पोर्ट्स स्कीम

3363. श्री सुनिल कुमार महतो:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में स्पोर्ट्स से संबंधित कोई केन्द्र प्रायोजित योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के लिए क्या मार्गनिर्देश जारी किये गए हैं; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी राशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) "खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान" और "सिंथेटिक खेल सतहों को बिछाने के लिए अनुदान" की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर अनुमोदित पैटर्न के अनुसार, खेल सुविधाओं के सृजन के लिए 31.3.2005 तक केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। 10वीं योजनावधि के दौरान 31.3.2005 तक उपर्युक्त योजनाओं के तहत झारखंड के लिए अनुमोदित/जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

झारखंड (अनुमोदित परियोजनाओं) की स्थिति 31.3.2005

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	सिद्धांत रूप में अनुमोदित धनराशि	जारी की गई धनराशि
1	2	3	4
1.	जिला खेल परिसर, हजारीबाग में अतिरिक्त सुविधाएं	35.45	30.00

1	2	3	4
2.	जिला खेल परिसर, हजारीबाग में तरणताल श्रेणी-3 और इंडोर स्टेडिम श्रेणी-2	64.55	–
3.	बरही, जिला हजारीबाग में इंडोर स्टेडिम श्रेणी-2	42.85	–
4.	रामगढ़, जिला हजारीबाग में इंडोर स्टेडियम	60.00	–
5.	जमशेदपुर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक	100.00	100.00

सरकार ने 1.4.2005 से खेल अवस्थापना संबंधी योजनाएं राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था और तदनुसार, इन योजनाओं के लिए 2005-2006 के बजट में कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। सभी राज्य सरकारों को इन योजनाओं के हस्तांतरण के संबंध में फरवरी, 2005 में सूचित कर दिया गया था। इस प्रकार, चालू परियोजनाओं को पूरा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, योजना आयोग ने हाल ही में सूचित किया था कि चालू अनुमोदित खेल परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी। धनराशि की उपलब्धता होने पर, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपूर्ण स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों से अपेक्षित दस्तावेज नामत: उपयोगिता प्रमाण-पत्र, प्रगति रिपोर्ट, समापन प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त होने पर स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता जारी करने पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

धनराशि का कथित दुरूपयोग

3364. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.ए.जी. की अद्यतन रिपोर्ट में वर्ष 2002-03 के दौरान विदेश सचिव के आवास के लिए फर्नीचर और साज-सज्जा पर 41 लाख रुपए व्यय करने पर कड़ी आपत्ति जताई गई है जैसा कि दिनांक 9 मई, 2005 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कथित अनियमितताओं की जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) इसके लिए किस व्यक्ति को जिम्मेदार पाया गया है;

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे परिहार्य व्यय को प्रोत्साहन न दिये जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या इस संबंध में कोई मार्गनिर्देश पहले से ही मौजूद हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मार्गनिर्देशों के उल्लंघन के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (छ) जुलाई, 1987 में, सरकार ने 3 सरकुलर रोड को विदेश सचिव के सरकारी आवास के रूप में निर्दिष्ट करने का निर्णय लिया और विदेश मंत्रालय को इस निर्दिष्ट मकान के आतिथ्य क्षेत्र को सज्जित करने की अनुमति दी गई थी। यह विशेष छूट विदेश सचिव द्वारा अपने सरकारी आवास पर वरिष्ठ राजनयिकों एवं विदेशी हस्तियों से मिलने तथा आदर-सत्कार करने के विशेष उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। फर्नीचर का कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया गया है। तदनुसार, कार्यात्मक आवश्यकताओं को देखते हुए आवास के आतिथ्य क्षेत्र को सज्जित किया गया था। इस संबंध में कोई अनियमितता या मानदण्डों का उल्लंघन नहीं किया गया था। फिर भी, विनिर्दिष्ट रूप से निर्धारित पैमाने के अभाव में, लेखा-परीक्षा में आपत्ति उठाई गई थी जिसे सी.ए.जी. की रिपोर्ट में शामिल किया गया था। मंत्रालय ने इस रिपोर्ट में उठाए गए सभी मामलों का उत्तर/स्पष्टीकरण संबद्ध प्राधिकारियों को दे दिया है।

[हिन्दी]

विदेशों में आयुर्वेद को प्रोत्साहन

3365. श्री बापू हरी चौरे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में आयुर्वेद को लोकप्रियता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विदेशों में आयुर्वेदिक पद्धति को प्रोत्साहित करने हेतु देशवार क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पामावाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां।

भारत सरकार विदेश में आयुर्वेद के संवर्धन और प्रचार-प्रसार के लिए प्रयासरत है। 1995 में एक पृथक् भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग की स्थापना के पश्चात् प्रयासों में और तेजी आई है। विभाग का आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग के रूप में पुनर्नामकरण किया गया है। सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार से हैं:-

* इन पद्धतियों के औषधि विनिर्माताओं और चिकित्साभ्यासियों के साथ भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विदेश में प्रस्तुतीकरण सह-प्रदर्शनी में भी भाग लिया है। विभाग ने विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 2003 और 2004 में जीनेवा में संगोष्ठी सह-प्रदर्शनी का आयोजन किया इसमें आयुष औषधि उद्योग की सहभागिता और आयुष औषधियों की प्रदर्शनी से अत्यधिक रुचि उत्पन्न हुई। उद्योग की सहभागिता और उनके उत्पादों की प्रदर्शनी से अधिक अभिरुचि उत्पन्न हुई।

* भारतीय चिकित्सा पद्धति में बढ़ती अभिरुचि को देखते हुए, विदेशी नागरिकों के लिए चयनित शैक्षणिक संस्थानों में सीमेंट आरक्षित की गई हैं। भारत में पारंपरिक चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए विम्सटेक देशों के छात्रों हेतु 30 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।

* बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बाहर के देशों के व्यावसायिकों हेतु विशेष पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें यूएसए, पोलैंड, जर्मनी, ब्राजील आदि से संव्यावसायिक भाग ले रहे हैं।

* सहयोगात्मक अनुसंधान प्रस्तावों की पहचान और प्रतिपादन करने के लिए नई दिल्ली में 20-24 अक्तूबर, 2003 के दौरान राष्ट्रीय पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा केन्द्र (एनसीसीएएम) राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच), यूएसए और आयुष विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान पर एक भारतीय-अमरीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

* माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और सचिव ने अंतर्राष्ट्रीय एशियाई चिकित्सा अध्ययन एसोसिएशन (आईएएसटीएएम) के तत्वावधान में अगस्त, 2002 को हाल (साल) जर्मनी में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक एशियाई चिकित्सा सभा में भाग लिया। प्रतिभागियों ने सभा में भारतीय चिकित्सा पद्धति की क्षमता, उसकी वृहद् अवसंरचना, इन पद्धतियों से संबद्ध विनियामक निकायों, औषधियों, मानकीकरण और अनुसंधान सामर्थ्य के महत्व को भली-भांति समझा।

* सचिव (आयुष) ने 10-14 अक्तूबर, 2003 के दौरान कैसट्राप-राक्सल में आयुर्वेद अकादमी के उद्घाटन में भाग लिया, स्वास्थ्य मंत्रालय, नार्डम-वेस्टफ्लेन के पदाधिकारियों से मुलाकात की और अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया।

* सचिव (आयुष) ने आयुष की क्षमता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और आयुर्वेद का प्रचार करने के प्रयोजनार्थ 25 जून से 1 जुलाई, 2003 के दौरान आर्मीनिया और जार्जिया का दौरा किया। उन्होंने आर्मीनिया के उप स्वास्थ्य मंत्री और उप मंत्री, श्रम, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य मंत्री, जार्जिया से परिचर्या की। दोनों ही देशों में अपने यहां स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए आयुर्वेद को अपनाने में अपनी रुचि दिखाई।

* वर्ष 2000 से दिल्ली में आरोग्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, चीन और नेपाल ने आरोग्य 2004 में भाग लिया।

* संयुक्त सचिव (आयुष) ने अक्तूबर, 2004 में मास्को में रूस-भारत आईएलटीपी आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र से संबद्ध संयुक्त समिति की बैठक में भाग लेने के लिए रूस का दौरा किया। उन्होंने रूस में आयुर्वेद के संवर्धन पर भी चर्चा की।

* आयुष विभाग ने नई दिल्ली में नवम्बर, 2003 में आयोजित सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान प्रभावी प्रस्तुति की। सम्मेलन के दौरान पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के संबद्ध राष्ट्रीय नीति/कार्यक्रम, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति औषध गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानकीकरण से संबद्ध समस्याओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर परिचर्चा की गई।

* जनवरी, 2004 में नई दिल्ली में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान भारतीय पारंपरिक चिकित्सा क्षमता को प्रदर्शित करने वाले मंडप लगाए गए। इस

अवसर, पर आयुष विभाग के क्रियाकलापों से संबद्ध एक विस्तृत टिप्पण बांटा गया और आयुर्वेद पर एक फिल्म दिखाई गई।

* सेंट अगस्टीन, पोर्ट आफ स्पेन, त्रिनिदाद में हर्बल मेडिसिन एडवांसिंग कैरिबियन हर्बस इन 21 सेंचुरी पर आयोजित छठी कार्यशाला के प्रथम वैज्ञानिक सत्र में आयुर्वेद-दि हैल्थ केयर लिगेसी आफ इंडिया विषय पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान किया गया।

* जून, 2003 को कोबे, जापान में ग्लोबल एटलस आफ ट्रेडिशनल मेडिसिन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित बैठकों में भारी संख्या में विशेषज्ञ एवं पदाधिकारी शामिल हुए।

* 2-6 दिसंबर, 2003 से क्वालालम्पुर, मलेशिया में पुत्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इंक्रिडिबल इंडिया-2003 पर आयोजित प्रदर्शनी में एक आयुर्वेदिक मंडप लगाया गया।

खेसारी दाल से प्रतिबंध को हटाना

3366. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने खेसारी (लाखोड़ी) दाल से प्रतिबंध हटाने के संबंध में केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) खेसारी दाल पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने खेसारी दाल पर प्रतिबंध हटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में खेसारी दाल की बिक्री पर से प्रतिबंध वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। तथापि, चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने खेसारी दाल के हानिकारक नहीं होने के बारे में कोई नए तथ्य/निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित इस समय खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम 44-क के तहत लागू "बिक्री पर प्रतिबंध" को उठाने संबंधी प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ।

(ग) खेसारी दाल की बिक्री को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के उपबंधों के तहत प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि इसमें ट्राक्सिन (बीओएए) तत्व की मौजूदगी के कारण इसके सेवन से "लैथिरिज्म" रोग हो जाता है जिससे अपंग कर देने वाला लकवा हो जाता है।

कृषि मंत्रालय के अनुमोदन से सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग सह महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा खेसारी दाल पर गठित उच्च अधिकार समिति ने गहराई से इस विषय की जांच की है तथा निम्नलिखित अनुशंसा की हैं:-

"1. यह स्पष्ट है कि खेसारी (लैथिरस सटिक्स) जिसमें बी-एन आक्सालाइल अमिनो अलैनाइन (बीओएए) होता है, के लगातार सेवन से लैथिरिज्म हो जाता है।"

2. उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि खेसारी के उपयोग की विशेष मात्रा निर्धारित करने के लिए अवसीमा स्तर अभी निर्धारित किया जाना है इसलिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे और अनुसंधान एवं आकड़ा संग्रहण का कार्य करना आवश्यक हैं।

कृषि संबंधी स्थायी समिति ने 8.11.2001 को आयोजित बैठक में खेसारी दाल संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रीनगर भ्रमण के लिए एल.टी.सी.

3367. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान आज तक केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' और 'ख' के कुल कितने कर्मचारी कश्मीर गए और नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच नेशनल कैरियर द्वारा कश्मीर घाटी में घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए एल.टी.सी. का लाभ उठाया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कर्मचारियों को वास्तविक रूप से कुल कितने विमान किराये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' और 'ख' के कर्मचारियों को छुट्टी-यात्रा-रियायत का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान किए जाने और उनके दावों की प्रतिपूर्ति करने की शक्तियां संपूर्ण भारत में स्थित संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के नियंत्रण अधिकारियों में निहित हैं। अत: इस बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

डब्ल्यू.सी.एल. की खानों को हुए घाटे

3368. श्री सुबोध मोहिते: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदर्भ और मध्य प्रदेश में फैली वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की 65 में से 37 कोयला खानें भारी घाटे उठा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे घाटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा इन घाटा उठाने वाली खानों को लाभप्रद बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन प्रयासों के परिणामस्वरूप क्या नतीजा निकला?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार विदर्भ और मध्य प्रदेश में फैली वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) की 78 कोयला खानों में से 34 कानों में घाटा हो रहा था।

(ख) वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान घाटे में चल रही खानों द्वारा उठाए गए घाटे का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	2002-2003	2003-2004	2004-2005 (अनंतिम)
घाटे में चल रही खानों की सं.	49	44	34
घाटा (करोड़ रु. में)	424.22	395.09	233.53

(ग) इन घाटे में चल रही खानों को लाभप्रद बनाने के लिए डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं-

(1) जहां भी भू-खनन परिस्थितियां अनुमति दें, भूमिगत खानों का उत्तरोत्तर मशीनीकरण।

(2) खानों के समामेलन तथा परिवहन नेटवर्क को हालेज से बैल्ट कन्वेयर में परिवर्तित किए जाने के द्वारा घाटे में में चलने वाली खानों के पुनर्गठन।

(3) भूमिगत खानों में विशाल स्तर पर उत्पादन प्रौद्योगिकी अर्थात् कन्टीन्यूअस माइनर प्रौद्योगिकी को अंगीकृत किया जाना।

(4) जहां भी भू-खनन परिस्थितियां अनुमति दें, भूमिगत खानों को ओपनकास्ट खानों में परिवर्तित किया जाना।

(घ) दिनांक 1.4.2003 को कुल 49 खानें घाटे में चल रही थी। उपर्युक्त उपाय किए जाने के बाद दिनांक 1.4.2005 को घाटे में चल रही खानों की संख्या घटकर 34 रह गई।

बीएसएनएल द्वारा टाटा टैल में निवेश

3369. श्री सुरेश चाचमारे: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल द्वारा टाटा टैल में 1200 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) विदेश संचार निगम लि. (बीएसएनएल) द्वारा टाटा टेली सर्विसेज में 1200 करोड़ रुपये का निवेश करने के बारे में कोई जांच नहीं की गई थी। तथापि, सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने और निर्णय लेने के बाद विदेश संचार निगम लि. का टाटा टेलीसर्विसेज लि. में निवेश संबंधी अभिमतों का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति टाटा टैली सर्विसेज लि. में विदेश संचार निगम लि. की निवेश योजना से सहमत है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को संबोधित, निम्नलिखित माननीय संसद सदस्यों से, इस विषय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे:

(1) श्री सुरेश जी. वाघमारे

(2) श्री पुष्पदन एस. गढ़वी

(3) डा. वल्लभभाई कठीरिया

(4) श्री संजय शामराव धोत्रे।

(ङ) माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने उक्त सभी चार माननीय संसद सदस्यों को उपयुक्त उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस./आई.आर.एस. अधिकारियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

3370. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस./आई.आर.एस. अधिकारियों के मामले में प्रख्यात व्यक्तियों के पैनल द्वारा उनके कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली को आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पैनल गठित कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त पैनल की रिपोर्ट के आधार पर उनकी पदोन्नति होगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (च) अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन, पदोन्नति, पैनल बनाने और उनकी तैनाती की पद्धति की समीक्षा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सुरेन्द्र नाथ की अध्यक्षता में गठित दल की सिफारिशों के अनुकरण में अधिकारियों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए अनेक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक दल गठित किया जाना भी शामिल है। इस संबंध में राज्य सरकारों से उनकी राय मांगी गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के सिग्नल

3371. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पूरे देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर यातायात सिग्नल को स्थापित करने संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर समान रंग, समान अक्षर, आकार और अंतर्राष्ट्रीय मानक के यातायात सिग्नल में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कलर स्कीम, बोर्ड का आकार, अक्षरों का आकार, प्रयोग की जाने वाली सामग्री का किस्म आदि को शामिल करते हुए निर्धारित किए गए विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात संकेतों की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाती है।

स्मारक टिकट जारी करना

3372. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयम्बतूर के त्यागी एन.जी. रामास्वामी जोकि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और श्रमिक आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था के सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी करने की मांग लंबे समय से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जारी किए गए डाक-टिकटों का फिलैटलिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फिलैटलिक सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर विचार किया गया। जांच करने पर यह पाया गया कि प्रस्ताव वर्तमान में डाक-टिकट जारी करने के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है और प्रस्ताव की जांच के परिणाम से प्रस्तावकों को अवगत करा दिया गया है।

प्रथम प्रत्यारोपण अस्पताल की स्थापना

3373. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बैंगलोर में देश का प्रथम प्रत्यारोपण अस्पताल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अस्पताल में पेंक्रियास और छोटी आंत सहित सभी प्रकार के प्रत्यारोपण किए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रत्यारोपण पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है;

(ङ) क्या इस अस्पताल की स्थापना विदेशी एजेंसी के सहयोग अथवा केंद्रीय सहायता से की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

स्टैम सैल रिसर्च

3374. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टैम सैल रिसर्च के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या सकार के पास इस रिसर्च में विदेशी अनुसंधान/वाणिज्यिक संस्थाओं को शामिल करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्टैम सैल रिसर्च में शामिल संस्थाओं/केन्द्रों को अपनी विशेषज्ञता को विदेशों में निर्यात करने की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) आधुनिक चिकित्सीय और जैव-चिकित्सीय अनुसंधान में स्टैम सैल अनुसंधान की क्षमता को महसूस करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जैव प्रौद्योगिकी की विभाग ने जोरदार ढंग से सिफारिश की है कि स्टैम सैल अनुसंधान और इसके नैदानिकीय प्रयोगों को देश में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तथापि, इस बात पर जोर दिया गया कि नई प्रौद्योगिकी की किसी अनुसंधान को अनुमोदित करने से पहले पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। स्टैम सैल अनुसंधान के विनियमात्मक पहलुओं के बारे में दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और उसे जन परामर्श के लिए आई.सी.एम.आर. वेबसाइट पर रख दिया गया है। इनको प्राप्त सुझावों के आधार पर और स्टैम सैल अनुसंधान और चिकित्सा के बारे में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत दस्तावेजों के संदर्भ में अंतिम रूप दिया जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आगे सूचित किया है कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, जापान, चीन और सिंगापुर इत्यादि की अनुसंधान संस्थाओं को भी स्टैम सैल अनुसंधान में शामिल किया जा रहा है और मुम्बई में 18-21 सितम्बर, 2005 को स्टैम सैल अनुसंधान के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को आयोजित किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है जहां भारतीय वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों के साथ अन्योन्यक्रिया करने, विचारों का आदान-प्रदान करने और इस क्षेत्र में सुविज्ञता से परिचित होने का मौका मिलेगा। स्टैम सैल अनुसंधान के बारे में नीतिगत दस्तावेज को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि स्टैम सैल अनुसंधान एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु सहयोग की अनुमति शीर्ष समिति द्वारा विधिवत

अनुमोदित देशों में समुचित समझौता ज्ञापन सहित केवल एक संयुक्त प्रस्ताव के पश्चात् और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की जांच समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी।

उड़ीसा में सिम कार्डों की कमी

3375. श्री जुएल ओराम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में लैंडलाइन और मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या मोबाइल टेलीफोन के शुरू होने के बाद से लैंडलाइन टेलीफोन की मांग में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य में मोबाइल सिम कार्डों की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में लैण्डलाइन उपभोक्ताओं और मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या क्रमश: 7,66,391 और 7,78,478 है।

(ख) और (ग) टेलीफोन प्रयोक्ताओं में वायरलाइन सेवाओं की तुलना में वायरलेस सेवाओं के प्रति अधिक रुझान देखा गया है। इस समय उपभोक्ताओं का रूख वायरलैस सेवाओं की मोबिलिटी, लचीलेपन (फ्लैक्सिबिलिटी) और अनेक मूल्यवर्द्धित सेवाओं की उपलब्धता के कारण वायरलैस सेवों की ओर अधिक है। ऐसा केवल भारतीय दूरसंचार परिदृश्य में ही नहीं है बल्कि यह विश्वव्यापी घटना है। दूरसंचार के विकास में वायरलैस सेवाओं का अच्छा योगदान रहा है और वायरलाइन सेवा आधार की तुलना में वायरलैस सेवाओं में अधिक वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) सिमकार्ड उपलब्ध क्षमता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जाते हैं। क्षमता संबंधी दिक्कतों की वजह से भारत संचार निगम लि. के प्री-पेड सेल्यूलर कनेक्शनों के प्रदान करने का कार्य अस्थायी रूप से नियंत्रित किया गया है। भारत संचार निगम लि. 2005-06 के दौरान अपने सेल्यूलर नेटवर्क में 5 लाख लाइनों की वृद्धि कर रहा है और चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्री-पेड सिम कार्ड मांग पर उपलब्ध कराये जाने की आशा है।

[हिन्दी]

डीडीटी का उपयोग

3376. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री सूरज सिंह:
श्री रामचन्द्र पासवान:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी मात्रा में डीडीटी का उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डीडीटी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है;

(घ) क्या अधिक मात्रा में डीडीटी का उपयोग हानिकारक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार डीडीटी के उपयोग पर पुनर्विचार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) कृषि प्रयोजनों के लिए डीडीटी के प्रयोग पर 1989 से प्रतिबंध है। कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने महामारियों के फैलने के मामले में छोड़कर जन स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 10,000 एम.टी. तकनीकी डीडीटी प्रयोग करने की अनुमति विवरण-1 दी थी। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता की डीडीटी के अवशिष्ट की विद्यमानता कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रभावित करती है, को ध्यान में रखते हुए सचिवों की समिति द्वारा वर्ष 1997 में इस मुद्दे पर विचार किया गया था। क्योंकि डीडीटी देश में मलेरिया और कालाजार को नियमित करने के लिए एक कीटनाशक है, उसकी कम लागत और क्षमता को देखते हुए विशेष स्थानों (जहां कीटाणु डीडीटी के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं) पर उसका छिड़काव किया जाता है, सचिवों की समिति ने निर्णय लिया कि डीडीटी के प्रयोग को स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता के अधीन एक दल द्वारा संचालित किया जाए जिसमें कृषि और सहकारिता विभाग, जैव तकनीकी विभाग और योजना आयोग के प्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य

सेवा महानिदेशक शामिल होंगे। तदनुसार यह दल 29 जनवरी, 1997 को गठित किया गया था (विवरण-2)। पिछले चार वर्षों में मलेरिया और कालाजार के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त डीडीटी 50 प्रतिशत डब्ल्यूडीपी की मात्रा इस प्रकार है:-

वर्ष	डीडीटी 50 प्रतिशत डब्ल्यूडीपी की (मीट्रिक टन में) मात्रा		कुल
2001-02	5774	376	6150
2002-03	5800	242	6042
2003-04	6000	2208	8208
2004-05	6000	2500	8500

देश में डीडीटी का विनिर्माण मैसर्स हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड नामक एकमात्र विनिर्माता द्वारा किया जाता है जो कि भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

(घ) और (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डीडीटी की विषाक्तता की व्यापक रूप से समीक्षा की और अन्य बातों के साथ-साथ यह निष्कर्ष निकाला कि:-

* प्राप्त सूचना से मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों में घर के अंदर (इन्डोर) अपशिष्ट छिड़काव के कारण डीडीटी के दुष्प्रभावों का प्रमाण नहीं मिलता है।

* इसलिए इस समय, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण हेतु डीडीटी के इंडोर छिड़काव की मौजूदा नीति को विषाक्तता विज्ञान अथवा जानपदिक रोग विज्ञान के आधार पर बदलने का कोई औचित्य नहीं है।

(च) और (छ) सरकार पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुसार वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डीडीटी का प्रयोग कर रही है। धारा 26 के अनुसरण में 17 मई, 2004 से कार्यान्वित स्टाकहोम कन्वेशन के अंतर्गत डीडीटी को 12 परसिस्टेंट आर्गेनिक पाल्यूटेंटस की सूची में रखा गया है। भारत ने परसिस्टेंट आर्गेनिक पाल्यूटेंट्स संबंधी स्टाकहोम कन्वेशन पर 14 मई, 2002 को हस्ताक्षर किए और कन्वेशन को अभिपुष्ट करने के कदम उठाए।

परसिस्टेंट आर्गेनिक पाल्यूटेंटस संबंधी स्टाकहोम कन्वेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों और दिशानिर्देशों के तहत केवल रोग रोगाणु नियंत्रण हेतु ही डीडीटी के उत्पादन और प्रयोग की अनुमति देती है इस कन्वेशन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उल्लेख है:-

* केवल ऐसे पक्षों (कन्वेशन में शामिल) जिन्होंने डीडीटी के उत्पादन और/अथवा प्रयोग के बारे में सचिवालय को अपनी इच्छा जताई है, उन्हें छोड़कर डीडीटी के उत्पादन और प्रयोग को समाप्त कर दिया जाएगा।

* डीडीटी का उत्पादन और/अथवा प्रयोग करने वाला प्रत्येक पक्ष इसका उत्पादन और/अथवा प्रयोग केवल, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश तथा डीडीटी के प्रयोग संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार और अब संदर्भाधीन पक्ष के पास स्थानीय रूप से सुरक्षित प्रभावी और वहनीय कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, तभी करेगा।

* अपनी पहली बैठक शुरू होने और कम से कम उसके तीन साल बाद सम्मेलन में यह पक्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन से परामर्श लेकर वैज्ञानिक, तकनीकी, पर्यावरणिक और आर्थिक सूचना की उपलब्धता के आधार पर रोग-रोगाणु नियंत्रण हेतु डीडीटी की आवश्यकता और इसके निरंतर प्रयोग का मूल्यांकन करेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परसिस्टेंट आर्गेनिक पाल्यूटेंट्स संबंधी स्टाकहोम कन्वेशन के तहत रोग रोगाणु नियंत्रण हेतु डीडीटी के प्रयोग को जारी रखने का प्रस्ताव किया है और इसका समर्थन किया है।

विवरण I

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1989

एस.ओ. 378(ई)—भारत में ऐसे कीटनाशकों के लगातार प्रयोग की समीक्षा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी जिनके प्रयोग को अन्य देशों में या तो प्रतिबंधित कर दिया गया है या सीमित किया गया है।

इसलिए अब उक्त समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते हुए और कीटाणुनाशक अधिनियम, 1968 के तहत गठित पंजीकरण समिति के परामर्श से केन्द्रीय सरकार, कीटाणुनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करती है:-

1. कृषि में डीडीटी का प्रयोग एतदद्वारा बंद किया जाता है। पादप संरक्षण के कार्य हेतु डीडीटी के प्रयोग वाली विशेष परिस्थितियों में राज्य या केन्द्र सरकार मैसर्स हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड से इसे सीधे ही खरीद सकती है जिसका प्रयोग विशेषज्ञ सरकारी पर्यवेक्षण में किया जाना होता है।

2. महामारी के किसी बड़े प्रकोप को छोड़कर जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए डीडीटी के प्रति वर्ष 10,000 मिट्रिक टन प्रयोग को एतदद्वारा सीमित किया जाता है।

3. केन्द्र सरकार आगे यह आदेश देती है कि इस आदेश को लागू करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत विभिन्न रजिस्ट्रान्टों को पंजीकरण समिति द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र संशोधित/रद्द माना जाएगा।

4. यह भी आदेश दिया जाता है कि डीडीटी के विनिर्माण एवं आयात हेतु सभी पंजीकरण प्रमाण-धारकों को अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र 15 जून, 1989 तक सचिव पंजीकरण समिति, पादप संरक्षण संशोधन एवं भंडारण निदेशालय, एनएच-4, फरीदाबाद (हरियाणा) को वापस कर देना चाहिए।

5. तथापि, पंजीकरण प्रमाणपत्रों के अनुमोदन नहीं करने/ सही करने को इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघनों में मूल पंजीकरण प्रमाण-पत्र के आधार पर कार्य करने की अनुमति/अनुमोदन के रूप में नहीं लिया जाएगा।

6. निर्धारित तिथि तक जमा न किए गए प्रमाण-पत्रों को रद्द माना जाएगा।

हस्ता.

(बी. नरसिंहन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

विवरण II

सं. टी. 14020/10/94—मलेरिया

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 29 जनवरी, 1997

आदेश

विषय:- जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में डीडीटी के उपयोग के लिए दल का गठन।

सचिवों की समिति की 3 जनवरी, 1997 को हुई बैठक के कार्यवृत्त में निहित सचिवों की समिति के निर्देशों के अनुसरण में सचिव स्वास्थ्य विभाग, स्वाथ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डीडीटी के उपयोग का निर्धारण करने के लिए एक दल का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

2. इस दल का गठन इस प्रकार होगा:-

सचिव, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	-	अध्यक्ष
योजना आयोग के प्रतिनिधि	-	सदस्य
जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि	-	सदस्य
कृषि और सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि	-	सदस्य
स्वास्थ्या सेवा महानिदेशक	-	सदस्य
निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	-	सदस्य सचिव

3. इस दल के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे:-

(क) समीक्षा के आधार पर डीडीटी के उपयोग के बारे में पैरामीटरों को विनिर्दिष्ट करना।

(ख) जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में डीडीटी के लक्षित उपयोग के लिए प्रति वर्ष विनिर्दिश क्षेत्रों का पता लगाना।

4. अध्यक्ष के परामर्श से सदस्य-सचिव दल की बैठक की तिथि निर्धारित करेंगे तथा कार्यसूची परिचालित करेंगे जिसमें मलेरिया की घटनाओं और स्थानिकमारिता का स्थान विशिष्ट आधार पर तथा वैक्टर जनित छिड़काव की संभावना का अनुमान लगाया जाएगा। यह दल विशेष स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों जैसे बिहार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र जहां डीडीटी को लक्षित रूप में जारी रखा जा सकता है की जरूरतों पर विचार करेगा।

यह सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अनुमोदन से जारी है।

हस्ता.
(एम. कन्नन)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रति प्रेषित:-

1. सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
2. सचिव, योजना आयोग
3. सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग
4. सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
5. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक

6. निदेशक, एनएमईपी

7. निदेशक (श्री विजय छिब्बड), मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रति प्रेषित:-

1. राज्य मंत्री के निजी सचिव

2. अपर सचिव (स्वास्थ्य) के निजी सचिव

3. संयुक्त सचिव (आरएसडी) के निजी सचिव

4. स्वीकृति आदेश फाइल।

हस्ता.
(एम. कन्नन)
उप सचिव, भारत सरकार

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

3377. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये दुर्घटनाएं ट्रकों के कारण हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001 और 2002 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की संख्या संख्या क्रमश: 115824 और 131738 है।

जनसंख्या में वृद्धि, मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि और सड़क जगह (स्पेस) का विस्तार, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के कुछ कारण हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सन् 2001 में सभी सड़कों पर कुल 405637 दुर्घटनाओं में से 67515 दुर्घटनाएं और सन् 2002 में कुल 407497 दुर्घटनाओं में से 69571 दुर्घटनाएं ट्रकों की वजह से हुई थीं। केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रकों से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या से संबंधित सूचना इस मंत्रालय द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

(घ) सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोटर यान अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्यमार्ग डिजाइन के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।

(2) दृश्य-श्रव्य-प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में प्रचार अभियान।

(3) चालकों के प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के उपयोग को बढ़ावा देना।

(4) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(5) स्कूली बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए सड़क सुरक्षा विषय पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।

(6) परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस मानकों को कठोर बनाना।

(7) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना/सुधारना आदि।

पहाड़ी/दूरवर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं

3378. श्री सुरेश चन्देल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण, पहाड़ी, दूरवर्ती तथा सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषकर हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि दूरसंचार विभाग द्वारा दूरवर्ती क्षेत्रों में मंजूर किए गए दूरभाष केन्द्रों की स्थापना नहीं हो पाई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा देश के सभी गांवों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) राष्ट्रीय औसत की तुलना में दोष दर, ट्रंक क्षमता और दोष-मरम्मत आदि जैसे प्रमुख कार्य-निष्पादक संकेतकों के आधार पर, यह देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश दूरसंचार सर्किल के सुदूर/दूरवर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के अनुरक्षण सहित हिमाचल प्रदेश की दूरसंचार सेवाओं में कोई ह्रास नहीं है। विभिन्न कार्य-निष्पादन पैरामीटरों से संबंधित उपलब्धि विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजनाशुदा किसी भी एक्सचेंज को चालू करने का काम लम्बित नहीं है। तथापि, भारत संचार निगम लि. देश के प्रत्येक अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) को कवर करते हुए, बड़े पैमाने में वायरलैस-इन-लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी के एक्सचेंज लगाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, सुदूर क्षेत्रों के उन स्थानों में वायरलाइन ग्रामीण एक्सचेंज उपलब्ध कराया जा रहा है जहां प्रस्तावित एक्सचेंज स्थल के 5 कि.मी. के घेरे में 150 उपभोक्ताओं की न्यूनतम मांग हो।

(ङ) और (च) प्रशासक सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के कार्यालय ने नवम्बर, 2007 तक 66,822 सुविधा रहित गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया है। इसमें घने जंगलों में स्थित गांव, नक्सल प्रभावित क्षेत्र या 100 से कम जनसंख्या वाले गांव शामिल नहीं हैं। 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के 1002 सुविधा रहित गांवों में से 139 गांवों को वीपीटी प्रदान किए जा चुके हैं। शेष 863 गांवों को नवम्बर, 2007 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

विवरण

1. निष्पादन पैरामीटरों के संबंध में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (पहली तिमाही) के दौरान हिमाचल प्रदेश सर्किल और सम्पूर्ण भारत की उपलब्धि।

क्र.सं.	पैरामीटर प्रतिशत में	2001-02 में उपलब्धि		2002-03 में उपलब्धि		2003-04 में उपलब्धि		2004-05 में उपलब्धि		2005-06 (पहली तिमाही में उपलब्धि)	
		सम्पूर्ण भारत	हिमाचल प्रदेश	सम्पूर्ण भारत	हिमाचल प्रदेश	सम्पूर्ण भारत	हिमाचल प्रदेश	सम्पूर्ण भारत	हिमाचल प्रदेश	सम्पूर्ण भारत	हिमाचल प्रदेश
1.	दोष दर	11.6	10.90	9.90	10.10	8.4	9.90	7.60	10.10	7.10	9.61
2.	ट्रंक क्षमता	86.1	79.20	86.70	77.10	88.4	81.90	89.10	91.70	87.30	86.50
3.	सीसीआर										
	स्थानीय	57.95	55.57	57.40	48.80	57.86	55.95	59.89	60.74	59.53	57.30
	जंक्शन	47.32	27.77	46.40	31.00	47.88	37.06	54.18	35.58	54.45	38.73
	एसटीडी	38.30	28.94	38.30	28.70	40.57	32.93	43.70	32.38	47.39	33.80
4.	दोष मरम्मत										
	उसी दिन	65.50	81.00	70.50	81.70	75.78	78.98	77.30	81.80	77.10	83.20
	अगले दिन तक	85.80	94.50	88.00	92.30	90.29	95.19	90.20	95.50	90.30	94.70
	7 दिनों के भीतर	97.40	99.80	97.90	99.90	98.23	99.89	98.70	99.70	97.60	99.90
5.	दोष पुनरावृत्ति	1.50	1.27	0.99	0.23	0.87	0.12	0.58	0.06	0.59	0.05

2. वर्ष 2004-05 और 2005-06 की पहली तिमाही में हिमाचल दूरसंचार सर्किल के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों की दोष दर, अगले दिन तक दोष निपटान तथा 7 दिनों के भीतर दोष निपटान का ब्यौरा:-

क्र.सं.	पैरामीटर	2004-05		पहली तिमाही (2005-06)	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1.	दोष दर	10.45	9.95	9.96	9.26
2.	अगले दिन तक दोष निपटान	93.07	97.87	93.38	95.96
	7 दिनों के भीतर दोष निपटान	99.42	99.91	99.73	99.98

3. हिमाचल प्रदेश दूरसंचार सर्किल के सुदूर/दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था/अनुरक्षण में आने वाली समस्याएं/रुकावटें):-

(1) मूसलाधार वर्षा/भारी बर्फबारी/भू-स्खलन/तूफान/बाढ़ आदि जैसी मौसम संबंधी प्रतिकूल स्थितियां।

(2) तड़ित संभावित (लाईटनिंग प्रोन) क्षेत्र।

(3) दूर-दराज क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या।

(4) वर्षा ऋतु/शरद ऋतु में खराब मौसम के कारण अभिगम मार्ग (एप्रोच रोड) की कमी तथा सड़क का बंद होना।

(5) पर्वतीय/दुर्गम भू-भाग के कारण, बाह्य नेटवर्क मुख्यत: शिरोपरि तारों वाला है तथा मरम्मत के लिए सड़क से या पैदल जाना होता है जिसकी वास्तविक दूरी "हवाई दूरी (एरियल डिस्टेंस)" की तुलना में बहुत अधिक होती है।

[अनुवाद]

डाक विभाग में कम्प्यूटरीकरण

3379. श्री रेवती रमन सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग में कम्प्यूटरीकरण से कागजी कार्यवाही में कमी होने के स्थान पर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कम्प्यूटरीकरण से धोखाधड़ी और गबन की संभावनाएं भी पैदा हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, नहीं। जैसाकि डाक विभाग ने महसूस किया है कि कम्प्यूटरीकरण के बाद कागजी कार्यवाही में कमी आई है।

(ग) और (घ) डाक विभाग ने संभावित धोखाधड़ी और गबन से सुरक्षा के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपाय किए हैं। डाकघरों में फिलहाल इस्तेमाल होने वाले एप्लीकेशन साफ्टवेयर में कई अंतर्निर्मित सुरक्षा उपाय पहले से ही मौजूद हैं और इनमें लगातार सुधार किया जाता है। सभी कंप्यूटरीकृत डाकघरों में अनुपालन के लिए सुरक्षा संबंधी अनुदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

3380. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन": क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक प्रतिशतता में वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दर से कहीं कम है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000 से 2004 के दौरान देश में वर्ष-वार प्रति व्यक्ति आय में कितनी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ग) उपरोक्त स्थिति के परिणामस्वरूप देश में गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत जनसंख्या के जीवन स्तर में निगराट आई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) जी, नहीं।

(ख) 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 वर्षों के दौरान, औद्योगिक कामगारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इन वर्षों में क्रमश: 3.8%, 4.3%, 4.0%, 3.9% तथा 3.8% की वृद्धि के मुकाबले, देश में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में क्रमश: 6.0%, 7.7%, 6.8%, 10.2% तथा 10.7% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेवेली लिग्नाइट निगम को कोयले की आपूर्ति

3381. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश स्थित कोयला आधारित नेवेली लिग्नाइट निगम के विद्युत संयंत्र को उक्त परियोजना हेतु राज्य सरकार की मंजूरी के बावजूद भी कोयले की आपूर्ति की सहमति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सहमति न होने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किये जा सके;

(ग) यदि हां, तो उक्त सहमति प्राप्त करने में बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(घ) प्रचालनात्मक बनने के लिए किसी खान की परिपक्वता अवधि लम्बी होती है और यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। अत: इसके लिए कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है।

[अनुवाद]

राज्यों में भूमि सुधारों में प्रगति

3382. श्री हरि केवल प्रसाद:
श्री गिरधारी यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना में चिन्हित भूमि सुधारों को ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी के उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय माना गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने योजना मूल्यांकन में इस संबंध में प्रगति के प्रति अफसोस जताया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) भूमि सुधार देश में गरीबी उन्मूलन कार्यनीति की एक महत्वपूर्ण नीति रही है। दसवीं योजना में यह उल्लेख किया गया था कि जननांकीय कारकों, कृषि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और बाजार बलों के बढ़ते महत्व ने भूमि सुधार कार्यक्रम के मामले, जो मध्यस्थों की समाप्ति और पुनर्वितरण के लिए भू-जोत की सीमा से अतिरिक्त भूमि सृजित करने के लिए भू-जोत की अधिकतम सीमा में कमी करने पर केन्द्रित था, को अधिक कमजोर बना दिया है। इस योजना में सुझाव दिया गया था कि अधिक उत्साह के साथ भू-हदबंदी कानूनों को लागू करने, काश्तकारी की समस्याओं की पुन: जांच करने, जनजातीय अन्य संक्रामक की समस्या का समाधान करने और कृषि कार्यों को नारी सुलभ बनाने के संदर्भ में और अधिक लिंग अनुकूल कानूनों को शामिल करने की आवश्यकता है।

राज्य सरकारें भूमि सुधारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को लागू करती हैं। इन प्रावधानों में काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना, भू-जोतों की सीमा से अतिरिक्त भूमि की खोज करना और इसका वितरण करना, अन्य संक्रामित जनजातीय भूमि का पुन: स्थापन और सरकारी बंजर भूमि को गरीबों के बीच विरण करना शामिल है। राज्य सरकारों ने अब तक 156.30 लाख एकड़ भूमि क्षेत्र में 124.22 लाख काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार दिया है। इसी प्रकार, 57.46 लाख लाभभोगियों को 54.03 लाख एकड़ भू-जोत की सीमा से अतिरिक्त भूमि वितरित की गई है। गरीबों को 147.47 लाख एकड़ बंजर भूमि वितरित

की जा चुकी है। 31 मार्च, 2004 तक जनजातीय समुदाय को 4.47 लाख एकड़ अन्य संक्रमित जनजातीय भूमि बहाल की गई थी।

दसवीं योजना के माध्यवधि मूल्यांकन में इस बात को दोहराया गया है कि भूमि तक गरीबों की पहुंच बनाने के लिए भूमि सुधारों को जोरदार तरीके से जारी रखने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य देखरेख सेवा संबंधी प्रस्ताव लम्बित

3383. श्री अजीत जोगी:
श्री रामसेवक सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कतिपय जिलों में जापान सरकार की सहायता से मूलभूत स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं और मातृ एवं शिशु देखरेख संबंधी अस्पतालों के उन्नयन के संबंध में प्रस्ताव लम्बित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सरकार इसे कब तक अनुमति प्रदान कर देगी और इसके लिए धनराशि जारी कर देगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी ने मध्य प्रदेश के सागर मण्डल के कुछ जिलों में बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के उन्नयन के लिए परियोजना सूत्रीकरण (फार्मूलेशन) अध्ययन करवाया है।

(ख) इस अध्ययन का मूल उद्देश्य मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में प्रजनक स्वास्थ्य क्षेत्र के प्राथमिकता वाले मामलों की पहचान करना तथा प्रजनक स्वास्थ्य सुधार परियोजना के लिए परियोजना संबंधी रूपरेखा तैयार करना है। भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार, दोनों ने जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा किए गए अध्ययन को सुकर बनाया।

(ग) राज्य सरकार के जरिए जे.आई.सी.ए. द्वारा अन्तिम प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के पूर्व कार्यक्रम के अनुमोदन तथा निधियों को जारी करने पर विचार करना जल्दबाजी होगी।

[अनुवाद]

भारत में श्रीलंकाई व्यापार उद्यम

3384. श्री एम. शिवन्ना:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका का विचार बंगलौर में अपना पहला बोर्ड आफ इनवेस्टमेंट (बीओआई) कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) श्रीलंका के निवेश बोर्ड के कार्यालय (बीओआई) ने बंगलौर में अपना कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। बीओआई कार्यालय का उद्घाटन दिनांक 23 मई, 2005 को श्रीलंका के उद्योग, पर्यटन और निवेश संवर्द्धन मंत्री श्री अनूरा भंडारनायके द्वारा किया गया था। श्रीलंका सरकार बंगलौर स्थित अपने बीओआई कार्यालय के माध्यम से भारत से निवेश हेतु विभिन्न प्रयास कर रही है।

आईएएस/आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति

3385. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों की प्रतिवर्ष नियुक्ति और सेवानिवृत्ति होती है; और

(ख) इन सेवाओं में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान, सीधी भर्ती के द्वारा वर्ष-वार भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त किया गया था:-

भारतीय प्रशासनिक सेवा

वर्ष 2002	—	59
वर्ष 2003	—	71
वर्ष 2004	—	88

भारतीय पुलिस सेवा

वर्ष 2002	—	34
वर्ष 2003	—	54
वर्ष 2004	—	83

सेवाओं से सेवानिवृत्ति में त्यागपत्र अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति और 20/30 वर्ष की सेवा तथा 50 वर्ष की आयु के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्तियां शामिल हैं। यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को रोजगार और सेवा की आकर्षक शर्तें दी जा रही हैं। दोनों अखिल भारतीय सेवाएं देश की प्रमुख सेवाओं से संबंधित होने के कारण निःसंदेह प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सहज ही आकर्षित करती हैं।

सर क्रीक मुद्दा

3386. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 2005 में भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर सर क्रीक संबंधी सीमा विवाद पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) उक्त मुद्दे के समाधान हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समतल क्षेत्र में लगे सीमा-खंभों का जनवरी, 2005 में संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था। सरक्रीक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के चिन्हांकन पर विचार-विमर्श करने के लिए संयुक्त वार्ता रूप रेखा के अंतर्गत सर क्रीक मामले पर 28-29 मई, 2005 को रावलपिंडी में वार्ता की गई। कोई अंतिम रूप से सहमति नहीं बन सकी। तथापि, दोनों देशों के आपसी हित के लिए दोनों पक्ष मामले के शीघ्र हल के लिए अपने विचार-विमर्श जारी रखने पर सहमत हुए।

[हिन्दी]

औद्योगिक क्षेत्र में घटता पूंजी निवेश

3387. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य में अपने विस्तार के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्र में सरकार द्वारा किये जाने वाले नव पूंजी निवेश में गत वर्षों से लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो 2000-01 से 2004-05 के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में कितना अतिरिक्त पूंजी निवेश किया है; और

(घ) औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा तैयार राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (2005) के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र में सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) निम्नलिखित है:

वर्ष	औद्योगिक क्षेत्र* में सकल निवत पूंजी निर्माण (करोड़ रुपये)	
	प्रचलित मूल्यों पर	स्थिर (1993-94) मूल्यों पर
2000-01	49114	30827
2001-02	53067	31209
2002-03	54319	30634

*इसमें खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति एवं निर्माण शामिल हैं।

पूंजी निर्माण की सूचना केवल, 2002-03 तक के लिए ही उपलब्ध है। जैसा कि देखा जा सकता है कि सकल नियत पूंजी निर्माण के प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि हुई है, तथापि, स्थिर मूल्यों पर इसमें उतार-चढ़ाव दिखाई पड़ता है।

(घ) सरकार ने, औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें निम्नलिखित कार्यनीतियां शामिल हैं।

* राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसईज) की पुनः बहाली एवं पुनर्संरचना करना।
* अवसंरचना क्षेत्र की उच्च प्राथमिकता जो औद्योगिक उत्पाद के लिए मांग का सृजन करेगी और औद्योगिक निवेश को प्रेरित भी करेगी।
* पीएसईज, में निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में अवरोधों को हटाना।
* निवेश आयोग की स्थापना।
* राजकोषीय प्रोत्साहन देना, जैसे निगम कर और निर्यात शुल्क दर को कम करना।

[अनुवाद]

सामुदायिक सूचना केन्द्र

3388. श्री पी.सी. थामस: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम्युनिटी इंफार्मेशन सेंटर खोलने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल ने 'अक्षय' नामक योजना लागू की है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह वहां चलाई गई सूचना प्रौद्योगिकी योजना से संबंधित है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त योजना को सी.आई.सी. में शामिल करने का है;

(च) क्या केरल सरकार ने भी इसके लिए केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सफदरजंग अस्पताल में नैदानिक परीक्षण सुविधाओं का अभाव

3389. श्री सज्जन कुमार:
श्री रघुनाथ झा:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी प्रयोगशालाओं के एजेंटों की सफदरजंग अस्पताल में भरमार है जैसाकि दिनांक 25 मई, 2005 के हिन्दी 'जनसत्ता' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या नैदानिक परीक्षण सुविधाओं के न होने के बहाने से रोगियों को ये परीक्षण इन निजी प्रयोगशालाओं से करवाने पड़ते हैं;

(घ) यदि हां, तो यथास्थिति के अनुसार सफदरजंग अस्पताल में अनुपस्थित चिकित्सीय उपस्करों/मशीनों/परीक्षण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन कमियों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पागावाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) यह कहना ठीक नहीं है कि सफदरजंग अस्पताल में निजी प्रयोगशालाओं के एजेंटों ने अपनी पैठ बना ली है। सफदरजंग अस्पताल के औषधि प्रयोगशाला, जैव रसायन, माइक्रोबायोलाजी, हिस्टोपैथालाजी, रक्त बैंक, रेडियोलाजी और हेमैटोलाजी विभाग में विभिन्न जांचें की जाती हैं। रोगियों के पास अपनी जांच बाहर से कराने का विकल्प भी मौजूद होता है। उपरि उल्लिखित विभागों में प्रतिदिन लगभग 6510 जांचें की जाती हैं। इसके अतिरिक्त आपातकालीन विभाग में ईजीसी, एक्स-रे,

सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सहित विभिन्न तरह की जांचों के लिए एकल खिड़की प्रणाली भी कार्यरत है। तथापि, जिन जांचों से संबंधित सुविधा सफदरजंग अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें बाहर से कराने की सलाह रोगियों को दी जाती है। के.स. स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को ये जांचें के.स.स्वा. योजना के तहत मान्यताप्राप्त केन्द्र से कराने की सलाह दी जाती है। उपलब्ध और अपेक्षित संसाधनों के आधार पर पुराने/बेकार उपकरणों की जगह अद्यतन और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का प्रापण एक सतत प्रक्रिया है।

इंटरनेट प्रोटोकोल टेलीविजन आरंभ करना

3390. श्री चाडिगा रामकृष्णा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अग्रणी दूरसंचार कंपनियां अधुनातन ब्राड बैण्ड प्रौद्योगिकी वाले आईपीटीवी (इंटरनेट प्रोटोकोल टेलीविजन) उतारने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक आरंभ कर दिया जायेगा;

(घ) क्या यह सुविधा एमटीएनएल के उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध होगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी दिशा-निर्देश क्या हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन सुविधाओं के फलस्वरूप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के टीवी दर्शकों को क्या लाभ होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) इंटरनेट प्रोटोकोल-टेलीविजन (आईपी-टीवी) एक नई प्रौद्योगिकी है और बहुत-से दूरसंचार लाइसेंसधारक कथित रूप से अपने व्यावसायिक प्रयोग हेतु इस प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन कर रहे हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा आईपी-टीवी सहित किसी भी नई प्रौद्योगिकी-रोल-आऊट का विस्तार तब किए जाने की संभावना है जब भारतीय बाजार में प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता और संभाव्यता का पता लगा लिया जाएगा और लाइसेंसिंग और विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली जाएगी।

(छ) इस सेवा से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी के दर्शकों को निम्नलिखित लाभ होने की संभावनाएं हैं:-

(1) अधिक किफायती पैकेज जिनमें ब्राडबैण्ड इंटरनेट अभिगम्यता और टीवी सेवाएं शामिल हैं।

(2) बेहतर गुणवत्ता।

(3) सुविधाजनक समय पर कार्यक्रम देखने की सुविधा।

(4) उपभोक्ताओं को उनकी दूरसंचार व मनोरंजन की आवश्यकताओं के संबंध में केवल एक ही बिल।

कैंसर संस्थान का पुनरुद्धार

3391. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने पूर्वोत्तर परिषद और असम सरकार के साथ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी के पुनरुद्धार हेतु त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों में ऐसे ही नैदानिक परीक्षण केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग, ने मुख्यत: पूर्वोत्तर क्षेत्र के रोगियों के लिए सभी प्रकार के कैंसर के निदान तथा उपचार की सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए भी सुविधाएं देने के उद्देश्य से, डा. भुवनेश्वर बरुआ कैंसर संस्थान (बीबीसीआई), गुवाहाटी को वित्तीय सहायता देने के लिए पूर्वोत्तर परिषद और असम सरकार के साथ 2004-2005 से 2008-2009 तक की अवधि के लिए 8.9.2004 को एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्य के लिए कुल वित्तीय देयताएं 5019.06 लाख रुपए (आवर्ती 2929.67 लाख रुपए और अनावर्ती 2089.39 लाख रुपए) बैठती हैं। आवर्ती व्यय का वहन पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) और असम सरकार द्वारा क्रमश: 70% और 30% के अनुपात में किया जाएगा। अनावर्ती व्यय का वहन परमाणु ऊर्जा विभाग और पूर्वोत्तर परिषद द्वारा बराबर-बराबर (प्रत्येक 50%) रूप से किया जाएगा।

(ग) कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

एन.एल.सी. का विनिवेश

3392. श्री सुनील खां: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नेयवेली लिग्नाइट निगम में सरकारी इक्विटी का विनिवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. में सरकारी इक्विटी का, विनिवेश करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु धनराशि

3393. श्री पी. करुणाकरन:
श्री राकेश सिंह:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में स्थिति राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2005-2006 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के नए निर्माण और मरम्मत के लिए राज्य-वार और परियोजना-वार प्रति किलोमीटर आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान पूरे किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण अथवा मुख्य कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए धनराशि का आबंटन राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पर भी निर्भर नहीं करता अपितु भूभाग की किस्म, लेन की चौड़ाई, यातायात की सघनता, मृदा की किस्म, क्षति की सीमा, निर्माण सामग्री के स्रोत की दूरी, बारिश की मात्रा और धनराशि की उपलब्धता आदि पर भी निर्भर करता है। राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि राज्य वार आबंटित की जाती है न कि परियोजना/कि.मी. वार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)/सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि राज्य-वार आबंटित नहीं की जाती है। उपर्युक्त के आधार पर 2005-06 के दौरान राज्य लो.नि.वि. के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित धनराशि के राज्य वार ब्यौरे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)/सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को आबंटित धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। 2005-06 के दौरान राज्य लो.नि.वि. के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए आबंटित धनराशि और एनएचएआई द्वारा जुलाई, 2005 तक जारी व्यय के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। बीआरओ के प्रभार के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के संबंध में प्रति किलोमीटर आबंटित धनराशि सड़क की चौड़ाई पर आधारित है जो 33,500 रु. से 70,200 रु. के बीच होती है।

(ग) चालू वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान संभावित रूप से पूरे होने वाले मुख्य कार्यों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण I

देश में राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई (किमी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221 और 222	4472
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए और 153	392

1	2	3	4
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154	2836
4.	बिहार	2, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110	3537
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216, 217, 111 और 221	2184
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	72
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9.	गुजरात	एनई-1, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59 और 113	2871
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए और 71बी	1468
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 21, 21ए, 22, 70, 72, 88 और 73ए	1208
12.	जम्मू-कश्मीर	1ए, 1बी और 1सी	823
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	1805
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212 और 218	3843
15.	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	1440
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 79, 86, 86ए और 92	5069
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211 और 222	4176
18.	मणिपुर	39, 53, 105 और 155	959
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	810
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21.	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3704
23.	पाण्डिचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557
25.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 11बी, 12, 14, 15, 65, 71बी, 76, 79, 79ए, 89, 90, 112, 113, 114 और 116	5585
26.	सिक्किम	31ए	62
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219 और 220	4183

1	2	3	4
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29.	उत्तरांचल	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 87 विस्तार और 125	1991
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97 और 119	5599
31.	पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 31ए, 31सी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	2325
32.	अंडमान और निकोबार	223	300

विवरण II

देश में राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

(क) 2005-06 के दौरान राज्य लो.नि.वि. के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि का आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटन (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	86.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.00
3.	असम	61.50
4.	बिहार	79.00
5.	चंडीगढ़	2.00
6.	छत्तीसगढ़	53.70
7.	दिल्ली	5.50
8.	गोवा	5.50
9.	गुजरात	69.77
10.	हरियाणा	47.00
11.	हिमाचल प्रदेश	42.00
12.	झारखंड	35.00
13.	कर्नाटक	74.61
14.	केरल	55.96
15.	मध्य प्रदेश	99.03
16.	महाराष्ट्र	100.65
17.	मणिपुर	16.07
18.	मेघालय	26.21
19.	मिजोरम	21.50
20.	नागालैंड	11.00
21.	उड़ीसा	67.63
22.	पाण्डिचेरी	5.00
23.	पंजाब	49.01
24.	राजस्थान	75.36
25.	तमिलनाडु	90.91
26.	उत्तरांचल	25.06
27.	उत्तर प्रदेश	139.30
28.	पश्चिम बंगाल	256.30
29.	अंडमान और निकोबार	5.00

(ख) 2005-06 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आबंटित धनराशि

1.	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	7669.74

(ग) 2005-06 के दौरान सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को आबंटित धनराशि

1.	राष्ट्रीय राजामार्गों का विकास	865.00

विवरण III

2005-06 के दौरान अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि का आबंटन

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य लो.नि.वि. के माध्यम से अनुरक्षण व मरम्मत के लिए धनराशि का आबंटन	जुलाई, 2005 तक एनएचएआई द्वारा जारी धनराशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	32.76	2.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.32	0.00
3.	असम	25.08	16.33
4.	बिहार	30.78	2.12
5.	चंडीगढ़	0.50	0.00
6.	छत्तीसगढ़	19.03	0.00
7.	दिल्ली	0.42	0.00
8.	गोवा	2.55	0.00
9.	गुजरात	27.00	1.75
10.	हरियाणा	10.52	8.73
11.	हिमाचल प्रदेश	14.70	0.08
12.	जम्मू-कश्मीर	0.42	0.00
13.	झारखंड	17.96	0.00
14.	कर्नाटक	33.60	1.53
15.	केरल	14.85	1.34
16.	मध्य प्रदेश	54.14	2.84
17.	महाराष्ट्र	42.50	2.16
18.	मणिपुर	10.08	0.00
19.	मेघालय	8.63	0.00
20.	मिजोरम	4.33	0.00
21.	नागालैंड	3.44	0.00
22.	उड़ीसा	34.56	0.00
23.	पाण्डिचेरी	0.80	0.00
24.	पंजाब	18.68	1.41
25.	राजस्थान	45.54	14.38
26.	तमिलनाडु	31.78	3.12
27.	उत्तरांचल	11.60	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	46.32	28.30
29.	पश्चिम बंगाल	21.40	1.65

विवरण IV

2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर मुख्य कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य-वार लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य	चार लेन बनाना (कि.मी.)	दो लेन का बनाना (कि.मी.)	कमजोर दो लेनों का सुदृढ़ीकरण) (कि.मी.)	सड़क गुणता सुधार (कि.मी.)	पुल (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	157	30	192	14	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	12	10	0	2

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	0	40	18	98	4
4.	बिहार	123	27	123	200	5
5.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	0	87	4	160	6
7.	दिल्ली	31	0	31	4	0
8.	गोवा	0	0	0	20	3
9.	गुजरात	50	78	140	55	9
10.	हरियाणा	40	85	44	40	2
11.	हिमाचल प्रदेश	0	80	10	70	1
12.	जम्मू-कश्मीर	17	31	17	0	0
13.	झारखंड	121	14	136	120	3
14.	कर्नाटक	266	60	264	70	15
15.	केरल	0	10	0	75	3
16.	मध्य प्रदेश	0	70	20	300	10
17.	महाराष्ट्र	90	80	330	120	30
18.	मणिपुर	2	16	1	56	3
19.	मेघालय	0	12	2	59	3
20.	मिजोरम	0	7	4	45	2
21.	नागालैंड	0	3	2	51	2
22.	उड़ीसा	117	75	120	80	3
23.	पांडिचेरी	0	2	3	0	0
24.	पंजाब	0	0	32	89	2
25.	राजस्थान	2	170	81	25	0
26.	तमिलनाडु	81	50	201	50	15
27.	त्रिपुरा	0	30	0	35	4
28.	उत्तर प्रदेश	227	40	227	450	5
29.	उत्तरांचल	0	42	10	83	12
30.	पश्चिम बंगाल	133	19	164	40	0

वेतन समझौता

3394. श्री धर्मेन्द्र प्रधान: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला क्षेत्र के वर्करों हेतु सातवां वेतन समझौता निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी लागू होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला खदानों के कर्मचारियों हेतु अनिवार्य सुरक्षा मानक निजी कोयला कम्पनियों पर भी लागू होते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भूमि विस्थापितों को रोजगार प्रदान करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। निजी कंपनियां राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-VII पर बातचीत करने के लिए एक निकाय, कोयला उद्योग-VII हेतु संयुक्त द्विपक्षीय समिति में शामिल नहीं हुई।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सुरक्षा से संबंधित सभी सांविधिक विधान अर्थात् खान अधिनियम, 1952, कोयला खान विनियमन, 1957 और उनके अधीन बनाई गई नियमावलियां तथा उपनियम निजी कोयला कंपनियों पर भी लागू होते हैं।

(ङ) और (च) कोल इंडिया लिमिटेड 1994 में तैयार की गई और उसके पश्चात् 2000 में संशोधित की गई पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति को कार्यान्वित कर रही है। मौजूदा नीति को अभी तक संशोधित नहीं किया गया है।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षण बोर्ड का गठन

3395. डा. एम. जगन्नाथ: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास यू.के., कनाडा और अन्य विकसित देशों की तरह देश में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षण बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बोर्ड कब तक मूर्त रूप ले लेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पामुलापर्ती लक्ष्मी): (क) से (ग) इस समय, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने समूचे भारत में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए समान मानदण्ड सुनिश्चित करने के मामले में विश्वविद्यालयों के मार्गदर्शन तथा उन्हें सलाह देने हेतु मानक निर्धारित करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद में एक स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति गठित की है।

चिकित्सीय संस्थानों की स्थापना

3396. श्री गणेश सिंह:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने देश में विज्ञान संस्थानों की कमी के बारे में चिन्ता जताई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या चिकित्सा व्यावसायियों को प्रशिक्षण देने के लिए पी.जी.आई.एम.ई.आर. जैसे और अधिक संस्थानों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पामुलापर्ती लक्ष्मी): (क) से (ङ) राज्य/केन्द्रीय सरकारों से संबंधित विश्वविद्यालयों में कई मूल/अनुप्रयुक्त विज्ञान संस्थान चलाए जा रहे हैं। जहां तक चिकित्सा संस्थाओं का संबंध है, देश में 241 मेडिकल कालेज संस्थाएं और 205 दन्त चिकित्सा कालेज संस्थाएं हैं।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल राज्यों प्रत्येक में एक एम्स जैसी संस्था स्थापित करना प्रस्तावित है। विशेषज्ञता/अति विशेषज्ञता विषयों में चिकित्सा उपचार प्रदान करने के अलावा, ये संस्थाएं विभिन्न विशिष्टता/अति विशिष्टता विषयों में स्नातकपूर्व चिकित्सा शिक्षा/स्नातकोत्तर/डाक्टरल पाठ्यक्रम भी प्रदान

करेंगी। यह चिकित्सा शिक्षा के मौजूदा मानकों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी और न केवल चिकित्सा स्नातकों बल्कि सुप्रशिक्षित विशेषज्ञों और अति-विशिष्ट विशेषज्ञों के सक्षम चिकित्सा कार्मिक प्रदान करेगी जो एम्स से निकलने वाले विशेषज्ञों के स्तर के तुलनीय होंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम द्वारा बिल माफ करना

3397. श्री मुनव्वर हसन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली का अपनी ''गरूड़'' मोबाइल सेवा के ग्राहकों के 6 करोड़ रुपये के बकाया बिलों को माफ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें किस प्रकार के ग्राहकों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस बिल माफी के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की भरपाई महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/सरकार किस प्रकार से करेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ऋषिकेश में प्रस्तावित एम्स के लिए धनराशि

3398. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 9 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 898 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीसीईए की स्वीकृति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यदि स्वीकृति नहीं दी गई है, तो इस असाधारण देरी के क्या कारण हैं;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए इन प्रत्येक स्थानों के लिए कितनी धनराशि, यदि स्वीकृत की गई है, आबंटित की गई है; और

(घ) इन प्रत्येक संस्थानों के कार्य पूर्ण होने तथा इनके कार्यशील हो जाने के लिए निर्धारित तिथि क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत प्रस्तावित स्थापित किए जाने वाले छह एम्स जैसी संस्थाओं में से एम्स, ऋषिकेश (उत्तरांचल) एक है। प्रधान मंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के लिए प्रारूप नोट तैयार किया गया था और मूल्यांकन एजेंसियों को भेजा गया था। प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की स्वीकृति नहीं मिली है।

(ग) चालू वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान, पूरी स्कीम के लिए 250 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) की व्यवस्था है और अलग-अलग स्थानों के लिए निधियां आबंटित नहीं की गई हैं।

(घ) इन संस्थानों द्वारा अनुमोदन की तारीख से तीन वर्षों के भीतर कार्य शुरू कर देने की संभावना है।

युवक केन्द्र

3399. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा पूंजी अनुदान से एक राष्ट्रीय युवक केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने राष्ट्रीय युवक केन्द्र तथा राज्य युवक केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इन केन्द्रों द्वारा युवकों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ये केन्द्र युवकों को अपनी प्रतिभा दिखाने में किस सीमा तक सहायक होंगे?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) योजना आयोग ने अपनी दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में, केन्द्र सरकार द्वारा सुस्पष्ट पूंजीगत अनुदानों सहित एक कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय युवा केन्द्र तथा राज्य युवा केन्द्रों की स्थापना को चुन लिया था।

(ग) और (घ) "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन देने के लिए योजना का मसौदा योजना आयोग में विचाराधीन है।

(ङ) ये केन्द्र एक प्लेटफार्म प्रदान करेंगे जहां देश के युवा अपनी आत्म-अभिव्यक्ति, यथार्थवाद तथा अपने व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए सभी अपेक्षित सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

इन्सुलिन इनहेलर

3400. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाउडर के रूप में इन्सुलिन वाले इन्सुलिन इनहेलर डिवाइस कुछ देशों में रोगियों द्वारा इन्सुलिन इन्जेक्शन के प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनहेलरों का क्लिनिकों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में इस ओरल इन्सुलिन प्रणाली को प्रारम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, नासिका तथा मुखी छिड़काव, पैचों, गोलियों और इन्हेलरों के रूप में इन्सुलिन देने के लिए नान-इन्वेसिव तरीकों हेतु अनुसंधान किया जाता रहा है। ये नैदानिक परीक्षण सहित, अनुसंधान और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड में रिक्त पद

3401. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों में माइनिंग इंजीनियर्स, सीनियर एक्जेक्यूटिव्ज के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या हैं;

(ग) क्या विगत कुछ वर्षों से अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण कोयले के उत्पादन में कमी आयी है तथा कोयला खानों में दुर्घटनाएं बढ़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक सहायक कम्पनी में कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक सहायक कंपनी में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुईं; और

(च) इन पदों को भरने तथा उत्पादन बढ़ाने तथा खानों में दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) रिक्तियों/आवश्यकता का आकलन करने का कार्य एक प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान को सौंपा जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा इस वर्ष जुलाई, 2005 तक सहायक कम्पनी वार कोयले का उत्पादन नीचे दिया गया है:-

(मिलियन टन में)

कम्पनी	2005-06 (जुलाई, 005 तक) (अनन्तिम)	2004-05	2003-04	2002-03
ईसीएल	8.07	27.25	28.00	27.18
बीसीसीएल	6.23	22.32	22.68	24.15
सीसीएल	10.76	37.38	37.33	36.98
एनसीएल	14.88	49.96	47.03	45.10
डब्ल्यूसीएल	13.39	41.41	39.53	37.82
एसईसीएल	25.08	78.53	71.08	66.60
एमसीएल	21.47	58.08	60.05	52.23
एनईसी	0.19	0.63	0.73	0.63
जोड़	100.97	323.58	306.36	290.69

कम्पनी	2002		2003		2004		2005	
	घातक	गम्भीर	घातक	गम्भीर	घातक	गम्भीर	घातक	गम्भीर
ईसीएल	9	191	13	171	18	177	4	25
बीसीसीएल	10	68	12	60	11	71	8	13
सीसीएल	11	26	6	27	10	21	1	7
एमसीएल	3	17	7	12	4	15	4	2
एनसीएल	1	9	2	18	3	6	1	4
एनईसी	–	–	–	–	2	1	–	–
एसईसीएल	13	111	11	92	8	73	4	38
डब्ल्यूसीएल	15	60	9	67	13	52	4	15
जोड़	62	482	60	447	69	416	26	104

टिप्पणी: 15.6.05 को सेन्ट्रल सींदा कोलियरी में हुई आपदा सहित। 2004 तथा 2005 के सभी आंकड़े डीजीएमएस के साथ समाधान की शर्त के अधीन हैं। 2003 में सीसीएल तथा डब्ल्यूसीएल में गम्भीर दुर्घटनाएं डीजीएमएस के समाधान की शर्त के अधीन है।

(च) प्रवेश स्तर पर कार्यकारी संवर्ग में रिक्त पद को भरने के बारे में यह बताया जाता है कि सीआईएल ने खनन विधा में 196 पदों सहित विभिन्न विधाओं के 364 पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी कर दिया है।

सीआईएल ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं जो निम्नलिखित हैं:-

(1) 10वीं योजना में 101 खनन परियोजनाओं को शुरू करने का विचार किया गया है जिनकी आयोजना उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई है।

(2) उपकरण के उपयोग में सुधार।

(3) मौजूदा खानों का मशीनीकरण/आधुनिकीकरण।

(4) परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन।

(5) सभी नयी खानों की आयोजना मशीनीकरण के साथ की जा रही है।

(6) भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों में उत्पादन को बढ़ाना।

(7) केप्टिव अन्त्य उपयोग के लिए कोयला खनन ब्लाकों का आबंटन।

खानों में दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सीआईएल और उसकी सहायक कम्पनियों ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए श्रमिकों, पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण पर बल देना।

(2) परिपत्रों के माध्यम से पहचान किए गए लक्षित क्षेत्रों में सुरक्षित प्रचालनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करना।

(3) सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को संवर्धित करना।

(4) प्रबंधन द्वारा स्व-विनियम को संवर्धित करना।

(5) विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा की स्थिति की त्रि-पक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षा।

(6) सुरक्षा सप्ताह एवं सुरक्षा अभियानों का आयोजन।

(7) सुरक्षा जागरूकता पैदा करना और सूचना का प्रचार-प्रसार।

(8) खानों में सुरक्षा से सम्बद्ध राष्ट्रीय सम्मेलन।

(9) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

(10) खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को संवर्धित करने के उद्देश्य से विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श।

(11) जोखिम आकलन की संकल्पना को लागू करना, सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करना और आपातकालीन प्रत्युत्तर पद्धति का विकास।

(12) जोखिम की कम सम्भावना के साथ खनन में नयी प्रौद्योगिकी को लागू करने की सुविधा।

नई कोयला कम्पनियों की स्थापना

3402. श्री अनन्त नायक:
श्री परसुराम माझी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई कोयला कम्पनियों की स्थापना के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) नई कोयला कम्पनियां कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, सीआईएल का प्रस्ताव कोल विदेश के नाम से सीआईएल की एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी गठित करने का है। ऐसा प्रस्ताव कोयले की मांग और आपूर्ति में बढ़ते हुए अन्तर तथा भारत में आयातित कोयले की मात्रा पर विचार करते हुए विदेश में कोयला व्यापार के अवसरों का जोखिम उठाने के लिए योजना आयोग के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद लाया गया है।

एडमिरेलिटी बिल, 2005

3403. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एडमिरेलिटी बिल, 2005 को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इससे क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इसके कब तक अधिनियम बन जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) नावाधिकरण विधेयक, 2005 को 11 मई, 2005 को लोक सभा में पहले ही पेश कर दिया गया है। उपर्युक्त विधेयक को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति के बारे में विभाग से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

दुर्गम क्षेत्रों में सैटेलाइट टेलीफोन प्रणाली

3404. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का विचार पूरे देश में दुर्गम गांवों में, जहां वायरलैस टेलीफोन पहुंच में नहीं हैं; सैटेलाइट टेलीफोन प्रणाली स्थापित करना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितने गांवों का चयन किया गया है;

(घ) वर्तमान में यह सैटेलाइट प्रणाली राज्य-वार कितने गांवों/क्षेत्रों में कार्य कर रही है;

(ङ) शेष दुर्गम गांवों/क्षेत्रों में उक्त प्रणाली कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ अनुमानित कितना खर्च आएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) जी, हां। सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के प्रशासक के कार्यालय ने 1991 की जनगणना के अनुसार 100 से अधिक आबादी वाले ऐसे अविवादित, दुर्गम और बसे हुए गांवों में डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनलों के जरिए 14,183 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ एक समझौता किया है जिन्हें अन्यथा वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) सहित किसी भी अन्य स्थलीय प्रौद्योगिकी द्वारा कवर नहीं किया जा सकता। दूरसंचार सर्किल/राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार 294 गांवों को इंटरनेशनल मोबाइल उपग्रह (इनमारसैट) टर्मिनलों द्वारा दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) इन सभी गांवों को उत्तरोत्तर रूप से नवंबर, 2007 तक उपग्रह टेलीफोन उपलब्ध कराए जाने हैं।

(च) 14,183 उपग्रह टेलीफोन उपलब्ध कराने पर अनुमानित व्यय लगभग 105.72 करोड़ रु. है।

विवरण

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल/राज्य का नाम	डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनलों द्वारा कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या	30.06.2005 की स्थिति के अनुसार इंटरनेशनल मोबाइल उपग्रह (इनमारसैट) टर्मिनलों द्वारा कवर किए गए गांवों की संख्या*
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार	–	5
2.	आंध्र प्रदेश	115	1
3.	असम	279	18
4.	छत्तीसगढ़	88	7
5.	हरियाणा	–	4
6.	हिमाचल प्रदेश	275	17
7.	जम्मू-कश्मीर	465	98
8.	कर्नाटक	–	24
9.	मध्य प्रदेश	443	–
10.	झारखंड	1,694	–
11.	महाराष्ट्र	496	–
12.	पूर्वोत्तर-I		
	मेघालय	500	5
	मिजोरम	20	3
	त्रिपुरा	58	3
13.	पूर्वोत्तर-II		
	अरुणाचल प्रदेश	543	21
	नागालैंड	16	9
	मणिपुर	730	8
14.	उड़ीसा	4,899	–
15.	राजस्थान	18	1
16.	तमिलनाडु	–	33
17.	उत्तरांचल	3,544	18
18.	पश्चिम बंगाल	–	19
	कुल	14,183	294

*टिप्पणी: जिन 294 गांवों में इंटरनेशनल मोबाइल उपग्रह (इनमारसैट) टर्मिनल काम कर रहे हैं उन गांवों में उपग्रह फोन सुविधा यूएसओ निधि के प्रशासक के कार्यालय और बीएसएनएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले ही प्रदान की जा चुकी है। इन 294 उपग्रह फोन टर्मिनलों से युक्त गांवों को कालम 3 में उल्लिखित 14,183 गांवों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

कृत्रिम प्रोटीन पाउडर

3405. श्री मदन लाल शर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वजन कम करने के लिए कृत्रिम प्रोटीन पाउडर बाजार में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पाउडर का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(च) क्या सरकार का ऐसे प्रोटीन पाउडर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) कुछ पाउडरों के बाजार में खाद्य अनुपूरकों में रूप में बेचे जाने की सूचना मिली है जो वजन को कम करने के दावे करते हैं। चूंकि ये उत्पाद खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन "खाद्य" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए इस समय ऐसे पाउडरों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, ऐसे उत्पादों की बिक्री और गुणवत्ता नियंत्रण को विनियमित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्पादों की ऐसी श्रेणियों को कवर करने के लिए स्वास्थ्य खाद्य अनुपूरक विधेयक तैयार किया है। चूंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शी आधार पर तैयार किए गए एकीकृत खाद्य कानून में स्वास्थ्य खाद्यों का हवाला दिया गया है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया प्रारूप विधेयक प्रारूप एकीकृत खाद्य कानून में उपयुक्त समामेलन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को अग्रसारित किया गया था।

भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल आधारभूत संरचना

3406. श्री सुव्रत बोस: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केन्द्रों में बनायी गयी खेल आधारभूत संरचनाएं त्रुटिपूर्ण तथा बेकार हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान देश में कितने सिन्थेटिक ट्रेक तथा कृत्रिम हाकी टर्फ बिछाए गए तथा इन कृत्रिम सतहों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान कितनी खेल आधारभूत सुविधाएं शुरू की गई परन्तु पूरी नहीं हो पायी जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम बाधित हुए;

(ङ) क्या नई खेल आधारभूत संरचनाओं के सृजन में कुप्रबन्धन का दायित्व निर्धारित कर दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल अवस्थापना प्रयोग में आते रहने के कारण साधारण टूट-फूट का शिकार होती रहती है। हाल ही में, बंगलौर में बिछाई गई सिंथेटिक परत को बदले जाने की जरूरत है और उसे ठीक करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने पिछले पांच वर्षों में, देश भर में 13 सिंथेटिक ट्रैक और 33 कृत्रिम हाकी टर्फ बिछाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इनमें से 5 सिंथेटिक ट्रैक और 9 कृत्रिम हाकी टर्फ बिछाए जा चुके हैं। एक सिंथेटिक ट्रैक बिछाने की संस्वीकृति रद्द कर दी गई है।

(ङ) से (छ) "खेल" राज्य का विषय है, अत: देश में खेल अवस्थापना के सृजन का दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, "अवस्थापना योजना" के अंतर्गत, वित्तीय सहायता पहले प्रदान किए गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रदान की जाती है। इन अवस्थापनाओं के देख-रेख का दायित्व राज्य सरकारों का है। जहां तक, भारतीय खेल प्राधिकरण की अवस्थापना का संबंध है, अधीक्षक इंजीनियर रैंक के एक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित तकनीकी दल अवस्थापना के निर्माण-कार्य के पर्यवेक्षण का कार्य करता है।

माजदिया-दौलतगंज मार्ग को पुन: खोलना

3407. श्री एस. अजय कुमार: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत-बांग्लादेश सीमा पर माजदिया-दौलतगंज मार्ग को पुन: खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं। भारत-बंगलादेश सीमा पर माजदीया-दौलतगंज मार्ग को पुन: खोलने पर इस समय कोई विचार नहीं हो रहा है।

(ख) और (ग) माजदीया के समीप भारत-बंगलादेश सीमा में शून्य बिन्दु तुंगी कहा जाता है, को 1994 में भू सीमा-शुल्क स्थान घोषित किया गया था। यद्यपि इसे संचालित नहीं किया गया है, क्योंकि इस स्थान पर कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र/वाणिज्यिक केन्द्र न होने के कारण इस स्थल से होकर ले जाने योग्य कोई अधिक कार्गो नहीं था। इसके अतिरिक्त इस स्थल पर कोई आधारभूत संरचना भी बनाई नहीं गई है।

[हिन्दी]

काला-आजार नियंत्रण कार्यक्रम

3408. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार काला-आजार नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में काला-आजार के नियंत्रण के लिए निर्धारित फर्स्ट लाइन मेडिसिन-सोडियम ग्लूकोनेट एंटीमोनी (एसएजी) असफल साबित हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सोडियम ग्लूकोनेट एंटोमोनी के स्थान पर मल्टीफोरिन तथा पैरा-मोमिसिन औषधियां प्रयोग की जा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो अब तक काला-आजार नियंत्रण कार्यक्रम की प्रभावशीलता के बारे में वस्तु स्थिति क्या है;

(च) क्या काला-आजार नियंत्रण कार्यक्रम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार देश में वर्ष 1990 से बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के स्थानिकमारी वाले जिलों में काला-आजार नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है।

काला-आजार नियंत्रण कार्यक्रम के पांच प्रमुख कार्यकलाप हैं:-

(क) प्रभावित क्षेत्रों में घरों के अन्दर डीडीटी का अवशिष्ट छिड़काव करके वेक्टर नियंत्रण के जरिए संचरण को रोकना।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के जरिए काला-आजार के रोगियों का शीघ्र निदान और पूरा उपचार।

(ग) स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी।

(घ) एकीकृत रोग और वेक्टर निगरानी।

(ङ) प्रचालनात्मक अनुसंधान।

(ग) जी, नहीं। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जहां एम्फाटेरिसीन बी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिहार राज्य में काला-आजार के रोगियों के उपचार में प्रथम पंक्ति की औषध सोडियम एंटिमोनी ग्लूकोनेट अभी भी कारगर है।

(घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार की अध्यक्षता में काला-आजार संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार वर्ष 2005-06 से स्थानिकमारी वाले कुछ जिलों में मुख सेव्य काला-आजार रोधी औषध मिल्टेफोसिन को और कार्यक्रम में प्रथम पंक्ति की औषध के रूप में मिल्टेफोसिन गोली को प्रायोगिक आधार पर शुरू करने पर कार्रवाई कर रही है। मिल्टेफोसिन गोली के प्रापण के लिए आवश्यक कोडल मिल्टेफोसिन गोली के प्रापण के लिए आवश्यक कोडल औपचारिकताएं पूरी होने वाली हैं। दिनांक 10.8.2005 को हुई विशेषज्ञ समूह की एक बैठक में भी बिहार के चुनिंदा प्रायोगिक जिला में इंजेक्शन एसएजी के स्थान पर प्रथम पंक्ति की औषध के रूप में म्लिटेफोसिन गोली के इस्तेमाल का अनुसमर्थन किया गया है। इंजेक्शन पारोमोमाइसीन अभी तक क्लिनिकल परीक्षण चरण में है और इसे भारत में औषध विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ङ) काला-आजार रोगियों और मौतों को कम करने में काला-आजार नियंत्रण कार्यक्रम कारगर था जैसा कि निम्नलिखित सांख्यिकी से स्पष्ट है:-

वर्ष	रोगियों की संख्या	मौतों की संख्या
1991	61670	838
1992	77102	1419
1993	45459	710
1994	25652	384
1995	22625	277
1996	27049	687
1997	17429	255
1998	13627	226
1999	12886	297
2000	14753	150
2001	12239	213
2002	12140	168
2003	18214	210
2004	22699	150

(च) और (छ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 का उद्देश्य काला-आजार का उन्मूलन करना अर्थात् वर्ष 2010 तक उप-जिला और जिला स्तर पर रोगियों की संख्या को कम करके प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2003 में कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानिकमारी वाले राज्यों को 100 प्रतिशत नकद तथा वस्तुगत सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया था।

[अनुवाद]

टेलीफोन का स्थानान्तरण

3409. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद राज्य के एक दूरभाष केन्द्र से राज्य के दूसरे दूरभाष केन्द्र तथा एक शहर से दूसरे शहर में आवास के स्थानान्तरण पर टेलीफोन के स्थानान्तरण के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास ऐसे कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ बनाई गई नीति के अनुसार टेलीफोन कब तक स्थानान्तरित कर दिये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्त होने पर विशेष रूप से टेलीफोनों के स्थानांतरण के लिए बीएसएनएल तथा एमटीएनएल द्वारा अलग से कोई नीति नहीं बनाई गई है। सरकारी सेवकों के लिए टेलीफोन के स्थानांतरण हेतु वही नीति लागू होती है जो कि आम जनता पर लागू होती है।

(ग) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों से प्राप्त आवेदनों के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दृष्टिहीनता का निवारण

3410. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत विश्व में दृष्टिहीनता से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में राज्य-वार दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इस समस्या से निपटने के लिए राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) दृष्टिहीनता की बढ़ती समस्या के नियंत्रण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) देश में लगभग 12.14 मिलियन नेत्रहीन व्यक्ति हैं।

(ख) नेत्रहीनता के मुख्य कारण हैं-मोतियाबिंद, दोषपूर्ण अपवर्ती त्रुटि, कार्निलय अपारदर्शिता और ग्लूकोमा।

(ग) नेत्रहीन व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(घ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गयी धनराशि का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नेत्रहीनता की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:-

1. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य नेत्रहीनता नियंत्रण सोसाइटियों और जिला नेत्रहीनता नियंत्रण सोसाइटियों का गठन।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों, मेडिकल कालेजों और क्षेत्रीय नेत्रविज्ञान संस्थानों के माध्यम से प्राथमिकता, द्वितीयक और तृतीयक स्तर के जरूरतमंद लोगों को नेत्र परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध कराना।
3. सरकारी/स्वैच्छिक क्षेत्र के नेत्र बैंकों का सुदृढ़ीकरण।
4. गैर-सरकारी संगठनों को अपनी वर्तमान नेत्र परिचर्या अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता।
5. प्रतिवर्ष 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन।
6. स्कूली बच्चों में अपवर्ती दृष्टिदोष का पता लगाने के लिए उनके नेत्र की जांच तथा निर्धन बच्चों को नि:शुल्क चश्में उपलब्ध कराना।
7. बाल नेत्र यूनिटों/अल्पदृष्टि यूनिटों/रेटिना यूनिटों तथा प्रशिक्षण अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करके क्षेत्रीय नेत्रविज्ञान संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।
8. बाल नेत्र यूनिटों/अल्पदृष्टि यूनिटों/रेटिना यूनिटों के विकास के लिए सहायता प्रदान करके मेडिकल कालेजों का सुदृढ़ीकरण।
9. नेत्रविज्ञान के विभिन्न विशेषज्ञतापूर्ण विषयों में सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कालेजों के नेत्रशल्य चिकित्सकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
10. सूचना-शिक्षा-सम्प्रेषण से जुड़े कार्यक्रमों पर जोर देना।

विवरण I

भारत में नेत्रहीन व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 2001-04

राज्य	जनगणना 2001*	दृष्टिहीनता की व्यापतता (2001-04 सर्वेक्षण)	अनुमानित नेत्रहीन व्यक्ति
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	356265	1.10	3919
आंध्र प्रदेश	75727541	1.42	1075331
अरुणाचल प्रदेश	1091117	2.28	24877
असम	26638407	3.05	812471
बिहार	82878796	0.78	646455
चंडीगढ़*	900914	1.01	9099
छत्तीसगढ़	20795956	1.61	334815
दादरा व नगर हवेली*	220451	1.07	2359
दमन व दीव*	158059	1.07	1691
दिल्ली	13782976	1.13	155748
गोवा	1343998	1.52	20429
गुजरात	50596992	1.07	541388
हरियाणा	21082989	1.89	398468
हिमाचल प्रदेश	6077248	0.70	42541
जम्मू-कश्मीर	10069917	1.61	162126
झारखंड	26909428	1.41	379423
कर्नाटक	52733958	1.78	938664
केरल	31838619	0.56	178296
लक्षद्वीप*	60595	1.10	667
मध्य प्रदेश	60385118	1.16	700467
महाराष्ट्र	96752247	0.95	919146
मणिपुर	2388634	1.38	32963
मेघालय	2306069	0.74	17065
मिजोरम	891058	0.78	6950

1	2	3	4
नागालैंड	1988636	1.05	20881
उड़ीसा	36706920	1.40	513897
पांडिचेरी*	973829	0.78	7596
पंजाब	24289296	1.01	245322
राजस्थान	56473122	1.55	875333
सिक्किम	540493	0.65	3513
तमिलनाडु	62110839	0.78	484465
त्रिपुरा	3191168	0.77	24572
उत्तर प्रदेश	166052859	0.94	1560897
उत्तरांचल	8479562	0.56	47486
पश्चिम बंगाल	80221171	1.19	954632
कुल	1027015247	1.10	12143952

*स्रोत: भारत की जनगणना 2001

विवरण II

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों को नकद सहायता, जिला दृ.नि. सोसाइटियों/राज्य दृ.नि.सो./गैर-सरकारी संगठनों को भारत से अनुकम्पा सहायता

राज्य/सं.शा. क्षेत्र	2002-2003				2003-2004				2004-2005*				
	नकद अनुदान	जीआईए टू डीबीसीएस	अनुकंप	कुल सहायता	नकद अनुदान	जीआईए टू डीबीसीएस	अनुकंप	कुल सहायता	नकद अनुदान जारी	नकद अनुदान व्यय	जीआईए डी/एमबीसीएस/ एनजीओ जारी	अनुकंप	कुल सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
प्रमुख राज्य	(लाख रुपयों में)								(लाख रुपयों में)				
आंध्र प्रदेश	523.30	211.06	100.46	834.82	15.00	335.92	99.51	450.43	35.21	7.50	252.93	37.67	325.86
बिहार	41.30	91.50	25.17	157.97	10.00	220.00	27.88	257.88	38.38	0.90	17.00	16.62	72.00
छत्तीसगढ़	37.80	70.00	57.43	165.23	10.00	116.00	60.59	186.59	67.28	136.34	175.00	35.24	277.52
गोवा	5.00	0.00	5.52	10.52	5.00	13.25	9.84	28.09	15.50	11.00	8.00	2.79	21.29
गुजरात	41.60	127.48	62.37	231.45	15.00	279.07	83.38	377.45	60.50	5.41	293.47	110.26	464.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हरियाणा	12.80	0.21	32.35	45.36	10.00	77.76	60.14	147.90	12.87	20.43	99.84	47.41	160.12
हिमाचल प्रदेश	8.00	23.22	22.89	54.11	10.00	66.25	21.97	98.22	11.36	3.67	0.00	91.64	103.00
जम्मू और कश्मीर	8.00	26.14	32.65	66.79	10.00	59.25	25.25	94.50	149.25	0.91	0.00	38.95	188.21
झारखंड	20.10	64.03	34.44	118.57	10.00	128.75	22.54	161.29	101.43	6.02	67.00	1.35	169.72
कर्नाटक	42.90	308.53	16.87	368.30	20.00	411.89	219.86	651.75	97.78	57.57	196.18	5.51	499.47
केरल	10.00	93.12	50.10	153.22	10.00	167.98	75.63	253.61	64.27	9.70	115.44	14.38	194.09
मध्य प्रदेश	177.80	362.90	126.59	667.29	15.00	386.82	55.34	457.16	264.57	309.78	581.63	33.29	879.49
महाराष्ट्र	201.50	191.50	234.15	627.15	15.00	404.50	104.43	523.93	47.31	13.14	271.62	32.60	351.53
उड़ीसा	123.80	169.00	32.00	324.80	15.00	248.25	38.93	302.18	170.19	4.93	105.67	68.19	344.05
पंजाब	14.10	50.04	125.11	189.25	10.00	103.50	23.05	136.55	11.43	0.00	0.00	11.63	23.06
राजस्थान	125.40	305.00	96.53	526.93	15.00	238.75	74.26	328.01	236.07	13.73	350.00	16.51	602.58
तमिलनाडु	425.43	1076.48	151.12	1653.03	15.00	1417.55	62.74	1495.29	295.54	225.03	997.82	16.82	1310.15
उत्तर प्रदेश	383.57	494.94	184.69	1063.20	15.00	759.83	226.61	1001.44	368.74	0.00	406.18	228.82	1003.74
उत्तरांचल	35.00	65.00	15.02	115.02	10.00	87.50	41.13	138.63	76.10	53.45	32.00	2.14	110.24
पश्चिम बंगाल	40.30	182.27	82.55	305.12	15.00	303.75	67.24	385.99	37.97	9.97	11.49	73.14	122.60
योग	227.70	3912.42	1480.01	7678.13	250.00	5826.57	1400.32	7476.89	2161.76	889.48	4176.32	884.96	7222.04
अरुणाचल प्रदेश	4.00	10.12	2.10	16.22	4.00	10.63	19.41	34.04	4.22	2.00	37.50	4.15	45.87
असम	5.35	30.27	0.08	35.70	10.00	89.50	7.59	107.09	10.97	0.00	17.52	19.53	48.02
मणिपुर	4.00	11.85	4.28	20.13	4.00	21.15	2.69	27.34	8.60	0.00	0.00	3.94	12.54
मेघालय	4.00	11.84	9.28	25.12	4.00	14.90	14.49	33.39	2.60	10.23	35.00	1.89	39.49
मिजोरम	9.35	18.32	4.05	31..72	4.00	13.38	7.75	25.13	9.28	2.00	0.00	1.88	11.16
नागालैंड	4.00	16.62	2.60	23.22	4.00	10.50	0.68	15.18	8.50	22.96	0.00	4.75	13.25
सिक्किम	4.50	15.74	0.12	20.56	3.00	6.25	7.11	16.36	4.84	3.65	0.00	1.35	6.19
त्रिपुरा	6.00	21.51	12.37	39.88	6.00	16.50	12.21	54.71	11.90	9.13	0.00	12.44	24.34
योग	41.20	136.27	35.09	212.56	39.00	202.81	71.93	313.74	60.91	49.97	90.02	49.93	200.86
संघ शासित क्षेत्र													
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1.50	0.00	0.09	1.59	3.00	3.50	0.80	7.30	4.89	2.28	1.00	0.33	6.22
चंडीगढ़	1.50	5.00	3.57	10.07	3.00	6.18	10.20	19.58	7.38	1.97	4.05	0.53	11.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
दादर और नगर हवेली	1.50	1.50	1.16	4.16	2.00	8.50	2.37	7.87	1.05	0.10	0.00	0.00	1.05
दमन और दीव	3.00	1.00	0.97	4.97	2.00	3.50	0.21	5.71	6.05	1.60	0.00	0.19	6.24
दिल्ली	0.00	21.34	0.96	22.30	10.00	22.77	16.09	48.86	13.68	11.68	32.43	1.96	48.07
लक्षद्वीप	1.50	0.00	0.06	1.56	2.00	3.50	0.54	6.04	1.02	0.00	3.00	0.45	4.47
पांडिचेरी	1.50	0.00	0.54	2.04	1.50	6.38	5.22	13.10	5.02	6.34	3.00	0.01	3.03
योग	10.50	28.84	7.35	46.69	23.50	49.53	35.43	108.46	39.09	25.97	43.84	3.47	86.04
				525.06				662.63					1210.16
सकल योग	2329.40	4077.53	1530.44	5462.43	312.50	6078.91	1507.68	8561.71	2261.76	965.42	4309.82	938.36	8720.10

*अनंतिम

[अनुवाद]

विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र द्वारा सर्वेक्षण

3411. श्री किन्जरपु येरनणायडु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र द्वारा हाल ही में देश में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस संबंध में कोई रिपोर्ट जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन और सेंटर फार डिसीज कंट्रोल (सीडीसी), अटलांटा, यूएसए ने "भारतीय वैश्विक युवक तम्बाकू सर्वेक्षण (जीवाईटीएस), 2004-05", प्रायोजित किया जिसे भारत में सभी राज्यों में आयोजित किया गया है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सेंटर फार डिसीज कंट्रोल (सीडीसी) के सहयोग से इन निष्कर्षों को एक रिपोर्ट में जारी किया जिसका शीर्षक "भारत में तम्बाकू नियंत्रण, 2004" था जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

(ग) सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

* पूरे देश में युवक तंबाकू का प्रयोग करते हैं तथा यह विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है।
* प्रत्येक दस लड़कों में दो लड़के तथा प्रत्येक दस लड़कियों में एक लड़की तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करते हैं।
* 13-15 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों में मौजूदा ग्रामीण-शहरी तंबाकू प्रयोग में सांख्यिकीय अंतर नहीं है।
* 10 वर्ष की आयु से पहले ही बच्चों में तम्बाकू के प्रयोग में वृद्धि हो रही है।
* ऐसे राज्य जहां शिक्षा का स्तर ऊंचा है उनमें छात्रों द्वारा तंबाकू प्रयोग की व्यापता कम है।

(घ) भारत सरकार ने "सिगरेट और अन्य तंबाकू (विज्ञापन का निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदायगी तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम" क्रियान्वित किया है तथा धूम्रपान के खतरों तथा तंबाकू प्रयोग एवं अप्रत्यक्ष (सेकेण्ड हैण्ड) धूम्रपान के खतरों के बारे में जन-जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आईईसी) अभियान चलाए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने अपनी संबंधित राज्य सर्वेक्षण रिपोर्टों के निष्कर्षों के आधार पर स्कूलों में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम भी तैयार किए हैं।

मोबाइल टेलीफोन का विनिर्माण

3412. श्री दुष्यंत सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मोबाइल टेलीफोन का विनिर्माण करने वाली भारतीय टेलीफोन उद्योग की इकाइयों के नाम क्या हैं;

(ख) इन इकाइयों की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ग) क्या मोबाइल फोन का अधिक सस्ती दरों पर विनिर्माण करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) आईटीआई मोबाइल टेलीफोनों का विनिर्माण नहीं करती है।

(ग) और (घ) जी, हां। मोबाइल फोनों के विनिर्माण की लागत को कम करने की दृष्टि से समस्त अपेक्षित सामग्रियों (इनपुट) को सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई है। सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क की भी छूट दी गई है।

नाविकों हेतु भविष्य निधि

3413. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:**
श्री गणेश सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घोटाले के कारण लुप्त हुई नाविकों की भविष्य निधि की भरपाई करने के लिए सरकार के विचाराधीन एक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) नाविकों की भविष्य निधि की भरपाई कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपर्युक्त निधि के संबंध में हुई धन की हानि की शीघ्रातिशीघ्र भरपाई किए जाने का प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन है।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा क्रयादेशों का दिया जाना

3414. **श्री रघुनाथ झा:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी वर्ष 2005 (वाणिज्यिक) की रिपोर्ट सं. 5 में यह उल्लेख किया है कि आईटीआई लिमिटेड ने सेना मुख्यालय से किसी निश्चित आदेश के बिना केवल पूछताछ के आधार पर सामग्री की खरीद के क्रयादेश दिए थे जिसके परिणामस्वरूप 4.74 करोड़ रुपए तक की धनराशि फंस गई और परिणामत: जून, 2004 तक 1.41 करोड़ रुपये के ब्याज का घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और कंपनी को वित्तीय घाटा पहुंचाने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सरकार को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2005 की रिपोर्ट सं. 5 प्राप्त हो गई है। इसकी जांच की जा रही है।

डाक/गैर-डाक टिकटों की कमी

3415. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्थित डाकघरों में डाक और गैर-डाक टिकटों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं; और

(घ) द्वीपसमूह में स्थित सभी डाकघरों में पर्याप्त मात्रा में डाक टिकट कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की विभिन्न ग्राम पंचायतों सहित डाकघरों में डाक और गैर-डाक टिकटों की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) द्वीपसमूहों में स्थित सभी डाकघरों में पर्याप्त मात्रा में डाक टिकट उपलब्ध हैं।

दूरभाष केन्द्रों को हुई क्षति/घाटा

3416. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल की बाढ़ के कारण गुजरात/महाराष्ट्र में विभिन्न दूरभाष केन्द्रों को हुई क्षति/घाटे का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे राजकोष को कितनी हानि हुई है;

(घ) इन राज्यों में दूरसंचार सुविधाएं कितने दिनों तक निष्क्रिय रहीं; और

(ङ) दूरसंचार क्षेत्र की स्थिति यथाशीघ्र सामान्य करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों को हुई क्षति/हानि का आकलन किया गया है। परंतु महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों को हुई क्षति/हानि का आकलन नहीं किया गया है क्योंकि मरम्मती कार्य अभी भी चल रहा है।

(ख) गुजरात में बाढ़ से कुल 248 टेलीफोन एक्सचेंज और 89 मोबाइल बीटीएस प्रभावित हुए। मुम्बई में 51 एक्सचेंज और 176 जीएसएम बेस स्टेशन और 25 सीडीएमए बेस स्टेशन प्रभावित हुए। शेष महाराष्ट्र में अब तक बीएसएनएल में 298 टेलीफोन एक्सचेंज और 170 मोबाइल बीटीएस प्रभावित हुए हैं।

(ग) गुजरात में हुई क्षति की राशि के लगभग 21.62 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। मुम्बई और शेष महाराष्ट्र में हुई हानि का आकलन नहीं किया गया है क्योंकि मरम्मती कार्य अभी भी जारी है।

(घ) गुजरात में दूरसंचार सुविधाएं 26.6.2005 से 11.7.2005 तक प्रभावित रहीं। मुम्बई में सेवाएं मुख्यत: 26.7.2005 से 3.8.2005 तक प्रभावित रहीं। शेष महाराष्ट्र में दूरसंचार सेवाएं 25.7.2005 से 11.8.2005 तक प्रभावित रहीं। तथापि, मुम्बई के कुछ भागों में भारी वर्षा के कारण हुई केबल की खराबी ठीक करने और शेष महाराष्ट्र में 8 टेलीफोन एक्सचेंजों का मरम्मती कार्य चल रहा है।

(ङ) मरम्मती का अधिकांश कार्य समाप्त हो गया है। तथापि, मरम्मती कार्य में हुई प्रगति पर सर्किल स्तर, निगमित कार्यालय स्तर और मंत्रालय स्तर पर बारीकी से निगरानी की जा रही है।

पत्तनों का आधुनिकीकरण

3417. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कोंकण क्षेत्र में छह पत्तनों अर्थात् अर्नला, जीवन, अगरदद, सकिरनारा और हरने का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इनका कब तक आधुनिकीकरण किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने अन्य राज्यों में भी पत्तनों के विकास की योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी लागत कितनी है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) महापत्तनों के सिवाय अन्य पत्तनों को विकसित करने की जिम्मेदारी, संबंधित राज्य-सरकार की है। भारतीय पत्तन-अधिनियम, 1908 में किए गए प्रावधानों के अनुसार, ऐसे पत्तनों पर संबंधित राज्य-सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण भी होता है। अत: अर्नाला, जीवना, अगरडंडा, साकिरनाढा और हार्ने पत्तनों के महापत्तन नहीं होने के कारण इन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य-सरकार की है।

आयातित खेल उपकरण हेतु स्वीकृति

3418. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खिलाड़ियों को आयातित खेल उपकरणों हेतु सरकार से स्वीकृति के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत एक वर्ष के दौरान खिलाड़ियों से राइफलों और रिवाल्वरों के आयात हेतु कितने आवेदन प्राप्त किए गए हैं;

(ग) सभी शर्तों को पूरा करने वाले आवेदनों को स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(घ) वर्तमान स्वीकृति के लिए कितने आवेदन लंबित है; और

(ङ) ऐसे आवेदनों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार, विख्यात खिलाड़ियों को खेल उपस्कर के नि:शुल्क आयात के लिए अनुमति है। केवल निशानेबाजी के मामले में, विख्यात निशानेबाजों को गोला बारूद के आयात के लिए आयात लाइसेंस हेतु विदेशी व्यापार के महानिदेशक के लिए इस मंत्रालय की सिफारिश अपेक्षित है, चूंकि इन वस्तुओं का आयात प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऐसे आवेदनों के प्राप्त होते ही कार्रवाई तेजी से की जाती है।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान अर्थात् जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2004 तक भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के माध्यम से खिलाड़ियों से राइफलों और रिवाल्वरों के आयात हेतु 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) आवेदनों के निपटारे के लिए कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उपर्युक्त (क) में कहे अनुसार, आवेदनों के प्राप्त होते ही, शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

(घ) आज की तारीख तक मंत्रालय के पास कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(ङ) सरकार गोला-बारूद के आयात को सरल बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। हाल ही में, आयात को राइफल क्लबों अथवा जिला/राज्य/राष्ट्रीय राइफल संघ सहित पंजीकृत निशानेबाजों के लिए वायु शस्त्रों के आयातित प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इनके आयात को ओ.जी.एल. में रखा गया है।

[हिन्दी]

दसवीं योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य

3419. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों और प्राथमिकता क्षेत्रों में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न मंत्रालय/विभाग दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं और इस संबंध में कार्य की प्रगति बहुत धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद की दिनांक 27-28 जून, 2005 को हुई बैठक में यथाअनुमोदित दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दसवीं योजना की लक्षित विकास दर में संशोधन कर 8.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष से 7 प्रतिशत कर दिया गया है। मध्यावधि मूल्यों में कृषि सिंचाई, ग्रामीण विकास, बागवानी, खाद मूल्य, खाद्य संसाधन, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्रक, विद्युत, ग्रामीण उर्जा, कोयला, पेट्रोल, परिवहन, अवसंरचना, श्रम और रोजगार, उद्योग, अभिशासन इत्यादि में कार्रवाई किए जाने हेतु 59 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। विवरण दसवीं पंचवर्षीय योजना में (2002-07) के मध्यावधि मूल्यांकन में दिए गए हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में संशोधित लक्ष्य एवं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से किया गया है तथा इन पर राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में सहमति हो गई थी।

[अनुवाद]

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग

3420. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में कुल कितने डाकघर/डाकलेखा कार्यालय/प्रशासनिक कार्यालय हैं;

(ख) अब तक कितने डाकघरों का कंप्यूटरीकरण किया गया है;

(ग) हरियाणा में डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण की धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में यथाशीघ्र सभी डाकघरों के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) हरियाणा में 2643 डाकघर, एक डाक लेखा कार्यालय और 12 प्रशासनिक कार्यालय हैं।

(ख) सभी 16 प्रधान डाकघरों और 140 महत्वपूर्ण उप डाकघरों में कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसी प्रकार अब तक लेखा कार्यालय, 5 रेलवे मेल सेवा परिचालन कार्यालय, एक प्रशासनिक कार्यालय और एक डाक भण्डारण डिपो को कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिए गए हैं।

(ग) डाकघरों, लेखा कार्यालय और प्रशासनिक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण की योजना को लागू करने की गति इस उद्देश्य के लिए वार्षिक योजना के अंतर्गत उन्हें आवंटित संसाधनों पर निर्भर करती है। वार्षिक योजना 2004-2005 और 2005-2006 में इस योजना स्कीम को सबसे अधिक आवंटन प्रदान किया गया है ताकि हरियाणा सहित देश भर में योजना लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। दसवीं योजना के अंतर्गत हरियाणा में कवर किए जाने वाले सभी प्रमुख डाकघरों को पहले ही कम्प्यूटरों की आपूर्ति कर दी गई है।

(घ) 10वीं योजना में सभी 839 प्रधान डाकघरों और 6861 महत्वपूर्ण उप डाकघरों (2 से अधिक सार्वजनिक काउंटरों वाले) के कम्प्यूटरीकरण को अनुमोदित किया जा चुका है। बाकी 18,465 विभागीय उप डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण की एक योजना है बशर्ते कि अतिरिक्त योजना संसाधन प्राप्त हों। हालांकि, अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नैदानिक सुविधाओं के लिए वित्तीय मंजूरी

3421. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा नैदानिक सुविदाओं को सुदृढ़ करने के लिए 150 लाख रुपये के अनुदान की मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे मंजूरी दिए जाने में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अपनी मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए चुनिंदा सरकारी मेडिकल कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रायोगिक परियोजना के अधीन बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता मांगने हेतु कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई और कर्नाटक सरकार से कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। तथापि, कर्नाटक सरकार से मांगी गई अतिरिक्त सूचना केवल अप्रैल, 2003 में प्राप्त हुई, तब तक इस योजना को बन्द कर दिया गया था और इस प्रकार कोई अनुदान जारी नहीं किया जा सका।

टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए मानदण्ड

3422. श्री एस.के. खारवेलथान:
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टेलीफोन सलाहकार समिति (टीएसी) में सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) पूरे देश में टेलीफोन सलाहकार समिति (टीएसी) की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक संसद सदस्य की सिफारिश पर टेलीफोन सलाहकार समितियों ने नामित सदस्यों की संख्या कितनी है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) टीएसी के संबंध में लोक सभा के संसद सदस्यों के प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजे गए पत्रों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या इस पर कोई कार्यवाही की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) टेलीफोन सलाहकार समितियों (टीएसी) का गठन गौण स्विचन क्षेत्र-वार किया जाता है और टेलीफोन सलाहकार समिति में सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रयुक्त मानदण्ड निम्नवत हैं:

* टेलीफोन सलाहकार समितियों में नियुक्ति हेतु सदस्यों का चयन सामाजिक कार्यकर्त्ता, प्रेस, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, चिकित्सा और अन्य व्यावसायिकों आदि जैसे समाज के सभी वर्गों से किया जाता है।

* प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा टेलीफोन सलाहकार समिति में नामित करने के लिए विचार किए जाने हेतु अपने निर्वाचन क्षेत्र के पांच प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की जा सकती है।

* माननीय संसद सदस्य अपने सांसद पद पर बने रहने तक अपने निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्य होंगे। राज्य सभा में मनोनीत संसद सदस्यों को उनके द्वारा स्वीकृत निर्वाचन क्षेत्र [संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एपीएलएडी) कार्यक्रम के लिए स्वीकृत निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में] में आने वाले टेलीफोन सलाहकार समितियों में सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

* तथापि, जो माननीय संसद सदस्य मंत्री बन जाते हैं उन्हें टेलीफोन सलाहकार समिति में नामित नहीं किया जाएगा/वे ऐसी समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

* नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि समाज के सभी वर्गों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाएं।

(ख) और (ग) देशभर में टेलीफोन सलाहकार समितियों की राज्य-वार कुल संख्या तथा माननीय संसद सदस्यों की सिफारिश पर नामित सदस्यों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(घ) से (छ) दिल्ली की टेलीफोन सलाहकार समिति में चार व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामित करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अग्रेषित दो माननीय संसद सदस्यों (लोक सभा) के पात्र प्राप्त हुए हैं और यह मामला सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	टेलीफोन सलाहकार समितियों की राज्य-वार संख्या	माननीय संसद सदस्यों की सिफारिश पर टेलीफोन सलाहकार समितियों में नामित सदस्यों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	22	321
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	16
3.	असम	7	109
4.	बिहार	19	343
5.	छत्तीसगढ़	6	6
6.	दिल्ली	10	75
7.	गोवा	1	14
8.	गुजरात	18	326
9.	हरियाणा	9	59
10.	हिमाचल प्रदेश	6	35
11.	जम्मू-कश्मीर	5	34
12.	झारखंड	6	118
13.	कर्नाटक	19	164
14.	केरल	11	126
15.	मध्य प्रदेश	34	460
16.	महाराष्ट्र	39	303
17.	मणिपुर	1	11
18.	मेघालय	1	16
19.	मिजोरम	1	10
20.	नागालैंड	1	5
21.	उड़ीसा	13	121
22.	पंजाब	10	70
23.	राजस्थान	24	174
24.	सिक्किम	1	5
25.	तमिलनाडु	21	390
26.	त्रिपुरा	1	00
27.	संघ राज्य क्षेत्र	4	25
28.	उत्तर प्रदेश	49	426
29.	उत्तरांचल	6	31
30.	पश्चिम बंगाल	17	220
	कुल	363	4071

[हिन्दी]

मोबाइल फोनों से रेडिएशन के दुष्प्रभाव

3423. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोबाइल फोनों द्वारा छोड़ी जाने वाली रेडिएशनों के बच्चों के मस्तिक पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो मोबाइल फोनों द्वारा छोड़ी जाने वाली रेडिएशनों से बच्चों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में उपचारात्मक कदम उठाने के लिए मोबाइल कंपनियों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन मोबाइल फोन के उपयोग और इसके प्रभावों के बीच संबंधी की पहचान करने के लिए अनुसंधान कर रहा है। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य एजेंसियों के प्रकाशित साहित्य के अनुसार, मानव पर मोबाइल फोनों के उपयोग से प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है।

[अनुवाद]

आर्थिक वृद्धि दर

3424. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री काशीराम राणा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश ने किस वर्ष अधिकतम वृद्धि दर दर्ज की तथा यह वृद्धि दर कितनी रही;

(ख) देश में किस राज्य में अधिकतम वृद्धि दर दर्ज की गई;

(ग) प्रत्येक राज्य की अलग-अलग से आर्थिक वृद्धि दर क्या है;

(घ) क्या देश की आर्थिक वृद्धि दर में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी से उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1988-89 के दौरान देश में अधिकतम वृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि 1988-89 में बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संबंध में मापित आर्थिक वृद्धि दर 9.9 प्रतिशत थी।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से उपलब्ध सूचना के आधार पर, नौवीं योजना (1997-98 से 2003-04) के शुरूआत में देश में झारखण्ड राज्य में अधिकतम वृद्धि दर दर्ज की गई, जिसने इस अवधि में 7.5% की वृद्धि दर हासिल की। तथापि, यदि राज्यों के साथ संघ राज्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए तो पांडिचेरी की वृद्धि दर अधिकतम है अर्थात् इस अवधि के दौरान 10%।

(ग) इस अवधि (1997-98 से 2003-04) के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वृद्धि दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) हाल के वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि दर में कोई भी कमी नहीं आई है। तथापि, मुख्यत कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव के कारण प्रत्येक वर्ष वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव होता रहा है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्थिर (1993-94) मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद विकास दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृद्धि दर 1997-98 से 2003-04
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.0
3.	असम	3.0

1	2	3
4.	बिहार	3.5
5.	झारखण्ड	7.5
6.	गोवा	उपलब्ध नहीं
7.	गुजरात	5.8
8.	हरियाणा	5.7
9.	हिमाचल प्रदेश	6.4
10.	जम्मू-कश्मीर	उपलब्ध नहीं
11.	कर्नाटक	7.0
12.	केरल	5.0
13.	मध्य प्रदेश	4.5
14.	छत्तीसगढ़	5.0
15.	महाराष्ट्र	4.9
16.	मणिपुर	7.3
17.	मेघालय	उपलब्ध नहीं
18.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं
19.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं
20.	उड़ीसा	5.6
21.	पंजाब	3.7
22.	राजस्थान	4.5
23.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं
24.	तमिलनाडु	4.4
25.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	2.6
27.	उत्तरांचल	उपलब्ध नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	7.1
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	उपलब्ध नहीं
30.	चण्डीगढ़	7.8
31.	दिल्ली	8.4
32.	पांडिचेरी	10.0
	अखिल भारत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)	5.7

[हिन्दी]

आधारभूत अवसंरचना का विकास

3425. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री जी. करूणाकरन रेड्डी:
श्री वी.के. दुग्मर:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश में आधारभूत अवसंरचना के विकास के भाग के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के निर्माण को निजी क्षेत्र को देने के संबंध में कोई नीति स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं की 40 प्रतिशत लागत का वहन निजी क्षेत्र तथा शेष का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ङ) निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले पूंजी निवेश के आधार पर निजी क्षेत्र को कितना लाभ मिलेगा; और

(च) देश की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा घरेलू तथा विदेशी निवेशकों को सौंपी गई भूमिका का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (च) देश में विश्व स्तर की अवसंरचना के लिए सुयोग्य माहौल सृजित करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अवसंरचना संबंधी समिति गठित की गई है। उठाए गए कदमों में अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश हेतु सरकारी निजी भागीदारी के जरिए निवेशकों देशी और विदेशी, दोनों को प्रोत्साहित करना शामिल है। तथापि, चूंकि बहुत सी अवसंरचना परियोजनाएं वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य न हों, और इसलिए निवेशकों को न लुभाने वाली ऐसी परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधियन मुहैया कराने हेतु एक स्कीम अनुमोदित की गई है। उस स्कीम में इस बात पर बल दिया गया है कि स्कीम के अंतर्गत कुल व्यवहार्यता अंतराल निधियन कुल परियोजना लागत का बीस प्रतिशत से ज्यादा न हो बशर्ते कि सरकारी या सांविधिक इकाई जो परियोजना का स्वामित्व रखता है, अगर वह निर्णय लेता है तो अपने बजट में से अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराएगा, परंतु यह अतिरिक्त अनुदान कुल परियोजना

लागत के अगले बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधियन की राशि प्रतिस्पर्धी बोलियों द्वारा तय की जाएगी। शेष पूंजीगत लागत निवेशकों द्वारा वहन की जाएगी।

पुनर्गठित मलेरिया नियंत्रण योजना

3426. श्री अजीत जोगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुनर्गठित मलेरिया नियंत्रण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के शामिल किए गए विकास खण्डों की संख्या कितनी है;

(ख) उन विकास खण्डों की संख्या कितनी है जिन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जा सका है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त योजना में शेष खण्डों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) छत्तीसगढ़ राज्य में 13 जिलों के कुल 86 विकास खण्डों (ब्लाकों) को विश्व बैंक सहायता प्राप्त वृहद मलेरिया नियंत्रण परियोजना (ईएमसीपी) के अंतर्गत कवर किया गया है।

(ख) और (ग) इस स्कीम के अंतर्गत 60 विकास खंडों को कर नहीं किया जा सका क्योंकि ये खंड वृहद मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत शामिल करने हेतु मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। तथापि, मलेरिया के निवारण और नियंत्रण के लिए इन खंडों में मलेरिया-रोधी कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

द्वारका, दिल्ली में सीजीएचएस औषधालय का खोला जाना

3427. श्री एम. शिवन्ना: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के द्वारका उप-नगर में कोई आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी सीजीएचएस औषधालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार द्वारका में सीजीएचएस की एक पूर्ण इकाई स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन द्वारका में एक नया औषधालय खोलने की मंजूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त, संसाधनों और कार्मिक शक्ति की कमी के कारण इस समय द्वारका में एक नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना संभव नहीं होगा।

(ग) और (घ) ऊपर (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एक्सेस डेफिसिट चार्ज

3428. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:
श्री अवतार सिंह भड़ाना:
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा एक्सेस डेफिसिट चार्ज के रूप में बीएसएनएल/एमटीएनएल को वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार अभिगम घाटा प्रभाग (एडीसी) के जरिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं प्रदान कर रही है। किसी भी प्रचालक को एडीसी का भुगतान लागत आधारित इंटरकनेक्शन प्रभारों का भाग होता है जिसे भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा 01.05.2003 से लागू किया गया था और इसकी वसूली सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करके अर्जित किए गए राजस्व को आपस में विभाजित करके की जाती है। बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के अलावा, अन्य निजी अभिगम सेवा प्रदाता भी वहनीय प्रशुल्कों पर, जो औचित्यपूर्ण लागत आधारित प्रशुल्क से कम हो, स्थिर सेवाओं की अभिगम्यता प्रदान करने के लिए एडीसी के पात्र होते हैं।

सफदरजंग अस्पताल में नर्सिंग होम का निर्माण

3429. श्री सज्जन कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. आर.एम.एल. अस्पताल में सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों/उनके परिवारों/राजनीतिज्ञों के लिए केवल एक नर्सिंग होम है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व में सफदरजंग अस्पताल में एक दूसरे नर्सिंग होम के निर्माण की मांग की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो सफदरजंग अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नर्सिंग होम का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सफदरजंग अस्पताल में एक नर्सिंग होम का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मलेशिया में भारतीयों की सुरक्षा

3430. श्री खाडिगा रामकृष्णा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक मलेशियाई नियोक्ता द्वारा कुछ सिख कर्मचारियों के बाल बलपूर्वक काट दिए गए जैसा कि दिनांक 11 जुलाई, 2005 के "एशियन एज" समाचार-पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मामले को मलेशिया के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) मलेशिया में सिखों की धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी, हां। जुजु पावर एसडीएन बीएचडी नाम की कम्पनी द्वारा भर्ती किए गए पंजाब के 18 भारतीय कामगार अप्रैल, 2004 में मलेशिया आए थे। उनका पीएसइबी इलैक्ट्रानिक्स एसडीएन बीएचडी नामक दूसरी कम्पनी के साथ उप ठेका हुआ था। ऐसा बताया गया है कि कामगारों को अपमानित किया गया और उन्हें भोजन तथा वैध रूप से देय पैसे नहीं दिये गए उनके नियोक्ता ने भी तीन सिक्ख युवकों को बाल कटवाने पर बाध्य किया और उनको पगड़ी पहनने के लिए भी मना किया। यद्यपि उन्होंने चार महीने कार्य किया फिर भी उन्हें अपनी मजदूरी नहीं मिली। भारतीय कामगार, नियोक्ता की अगली ज्यादतियों से बचने के लिए भाग गए और अगस्त, 2004 में उन्होंने एक गुरुद्वारे में शरण ली।

(ग) से (ङ) सूचना मिलने पर भारतीय उच्चायोग, कुआलालमपुर के कौंसल अधिकारी ने 5.8.2004 को गुरुद्वारे में उनसे मुलाकात की। उच्चायुक्त ने भी अगस्त के दूसरे सप्ताह में उनसे मुलाकात की और हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया। 28 अगस्त, 2004 को मामले को मलेशियाई विदेश कार्यालय के साथ उठाया गया और इस घटना पर अपनी गहरी चिंता जताते हुए भारतीय राष्ट्रिकों की शिकायतों को सुलझाने के लिए तत्काल दखल की मांग की। मलेशिया सरकार द्वारा क्षमादान अवधि घोषित किए जाने के दौरान अब तक ग्यारह कामगार वापिस आ चुके हैं। मलेशिया की लेबर कोर्ट ने नियोक्ता के विरुद्ध पहले से दायर किया गया एक मामला अभी भी लम्बित है। मलेशियाई नियोक्ता द्वारा बीमारी और अपने आपको अस्पताल में भर्ती कराने के कारण कई बार सुनवाई स्थगित की गई है। सिक्खों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा की आवश्यकता बताते हुए मामले को पुन: मलेशियाई विदेश कार्यालय के साथ उठाया गया है। उच्चायुक्त ने व्यक्तिगत रूप से संबंधित मलेशियाई प्राधिकारियों से मुलाकात की और इस घटना की गंभीरता से भारत सरकार के विचारों से अवगत कराया और इसके शीघ्र समाधान का अनुरोध किया।

हृदय रोगों से निपटना

3431. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूसरे देशों की तुलना में भारत में हृदय रोग अधिक होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा हृदय रोगों से निपटने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारत से कुछ अध्ययनों ने किसी नियत समय में पश्चिमी देशों की तुलना में हृदय धमनी रोग

की निम्नतर व्यापकता दर दर्शायी है। कुछ अध्ययन यह भी सूचित करते हैं कि भारतीय आप्रवासियों में मेजबान देशों, जहां वे रहते हैं, की संदर्भित जनसंख्या की तुलना में हृदयधमनी रोग के कारण उच्चतर मृत्यु दर है। भारत में किए गए अध्ययनों से भी ग्रामीण क्षेत्रों के वयस्कों की तुलना में शहरी वयस्कों में हृदयधमनी रोग की उच्चतर व्यापकता का पता चलता है।

(घ) चूंकि हृदयधमनी रोग जीवन शैली पद्धतियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा अभियान चला रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हृदयवाहिका रोग संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए सिद्धांत रूप से योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपाय शुरू किए हैं।

स्वच्छ कोयला तकनीक को शामिल करना

3432. श्री धर्मेन्द्र प्रधान: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व का तृतीय सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है लेकिन भविष्य में देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए सतत विकास और उत्पादन मुख्य चिंताएं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वच्छ कोयला तकनीक को शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वच्छ कोयला तकनीक को लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनियामक और विधायी रूपरेखा में प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) सरकार ने अधिकतम 34% तक के राख तत्व वाले कोयले को उपयोग करने हेतु विशिष्ट क्षेत्रों में स्थित तापीय विद्युत गृहों को अधिसूचित कर दिया है। सरकार, कोयला उपभोक्ताओं की ओर से निजी प्रचालकों द्वारा कोयला वाशरियों के स्थापित किए जाने को प्रोत्साहन दे रही है।

(2) देश में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) की सम्भावना को उपयोग में लाने के लिए सरकार ने 1997 में एक सीबीएम नीति तैयार की है। सीबीएम के अन्वेषण और उत्पादन के लिए अभी तक कुल 16 सीबीएम ब्लाक अवार्ड किए गए हैं। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के सहयोग से कोयला बेड मीथेन रिकवरी तथा वाणिज्यिक उपयोग नामक एक निदर्शन परियोजना शुरू की गयी है। परियोजना को सितम्बर, 1999 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है और यह बीसीसीएल की सुदामडीह तथा मुनीडीह खानों में कार्यान्वयनाधीन है।

(3) भूमिगत कोयला गैसीयकरण प्रौद्योगिकी की स्थापना करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस नियम (ओएनजीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन को सीआईएल के निदेशक मंडल द्वारा पहले की अनुमोदित कर दिया गया है। परीक्षण स्थल की पहचान करने के लिए आवश्यक डाटा-विनिमय का आरम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

(4) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) का, कुल 1125 लाख रु. की लागत से कोयला मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वित्त-पोषण के अंतर्गत राजस्थान में स्थित उपयुक्त लिग्नाइट ब्लाक में एक भूमिगत कोयला गैसीयकरण (यूसीजी) परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) निजी क्षेत्र पहले से ही सीबीएम तथा कोयला वाशरियों जैसी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के विकास के काम में भाग ले रहा है।

विभिन्न रोगों का सामना करने के लिए अलग निधियां

3433. श्री रेवती रमन सिंह:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्रीमती पी. सतीदेवी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में टी.बी., एड्स, हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह तथा अन्य रोगों से राज्य-वार अलग-अलग से प्रति एक लाख की जनसंख्या पर वार्षिक मृत्युदर कितनी है;

(ख) इन रोगों के निवारण के लिए कितनी निधियां निर्धारित की गई तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों तथा खर्च वहन नहीं कर पाने वाले लोगों के लिए कैंसर, एड्स तथा किडनी से संबंधित रोगों के उपचार के लिए एक अलग निधि बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्यों के विकास में असंतुलन

3434. श्री गणेश सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न राज्यों के विकास की गति में असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) राज्य-वार वर्तमान वृद्धि-दर का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों की विकास गति में असंतुलन के कारणों में ऐतिहासिक तथा भौगोलिक कारक, संसाधन व्यवस्था और अवसंरचना विकास में भिन्नताएं शामिल हैं।

(ग) इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही विद्यमान विभिन्न विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों को मिलाकर असंतुलनों को कम करने तथा विकास को तेज करने हेतु पिछड़े क्षेत्रों के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में संकेन्द्रित विकास कार्यक्रम पर लक्षित एक नया कार्यक्रम, नामत:, राष्ट्रीय समविकास योजना शुरू की गई है। चालू वर्ष से इस उद्देश्य के लिए, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्थापित कर दी गई है।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की विकास दर

स्थिर मूल्यों (1993-94) पर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4.6%	2.6%	7.6%
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.7%	-1.6%	10.3%
3.	असम	4.5%	3.3%	5.5%
4.	बिहार	-8.6%	17.9%	-6.7%
5.	झारखण्ड	-0.4%	16.0%	9.7%
6.	गोवा	4.4%	6.5%	उपलब्ध नहीं
7.	गुजरात	7.7%	10.1%	15.4%
8.	हरियाणा	5.3%	5.0%	8.6%

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	4.9%	4.5%	8.2%
10.	जम्मू और कश्मीर	5.2%	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11.	कर्नाटक	2.5%	5.3%	6.2%
12.	केरल	1.5%	6.6%	6.3%
13.	मध्य प्रदेश	8.6%	-5.6%	18.6%
14.	छत्तीसगढ़	14.1%	1.6%	16.8%
15.	महाराष्ट्र	5.0%	7.8%	7.3%
16.	मणिपुर	9.4%	9.8%	10.5%
17.	मेघालय	4.5%	5.1%	उपलब्ध नहीं
18.	मिज़ोरम	उपलब्ध नहीं	5.2%	उपलब्ध नहीं
19.	नागालैंड	6.7%	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
20.	उड़ीसा	6.1%	-0.1%	14.4%
21.	पंजाब	1.6%	1.4%	5.3%
22.	राजस्थान	8.6%	-6.5%	14.7%
23.	सिक्किम	8.4%	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
24.	तमिलनाडु	-2.2%	3.0%	3.6%
25.	त्रिपुरा	2.8%	6.5%	उपलब्ध नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	3.0%	0.4%	5.8%
27.	उत्तरांचल	5.4%	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	7.0%	7.2%	7.5%
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1.1%	3.4%	उपलब्ध नहीं
30.	चण्डीगढ़	7.9%	8.7%	10.9%
31.	दिल्ली	3.3%	7.5%	9.3%
32.	पांडिचेरी	4.5%	3.5%	3.9%
	अखिल भारत सकल घरेलू उत्पाद	5.8%	4.0%	8.5%

स्रोत: क्र.सं. 1-32 के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय तथा अखिल भारत के लिए-केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं की समीक्षा

3435. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण की सभी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा गठित उप-समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सिफारिशों को दसवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन सिफारिशों को सम्मिलित किए जाने के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के खेलों और युवा कार्य पर एक कार्यकारी समूह गठित किया है, जिसके अंतर्गत खेलों के लिए एक उप-समूह गठित किया गया है। उप-समूह ने भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) की सभी योजनाओं की समीक्षा की है। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन.एस.टी.सी.) का गैर-आवासीय केन्द्रों में रूपान्तरण से संबंधित मुख्य सिफारिशें, तैराकी और जिम्नास्टिक्स जैसे कतिपय समूहों के आयु वर्ग में परिवर्तन, आहार चयन के लिए बढ़े हुए मानदण्ड तथा विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रशिक्षण की निगरानी आदि।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं का संशोधन करते समय अधिकांश सिफारिशें शामिल कर ली गयी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) दीर्घ अवधि में प्रदर्शन में बढ़ोत्तरी लाने के लिए परिवर्तन अपेक्षित हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्प्स स्कीम

3436. श्री बापू हरी चौरे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवकों को भाग लेने योग्य बनाने हेतु राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्प्स स्कीम लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त स्कीम के कार्यान्वयन हेतु पहचाने गए जिलों, विशेष रूप से पिछड़े जिलों की सूची का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर (एन.आर.सी.) योजना नेहरू युवा केन्द्र संगठन के जरिए दो वर्ष की अवधि अर्थात् 1.4.2001 से 31.3.2003 तक के लिए प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित की थी।

(ख) समाज में देशभक्ति तथा स्वयंसेवा की भावना भरने के लिए तथा रचनात्मक कार्यों में जीवंत युवा ऊर्जा के पूर्ण प्रवाह को लगाने के लिए एन.आर.सी. योजना तैयार की गयी थी। मानव चरित्र निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण एन.आर.सी. योजना के दो उद्देश्य थे। योजना के अंतर्गत पहचानी गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 1000/- रु. प्रतिमाह के मासिक मानदेय पर स्वयंसेवक लगाए गए।

(ग) एन.आर.सी. यौजना के कार्यान्वयन के लिए पिछड़े जिलों सहित पहचाने गए जिलों के विवरण संलग्न है।

विवरण

2001-2002 के 76 एन.आर.सी. जिलों तथा 2002-2003 के 40 एन.आर.सी. जिलों की राज्य तथा जिला-वार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्र.सं.	वर्ष 2001-02 के एन.आर.सी. जिला का नाम	क्र.सं.	वर्ष 2002-03 के एन.आर.सी. जिला का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1.	पूर्वी गोदावरी	1.	अनंतपुर
		2.	हैदराबाद	2.	महबूब नगर

1	2	3	4	5	6
		3.	करीम नगर		
		4.	विशाखापट्टनम		
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.	तेजू (लोहित)	3.	डिब्रूगढ़
3.	असम	6.	कछार	4.	सोनितपुर (टैक्सपुर)
		7.	गुवाहाटी (कामरूप)		
		8.	नौगांव		
4.	बिहार	9.	जहानाबाद	5.	भागलपुर
		10.	किशनगंज	6.	कटिहार
		11.	नालंदा	7.	मोतीहारी
		12.	नवादा		
		13.	पटना		
		14.	सीतामढ़ी		
5.	छत्तीसगढ़	15.	कांकेर	8.	बिलासपुर
		16.	सरगुजा	9.	राजनंद गांव
6.	दिल्ली	17.	अलीपुर		
		18.	महरौली		
7.	गुजरात	19.	गांधीनगर	10.	कच्छ
8.	हिमाचल प्रदेश	20.	सिरमौर (नाहन)	11.	बिलासपुर
		21.	ऊना		
9.	हरियाणा	22.	नारनौल	12.	गुड़गांव
10.	जम्मू व कश्मीर	23.	लेह		
		24.	ऊधमपुर		
11.	झारखंड	25.	दुमका	13.	लोहरदग्गा
		26.	गुमला	14.	पलामू
		27.	हजारीबाग		
12.	कर्नाटक	28.	बिहार	15.	बंगलौर (शहरी)
		29.	बीजापुर	16.	उडुप्पी (मंगलौर)
		30.	सिमोगा		

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	31.	केसरगढ़	17.	कोझिकोड
		32.	वायनाड		
14.	मध्य प्रदेश	33.	भोपाल	18.	बालाघाट
		34.	छतरपुर	19.	दमोह
		35.	ग्वालियर	20.	देवास
		36.	जबलपुर	21.	धार
		37.	झबुआ	22.	सिहोर
		38.	सिवनी		
		39.	शहडोल		
		40.	टीकमगढ़		
15.	महाराष्ट्र	41.	बीड	23.	अमरावती
		42.	गढ़चिरौली		
		43.	जालना		
		44.	मुम्बई (कल्याण)		
		45.	सिंधुदुर्ग		
16.	मणिपुर	46.	बिशनपुर	24.	तमेंगलोंग
17.	मेघालय	47.	पश्चिमी गारो हिल्स		
18.	मिजोरम	48.	लुंगलेई		
19.	नागालैंड	49.	कोहिमा	25.	मान
20.	उड़ीसा	50.	बोलांगीर	26.	क्योंझर
		51.	कालाहांडी	27.	संभलपुर
		52.	खुर्दा (भुवनेश्वर)	28.	सुंदरगढ़
		53.	कोरापुट		
		54.	मयूरभंज		
		55.	नवपाडा		
		56.	फुलबनी		
21.	पंजाब	57.	गुरदासपुर		

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	58.	भरतपुर	29.	बारंग
		59.	जयपुर	30.	कोटा
		60.	झालावाड़		
		61.	सीकर		
23.	सिक्किम	62.	गंगटोक	31.	सिक्किम (पश्चिमी)
24.	तमिलनाडु	63.	कांचीपुरम (पेरम्बुलूर)	32.	कोयम्बटूर
		64.	चेन्नई (ग्रामीण)	33.	नीलगिरि
		65.	कन्याकुमारी		
		66.	रामनाथपुरम		
		67.	तिरूचिरापल्ली		
25.	त्रिपुरा	68.	उत्तरी त्रिपुरा (धर्मनगर)	34.	उदयुपर (दक्षिण त्रिपुरा)
26.	उत्तर प्रदेश	69.	बांदा	35.	बरेली
		70.	कानपुर	36.	हमीरपुर
		71.	ललितपुर	37.	जालौन
		72.	लखनऊ	38.	झांसी
		73.	मथुरा		
		74.	मेरठ		
		75.	पीलीभीत		
27.	उत्तरांचल	76.	टिहरी गढ़वाल	39.	उत्तरकाशी
				40.	रूद्रप्रयाग

डाकघरों में गबन/घोटाला

3437. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने हाल ही में डाक वितरण के अतिरिक्त टेलीफोन बिलों का भुगतान स्वीकार करने सहित विभिन्न कार्य करने शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों विशेषकर झारखंड में टेलीफोन बिलों की राशि और धनादेशों के द्वारा भेजी गई रकम का गबन करने संबंधी कथित घोटाले की भी जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा डाकघरों में ऐसे कथित गबन और घोटाले को रोकने तथा डाक नेटवर्क का कार्यकरण सुधारने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। डाक विभाग ने टेलीफोन बिलों के भुगतान स्वीकार करने के साथ ही कुछ स्थानों पर बिजली के बिलों जैसे अन्य बिलों का भुगतान भी स्वीकार करना शुरू किया है।

(ग) और (घ) विभाग के ध्यान में ऐसा कोई घोटाला नहीं आया है। हालांकि कभी-कभार इक्का-दुक्का मामले सामने आ जाते हैं। 2004-05 के दौरान, देश के विभिन्न हिस्सों में मनीआर्डर के दुरूपयोग करने के 241 मामलों का पता लगा है। हालांकि इस अवधि के दौरान झारखंड सर्किल में इस तरह के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ङ) कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया/नियमों का अनुपालन करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यवेक्षी कर्मचारियों और विभिन्न स्तरों पर बनाए गए जांच दस्तों को भी निगरानी रखने के अनुदेश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना धनराशि के उपयोग की समीक्षा

3438. श्री अनन्त नायक:
श्री परसुराम माझी:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि के उपयोग की राज्य-वार समीक्षा करने का काम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) धनराशि का उपयोग करने में विलंब के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या इस संबंध में जिला प्रशासन को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) जी, हां।

(ख) (1) राज्य मंत्री द्वारा राज्यों में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा रही है। ऐसे समीक्षा क्षेत्रों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

2003-04 तत्कालीन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री ने असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की प्रगति की समीक्षा की।

2004-05 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु और पांडिचेरी में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

2005-06 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन ने मेघालय, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

(2) मंत्रालय के सचिव ने दिनांक 11.7.2005 को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में समीक्षा बैठक की।

(3) मार्च, 2005 में मंत्रालय के सचिव द्वारा राज्य-वार समीक्षा बैठकें भी की गईं।

(4) मंत्रालय के सचिव और अपर सचिव द्वारा असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

(ग) एमपीलैड्स निधियों के उपयोग में विलंब के निम्न कारण हैं:-

(1) कुछ संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसा करने में विलंब;

(2) जिला प्रशासन द्वारा संसद सदस्यों से प्राप्त अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने में विलंब;

(3) संबद्ध कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा तकनीकी संवीक्षा और अनुमानों की तैयारी में विलंब;

(4) जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने में विलंब;

(5) केंद्रक जिले से कार्यान्वयन जिले में निधियों के अंतरण में विलंब;

(6) कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा स्वीकृत एमपीलैड्स कार्यों के निष्पादन में विलंब;

(7) जिला प्रशासन द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार को मासिक प्रगति रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में विलंब।

(घ) और (ङ) राज्य एवं जिला अधिकारियों के साथ विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान उन्हें संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों के प्रबोधन और कार्यों को कार्यान्वित करने से संबंधित दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के शीघ्र अनुपालन की सलाह दी गई है। विभिन्न स्तरों पर योजना के प्रभावशाली प्रबोधन हेतु भारत सरकार द्वारा एमपीलैड्स कार्यों के प्रबोधन के लिए साफ्टवेयर की भी शुरुआत की गई है।

तुलबुल नौवहन परियोजना पर बातचीत

3439. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान के साथ तुलबुल नौवहन परियोजना पर बातचीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) संयुक्त वार्ता के भाग के रूप में, तुलबुल नौवहन परियोजना पर 28-29 जून, 2005 को नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ताएं हुई थीं। दोनों पक्षों ने परियोजना पर विचारों का आदान-प्रदान किया और 1960 की सिंधु जल संधि की अपनी वचनबद्धता की फिर से पुष्टि की। इस बात पर सहमति बनी कि संधि के प्रावधानों के अनुरूप मामले के समाधान के लिए वार्ता प्रक्रिया के अगले दौर में बातचीत जारी रखी जाए।

[हिन्दी]

कम आय वर्ग के लोग

3440. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने प्रतिशत लोगों की आय एक डालर से कम है;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी आय को बढ़ाने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) विश्व विकास संकेतक, 2005 के अनुसार भारत में प्रतिदिन एक अमेरिकी डालर से नीचे की आय पर जीवनयापन कर रही जनसंख्या का अनुपात 34.7 प्रतिशत है।

(ख) भारत सरकार के सरकारी अनुमानों के अनुसार 1999-2000 में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों का अनुपात 26.1 प्रतिशत था। यह अनुपात योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा अनुमानत: पांच वर्ष में एक बार आयोजित उपभोग व्यय संबंधी वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित किया गया है।

(ग) लोगों के आय स्तर को बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। इनमें से कुछ विभिन्न क्षेत्रकों विशेषत: कृषि अवसंरचना, अर्थात् विद्युत, सड़कें, स्वास्थ्य व शिक्षा पर अधिक जोर, अभिशासन में सुधार करना, इत्यादि हैं।

[अनुवाद]

कोयले को तेल में बदलना

3441. श्री एस. अजय कुमार:
श्री मंजुनाथ कुन्नूर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण अफ्रीका के एस.ए.एस.ओ.एल. द्वारा प्रयुक्त फिशर-ट्राप्स प्रक्रिया का प्रयोग करके कोयले को वाणिज्यिक रूप से तेल में परिवर्तित किया जा सकता है जैसाकि दिनांक 25 जुलाई, 2005 के "द इकनोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस प्रकार उत्पादित तेल की संभावित कीमत कितनी होगी;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ देश में पर्याप्त मात्रा में और गुणवत्तापरक कोयला उपलब्ध है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त परिवर्तन प्रक्रिया से उप-उत्पाद भी पैदा होंगे; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) दिनांक 25, जुलाई, 2005 के 'दि इकोनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित खबर के अनुसार पता चला है कि 'सासोल' फिजर ट्रोप्स सिन्थेसिस प्रक्रिया के जरिए गैसीकरण के द्वारा निम्न ग्रेड के कोयले से सिन्थेटिक ईंधन तेल और अन्य रसायनों का उत्पादन कर रहा है।

(ग) जहां तक उपर्युक्त प्रक्रिया के जरिए उत्पादित तेल की कीमत का संबंध है, कोल इंडिया लि./सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजायन इंस्टीच्यूट (सीएमपीडीआईएल) के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस प्रयोजनार्थ कोयले की किस्म भारत में उपलब्ध है परन्तु इस प्रयोजन के लिए फीड कोयले की अपेक्षित कोटि प्राप्त करने के लिए उच्च राख वाले कच्चे कोयले के उपयुक्त परिष्करण की आवश्यकता हो सकती है।

(च) और (छ) पता चला है कि एस.ए.एस.ओ.एल. अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, क्रिसोल्स, फिनायल, मेथानोल, केटोन्स, पाराफिन्स आदि जैसे विभिन्न उप-उत्पादों का उत्पादन कर रहा है।

चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु केन्द्रीय विधान

3442. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:**
श्री सुरेश कलमाडी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से टीएमए पाई के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राज्यों में चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के संबंध में एक केन्द्रीय विधान बनाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई/निर्णय लिया गया;

(घ) विलम्ब, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा विधान कब तक लाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) स्वास्थ्य विज्ञान में उच्च व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक केंद्रीय विधान अधिनियमित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव सुझावात्मक प्रकृति का है तथा इसमें कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है।

टी.एम.ए. पाई फाउण्डेशन के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 31.10.2002 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार ने दिनांक 14.05.2003 को राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों को गैर-सहायता प्राप्त निजी चिकित्सीय और दंत चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा प्रवेश देने एवं शुल्क वसूलने संबंधी मामलों में व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए थे। केन्द्रीय सरकार ने भी राज्य सरकारों सहित संबंधित विभागों और पणधारियों के विचार जानने के पश्चात् इस संबंध में उचित विधान बनाने का निर्णय लिया है।

पोस्टकार्ड और मेघदूत कार्ड के बीच अंतर

3443. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोस्टकार्ड और मेघदूत कार्ड में क्या अंतर है;

(ख) इन दो प्रकार के कार्डों का मुद्रण करने का क्या उद्देश्य है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने पोस्टकार्डों और मेघदूत कार्डों का मुद्रण किया गया और उनकी बिक्री की गई;

(घ) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक डाकघर में जनता हेतु मेघदूत कार्ड उपलब्ध हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा जनता को यह कार्ड पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पोस्टकार्ड की छपाई ऐसी की जाती है

कि इसके एक तरफ का दाहिना हिस्सा पाने वाले के पते के लिए और डाक शुल्क मूल्य (फिलहाल 50 पैसे) जो एम्बास्ड, डाक टिकट लगा हुआ अथवा फ्रैंकिंग मशीन की मुहर वाला भी हो सकता है, के लिए रखा जाता है। बायां आधा हिस्सा और पिछला भाग लिखित संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

मेघदूत कार्ड वह पोस्टकार्ड है जिसमें लिखित संदेश केवल कार्ड के एक ही तरफ भेजा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाने वाले के पते और एम्बास्ड डाक शुल्क (फिलहाल 25 पैसे) के लिए छोड़े गए स्थान के अलावा पते वाली तरफ़ का बायां हिस्सा उत्पादों तथा सेवाओं की मार्केटिंग अथवा विज्ञापनदाताओं द्वारा संदेशों के प्रचार हेतु विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) पोस्टकार्डों की छपाई जनसाधारण को लिखित सन्देश भेजने के लिए एक सस्ता माध्यम उपलब्ध कराने के लिए की जाती है और इसकी मौजूदा बिक्री कीमत 50 पैसे है।

मेघदूत कार्ड जनता को 25 पैसे की कम कीमत पर छोटा सन्देश भेजने का एक विकल्प उपलब्ध कराता है। विभाग के लिए यह उत्पाद प्रति मेघदूत कार्ड 2/- रु. का राजस्व अर्जित करता है जिसका भुगतान विज्ञापनदाता द्वारा किया जाता है और इसकी न्यूनतम आर्डर मात्रा एक लाख कार्डों की है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पोस्टकार्डों और मेघदूत कार्डों की छपाई का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	पोस्टकार्ड (लाख में)	मेघदूत कार्ड (लाख में)
2002-03	2898.89	15.00
2003-04	2054.51	70.35
2004-05	2994.07	85.13

बिक्री के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें एकत्र कर और अगले तीन महीनों के दौरान प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं। मेघदूत कार्ड चुनिंदा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाकघरों में जनता के लिए उपलब्ध हैं।

(ङ) डाकघरों में बिक्री के लिए मेघदूत कार्डों का वितरण विज्ञापनदाता/प्रायोजक के विशिष्ट आर्डरों/जरूरतों के आधार पर किया जाता है जो आमतौर पर राज्यों तथा/अथवा जिलों के आधार पर लक्षित क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं।

(च) मेघदूत कार्ड भारतीय डाक के लिए राजस्व अर्जित करने हेतु एक विज्ञापन माध्यम के रूप में अभिकल्पित है जो साथ ही साथ जनता को लिखित सन्देश भेजने का एक किफायती जरिया भी उपलब्ध कराता है। मेघदूत कार्डों की छपाई विज्ञापनदाताओं के विशिष्ट आर्डरों के आधार पर चुनिंदा क्षेत्रों में वितरण/बिक्री के लिए की जाती है। दूसरी ओर पोस्टकार्डों की छपाई और इनकी आपूर्ति फील्ड इकाइयों की खपत के आधार पर वार्षिक पूर्वानुमान के अनुसार की जाती है और इनकी छपाई तथा आपूर्ति देशभर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में की जाती है।

तंबाकू के प्रयोग के हानिकारक प्रभावों से निपटने में स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करना

3444. श्री किन्जरपु येरनायडु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में तंबाकू के प्रयोग के हानिकारक प्रभावों की समस्या का समाधान करने हेतु स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता लेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) इस वर्ष 'विश्व तम्बाकू निषेध दिवस' का वैश्विक शीर्षक विषय था- "स्वास्थ्य व्यवसायिकों की भूमिका और तम्बाकू नियंत्रण।" इस वर्ष के शीर्षक विषय के अंतर्गत कार्यचिकित्सकों, नर्सों, फार्मासिस्टो, दन्तचिकित्सकों, नर्स धात्रियों, फिजियोलाजिस्टों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य जैसे स्वास्थ्य व्यवसायिकों को जागरूक करने पर बल दिया गया जो तम्बाकू के दुष्प्रभाव की समस्या के निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से स्वास्थ्य व्यवसायिकों के लिए पूरे देश में प्रशिक्षण सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य व्यवसायिकों को चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों से और तम्बाकू की समस्या को नियंत्रित करने में उनके द्वारा निभायी जा सकने वाली भूमिका से अवगत कराने के लिए स्वास्थ्य व्यवसायिकों के विभिन्न संगठनों के प्रमुख सदस्यों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला 31.5.2005 को दिल्ली में आयोजित की गई।

एस.सी.एल. का कोयला उत्पादन

3445. श्री जुएल ओराम: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान सरकार का महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल) में कोयले का उत्पादन बढ़ाने पर कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) एम.सी.एल. का वर्ष 2005-06 के लिए कोलफील्ड-वार उत्पादन लक्ष्य 2004-05 के दौरान 66.08 मि. टन के उत्पादन की तुलना में 72 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। उत्पादन वृद्धि के लिए कोलफील्ड-वार कार्य-योजना निम्नानुसार है:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

कोलफील्ड	2005-06
ईब घाटी	23.10
तलचर	48.90
जोड़	72.00

(ग) एम.सी.एल. में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. डम्पर और शावेल जैसे नए 'हैम' की अधिप्राप्ति।
2. उपकरण की उपलब्धता को इष्टतम बनाने के लिए उपकरण के बेमेल होने को कम करना और उपकरण के अन्तर-अंतरण को न्यूनतम करना।
3. उपकरण के खराब होने के घंटों को कम करना।
4. खान की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना तथा नई परियोजनाएं शुरू करना।

औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं

3446. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में काफी आई एस एम एंड एच फार्मेसियां अच्छी विनिर्माण प्रक्रिया नहीं अपनाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई एस एम एंड एच में प्रयुक्त औषधि की गुणवत्ता नियंत्रण की जांच और उसके रख-रखाव हेतु पर्याप्त संख्या में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार ने राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) केंद्र सरकार द्वारा आई एस एम एंड एच द्वारा प्रयुक्त औषधि की गुणवत्ता नियंत्रण को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। इस पर जोर दिया गया है कि राज्य, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की सभी फार्मेसियों द्वारा उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें। कुछ राज्यों ने उत्तम विनिर्माण प्रक्रिया के अनुपालन के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की फार्मेसियों की अनुज्ञप्तियां रद्द कर दी हैं। एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाओं का पालनकर्त्ता बनने के लिए भाचिप एकांशों को 5 लाख रुपये की वित्त सहायता मुहैया कराई जाती है।

(ग) और (घ) केंद्र सरकार की दो प्रयोगशालाएं अर्थात् फार्माकोपियल लेबोरेटरी फार इंडियन मेडिसिन, गाजियाबाद और होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद हैं। इनके अलावा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तथा होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधियों का परीक्षण करने के लिए 22 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों के परीक्षणार्थ 16 निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं भी मान्य की गई हैं।

(ङ) और (च) केंद्र सरकार ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्यौपथी औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रणार्थ केंद्र प्रायोजित योजना लागू की है। इसके अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी औषधियों की 21 औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और 41 फार्मेसियों को वित्त सहायता प्रदान करके सुदृढ़ किया गया है जिससे कि भवन का नवीकरण मशीनरी और उपस्कर का आधुनिकीकरण किया जा सके तथा संविदा पर जनशक्ति को लगाया जा सके।

(छ) सरकार ने देश में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) 4 आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी तथा होम्योपैथी भेषजसंहिता समितियां गठित की गई हैं जो अपने-अपने औषध योग संग्रह तथा भेषज संहिताएं तैयार करेंगी। इन समितियों ने आयुर्वेद और यूनानी भेषज संहिताओं के प्रकाशन के अलावा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाइयों के सरकारी औषध योग संग्रह निकाले हैं।

(2) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित की गई है।

(3) धारा 33(ग) और 33(घ) के अनुसार केंद्र सरकार ने आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार मंडल तथा आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी औषधि परामर्शदात्री समिति का गठन किया है। इनका प्रयोजन देश भर में आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों के मानक और गुणवत्ता नियंत्रण में एकरूपता सुनिश्चित करना है।

(4) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) की उत्कृष्ट कोटि की दवाएं और पेटेन्ट तथा एकायत औषधियां राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञप्त की जाती है। हाल ही में आयुष विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेषज्ञों की समिति गठित की है जो आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी के पेटेन्ट और एकायत दवाइयों के अनुज्ञापन के लिए राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त निश्चित करेगी।

कर्नाटक में आधुनिक उपचार अनुसंधान सुविधाएं और चिकित्सा शिक्षा

3447. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में आधुनिक उपचार अनुसंधान सुविधाएं और उन्नत मानक वाली चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 17 मई, 2000 को एक प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव में जापानी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और उद्योग एजेंसी से 60 करोड़ रुपये (124.42) जापानी येन की सहायता मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे पर जापानी सरकार के साथ बातचीत की है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) जी, हां। बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर तथा संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए "मातृ तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम" में सुधार के लिए जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी से 60.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग संबंधी प्रस्ताव जापान सरकार को आवश्यक वित्त-पोषण हेतु मई, 2001 में प्रस्तुत किया गया था। तथापि, जापान सरकार ने वित्तपोषण संबंधी सहायता के लिए परियोजना को स्वीकार नहीं किया है।

केन्द्रीय भण्डार की बिक्री और मुनाफा

3448. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भण्डार की कुल कितनी बिक्री हुई और उसका मुनाफा कितना रहा;

(ख) क्या पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय भण्डार के मुनाफे में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश में केंद्रीय भण्डारों के मुनाफे और कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या मूल्य वर्धित कर शुरू करने से केंद्रीय भण्डारों की बिक्री/मुनाफे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केंद्रीय भण्डार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बिक्री और अर्जित लाभ निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बिक्री	कर अदा करने से पूर्व लाभ
2001-02	261.66	6.21
2002-03	264.27	5.96
2003-04	292.66	5.83

(ख) और (ग) वर्तमान वर्ष के दौरान लाभ का पता लेखों को अंतिम रूप देने और लेखा-परीक्षा के पश्चात् ही चल पाएगा।

(घ) बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय भण्डार का काम-काज इसके निदेशक-मण्डल द्वारा देखा जाता है। केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि बिक्री को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादों को इसके दायरे में लाने तथा व्यापार के विविधिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) 01.04.2005 से मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू हो गयी है। उपर्युक्त कर प्रणाली के लागू होने के समय से, बिक्री कर पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है।

सड़कों के निर्माण में जूट का प्रयोग

3449. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री ए.के. मूर्ति:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना सड़कों के निर्माण में जूट का प्रयोग करने की है जैसा कि दिनांक 22 जुलाई, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में किए गए परीक्षणों, यदि कोई हों, के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) सड़कों के निर्माण में जूट का प्रयोग कंक्रीट/सीमेंट से किस हद तक बेहतर साबित होगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जूट विनिर्माता विकास परिषद (जेएमडीसी) के सहयोग से असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में दो-दो सड़कों के निर्माण में जूट जिआ-टैक्सटाइल के प्रयोग के लिए एक पायलट परियोजना अनुमोदित की है। सड़क कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

राज्य का नाम	सड़क लंबाई (कि.मी.)	परियोजना लागत (लाख रु.)
असम	8.80	357.91
छत्तीसगढ़	10.30	318.95
मध्य प्रदेश	8.24	228.39
उड़ीसा	9.50	404.58
पश्चिम बंगाल	11.00	490.22
जोड़	47.84	1790.05

(ग) चूंकि यह पायलट परियोजना है, इन सड़कों के कार्य-निष्पादन के परिणाम इन सड़कों का निर्माण पूरा हो जाने और प्रयोग के लिए खोल दिए जाने के बाद ही मिलेंगे।

(घ) तुलनात्मक कार्य निष्पादन के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है क्योंकि जूट जिआ-टैक्सटाइल का प्रयोग करके सड़कों का निर्माण और उनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन अभी किया जाना है।

[हिन्दी]

जी.पी.एफ. और पेंशन अंशदान को जमा न करना

3450. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न खानों में कार्यरत कामगारों से संग्रहित जी.पी.एफ. और पेंशन अंशदान की सी.एम.पी.एफ. के कार्यालय में जमा न किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सी.एम.पी.एफ. के कार्यालय में कामगारों के जी.पी.एफ. और पेंशन अंशदान को जमा न कराने के क्या कारण हैं और जमा न कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) भविष्य निधि तथा पेंशन के रूप में कोल इंडिया लि. की घाटे में चल रही कुछ सहायक कम्पनियों पर कोयला खान भविष्य निधि संगठन का कुछ बकाया था। तथापि, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नियमित रूप से उनके बकाए का भुगतान किया गया था। कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुछ पुरानी विवादास्पद राशि और ब्याज देयता के सिवाय कोई चालू बकाया राशि लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक में अन्तर

3451. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक के मामले में एक राज्य से दूसरे राज्य में बड़ा अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को एक दूसरे के बराबर लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पामावाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। राज्य-वार विश्लेषण से पता चलता है कि राज्यों के बीच विभिन्न कारकों जिनमें अन्यों के साथ-साथ स्वास्थ्य अवसंरचना, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, साक्षरता स्तर इत्यादि शामिल हैं, के कारण स्वास्थ्य सूचकांकों में व्यापक अन्तर है। स्वास्थ्य कार्मिक शक्ति की उपलब्धता में भी राज्यों में अत्यधिक अन्तर है। तुलनात्मक स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार ने विशेषकर गरीबों तथा जनसंख्या के असुरक्षित वर्गों को सुगम, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावी तथा विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। इसमें मुख्य घटकों के रूप में प्रत्येक ग्राम में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता की व्यवस्था; पंचायत की स्वास्थ्य तथा सफाई समिति की अध्यक्षता में एक स्थानीय दल के माध्यम से तैयार ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, प्रभावी रोगहर परिचर्या के लिए ग्रामीण अस्पताल का सुदृढ़ीकरण तथा भारतीय जनस्वास्थ्य मानकों के जरिए समुदाय के प्रति संयत तथा उत्तरदायी बनाया जाना; शीर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का एकीकरण, निधियों तथा अवसंरचना के इष्टतम उपयोग तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की प्रदानगी का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।

विवरण

राज्य	सीबीआर	टीएफआर	सीडीआर	आईएमआर	एमएमआर
भारत	25	0	8.1	63	407
केरल	16.9	1.8	6.4	10	198
महाराष्ट्र	20.3	2.3	7.3	45	135
तमिलनाडु	18.5	2.0	7.7	44	79
उड़ीसा	23.2	2.6	9.8	87	367
बिहार	30.9	4.3	7.9	61	452
राजस्थान	30.6	3.9	7.7	78	670
उत्तर प्रदेश	31.6	4.4	9.7	80	707
मध्य प्रदेश	30.4	3.9	9.8	85	498
आंध्र प्रदेश	20.7	2.2	8.1	62	159
असम	26.6	3.0	9.2	70	409
गुजरात	24.7	2.8	7.7	60	28
हरियाणा	26.6	3.1	7.1	62	103
हिमाचल प्रदेश	20.7	2.1	7.5	61	उपलब्ध नहीं
कर्नाटक	22.1	2.4	7.2	55	195
पंजाब	20.8	2.3	7.1	51	199
पश्चिम बंगाल	20.5	2.3	6.7	49	266

स्रोत: एमएमआर जो एसआरएस 1998 है को छोड़कर एसआरएस 2002

मेनिनजाइटिस रोग का फैलना

3452. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
श्री लक्ष्मण सेठ:
डा. रामचन्द्र डोम:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली और पड़ोसी राज्य में मेनिनजाइटिस रोग के फैलने की रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह रोग किस तरह फैलता है तथा इसके मानवों पर कौन-कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं;

(ग) अभी तक कुल कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इसके फैलने को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(च) क्या सी.जी.एच.एस. केन्द्रों में मेनिनगजाइटिस का टीका उपलब्ध है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) 25 अप्रैल, 2005 से 15 जुलाई, 2005 तक की अवधि के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल से मैनिनजाइटिस के मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी। दिल्ली में नैदानिक रोग से संदिग्ध कुल 444 मामलों तथा दिल्ली से बाहर के 66 मामलों (हरियाणा-44, उत्तर प्रदेश-4, चण्डीगढ़-6, उत्तरांचल-3 और पंजाब-9) की सूचना प्राप्त हुई थी।

रोग के संचरण का माध्यम हवा है। यह ड्रापलेट तथा रोगियों के नाक और गले से निकलने वाले बलगम तथा वाहकों से प्रत्यक्ष संपर्क से संचारित होता है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने मेनिनगोकोक्कोमिया मामलों की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए है जिसमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को प्रतिदिन मामलों की रिपोर्ट देना शामिल है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ताकि स्थिति की मानिटरिंग तथा समीक्षा के लिए अस्पताल से नमूने लिए जा सकें।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रोगों की नियमित मानिटरिंग अभी भी चल रही है। इस रोग को अधिसूचित करना अनिवार्य कर दिया गया था। पूर्व निदान और शीघ्र उपचार, रोगियों का संपर्क द्वारा पता लगाने और तथा कैमोप्रोफाइलेक्सि देने के लिए प्रयास किए गए थे। समुदायों की सहभागिता से सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण गतिविधियां आयोजित की गयी थीं।

(च) और (छ) सी.जी.एच.एस. औषधालयों में मैनिनाजाइटिस के लिए टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बच्चों संबंधी नेमी राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है।

आईआईपीए में कथित अनियमितताएं

3453. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के मुख्यालय में हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आईआईपीए को शाखा-वार कितना अनुदान प्रदान किया गया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आईआईपीए द्वारा किए गए प्रमुख अनुसंधान कार्य/संगोष्ठियां/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) सरकार को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के सुचारू रूप से काम नहीं करने के बारे में दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) ये शिकायतें एक पूर्व-रजिस्ट्रार को सेवानिवृत्ति-प्रसुविधाओं के अनियमित भुगतान और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा नियमों/उप-नियमों का अभिकथित रूप से पालन नहीं किए जाने से संबंधित हैं। बाद वाली शिकायत की जांच-पड़ताल भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा की गई है तथा इसे तथ्य-रहित पाया गया है।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को निम्नलिखित

अनुदान राशि प्रदान की। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की किसी भी शाखा को कोई अनुदान राशि प्रदान नहीं की गई।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05
अनुदान राशि लाख रुपए में	283.50	252.00	220.50

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय लोक प्रशासन-संस्थान द्वारा आयोजित मुख्य कार्यों/सेमिनारों/कार्यक्रमों का ब्यौरा सदन के पटल पर रखे विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित किए गए प्रमुख अनुसंधान कार्यों/सेमिनारों/कार्यक्रमों का ब्यौरा

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान 45 मुख्य अनुसंधान परियोजनाएं/परामर्शदायी कार्य पूरे किए गए और 24 सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं/व्याख्यान आयोजित किए गए जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

अनुसंधान परियोजनाएं/परामर्शदायी कार्य

2004-05

1. प्रो. पी.एस.एन. राव द्वारा आंध्र प्रदेश के 7 शहरों में ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. का मूल्यांकन।
2. उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय सरकार का वित्त पोषण। डा. वी.एन. आलोक द्वारा आगरा के संबंध में एक मामला अध्ययन।
3. प्रो. पी.के. चौबे और प्रो. प्रणब बैनर्जी द्वारा राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों और राज्य के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की व्यवहार्यता।
4. प्रो. पी.एस.एन. राव द्वारा भारत के 5 राज्यों में एस.एफ.सी. की कार्य प्रणाली पर एक अध्ययन।
5. डा. अनिल सी. इतयेरा द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/जी.ई.एफ. परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन और सीमांत मूल्यांकन।
6. डा. एस.के. भट्टाचार्य और प्रणब बैनर्जी द्वारा नागालैंड के मोन जिला में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।
7. प्रो. पी.एस.एन. राव द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की कार्य पद्धति पर संविधान के (74वें संशोधन) अधिनियम का प्रभाव।
8. श्री शेखर सिंह द्वारा भारत में संरक्षित क्षेत्रों का सर्वेक्षण।
9. प्रो. जे.सी. कपूर द्वारा नवी मुम्बई, डी. नोड में साफ्टवेयर विकास और सुविधाएं प्रबंधन।
10. प्रो. जे.सी. कपूर द्वारा आई.सी.टी.-इनेबलमैंट आफ सी.डब्ल्यू.सी. आपरेशन एंड प्रोसेसज्।
11. प्रो. जे.सी. कपूर द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन-IV।
12. प्रो. आशा कपूर मेहता (टीम लीडर, सी.पी.आर.सी. इंडिया) द्वारा चिरकालिक गरीबी अनुसंधान केन्द्र, भारत, चरण-II वर्ष 2।

2003-04

1. प्रो. एस.एन. मिश्रा द्वारा दिल्ली के असंगठित क्षेत्रों में बाल मजदूरी समस्याएं और संभावनाएं।
2. अन्न बचाओ अभियान का राष्ट्रीय सामाजिक लेखा परीक्षा-फसल उत्तरोत्तर पहलें-डा. अनिल सी. इतयेरा द्वारा उत्तरी क्षेत्रों का पायलट अध्ययन।
3. डा. अनिल सी. इतयेरा द्वारा टी.वी.ए.एम.एस. केसला, मध्य प्रदेश में सस्टेनेबेल प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का मामला अध्ययन।
4. डा. डौली अरोड़ा द्वारा मंडी जिला (हिमाचल प्रदेश) में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रभावों के मूल्यांकन संबंधी एक अध्ययन।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को प्रदान की जाने वाली प्रशिक्षण सहायता पर प्रो. एस.एस. सिंह, प्रो. एम.एच. मलिक, प्रो. जे. गुहा राय द्वारा किया गया मूल्यांकन अध्ययन।
6. डा. अनिल सी. इतयेरा द्वारा राजस्थान राज्य हेतु वर्ष 2002-03 के लिए एस.जी.आर.वाई. संबंधित मौजूदा मूल्यांकन।
7. प्रो. पी.के. चौबे द्वारा भारत में स्थानीय शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाने पर की गई खोज।
8. प्रो. आशा कपूर मेहता द्वारा जैंडर तथा गरीबी संवेदनशीलता के परिदृश्य में बजट।

9. प्रो. राजेश सिंह, प्रोफेसर, एम.एच. मलिक, प्रोफेसर जे. गुहा राय द्वारा पंजाब सरकार सचिवालय की पुनर्संरचना।
10. प्रो. आशा कपूर मेहता द्वारा इंडिया मार्किट प्लेस में महिलाओं की आर्थिक अधिकारिता संबंधी "इण्डिया गम कराया प्रोजेक्ट" में परामर्शदायी कार्य।
11. प्रो. भारती शर्मा द्वारा 2003-04 में उत्तर पूर्वी राज्यों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाओं का मूल्यांकन तथा चार प्रशिक्षण कार्यक्रम।
12. डा. पी.एल. संजीव रेड्डी तथा प्रो. आर.के. तिवारी द्वारा प्रस्तावित एम.पी.पी. पाठ्यक्रम तथा दूरस्थ शिक्षा मोड पर एक विस्तृत पाठ्यक्रम।
13. प्रो. जे.सी. कपूर द्वारा वर्ष 2003-04 हेतु नवी मुम्बई, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट स्थित सेंट्रल वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के द्रोणगिरी निर्यात नोड हेतु प्रसुविधाएं प्रबंधन।
14. प्रो. जी.सी. कपूर द्वारा वर्ष 2003-04 हेतु इनलैंड कनटेनर डिपो (आई.सी.डी.) पटपड़गंज, दिल्ली की कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के प्रबंध हेतु सेंट्रल वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन की प्रसुविधा प्रबंध परियोजना।
15. प्रो. जे.सी. कपूर द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन-III।

2002-03

1. डा. एस.के. भट्टाचार्य द्वारा नागालैंड के मोन जिला में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों संबंधी प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।
2. डा. आर.के. बैंक द्वारा अनुसूचित जाति के विकास हेतु समग्र रणनीति।
3. प्रो. पी.के. चौबे द्वारा मानव विकास सूचना: क्रिया विधि और पुनर्रचना में प्रयोग।
4. श्री एन.सी. गुप्ता और प्रो. जी.के. मिश्र द्वारा जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए दिल्ली में सार्वजनिक बगीचों/ पार्कों को बनाए रखना और उनका उचित रख रखाव।
5. प्रो. अनिल सी, इटैराह द्वारा कांगड़ा जिला में ग्रामीण विकास कार्यक्रम (एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन)।
6. डा. एम.के. नारायण द्वारा दिल्ली में स्लम प्रबन्धन।
7. प्रो. ए.के. शर्मा द्वारा प्रशासनिक सिद्धान्त के पहलू।
8. श्री अनिल सिन्हा और प्रो. वी.के. शर्मा द्वारा गुजरात भूकम्प पर दस्तावेजीकरण, 2001 (द्वितीय चरण)।
9. आपदा प्रबन्धन और तैयारी में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर मामला-अध्ययन।
10. डा. आर.के. बैंक और सुश्री पी. बोलिना द्वारा एन.ए.सी.एफ.डी.सी.-जनशक्ति स्थिति की पुनर्संरचना।
11. प्रो. जे.सी. कपूर के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर सत्र 2002-2003 के लिए केन्द्रीय संगठन विद्यालय के अध्यापकों के अन्तर और अन्तरा क्षेत्रीय स्थानान्तरण हेतु कम्प्यूटर साफ्टवेयर का कार्यन्वयन और विकास।
12. प्रो. जे.सी. कपूर द्वारा सेंट्रल वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के पटपड़गंज स्थित अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के प्रबन्धक के लिए वर्ष 2002-2003 के लिए विस्तारित सुविधा प्रबन्धन परियोजना।
13. प्रो. जे.सी. कपूर केन्द्रीय वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के नवी मुम्बई स्थित जवाहर लाल नेहरू पत्तन के द्रोणगिरी निर्यात नोड़ हेतु सुविधा प्रबन्धन के लिए साफ्टवेयर अनुप्रयोग का कार्यान्वयन और विकास।
14. प्रो. जे.सी. कपूर द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को उसके देशव्यापी प्रचालन, नेटवर्किंग, कार्यालय, स्वचालन, अस्पतालों और औषधालयों को कार-बार प्रक्रिया पुन: अभियांत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी में समर्थ बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
15. प्रो. जे.सी. कपूर द्वारा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली के लिए कम्प्यूटरीकृत वेतन पंजी का कार्यान्वयन और विकास।
16. प्रो. एम.एच. मल्लिक द्वारा भारतीय प्रशिक्षित नर्स संघ का अध्ययन।
17. श्री अनिल सिन्हा और प्रो. वी.के. शर्मा द्वारा आपात प्रतिक्रिया में उन्नयन हेतु कार्यक्रम।
18. प्रो. आशा कपूर मेहता द्वारा भारतीय चिरकालिक गरीबी अनुसंधान केन्द्र द्वितीय चरण 01 वर्ष।

संगोष्ठियां/सम्मेलन/प्रस्तुतियां/व्याख्यान

2004-05

1. भारतीय राजनीति में राज्य सभा की भूमिका और प्रासंगिकता पर गोष्ठी।

2. परिवर्तनशील विश्व में नेतृत्व विन्यास पर कुणाल गर्ग स्मृति व्याख्यान।

3. विश्व बैंक के ग्रामीण प्रबन्धक मिस्टर माइकल एफ. कार्टर द्वारा ग्रामीण विकास के वित्तीय प्रबंधन पर विशेष रूप से ग्रामीण पेयजल की आपूर्ति पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण तथा प्रशासकीय विधि तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर व्याख्यान।

4. न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर कार्यशाला।

5. मानव विकास तथा सूचना तक पहुंच पर कार्यशाला।

5. निगमित शासन तथा लोक उद्यम में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर कार्यशाला।

7. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के सदस्यों का 48वां वार्षिक सम्मेलन।

8. श्री एस. रघुनाथन, मुख्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा मित्रवत नागरिक शासन को प्रोत्साहित करने के लिए चुनौतियों तथा अवसरों पर व्याख्यान।

9. उपभोक्ता सुरक्षा तथा कल्याण के लिए विद्यालयों की भूमिका पर संगोष्ठी।

10. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में जैव विविधता के संरक्षण पर संगोष्ठी।

11. लोक शासन लाभांश पर राष्ट्रीय सम्मेलन रोड्स एहेड।

12. राज्य सिविल सोसायटी सुधरी नीति के निष्पादन हेतु वार्तालाप पर कार्यशाला।

13. राजीव गांधी की कल्पनाओं के अनुरूप ग्रामीण विकास पर संगोष्ठी।

2003-2004

1. महिला सम्पत्ति अधिकार: 3 जून, 2003 को लिंग परिदृश्य के बारे में संगोष्ठी।

2. 9-11 जून, 2003 को संस्थानिक प्रकाशनों पर कार्यशाला।

3. 22-24 जुलाई, 2003 को नगर निगम शासन में चयनित प्रतिनिधियों की भूमिका पर सम्मेलन।

4. अगस्त 4-6, 2003 से विपदा प्रबन्धन के प्रति संबंधित क्षमता पर कार्यशाला।

5. अगस्त 28, 2003 को 'क्या समकालिक मतदानों से भारत में शासन की गुणवत्ता में सुधार आएगा?' पर पैनल विचार-विमर्श।

6. अक्तूबर 17, 2003 को आईआईपीए के सदस्यों का 47वां वार्षिक सम्मेलन।

7. 4-5 नवम्बर, 2003 को 'चिरकालिक गरीबी और विकास नीति' पर संगोष्ठी।

8. दिसंबर 12-13, 2003 को '21वीं सदी में लोक प्रशासन' पर आईआईपीए का स्वर्ण जयंती सम्मेलन।

9. दिसम्बर 14, 2003 को आईआईपीए के सहयोग से राज्य सभा सचिवालय द्वारा आयोजित 'भारतीय नीति में राज्य सभा की भूमिका और प्रासंगिकता' पर संगोष्ठी।

10. दिसम्बर 22-23, 2003 को 'नागर वित्त' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

11. दिसम्बर 22-23, 2003 को कोर्बेट रामगंगा रिसोर्ट, उत्तरांचल में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए प्रशिक्षण योजना बनाने के लिए दो दिवसीय ब्रेन स्टोर्मिंग सत्र।

12. फरवरी 13-14, 2004 को 'भारत को एक ज्ञान की सर्वोच्च शक्ति बनाने, उच्च तकनीकी शिक्षा के अभिकर्त्ताओं को बदलने की भूमिका' पर संगोष्ठी।

13. मार्च 4-5, 2004 को 'भारत में नि:शक्तता प्रबन्धन और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान के साथ संयुक्त रूप से चुनौतियां और संदर्श' पर कार्यशाला।

14. राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से राष्ट्रीय संग्रहालय, 11 जनपथ, नई दिल्ली में मार्च 10, 2004 को 'कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

15. मार्च 10, 2004 को 'लोक प्रशासन समाज वैज्ञानिक आयामों में समसामयिक मुद्दे' पर आईआईपीए की स्वर्ण जयन्ती राष्ट्रीय संगोष्ठी।

2002-2003

1. मई 23, 2003 को नागरिक-मैत्रीय नागरिक शासन-एक इलेक्ट्रानिक माडल पर प्रस्तुतीकरण।

2. मई 4, 2002 को गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति के साथ संयुक्त रूप से गांधीवादी राह की एक सामाजिक सौहार्द की ओर पर संगोष्ठी।

3. अप्रैल 29-30, 2002 को आपदा प्रबन्धन पर प्रशिक्षण निर्देशों की अखिल भारतीय संगोष्ठी।
4. 8 जून, 2002 को पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान के संयुक्त प्रयास से बाढ़ प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन।
5. 13 सितम्बर, 2002 को सूखाग्रस्त प्रबंधन पर ब्रेन स्ट्रोमिंग सत्र।
6. 9-11 सितम्बर, 2002 को प्राकृतिक आपदा निवारण हेतु अंत: संगठन समन्वय कार्यशाला।
7. 28 अक्तूबर, 2002 को अच्छे शासन के मुद्दों पर कार्यशाला।
8. 14 नवम्बर, 2002 को नेहरू जयंती पर कार्यक्रम।
9. 18 नवम्बर, 2002 को पंचायत राज और स्थानीय शासन पर विधिमान्यकरण सम्मेलन।
10. 27 दिसम्बर, 2002 को नागरिक के मूल अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रचालन और नागरिकता विकास समिति दोनों के संयुक्त प्रयास से कार्यनीतियों पर सम्मेलन।
11. 20 दिसम्बर, 2002 को दिल्ली शहर में सार्वजनिक पार्कों के रख-रखाव और देखभाल पर विधिमान्यकरण सम्मेलन।
12. 21-23 जनवरी, 2003 और 19-21 फरवरी, 2003 को और क्रमश: नगर निगम में चुने गुए प्रतिनिधियों की भूमिकाओं
13. पर दो सम्मेलन।
14. 20-21 फरवरी, 2003 को आई.सी.एस.एस.आर. के संयुक्त प्रयास से उत्पादक कार्य संस्कृति में परिवर्तन के मत पर सम्मेलन।

अनुसंधान परियोजना, सम्मेलनों, कांफ्रेंस, कार्यशालाओं/व्याख्यानों के अलावा निम्नलिखित अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया:-

2004-05

1. संस्थापक दिवस और ए.पी.पी.पी.ए दीक्षांत समारोह।
2. 13वां ए.पी.पी.पी.ए. का उद्घाटन।
3. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाना।
4. विज्ञान और तकनीकी विभाग के द्वारा वैज्ञानिकों और तकनीकों हेतु 8 कार्यक्रम।
5. 35 लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
1.	प्रबन्धन विकास कार्यक्रम		
	(क) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रायोजित	5	77
	(ख) अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	20	615
	(ग) आई.आई.पी.ए. द्वारा प्रस्तावित शुल्क आधारित कार्यक्रम।	6	130
2.	शहरी अध्ययन केन्द्र के कार्यक्रम	4	75
	कुल	35	897

वर्ष 2003-04

1. संस्थापक दिवस और एपीपीपीए दीक्षांत समारोह।
2. उनतीसवां एपीपीपीए का प्रबंधन।

3. वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए कार्यक्रम।

4. 68 अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	प्रबन्धन विकास कार्यक्रम		
	(क) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रायोजित	11	243
	(ख) अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	33	742
	(ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रस्तुत शुल्क आधारित कार्यक्रम	7	90
2.	शहरी अध्ययन-केन्द्र के कार्यक्रम	8	142
3.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र (एन.सी.डी.एम.) द्वारा आयोजित कार्यक्रम	9	302
	कुल	68	1519

2002-2003

1. 28वां एपीपीपीए का उद्घाटन।

2. लोक सेवा प्रबंधन में एम.बी.ए. के तृतीय और चतुर्थ बैच बर्मिंघम विश्वविद्यालय के सहयोग से।

3. फ्रांसिसी सिविल सेवकों के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों सहित 72 अल्पकालिक आरक्षण कार्यक्रम-कार्यशालाएं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	प्रबन्धन विकास कार्यक्रम		
	(क) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रायोजित	11	246
	(ख) अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	23	489
	(ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रस्तुत शुल्क आधारित कार्यक्रम	8	104
2.	शहरी अध्ययन-केन्द्र के कार्यक्रम	9	280
3.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र (एन.सी.डी.एम.) द्वारा आयोजित कार्यक्रम	19	1013
4.	कोलम्बो प्लान सेक्रेटेरियट द्वारा प्रायोजित सहयोगात्मक क्रार्यक्रम	2	28
	कुल	72	2080

ई.सी.एल. की निवेश योजना

3454. श्री एस. अजय कुमार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 3000 करोड़ रुपये की दीर्घकालिक निवेश योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई.सी.एल. का वर्तमान वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(घ) भविष्य में उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) बीआईएफआर की स्वीकृत पुनर्वास योजना के अनुसार, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) का 2003-04 से 2012-2013 तक 2956.83 करोड़ रु. की राशि का निवेश करने का प्रस्ताव है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

आंकड़े करोड़ रु. में

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
निवेश	140.00	200.00	271.32	320.66	364.14	484.96	357.47	354.06	289.11	175.11	2956.83
वास्तविक	99.00	118.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान ईसीएल ने 27.25 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है।

(घ) बीआईएफआर की स्वीकृत पुनर्वास योजना के अनुसार वर्ष 2005-06 से 2012-2013 तक की अवधि के लिए उत्पादन लक्ष्य निम्नानुसार है:

आंकड़े मिलियन टन में

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
उत्पादन लक्ष्य	33.46	35.14	36.17	37.76	39.85	40.80	41.70	41.70

इन्टरनेट कनेक्शन

3455. श्री जुएल ओराम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इन्टरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्य में इन्टरनेट कनेक्शन हेतु मांग बढ़ी है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक उपभोक्ता को इन्टरनेट कनेक्शन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर उड़ीसा दूरसंचार सर्किल में (31.03.2005 की स्थिति के अनुसार) इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 44037 थी।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) जो कि उड़ीसा दूरसंचार सर्किल में सबसे बड़ा इंटरनेट सेवा प्रदाता है, ने यह सुनिश्चित करने के समुचित उपाय किए हैं कि उड़ीसा में समस्त ग्रामीण तथा शहरी एक्सचेंजों में उपभोक्ताओं को स्थानीय कॉल की दरों पर इंटरनेट अभिगम्यता उपलब्ध हो। इसके अलावा, प्राइवेट कंपनियों को आईएसपी लाइसेंस जारी किए गए हैं जिनमें से अनेक कंपनियां उड़ीसा में इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

दसवीं योजना में संरचनात्मक/कार्यात्मक स्वास्थ्य संबंधी सुधार

3456. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्यत: नौवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए स्वास्थ्य क्षेत्र के संरचनात्मक सुधारों को पूर्णत: संचालनात्मक बनाने पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए संरचनात्मक तथा कार्यात्मक स्वास्थ्य सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में क्या कदम उठाए गए तथा इन सुधारों को किस सीमा तक प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया गया है; और

(ङ) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के क्षेत्र विस्तार तथा उपयोग में सुधार लाने के लिए ये सुधार किस सीमा तक मददगार सिद्ध होंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में निहित मुख्य नई पहलें शीर्ष कार्यक्रमों के समस्त एकीकरण, एक रोग निगरानी और अनुक्रिया तंत्र विकसित करने, एक एकीकृत गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम विकसित करने और कार्यान्वित करने, स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव के मूल्यांकन, आपातकाल, आपदा, दुर्घटना और अभिघात परिचर्या के लिए उपयुक्त प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन, एचएमआईएस और आपूर्ति संभारतंत्र में सुधार करने से संबंधित है।

केन्द्र ने विभिन्न नीति संबंधी पहलें शुरू की हैं जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी में उपलब्धता और दक्षता में सुधार करना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में नौवीं पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित पहलों को सृजित करने की कोशिश की गई है। वास्तव में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन कोर कार्यनीति में अन्यों के बीच शीर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को एकीकृत करना, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबन्धन करने, उन्हें नियंत्रित करने और उनके लिए उत्तरदायी होने के लिए पंचायती राज संस्थाओं सहित स्थानीय सरकारों को शक्ति प्रदान करना, एक क्षेत्र व्यापी नीति (एप्रोच) अपनाना जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रदानगी में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रणालीबद्ध परिवर्तन करना हो, स्वास्थ्य प्रबन्धन सूचना पद्धति विकसित करना, समानता में सुधार लाने, सार्वजनिक प्राइवेट भागीदारी विकसित करने, चिकित्सा शिक्षा का पुन: अभिविन्यास करने आदि के लिए प्राइवेट क्षेत्र के विनियमन जैसी अन्य अनुपूरक कार्यनीतियों के अलावा एकीकृत रोग निगरानी नेटवर्क को लागू करना शामिल है।

कार्यक्रमों के राज्य स्वामित्व में सुधार करने के लिए किए गए प्रयासों, समुदाय, प्राइवेट क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी, सेवाओं की प्रभावी प्रदानगी सभी ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की कवरेज और उपयोग में सुधार करने में मदद की है।

तमिलनाडु में सी.जी.एच.एस. औषधालय खोला जाना

3457. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में स्थान-वार कुल कितने सी.जी.एच.एस. औषधालय (एलौपोथिक)/होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक) हैं;

(ख) क्या औषधालयों की विद्यमान संख्या लाभार्थियों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या तमिलनाडु में और अधिक सी.जी.एच.एस. औषधालय खोलने की मांग काफी समय से लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) तमिलनाडु राज्य में चेन्नई ही एकमात्र शहर है जहां पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं उपलब्ध हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की पर्याप्त संख्या आदि उपलब्ध हैं जिनका ब्यौरा दिया गया है:-

एलोपैथिक औषधालय	चौदह
पोली-क्लीनिक	दो
प्रयोगशालाएं	दो
डेंटल यूनिट	एक
आयुर्वेदिक यूनिट	एक
होम्योपैथिक यूनिट	एक
सिद्ध यूनिट	एक

गैर-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (जिसमें तमिलनाडु के गैर-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र शामिल हैं) को केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार स्वत: ही चिकित्सा सुविधाएं मिल जाती हैं।

तमिलनाडु में और अधिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं परन्तु संसाधनों और कार्मिक शक्ति की कमी के कारण वर्तमान में अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं को बढ़ाना संभव नहीं है।

समुद्री क्षेत्र का विनियमन

3458. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्री क्षेत्र के विनियमन के लिए कोई व्यापक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा; और

(घ) मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) सरकार, पत्तनों, वाणिज्य-पोत-परिवहन और अंतर्देशीय जल-परिवहन से युक्त समुद्री क्षेत्र के बारे में नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटी है। उपर्युक्त नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, देश को वर्ष, 2025 तक, समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास, रेल, सड़क और अंतर्देशीय जल-परिवहन से संपर्क कायम करके पश्चभूमि के प्रत्यग्र, एकीकरण, पोत-निर्माण में बेहतरी और पोत-निर्माण तथा पोत-मरम्मत से संबंधित सुविधाओं के आवर्धन हेतु समन्वित योजना और कार्य-कौशल से युक्त रणनीतियों के माध्यम से, भारत के समुद्री परिवहन-तंत्रों के समग्र और सर्वांगीण विकास का ध्येय रखा गया है। विभिन्न हिस्सेदारों, राज्य-सरकारों और केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों से परामर्श कर लेने के बाद और अंतर मंत्रालयी परामर्श के दौरान मिली प्रतिपुष्टि परक जानकारी के आधार पर, इस नीति के प्रति सक्षम अधिकारी का अनुमोदन लेने की प्रक्रिया आगे निबाहने की दृष्टि से समुद्री क्षेत्र के बारे में नीति में, जोर दिए जाने हेतु अपेक्षित क्षेत्र चुन लिए गए हैं। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा।

(घ) समुद्री क्षेत्र के बारे में नीति के प्रारूप में यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता मानी गई है कि समुद्री पत्तनों और मत्स्य-बंदरगाहों में काम-काज के संचालन के संबंध में एक-दूसरे से कोई टकराव नहीं हो और इस नीति में मौजूदा मत्स्य-बंदरगाहों में महापत्तनों की भूमिका परिसीमित और परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।

प्रायोगिक बाजार सर्वेक्षण परियोजना

3459. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग द्वारा लगभग दो वर्ष पहले आगरा में एक प्रायोगिक बाजार सर्वेक्षण परियोजना चलायी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना में, आंकड़ा संग्राहक के रूप में डाकियों का इस्तेमाल करके डाक विभाग ने एफएमसीजी उत्पादों, दूरसंचार सेवाओं और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग का व्यापक डाटाबेस संग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो समूचे देश में इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) देश के विभिन्न भागों में आंकड़े किस सीमा तक संग्रहित किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) आगरा में स्थानीय आधार पर पारिवारक ब्यौरे, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित आंकड़े एकत्र करने का बहुत सीमित कार्यकलाप चलाया गया था।

(घ) और (ङ) पहले बेंगलूर और हैदराबाद में भी आंकड़े एकत्र किए गए थे। हालांकि, अभी देश भर में डाटा एकत्र करने की कोई योजना नहीं है।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा अर्जित लाभ

3460. श्री जुएल ओराम:
श्री सुनील खां:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक वर्ष-वार भारतीय नौवहन निगम द्वारा अर्जित निवल लाभ कितना है;

(ख) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय नौवहन निगम द्वारा अर्जित निवल लाभ में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोलकाता से अंडमान तक कुछ पोतों का प्रतिस्थापन, चेन्नई से अंडमान तक के उचित निष्पादन की तुलना में समुचित ढंग से नहीं किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय निगम लिमिटेड द्वारा कर का भुगतान किए जाने के बाद अर्जित किया गया लाभ निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	लाभ (करोड़ रु. में)
2004-2005	1419.90
2003-2004	627.00
2002-2003	274.80

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र में निजी कंपनियों का कार्यनिष्पादन

3461. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार सुविधाओं के संबंध में निजी कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल से बहुत आगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों को आगे लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सफलता हासिल की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। 31.7.2005 की स्थिति के अनुसार निजी दूरसंचार प्रचालकों के 53.76 मिलियन के उपभोक्ता आधार की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रचालकों का कुल उपभोक्ता आधार 53.24 मिलियन है।

(ख) और (ग) अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी दूरसंचार क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियां अपने उपभोक्ता आधार में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत हैं। सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् एमटीएनएल तथा बीएसएनएल नई सेवाएं आरंभ करके, मौजूदा नेटवर्क का आधुनिकीकरण और उन्नयन करके, प्रतियोगी प्रशुल्कों की पेशकश तथा ग्राहक सेवा में सुधार इत्यादि करके और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनने की दिशा में कई उपाय कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को और अधिक स्वायत्त बनाने के लिए हाल ही में इन उपक्रमों की शक्तियों में भी वृद्धि की है।

(घ) बीएसएनएल द्वारा अक्तूबर, 2002 में सेल्युलर मोबाइल सेवा की शुरूआत के समय से, 31.7.2005 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता आधार पर 11.16 मिलियन तक पहुंच गया है। 31.7.2005 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल में सेल्युलर मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 1.33 मिलियन हो गई है।

हिमाचल प्रदेश में सड़कों के लिए आबंटन

3462. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में सोलन/शिमला जिले की तीन मुख्य सड़कों, किंगल धोमी से चंडीगढ़, शालाघाट से धर्मपुरा और कुमार हट्टी से नाहन सड़कों को चौड़ा किए जाने का 'केंद्रीय सड़क निधि' के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए बजट में कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश में सोलन/शिमला जिले की इन सड़कों के लिए केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्रस्ताव इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

रात की ड्यूटी/ओवर टाइम ड्यूटी भत्ते के लिए पात्रता

3463. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नाइट ड्यूटी भत्ता (एन.डी.ए.) और ओवर टाइम भत्ता (ओ.टी.ए.) 2200/- रुपए (पूर्व संशोधित) प्रतिमाह है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विवाचक मंडल ने सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी भत्ते की पात्रता हेतु 2200/- रुपए प्रतिमाह की उच्चतम वेतन सीमा को हटाने का निर्णय दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बिना किसी उच्चतम वेतन सीमा के नाइट ड्यूटी भत्ता और ओवर टाइम भत्ते की अनुमति प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1986 के अंतर्गत रात्रि ड्यूटी भत्ता और समयोपरि भत्ते की हकदारी, संशोधन पूर्व वेतनमान के 2200/- रुपए प्रतिमाह के सैद्धान्तिक वेतन तक ही है।

(ग) और (घ) विवाचन बोर्ड ने रात्रि ड्यूटी भत्ते हेतु हकदारी के लिए, अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम वेतन सीमा हटाने के आदेश किए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए धनराशि

3464. श्री गिरिधर गमांग: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा में वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/मरम्मत स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके चार लेनों वाला बनाने के लिए परियोजना-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या आबंटित धनराशि राज्य को जारी कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) केंद्र सरकार ने इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राज्य को समग्र रूप में निधियां आबंटित की जाती हैं न कि परियोजना-वार। राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और चार लेन का बनाने के कार्यों सहित मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/मरम्मत कार्यों के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान, विकास कार्यों के लिए 72.75 करोड़ रु. और अनुरक्षण कार्यों के लिए 37.24 करोड़ रु. की निधियां आबंटित की गई थीं। वर्ष 2005-06 के दौरान, अभी तक विकास कार्यों के लिए 66.00 करोड़ रु. और अनुरक्षण कार्यों के लिए 34.56 करोड़ रु. की निधियां आबंटित की गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्वयं किए जाते हैं और वर्ष 2004-05 के दौरान 296.82 करोड़ रु. और 2005-06 (जुलाई 2005 तक) के दौरान 119.84 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के लिए उत्तरदायी कारणों में से मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटिज) का स्थानांतरण, क्वारीज की अनुपलब्धता और ठेकेदारों का घटिया कार्य-निष्पादन से जुड़ी समस्याएं हैं।

(घ) परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन और गहन मानीटरिंग करने के लिए तिमाही आधार पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मामले में परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

मजदूरों की सेवा का तथाकथित समापन

3465. श्री चन्द्रशेखर दूबे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा वर्ष 1992 से कार्यरत स्थायी 214 मजदूरों की सेवाओं के तथाकथित समापन के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को बहाल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) का लोयाबाद विद्युत संयंत्र अपने स्वामित्व के वैध अन्तरण के बिना वर्ष 1980 से 1992 के बीच बीसीसीएल के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन था। अप्रैल, 1992 में उक्त विद्युत संयंत्र को जब बीएसईबी के संयंत्र, मशीनरी, मजदूरों आदि सहित बी.एस.ई.बी. को लौटा दिया गया तो बी.एस.ई.बी. ने 214 अनियमित मजदूरों को वापस नहीं लिया। अनियमित मजदूरों के नियमितीकरण के मामले को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (सी.जी.आई.टी.) धनबाद को संदर्भित कर दिया गया जिसने बी.सी.सी.एल. द्वारा इस संयंत्र को बी.एस.ई.बी. को सौंपने से दो महीने पहले अनियमित मजदूरों की पहचान करने और उन्हें नियमित करने का अवार्ड दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए बी.सी.सी.एल. ने माननीय उच्च न्यायालय, रांची (सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 3486/93) के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। मामले के लम्बित रहने के दौरान यह मजदूर बी.सी.सी.एल. के नियोजन में रहते रहे और वर्ष 2002 में न्यायाधिकरण के अवार्ड को रद्द करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात् उनकी नौकरी को समाप्त कर दिया गया था। इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 214 नहीं है बल्कि केवल 177 है क्योंकि शेष 37 मजदूरों की या तो मृत्यु हो गयी अथवा नौकरी छोड़ गए।

(ख) से (घ) कई बार के विचार-विमर्श के पश्चात्, यूनियन और प्रबंधन इस विवाद को हल करने के लिए सहमत हो गए और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों पर यूनियन और प्रबंधन के बीच दिनांक 8.8.2005 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

यह सहमति बनी कि इस मुद्दे की मध्यस्थता करने के लिए मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक मध्यस्थ को सन्दर्भित किया जाए कि क्या वे कर्मचारी जिन्हें अप्रैल, 2005 में बीसीसीएल के रोल पर बने रहने से रोक दिया गया है, संदर्भ सं. 27/83 में सीजीआईटी द्वारा पारित किए गए अवार्ड से संबंधित है अथवा नहीं तथा आदेश अन्तिम और बीसीसीएल में कार्य कर रही पार्टियों पर बाध्यकारी होना चाहिए।

मध्यस्थता के दौरान यथापूर्व-स्थिति बनाई रखी जाएगी और इस खाली अवधि के लिए कोई पिछला वेतन नहीं दिया जाएगा। संबंधित कामगारों को लाभकारी उपयोग हेतु 9.8.2005 से अपना कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी।

बीसीसीएल में कार्य कर रहे मजदूरों द्वारा कार्य किया जाना मध्यस्थता कार्यवाही के अंतिम परिणाम आने की शर्त के अधीन है और उनके अधिकार तथा दायित्व विद्वान मध्यस्थ के समक्ष निकले अंतिम परिणाम द्वारा नियंत्रित होंगे।

[अनुवाद]

कोयला मजदूरों द्वारा हड़ताल

3466. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सारे देश के कोयला मजदूर अपनी मांगों को मनवाने के लिए 18 से 24 जुलाई, 2005 तक सात दिन की हड़ताल पर रहे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों और सरकार की उन पर प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-VII पर बातचीत के दौरान 18 से 24 जुलाई, 2005 तक हड़ताल करने का नोटिस दिया था। तथापि, वेतन समझौते पर 15 जुलाई, 2005 को हस्ताक्षर होने के बाद नोटिस को वापस ले लिया गया था।

स्कूल अध्यापकों को वेतन का भुगतान न होना

3467. श्री सुरेश कुरूप: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले 34 स्कूलों के अध्यापक के एक वर्ग को वर्षों से उनके वेतन से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन 34 स्कूलों, जिनमें कोयला खदान मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इन स्कूलों के छात्रों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन अध्यापकों को वेतन का भुगतान कराने हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ङ) ई.सी.एल. में और उसके इर्द-गिर्द संचालित निजी समिति के प्रबंधन वाले विद्यालयों के साथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) का कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है। ईसीएल, आवर्ती और गैर-आवर्ती अनुदान की स्वीकृति देकर, निजी समिति प्रबंधन द्वारा संचालित उन 162 विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जो वर्ष 1985-86 से पहले अस्तित्व में थे, जिनमें 610 अध्यापक कार्यरत थे तथा ये ई.सी.एल. एवं इसके इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में चल रहे थे। ईसीएल कल्याण बोर्ड जिसमें सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि तथा प्रबंधन के प्रतिनिधि होते हैं, ने 22.3.1991 को हुई अपनी बैठक में, निजी समिति के प्रबंधन वाले उन विद्यालयों को, जिनके ईसीएल के कमान क्षेत्र में क्रियाशील होने की सूचना प्राप्त हुई है, आवर्ती अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के लिए वर्ष 1985-86 को विच्छेद वर्ष मानने का निर्णय लिया। ईसीएल के ये 34 निजी समिति के प्रबंधन वाले विद्यालय 1985-86 में अस्तित्व में नहीं थे और इसलिए ये किसी प्रकार के आवर्ती अनुदान की स्वीकृति हेतु पात्र नहीं थे।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के सूचना मंत्री को अनुमति न देना

3468. श्री मोहन सिंह:
श्री अजीत जोगी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा हेतु आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त अनुमति देने से इंकार कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) पाकिस्तान सूचना मंत्री शेख राशीद अहमद ने भारत तथा पाकिस्तान द्वारा सहमत प्रक्रियाओं के अनुसार, श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा द्वारा जम्मू व कश्मीर की यात्रा करने हेतु यात्रा परमिट के लिए आवेदन किया था। सरकार ने आवेदन पर कार्रवाई की थी और इसमें शामिल समस्त संगत पहलुओं पर विचार करते हुए अनुमति देने से मना कर दिया।

राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता

3469. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के अनुमोदित योजना परिव्यय की तुलना में कम व्यय करने वाले राज्यों की केन्द्रीय सहायता में आनुपातिक कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कटौती का क्या आधार है;

(ग) क्या राज्यों की योजनाओं के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता योजना के आकार के अनुरूप नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य योजनाओं की सीमाएं प्रत्याशित उपलब्ध संसाधनों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा परिचालित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमोदित योजना परिव्यय की तुलना में कम व्यय करने तथा निर्धारित परिव्यय में कमी होने के कारण राज्यों की केन्द्रीय सहायता में आनुपातिक कटौती की गई है जिससे कि परिकल्पित समय-सूची के अनुसार योजना परियोजनाएं कार्यान्वित करना सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) से (च) राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय संबंधी निर्णय उपाध्यक्ष, योजना आयोग और संबंधित मुख्यमंत्री/राज्यपाल के बीच आपसी चर्चा के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रख कर लिये जाते हैं। राज्य योजनाओं के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋण और अनुदान के रूप में दी जाती है जिसे गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला, जिसे दिसम्बर, 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अपनाया एवं अनुमोदित किया गया, में दी गयी कार्यप्रणाली, मानदण्डों तथा वेटेज के आधार पर राज्यों को आवंटित किया जाता है।

[अनुवाद]

नकली/अप्रमाणिक औषधि की कथित बिक्री

3470. श्री प्रदीप गांधी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर दिल्ली में नकली/अप्रमाणिक औषधि की बिक्री में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को वर्तमान कानून में संशोधन करने हेतु कदम उठाए हैं ताकि नकली/अप्रमाणिक औषधि के विनिर्माताओं और विक्रेताओं को कठोर दंड दिया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जाली/नकली औषधों का विनिर्माण और विक्रय मुख्यतया एक गुप्त गतिविधि है। इस सीमा तक नकली औषधों के विनिर्माण और आवाजाही का पता लगाना मुश्किल है।

तथापि, राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त फीड बैक के अनुसार, वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान 38824, 43138 तथा 40862 औषध नमूनों की जांच की गई थी जिसमें से क्रमश: 96, 129 और 118 नमूने नकली पाए गए जो कि सूचित नकली नमूनों का 0.33, 0.29 और 0.288 है।

औषध प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन बेईमान लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने सहित औषधों के विनिर्माण और विक्रय को विनियमित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त फीड बैक के अनुसार वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 में क्रमश: 563, 651, 538, 449 तथा 570 मुकदमें चलाए गए और 163, 245, 171, 105 तथा 166 मामलों में फैसला दिया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिल्ली सरकार के औषध नियंत्रण विभाग ने भागीरथ पैलेस, जो कि राजधानी में औषध की थोक मार्किट है, में नेमी निरीक्षण, विशेष निरीक्षण किए तथा नियमित छापे मारे। भारत सरकार के औषध नियंत्रक भी कभी कभार भागीरथ पैलेस में निरीक्षण कार्यक्रमों में संबद्ध होते हैं। जहां भी आवश्यकता पड़ी, छापों के दौरान दिल्ली पुलिस की सहायता ली गई। मार्किट में आने जाने वाली औषधों की गुणवत्ता की जांच पड़ताल करने के लिए औषधों के नमूने यादृच्छिक आधार पर लिए जाते हैं। विगत तीन वर्षों अर्थात् 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के औषध निरीक्षकों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर 720 विशेष निरीक्षण किए गए/छापे मारे गए। जांच/विश्लेषण के लिए भागीरथ पैलेस से लिए गए औषधों के नमूनों तथा उनके परिणामों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	लिए गए नमूनों की संख्या	प्राप्त की गई जांच रिपोर्ट की संख्या	नकली के रूप में सूचित नमूनों की संख्या
2002-2003	748	742	01 (0.13%)
2003-2004	420	351	01 (0.28%)
2004-2005	139	02	शून्य

(ग) और (घ) अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन हेतु मई, 2005 में संसद में औषध एवं सामग्री प्रसाधन (संशोधन) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया गया है, जिसमें अधिकतम दण्ड 100,000/- रुपये के साथ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इसमें आगे और यह प्रस्ताव भी है कि इस अपराध को गैर-जमानती, संज्ञेय बनाया जाना चाहिए और केसों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष रूप से नामोदिष्ट न्यायालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

प्रस्तावित संशोधन जाली औषधों के विनिर्माण अथवा विक्रय में संलिप्त अपराधियों के लिए कड़ा कानून बनाएगा। पुलिस जैसी प्रवर्तक एजेंसियों के शामिल होने से अपराधियों को बुक करने हेतु जांच में तथा ऐसी गतिविधियों में संलिप्त असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी।

ईस्ट-वेस्ट कारीडोर का संरेखण

3471. श्री हितेन बर्मन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को उत्तर बंगाल में ईस्ट-वेस्ट कारीडोर के संरेखण को अंतिम रूप देने के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 31सी के खंडों में शेष कार्य को पूरा करने हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर स्वीकृति मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) वर्तमान में परियोजना किस चरण में है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 31 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 31सी के विद्यमान संरेखण हेतु सर्वेक्षण तथा जांच शुरू कर दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ज) राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (551-634 कि.मी.) और राष्ट्रीय राजमार्ग-31सी (105-223 कि.मी.) के सड़क खंडों को 4 लेन का बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पूरा नहीं हुआ है क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्व-पश्चिम कारीडोर का अधिसूचित संरेखण (एलानमेंट) कुछ स्थानों पर वन्य जीव अभ्यारण्यों/राष्ट्रीय पार्कों से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-31 और राष्ट्रीय राजमार्ग-31सी के मौजूदा संरेखण के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण (एस एंड आई) संबंधी कार्य करने का प्रस्ताव आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रस्ताव पर दिनांक 6.4.2005 को वन्य जीव संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थाई समिति की बैठक के दौरान चर्चा की गई थी और एक विशेषज्ञ दल के माध्यम से इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराए जाने का निर्णय लिया गया था। इस विशेषज्ञ दल ने पहले ही इस परियोजना क्षेत्र का दौरा किया है। यह परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय से सर्वेक्षण और अन्वेषण संबंधी कार्यों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण रूकी पड़ी है।

राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4

3472. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोट्टापुरम-कोल्लम राष्ट्रीय जलमार्ग अभी नौवहन के लिए तैयार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस जलमार्ग को नौवहन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) कोट्टापुरम-कोल्लम-जलमार्ग-खंड, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 का हिस्सा नहीं है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का हिस्सा है, जो कि अभी तक पूरी तरह कार्य संचालित करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस समूचे खंड में बड़े पैमाने पर निकर्षण (कैपिटल ड्रेजिंग) से संबंधित कार्य पूरा नहीं किया गया है।

(ख) कोच्चि और ताकाझी जेटी (अलपूझा के दक्षिण में) खंड के बीच और उद्योगमंडल और चंपाकारा नहरों में भी निकर्षण से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है। कोच्चि-कोट्टापुरम-खंड में बड़े पैमाने पर निकर्षण से संबंधित कार्य चल रहा है। ताकाझी जेटी से कोल्लम तक (40 कि.मी.) जलमार्ग के शेष खंड में, कुछ स्थानीय कारणों और करार से संबंधित कुछ समस्याओं के कारण, निकर्षण से संबंधित कार्य ठप्प हो गया है। केरल की राज्य-सरकार से परामर्श करके उपर्युक्त मसले निबटाने और निकर्षण से संबंधित कार्य पूरा करने की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अवमानना संबंधी अधिकार

3473. श्री बाजू बन रियान: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अवमानना संबंधी अधिकार को समाप्त करने पर विचार कर रही है जैसा कि हाल ही में कतिपय समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा केन्द्र सरकार के व्यथित कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए क्या प्रस्ताव है; और

(ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय कि अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों का रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार, अधिकरणों के गठन के पश्चात् भी जारी रहेगा और प्रशासनिक अधिकरण उच्च न्यायालयों के इस क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे, के परिप्रेक्ष्य में सरकार, अपनी (अधिकरण की) अवमानना के लिए दण्ड देने की शक्ति के संबंध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 17 को विलोपित करने के लिए, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है।

(ग) प्रशासनिक अधिकरण उतने ही सशक्त और प्रभावी बने रहेंगे जितने इस समय हैं क्योंकि कथित अवमानना की स्थिति में वे संबंधित उच्च न्यायालयों में जाने के लिए सक्षम होंगे।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता

3474. श्री रामदास आठवले: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किया गया निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश निर्माण कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) जिला प्राधिकारियों को दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार कार्य को कार्यान्वित कराना होता है, जिसमें कार्य विनिर्देशन एवं गुणवत्ता भी शामिल है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 5.1 के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, क्षेत्रीय निरीक्षण द्वारा वास्तविक प्रबोधन एवं समन्वय के लिए एक केंद्रक विभाग को नामित करेंगे। जिलाध्यक्ष, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यों के कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा, इन कार्यों को कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों की यह जिम्मेवारी होगी कि वे कार्य स्थलों का नियमित रूप से दौरा करें और सुनिश्चित करें कि कार्य, निर्धारित पद्धतियों और विनिर्देशनों के अनुसार गुणात्मक रूप से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। जिला उप-मंडल और ब्लाक स्तर के अधिकारी, इन कार्यों के कार्यान्वयन का प्रबोधन करते हैं।

(ख) और (ग) कार्य की खराब गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होने पर उसे संबंधित राज्य सरकार एवं जिला प्राधिकारियों को, चूक के लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने सहित उपचारी उपाय करने के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की हालत

3475. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कौन-कौन से पुल खराब स्थिति में हैं;

(ख) उन प्रस्तावित पुल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक आरंभ नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) गुजरात में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 21 पुलों की खराब हालत में होने की सूचना मिली है। इन पुलों के विवरण संलग्न हैं। इन 21 पुलों में से, रा.रा.-8ई और रा.रा. 59 के 5 पुलों को पुनर्निर्माण/सुधार संबंधी चालू वार्षिक योजना में शामिल किया गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के 8 पुलों से संबंधित मरम्मत कार्य को, निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अधीन चार-लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित इस सड़क के उन्नयन कार्य के साथ प्रारंभ किया जा सकता है। संबंधित निष्पादन एजेंसी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तुरंत तैयार करने की सलाह दी गई है। शेष 8 पुलों के निर्माण-कार्य को उत्तरवर्ती वार्षिक योजनाओं में पुल की ढांचागत स्थिति, यातायात आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता तथा फंड की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में शुरू करने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र.सं.	पुल का नाम	रा.रा. सं.	स्थिति
1	2	3	4
1.	कुंभरिया खादी	6	9/6-8
2.	मिनधोला नदी	6	34/2-4
3.	डोकमारदा (छोटा पुल)	6	39/2-4
4.	चिक खादी	6	31/8-42/0

1	2	3	4
5.	मिनधोला नदी	6	53/6-8
6.	लोकल खादी (छोटा पुल)	6	68/4-6
7.	लोकल खादी (छोटा पुल)	6	71/4-6
8.	कछबा खादी (छोटा पुल)	6	84/8-85
9.	रूक्मवती पुल	8ए (विस्तार)	100/1
10.	छोटा पुल	8ई	160/1
11.	छोटा पुल	8ई	188/1
12.	छोटा पुल	8ई	236/1
13.	छोटा पुल	8ई	237/2
14.	छोटा पुल	8ई (विस्तार)	343/2
15.	छोटा पुल	8ई (विस्तार)	382/1
16.	छोटा पुल	8ई (विस्तार)	383/1
17.	मेधा क्रीक पुल	8ई (विस्तार)	409/1
18.	छोटा पुल	8ई (विस्तार)	411/2
19.	नोवाद्रा छोटा पुल	8ई (विस्तार)	426/1
20.	गोमती छोटा पुल	8ई (विस्तार)	469/1
21.	मोहर पुल	59	41/6-41/8

[हिन्दी]

राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलना

3476. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अनेक राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इनमें से कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है; और

(घ) शेष राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में कब तक बदले जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने तीन राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने संबंधी प्रस्ताव भेजे हैं। इस समय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा और अधिक सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने की बजाय पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

एनडब्ल्यू-दो के पांडु सडिया सेक्टर में न्यूनतम गहराई

3477. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनडब्ल्यू-दो की पांडु सदिया में 2 मी. या 1.5 मी. की न्यूनतम अनिवार्य लीन सीजन चैनल गहराई अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तत्संबंधी सेक्टर के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) उक्त सेक्टर में लीन सीजन के दौरान न्यूनतम अनिवार्य गहराई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-2 की विशिष्टताओं पर विचार करके, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण ने वर्ष 2005-2006 में, धुबरी और डिब्रूगढ़ के बीच 768 किलोमीटर के खंड में कम से कम 2 मीटर की गहराई तथा डिब्रूगढ़ एवं बलीजन के बीच 42 किलोमीटर के खंड में 1.5 मीटर की गहराई उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है। वर्ष 2004-2005 में धुबरी और पांडु के बीच 255 किलोमीटर के खंड में तथा पांडु और नेमति के बीच 375 किलोमीटर के खंड में लगभग 330 दिन तक कम से कम 2 मीटर की गहराई उपलब्ध करवाई गई। नेमति और डिब्रूगढ़ के बीच 138 किलोमीटर के खंड में, लगभग 300 दिन तक 2 मीटर की गहराई कायम रखी गई तथा डिब्रूगढ़ और सदिया के बीच 123 किलोमीटर के खंड में 1 मीटर की गहराई कायम रखी गई।

(ग) गहराई कायम रखने के लिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण द्वारा जल का स्तर कम रहने के दौरान, वर्ष-प्रति वर्ष, बैंडेलिंग से संबंधित कार्य किया जाता है। इसके अलावा, निकर्षण से संबंधित कार्य भी किया जाता है। एक हाइड्रोलिक सर्फेस ड्रेजर और एक कटर सक्शन ड्रेजर को राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-2 पर पहले ही लगा दिया गया है।

[हिन्दी]

कोयले के मूल्य में अन्तर

3478. श्री चन्द्रशेखर दूबे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वदेशी कोयले के लिए विद्यमान ई-आक्शन सिस्टम के अंतर्गत रेलवे रैक का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों के कोयला 1200-1500 रुपए प्रतिटन की दर पर बेचा जाता है जबकि सड़क परिवहन का विकल्प चुनने वालों को उसी ग्रेड और गुणवत्ता का कोयला 3000-3600 रुपए प्रतिटन की दर पर बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोल इंडिया लिमिटेड का विचार कोयले के बिक्री मूल्य में एकरूपता लाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) सड़क परिवहन द्वारा ई-नीलामी के अंतर्गत कोयले की बिक्री कोलियरी-वार की जाती है जबकि रेल द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की बिक्री साइडिंग/पायलट-वार की जाती है जहां कोयले की आपूर्ति विभिन्न स्रोतों से की जाती है। रेल और सड़क के लिए कोई साझी नीलामी नहीं है। मौजूदा ई-नीलामी प्रणाली में, कोयले का मूल्य कोयला कंपनियों द्वारा तय नहीं किया जाता है बल्कि सफल बोलीकर्त्ता/क्रेता द्वारा स्वयं तय किया जाता है। इसलिए दोनों पद्धतियों के बोली-मूल्य में कुछ अंतर होने की गुंजाइश संभव है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत निर्माण के लिए अनुमानित व्यय

3479. श्री सुरेश कुरूप:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती.

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "भारत निर्माण" का कुल अनुमानित व्यय कितना है;

(ख) क्या इसका भार केवल केन्द्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा अथवा इसमें राज्य और निजी क्षेत्र भी अंशदान करेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों और केन्द्र के बजट के माध्यम से "भारत निर्माण" के अंतर्गत शामिल की गई छह ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्रों की प्रत्येक योजना पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों और केन्द्र के बजट में छह ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्रों के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(च) सरकार ने "भारत निर्माण" के अंतर्गत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए संसाधन जुटाने के लिए क्या योजना बनाई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) भारत निर्माण के लिए पूर्ववर्ती आकलित 1,74,000 करोड़ रुपये के कुल व्यय की तुलना में अब इसके प्रारम्भिक अनुमान के रूप में 1,76,000 करोड़ रुपये के लगभग होने का आकलन किया गया है।

(ख), (ग) और (च) निधि संबंधी अपेक्षाओं को केन्द्र और राज्यों द्वारा दी जाने वाली बजटीय सहायता, विदेशी सहायता, बाजार उधार और (कुछ मामलों में) लाभभोगी योगदान के उपयुक्त मेल द्वारा पूरा जाएगा।

(घ) और (ङ) छह ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए निधि की कुल अनुमानित आवश्यकता और केंद्रीय बजट में वर्ष 2005-06 में इन छह घटकों हेतु निधि का आबंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	घटक	कुल अनुमानित निधि आवश्यकता	केन्द्र द्वारा बजट आबंटन 2005-06	अभ्युक्तियां
1.	सिंचाई	68,500*	4800	राज्यों को विभिन्न स्कीमों के मानकों के अनुसार उपयुक्त मैचिंग हिस्सा उपलब्ध कराना है।
2.	सड़कें	47,554	4235	
3.	आवास	11,100	2775	
4.	पेयजल	25,300	4050	
5.	ग्रामीण विद्युतीकरण	23,300	1285	
6.	टेलीफोनी	451	114	
	योग	1,76,205	17,259	

*इसमें सिंचाई पर संभावित राज्य योजना व्यय शामिल है।

भारत निर्माण को एक समयबद्ध योजना के रूप में चालू वर्ष (2005-06) में ही शुरू किया गया है अत: इस समय केन्द्र और राज्यों द्वारा किए गए व्यय के कोई अनुमान नहीं लगाये जा सकते।

सड़कों का विकास

3480. डा. राजेश मिश्रा:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना में अभी तक सड़कों के विकास का कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है;

(ख) क्या सड़कों के निर्माण में विलंब यदि कोई हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उनके शीघ्र निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरे किए गये सड़क विकास परियोजनाओं के विकास कार्य की प्रतिशतता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटी) के स्थानांतरण, ठेकेदारों के खराब कार्यनिष्पादन, आदि के कारण कुछ विकास स्कीमों को पूरा करने में विलंब हुआ है।

(ग) एनएचडीपी चरण-I में मुख्यत: स्वर्णिम चतुर्भुज शामिल है जिसे मूलत: दिसंबर, 2004 तक पूरा किया जाना था, का दिसंबर, 2005 तक केवल 92 प्रतिशत कार्य पूरा हो जाने की संभावना है। एनएचडीपी चरण-II में मुख्यत: उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कारीडोर शामिल हैं और सन् 2009 के मूल लक्ष्य की तुलना में इसके सन् 2008 तक पूरा हो जाने की संभावना है, जिसे बाद में 2007 कर दिया गया।

एन.एच.ए.आई. द्वारा सड़कों के तेजी से निर्माण के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं-

(1) स्वतंत्र इंजीनियर, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय द्वारा और मंत्रालय द्वारा जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित रूप से मानिटरिंग की जाती है।

(2) राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है।

(3) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनापत्ति, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्यों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है।

(4) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए, रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। कुछ आर.ओ.बी. के कार्यान्वयन के लिए मै. इरकान के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(5) खराब कार्य-निष्पादन वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरे हो गई सड़कों के विकास कार्यों की प्रतिशतता

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2002-03 से 2005-06 (जून, 2005 तक)		
		कार्रवाई योजना के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	दो लेन का बनाना (कि.मी.)	2537	2337	92.1
2.	विद्यमान कमजोर पैदल मार्ग का सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	8232	6009.28	73.0

1	2	3	4	5
3.	चार लेन का बनाना (कि.मी.)	6069	3853.28	63.5
4.	निम्न ग्रेड खंडों का सुधार (कि.मी.)	96	131	136.5
5.	सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम (कि.मी.)	12548	12603	100.4
6.	पुलों की मरम्मत/निर्माण (संख्या)	598	403	67.4
7.	बाइपासों की संख्या (संख्या)	43	21	48.8

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-50 के पुल के नीचे की भूमि का दुरूपयोग

3481. श्री देविदास पिंगले: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असामाजिक तत्वों द्वारा नासिक के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-50 के पुल के नीचे की भूमि का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त भूमि को स्वैच्छिक संगठनों को हस्तांतरित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) ऐसी कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क उपरि सेतु/फ्लाईओवरों के नीचे के स्थान के उपयोग संबंधी सरकार की नीति के अनुसार किसी स्वैच्छिक संगठन को वह भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकती है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लाइनों का बनाना

3482. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लाइनों में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है और इसे चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों को चार-लेन का बनाने का कार्य यातायात की अधिकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

3483. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में संलग्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके कार्यों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन कंपनियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा धीमी प्रगति के लिए कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में संलग्न विदेशी कंपनियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) धनराशि का कंपनी-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

(ग) से (च) उन विदेशी/बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित ठेकेदारों/पर्यवेक्षी परामर्शदाताओं के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) चरण-1 के कार्य-निष्पादन की व्यापक समीक्षा की गई है और 8 विदेशी फर्मों सहित 17 फर्मों को गैर-कार्य-निष्पादन फर्म घोषित किया गया है तथा उनको भविष्य में ठेकों के लिए बोली से वंचित कर दिया गया है।

विदेशी कंपनियों के 5 ठेके पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं।

विवरण

ए. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (राराविप) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में शामिल विदेशी निर्माण कार्य फर्मों का ब्यौरा

क्र.सं.	खंड	रा.रा. सं.	लंबाई (कि.मी.)	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति	संविदाकार	राष्ट्रीयता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फतेहपुर-खागा (टीएनएचपी/II-सी)	2	77	372.4	कार्यान्वयनाधीन	सेंट्रोडोस्ट्रोय रूस	रूस
2.	हन्डिया-वाराणसी (टीएनएचपी/III-सी)	2	72	286	कार्यान्वयनाधीन	सेंट्रोडोस्ट्रोय रूस	रूस
3.	मोहनिया/सासाराम (टीएनएचपी/IV-बी)	2	45	230.55	कार्यान्वयनाधीन	एलजी इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	कोरिया
4.	पनागढ़-पलसित	2	64.457	350	चार लेन	गमुडा मलेशिया-डब्ल्यूसीटी मलेशिया	मलेशिया
5.	पलसित-दनकुनी	2	65	432.4	चार लेन	गमुडा (मलेशिया) और डब्ल्यूसीटी इंजीनियरिंग (मलेशिया) का कंसोर्टियम	मलेशिया
6.	विवेकानंद सेतु और पहुंच मार्ग	2	6	641	कार्यान्वयनाधीन	एसवीबीटीजी कंसोर्टियम, एआईडीसी समूह (सं.रा.अ.) एसटीआरएडीसी (फिलीपींस)	फिलीपींस-सं.रा.अ. सं.उ.
7.	अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रेसवे चरण-1	8	43.4	165	चार लेन	पीटी सुम्बेर मित्रा जया	इंडोनेशिया
8.	दनकुनी-कोलाघाट (डब्ल्यूबी-1)	6	54.4	393	कार्यान्वयनाधीन	आरबीएम पाती (सं.उ.)	मलेशिया
9.	नेलौर-टाडा (एपी-7)	5	110.517	621.35	चार लेन	सिडबी मलेशिया	मलेशिया

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	भोगपुर से जालंधर (एनएस-16/पीबी)	0.04167	21.77	71.18	चार लेन	मैसर्स भूमि हाईवे	मलेशिया
11.	थोरपुरघाट खण्ड (एनएस/14)	7	7.4	33.74	चार लेन	पीटी सुम्बेर मिज्ञ जया	इंडोनेशिया
12.	उरई से झांसी (यूपी-4)	25	66	356	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स सनवे कंस्ट्रक्शन लि.	मलेशिया
13.	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (राजस्थान-9)	76	43.15	277	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स सनवे कंस्ट्रक्शन लि.	मलेशिया
14.	चित्तौड़गढ़ बाईपास (राजस्थान-6:	76	40	288	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स चाइना गेझुवा वाटर एण्ड पावर (समूह) कं.लि.	चीन
15.	खेतपुर से भिलाडी (पैकेज-2)	8	64.5	399.89	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स लींगजिया रोड एण्ड ब्रिज लि.	चीन
16.	नन्दीगामा-विजयवाड़ा	9	35	138.65	चार लेन	सिडबी मलेशिया	मलेशिया
17.	महुआ-जयपुर	11	108	483	कार्यान्वयनाधीन	आईजेएम कारपोरेशन बरहाड	मलेशिया
	कुल		923.59	5539.16			

बी. राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में शामिल संयुक्त उद्यम वाली विदेशी निर्माणकारी फर्मों का ब्यौरा

क्र.सं.	खंड	रा.रा. सं.	लंबाई (कि.मी.)	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति	संविदाकार	राष्ट्रीयता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इटावा-राजपुर (जीटीआरआईपी/I-सी)	2	72.825	348.444	कार्यान्वयनाधीन	मै. पाती-बेल	मलेशिया-भारतीय सं.उ.
2.	सिकंदरा-भौंती (टीएनएचपी/II-ए)	2	62	323.62	कार्यान्वयनाधीन	आईटी थाई एंड सोम दत्त बिल्डर्स इंडिया (सं.उ.)	थाई-इंडो सं.उ.
3.	वाराणसी-मोहानया (जीटीआरआईपी/IV-ए)	2	76	467.93	कार्यान्वयनाधीन	म. पीसीएल-सनवे बेईड (सं.उ.)	भारतीय-मलेशिया सं.उ.
4.	देहरी-आन-सोन-औरंगाबाद (टीएनएचपी/IV-डी)	2	40	242.61	कार्यान्वयनाधीन	संयोग कोरिया-ओरियंटल एसई इंडिया	कोरियाई-भारतीय सं.उ.
5.	गोरहर-बरवा अड्डा (टीएनएचपी/V-सी)	2	78.75	399.745	कार्यान्वयनाधीन	प्रोग्रेसिव कन्स. लि. एंड सनवे बेईड (सं.उ.)	भारतीय-मलेशिया सं.उ.
6.	बरवा अड्डा-बरकर	2	43	120	4 लेन	बीएससी-आरबीएम-पाती (सं.उ.)	भारतीय-मलेशिया सं.उ.
7.	रानीगंज-पानागढ़	2	42	137	4 लेन	बीएससी-आरबीएम-पाती (सं.उ.)	भारतीय-मलेशिया सं.उ.
8.	गुड़गांव-कोटपुतली	8	126	251	4 लेन	बीएससी-आरबीएम-पाती (सं.उ.)	भारतीय-मलेशिया सं.उ.
9.	गुलाबपुरा-भीलवाड़ा बाईपास (केयू-III)	79	50	164.25	4 लेन	ईसीएसबी-जेएसआरसी (सं.उ.)	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
10.	चित्तौड़गढ़-मंगलवाड़ (केयू-V)	76	48	161.2	4 लेन	मधुकोन बीनापुर (सं.उ.)	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
11.	रतनपुर-हिम्मतनगर (यूजी-III)	8	54.6	182.29	4 लेन	मुदाजया-आईआरबी	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
12.	अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे फेस I	एनई I	50	365	4 लेन	एलजी इंबी. एंड कन्स. कं. एंड नागार्जुन कन्स. लि.	कोरियाई-भारतीय सं.उ.

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	सूरत (चलथन)-अतुल	8	79.6	504.6	4 लेन	एसकेईसी-डोडसाल	कोरियाई-भारतीय सं.उ.
14.	अतुल-कावली	8	38.6	174.59	4 लेन	एलबी कंसट्रक्शन्स-पटेल इंजीनियरिंग	कोरियाई-भारतीय सं.उ.
15.	बालासौढ़-भद्रक ओआर-III)	5	62.64	227.25	कार्यान्वयनाधीन	एलसामेक्स-टीडब्ल्यूएस-शंकर नारायण शेट्टी (सं.उ.)	स्पेन-भारतीय सं.उ.
16.	खुर्दा-सुनखाला (ओआर-VI)	5	52.058	189.68	कार्यान्वयनाधीन	सुम्भर मित्र जया-रोहित कुमरा-श्री दुर्गा कन्सट्रक्शन्स (सं.उ.)	इंडोनेशिया-भारतीय सं.उ.
17.	सुनखाला-गंजम (ओआर-VII)	5	55.173	225	कार्यान्वयनाधीन	प्रोग्रेसिव-रिटको	भारतीय-साउथ अरेबिया
18.	अंकापल्ली-तुनी	5	58.947	283.2	4 लेन	जीएमआर-तुनी-अंकापल्ली एक्सप्रेस लि.	भारतीय-मलेशियाई सं.उ.
19.	गोपन्नी-गुंडूकोलानू (एपी-18)	5	81.08	323.35	4 लेन	लिमैक-सोमा (सं.उ.)	तुर्की-भारतीय सं.उ.
20.	इलुरू-विजयवाड़ा पैकेज V	5	72	134	4 लेन	मधुकोन जीनापुरी	भारतीय-मलेशियाई सं.उ.
21.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज I	5	25	60	4 लेन	आईवेएम-गायत्री	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
22.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज II	5	32	80	4 लेन	आईवेएम-गायत्री	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
23.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज III	5	23.78	68	4 लेन	आईवेएम-गायत्री	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
24.	चिल्कालूरीपेट-ओंगोल (एपी-13)	5	66	319.21	कार्यान्वयनाधीन	आईवेएम-गायत्री	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
25.	ओंगोल-कावली (एपी-12)	5	72	321.41	कार्यान्वयनाधीन	हो-हप-सिम्प्लेक्स (सं.उ.)	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
26.	कटराज-सरोले (पीएस-3)	4	28.5	97.9	कार्यान्वयनाधीन	सातव कंस्ट्र. प्रा.लि. एंड देना रेहसाब	भारतीय-ईरानी सं.उ.
27.	बेलगाम बाईपास	4	18	115.9	कार्यान्वयनाधीन	सनवे कंस्ट्रक्शन-वेहेड एंड आर एन शेट्टी एंड कं.	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
28.	बेलगाम-धारवाड़	4	62	279	कार्यान्वयनाधीन	सनवे कंस्ट्रक्शन-वेहेड एंड आर एन शेट्टी एंड कं.	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
29.	हवेरी-हरिहर	4	56	241	कार्यान्वयनाधीन	यूईएम-एस्सार (सं.उ.)	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
30.	हरिहर-चित्रदुर्ग	4	77	318	कार्यान्वयनाधीन	यूईएम-एस्सार (सं.उ.)	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
31.	चित्रदुर्ग बाईपास	4	18	104	कार्यान्वयनाधीन	डोलोमाइट-वेहेड-एएल सुदर्शन (सं.उ.)	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
32.	चित्रदुर्ग-सिरा	4	66.7	304	कार्यान्वयनाधीन	यूईएम-एस्सार (सं.उ.)	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
33.	बोरखेडी-जाम (एनएस-29/एमएच)	7	27.4	110	कार्यान्वयनाधीन	मै. वेएसआर-केतन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	भारतीय-इंडोनेशियाई
34.	कस्बर आरओबी का निर्माण	7	0.84	12.15	4 लेन	पी.टी. सुम्भर मित्र एंड जया एंड पुंज लायड	इंडोनेशिया-भारतीय सं.उ.
35.	डीसा से राधनपुर (पैकेज-VI)	14	85.4	399.89	कार्यान्वयनाधीन	मै. डैलीम इंडस्ट्रियल कार्पो. लि.-नागार्जुन कन्सट्र. कार्पो. (सं.उ.)	कोरियाई-भारतीय सं.उ.

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	रायनपुर से गगोधर (पैकेज-V)	15	106.2	429.4	कार्यान्वयनाधीन	मै. जीलीन-सदभाव (सं.उ.)	चीनी-भारतीय सं.उ.
37.	गगोधर से रामगोड (पैकेज-VI)	15 और 89	90.3	412.78	कार्यान्वयनाधीन	मै. डैलीम इंडस्ट्रियल कार्पो. लि.-नागार्जुन कंस्ट्र., कार्पो. (सं.उ.)	कोरियाई-भारतीय सं.उ.
38.	रामगोड से खमनबोर (पैकेज-III)	0.33333	71.4	360.7	कार्यान्वयनाधीन	मै. डैलीम इंडस्ट्रियल कार्पो. लि.-नागार्जुन कंस्ट्र., कार्पो. (सं.उ.)	कोरियाई-भारतीय सं.उ.
39.	भिलाड़ी से पोरबंदर (पैकेज-I)	8वी	50.5	255.96	कार्यान्वयनाधीन	मै. लीमैक-सोमा (सं.उ.)	तुर्की-भारतीय सं.उ.
40.	तम्बरम-टिंडीवनम	45	93	375	4 लेन	तम्बरम-टिंडीवनम एक्सप्रेसवे प्रा.लि. (कंसोर्टियम आफ जीएमआर कंसोर्टियम एंड यूई मलेशिया)	भारतीय-मलेशियाई सं.उ.
41.	दिल्ली-गुड़गांव खंड (8/6 लेने नियंत्रित पहुंच)	8	27.7	555	कार्यान्वयनाधीन	मै. जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि.-डीएस कंस्ट्र. लि.	भारतीय-यूके सं.उ.
42.	नन्दीगामा-विजयवाड़ा	9	48	0	4 लेन	बीएससी-आरबीएम-पाती (सं.उ.)	भारतीय-मलेशियाई सं.उ.
43.	चैन्नै बाईपास	4 और 45	19	75	4 लेन	आईवेएस-सत्यम कंस्ट्रकसन लि.	मलेशियाई-भारतीय सं.उ.
44.	नैनी के निकट यमुना नदी पर केबल आधारित पुल	27	6	219.78	4 लेन	ह्यूंदे-एचसीसी	कोरियाई-भारतीय सं.उ.
45.	हल्दिया बंदरगाह	41	53	273	कार्यान्वयनाधीन	सीडब्ल्यूएचईसी-एचसीआईएल (सं.उ.)	चीनी-भारतीय सं.उ.
46.	रायपुर-औरंग	6	45	190	कार्यान्वयनाधीन	मै. अपोलो (यूके)-बेएलआई(यूके)-डीएससी (इंडिया)-एलओआर (यूके) कंसोर्टियम	यूके
	योग		2512.53	11201.84			

सी. राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में शामिल विदेशी पर्यवेक्षण परामर्शदात्री फर्मों का ब्यौरा

क्र.सं.	खंड	रा.रा. सं.	लंबाई (कि.मी.)	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति	पर्यवेक्षण परामर्शदाता	राष्ट्रीयता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	खागा-कोखराज (टीएनएचपी/III-ए)	2	43	151.7	4 लेन	मेनहार्डट (सिंगापुर) प्रा.लि.	सिंगापुर
2.	इन्डिया-वाराणसी (टीएनएचपी/III-सी)	2	72	286	कार्यान्वयनाधीन	मेनहार्डट (सिंगापुर) प्रा.लि.	सिंगापुर
3.	वाराणसी-मोहनिया (जीटीआरआईपी/IV-ए)	2	76	467.93	कार्यान्वयनाधीन	एन.डी. ली इंटल	कनाडा
4.	सासाराम-देहरी-ऑन-सोन (जीटीआरआईपी/IV-सी)	2	30	221.87	कार्यान्वयनाधीन	ली इंटल	कनाडा
5.	बरवा अड्डा-बड़कर	2	43	120	4 लेन	साइमांड ट्रैवर्स मोरगन लि.	यूके
6.	रानीगंज-पानागढ़	2	42	137	4 लेन	साइमांड ट्रैवर्स मोरगन लि.	यूके

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	चानगढ़-पलसित	2	64.457	350	4 लेन	हालक्रा लि.	यूके
8.	पलसित-दनकुनी	2	65	432.4	4 लेन	डोरेह कंसलटैंट	जर्मनी
9.	विवेकानंद पुल एवं पहुंच मार्ग	2	6	641	कार्यान्वयनाधीन	मै. स्लावच बर्जरडैन ऐंड पार्टनर	जर्मनी
10.	गुढ़गांव-कोटपुतली	8	126	251	4 लेन	स्नीवी माउन्टेन्स इंडी. कार्पोरेशन लि.	आस्ट्रेलियाई
11.	महापुरा (जयपुर के निकट)-किशनगढ़ (6 लेन)	8	90.38	644	4 लेन	बीसीईओएम फ्रेन्च इंजीनियरिंग कंसलटैंट	फ्रांसीसी
12.	किशनगढ़-नसीराबाद (केयू-I)	79ए	36.23	113.5	4 लेन	डोर्सच कंसलटैंट्स	जर्मनी
13.	नसीराबाद-गुलाबपुरा (केयू-II)	79	55.87	182.09	4 लेन	डोर्सच कंसलटैंट्स	जर्मनी
14.	गुलाबपुरा-भीलवाड़ा बाईपास (केयू-III)	79	50	164.25	4 लेन	एसएनसी लवलीन इंटरनेशनल	कनाडा
15.	भीलवाड़ा बाईपास-चित्तौड़गढ़ (केयू-IV)	79	66	202.88	4 लेन	एसएनसी लवलीन इंटरनेशनल	कनाडा
16.	चित्तौड़गढ़-मंगलवाड़ (केयू-V)	76	48	161.2	4 लेन	एसएमईसी इंटरनेशनी प्रा.लि.	आस्ट्रेलियाई
17.	मंगलवाड़-उदयपुर (केयू-VI)	76	58.175	170	4 लेन	एसएमईसी इंटरनेशनी प्रा.लि.	आस्ट्रेलियाई
18.	बालासीढ़-भद्रक (ओआर-III)	5	62.64	227.25	कार्यान्वयनाधीन	सेलिदया एसोसिएट्स इंक	यूएसए
19.	भद्रक-चंडीखोल (ओआर-II)	5	75.5	305.3	4 लेन	सेलिदया-पीबीआई इंटल-एमआरसी	यूएसए
20.	पुल खंड (ओआर-V)	5	11.587	155	कार्यान्वयनाधीन	लुईस बर्गर इंटरनेशनल इंक	यूएसए
21.	भुवनेश्वर-खुर्दा (ओआर-I)	5	26.3	140.85	कार्यान्वयनाधीन	सेलिदया-पीबीआई इंटल-एमआरसी	यूएसए
22.	खुर्दा-सुनखाला (ओआर-VI)	5	52.058	189.68	कार्यान्वयनाधीन	डीएचवी इंटरनेशनल बीवी	नीदरलैंड
23.	सुनखाला-गंजम (ओआर-VII)	5	55.713	225	कार्यान्वयनाधीन	डीएचवी इंटरनेशनल बीवी	नीदरलैंड
24.	अंकापल्ली-तुनी	5	58.947	283.2	4 लेन	डोर्सच कंसलटैंट्स	जर्मनी
25.	तुनी-धर्मावरम (एपी-16)	5	47	231.9	कार्यान्वयनाधीन	जायदुन लींग	मलेशिया
26.	धर्मावरम-राजामुंदरी (एपी-15)	5	53	206	4 लेन	जायदुन लींग	मलेशिया
27.	इलुरू-विजयवाड़ा पैकेज V	5	72	134	4 लेन	काम्पसैक्स हैदर जेवी	डेनमार्क-यूके
28.	नेल्लोर बाईपास	5	17.166	143.2	4 लेन	मै. स्कॉट विल्सन किर्कपैट्रिक इंडिया प्रा.लि.	यूके
29.	नेल्लोर-टाडा (एपी-7)	5	110.517	621.35	4 लेन	लुईस बर्गर ग्रुप इंक	यूएसए
30.	टाडा-चेन्नई (टीएन-1)	5	41.8	233	कार्यान्वयनाधीन	मै. स्कॉट विल्सन किर्कपैट्रिक इंडिया प्रा.लि.	यूके
31.	चित्रदुर्ग बाईपास	4	18	104	कार्यान्वयनाधीन	लुईस बर्गर	यूएसए
32.	चित्रदुर्ग-सिरा	4	66.7	304	कार्यान्वयनाधीन	लुईस बर्गर	यूएसए

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	सिरा-तुमकुर	4	41.4	184	4 लेन	लुईस बर्गर	यूएसए
34.	कुंजवानी से विजयपुर (एनएस-15/जेएंडके)	0.04167	17.2	110	कार्यान्वयनाधीन	मै. ली एसोसिएट्स	कनाडा
35.	कन्याकुमारी-पानागुडी (एनएस/32)	7	30.6	110.3	कार्यान्वयनाधीन	मै. शेल्दिया एसोसिएट्स	यूएसए
36.	अंगमाली से अलुवा (एनएस-28/केएल)	47	16.6	77.38	4 लेन	मै. शेल्दिया एसोसिएट्स	यूएसए
37.	सिलचर-उदारबंद (एएस-1)	54	34	130	कार्यान्वयनाधीन	लुईस बर्गर ग्रुप इंक	यूएसए
38.	पर्भिया-गयाकोटा (ईडब्ल्यू-12/बीआर)	31	28	205.73	कार्यान्वयनाधीन	मै. स्कॉट विल्सन एंड किर्कपैट्रिक	यूके
39.	डीसा से राधनपुर (पैकेज-VI)	14	85.4	399.89	कार्यान्वयनाधीन	मै. कार्लब्रो	डेनमार्क
40.	राधनपुर से गगोधर (पैकेज-V)	15	106.2	429.4	कार्यान्वयनाधीन	मै. कार्लब्रो	डेनमार्क
41.	गगोधर से गरामोड़ (पैकेज-IV)	15 और 8ए	90.3	412.78	कार्यान्वयनाधीन	मै. कार्लब्रो	डेनमार्क
42.	विक्टा से गोंडल खंड (ईडब्ल्यू-10/बीओ)	8बी	17	40.44	4 लेन	मै. एचएसएस फीडबैक	मलेशिया
43.	नंदीगामा-विजयवाड़ा	9	35	138.65	4 लेन	एबीजीआई	यूएसए
	योग		2242.74	10439.12			

डी. राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में शामिल संयुक्त उद्यम वाली विदेशी परामर्शी फर्मों का ब्यौरा

क्र.सं.	खंड	रा.रा. सं.	लंबाई (कि.मी.)	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति	पर्यवेक्षण परामर्शदाता	राष्ट्रीयता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इटावा-राजपुर (जीटीआरआईपी/1-सी)	2	72.825	348.444	कार्यान्वयनाधीन	सीइएस-बीइसीए (सं.उ.)	भारत-न्यूजीलैंड
2.	सिकन्दरा-भीती टीएनएचपी/2-ए)	2	62	323.62	कार्यान्वयनाधीन	बीसीईओएम-स्तूप-आर्वी	फ्रेंच-भारतीय
3.	कानपुर-फतेहपुर (जीटीआरआईपी/2-बी)	2	51.5	495.35	कार्यान्वयनाधीन	सीइएस-बीइसीए (सं.उ.)	भारत-न्यूजीलैंड
4.	फतेहपुर-खागा (टीएनएचपी/2-सी)	2	77	372.4	कार्यान्वयनाधीन	बीसीईओएम-स्तूप-आर्वी	फ्रेंच-भारतीय
5.	इलाहाबाद बाईपास संविदा-1 (पुल)	2	1.02	91.36	कार्यान्वयनाधीन	सीटारूट, फ्रीसमैन प्रभू	फ्रेंच-भारतीय
6.	राजगंज-बाराकटा (जीटीआरआईपी/5-बी)	2	80	452.71	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स राइट्स-हालक्रो (सं.उ.)	भारत-यू.के.
7.	जयपुर बाईपास फेज 2	8	34.7	210	चार लेन	मैरीटैक लि. महेन्द्रराज कंस्ट्र-आरवी एसोशियेट्स	न्यूजीलैंड-भारत-भारत
8.	उदयपुर-केसरियाजी (यूजी-1)	8	62	245.905	चार लेन	स्कॉट विल्सन किरकापैट्रिक स्पेन कंस्ट्र. कंसलटिंग इंजी. ग्रुप लि.	यू.के.-भारत-भारत
9.	केसरियाजी-रतनपुर (यूजी-2)	8	48.4	226.05	चार लेन	स्काट विल्सन किरकापैट्रिक स्पेन कंस्ट्र. कंसलटिंग इंजी. ग्रुप लि.	यू.के.-भारत-यू.के.

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	रतनपुर-हिम्मतनगर (यूजी-III)	8	54.6	182.29	चार लेन	स्तूप कंसलटेंट लि. बंगलादेश कंस्ट्र.	भारत-बंगलादेश
11.	हिम्मतनगर-चिलोदी (अहमदाबाद के पास) (यू.जी.-IV)	8	52	175	कार्यान्वयनाधीन	स्तूप कंसलटेंट लि. बंगलादेश कंस्ट्र.	भारत-बंगलादेश
12.	अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग फेज-I	8	43.4	165	चार लेन	सीईएस-हालक्रो एसोसिएशन	भारतीय-यू.के.
13.	अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग फेज-II	एनई I	50	365	चार लेन	सीईएस-हालक्रो एसोसिएशन	भारतीय-यू.के.
14.	सूरत (चलथन) अतुल	8	79.6	504.6	चार लेन	सीईएस-बीईसीओएम-राइट्स	भारतीय-फ्रेंच-भारतीय
15.	अतुल-कचली	8	38.6	174.59	चार लेन	सीईएस-बीईसीओएम-राइट्स	भारतीय-फ्रेंच-भारतीय
16.	कचली-मनोर	8	57.4	192.71	चार लेन	सीईएस-बीईसीओएम-राइट्स	भारतीय-फ्रेंच-भारतीय
17.	धनकुनी-कोलाघाट (डब्ल्यूबी-I)	6	54.4	393	कार्यान्वयनाधीन	आईसीटी-एसएनसी लवलीन	भारतीय-कनाडा
18.	कोलघाट-खड़गपुर (डब्ल्यूबी-II)	6	60.45	375	चार लेन	आईसीटी प्रा.लि. एसएनसी लवलीन	भारतीय-कनाडा
19.	पुल खण्ड (डब्ल्यूबी-III)	6	1.732	81	कार्यान्वयनाधीन	आईसीटी प्रा.लि. एसएनसी लवलीन	भारतीय-कनाडा
20.	खड़गपुर-लक्ष्मणनाथ (डब्ल्यूबी-IV)	60	65.86	332	कार्यान्वयनाधीन	लुईस बरजर इंटरनेशनल-एनआईसीई	सं.रा.अ.-भारतीय
21.	लक्ष्मणनाथ-बालेश्वर (ओआर-IV)	60	53.41	272	कार्यान्वयनाधीन	लुईस बरजर इंटरनेशनल-एनआईसीई	सं.रा.अ.-भारतीय
22.	पुल खण्ड (ओआर/डब्ल्यूबी-I)	60	0	80	कार्यान्वयनाधीन	लुईस बरजर इंटरनेशनल-एनआईसीई	सं.रा.अ.-भारतीय
23.	चण्डीखोल-जगतपुर	5	27.8	103.35	चार लेन	एसएमईसी-स्पैन	आस्ट्रेलिया-भारतीय
24.	इच्छापुरम-कोरलम (एपी 4बी)	5	33	143.05	कार्यान्वयनाधीन	बीईसीए-सीईएस-राइट्स	न्यूजीलैंड-भारतीय
25.	कोरलम-पलासा (एपी 4ए)	5	29	135.11	कार्यान्वयनाधीन	बीईसीए-सीईएस-राइट्स	न्यूजीलैंड-भारतीय
26.	पलासा-श्रीकाकुलम (एपी-2)	5	74	324	चार लेन	बीईसीए-सीईएस-राइट्स	न्यूजीलैंड-भारतीय
27.	चम्पावती-विशाखापट्टनम (एपी-3)	5	46.2	200	चार लेन	सेलाडिया-राइट्स (सं.उ.)	सं.रा.अ.-भारतीय
28.	पुल खण्ड (एपी-5)	5	0	71	चार लेन	सेलाडिया-राइट्स (सं.उ.)	सं.रा.अ.-भारतीय
29.	दीवानचेरू (राजमुनदरी के पास)-गौतमी (आं.प्र. 17)	5	34.95	130.8	चार लेन	एसएनसी-लवलीन इं. एण्ड आरवी एसोसिएट्स	कनाडियन-भारतीय
30.	पुल खण्ड (एपी 9)	5	2.45	136.45	चार लेन	एसएनसी-लवलीन इं. एण्ड आरवी एसोसिएट्स	कनाडियन-भारतीय
31.	गौतमी-गून्दूगोल्लून (आ.प्र.-18)	5	81.08	323.35	चार लेन	एसएनसी-लवलीन इं. एण्ड आरवी एसोसिएट्स	कनाडियन-भारतीय
32.	पुल खण्ड (आ.प्र.-20)	5	0	131.33	चार लेन	एसएनसी-लवलीन इं. एण्ड आरवी एसोसिएट्स	कनाडियन-भारतीय
33.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज-I	5	25	60	चार लेन	लुईस बरगर-निप्पोन-कोई-सीईएस (सं.उ.)	सं.रा.अ.-जापान-भारतीय

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज-II	5	32	80	चार लेन	लुईस बरगर-निप्पोन-कोई-सीईएस (सं.उ.)	सं.रा.अ.-जापान-भारतीय
35.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज-III	5	23.78	68	चार लेन	लुईस बरगर-निप्पोन-कोई-सीईएस (सं.उ.)	सं.रा.अ.-जापान-भारतीय
36.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज-IV	5	2.88	58	चार लेन	लुईस बरगर-निप्पोन-कोई-सीईएस (सं.उ.)	सं.रा.अ.-जापान-भारतीय
37.	चिल्कालूरीपेट-ओंगोल (एपी-13)	5	66	319.21	कार्यान्वयनाधीन	केएम इंटरनेशनल एंड सीकान सर्वे लि.	स्वीडन-भारतीय
38.	ओंगोल-कावली (एपी-12)	5	72	321.41	कार्यान्वयनाधीन	केएम इंटरनेशनल एंड सीकान सर्वे लि.	स्वीडन-भारतीय
39.	कावली-नेल्लोर (एपी-11)	5	43.8	181	चार लेन	केएम इंटरनेशनल एंड सीकान सर्वे लि.	स्वीडन-भारतीय
40.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम	4	77	332	चार लेन	सर ओवन विलियम-फ्रिज़मेन-प्रभु	यूके-भारत
41.	बेलगाम बाईपास	4	18	115.9	कार्यान्वयनाधीन	रफटन इंटरनेशनल-सीईजी	यूके-भारत
42	बेलगाम-धारवाड़	4	62	279	कार्यान्वयनाधीन	रफटन इंटरनेशनल-सीईजी	यूके-भारत
43.	हुबली-हवेरी	4	64.5	260.93	कार्यान्वयनाधीन	रफटन इंटरनेशनल-सीईजी	यूके-भारत
44.	तुमकुर-नीलमंगला	4	32.5	155	चार लेन	जायदुन लॉंग-आर्टीफेक्ट प्रोजेक्ट्स	मलेशिया-भारत
45.	कृष्णगिरि-वनियमवाड़ी (केआर-1)	46	49	195	चार लेन	मैसर्स राइट्स-सीकॉन-सर ओवन विलियम	भारतीय-यूके
46.	वनियमवाडी-पल्लीकोंडा (केआर-2)	46	51	223	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स राइट्स-सीकॉन-सर ओवन विलियम	भारतीय-यूके
47.	पल्लीकोंडा-रानीपेट और वालाजापेट बाईपास (केआर-3)	46	45	211	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स राइट्स-सीकॉन-सर ओवन विलियम	भारतीय-यूके
48.	वलेलापेट-कांचीपुरम	4	36.2	130	चार लेन	मैसर्स सौती-धेरजी (सं.उ.)	इटैलियन-भारतीय
49.	कांचीपुरम-पूनामल्ली	4	56.4	211	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स सौती-धेरजी (सं.उ.)	इटैलियन-भारतीय
50.	मदुरै-तिरूनेलवेली खण्ड का 120 कि.मी. से पानागुड़ी (कि.मी. 203) (एनएस-43)	7	43	423.54	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स बीसीईओएम-आरवी एसोसिएट्स (सं.उ.)	फ्रेंच-भारतीय
51.	मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड (एनएस-42/टीएन)	7	42.7	507.49	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स बीसीईओएम-आरवी एसोसिएट्स (सं.उ.)	फ्रेंच-भारतीय
52.	नागांव से धर्मतुल (एएस-2)	37	25	264.72	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स बीसीईओएम-स्तूप-आरवी	फ्रेंच-भारतीय
53.	गुवाहाटी से नलवाड़ी (एएस-4)	31	28	175.96	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स स्कॉट विल्सन किर्कपैट्रिक एंड कंपनी लि. (यूके)-स्कॉट विल्सन (इंडिया)/(सं.उ.)	यूके-भारतीय
54.	नलवाड़ी से बिजनी (एएस-6)	31	25	225	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स बीसीईओएम-स्तूप-आरवी	फ्रेंच-भारतीय
55.	असम/पश्चिम बंगाल सीमा से गैरकट्टा (डब्ल्यूबी-1)	31सी	32	221.82	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स स्टेनले कंसलटेंट इंक-एमडीपी कंसलटेंट-कंसलटिंग इंजीयनियरिंग ग्रुप लि.	सं.रा.अ.-भारतीय

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	सिलीगुड़ी से इस्लामपुर (डब्ल्यूबी-VI)	31	25	165	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स बीसीईओपम-स्तूप-आरवी कंसलटेंट	फ्रेंच-भारतीय
57.	गारामौर से बामनबोर (पैकेज-III)	8ए	71.4	360.7	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स स्टेनले-सीईएस इंडिया प्राईवेट लि.	सं.रा.अ.-भारतीय
58.	जेतपुर से भिलाड़ी (पैकेज-II)	8बी	64.5	399.89	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स स्टेनले-सीईएस इंडिया प्राईवेट लि.	सं.रा.अ.-भारतीय
59.	भिलाड़ी से पोरबंदर (पैकेज-I)	8बी	50.5	255.96	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स स्टेनले-सीईएस इंडिया प्राईवेट लि.	सं.रा.अ.-भारतीय
60.	नैनी के निकट यमुना नदी पर केबल स्टेड पुल	27	6	219.78	चार लेन	कोवी-स्पैन सं.उ.	डेनमार्क-भारतीय
61.	गाजियाबाद-हापुड़ और हापुड़ बाईपास	24	33	84	चार लेन	सेटोस्ट-आईसीटी	फ्रेंच-भारतीय
62.	न्यू मंगलौर पत्तन	13, 17 एवं 48	37	196.5	कार्यान्वयनाधीन	मैसर्स एसएनसी लवलीन इंटरनेशनल इंक-साई कंसलटेंट इंजीनियरिंग प्रा.लि. (सं.उ.)	कनाडियन-भारतीय
	कुल		2669.537	14457.28			

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

3484. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे:**
श्री वी.के. ढुम्मर:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री चन्द्रभान सिंह:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार कुल लंबाई कितनी है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में विकास योजनाओं के अंतर्गत लंबाई के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य को अब तक प्राप्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान देश में विकास योजनाओं के संबंध में राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और पूरा हुए कार्यों का प्रतिशत क्या है; और

(घ) खराब कार्य-निष्पादन के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की गति बढ़ाने हेतु क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार लंबाई संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं, भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति में विलंब, निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता, कुछ ठेकेदारों द्वारा धीमे कार्य-निष्पादन आदि के कारण कुछ कार्यों को पूरा करने में विलंब हुआ है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों की प्रगति की तिमाही समीक्षा के द्वारा विभिन्न स्तरों पर कड़ी निगरानी रखती है और सरकार ने समस्याओं के निराकरण के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, अंतर-मंत्रालयी तथा केंद्र-राज्य संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए सचिवों की समिति गठित करने जैसे कई कदम उठाए हैं और निर्धारित समय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए चूक करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4472
2.	अरुणाचल प्रदेश	392
3.	असम	2836
4.	बिहार	3537
5.	चंडीगढ़	24
6.	छत्तीसगढ़	2184
7.	दिल्ली	72
8.	गोवा	269
9.	गुजरात	2871
10.	हरियाणा	1468
11.	हिमाचल प्रदेश	1208
12.	जम्मू-कश्मीर	823
13.	झारखंड	1805
14.	कर्नाटक	3843
15.	केरल	1440
16.	मध्य प्रदेश	5069
17.	महाराष्ट्र	4176
18.	मणिपुर	959
19.	मेघालय	810
20.	मिजोरम	927
21.	नागालैंड	493
22.	उड़ीसा	3704
23.	पांडिचेरी	53
24.	पंजाब	1557
25.	राजस्थान	5585
26.	सिक्किम	62
27.	तमिलनाडु	4183
28.	त्रिपुरा	400
29.	उत्तरांचल	1991
30.	उत्तर प्रदेश	5599
31.	पश्चिम बंगाल	2325
32.	अंडमान और निकोबार	300

विवरण II

वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्य-वार मुख्य कार्य

क्र.सं.	राज्य का नाम	दो लेन बनाना (कि.मी.)		चार लेन बनाना (कि.मी.)		सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)		सड़क गुणवत्ता सुधार	
		लक्ष्य	प्राप्त प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्त प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्त प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्त प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	70.00	128.57	594	83.50	652	93.40	10	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	200.00	0	–	16	87.50	0	–
3.	असम	8.00	275.00	10	100.00	28	110.71	180	75.0
4.	बिहार	30.00	26.67	64	143.75	76	121.05	232	134.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	चंडीगढ़	0.00	–	2	50.00	0	–	0	–
6.	छत्तीसगढ़	69.00	63.77	0	–	3	0.00	200	100.5
7.	दिल्ली	0.00	–	21	0.00	21	0.00	4	–
8.	गोवा	0.00	–	18	72.22	18	72.22	40	95.2
9.	गुजरात	19.00	168.42	137	77.37	175	100.00	21	58.3
10.	हरियाणा	0.00	–	24	8.33	77	71.43	87	87.0
11.	हिमाचल प्रदेश	6.00	0.00	0	–	0	–	128	75.7
12.	जम्मू-कश्मीर	18.00	55.56	0	–	0	–	0	–
13.	झारखंड	17.00	70.59	79	83.54	88	75.00	64	73.6
14.	कर्नाटक	74.00	54.05	321	70.72	321	70.72	152	190.0
15.	केरल	13.00	15.38	17	100.00	21	80.95	150	120.0
16.	मध्य प्रदेश	23.00	95.65	37	45.95	42	102.38	400	95.9
17.	महाराष्ट्र	47.00	51.06	205	66.83	238	67.65	214	89.5
18.	मणिपुर	16.00	68.75	2	0.00	0	–	34	113.3
19.	मेघालय	3.00	266.67	0	–	2	100.00	72	74.2
20.	मिजोरम	1.00	0.00	0	–	24	104.17	72	126.3
21.	नागालैंड	0.00	–	0	–	2	100.00	55	161.8
22.	उड़ीसा	40.00	200.00	178	48.88	181	48.62	206	144.1
23.	पांडिचेरी	0.00	–	0	–	10	0.00	0	–
24.	पंजाब	0.00	–	36	100.00	47	131.91	149	97.4
25.	राजस्थान	195.00	78.97	247	99.60	361	72.58	0	0.0
26.	तमिलनाडु	50.00	72.00	313	91.69	478	88.28	37	102.8
27.	त्रिपुरा	21.00	219.05	0	–	0	–	18	85.7
28.	उत्तर प्रदेश	27.00	74.07	288	99.65	276	103.26	540	1080.0
29.	उत्तरांचल	56.00	76.79	3	100.00	0	–	55	500.0
30.	पश्चिम बंगाल	20.00	55.00	352	72.44	365	83.84	71	80.7

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों का बनाया जाना

3485. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईआरसी मानकों के अनुसार जयपुर से चोबु (राष्ट्रीय राजमार्ग-11), जयपुर से चक्सु (राष्ट्रीय राजमार्ग-12) और किशनगढ़ से ब्यावर (राष्ट्रीय राजमार्ग-8) तक के राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन प्रस्तावों को स्वीकृत करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) एनएचडीपी (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) चरण-IIIक के अंतर्गत जयपुर-मोमू-रिंगस (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11), जयपुर-चाकसू-टोंक (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12) और किशनगढ़-ब्यावर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8) राष्ट्रीय राजमार्गों की बीओटी (निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण) आधार पर चार लेन का बनाने के लिए पहचान कर ली गई है।

[अनुवाद]

बाई-पास सड़कों का निर्माण

3486. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 और 206 पर कुनिगल और तिप्तूर में बाई-पास सड़कों का निर्माण करने का है और उक्त सड़कों को विभिन्न स्थानों पर चौड़ा भी किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसे कब तक पूरा करने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रा.रा. 48 से 154 कि.मी. लंबे नीलमंगला-हासन खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर चार-लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंप दिया गया है। कुनिगल, जो नीलमंगला-हासन खंड पर पड़ता है, में बाइपास का प्रावधान निर्धारण डीपीआर के परिणाम पर निर्भर करेगा। रा.रा. 206 पर तिपतुर में बाईपास के निर्माण के लिए चालू वार्षिक योजना में प्रावधान कर दिया गया है। तथापि, भूमि अधिग्रहण के संबंध में मुकदमेबाजी चल रही है और बाईपास का निर्माण इस मुकदमेबाजी के निर्णय पर निर्भर करेगा।

रा.रा. 48 का संपूर्ण 319 कि.मी. लंबा राजमार्ग 2 लेन का है। उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक के अंतर्गत हसनपुर तक चार बनाने के कार्य के अलावा 17.30 कि.मी. लंबे बंटवाल से मंगलोर तक के सड़क खंड को चार-लेन का बनाने का कार्य शुरू किया जा चुका है जिसे जनवरी, 2008 तक पूरा कर दिए जाने की योजना है। जहां तक रा.रा. 206 का संबंध है, कुल 370 कि.मी. लंबे राजमार्ग में से 191 कि.मी. राजमार्ग दो लेन का है जबकि 179 कि.मी. राजमार्ग 2 लेन से कम का है। 42 कि.मी. राजमार्ग को चौड़ा करके दो लेन का निर्माण कार्य चल रहा है जिसे मार्च, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है जबकि चालू वार्षिक योजना में एक दूसरे 13 कि.मी. लंबे खंड में दो-लेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। शेष खंडों को चौड़ा करके दो लेन का बनाने का कार्य फंड की उपलब्धता तथा कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर उत्तरवर्ती वार्षिक योजनाओं में चरणबद्ध रूप में प्रारंभ किया जाएगा।

सामान्य वार्ड में दवाओं का नि:शुल्क वितरण

3487. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स के सामान्य वार्ड में भर्ती रोगी अस्पताल में मैन्युल के अनुसार नि:शुल्क दवा पाने के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सामान्य वार्ड के रोगियों से सिरिंज और काटन गेज सहित प्रत्येक दवा को बाजार से खरीदने के लिए कहा जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एम्स और अन्य सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक शल्य चिकित्सा की प्रतीक्षा कर रहे बड़ी संख्या में निर्धन रोगी उक्त अस्पतालों में अपना उपचार कराने की स्थिति में नहीं हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) वर्ष 2004-2005 के दौरान सामान्य वार्ड में नि:शुल्क वितरण हेतु दवाओं की खरीद पर एम्स द्वारा मद-वार कितना व्यय किया गया है; और

(ज) उक्त स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ज) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कैजुअल्टी/आपातकालीन वार्ड में आने वाले गरीब रोगियों सहित रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा जांच तथा नैदानिक जांच सुविधा मुहैया करायी जाती हैं। शल्यक उपभोज्य सामग्रियां और जीवन-रक्षक औषधें भी नि:शुल्क प्रदान की जा रही हैं। सामान्य वार्डों में दाखिल रोगियों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विनिर्दिष्ट शल्यक सामग्रियां और जीवन रक्षक औषधें नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। तथापि, शल्यक प्रोस्थेसिस तथा वस्तुओं जैसी सामग्रियों का प्रापण सामान्यतया रोगियों द्वारा स्वयं किया जाना अपेक्षित होता है। गरीब तथा स्वदेशी रोगी जो औषधें तथा शल्यक सामग्रियां खरीदने में असमर्थ होते हैं, उन्हें निर्धन रोगी निधि, राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि (राष्ट्रीय आरोग्य निधि), प्रधानमंत्री राहत कोष स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान तथा लोकहितकारी संगठनों के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है।

यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली में शल्यक/वार्ड में रोगियों की लंबी प्रतीक्षा सूची होती है। यह देश के विभिन्न भागों से एम्स में बढ़ती हुई संख्या में रोगियों के आने के कारण हैं।

एम्स के मुख्य अस्पताल ने आपातकालीन तथा अंतरंग रोगी परिचर्या के प्रयोग के लिए औषधों की खरीद के लिए 13.36 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। जिसमें शल्यक सामग्रियों, चिकित्सीय गैस, क्रिस्टलायड, सामान्य भंडार सामग्रियों तथा अन्य दैनिक व्यय जैसी नेमी रोगी परिचर्या संबंधी आवश्यकताएं शामिल नहीं हैं।

[हिन्दी]

प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग-28बी से संबंधित कार्य में प्रगति

3488. श्री कैलाश बैठा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छप्पवा से उत्तर प्रदेश की सीमा तक प्रस्तावित 121 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग (संख्या 28-बी) के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने हेतु भूमि-अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य को कब तक आरंभ करने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) छप्पवा और बिहार/उत्तर प्रदेश सीमा के बीच मौजूदा राज्यीय सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग-28बी के रूप में घोषित किया गया है और इसे विकास और अनुरक्षण के लिए फरवरी, 2005 में बिहार राज्य सरकार को सौंप दिया गया है।

(ख) सुधार कार्यों के लिए विस्तृत अनुसंधान कार्यों की आवश्यकता है। अत: इस चरण में कोई भूमि अधिग्रहण करना शामिल नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जाली जाति प्रमाण-पत्र पर कथित नियुक्तियां

3489. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री रामकृपाल यादव:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई, 2005 में सरकार को वर्ष 1995 से 2000 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों की जांच का काम सी.बी.आई. को सौंपने और इस घोटाले की जांच के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का निर्देश दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस मामले की जांच सी.बी.आई. से कराने और इस संबंध में विशेष न्यायालय गठित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका संख्या 5976/2003 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जांच-पड़ताल/अन्वेषण करने के निदेश दिए हैं जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरियां प्राप्त कीं।

(ख) से (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में, मंत्रालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अपर निदेशक की अध्यक्षता वाला और केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों से युक्त एक समन्वयकारी तंत्र गठित किया है। मुख्य सतर्कता अधिकारियों को यह कहा गया है कि वे, केन्द्र सरकार अथवा इसके अभिकरणों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा, रोजगार प्राप्त करने के लिए वर्ष 1995 से प्रयोग किए गए अनुसूचित जनजाति के सभी प्रमाण-पत्रों का जारी कर्त्ता प्राधिकारियों से सत्यापन करवाएं। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को, केवल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट के दो विशेष न्यायालय गठित करने के लिए भी कहा है।

[अनुवाद]

सेल्युलर आपरेटरों द्वारा "ट्राई" के निर्देशों का उल्लंघन

3490. डा. एम. जगन्नाथ: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सभी सेलुलर आपरेटरों को अपने उपभोक्ताओं से किसी मूल्य संवर्धित सेवा के लिए प्रभार नहीं लेने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेलुलर आपरेटर विशेषत: "एयरटेल" ट्राई के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मूल्य संवर्धित सेवाओं के लिए सामान्य प्रकाशित प्रशुल्क से अधिक राशि वसूल कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है या करने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सेल्युलर आपरेटरों को इस बात का कोई निर्देश नहीं दिया है कि वे क्विज, रिंगटोन, टोली-वोटिंग आदि जैसी मूल्य-वर्द्धित सेवा के लिए कोई शुल्क न लगाएं। ट्राई ने मूल्य वर्द्धित सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने के कार्य से अपने को अलग रखा है। उन उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए, जो मूल्य वर्द्धित सेवाओं का लाभ इन सेवाओं के लिए प्रभारों की किसी जानकारी के बिना उठाते हैं, ट्राई ने दिनांक 3 मई, 2005 के निर्देश "प्रीमियम दर सेवाओं पर निर्देश" द्वारा सभी सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं और एकीकृत अभिगम प्रदाताओं को निर्देश दिया था कि वे प्रीमियम दर सेवाओं से संबंधित सभी कागजातों/विज्ञापनों में सेवा के लिए पल्स दर/प्रशुल्क प्रकाशित करें। ट्राई ने दिनांक 3 मई, 2005 को भी एक निर्देश जारी किया है कि किसी भी प्रभार-योग्य मूल्य वर्द्धित सेवा, जो पहले नि:शुल्क प्रदान की जा रही थी, को उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति के बिना प्रभार योग्य नहीं बनाया जाएगा। इस संबंध में ट्राई को उनके द्वारा जारी निर्देश का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति के बिना मूल्य वर्द्धित सेवा प्रदान करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें एक मुंबई से मैसर्स भारती सेल्युलर लिमिटेड (एयरटेल) के एक उपभोक्ता की और दूसरी मुंबई से मैसर्स बीपीएल कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड के एक उपभोक्ता की थी। ट्राई ने इन शिकायतों पर सेवा प्रदाताओं से स्पष्टीकरण मांगा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 की स्थिति

3491. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के शेष भाग को पूर्वोत्तर के सात राज्यों से जोड़ने वाली बिहार में एकमात्र सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 की स्थिति बरौनी और किशनगंज के बीच अत्यधिक जीर्णशीर्ण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामत: सात पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त मार्ग खंड के निर्माण/रख-रखाव के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) उक्त मार्ग खंड के निर्माण का कार्य किस एजेंसी को सौंपे जाने की संभावना है और उक्त कार्य के कब तक शुरू होने/पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। पसराहा जोन से होकर गुजरने वाली सड़क और नौगछिया-पूर्णिया खण्ड के बीच के विभिन्न खण्ड गत वर्ष की बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान 4.00 करोड़ रुपये की धनराशि के मरम्मत कार्य मंजूर किए गए थे। मंत्रालय द्वारा कुल 70 किलोमीटर लम्बे बरौनी-पूर्णिया खण्ड में सुधार कार्यों को मंजूरी दे दी गई हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के पूर्णिया-किशनगंज खण्ड के 43 किलोमीटर लम्बे राजमार्ग में चार लेन बनाने का कार्य, भारतीय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II के अंतर्गत पूर्व-पश्चिम कारीडोर के भाग के रूप में प्रगति पर है।

(ग) इस मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-वार कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

(ङ) निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने के आधार पर न्यूनतम बोली दाता को सौंपे जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के कुल 70 कि.मी. लंबे बरौनी-पूर्णिया खंड में सुधार कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (बिहार में) के 43 कि.मी. लंबे पूर्णिया-किशनगंज खंड को चार लेन का बनाने के कार्य को अप्रैल, 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

3492. श्री सुबोध मोहिते: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से नागपुर से रत्नागिरि तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस परियोजना को स्वीकृति देने पर विचार कर रही है;

(घ) इसे सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) यह मंत्रालय सामान्यत: राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा करता है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण नहीं करता है। रत्नागिरि और कोल्हापुर को जोड़ने वाली सड़क को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोल्हापुर-सोलापुर-लातूर-नांदेड़-यवतमल-वर्दा-नागपुर राज्यीय सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने संबंधी प्रस्ताव भेजा है। इस समय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की बजाय पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। तदनुसार, महाराष्ट्र राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को यातायात योग्य बनाना

3493. श्री रघुनाथ झा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति के बारे में दिनांक 09 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 892 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-24 की मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है तथा क्या संबंधित अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए वहां के दौरे किए हैं कि इस राजमार्ग पर यातायात की आवाजाही हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पर यातायात की आवाजाही हो सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग-58 को भी चौड़ा कर चार लेन वाला बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) रा.रा.-24 का हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर खंड भारी बारिश और सड़क के साथ-साथ रिब्बन डेवलपमेंट की वजह से अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। तथापि, मरम्मत कार्य चल रहा है और यह कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है। इस खंड का शीघ्र मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं द्वारा नियमित दौरे किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) रा.रा.-58 के राष्ट्रीय राजमार्ग मेरठ और देहरादून के बीच भाग को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर चार-लेन में बदलने का एक प्रस्ताव है। रा.रा.-58 का दिल्ली से मेरठ तक खंड पहले से ही चार-लेन का है। मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच चार-लेन बनाने का कार्य मै. एनसीसी मेतास कंसोर्टियम को पहले ही प्रदान कर दिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कार्य पूरा हो गया है और शेष भाग के लिए बीओटी बिड्स का कार्य चल रहा है।

भारत निर्माण के अंतर्गत सुनिश्चित सिंचाई

3494. श्री सुरेश कुरूपः
श्री स्वदेश चक्रवर्तीः

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या "भारत निर्माण" का एक उद्देश्य अतिरिक्त हेक्टेयर भूमि को सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2005-2006 का वास्तविक निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एन.आई.बी.पी.) के अंतर्गत कितना खर्च आने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 2005-2006 के लिए बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) वित्त वर्ष 2005-06 के लिए 1.90 मिलियन हेक्टेयर का वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें नई संभावना और बहाल की गई संभावना भी शामिल है।

(ग) और (घ) वर्ष 2005-06 के बजट में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और जल संसाधन मंत्रालय के अन्य जल संसाधन कार्यक्रमों के लिए 4800 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष में एआईबीपी के अंतर्गत अब तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

3495. श्री दुष्यंत सिंहः क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य से गुजरने वाली भारी यातायात वाले कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-12 का जयपुर-कोटा-झालावाड़ भाग भारी यातायात वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के उस खंड को चार-लेन का बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) इस मंत्रालय को राज्य सरकार से, राजस्थान राज्य से होकर गुजरने वाले किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर-उदयपुर (रा.रा.-8), भरतपुर-जयपुर-रींगस-सीकर (रा.रा.-11), जयपुर-टोंक-कोटा-झालावाड़ (रा.रा.-12) और ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा (रा.रा.-14) जैसे कुछ भारी यातायात वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार-लेन का बनाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के जयपुर-टोंक-कोटा-झालावाड़ खंड को एनएचडीपी (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) चरण-III के अंतर्गत बीओटी (निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण) आधार पर चार-लेन का बनाने के उद्देश्य से पहले ही अभिनिर्धारित कर लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने संबंधी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं हेतु जुटाया गया धन

3496. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बाजार से उधार प्राप्त कर कुल कितनी धनराशि जुटायी गयी है;

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं से संबंधित कार्य निर्धारित समयानुसार चलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो परियोजनाओं से संबंधित कार्य के विलंब से अथवा धीमी गति से चलने के क्या प्रमुख कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के वित्तपोषण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान बाजार से 5592.94 करोड़ रुपये (पूंजीगत लाभ कर छूट बांड जारी करते हुए) उधार लिए गए हैं।

(ख) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I, II और IIIक के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 18,000 किलोमीटर सड़क का विकास कार्य सौंपा गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I में मुख्यतया स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शामिल है।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का 92% कार्य दिसम्बर, 2005 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II में मुख्यतया उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कारीडोर शामिल हैं जिसके 2008 तक पूरे होने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक को दिसम्बर, 2009 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

कुछ ठेकों में भूमि अधिग्रहण, सुविधा (यूटिलिटीज) स्थानांतरण, पर्यावरण और वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र और ठेकेदारों के घटिया कार्य-निष्पादन इत्यादि से जुड़ी समस्याओं के कारण विलम्ब हुआ है।

[हिन्दी]

नए डाकघर/शाखा डाकघरों को खोलना

3497. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में नए डाकघर एवं शाखा डाकघर खोलने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त किए गए लक्ष्य का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) 2003-04 में उत्तर प्रदेश को 20 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 01 विभागीय उप-डाकघर खोलने हेतु लक्ष्य प्रदान किया गया था जिसे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया है।

2004-05 में किसी भी सर्किल को योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य नहीं दिए गए थे। हालांकि, जहां भी प्रस्ताव औचित्यसम्मत पाए गए वहां डाकघर निर्धारित मानदण्डों से कम दूरी पर स्थित डाकघरों की पुनर्स्थापना के माध्यम से खोले गए। यह 10वीं योजना के नीति निर्देशों के अनुरूप है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ विभाग से अपने मौजूदा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने और संसाधनों के इष्टतम उपयोग की अपेक्षा की गई है। तदनुसार वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में पुनर्स्थापना के माध्यम से 1 विभागीय उप-डाकघर खोला गया है।

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान उत्तर प्रदेश में खोले गए डाकघरों का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान उत्तर प्रदेश में खोले गए डाकघरों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	खोले गए डाकघरों का प्रकार	खोले गए डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
	2003-2004		
1.	इलाहाबाद	ईडीबीओ	02
2.	चन्दौली	ईडीबीओ	01
3.	अलीगढ़	ईडीबीओ	01
4.	एटा	ईडीबीओ	01
5.	आगरा	ईडीबीओ	01
6.	बरेली	ईडीबीओ	01
7.	खीरी	ईडीबीओ	01
8.	बस्ती	ईडीबीओ	02
9.	कुशीनगर	ईडीबीओ	01
10.	गोरखपुर	ईडीबीओ	01
11.	बलिया	ईडीबीओ	02
12.	शाहजहांपुर	ईडीबीओ	01
13.	चित्रकूट	ईडीबीओ	01
14.	फतेहगढ़	ईडीबीओ	01
15.	कानपुर देहात	ईडीबीओ	01
16.	बाराबंकी	ईडीबीओ	01

1	2	3	4
17.	सुलतानपुर	ईडीबीओ	01
18.	वाराणसी	डीएसओ	01
	2004-05		
1.	गाजियाबाद	डीएसओ	01

ईडीबीओ-अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
डीएसओ-विभागीय उप-डाकघर

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 को चार लेन वाला बनाना

3498. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर के अंतर्गत दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 को चार लेन वाले राजमार्ग में बदलने का कार्य धीमा चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आज तक प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) कोटा, बूंदी और बारां जिलों में भूमि अधिग्रहण निविदाएं आमंत्रित करने और बाईपास, पुलों/पुलिया आदि के निर्माण के लिए कार्य-आदेश देने का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) पूर्व-पश्चिम कारीडोर (स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में शामिल उदयपुर-चित्तौड़गढ़ के सामान्य हिस्से को छोड़कर) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-76 की कुल लंबाई 525 किलोमीटर है जिसे 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित किया जाना है। राष्ट्रीय राजमार्ग-76 के उपर्युक्त खण्ड के लिये भूमि अर्जित कर ली गई है। कोटा, बूंदी और बारन जिलों में बाईपासों, पुलों/पुलियों इत्यादि के निर्माण के ब्यौरे और वर्तमान स्थिति को शामिल करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-76 के ठेकों के लिए किया जाना वाला संभावित व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	ठेका खंड (राज्य)	रा.रा. सं.	लंबाई (कि.मी.)	खर्च किए जाने वाला संभावित व्यय (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	शिवपुरी बाइपास और मध्य प्रदेश/ राजस्थान सीमा तक 609-579 कि.मी. और शिवपुरी बाइपास (मध्य प्रदेश)	76	53	360.34	दिनांक 17.6.2005 को करार पर हस्ताक्षर किए गए
2.	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा तक 575-509 कि.मी. (राजस्थान)	76	70.00	311.35	दिनांक 20.7.2005 को करार पर हस्ताक्षर किए गए
3.	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा तक 509-449.15 कि.मी. (राजस्थान)	76	59.85	378.22	स्वीकृति पत्र दिनांक 30.6.2005 को जारी किया गया
4.	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा तक 449.15-40.600 कि.मी. (राजस्थान)	76	43.15	297.72	दिनांक 30.6.2005 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया
5.	कोटा बाइपास 406.00-381.00 कि.मी. (राजस्थान)	76	25.00	228.00	तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है
6.	चम्बल पुल (राजस्थान)	76	1.35	200.00	निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है

1	2	3	4	5	6
7.	कोटा से चित्तौड़गढ़ 381.00-316.00 कि.मी. (राजस्थान)	76	65.00	446.40	दिनांक 30.6.2005 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया
8.	कोटा से चित्तौड़गढ़ 316.00-253.00 कि.मी. (राजस्थान)	76	63.00	440.60	दिनांक 30.6.2005 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया
9.	चित्तौड़गढ़ बाइपास 253.00-215.00 कि.मी. (राजस्थान)	76	40.00	384.25	दिनांक 31.5.2005 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया
10.	गोगुंडा से उदयपुर 73-104.74 कि.मी. (राजस्थान)	76	32.00	266.00	दिनांक 31.5.2005 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया
11.	बेकारिया से गोगुंडा 29-73 कि.मी. (राजस्थान)	76	44.00	457.00	दिनांक 8.8.2005 को करार पर हस्ताक्षर किए गए
12.	पिंडवाड़ा से बोकाड़िया 0.00-29.00 कि.मी. (राजस्थान)	76	29.00	220.00	दिनांक 31.5.2005 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया

टिप्पणी- कोटा, बूंदी और बारन जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग-76 के सड़क खंड की लंबाई इस प्रकार है-
कोटा - 60 किलोमीटर
बूंदी - 40 किलोमीटर
बारन - 141 किलोमीटर

[अनुवाद]

दीर्घावधि समुद्रवर्ती नीति

3499. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के आस-पास के सागरों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने तथा व्यापार और सुरक्षा के बीच आपसी तालमेल करने के लिए दीर्घावधि समुद्रवर्ती नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के साथ कोई बैठक की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) सरकार, पत्तनों, वाणिज्य-पोत-परिवहन और अंतर्देशीय जल-परिवहन से युक्त समुद्री क्षेत्र के बारे में नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटी है। उपर्युक्त नीति में पत्तनों, अंतर्देशीय जल-परिवहन, पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत-उद्योगों जैसी अपनी समुद्री परिसंपत्तियों के सौहार्दपूर्ण और समन्वित विकास के माध्यम से, उपर्युक्त क्षेत्र के बारे में दृष्टिकोण, दूरदर्शिता और कार्य-कौशल से युक्त रणनीति को समन्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न हिस्सेदारों, राज्य-सरकारों और केन्द्रीय सरकार के अधिकरणों से परामर्श कर लेने के बाद और अंतर मंत्रालयी परामर्श के दौरान मिली प्रतिपुष्टिपरक जानकारी के आधार पर, इस नीति के प्रति सक्षम अधिकारी का अनुमोदन लेने की प्रक्रिया आगे निबाहने की दृष्टि से समुद्री क्षेत्र के बारे में नीति में, जोर दिए जाने हेतु अपेक्षित क्षेत्र चुन लिए गए हैं। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा।

इलाहाबाद और हुगली के बीच माल ढुलाई

3500. श्री रेवती रमण सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद और हुगली के बीच माल ढुलाई के लिए जलमार्ग शुरू करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी को पहले ही राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया जा चुका है और अंतर्देशीय जल-परिवहन को सुकर और सुसाध्य बनाने हेतु नौगम्य जलमार्ग, टर्मिनलों, नौचालनात्मक साधनों-सुविधाओं इत्यादि जैसी बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। हल्दिया, कोलकाता, कारागोला, भागलपुर, पटना, वाराणसी और इलाहाबाद पर फ्लोटिंग टर्मिनलों की सुविधाएं और हल्दिया, कोलकाता, पाकुर तथा फरक्का पर स्थायी टर्मिनलों की सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। दिन के समय नौचालन की दृष्टि से अपेक्षित नौचालनात्मक साधन-सुविधाएं भी सुलभ हैं। हल्दिया और पटना के बीच नियत समय-सारणी के अनुसार जहाजी माल-परिवहन-सेवा भी संचालित की जा रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की जीर्ण-शीर्ण हालत

3501. **श्री गणेश सिंह:**
मोहम्मद शाहिद:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री सूरज सिंह:
श्री रामचन्द्र पासवान:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री मो. ताहिर:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत जीर्ण-शीर्ण है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण/मरम्मत/उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की दयनीय स्थिति के कारण दुर्घटनाएं आम बात हो गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु एक व्यापक योजना तैयार करने का है;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(झ) उक्त योजना का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखे जा रहे हैं। तथापि, ओवर लोडिंग, वर्षा और बाढ़ इत्यादि के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति पहुंचती है।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण कार्यों के लिए वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए किए राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन की निधियां राज्य-वार आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण कार्यों के लिए गत दो वर्षों के दौरान आबंटित की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

(ङ) और (च) दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण खराब स्थिति नहीं है। वर्ष 2000 और 2001 में सभी सड़कों पर सड़क स्थिति में त्रुटियों के कारण घटित दुर्घटनाओं का प्रतिशत कुल दुर्घटनाओं का क्रमश: 1% और 1.07% है। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए इस प्रकार की कोई सूचना अलग से संकलित नहीं की गई है।

(छ) से (झ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) को कार्य सौंपे हैं। एनएचडीपी चरण-I और II के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 14,279 कि.मी. सड़कों को 4/6 लेन तक उन्नत किया जा रहा है। एनएचडीपी चरण-I और चरण-II को वर्ष 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित आधारभूत संरचना संबंधी समिति द्वारा 2012 तक एनएचडीपी के अंतर्गत प्रस्तावित भावी विकास कार्यक्रम इस प्रकार है:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग के 10,000 कि.मी. को निर्माण, प्रचालन हस्तांतरण आधार पर 4 लेन का बनाना। (चरण-III)

(2) राष्ट्रीय राजमार्गों के 20,000 कि.मी. को पेव्ड शोल्डर्स सहित 2 लेन का बनाना। (चरण-IV)

(3) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों का विकास।

(4) राष्ट्रीय राजमार्गों के 5000 कि.मी. को 6 लेन का बनाना। (चरण-V)

(5) एक्सप्रेस वे के 1,000 कि.मी. का विकास (चरण-VI)

(6) राष्ट्रीय राजमार्गों पर कमियों को दूर करने के लिए रिंग रोड्स, बाइपास, फ्लाईओवर इत्यादि का निर्माण (चरण-VII)

विवरण I

गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए निधियों का राज्य-वार आबंटन

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास		अनुरक्षण और मरम्मत	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
	राज्य लोक निर्माण विभाग				
1.	आंध्र प्रदेश	110.51	96.74	37.42	35.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.10	6.00	0.31	0.41
3.	असम	108.00	79.81	23.27	26.59
4.	बिहार	83.07	79.51	29.48	46.28
5.	चंडीगढ़	1.50	1.00	0.28	0.93
6.	छत्तीसगढ़	46.00	36.26	15.35	26.99
7.	दिल्ली	10.00	4.00	0.42	0.75
8.	गोवा	24.00	5.00	5.03	2.80
9.	गुजरात	72.00	70.35	22.47	34.86
10.	हरियाणा	52.50	46.00	11.19	11.80
11.	हिमाचल प्रदेश	32.00	45.00	13.45	17.75
12.	जम्मू-कश्मीर	4.00	0.22	0.54	0.44
13.	झारखंड	36.70	35.00	15.46	23.28
14.	कर्नाटक	150.35	81.51	38.73	34.40
15.	केरल	99.86	64.69	20.81	13.20
16.	मध्य प्रदेश	81.00	94.90	57.50	59.49
17.	महाराष्ट्र	123.80	78.98	49.85	48.48

1	2	3	4	5	6
18.	मणिपुर	16.01	14.07	6.96	8.79
19.	मेघालय	41.00	28.43	9.41	14.63
20.	मिजोरम	31.00	25.00	5.55	4.87
21.	नागालैंड	11.50	16.00	1.98	3.79
22.	उड़ीसा	69.97	74.55	42.51	37.24
23.	पांडिचेरी	2.20	2.13	0.83	0.84
24.	पंजाब	51.00	54.79	20.09	20.26
25.	राजस्थान	48.00	64.72	27.93	53.09
26.	तमिलनाडु	89.04	86.55	41.36	37.99
27.	उत्तरांचल	20.10	28.44	3.66	14.60
28.	उत्तर प्रदेश	104.00	186.43	55.68	53.87
29.	पश्चिम बंगाल	98.00	183.70	23.57	24.95

विवरण II

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटित निधियां

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	एजेंसी	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास		अनुरक्षण और मरम्मत	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	3841.90	3848.00	133.57	91.09
2.	सीमा सड़क संगठन	256.00	210.00	17.00	17.00

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर एलिवेटेड फ्लाईओवर

3502. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर पानीपत में एलिवेटेड फ्लाइओवर के निर्माण का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके शीघ्र निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के 89 किलोमीटर से 96 किलोमीटर तक के सड़क खण्ड की 270 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 6 लेन का बनाने के लिए पहचान कर ली गई है। इसमें पानीपत नगर में 3.4 किलोमीटर लम्बा एलीवेटेड ढांचा भी शामिल है। यह कार्य पहले ही सौंप दिया गया है और ग्राहियों द्वारा सुविधाओं (यूटीलिटिज) के स्थानान्तरण और पेड़ों को काटने आदि की अनुमति प्राप्त की जा रही हैं। आशा है कि यह कार्य दिसम्बर, 2008 तक पूरा हो जाएगा।

[हिन्दी]

सरकारी/किराये के भवनों में डाक एवं तार कार्यालय

3503. श्री राजेश पाठक: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में सरकारी और किराये के भवनों में कार्यरत डाकघरों और तारघरों का क्षेत्र-वार और वर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आगामी वर्ष के दौरान राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितने नये डाकघर, उप-डाकघर और तार कार्यालयों की स्थापना की जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विशेषकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में डाक सेवाएं उपलब्ध करवाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) डाक और तार कर्मचारियों के लिए राज्य-वार और क्षेत्र-वार कितनी आवासीय कालोनियां हैं;

(च) क्या ये पर्याप्त हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सरकारी भवनों के साथ-साथ किराये के भवनों से चलाए जा रहे डाकघरों की संख्या का राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा, उत्तर प्रदेश सहित, संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

सरकारी भवनों के साथ-साथ किराये के भवनों से चलाए जा रहे डाकघरों की संख्या का राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा, उत्तर प्रदेश सहित, संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) डाकघरों को खोलना/उनका दर्जा बढ़ाना मानदण्डों के पूरा होने और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अत: इस समय यह तय नहीं किया जा सकता कि आगामी वर्ष में खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों की सटीक संख्या क्या होगी।

आगामी वर्ष में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में नए तारघर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) डाकघर उन्हीं स्थानों पर खोले जाते रहेंगे जो दूरी, आय और जनसंख्या संबंधी मानदण्डों को पूरा करेंगे। हालांकि, पोस्टमैन के माध्यम से डाक के दैनिक वितरण और डाक-टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री की बिक्री की डाक सुविधाएं, उत्तर प्रदेश के गांवों सहित, सभी गांवों में उपलब्ध हैं। लैटर बाक्सों के माध्यम से पत्र संग्रहण की सुविधा उत्तर प्रदेश के गांवों सहित, उन गांवों में उपलब्ध है जहां की आबादी 300 से अधिक है।

(ङ) डाक कर्मचारियों के लिए मौजूदा रिहायशी कालोनियों की राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

तार कर्मचारियों सहित दूरसंचार कर्मचारियों के लिए रिहायशी कालोनियों का राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(च) और (छ) 34 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में से 12 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में डाक कर्मचारियों के लिए रिहायशी कालोनियां पर्याप्त हैं। बाकी 22 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में डाक कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था में वृद्धि के लिए अनन्तिम प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

34 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में से 25 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में तार कर्मचारियों सहित दूरसंचार कर्मचारियों के लिए रिहायशी कालोनियां पर्याप्त हैं। बाकी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-VI में दिया गया है।

विवरण I

सरकारी तथा किराए के भवनों में कार्यरत डाकघरों की राज्य-वार तथा श्रेणी-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	डाकघरों की संख्या				कुल
		सरकारी परिसरों में		किराए के परिसरों में		
		प्रधान डाकघर	उप डाकघर	प्रधान डाकघर	उप डाकघर	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरूणाचल प्रदेश	1	37	शून्य	10	48
2.	असम	19	139	शून्य	455	613

1	2	3	4	5	6	7
3.	अण्डमान और निकोबार	1	14	शून्य	15	30
4.	आंध्र प्रदेश	73	213	31	2059	2376
5.	बिहार	29	149	2	791	971
6.	छत्तीसगढ़	9	31	शून्य	274	314
7.	चण्डीगढ़	1	19	शून्य	28	48
8.	दिल्ली	12	103	शून्य	269	384
9.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य	9	9
10.	गुजरात*	34	185	4	1114	1337
11.	गोवा	2	17	शून्य	91	110
12.	हरियाणा	15	57	1	410	483
13.	हिमाचल प्रदेश	17	51	1	394	463
14.	जम्मू-कश्मीर	8	25	1	227	261
15.	झारखण्ड	13	52	शून्य	336	401
16.	कर्नाटक	63	302	2	1459	1826
17.	केरल**	39	209	12	1255	1515
18.	मध्य प्रदेश	39	149	3	799	990
19.	महाराष्ट्र	56	254	5	1675	1990
20.	मेघालय	2	32	शून्य	31	65
21.	मणिपुर	1	7	शून्य	46	54
22.	मिजोरम	1	16	शून्य	27	44
23.	नागालैंड	1	17	शून्य	27	45
24.	उड़ीसा	34	106	1	1065	1206
25.	पंजाब	21	89	शून्य	666	776
26.	पांडिचेरी	1	4	शून्य	22	27
27.	राजस्थान	50	227	1	1150	1428
28.	सिक्किम	1	5	शून्य	16	22
29.	त्रिपुरा	3	48	शून्य	43	94
30.	तमिलनाडु	73	189	18	2546	2826

1	2	3	4	5	6	7
31.	उत्तर प्रदेश	68	214	6	2125	2413
32.	उत्तरांचल	13	36	शून्य	306	355
33.	पश्चिम बंगाल	41	200	4	1501	1746
	कुल	741	3196	92	21241	25270

*दादरा और नगर हवेली शामिल है।
**लक्षद्वीप शामिल है।

विवरण II

देश में सरकारी परिसरों और किराए के भवनों में कार्यरत तारघरों का राज्य-वार/श्रेणी-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सरकारी परिसरों में कार्यरत तारघरों की संख्या	किराए के भवनों में कार्यरत तारघरों की संख्या	आगामी वर्ष में स्थापित किए जाने वाले तारघरों की संभावित संख्या
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान एवं निकोबार (संघ शासित प्रदेश)	01	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	41	265	शून्य
3.	असम	08	21	शून्य
4.	बिहार	17	23	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	09	02	शून्य
6.	गुजरात	27	24	शून्य
7.	हरियाणा	12	05	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	06	07	शून्य
9.	जम्मू-कश्मीर	07	05	शून्य
10.	झारखण्ड	11	12	शून्य
11.	कर्नाटक	15	80	शून्य
12.	केरल लक्षद्वीप (संघ शासित प्रदेश) एवं माहे सहित (संघ शासित प्रदेश)	12	27	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	24	32	शून्य
14.	महाराष्ट्र	30	64	शून्य

1	2	3	4	5
15.	गोवा	02	01	शून्य
16.	मेघालय	02	शून्य	शून्य
17.	मिजोरम	01	शून्य	शून्य
18.	त्रिपुरा	02	01	शून्य
19.	अरुणाचल प्रदेश	02	शून्य	शून्य
20.	मणिपुर	01	01	शून्य
21.	नागालैंड	02	शून्य	शून्य
22.	उड़ीसा	20	10	शून्य
23.	पंजाब	17	07	शून्य
24.	चण्डीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)	01	01	शून्य
25.	राजस्थान	48	37	शून्य
26.	तमिलनाडु	41	66	शून्य
27.	पांडिचेरी (संघ शासित प्रदेश)	01	शून्य	शून्य
28.	उत्तर प्रदेश	61	95	शून्य
29.	उत्तरांचल	13	12	शून्य
30.	पश्चिम बंगाल	25	30	शून्य
31.	सिक्किम	01	01	शून्य
32.	दिल्ली	05	33	शून्य
	कुल	466	862	शून्य

विवरण III

राज्य-वार और क्षेत्र-वार डाक कालोनियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र	डाक कालोनियों की संख्या
1	2	3	4
1.	असम	1. गुवाहाटी	3
		2. डिब्रूगढ़	1
		3. तिनसुकिया	1
		4. जोरहाट	1
		5. नोगांव	1
		6. धूबरी	1
		7. सिलचर	1
		8. डिपू	1
		9. हाफलोंग	1

1	2	3	4
		10. तेजपुर	1
		11. करीमगंज	1
		कुल	13
2.	आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद सिटी	9
		2. आदिलाबाद	1
		3. मेडक	1
		4. नालगोंडा	1
		5. सांगारेड्डी	1
		6. सूर्यपेट	1
		7. वानापारथी	1
		8. हानमकोंडा	1
		9. विशाखापट्टनम	5
		10. काकीनाडा	1
		11. पार्वतीपुरम	1
		12. राजामुन्दरी	2
		13. विजयनगरम	1
		14. राकू वैली	1
		15. शामलकोटा	1
		16. चिपुरापल्ली	1
		17. विजयवाड़ा	1
		18. गुंटूर	1
		19. मछलीपट्टनम	1
		20. खम्मम	1
		21. एलूरू	1
		22. नैल्लोर	1
		23. तेनाली	1
		24. गुडूर	1
		25. मंगलागिरि	1
		26. कौथागुंडम	1
		27. पलांचा	1
		28. भद्राचलम	1
		29. वेंकटपुरम	1
		30. जंगारेड्डीगुडम	1
		31. करनूल	2
		32. कुडप्पा	1
		33. अनंतपुर	1
		34. इंदुपुर	1
		35. नानदयाल	1
		36. तिरूपति	1
		37. गुंटकल	1
		कुल	51
3.	अरुणाचल प्रदेश	1. ईटानगर	1
		2. पासीघाट	1
		3. तवांग	1
		4. तेजू	1
		5. अलांग	1
		6. बामडिला	1
		कुल	6
4.	अंडमान निकोबार	1. शादीपोर	1
		2. दिलथामनटैंक	1
		3. मिडल प्वाइंट	1
		4. कार-निकोबार	1
		5. जंगलीघाट	1
		6. रंगघाट	1
		7. बिमरलीगंज	1
		8. हटबे	1
		कुल	8

1	2	3	4
5.	बिहार	1. पटना	5
		2. भागलपुर	1
		3. औरंगाबाद	1
		4. भोजपुर	2
		5. नालन्दा	1
		6. रोहतास	शून्य
		7. वैशाली	1
		8. मुंगेर	1
		9. नवादा	शून्य
		10. गया	2
		11. सारन	3
		12. सीवान	शून्य
		13. पश्चिम चंपारन	1
		14. पूर्वी चंपारन	4
		15. पूर्णिया	6
		16. सहरसा	1
		17. मधुबनी	1
		18. दरभंगा	1
		19. समस्तीपुर	2
		20. सीतामढ़ी	2
		21. मुजफ्फरपुर	1
		22. बेगूसराय	शून्य
		कुल	36
6.	चंडीगढ़	1. चंडीगढ़	3
		कुल	3
7.	छत्तीसगढ़	1. रायपुर	3
		2. भिलाई	2
		3. कांकेर	1
		4. जगदलपुर	1
		5. कोरबा	1
		6. बिलासपुर	1
		7. दुर्ग	1
		8. रायगढ़	1
		कुल	11
8.	दिल्ली	1. आर.के. पुरम सेक्टर-6	1
		2. सरोजिनी नगर	1
		3. मोती बाग	1
		4. सेवा नगर	1
		5. अतुल ग्रोव रोड	1
		6. काली बाडी	1
		7. देव नगर	1
		8. खुर्शीद स्क्वैयर	1
		9. पंखा रोड (जनकपुरी)	1
		10. टेलीकाम कालोनी (जनकपुरी)	1
		11. विवेक विहार (टेलीकाम कालोनी)	1
		12. दिल्ली जनरल पोस्ट आफिस कम्पाउन्ड	1
		13. गोपीनाथ बाजार (दिल्ली कैन्ट)	1
		कुल	13
9.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य
		कुल	शून्य
10.	गुजरात*	1. अहम्मदाबाद	4
		2. मेहसाणा	1
		3. गांधीनगर	1

1	2	3	4
		4. हिम्मतनगर	1
		5. मोडसा	1
		6. आनन्द	1
		7. वीवी नगर	1
		8. आहवा डांग	1
		9. फोर्ट सोनगढ़	1
		10. गोधरा	1
		11. गोधरा	1
		12. कपाडवंज	1
		13. जम्बूसर	1
		14. पालेज	1
		15. जीआईडीसी कबिलपोर	1
		16. खेरगाम	1
		17. मरौली बाजार	1
		18. किम	1
		19. कोशम्बा	1
		20. वलसाड	1
		21. उदवादा आर.एस.	1
		22. उमरगाम	1
		23. सिलवासा	1
		24. वापी आई.ई.	1
		25. नानापोंडा	1
		26. अतुल	1
		27. सनजन	1
		28. नानीवहीयाल	1
		29. सनखेडा	1
		30. वडोदरा	2
		31. कुन्काकाव	1
		32. तालाजा	1
		33. बटोड	1
		34. जैतपुर	1
		35. जामनगर	1
		36. द्वारका	1
		37. जूनागढ़	1
		38. वेरावल	1
		39. ऊना	1
		40. मैनदारदा	1
		41. केशोड	1
		42. गांधीधाम	1
		43. कांडला	1
		44. आदिपुर	1
		45. मांडवी	1
		46. राजकोट	1
		47. बांकानेर	1
		48. सुरेन्द्रनगर	1
		कुल	52
11.	गोवा	1. आल्टी परवोरिम	1
		2. डीकारपाली मडगांव	1
		3. सादा	1
		कुल	3
12.	हरियाणा	1. अम्बाला	4
		2. यमुनानगर	1
		3. कालका	1
		4. फरीदाबाद	4
		5. रिवाडी	1
		6. नारनौल	1

1	2	3		4
		7.	हिसार	3
		8.	सिरसा	1
		9.	कुरूक्षेत्र	1
		10.	कैथल	1
		11.	करनाल	2
		12.	पानीपत	1
		13.	जीन्द	1
		14.	रोहतक	2
		15.	झज्झर	1
		16.	सोनीपत	2
			कुल	27
13.	हिमाचल प्रदेश	1.	शिमला	20
		2.	बिलासपुर	1
		3.	हमीरपुर	1
		4.	कांगड़ा	1
		5.	देहरा	1
		6.	रामपुर	1
		7.	रेकांग पियो	1
		8.	काजा	1
		9.	कुल्लू	1
		10.	सकराघाट	1
		11.	चूनतरा	1
		12.	केलोंग	1
		13.	भांगरोटू	1
		14.	सुन्दरनगर	2
		15.	बाकलोह	1
		16.	डलहौजी	1
		17.	धर्मशाला	2
		18.	पालमपुर	1
		19.	बैजनाथ	1
		20.	शाहपुर	1
		21.	ऊना	1
		22.	चैल	1
		23.	दागशाही	1
		24.	सुबाथू	1
		25.	कसौली	1
		26.	परवानू	1
		27.	नाहन	2
		28.	सौलन	2
		29.	पोन्टा साहिब	1
		30.	सानावार	1
		31.	रूहारू	1
		32.	थ्योंग	1
			कुल	55
14.	जम्मू-कश्मीर	1.	श्रीनगर	2
		2.	जम्मू	4
		3.	ऊधमपुर	1
		4.	लेह	1
		5.	राजौरी	1
			कुल	9
15.	झारखण्ड	1.	रांची	1
		2.	धनबाद	1
		3.	बी.एस. सिटी	1
		4.	हजारीबाग	1
		5.	गिरीडीह	1
		6.	डाल्टनगंज	1

1	2	3	4
		7. गोलमुरी	1
		8. बिस्तुपुर	1
		9. टाटानगर	1
		कुल	9
16.	कर्नाटक	1. बेंगलूर	3
		2. डोडबल्लापुर	1
		3. चिकमगलूर	1
		4. बीरूर	1
		5. चित्रदुर्ग	1
		6. हिरियूर	1
		7. देवनगेरे	2
		8. हसन	1
		9. आरसीकैरे	1
		10. बेलूर-हसन	1
		11. सकलेशपुरा	1
		12. माडीकेरी	3
		13. वीराजपेट	1
		14. कोलार	1
		15. मुलबागल	1
		16. मेंगलूर	2
		17. मैसूर	1
		18. नजनगुडा	2
		19. पुत्तूर	1
		20. करकाला	1
		21. शिमोगा	1
		22. सागर	2
		23. भद्रावती	1
		24. तुमकुर	1
		25. उडुपी	1
		26. कुंडापुरा (तल्लूर)	1
		27. बदामी	1
		28. बेलगाम	1
		29. बेलारी	1
		30. बीदर	1
		31. हूमनाबाद	1
		32. बीजापुर	1
		33. इन्डी	1
		34. सिन्दगी	1
		35. अथनी	1
		36. चिकोडी	1
		37. निप्पानी	1
		38. धारवाड़	1
		39. हुबली	1
		40. गडग	1
		41. गोकाक	1
		42. हुक्केरी	1
		43. गुलबर्गा	1
		44. शाहबाद	1
		45. बाडी	1
		46. हावेरी	1
		47. रानेबेन्नूर	1
		48. कारवाड	1
		49. रायचूर	1
		50. कोप्पल	1
		51. गंगावती	1
		52. कुशतागी	1

1	2		3	4
		53.	सिंगसूपुर	1
		54.	सरसी	1
		55.	डांडेली	1
		56.	हेलीयाल	1
			कुल	63
17.	केरल	1.	कासरगोड	2
		2.	कानहनगढ़	1
		3.	कन्नूर	2
		4.	तलीपरंबा	1
		5.	मनन्थावाडी	1
		6.	टेम्पलगेट	1
		7.	वडकारा	1
		8.	कोइलांडी	1
		9.	कोचिकोड	3
		10.	मेप्पडी	1
		11.	वैतिरी	1
		12.	ओट्टपालम	1
		13.	शोरनूर	1
		14.	आगली	1
		15.	पालकाड	1
		16.	आलापुघा	1
		17.	आलूआ	1
		18.	कोलमंगलम	1
		19.	कांजिरापल्ली	1
		20.	देवीकुलम	1
		21.	एलप्परा	1
		22.	कुमली	1
		23.	मरायूर	1
		24.	मून्नार	1
		25.	पिरामेड	1
		26.	शांतनपारा	1
		27.	तोडुपुघा	1
		28.	बांदनमेट्टू	1
		29.	फेयरफील्ड	1
		30.	वंडिपेरियार	1
		31.	पुतुक्काड	1
		32.	कोट्टयम	1
		33.	ऐराटूपेट्टा	1
		34.	त्रिशूर	1
		35.	एर्णाकुलम	1
		36.	कोल्लम	1
		37.	चावरा	1
		38.	रान्नी	1
		39.	तेममला	1
		40.	त्रिवेन्द्रम	4
		41.	बालरामपुरम	1
			कुल	48
18.	मध्य प्रदेश	1.	कृषि उपज मंडी, जबलपुर	1
		2.	जबलपुर फैक्टरी, जबलपुर	1
		3.	कटनी	1
		4.	बालाघाट	1
		5.	सिवोनी	1
		6.	सिद्धि	1
		7.	सिंगरोली कोलियरी, सिंगरोली	1
		8.	जायधान	1

1	2	3	4
		9. अमरकंटक	1
		10. धनपुरी	1
		11. रीवा	1
		12. सतना	1
		13. बेतुल	1
		14. परासिया	1
		15. भोपाल	7
		16. सागर	1
		17. दमोह	1
		18. होशंगाबाद	1
		19. नरसिंहपुर	1
		20. पंचमढ़ी	1
		21. छत्तरपुर	1
		22. खजुराहो	1
		23. पन्ना	1
		24. नवगांव	1
		25. गुना	1
		26. ग्वालियर	1
		27. इंदौर	4
		28. खांडवा	1
		29. मंदसौर	1
		30. मोरैना	1
		31. शिवपुरी	1
		32. देवास	1
		33. महाउल	1
		34. खरगौनै	1
		35. बरहमपुर	1
		36. रतलाम	1
		37. सेहोर	1
		38. उज्जैन	1
		कुल	47
19.	महाराष्ट्र	1. मुंबई	12
		2. पुणे सिटी	5
		3. अहमद नगर	1
		4. श्रीरामपुर	1
		5. पंढरपुर	1
		6. बारामती	1
		7. जुन्नार	1
		8. लोनावाला	1
		9. करमला	1
		10. महाबलेश्वर	1
		11. सोलापुर	1
		12. पिपरी चिचवाड न्यू टाउनशिप	1
		13. खड़की	1
		14. रत्नागिरी	1
		15. कोल्हापुर	1
		16. इचालकरंजी	1
		17. फुलेवाडी	1
		18. औरंगाबाद	1
		19. जालना	1
		20. अष्टी	1
		21. भुसावल	1
		22. सिरपुर	1
		23. जलगांव	1
		24. मालेगांव	1

1	2	3		4
		25.	नासिक	1
		26.	उदगीर	1
		27.	हिंगोली	1
		28.	परभनी	1
		29.	अकोला	1
		30.	अकोटा	1
		31.	वाशिम	1
		32.	अरमावती	1
		33.	बाढ़नेरा	1
		34.	बुलधाना	1
		35.	खामगांव	1
		36.	शेगांव	1
		37.	वरोरा	1
		38.	गाढ़चिरौली	1
		39.	नागुपर	1
		40.	वर्धा	1
		41.	आरवी	1
		42.	सेवाग्राम	1
		43.	वाणी	1
		44.	नंदुरा	1
		45.	जलगांव जमोद (बुलधाना)	1
		46.	धामनगांव	1
		47.	सावनेर	1
		48.	सकोली	1
			कुल	63
20.	मेघालय	1.	शिलांग	5
		2.	अखोनगिरी	2
			कुल	7
21.	मणिपुर	1.	इम्फाल	2
		2.	चर्चानपुर	1
			कुल	3
22.	त्रिपुरा	1.	अगरतला	1
		2.	धरमानगर	1
			कुल	2
23.	मिजोरम	1.	चम्फई	1
			कुल	1
24.	नागालैंड	1.	कोहिमा	1
		2.	दीमापुर	1
			कुल	2
25.	उड़ीसा	1.	भुवनेश्वर	3
		2.	कटक	3
		3.	पुरी	3
		4.	बालासोर	2
		5.	भद्रक	1
		6.	मयूरभंज	2
		7.	सुन्दरगढ़	1
		8.	सम्बलपुर	2
		9.	राउरकेला	1
		10.	बोलांगीर	1
		11.	क्योंझर	1
		12.	झारसुगुदा	1
		13.	बरहामपुर (जीएम)	1
		14.	चतरपुर	1
		15.	कोरापेट	1
		16.	धवानी पटना	1
		17.	फुलबनी (ओ)	1
			कुल	26

1	2	3	4
26.	पंजाब	1. अमृतसर	1
		2. भटिंडा	1
		3. रोपड़	1
		4. फिरोजपुर	1
		5. गुरदासपुर	1
		6. जालंधर	1
		7. लुधियाना सिटी	1
		8. जबरीन	1
		9. खन्ना	1
		10. पटियाला	1
		कुल	10
27.	राजस्थान	1. सवाईमाधोपुर	1
		2. गंगापुर	1
		3. हिंदोन	1
		4. अलवर	3
		5. बहरोड	1
		6. भिवाडी आई.ए.	1
		7. चोमु	1
		8. फलेरा	1
		9. दौसा	1
		10. बांदीकुई	1
		11. जोबनेर	1
		12. भरतपुर	1
		13. धोलपुर	1
		14. जयपुर	4
		15. बाड़मेर	1
		16. चोहटन	1
		17. पचपाडरा	1
		18. बीकानेर	2
		19. लंकरेसार	1
		20. चुरू	1
		21. रतनगढ़	1
		22. सादुलपुर	1
		23. झुनझुनु	1
		24. खेतरी नगर	1
		25. पिलानी	1
		26. जोधपुर	2
		27. फलौडी	1
		28. जैसलमेर	1
		29. नागोर	1
		30. डिडवाना	1
		31. मकराना	1
		32. पालीमारवाड	1
		33. मारवाड़ जंक्शन	1
		34. सुमेरपुर	1
		35. सीकर	1
		36. श्रीमाधोपुर	1
		37. सिरोही	1
		38. जालौर	1
		39. शिवगंज	1
		40. आबूरोड	1
		41. माउंटआबू	1
		42. श्रीगंगानगर	1
		43. हनुमानगढ़	1
		44. भद्रा	1
		45. सांगरिया	1

1	2	3		4
		46.	श्रीकरणपुर	1
		47.	अजमेर	3
		48.	ब्यावर	1
		49.	भीलवाड़ा	1
		50.	चित्तौड़गढ़	1
		51.	डूंगरपुर	1
		52.	बांसवाड़ा	1
		53.	कोटा	2
		54.	झालवाडा	1
		55.	टोंक	1
		56.	बूंदी	1
		57.	उदयपुर	2
		58.	मावली जंक्शन	1
		59.	नसीराबाद	1
		60.	गुलाबपुरा	1
		61.	कंकरोली	1
			कुल	72
28.	सिक्किम	1.	सिक्किम	1
			कुल	1
29.	तमिलनाडु***	1.	कोडइकनाल	1
		2.	करईकुडी	1
		3.	कोविलपट्टी	1
		4.	टूटीकरम	1
		5.	विरुधुनगर	1
		6.	रामेश्वरम	1
		7.	ऊडनकुडी क्रिश्चियन नगरम	1
		8.	अरुमुंगनेरी	1
		9.	नागरकोइल	1
		10.	कोडानूर	1
		11.	गोबीचेट्टीपलायम	1
		12.	उडगमंडलम	1
		13.	कन्नूर	1
		14.	वेलिंगटन	1
		15.	अरवांगडू	1
		16.	कोट्टागिरी	1
		17.	मक्कीनेकेनपट्टी	1
		18.	वलपरई	1
		19.	चिन्नातिरपूति	1
		20.	मेट्टूरडेम	1
		21.	मेट्टूपलायम	1
		22.	भवानीसागर	1
		23.	तालावाडी	1
		24.	तिरूपत्तूर	1
		25.	त्रिची	1
		26.	पुडुकोट्टइ	1
		27.	पेरम्बलूर	1
		28.	बायलर प्रोजेक्ट	1
		29.	मन्नापुरम	1
		30.	नेवेली	1
		31.	चेन्नई	6
		32.	वेल्लूर	2
			कुल	38
30.	उत्तर प्रदेश	1.	आजमगढ़	1
		2.	आगरा	1
		3.	अलीगढ़	2
		4.	इलाहाबाद	3

1	2	3	4
		5. बहराइच	1
		6. बलिया	1
		7. बुलंदशहर	1
		8. भरथाना (इटावा)	1
		9. बिजनौर	1
		10. बरेली	3
		11. बाराबंकी	1
		12. देवरिया	1
		13. एटा	1
		14. इटावा	1
		15. फतेहपुर	1
		16. फैजाबाद	1
		17. गोरखपुर	1
		18. गोंडा	1
		19. गाजीपुर	1
		20. गाजियाबाद	2
		21. हाथरस	1
		22. हरदोई	1
		23. हापुड	1
		24. झांसी	2
		25. जसवंत नगर (इटावा)	1
		26. जौनपुर	1
		27. कानपुर	4
		28. खीरी	1
		29. लखनऊ	3
		30. मऊ	1
		31. मथुरा	1
		32. मैनपुरी	1
		33. मिर्जापुर	1
		34. मुरादाबाद	1
		35. मोदीनगर	1
		36. मेरठ	3
		37. नोएडा	2
		38. उरई (जालौन)	1
		39. प्रतापगढ़	1
		40. पीलीभीत	1
		41. पुरानपुर (पीलीभीत)	1
		42. रामपुर	1
		43. रायबरेली	1
		44. शिकोहाबाद	1
		45. शाहजहांपुर	1
		46. सीतापुर	1
		47. टुंडला (फिरोजाबाद)	2
		48. वाराणसी	1
		49. फतेहगढ़	1
		कुल	65
31.	उत्तरांचल	1. अल्मोडा	1
		2. थपलिया	1
		3. रानीखेत	1
		4. गोपेश्वर	1
		5. पपरीवाना	1
		6. पीएंडटी कालोनी देहरादून	1
		7. देहरादून कैंट	1
		8. वीरभद्र	1
		9. देहरादून प्रधान डाकघर कैंपस	1
		10. चकराता	1
		11. कलसी	1
		12. इंदरापुरम	1
		13. हरिद्वार	1
		14. रुड़की	1

1	2	3	4
		15. डिवीजनल कार्यालय कम्पाउंड नैनीताल	1
		16. प्रधान डाकघर कम्पाउंड नैनीताल	1
		17. टेलीफोन एक्सचेंज कम्पाउंड नैनीताल	1
		18. रुद्रपुर कम्पाउंड	1
		19. रामनगर डाकघर कम्पाउंड	1
		20. पीएंडटी कालोनी पौडी	1
		21. सतपुली	1
		22. दुगड्डा	1
		23. कांडोलिया	1
		24. पिथौरागढ़	1
		25. चम्पावत	1
		26. दीदीहट	1
		27. नरेन्द्र नगर	1
		28. उत्तर काशी	1
		कुल	28
32.	पश्चिम बंगाल	1. पानीहटी	1
		2. कोस्सिम बाजार	1
		3. जियागंज	1
		4. कांडी	1
		5. खांगडा	1
		6. लालगोला	1
		7. मधुपुर	1
		8. रघुनाथगंज	1
		9. बरूहपुर	1
		10. डायमंड हारबर	1
		11. विष्णुपुर	1
		12. बज बज	1
		13. कल्याणी	1
		14. आरआर टैगोर रोड	1
		15. कृष्णानगर	1
		16. आनन्दपुर	1
		17. भूबन्दनगाह	1
		18. साइथिया	1
		19. कोलकाता	6
		20. आसनसौल	2
		21. दुर्गापुर	2
		22. विधान नगर	1
		23. बहरीसरबामंगल	1
		24. बर्दवान	1
		25. तेलीनीपाडा	1
		26. मिदनापुर	1
		27. खड़गपुर	1
		28. मोगरा	1
		29. पंडुवा	1
		30. देशबंधु नगर	1
		31. हल्दिया	1
		32. दार्जीलिंग	1
		33. मालदा	1
		34. दिनाजपुर	1
		35. कूचबिहार	1
		36. जलपाइगुडी	1
		कुल	43

*दादरा एवं नगर हवेली शामिल है
**लक्षद्वीप शामिल है
***पांडिचेरी शामिल है

विवरण IV

तारघर कर्मचारियों सहित दूरसंचार कर्मचारियों हेतु आवासीय कालोनियों का राज्य-वार/क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	आवासीय कालोनियों की कुल संख्या	एसएसए/ क्षेत्र-वार आवासीय कालोनियां	एसएसए-वार आवासीय कालोनियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	11	कारनिकोबार	1
			मायाबंदर	1
			बारातंग	1
			शादीपुर	5
			डीएजी कालोनी	1
			गुरुद्वारा लेन	1
			दिलथामन	1
				11
2.	आंध्र प्रदेश	312	आदिलाबाद	4
			अनंतपुर	12
			चित्तूर	31
			कुड्डपा	9
			पूर्वी गोदावरी	17
			गुंटूर	11
			हैदराबाद	77
			करीमनगर	7
			खम्माम	5
			कृष्णा	19
			कुरनूल	15
			महबूबनगर	6
			मेडक	9
			नालगोंडा	11
			निल्लोर	20
			निजामाबाद	2
			प्रकाशम्	8
			श्रीकाकुलम	8
			विशाखापट्टनम	4
			विजयनगरम	6
			वारांगल	4
			पश्चिम गोदावरी	27
				312
3.	असम	26	बोंगईगांव	3
			डिब्रूगढ़	3
			जोरहाट	4
			कामरूप	6
			नौगांव	4
			सिल्चर	3
			तेजपुर	3
				26
4.	बिहार	24	पीजीएम पीटीडी	5
			आरा	1
			भागलपुर	1
			बेतिया	1
			छपरा	1
			दरभंगा	2
			हाजीपुर	1
			गया	1
			खगड़िया	1
			कटिहार	1
			किशनगंज	1
			मुजफ्फरपुर	2
			मोतिहारी	2

1	2	3	4	5
			मुंगेर	1
			सासाराम	1
			सहरसा	1
			समस्तीपुर	1
				24
5.	छत्तीसगढ़	26	रायपुर	7
			दुर्ग	9
			बिलासपुर	6
			बस्तर	2
			सरगुजा	1
			रायगढ़	1
				26
6.	गुजरात	97	अहमदाबाद	10
			अमरेली	1
			भड़ुच	2
			भावनगर	2
			भुज	2
			गोधरा	5
			हिम्मतनगर	1
			जामनगर	12
			जूनागढ़	3
			मेहसाणा	10
			नादिया	7
			पालनपुर	4
			राजकोट	15
			सूरत	6
			सुरेन्द्र नगर	2
			बडोदरा	8
			बलसाड़	7
				97
7.	हरियाणा	17	अंबाला	6
			करनाल	2
			रिवाड़ी	1
			गुड़गांव	1
			रोहतक	1
			जीन्द	1
			हिसार	3
			सोनीपत	1
			फरीदाबाद	1
				17
8.	हिमाचल प्रदेश	13	शिमला	2
			धर्मशाला	3
			हमीरपुर	3
			सोलन	2
			मण्डी	1
			कुल्लू	2
				13
9.	जम्मू व कश्मीर	8	जम्मू	4
			श्रीनगर	1
			राजौरी	1
			लेह	1
			ऊधमपुर	1
				8
10.	झारखण्ड	30	रांची	5
			जमशेदपुर	6
			धनबाद	15

1	2	3	4	5
			हजारीबाग	3
			डाल्टनगंज	1
				30
11.	कर्नाटक	42	बेंगलूर	5
			बेलगांव	1
			बीजापुर	2
			देवनगेरे	2
			हुगली	5
			हसन	3
			माडीकेरी	2
			माण्ड्या	1
			टुमकुर	1
			कारवार	2
			रायचर	2
			बीदर	2
			गुलबर्गा	1
			चिकमंगलूर	1
			बेल्लारी	1
			शिमोगा	1
			मैसूर	2
			कोलार	1
			मेंगलूर (डीके)	7
				42
12.	केरल सहित लक्षद्वीप (यू/टी) एवं माहे (यू/टी)	44	अल्लेप्पी	2
			कालीकट	6
			कन्नूर	9
			एर्नाकुलम	11
			कोट्टायम	4
			पालघाट	3
			पथनामथिट्टा	1
			क्विलोन	2
			त्रिचूर	1
			त्रिवेन्द्रम	5
				44
13.	मध्य प्रदेश	55	शहडोल	1
			सतना	1
			पन्ना	1
			रीवा	2
			सिद्धी	1
			भोपाल	8
			सिहोर	1
			इंदौर	4
			जबलपुर	2
			कटनी	1
			ग्वालियर	2
			दातिया	1
			शायपुर	2
			रायगढ़	2
			रायसेन	1
			खरगांव	1
			देवास	1
			मंदसौर	1
			रतलाम	2
			झाबुआ	1
			उज्जैन	2
			छिंदवाड़ा	1

1	2	3	4	5
			गुना	1
			शिवपुरी	1
			बालघाट	1
			नरसिंहपुर	1
			सियोनी	1
			खण्डवा	2
			बुरहानपुर	1
			बैतूल	1
			होशंगाबाद	1
			इटारसी	1
			मुरैना	1
			सागर	1
			दमोह	1
			छतरपुर	1
			टीकमगढ़	1
				55
14.	महाराष्ट्र	361	अहमदनगर	12
			अकोला	10
			अमरावती	12
			औरंगाबाद	17
			बीड	8
			भण्डारा	11
			बुलधाना	8
			चन्द्रपुर	11
			धुले	19
			जलगांव	12
			जालना	9
			कल्याण	17
			कोल्हापुर	17
			लातूर	8
			नानदेड़	7
			नागपुर	28
			नासिक	17
			ओसमानाबाद	6
			परभनी	13
			पुणे	24
			रायगढ़	12
			रत्नागिरी	16
			सांगली	9
			सतारा	16
			सिन्धुदुर्ग	6
			शोलापुर	13
			वर्धा	9
			यवतमाल	14
				361
15.	गोवा	13	गोवा	13
16.	मेघालय	8	मेघालय	8
17.	मिजोरम	4	मिजोरम	4
18.	त्रिपुरा	6	त्रिपुरा	6
19.	अरुणाचल प्रदेश	3	अरुणाचल प्रदेश	3
20.	मणिपुर	1	मणिपुर	1
21.	नागालैंड	4	नागालैंड	4
22.	उड़ीसा	76	बालासोर	6
			मयूरभंज	1
			गंजम	7
			कालनन्दा	2

1	2	3	4	5
			पुरी	14
			बोलनगीर	3
			कटक	10
			धेनकनाल	7
			कोरापुट	8
			फुलंबनी	1
			सुन्दरगढ़	9
			सम्बलपुर	8
				76
23.	पंजाब	120	अमृतसर	8
			भटिण्डा	13
			फिरोजपुर	26
			होशियारपुर	6
			लुधियाना	15
			जालंधर	16
			पठानकोट	9
			पटियाला	9
			रोपड़	3
			संगरूर	15
				120
24.	चण्डीगढ़	6	चण्डीगढ़	6
25.	राजस्थान	197	अजमेर	12
			अलवर	12
			बांसवाड़ा	11
			बाड़मेर	12
			भरतपुर	12
			भीलवाड़ा	8
			बीकानेर	4
			बूंदी	1
			चित्तौड़गढ़	10
			चुरू	3
			जयपुर	16
			झालवाड़	4
			झुनझुनू	2
			जोधपुर	8
			जैसलमेर	9
			कोटा	8
			नागौर	8
			पाली	10
			सवाईमाधोपुर	5
			सीकर	5
			सिरोही	4
			श्रीगंगानगर	19
			टोंक	3
			उदयपुर	11
				197
26.	तमिलनाडु	229	चेन्नई	7
			कुम्बाकोणम	4
			चिंगलपेट	10
			कोयम्बतूर	55
			कुड्डालोर	7
			धर्मपुरी	10
			एरोड	7
			कराईकुड्डी	8
			मदुरै	13
			नीलगिरी	9

1	2	3	4	5
			नागरकोइल	7
			सेलम	25
			थंजावूर	12
			तिरूनावेली	14
			त्रिचि	13
			तूतीकोरिन	6
			वेल्लोर	15
			विरुद्धनगर	6
			चेन्नई सीटीटीसी	1
				229
27.	पांडिचेरी	8	पांडिचेरी	8
28.	उत्तर प्रदेश	353	इलाहाबाद	15
			आजमगढ़	16
			बहराइच	13
			बलिया	6
			बांदा	6
			बाराबंकी	9
			बस्ती	8
			देवरिया	5
			इटावा	4
			फैजाबाद	12
			फर्रूखाबाद	6
			फतेहपुर	4
			गाजीपुर	5
			गोंडा	6
			गोरखपुर	7
			हमीरपुर	10
			हरदोई	4
			जौनपुर	7
			झांसी	16
			कानपुर	34
			लखीमपुर	6
			लखनऊ	14
			मणिक्योर	3
			मऊ	7
			मिर्जापुर	15
			उरई	5
			प्रतापगढ़	3
			रायबरेली	5
			शाहजहांपुर	5
			सीतापुर	2
			सुल्तानपुर	7
			उन्नाव	6
			वाराणसी	17
			अलीगढ़	5
			आगरा	11
			बरेली	5
			बिजनौर	2
			बुलन्दशहर	6
			एटा	2
			गाजियाबाद	3
			मेरठ	12
			मुरादाबाद	4
			मुजफ्फरनगर	1
			नोएडा	2
			पीलीभीत	1

1	2	3	4	5
			रामपुर	1
			सहारनपुर	2
			मथुरा	8
				353
29.	उत्तरांचल	28	देहरादून	12
			नैनीताल	6
			हरिद्वार	4
			श्रीनगर (गढ़वाल)	6
				28
30.	पश्चिम बंगाल	12	आसनसोल	1
			दुर्गापुर	1
			बुर्दवान	1
			खड़गपुर	1
			माल्दा	1
			जलपाईगुड़ी	1
			मिदनापुर	1
			हल्दिया	1
			झारग्राम	1
			तामलुक	1
			कृष्णनगर	1
				12
31.	सिक्किम	–	सिक्किम	–
32.	दिल्ली	10	दिल्ली	10

विवरण V

डाक कर्मचारियों के आवासों को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले अनन्तिम प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य और संघ शासित क्षेत्र का नाम	डाक कर्मचारियों के आवासों को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले अनन्तिम प्रस्तावित कदम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	एक स्थान पर आठ क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
2.	असम	सात क्वार्टर निर्माणाधीन हैं और 6 स्थानों पर 27 क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
3.	छत्तीसगढ़	दो स्थानों 4 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
4.	दिल्ली	5 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
5.	हिमाचल प्रदेश	3 क्वार्टर निर्माणाधीन है और एक स्थान पर 11 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
6.	जम्मू एवं कश्मीर	2 स्थानों पर 14 क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
7.	कर्नाटक	4 स्थानों पर 28 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
8.	मध्य प्रदेश	एक स्थान पर 4 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।

1	2	3
9.	महाराष्ट्र	एक स्थान पर 8 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
10.	मिजोरम	एक क्वार्टर निर्माणाधीन है और एक स्थान पर 6 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
11.	नागालैंड	एक स्थान पर 12 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
12.	त्रिपुरा	एक अतिरिक्त क्वार्टर के निर्माण की योजना है।
13.	अरुणाचल प्रदेश	एक स्थान पर 7 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
14.	मेघालय	एक स्थान पर 8 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
15.	उड़ीसा	17 क्वार्टर निर्माणाधीन है और दो स्थानों पर 5 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
16.	पंजाब	1 अतिरिक्त क्वार्टर के निर्माण की योजना है।
17.	चंडीगढ़	1 अतिरिक्त क्वार्टर के निर्माण की योजना है।
18.	तमिलनाडु	तीन स्थानों पर 13 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
19.	उत्तरांचल	72 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं।
20.	पश्चिम बंगाल	तीन स्थानों पर 8 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
21.	सिक्किम	1 अतिरिक्त क्वार्टर के निर्माण की योजना है।
22.	उत्तर प्रदेश	तीन स्थानों पर 4 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।

विवरण VI

तार/दूरसंचार कर्मचारियों के लिए आवासीय स्थानों की वृद्धि हेतु प्रस्तावित कदमों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	तार/दूरसंचार कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनियों की वृद्धि हेतु प्रस्तावित कदम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।
2.	असम	44 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं तथा कुछ और क्वार्टरों की योजना है जिनका निर्माण आने वाले वर्षों में किया जाएगा।
3.	हिमाचल प्रदेश	13 स्थानों में से 7 स्थानों पर आवासीय स्थान पर्याप्त नहीं हैं। सर्किल ने जहां विभागीय भूमि उपलब्ध है, वहां और क्वार्टरों के निर्माण की योजना बनाई है।
4.	झारखण्ड	रांची, दुमका और डाल्टनगंज में आवासीय व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। रांची में आवासीय क्वार्टर निर्माणाधीन है और टीडीएम दुमका ने 7 एकड़ भूमि खरीदने और रिहायशी क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव दिया है। डाल्टनगंज और लातेहर में क्वार्टरों के निर्माण की योजना है।

1	2	3
5.	कर्नाटक	विभिन्न श्रेणियों के 26 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं और 90 क्वार्टरों की योजना बनाई जा रही है।
6.	मेघालय	एन.ई.-II दूरसंचार सर्किल द्वारा अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है।
7.	मिजोरम	
8.	त्रिपुरा	
9.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र)	मोहाली में 2 और चंडीगढ़ में एक कालोनी निर्माणाधीन है।

महाराष्ट्र में मोबाइल सेवा

3504. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के सभी जिलों और तहसील स्तर तक भी मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर विदर्भ के नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) मोबाइल फोन सेवा महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र के सभी जिला मुख्यालयों और 313 तहसील मुख्यालयों में उपलब्ध करा दी गई है। सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा/एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के लाइसेंस करार के अनुसार महानगरों में 90% सेवा क्षेत्र प्रभावी तारीख से एक वर्ष के भीतर कवर कर लिए जाएंगे। दूरसंचार सर्किलों में कम से कम 10% जिला मुख्यालय पहले वर्ष में कवर किए जाएंगे और लाइसेंस की प्रभावी तारीख से तीन वर्षों के भीतर 50% जिला मुख्यालय कवर किए जाएंगे। जिला मुख्यालयों/शहरों को कवरेज प्रदान करने का अर्थ यह होगा कि नगरपालिका सीमा के भीतर के कम से कम 90% क्षेत्र में गलियों/सड़कों और भवन के भीतर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/शहरों का चयन तथा 50% जिला मुख्यालयों/शहरों के बाद आगे का विस्तार लाइसेंसधारी के व्यावसायिक निर्णय पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों को अनिवार्यत: कवर करने की कोई शर्त नहीं है।

(घ) भारत संचार निगम लिमिटेड की योजना तहसील मुख्यालयों तक मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने की है जिनमें कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के अध्यधीन विदर्भ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के तहसील मुख्यालय भी शामिल हैं।

राजस्थान नाभिकीय विद्युत संयंत्र का उन्नयन/आधुनिकीकरण

3505. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रावतभाटा स्थित राजस्थान नाभिकीय विद्युत संयंत्र की क्षमता बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त संयंत्र की मौजूदा क्षमता कितनी है और उससे कितने प्रतिशत विद्युत उत्पादित की जाती है; और

(घ) इस संयंत्र के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) कुल 740 मेगावाट-ई क्षमता के चार परमाणु विद्युत रिएक्टर, रावतभाटा, राजस्थान में प्रचालनरत हैं। मौजूदा क्षमता के विस्तार स्वरूप 220 मेगावाट-ई की क्षमता वाले दो परमाणु विद्युत रिएक्टरों का निर्माण-कार्य शुरू किया गया है और यह कार्य अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। इन यूनिटों को वर्ष 2007-08 में पूरा करने की योजना है।

(ग) वर्ष 2004-05 में, राजस्थान परमाणु बिजलीघर ने 4743 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया और इसने राजस्थान में उत्पादित बिजली में लगभग 18% का योगदान दिया।

(घ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट-1 (100 मेगावाट-ई) ने वर्ष 1973 में वाणिज्यिक रूप से काम करना शुरू किया था। इस यूनिट का प्रचालन जारी रखने के लिए इसे विस्तृत तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन हेतु इस समय बन्द किया गया है। दूसरे यूनिट का प्रचालन वर्ष 1981 में प्रारम्भ किया गया था और इसमें प्रमुख नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) संबंधी कार्य किए जाने अपेक्षित हो गए थे। इन कार्यों को वर्ष 1998 में पूरा कर लिया गया था और तब से यह यूनिट काम कर रहा है। यूनिट III तथा IV ने वर्ष 2000 में काम करना शुरू किया था और अपेक्षाकृत नया होने के कारण इनमें किसी प्रमुख आर एंड एम कार्य करने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

युवा विकास केन्द्र

3506. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में युवा विकास केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य-वार स्थान-वार कितने युवा विकास केन्द्र हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर होने वाले संभावित खर्च का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) देश में युवा विकास केन्द्रों का राज्य-वार और स्थान-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) मार्गदर्शी सिद्धांत की योजना के अनुसार, केवल पंजीकृत युवा क्लबों का उनके उन्नयन के लिए विचार किया जाता है यदि वे अपेक्षित पात्रता मानदण्ड को पूरा करते हों। युवा विकास केन्द्र की स्थापना के लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य नहीं है। मंत्रालय ने युवा क्लबों के पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाने और पंजीयन के लिए शुल्क ढांचा को सरल बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है।

(ङ) ग्रामीण युवाओं और खेल क्लबों जिसमें युवा विकास केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता के अन्य घटक भी सम्मिलित है, को सहायता की योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 17.20 करोड़ रुपये का आबंटन प्रदान किया गया है वास्तविक व्यय पंजीकृत युवा क्लबों से प्राप्त प्रत्युत्तर पर निर्भर होगा।

विवरण

राज्य	राज्यवार स्थित युवा विकास केन्द्रों की संख्या	
1	2	
आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर	10
	कृष्णा	5
	चित्तूर	14
	कुड्डप्पा	10
	गुंटूर	4
	पूर्वी गोदावरी	6
	करीमनगर	12
	खम्माम	3
	कुरनूल	4
	महबूब नगर	5
	मेढक	1
	श्रीकाकुलम	5
	विशाखापत्तनम	26
	विजयानगरम	6
	नेल्लौर	11
	वारंगल	10
	हैदराबाद	1
	नालगौण्डा	1
	पश्चिम गोदावरी	5
	प्रकाशम	1
	रंगारेड्डी	8
असम	डिब्रूगढ़	6
	डुबरी	36

1	2	
	कामरूप	16
	लखीमपुर	31
	नौगांव	10
	काचर	17
	सोनीतपुर	17
	नार्थ काचर हिल्स	9
	करीमगंज	14
	बारपेटा	15
	कोकराझार	60
	जोरहट	3
	शिवसागर	3
	नलवाडी	2
	गोलपाड़ा	44
	दारंग	21
	हेलाकांडी	7
	गोलाघाट	4
	मोरीगांव	11
	बोंगईगांव	16
बिहार	भागलपुर	1
	दरभंगा	4
	कटिहार	1
	मुजफ्फरपुर	1
	पटना	2
	पूर्णिया	2
	गोपालगंज	1
	मधुबनी	4
	सिवान	5
	सीतामढ़ी	1

1	2	
	नवादा	1
	खगड़िया	1
	जहानाबाद	2
	कैमूर (भभूआ)	1
छत्तीसगढ़	दुर्ग	13
	बस्तर	1
	बिलासपुर	7
	रायपुर	11
	सरगुजा	1
	राजनन्दगांव	1
	कांकेर	1
	जांजगीर चम्पा	6
गुजरात	भरूच	1
	गोधरा	3
	साबर कांठा	5
	जूनागढ़	2
	मेहसाणा	1
	सुरेन्द्र नगर	3
	जामनगर	1
	भावनगर	1
	वलसाड़	2
	अहमदाबाद	3
	द डांग्स	1
	राजकोट	1
हरियाणा	अम्बाला	3
	भिवानी	5
	गुड़गांव	3
	करनाल	5

1	2	
	सिरसा	4
	कुरूक्षेत्र	5
	रोहतक	6
	फरीदाबाद	11
	सोनीपत	5
	जींद	5
	हिसार	19
	महेन्द्रगढ़	8
	रेवाड़ी	6
	यमुनानगर	5
	कैथल	6
	पानीपत	5
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	5
	चम्बा	1
	कांगड़ा	2
	हमीरपुर	2
	कुल्लु	4
	लाहौल स्पीति	2
	मण्डी	6
	सिरमौर	8
	सोलन	18
	शिमला	7
	ऊना	9
जम्मू-कश्मीर	कठुआ	4
	बडगांव	1
	डोडा	1
	जम्मू	2
	लेह	1
	राजौरी	3
	श्रीनगर	2

1	2	
	उधमपुर	4
झारखण्ड	धनबाद	2
	पलामू	1
	गिरीडीह	1
	साहिबगंज	2
	देवघर	2
	हजारीबाग	6
	ईस्ट सिंहभूमि	1
	बोकारो	6
कर्नाटक	बीजापुर	2
	बेलगांव	13
	बीदर	4
	चिकमंगलूर	10
	गुलबर्गा	21
	हासन	5
	नार्थ कन्नड	4
	कोडगू	2
	कोलार	22
	साउथ कन्नड	14
	मण्डया	7
	मैसूर	4
	रायचूर	1
	तूमकूर	13
	धारवाड़	3
	चित्रदुर्गा	3
	बेल्लारी	4
	शिमोगा	21
	बंगलोर (ग्रामीण)	3
	बंगलोर	19
केरल	अलपुझा	19

1	2	
	कण्णूर	23
	इदुकी	10
	कोजीकोड	28
	मालापुरम	30
	पालघाट	21
	पठनमथिट्टा	15
	थिरूवनन्तपुरम	24
	त्रिशूर	10
	एरणाकुलम	21
महाराष्ट्र	थाने	2
	जलगांव	2
	नान्डेड	2
	यवतमल	4
	अमरावती	2
	गढ़चिरौली	1
	जालना	19
	बुलढाणा	32
	नागपुर	1
	सतारा	19
	अहमदनगर	44
	नासिक	16
	परभनी	6
	उस्मानाबाद	15
	धूले	18
	लातूर	4
	पूणे	4
	सिन्धुदुर्ग	2
	चन्दरपुर	2
	वर्धा	1
	बीड	7

1	2	
	सांगली	2
मणिपुर	चुराचांदपुर	6
	इम्फाल	20
	सेनापति	10
	तेमलोंग	8
	उखरूल	2
	थोबूल	30
	चन्देल	4
	बिशनपुर	6
मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	2
	ईस्ट खासी हिल्स	6
	ईस्ट गारो हिल्स	1
	वेस्ट खासी हिल्स	2
नागालैंड	कोहिमा	3
	त्वेनसंग	1
	मोन	3
	वोखा	1
	फेक	2
उड़ीसा	बालेश्वर	16
	बोलंगिर	15
	मयूरभंज	6
	गंजम	8
	कालाहांडी	15
	धनकेनाल	4
	केन्दुझार	14
	कोरापुट	4
	कन्दानल	1
	पुरी	7
	संभलपुर	1
	सुन्दरगढ़	5

1	2	
	कटक	14
	नौपाड़ा	6
	खोर्धा	8
पंजाब	भटिण्डा	1
	फिरोजपुर	1
	गुरुदासपुर	1
	होशियारपुर	1
	जालन्धर	2
	कपूरथला	1
	मानसा	1
	फतेहगढ़ साहिब	1
राजस्थान	बाड़मेर	5
	भरतपुर	3
	बून्दी	8
	चित्तौड़गढ़	2
	चूरू	5
	जयपुर	1
	जैसलमेर	1
	जोधपुर	1
	सवाई माधोपुर	2
	टोंक	1
	उदयपुर	2
	अलवर	4
	कोटा	1
	धौलपुर	1
	नागौर	1
	झुंझनू	5
	श्रीगंगानगर	1
	राजसमंद	1
	दौसा	1

1	2	
सिक्किम	ईस्ट सिक्किम	4
	वेस्ट सिक्किम	1
	साउथ सिक्किम	1
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	7
	कुडलौर	4
	धर्मपुरी	13
	मदुराई	3
	पुदुकोटाई	1
	सेलम	6
	शिवगंगा	4
	त्रिचिरापाली	2
	तनझावोर	2
	तिरूनेलवेली	27
	वेल्लौर	8
	विरुधुनगर	12
	कन्याकुमारी	28
	इरोड	5
	डिंडिगुल	2
	तुतुकुडी	25
	चैन्नई	1
	नागपथनम	6
	तिरूवन्नामलाई	3
	थेनी	4
	पैरम्बलूर	1
त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा	10
	उत्तरी त्रिपुरा	6
	दक्षिणी त्रिपुरा	5
उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	5
	बदायूं	5
	बिजनौर	4
	देवरिया	3

1	2	
	फतेहपुर	1
	गाजीपुर	9
	हमीरपुर	9
	झांसी	3
	मथुरा	7
	मेरठ	4
	मुजफ्फरनगर	4
	मुरादाबाद	1
	रामपुर	1
	सहारनपुर	8
	वाराणसी	4
	सुल्तानपुर	8
	ललितपुर	2
	एटा	12
	आगरा	4
	बुलन्दशहर	2
	शाहजहांपुर	1
	बहराइच	1
	बरेली	5
	पीलीभीत	1
	मैनपुरी	1
	लखनऊ	1
	बाराबांकी	6
	बलिया	1
	कानपुर देहात	1
	इटावा	1
	जालौन	1
	गाजियाबाद	19
	हरदोई	7
	मऊ	11
	फिरोजाबाद	2
	सोनभद्र	1
उत्तरांचल	अल्मोड़ा	5
	चमौली	6
	देहरादून	4
	नैनीताल	2
	पिथौरागढ़	3
	टिहरी गढ़वाल	2
	हरिद्वार	2
पश्चिम बंगाल	नार्थ 24 परगना	45
	बर्धमान	30
	मुर्शिदाबाद	5
	दार्जिलिंग	5
	साउथ 24 परगना	24
	जलपाईगुड़ी	8
	वेस्ट मिदनापुर	22
	पुरूलिया	15
	कलकत्ता	2
	कूच बिहार	24
	बांकुरा	3
	बीरभूम	6
	हुगली	11
	नाडिया	17
	हावड़ा	35
	मालदा	4
	ईस्ट मिदनापुर	26
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	पोर्टब्लेयर	1
दिल्ली	अलीपुर	3
	महरौली	2
	नागलोई	1
गोवा	नार्थ गोवा	1
पाण्डिचेरी	कराइकल	4
	पाण्डिचेरी	17
	माहे	4

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2630/05]

(2) (एक) कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखेपरीक्षित लेखे।

(दो) कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2631/05]

(4) राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि के वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2632/05]

(6) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 जो 30 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 431(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2633/05]

(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 809(अ) जो 15 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 25 जून, 2004 की अधिसूचना संख्या 388(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2634/05]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का.आ. 115(अ) जो 2 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर भूमि के अर्जन के लिए सब-डिवीजनल आफिसर, हिंगनघाट को प्राधिकृत किया गया है।

(दो) का.आ. 524(अ) जो 7 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 (अजमेर से राजस्थान/गुजरात सीमा) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तीन) का.आ. 554(अ) जो 15 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में कांचीपुरम जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेनों वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 596(अ) जो 19 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 557(अ) जो 19 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 600(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ. 558(अ) जो 19 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 602(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ. 559(अ) जो 19 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 560(अ) जो 19 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 566(अ) जो 21 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में तिरूनेलवेली जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 567(अ) जो 21 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में मदुरै जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै और मदुरै-कन्याकुमारी खंडों) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 569(अ) जो 21 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में तिरूनेलवेली जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 593(अ) और का.आ. 594(अ) जो 28 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में विल्लोर जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) के निर्माण, (चार लेनों वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 658(अ) जो 10 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 935(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 659(अ) जो 10 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में सिवनी जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (लखनादोन-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 673(अ) जो 17 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का. 1120(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ. 685(अ) जो 20 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 435(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का.आ. 688(अ) जो 20 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 78(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का.आ. 694(अ) जो 24 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में जालौन जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या-25 के निर्माण (चार या छह लेनों वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 696(अ) जो 24 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, बंगलौर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2635/05]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 587(अ) जो 27 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 (खेरवाड़ा-रतनपुर खंड) पर चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस के उद्ग्रहण के बारे में है।

(दो) का.आ. 588(अ) जो 27 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस के उद्ग्रहण के बारे में है।

(तीन) का.आ. 589(अ) जो 27 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (राजामुंदरी से टूनी खंड) पर चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस के उद्ग्रहण के बारे में है।

(चार) का.आ. 590(अ) जो 27 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस के उद्ग्रहण के बारे में है।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2636/05]

अपराह्न 12.01 बजे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

विवरण

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार के अंतिम-की-गई कार्यवाही उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) तैंतालीसवां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)-आरक्षण नीति तैयार करना उसका कार्यान्वयन और निगरानी;

(2) छियालीसवां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार और उनके प्रति सामाजिक अपराधों का पैटर्न;

(3) पांचवां प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा)-इंडियन बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त ऋण सुविधाएं;

(4) ग्यारहवां प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा)-आकाशवाणी और दूरदर्शन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन; और

(5) तीसरा प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)-ट्राइबल को-आपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड) का कार्यकरण।

अपराह्न 12.01½ बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले उपयुक्त विधान की आवश्यकता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 5, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेगी।

यह मामला बहुत से माननीय सदस्यों को परेशान कर रहा है। व्यवस्था के अनुसार मेरे पास बैलट में आए संसद सदस्यों के नाम हैं, मैं सबको इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। परन्तु कृपया हड़बड़ी न मचायें। श्री ए. कृष्णास्वामी।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें:

"आरक्षण के संबंध में संवैधानिक उपबंध के अनुसार देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं और स्व-वित्तपोषित संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का उपबंध करने वाले विधान की आवश्यकता।"

***मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** महोदय, 12 अगस्त, 2005 को पी.ए. ईनामदार एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था दी है कि गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक व्यावसायिक संस्थाओं, चाहे अल्पसंख्यक हों या गैर-अल्पसंख्यक के मामले में राज्य को सीटों के कोटे के आरक्षण अथवा उपलब्ध सीटों पर राज्य की आरक्षण नीति लागू करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसा करने से निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं के अधिकार और उनकी स्वायत्तता का गम्भीर अतिक्रमण होता है। सीटों की ऐसी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अर्थ के दृष्टिकोण से न तो अल्पसंख्यक समुदाय के हित में कोई विनियामक उपाय ही होगा और न ही संविधान के अनुच्छेद 19(6) के अर्थ के दृष्टिकोण से कोई समुचित प्रतिबन्ध ही होगा। मात्र इसलिए कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य के संसाधन सीमित हैं, निजी शैक्षिक संस्थाओं, जिनका उद्देश्य बेहतर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है, को राज्य द्वारा आरक्षण नीति के आधार पर कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को प्रवेश देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। गैर-सहायता प्राप्त संस्थाएं राज्य निधियों से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रही हैं इसलिए उन्हें निष्पक्ष, पारदर्शी योग्यता पर आधारित प्रवेश देने का समुचित अधिकार होगा।

निर्णय में सम्मिलित मुद्दे पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न मंचों पर गहन विचार-विमर्श और परामर्श की विषयवस्तु रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 10-11 जनवरी, 2005 को बंगलौर में राज्यों के उच्चतर और तकनीकी शिक्षा मंत्रियों की एक दो-दिवसीय बैठक का आयोजन किया था। उपरोक्त विचार-विमर्श के बाद प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विधान का एक प्रारूप तैयार किया गया था और 14-15 जुलाई, 2005 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.) की पिछली बैठक के दौरान इसे परिचालित भी किया गया था। विधान के प्रारूप में माननीय संसद सदस्यों की उन चिंताओं का भी उल्लेख है जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी आरक्षण के प्रावधान से संबंधित हैं।

हालांकि, हम सभी राज्य सरकारों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रहे थे, उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से विधान के प्रारूप में प्रस्तावित योजना पर्याप्त रूप से प्रभावित हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस निर्णय के निहितार्थ को समझने का प्रयास करें और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाएं। इस दृष्टिकोण में समग्र रूप से राष्ट्रीय, सामाजिक और संवैधानिक अनिवार्यताओं का उल्लेख होना चाहिए। इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में 27 अगस्त, 2005 को राज्यों के व्यावसायिक शिक्षा के प्रभारी मंत्रियों की एक बैठक बुलायी गयी है। हमें आशा है कि हम इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने में समर्थ होंगे। हमें आज की इस चर्चा और माननीय संसद सदस्यों से इस संबंध में प्राप्त सुझावों का लाभ भी मिलेगा।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, भारत के सम्माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में दिये अपने निर्णय में व्यवस्था दी है कि स्व-वित्तपोषित कालेजों को सरकार द्वारा आरक्षण का निर्धारित कोटा पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। यह सामाजिक न्याय पर एक सीधा प्रहार है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में साक्षरता के मामले में भारत बहुत ही पिछड़े देशों में से एक है।

महोदय, वर्ष 1950 में किए गये पहले संशोधन से आज तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु हमारे नेताओं को काफी संघर्ष करना पड़ा है।

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2638/05

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णास्वामी, मुझे खेद है। आप अपनी सीट पर नहीं हैं। इस बात को इतनी सहजता से मत लीजिए। आप मुझसे इसकी अनुमति ले सकते थे।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, कृपया मुझे माफ करें।

अध्यक्ष महोदय: इस विषय में मैं आपकी आकुलता समझ सकता हूं।

श्री ए. कृष्णास्वामी: साक्षरता के मामले में भारत पिछड़े हुए देशों में से एक है विशेषकर सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामलों में तमिलनाडु के महान नेताओं विशेषकर हमारे प्रिय नेता ई.वी.के. पेरियार, पेरारिग्नर अन्ना और कर्मावीर कामराज ने जवाहरलाल नेहरू की सहायता से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लाभ दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान में संशोधन किया और आरक्षण का जोरदार समर्थन किया। महान नेताओं के लगातार कई वर्षों के संघर्ष के उपरान्त देश में सामाजिक न्याय की यह नीति लागू की गयी। यह संघर्ष स्वतंत्रता के संघर्ष के समतुल्य ही था।

हमारे नेता डा. कलैग्नार करूणानिधि काफी लम्बे समय से आरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दे रहे हैं नामत: आरक्षण की सीमा में से सम्पन्न वर्ग के मानदण्ड को हटाना, सरकार द्वारा नियंत्रित/वित्त पोषित सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ अन्य पिछड़े वर्गों तक पहुंचाना, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक पृथक संसदीय समिति का गठन और राज्य सरकारों को जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों/अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने का अधिकार देना।

अपने जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि, चूंकि गैर-सहायता प्राप्त संस्थान, राज्य निधियों में से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं अत: उन्हें निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता पर आधारित प्रवेश देने का अधिकार होगा।

इस संदर्भ में, मैं भारत सरकार की दसवीं पंचवर्षीय योजना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा और उसमें से कुछ उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है:

> ''विश्वविद्यालय/उच्चतर शैक्षिक प्रणाली में प्रवेश और समानता का मुद्दा केन्द्रीय मुद्दा है। 18-23 वर्ष के आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या में से केवल छह प्रतिशत ही अपनी विश्वविद्यालय में है। इसमें नामांकन बढ़ाने के उपायों के रूप में योजना के दौरान वंचित वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।''

यह दसवीं योजना में कहा गया है।

जबकि सरकार का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को उच्चतर शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रशंसकीय लक्ष्य प्राप्त करने का है, उच्चतम न्यायालय का वर्तमान विनिर्णय सरकार के प्रयासों पर एक धक्का है।

अपने जवाब में माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि उन्होंने 27 अगस्त 2005 को नई दिल्ली में राज्यों के व्यावसायिक शिक्षा के प्रभारी शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक बुलायी है। मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ ही इस्लामिक अकादमी के मामले में एक वरिष्ठ विद्वान सलाहकार ने तमिलनाडु राज्य की ओर से उच्च न्यायालय में यह वक्तव्य प्रस्तुत किया है कि तमिलनाडु सरकार की अल्पसंख्यक संस्थानों की नीति के अनुसार राज्य सरकार समुदाय विशेष हेतु आरक्षण पर जोर नहीं देगी।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी इसका जवाब नहीं दे सकते।

श्री ए. कृष्णास्वामी: यदि ऐसी स्थिति है तो बैठक आयोजित करने के संबंध में दोहरे मापदंड होंगे। एक मापदंड तो न्यायालय के सामने होगा और दूसरा मापदंड जनता के सामने अपनाया जाएगा।

स्व-वित्तपोषित उच्चर शैक्षिक संस्थानों में सरकार द्वारा आबंटित आरक्षण कोटा प्रदान करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये संस्थान भारत सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में योगदान दें और भारत के योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की गति को बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा एक व्यापक विधान लाया जाना चाहिए।

श्री के. सुब्बारायण (कोयम्बटूर): महोदय, एक तरह से उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय ने सरकारी कोटा और आरक्षण नीति को समाप्त ही कर दिया है। इस संदर्भ में, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि यह केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह सरकारी कोटा प्रणाली में आरक्षण नीति की सुरक्षा करे। क्या कानून में उचित आवश्यक संशोधन करने के लिए भारत सरकार आगे आएगी? यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने से संबंधित एक मुद्दा है? यदि इसे शीघ्र ठीक नहीं किया गया तो इससे कानून और व्यवस्था की गम्भीर समस्या उत्पन्न होगी। इसके लिए कानून में एक उचित संशोधन की आवश्यकता है।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): आदरणीय महोदय, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय द्वारा उत्पन्न एक आसामान्य, अस्पष्ट और विस्फोटक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय निजी संस्थानों द्वारा छात्रों को प्रवेश देने और मनमर्जी से फीस निर्धारित करने के उन्मुक्त अधिकारों का अनुमोदन किया है। मैं इस सम्माननीय सभा में बताना चाहता हूं कि निजी संस्थानों, गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के पास उन्मुक्त अधिकार नहीं होते। उनका समाज के प्रति एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। देश में ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो कि समाज की परिधि से परे हो। वे समाज के अंग है। उन्हें अपना उत्तरदायित्व पूरा करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 'गैर-सहायता प्राप्त' की अवधारणा को स्पष्ट समझना चाहिए। सामाजिक संसाधनों के उपयोग के बिना क्या अपने आपसे निजी संस्थान अस्तित्व में आ सकते हैं? उदाहरण के लिए भूमि संसाधन के बिना क्या कोई संस्थान स्थापित किया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं करते। विनिर्णय सबके लिए बाध्यकारी है।

प्रो. एम. रामदास: यह विनिर्णय तर्कसंगत नहीं है। विभिन्न संस्थानों में इस विनिर्णय से प्रभावित गरीब छात्रों के बचाव के लिए हमें आगे आना पड़ेगा।

[अनुवाद]

यह निर्णय उस असंगत स्थिति को दर्शाता है जो एक के बाद एक आने वाली सरकारों—दोनों, केन्द्र तथा राज्य सरकारों—के कारण पैदा हुई है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व को स्वीकार करने में असफल रही हैं। 1991 से हमने निजी संस्थानों को कुकुरमुत्ते की तरह पनपने की छूट दे रखी है। सभी आयोगों—डा. राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, आचार्य आयोग और स्व. राजीव गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा संबंधी नई नीति—सभी ने कहा है कि सरकार को शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत खर्च करना चाहिए। लेकिन हमने उस परामर्श पर ध्यान नहीं दिया है। हमने उच्च शिक्षा मुहैया कराने संबंधी अपनी सभी प्रकार की जिम्मेदारी से अपना हाथ खींच लिया है और इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संस्थानों को आने की छूट दे रखी है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह कहा गया है कि निजी संस्थानों—चाहे सहायता प्राप्त हो या गैर-सहायता प्राप्त—द्वारा इस देश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। निजी क्षेत्र से आने वाली विभिन्न प्रकार की सच्चाइयों को देखिए। उनके पास समुचित संकाय नहीं हैं। वे बहुत उच्च दर से शुल्क वसूल करते हैं। वसूले गए शुल्क के प्रति वे जिम्मेदार नहीं हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही है। कोई मानक शिक्षा नहीं है। वे किस प्रकार गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और फिर वे कहते हैं कि राज्य सरकारों को आरक्षण देने का कोई अधिकार नहीं है। हमें सरकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।

जैसा कि मेरे विद्वान मित्र ने कहा है कि आज भारत में 18-23 वर्ष के आयु वर्ग के केवल 6 प्रतिशत छात्र ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं। जब आप इस प्रतिशत आबादी को अलग-अलग करके देखते हैं तो पाएंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों की संख्या 1.5 प्रतिशत भी नहीं है। अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र में हैं। यदि निजी क्षेत्र शिक्षा का अवसर नहीं प्रदान करता है या शिक्षा तक पहुंच को सुलभ नहीं बनाता है तो इन छात्रों का क्या होगा? हम रोजगार के अवसरों में तो आरक्षण देते हैं लेकिन शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दे रहे हैं।

महोदय, निर्णय की एक प्रमुख बात उस पैरा में हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय में साफ तौर पर कहा गया है कि:

> "एक केन्द्रीय विधान नहीं होने की स्थिति में यह केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे इस विषय में एक विस्तृत तथा सुविचारित विधान लाए। एक ऐसी विधान की लम्बे समय से प्रतीक्षा है। राज्यों को इस दिशा में अवश्य काम करना चाहिए। जब राज्य के दो अन्य अंग-विधायिका और कार्यपालिका अपना कार्य नहीं करते हैं तो राज्य की न्यायपालिका को यह कार्य करने को कहा जाए। भारत संघ तथा राज्य सरकारें जितनी जल्दी यह कार्य करेंगी उतना ही अच्छा होगा।"

इसलिए, उच्चतम न्यायालय ने संसद तक संघ सरकार को इस प्रकार के एक व्यापक विधान के अधिनियम तथा इसको तैयार करने का अधिकार दे रखा है, और मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करें, एक ऐसी समिति हो जिसके सदस्य शिक्षा शास्त्री, विधि में जाने-माने लोग, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री हों। सामाजिक न्याय के लिए हमने जो संवैधानिक गारंटी दी है उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें एक समिति बनाने तथा एक विधान का प्रारूप तैयार करने दीजिए तथा एक उपयुक्त विधान बनाने दीजिए। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को और सरकारी महाविद्यालय खोलने चाहिए। निजी शिक्षा संस्थानों पर लम्बे समय से चली आ रही हमारी निर्भरता को समाप्त करना चाहिए। जहां तक निजी शिक्षा की बात है जब तक वे एक गुणवत्तायुक्त शिक्षा नहीं उपलब्ध कराते हैं तब तक वे इस देश के मानव संसाधन विकास में कोई योगदान नहीं करेंगे।

इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि एक उपयुक्त विधान लाया जाए।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही यह बात कही है।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि 'विधान कैसा होना चाहिए।' इस विधान में न केवल संवैधानिक प्रावधानों की ही चर्चा नहीं होनी चाहिए बल्कि इसमें इस बात की भी घोषणा की जानी चाहिए कि आरक्षण कोटा स्थानीय स्थितियों और संस्थानों की उपलब्धता के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, निजी संस्थानों की आजादी जितनी महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जो मण्डल कमीशन आया था, उसने भी साइन्टिफिक, टेक्निकल और प्रोफेशनल कालेजों में 27 प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा की थी। इसी तरह जो पहला बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बना था, उसने भी 17 प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा की थी। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में आईआईटी जैसी संस्थाओं में एससी, एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था वर्ष 1973 से लागू है। जब आईआईटी जैसी संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था लागू है और आप निजी संस्थानों में इसे लागू नहीं करेंगे तो आज स्थिति यह है कि हमारे देश में जो 1265 इंजीनियरिंग कालेज हैं,

[अनुवाद]

इन 1,265 महाविद्यालयों में से 974 स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय हैं और केवल आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में ही 439000 छात्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में नामांकन कराते हैं।

[हिन्दी]

आप उन कालेजों में पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए आरक्षण खत्म कर देते हैं तो इससे लाखों छात्रों का भविष्य अन्धकार में चला जाएगा और जो गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, वे इस व्यवस्था के लाभ से वंचित रह जाएंगे।

महोदय, संविधान के तहत हमने नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की है। जब नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है और कोई व्यक्ति इंजीनियर की नौकरी पाना चाहता है, यदि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाता है तो वह इंजीनियर की नौकरी में कैसे जा सकेगा?

[अनुवाद]

यदि हम नौकरियों में अ.जाति और अ.ज.जाति को आरक्षण देते हैं तो यह स्वाभाविक उपसिद्धांत है कि उन्हें शैक्षिक संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाए ताकि नौकरियों में भी वे आरक्षण कर लाभ उठा सकें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं एक अन्य बात कहना चाहूंगा कि जो माइनारिटी इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनमें भी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है, उसे कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता है। जब किसी राज्य में कोई इंजीनियरिंग कालेज खोला जाता है तो कोई व्यक्ति उसे 'सुओ मोटो' नहीं खोल सकता है।

[अनुवाद]

उसे ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमति लेनी होगी। इसी प्रकार यदि कोई चिकित्सा महाविद्यालय खोलना चाहता है तो उसे भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुमति लेनी होगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, अगर कोई परमीशन लेकर कालेज खोलता है तो स्टेट गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वह बाध्य करे कि उस संस्थान में रिजर्वेशन पालिसी को लागू किया जाए। जिस तरह से जमीन के बारे में व्यवस्था है कि कितना एसेट है, उसके बारे में कंपेल किया जा सकता है, उसी तरह से राज्य आरक्षण नीति को भी लागू कर सकते हैं। इस निर्णय से न केवल एससी, एसटी और ओबीसी के लोग प्रभावित होंगे, बल्कि महिलाओं भी इससे प्रभावित होने वाली हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में सभी वर्गों में 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए होता है। अगर यह आरक्षण खत्म कर दिया गया तो महिलाएं भी इससे वंचित हो जाएंगी। 23 अगस्त, 2004 को कर्नाटक में सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई थी, वहां के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। सभी राजनैतिक दलों के लोग मंत्री जी से मिले थे और यह मांग की थी कि सेंट्रल लेजिस्लेशन लागू किया जाना चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक साल हो गया, अभी तक केन्द्रीय कानून लागू नहीं किया गया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस संबंध में तत्काल सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाई जाए। निजी शैक्षणिक संस्थानों में अगर दलितों को, पिछड़ों को और महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन

करने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए सहमति बनाई जाए। निजी संस्थानों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छोड़ देंगे, तो वे गरीबों को उनके अधिकार से वंचित कर देंगे। इसलिए सरकार तत्काल निर्णय करे और सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाकर सेंट्रल लेजिस्लेशन को लागू किया जाए, जिससे दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो लड़के अन्य राज्यों से वहा शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में बिहार आदि राज्यों से लाखों लड़के पढ़ने जाते हैं। इसलिए अन्य राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी स्थिति से अवगत हैं। इस विषय की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको प्राथमिकता दी है। इसे कल ही उठाया गया था और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। सदस्यों को नियमों की जानकारी है—एक स्पष्टीकरण की अनुमति है। मैं कई बातें कहने की छूट दे रहा हूं। जहां तक संभव हो मुझे इसे नियमित करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दें।

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन (वन्डावासी): महोदय, मारूमलाची द्रविड़ मनेत्र कड़गम पार्टी तथा हमारे पार्टी के नेता तिरू वाईको की ओर से मैं सभी गैर-सहायता प्राप्त निजी अभियांत्रिकी और चिकित्सा महाविद्यालयों में आरक्षण नीति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं। इस निर्णय द्वारा सामाजिक न्याय को नकारा जा रहा है क्योंकि गरीब लोगों, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग को उनके जायज अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह निर्णय निजी क्षेत्र में लोगों द्वारा चलाए जा रहे अल्पसंख्यकों के संस्थानों और अन्य बहुसंख्यक महाविद्यालयों को और अधिक अधिकार प्रदान करता है।

मैं मंत्री महोदय से गैर-सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश में समाज के कमजोर वर्ग को आरक्षण देने संबंधी विधान बनाने का आग्रह करता हूं। तमिलनाडु में यह अंतिम चरण में है। हमारे प्रिय नेता पेरियार, अन्ना और अन्य नेताओं ने पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया था। समाज के कमजोर वर्गों जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, वे व्यावसायिक संस्थान जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है और जिसमें चिकित्सा और अभियांत्रिकी महाविद्यालय सम्मिलित हैं, में आरक्षण नीति बहाल करने के लिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित करने वाला कोई विधान अधिनियमित करना चाहती है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक कौन लोग हैं। निर्णय में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अल्पसंख्यक संस्थान या भाषायी संस्थान चला रहा हो किसी भी राज्य से किसी को भी प्रवेश दे सकता है। इसका क्या अर्थ है? तमिलनाडु में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान किसी भी राज्य से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त निजी महाविद्यालयों को और अधिक अधिकार दिए गए हैं। वे अपना शुल्क स्वयं तय कर सकते हैं, प्रवेश संबंधी निर्णय ले सकते हैं, प्रवेश परीक्षा ले सकते हैं, आदि। उनको पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। क्या न्यायपालिका संसद या भारत सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर रही है? क्या वे निर्णय करते हैं। संसद को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। मैं माननीय मंत्री से इस गंभीर विषय पर तत्काल निर्णय लेने का अनुरोध करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया आप लोग मुझे सभा का संचालन करने दीजिए। मैं सभा की भावना को समझ रहा हूं। मैंने कहा है कि सभा का हर वर्ग इस बारे में चिंतित है लेकिन प्रक्रिया भी कोई चीज होती है। नियम के अनुसार पांच माननीय सदस्यों को अनुमति है।

उन्होंने काफी लम्बा भाषण दिया है लेकिन दो अन्य माननीय सदस्य भी हैं जिन्होंने सूचनाएं दी हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप हाथ नीचे कर लीजिए।

[अनुवाद]

इससे केवल मेरा ध्यान बंटता है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि लेकिन यदि आपमें मुझे सुनने का धैर्य नहीं है तो मैं सभा

[अध्यक्ष महोदय]

का संचालन कैसे कर पाऊंगा? दो माननीय सदस्य हैं, जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे हैं। बैलट में वे सफल नहीं रहे हैं। मैं उन्हें बुलना चाहता हूं। यदि लम्बा भाषण देने के बजाए आप केवल एक टिप्पणी करना चाहेंगे तो मैं सभा के हर वर्ग को समायोजित कर सकूंगा ताकि सरकार को यह पता चले कि सभा के सभी लोग एक विशेष विचार रखते हैं।

अब, श्री खारवेनथन बोलेंगे। कृपया संक्षेप में कहिए और बताएं कि आप प्रस्तावित विधान का समर्थन करते हैं।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, उच्चतम न्यायालय का हाल का फैसला जनविरोधी है। इस निर्णय के अनुसार "आपके पास पैसा है तो महाविद्यालयों में जाओ और प्रवेश पाओ।" यही इस निर्णय का परिणाम है। पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र में गरीब छात्रों को दिया गया और आरक्षण इससे प्रभावित हुआ है। 2000 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में से 1000 निजी महाविद्यालय हैं। इसी प्रकार, 205 डेंटल कालेजों में से केवल 30 सरकारी हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के सभी गरीब छात्र इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे।

इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए रास्ता साफ करने हेतु वह एक अधिनियम लाए।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको इसी प्रकार सहयोग करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी. मोहन (मदुरै): महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए सूचना दी थी। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए वह राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलायेंगे। मैं इस कदम की प्रशंसा करता हूं। तथापि, मैं मंत्री महोदय से एक सकारात्मक आश्वासन चाहता हूं कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करेगी और उनके साथ सामाजिक न्याय होगा।

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री का ध्यान दो महत्वपूर्ण बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

इन दिनों सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट आई हैं—एक तो यह है कि अगर हम हायर एजूकेशन में एससी बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दिलवाएंगे तो फिर वे नौकरियों में भी रिजर्वेशन नहीं ले सकेंगे। आप रिजर्वेशन एनआरआईज को देंगे, मैनेजमेंट कोटे से देंगे। इसलिए मैं माननीय मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि आप मैनेजमेंट कोटा देना चाहते हैं तो दें, एनआरआईज को देना चाहते हैं तो दें, लेकिन एससी का जो टोटल रिजर्वेशन है वह इनटैक्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एससी के कोटे से एनआरआईज या मैनेजमेंट कोटा दे दें। दूसरा जजमेंट आंध्र प्रदेश का आया है—उस जजमेंट ने क्या किया? उसे सुप्रीम कोर्ट ने हैल्ड कर दिया है कि एससी के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट को प्राविजन बनाने या लैजिस्लेशन करने का अधिकार नहीं है। उसका रिजल्ट यह निकला है कि पंजाब और हरियाणा में बाल्मीकियों का रिजर्वेशन मिलने से पहले आईपीएस, आईएएस अधिकारी नहीं था, आज 23-24 साल रिजर्वेशन मिलने के बाद, दो आईएएस, चार-पांच आपीएस आफिसर्स हुए हैं और 8-10 पीसीएस भी हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से, जजमेंट आने से जो उनको 50 प्रतिशत रिजर्वेशन मिलता था, वह भी खत्म हो गया।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उस बिल में ही मैं चाहूंगा, क्योंकि राज्य ही अपने यहां के हालत को, सोशल लाइफ को अच्छी तरह से जानते हैं और कौन-कौन सी कास्ट्स पिछड़ी हुई हैं, इसे अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी में आ जाना चाहिए था कि राज्य को यह अधिकार होना चाहिए कि अगर वह कैटेग्राइजेशन करना चाहे, रिजर्वेशन विदइन रिजर्वेशन, तो उसे यह अधिकार मिलना चाहिए। मैंने दो बातें कहीं हैं— एक तो जो प्राइवेट हायर एजूकेशन है, उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। जो बिल आ रहा है उसमें राज्यों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे अपने राज्यों के हालात के आधार पर रिजर्वेशन विदइन रिजर्वेशन कर सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने हाथ मत उठाइए। मैंने अपनी सूची बनाई है। इसलिए अपने हाथ उठाने का कोई लाभ नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, ऐसी क्या बात है? मैं तो कभी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको बोलने का मौका दिया गया है, आप बोलिए। क्या आप गुस्से में हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभी लोग मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या बात है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, हमने आपको परमिट किया है। आप बोलिए।

[अनुवाद]

दूसरों के बहकावे में मत आइये। परन्तु इसे भविष्य में एक पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आदर करता हूं। आपने मुझे अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। महोदय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज जो स्थिति पैदा हो गई है, उसके कारण देश के सामाजिक न्याय और विशेष अवसर के सिद्धांत पर आघात हुआ है। भारतीय संविधान की धारा 15(4) के तहत जो देश के कमजोर वर्ग हैं, चाहे एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, उनको विशेष अवसर देने के लिए संविधान में यह सिद्धांत प्रतिपादित हैं। आज इस सिद्धांत की मंशा के विपरीत सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है, वह सामाजिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है, सामान्य न्याय के भी विपरीत है और प्राकृतिक न्याय ने भी विपरीत है। इस देश में 54 प्रतिशत लोग ओबीसी हैं और लगभग 24 प्रतिशत एससी, एसटी हैं। लगभग 78 प्रतिशत इस देश की जो आबादी है, उनके बच्चों को तकनीकी शिक्षा, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं या निजी शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिल होने का दरवाजा बंद कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आयरन फिल्टर गेट लगा दिया गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं खास कर माननीय मंत्री जी से कि लेजिस्लेशन लाने की बात सदन में हो रही है, वे इसे तो लाए हीं, और माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि जो सरकार का विधेयक लाने का प्रयास है, उस प्रयास को धक्का लगा है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि उसमें धक्का न लगे, इसका उपाय आज ही सदन में होना चाहिए। इसके लिए अभी तत्काल विधेयक लाना चाहिए क्योंकि 27 प्रतिशत जो उच्च श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण दिया गया है वह भी खंडित हो जाएगी। नौकरियों का क्या होगा? जब उच्च शिक्षा, मेडिकल में नहीं जाएंगे, इंजीनियरिंग में अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, एससी, एसटी के बच्चे नहीं जाएंगो तो उनको 27 प्रतिशत जो मंडल कमीशन के तहत व्यवस्था है और जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए प्रावधान किया है, जो सहमति दी है, उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक लेजिसलेशन, एक विधेयक तो लाया ही जाए। 27 तारीख को व्यावसायिक राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। मैं इस बैठक का स्वागत करता हूं लेकिन उस बैठक के बाद सदन स्थगित हो जाएगा, इसलिए विधेयक लाने की परिस्थिति नहीं होगी। इसलिए तत्काल आर्डिनेंस निकाल कर, जो 78 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी के लोगों के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित न किया जाए, क्योंकि कमजोर वर्ग के लोग, समाज के जो सुविधा प्राप्त वर्ग हैं, उनकी तरह से सुविधा पाने से वंचित रहे हैं। हजारों वर्षों से इन लोगों की मिट्टी, खेत खलिहान से ही तकदीर जुड़ी हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि संविधान संशोधन की जरूरत हो तो उस पर विचार किया जा सकता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इसलिए इन लोगों को वंचित न रखने के लिए 27 तारीख के बाद आर्डिनेंस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को निरस्त किया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

सभा को इस प्रकार विभाजित न कीजिए।

[हिन्दी]

आपको सुझाव समय पर देना चाहिए। आपके नेता बहुत अच्छे ढंग से बोले हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे एक या दो वाक्यों में कहिए। मैं इस मामले में सरकार के हाथ मजबूत करना चाहता हूं क्योंकि सरकार का कहना है कि वह एक कानून बनाना चाहती है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में दो निर्णय दिए और दोनों एक दूसरे की मंशा के विरोध में हैं। एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जितने भी विशेषज्ञता प्राप्त संस्थान हैं, उनमें दाखिले का इंतजाम प्रदेश सरकारें करें और सामूहिक परिक्षाएं हों। जब राज्य की ओर से निजी संस्थान में प्रवेश के लिए सामूहिक परिक्षाएं होंगी, क्या

[श्री मोहन सिंह]

कोई राज्य देश के बने हुए कानून के विरोध में कोई व्यवस्था कर सकता है? इसलिए राज्य की ओर से जो सम्मिलित परीक्षाएं होंगी तो दाखिले में जो आरक्षण का कानून है, वे उसके ही तहत होंगी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के एक हफ्ते में दो निर्णय अन्तर-विरोधी हैं, जिसकी समीक्षा भारत सरकार को करनी चाहिए।

मैं दूसरा आग्रह यह कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान ने स्टेट्स और संसद को जो अधिकार दिया है कि वह समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की तरक्की के लिए निर्देश भी प्रसारित कर सकता है और इसके लिए संविधान में भी संशोधन कर सकता है। संसद के इस कानून बनाने के अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सीधा हस्तक्षेप है। मैं ऐसा मानता हूं कि संसदीय प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप करने की जो परम्परा चल रही है, उसमें यह एक नया अध्याय है। इसलिए भारत सरकार को इस पर दृढ़तापूर्वक विचार करना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने संविधान की धारा 29-30 का उल्लेख किया, जो अपने धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में है लेकिन जो स्पैशलाइज्ड एजुकेशन है, उसके ऊपर यह धारा लागू नहीं होती। स्पैशलाइज्ड एजुकेशन के संबंध में, राज्यों को जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको विशेष अवसर के सिद्धांत का पालन करते हुए एक नया कानून लाने की जो बात स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसी सदन में कही है, उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना चाहिए और संवैधानिक संशोधन करने के लिए सभी दलों के नेताओं की तत्काल एक बैठक बुलानी चाहिए। यही आग्रह करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप बोलना चाहते हैं तो अपनी सीट पर बैठे। इधर-उधर क्यों घूमते हैं?

श्री इलियास आजमी: (शाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैंने माननीय सदस्यों की बातें बड़े गौर से सुनीं। यह सच्चाई है कि जुडिशियरी विधायिका के काम में लगातार हस्तक्षेप कर रही है। अगर कल कोई फैसला आ जाए कि संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है और वह अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर लें तो बड़ी बात नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो फैसला आया है, उसे कानून के जरिए बदला जाए। जल्द से जल्द कोई विधेयक लाया जाए. अभी हमारे भाई श्री सुशील कुमार मोदी ने अल्पसंख्यक संस्थानों की बात कही। एक बात पूरे सदन की एकराय है, चाहे दक्षिणपंथी हों, वामपंथी हों, कांग्रेस हो या बीएसपी हो, सभी की यह राय है कि मुसलमान शिक्षा में पिछड़ गए हैं। पिछड़ों में जो पिछड़ जाते हैं, उन्हें सहारा देने का कानून संविधान में मौजूद है। जो नया विधेयक आए, उसमें अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात से ज्यादा न सही 12-13 परसैंट आरक्षण सभी शिक्षा संस्थानों में देने का प्रावधान सरकार करे। उस नए कानून से देश का भला हो सकेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी आवाज उठाने का हक है। मैं उससे बंधा नहीं हूं।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे निजी संस्थाओं में आरक्षण नीति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में कुछ शब्द बोलने की अनुमति दी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांति बनाये रखें। मैं मामले के महत्व के कारण प्रक्रिया नियमों से बहुत आगे जा रहा हूं। कृपया सहयोग कीजिये।

श्री अर्जुन सेठी: मैं और मेरा दल बीजेडी सभा में कही गई बातों से संबद्ध होते हुए निजी संस्थाओं में आरक्षण का समर्थन करता है। माननीय मंत्री ने पहले ही भरोसा दिलाया है कि वह मामले पर विचार कर रहे हैं और राज्य सरकारों, विभिन्न संस्थाओं तथा शिक्षाशास्त्रियों से गम्भीर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

इसलिए, क्या मैं एक बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या यह सभा को आश्वासन दे सकते हैं कि एक विशेष समय-सीमा के भीतर यह एक विधान लायेंगे ताकि बहुत सी व्याख्याओं की समस्या खड़ी न हो और सम्पूर्ण देश में भ्रम पैदा न हो। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिये।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अर्जुन सेठी: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस पर समय-सीमा के भीतर विचार किया जाए अर्थात् यह विशेष विधेयक सभा के समक्ष लाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने नियम को शिथिल करते हुए अन्य सदस्यों को भी आमंत्रित किया और मुझे भी अवसर दिया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सदन में सर्वानुमति है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। इस बारे में सभी माननीय सदस्यों ने अपने तर्क रखे हैं। मैं उनके तर्क से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी 27 अगस्त को मीटिंग करेंगे, प्रोफेशनल एजूकेशन के मंत्रियों को बुलाने में देर लगाएंगे, उसके पहले यहां कुछ करना चाहिए- क्योंकि यह सवाल प्रोफेशनल एजूकेशन का नहीं है, यह सिद्धांत का प्रश्न है। संविधान में जो सिद्धांत सन्निहित है, हम उसके विपरीत नहीं जा सकते। यह सवाल सिर्फ टेक्नीकल एजूकेशन में विद्यार्थियों को आरक्षण देने का नहीं है, यह सिद्धांत का प्रश्न है। इसलिए संसद के दोनों सदनों में जो विभिन्न दल हैं, उनके प्रतिनिधियों, नेताओं की तत्काल बैठक बुलाकर इस पर रिस्पांड करना चाहिए। मेरी समझ में इसमें सर्वानुमति है, कानशसनैस और इसके लिए जो भी विधेयक लाना पड़े, चाहे वह संविधान संशोधन विधेयक ही क्यों न हो, चाहे जिस प्रकार का भी विधेयक लाना पड़े, मैं आग्रह करूंगा कि 27 अगस्त को मंत्रियों की बैठक का इंतजार किए बगैर, इस सत्र के अंतर्गत आप मीटिंग कर सकते हैं और इसमें कोई मतभेद नहीं है, कानून बनाकर इस प्रकार की कभी भी भ्रांति पैदा न हो, ऐसी स्थिति पैदा करें। मैं आग्रह करूंगा कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय, उच्चतम न्यायालय का हाल का निर्णय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के विकास पर बड़ा कुठाराघात है। मैं निर्णय का औचित्य नहीं समझ पा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किसी ने ऐसा नहीं कहा है।

डा. एम. जगन्नाथ: विद्वान न्यायाधीशों से क्षमा मांगते हुए मेरा कहना है कि उन्होंने अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों के लिए 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी हैं जबकि लाखों और करोड़ों अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को अवसर से वंचित कर दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कहिए कि आप प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करते हैं।

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। किंतु मैं इसका औचित्य नहीं समझ पाया हूं। एक तरह से वे समाज के निर्धन वर्गों को वंचित कर रहे हैं। महोदय, आंकड़े दर्शाते हैं कि आंध्र प्रदेश में सरकारी कालेजों में मेडिकल पाठयक्रमों में 1500 सीटें हैं जबकि निजी संस्थाओं में 15,000 सीटें हैं। इसी तरह निजी क्षेत्र में लाखों सीटें हैं। सरकार की सरकारी संस्थाएं खोलने के संबंध में अपनी सीमाएं हैं जैसा कि विकसित देशों में खोली जाती हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सुनिए। मेरे पास दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है।

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। जैसा कि हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब तक निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नहीं किया जाता और जब तक ये अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार पर्याप्त शिक्षित नहीं होते तब तक उन्हें रोजगार में आरक्षण का अवसर कैसे मिलेगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं।

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। मैं उन्हें राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की तत्काल बैठक बुलाने का निर्णय लेने के लिए बधाई देता हूं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय की टिप्पणियों से सहमत हूं कि आरक्षण के बावजूद भी विभिन्न राज्यों में अ.जा./ अ.ज.जा. के लोगों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक में अनुसूचित जातियों की सभी उप जातियों में सुधार नहीं हुआ है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप केवल यह कहिए कि आप इसका समर्थन करते हैं।

डा. एम. जगन्नाथ: सरकार द्वारा आरक्षण प्रणाली में उप आरक्षण पर भी विचार किया जाना चाहिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले का नाम भी इससे संबद्ध है। आपका नाम कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं अपने स्थान पर बैठने का निवेदन करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अपने स्थानों पर बैठने की विनती करता हूं। कृपया इसमें हस्तक्षेप न करें।

...(व्यवधान)

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम): महोदय, मैंने एक सूचना दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: शायद आपने सूचना दी हो परन्तु उससे आप इसके पात्र नहीं बन जाते। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। पांच माननीय सदस्यों की बजाय मैंने मामले के महत्व के कारण 16 माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है। मैंने कहा है कि सभी 16 विभिन्न दलों से हैं और मैं अपने माननीय उपाध्यक्ष द्वारा प्रकट की गई चिंता से सहमत हूं। उनके योगदान ने इस मामले के महत्व को और बढ़ा दिया है। अत: सभा के हर वर्ग ने भाग लिया है। अब हम माननीय मंत्री की बात सुनते हैं।

मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे पास कुल 34 दल हैं परन्तु वे मुझे थोड़ा बहुत ही सहयोग कर रहे हैं।

अब माननीय मंत्री को उत्तर देना है। माननीय सदस्यों, कृपया सहयोग कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, हमारा भी नाम है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जिन्हें बोलना है, टेबल पर लिस्ट भेज दीजिए, नाम ऐड हो जायेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, आप जानते हैं कि उससे आप पात्र नहीं बन जाते। सब जानते हुए भी आप बाधा पहुंचा रहे हैं। यह भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं माना जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपके दल के सदस्य ने बोला है।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल (बिल्लौर): अध्यक्ष जी, जिसने नोटिस दिया है उसे आपने बुलाया नहीं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: तो क्या हुआ? आप ऐसा मत कीजिए। मैंने आपसे कहा था। आप भी अपना नाम भेज सकते थे। यदि यह रवैया अपनाना है तो मुझे बहुत खेद है। भविष्य में जिनका नाम सूची में होगा उनके अलावा मैं किसी अन्य सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा। सभी सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता। मैंने सोचा था कि आप सभी यह बात समझेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया यह बात ध्यान में रखिये कि भविष्य में अध्यक्षपीठ की अवमानना सहन नहीं की जायेगी।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह भविष्य में उदाहरण के रूप में नहीं मान्य होगा। आपने इसके साथ स्वयं को सम्बद्ध किया है। माननीय मंत्री महोदय की बात में व्यवधान डालने वाले व्यक्ति को इस सदन से बाहर जाना पड़ेगा। हर चीज की एक सीमा होती हैं। श्री रामदास आठवले, क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए? हर चीज की सीमा होती है। अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। मैंने अपनी सीमा से बाहर जाकर अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री प्रहलाद जोशी, श्री डी. रविन्दर नाइक, श्री बी. बिनोद कुमार, श्री शैलेन्द्र कुमार श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री प्रदीप गांधी, श्री ब्रह्मानन्द पंडा, श्री सुग्रीव सिंह, डा. सत्यनारायण जटिया, श्री राम कृपाल यादव, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री मधु गौड़ यास्खी, श्री श्रीनिवास पाटील और श्री लालमणि प्रसाद।

श्री अर्जुन सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला ऐसा है जिस पर पूरे देश के प्रत्येक वर्ग के लोग चिन्तित हैं और इस मामले पर जिसके बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में कुछ हितकारी सिद्धान्त बनाए हैं, अभूतपूर्व एकमतता

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

देखी गई है और सदन में सभी दलों के माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् और जैसाकि एक माननीय सदस्य ने पिछड़े वर्गों को रक्षित और संरक्षित दलों के वर्ग के लोगों की परिधि में लाने के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा किये गए प्रयासों का उल्लेख किया है। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि इस मामले पर यह देश एक है ..(व्यवधान)

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि यह सरकार आरक्षण नीति और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक, राजनीतिक ढांचे का संरक्षण करने की नीति के प्रति वचनबद्ध हैं। फिर भी तथ्य यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय भी दिया है जिससे कई प्रकार से सामाजिक अधिकारों का हनन होता है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे ही समय होगा सभा में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम उपयुक्त तरीके से यहां पर व्यक्त चिंताओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तथापि, मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि यह निर्णय आगामी शैक्षिणिक सत्र में पहले लागू नहीं होगा।

यह बात उच्चतम न्यायालय ने स्वयं निर्धारित की थी अत: अब हमारे पास समय होगा जिसमें हम इस पर विचार-विमर्श करेंगे और उसके बाद ही विधान बनाएंगे। विचार-विमर्श की प्रक्रिया जानी-पहचानी है और मुझे माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार जी के सुझाव स्वीकार करने में कोई आपत्ति भी नहीं है कि सत्रावसान से पूर्व हमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से एक बैठक बुलानी चाहिए और उनके सुझाव लेने चाहिए। मुख्य मंत्री स्वाभाविक तौर पर अपने-अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसीलिए मैंने उन्हें यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखा है कि वह इस बैठक में अपनी ओर से किसी व्यक्ति को भेजे ताकि हम विधेयक की रूपरेखा तैयार कर सकें।

मैं सम्मानीय सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि हमने सभी सदस्यों के साथ परामर्श करके हम विधेयक तैयार भी किया है और यह निर्णय ऐसे समय में आया है जबकि उस विधान को कार्यान्वित करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। लेकिन हमारा उद्देश्य वही रहेगा। मैं माननीय सभा को आश्वस्त करता हूं कि अगले शैक्षणिक सत्र—जोकि अन्तिम सीमा है—से पहले हम अपना निर्णय ले लगें। आपके परामर्श, सुझाव और समर्थन से ही हम भारत ने संविधान द्वारा मान्य सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की ओर अपेक्षित कदम उठाएंगे। मैं चाहूंगा कि इस सभा को इस संबंध में संयम से काम लेना चाहिए क्योंकि अन्तत: यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है और इस पर हमें गुस्से और उत्तेजना में कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते जो अनुचित प्रतीत हो। हम अपने समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कुछ करने में समर्थ होंगे। मैं सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखे कि यह सब उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् हुआ है और न कि इसके पश्चात् के गुस्से के कारण हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ऐसा करना अनुचित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का उनके सुझावों के लिए धन्यवाद करता हूं और उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि केवल मैं ही नहीं बल्कि सरकार भी इस मामले पर उनकी भावनाओं की सम्मान करती है और हम इसके अनुरूप ही कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर सभा के सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। मैंने भी जानबूझ कर नियमों में ढिलाई बरती है। इसे पूर्वोदाहरण न माना जाए और हमने यह देखा कि सहयोग से हम कई जटिल तथा ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को अत्यन्त सृजनात्मक तरीके से निपटा सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं।

अब मद संख्या 6 को लेंगे। श्री अनंत कुमार द्वारा एक और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

अपराह्न 12.54 बजे

(दो) कलसा और बंडुरीनाल्ला परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण): मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनके अनुरोध करता हूं कि वह उस पर वक्तव्य दें।

> "कर्नाटक में पेयजल की गम्भीर समस्या का समाधान करने के लिए राज्य में महादायी नदी की सहायक नदियों—कलसा और बंडुरीनाल्ला परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता।"

अध्यक्ष महोदय: कृपया शान्त रहिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे कृपया शान्तिपूर्वक बाहर जाएं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अभी चर्चा की जा रही है।

***जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** कर्नाटक सरकार ने अप्रैल, 2002 में हुबली/धारवाड़ नगरों के पेयजल की

---

*ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिए सं. एल टी-2639/05।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से कलसा और बन्दुरीनल्ला स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से मादेई बेसिन से मालप्रभा बेसिन तक 7.56 टीएमसी जल के डाइवर्जन के उनके प्रस्ताव को अन्तरराज्यीय दृष्टिकोण से स्वीकृति प्रदान करने के लिए संघ सरकार से अनुरोध किया।

जल संसाधन मंत्रालय ने हुबली/धारवाड़ के पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रस्ताव को जल उपलब्धता के दृष्टिकोण से दिनांक 30 अप्रैल, 2002 को 'सैद्धांतिक' स्वीकृति दी। गोवा सरकार ने जुलाई, 2002 में मंत्रालय द्वारा इस स्वीकृति को प्रदान किए जाने पर घोर आपत्ति जताते हुए इस विवाद के समाधान के लिए अन्तर-राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के तहत एक अन्तर-राज्यीय जल विवाद अधिकरण के गठन का अनुरोध किया। इस को ध्यान में रखते हुए, दोनों राज्यों के मध्य सहमति से, अथवा विफलता की स्थिति में इस अभिकरण के निर्णय द्वारा, इस विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई 'सैद्धांतिक' स्वीकृति को सितम्बर, 2002 में 'आस्थगित' रख दिया गया। गोवा के मुख्यमंत्री ने जून, 2003 में माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित अपने पत्र द्वारा लंबे समय से चल रहे इस मामले को कर्नाटक के साथ बातचीत के जरिये निपटाने के लिए अपने राज्य की इच्छा व्यक्त की। महादायी के जल के बंटवारे पर दोनों राज्यों के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मामले सहित इस मामले का समाधान करने के लिए वर्ष 2004 से अब तक कर्नाटक के संसद सदस्यों, माननीय मुख्य मंत्री श्री धरम सिंह और सिंचाई मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे से मेरी तीन बार मुलाकात हो चुकी है।

जब संसाधन मंत्रालय महादायी जल विवाद का बातचीत के जरिये समाधान कराने का प्रयास करता रहा है और इस संबंध में दिसम्बर, 2002 के दौरान मुझ से पूर्व रह चुके मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी। इसके अतिरिक्त, मेरे मंत्रालय ने जनवरी के प्रथम सप्ताह और फरवरी, 2005 के दूसरे सप्ताह में महादायी बेसिन के बेसिन राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया था, जो कि गोवा सरकार के मुख्य सचिव के उपलब्ध न होने के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। गोवा सरकार ने बाद में यह सूचित किया कि बातचीत के जरिए समाधान करने अथवा अभिकरण के समक्ष जाने के संबंध में गोवा सरकार के निर्णय के विषय में गोवा में चुनी गई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद ही पता चलेगा। गोवा में लोकप्रिय सरकार के कार्यभार संभालने के बाद, सचिव (जल संसाधन) ने दिनांक 20.6.2005 को गोवा के मुख्य सचिव, गोवा को पत्र लिखकर महादायी बेसिन के बेसिन राज्यों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कराने के संबंध में उनकी सुविधा की जानकारी देने का अनुरोध किया। गोवा सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है। इसी बीच, मैंने उपर्युक्त विषय पर दिनांक 9.8.2005 को नई दिल्ली में गोवा और कर्नाटक सरकार के सचिव (जल संसाधन) की एक बैठक करने का भी प्रस्ताव किया था और तत्पश्चात मेरे निर्णायक मध्यस्थता से मुख्यमंत्रियों के बीच इस समस्या का बातचीत के जरिए समाधान करने के लिए यदि संभव हुआ तो सितम्बर, 2005 के पहले सप्ताह तक बैठक बुलाई जा सकती है। तथापि, गोवा में विधानसभा सत्र चलते रहने के कारण गोवा सरकार के अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण 09.8.2005 को यह बैठक नहीं की जा सकी।

तथापि, मैंने गोवा के माननीय मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है और वे मेरे अनुरोध पर सितम्बर, 2005 के मध्य में कर्नाटक सरकार के साथ इस मुद्दे पर बैठक बुलाए जाने पर सहमत थे। दोनों राज्य सरकारों के परामर्श से इस बैठक की सही तारीख निर्धारित की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार।

श्री अनंत कुमार: महोदय, धन्यवाद। महादायी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है जो कर्नाटक राज्य के खानापुर तालुका से निकलती है और कर्नाटक तथा गोवा राज्यों से होकर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। कर्नाटक में यह 29 किलोमीटर तथा गोवा में 54 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। इस बड़ी नदी की कई सहायक नदियां भी हैं।

अपराह्न 12.59 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

कलसानाला और बांडुरीनाला इसकी दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। केन्द्रीय जल आयोग के 'यील्ड सर्वे' के अनुसार इस घाटी की कुल जल धारण क्षमता 190 टी.एम.सी. से 220 टी.एम.सी. की है। अपनी 75 प्रतिशत निर्भरता के आधार पर कर्नाटक का जल में हिस्सा 45 टी.एम.सी. का है। उत्तर कर्नाटक के हिस्से-बंगलौर के अतिरिक्त कर्नाटक के अन्य शहर भी हैं जैसे हुबली, धारवाड़ तथा नवलगुंड, नारगुंड, बादायी जैसे नई तहसील तथा सैकड़ों गांव भी पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

पेयजल की समस्या 20 वर्ष से बनी हुई है। अब तो ऐसी स्थिति है कि लाखों लोगों को 15 दिन में एक दिन ही पीने का पानी मिलता है और ग्रीष्मकाल में यह स्थिति और खराब हो जाती है। इसलिए, 1992 में कर्नाटक तथा गोवा की सरकारों ने मुख्यमंत्री स्तर, मंत्री स्तर तथा तकनीकी स्तर पर भी वार्ता की थी। कर्नाटक सरकार ने दो नालों के विपथन के लिए प्रस्ताव रखा था— एक

कलसानाला तथा दूसरा बंडुरीनाला के विपथन का प्रस्ताव था जिसमें कर्नाटक के 45 टी.एम.सी. फीट जल में से 7.56 टी.एम.सी. फीट जल मालप्रभा नदी में देना था ताकि पेयजल समस्या को कम किया जा सके। लेकिन लम्बे समय से लम्बित समझौतों के बावजूद समस्या आज भी बनी हुई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से संक्षेप में इस महती सभा तथा सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा। 1992, 1993 और 1996 में ही एक तकनीकी समिति के गठन के संबंध में बैठकें हुई थीं जिसमें दोनों राज्यों के अधिकारी सम्मिलित थे। नागपुर के एनईईआरआई को पर्यावरण पर प्रभाव के आकलन के लिए बुलाया गया था। एनईईआरआई नागपुर ने एक बहुत ही स्पष्ट रिपोर्ट दिया कि मालप्रभा नदी का 7.56 टीएमसी फीट जल देने के लिए कसलानाला तथा बंडुरीनाला के विपथन संबंधी परियोजना को शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है। तथा बाद में कर्नाटक तथा गोवा दोनों राज्यों की सरकारों ने इस रिपोर्ट पर अमल करने का फैसला किया था।

महोदय, 1998, 1999, 2000 और 2002 में पुन: बैठकें हुईं तथा नई दिल्ली में भी अंतर्राज्यीय बैठक हुई। उस बैठक में केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने गोवा सरकार की अनावश्यक आपत्ति उठाने की प्रवृत्ति के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी क्योंकि गोवा की सरकार ने हर समय बहुत ही आपत्तियां उठाई। सबसे पहले उसने कहा कि पर्यावरण पर प्रभाव के संबंध में एक अध्ययन होना चाहिए। एन.ई.ई.आर.आई. द्वारा यह कार्य किया गया और इसने इन परियोजनाओं के लिए करीब-करीब हरी झंडी दिखा दी थी। पुन: उसने कहा कि पानी की मात्रा के निर्धारण संबंधी अध्ययन होना चाहिए। पानी की मात्रा निर्धारण संबंधी अध्ययन कार्य केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया गया और इस मात्रा निर्धारण संबंधी अध्ययन में कर्नाटक को 45 टी.एम.सी. फीट जल देने की बात कही गई। बाद में मात्रा निर्धारण संबंधी अध्ययन हो जाने के बाद, गोवा सरकार ने कहा कि वह चाहती है कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा एक और अध्ययन कराया जाए। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने कहा कि पानी की मात्रा निर्धारण संबंधी अध्ययन करते समय ही केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस प्रकार का अध्ययन किया जा चुका था और फिर भी यदि वे अपनी ओर से अध्ययन कराना चाहते हैं तो उन्हें कराने दीजिए।

महोदय, गोवा की सरकार इस मसले को टालती रही है कि वह समझौता से इसका समाधान चाहती है या अन्य किसी तरीके से। कई बार गोवा सरकार ने कहा है कि केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय तथा कर्नाटक सरकार से कहा कि वह एक समझौते के माध्यम से समाधान चाहती है। राजग के शासनकाल के दौरान 30.4.2002 को केन्द्रीय जल आयोग तथा जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सिद्धांत रूप में इन दोनों कलसानाला तथा बंडुरीनाला परियोजनाओं की अनुमति दे दी गई थी।

लेकिन बाद में, गोवा सरकार की ओर से विरोध के कारण सिद्धांत रूप में अनुमति को निलम्बन की स्थिति में रखा गया। बाद में, जैसा माननीय मंत्री द्वारा पहले कहा गया कि कई सर्वदलीय शिष्टमंडल जिसमें माननीय सदस्यों का शिष्टमंडल भी सम्मिलित था, प्रधानमंत्री तथा जल संसाधन मंत्री से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बातचीत के माध्यम से एक समयबद्ध समझौता होगा और वे लंबित पड़े आदेश को वापस लेने के बारे में भी सोचेंगे।

मैं इस सभा की जानकारी में एक गंभीर मुद्दे को लाना चाहता हूं। पिछले 14 महीनों में सी.डब्ल्यू.सी. ने चार बैठकें कीं। पहली बैठक 16 अप्रैल, 2004 को, दूसरी बैठक 20 अगस्त, 2003 को, तीसरी बैठक 7 जनवरी, 2005 तथा चौथी बैठक 15 फरवरी, 2005 को हुई। इन चारों बैठकों में उन्होंने उम्मीद की थी कि कर्नाटक सरकार तथा गोवा सरकार के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर कोई समझौता कर लेंगे।

लेकिन दुर्भाग्यवश जल संसाधन मंत्रालय के निर्देश पर स्वयं केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जब कभी भी बैठक बुलाई गई। चारों बार गोवा सरकार ने बैठक में भाग लेने में अपनी असमर्थता जतायी। इससे बहुत परेशानी हुई।

महोदय, मैं इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि पिछले कई महीनों से सभी विधायक, कर्नाटक से सभी माननीय सदस्य और हजारों किसान नवलगोंडा और इसके आस-पास के इलाकों में जिसमें हुबली, धारवाड़ शहर भी सम्मिलित है, में विरोध प्रदर्शन कर रहे है। एक मात्र झगड़ा इस बात पर है कि मामला 20 वर्ष से लम्बित पड़ा है और 1992 से ही समझौते हो रहे हैं। 1992 में गोवा की सरकार ने बताया कि उसने एन.ई.ई.आर.आई. की रिपोर्ट पर कार्रवाई की थी और परियोजना को जारी रखा। बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री तथा जल संसाधन मंत्री को भी आश्वासन दिया कि वे समझौता से समाधान चाहते हैं। कुल जल की मात्रा 220 टी.एम.सी. फीट है। इस 220 टी.एम.सी. फीट है। हम केवल 7.56 टी.एम.सी. फीट जल के विपथन का अनुरोध कर रहे हैं और वह भी केवल पेयजल के लिए न कि सिंचाई के लिए। इस 7.56 टी.एम.सी. जल के अभाव में उत्तर कर्नाटक का पूरा क्षेत्र पेयजल के गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है।

मैं माननीय मंत्री तथा भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें। माननीय मंत्री की उदारता है कि उन्होंने उत्तरी कर्नाटक और विशेषकर उस क्षेत्र के माननीय

[श्री अनंत कुमार]

सदस्यों तथा कर्नाटक सरकार के साथ बैठक की। लेकिन इसमें विलम्ब किया गया।

मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गोवा की सरकार सहयोग क्यों नहीं कर रही है।

माननीय मंत्री जी बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, केन्द्र ने सं.प्र.ग. की सरकार है, और गोवा में उसके घटक दल की सरकार है जबकि केन्द्र सरकार ने सिद्धांत रूप में विपथन की स्वीकृति दे दी है और गोवा की सरकार भी इस समझौते के लिए तैयार है।

अन्य क्षेत्रों में अर्थात् कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में अधिकरण के अंतिम फैसले को लम्बित करते हुए पानी तमिलनाडु से होकर सिंचाई के लिए पहले से ही बह रहा है। लेकिन यह मामला पेयजल का है। इसलिए, सरकार से तथा माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि गोवा सरकार को कहें और इन दोनों बड़ी परियोजनाओं को जारी रखने के लिए निलम्बन आदेश को रद्द करे।

यह समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। अगला ग्रीष्म काल आने वाला है। उन्होंने अपने ध्यान में सभा को आश्वस्त किया है कि उन्होंने टेलीफोन पर पहले ही बातचीत की है और सितम्बर में हमें कोई अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि यह समयबद्ध रूप से होना चाहिए। सितम्बर के अंत तक, यदि सिद्धांत रूप में अनुमति मिल जाती है और निलम्बन आदेश रद्द हो जाता है तो पेयजल का संकट दूर हो जाएगा और लम्बे समय से लम्बित मांग पर चल रहा विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा।

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़ उत्तर): धन्यवाद महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में सही कहा है कि कर्नाटक और गोवा सरकार के अधिकारियों की बैठक कई बार हुई है। मैं किसी भी सरकार के विरुद्ध शिकायत नहीं कर रहा हूं। जब कभी हम मिले हैं, उन्होंने उदारता दिखाई। उन्होंने कहा है कि हम कर्नाटक सरकार को राजी कर रहे हैं। अधिकांश बिंदुओं पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अनंत कुमार पहले ही बोल चुके हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। लेकिन यह मानवता की बात है। हुबली-धारवाड़ के चारों ओर के क्षेत्र में—यहां तक कि कर्नाटक सरकार ने भी अपने ज्ञापन में कहा है—लगभग 100 गांव गंभीर पेयजल के संकट से त्रस्त हैं। मैं सिंचाई परियोजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं। कर्नाटक एक कानूनप्रिय राज्य है और कई अन्य राज्य भी हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जोशी, आपसे अनुरोध है कि आप केवल प्रश्न पूछें और भाषण न दें।

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, मैं केवल दो या तीन मिनट लूंगा। मैं उन्हीं बिंदुओं को नहीं दोहराऊंगा।

हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं। कई राज्य बिना केन्द्र सरकार, केन्द्रीय जल आयोग के औपचारिक सूचना दिए ही काम शुरू कर रहे हैं। कर्नाटक में जल ग्रहण क्षेत्र 375 वर्ग किलोमीटर है जबकि गोवा में जल ग्रहण क्षेत्र 1500 वर्ग किलोमीटर है। हमारे हिस्सा का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। यह 45 टी.एम.सी. है। प्रश्न यह है: राष्ट्रीय जल नीति में भी—यह अनुमोदित हो सकता है—जिसका उच्चतम न्यायालय के एक मुकदमें में उल्लेख हुआ है, कि दिल्ली पेयजल मामले में ही जिसमें हरियाणा राज्य अंतर्ग्रस्त था, यह कहा गया है कि पेयजल पहली प्राथमिकता है।

लोगों को 10-15 दिनों में एक बार जल मिलता है। एक घड़ा जल 25-50 पैसे में बिकता है। यह स्थिति है। माननीय वित्त मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने चेन्नई में जल समस्या के बारे में बताया है और कहा है कि कुछ अधिक धनराशि आवंटित की गई है। हम किसी धनराशि के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जल है। कर्नाटक सरकार निवेश करने के लिए तैयार है। यह मांग 20-30 वर्षों के लिए है। हम तो केवल 7.56 टी.एम.सी. जल के लिए ही मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार, कृपया हमें मंजूरी दीजिए और आस्थगन आदेश को वापस ले लीजिए।

दूसरा, अद्यतन बैठक सहित सभी पांच बैठकों में गोवा सरकार अनुपस्थित रही है। एक बार उन्होंने जल के हिस्से के बारे में बहस की; दूसरी बार उन्होंने पर्यावरणीय समस्या के बारे में चर्चा की। जब पर्यावरणीय समस्या के बारे में कहा गया तो 'नीरी' की नियुक्ति की गई। 'नीरी' ने मंजूरी दे दी। तत्पश्चात्, वह समुद्र विज्ञान के बारे में चर्चा करने लगे। जब जल के हिस्से के बारे में पूछा गया तो सी.डब्ल्यू.सी. की नियुक्ति की गई। इसके बाद वे आई.एम.डी. के बारे में चर्चा करने लगे।

यह कब तक चलता रहेगा। मैं इसे बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कर रहा हूं और आप भी अपने स्रोतों से इसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पिछले एक वर्ष से लोगों को 15 दिनों में एक बार पेयजल मिल रहा है। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा?

दूसरा बांध बन गया है और पाइपलाइन बिछा दी गई है। लेकिन बांध में जल नहीं है और इसलिए किया गया निवेश बेकार जा रहा है। मैं केन्द्र सरकार और जल संसाधन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को गोवा सरकार के साथ गम्भीरतापूर्वक उठाए और उन्हें यकीन दिलाए अथवा आप आस्थगन आदेश को वापस ले लीजिए। लोग उत्तेजित हो रहे हैं। राष्ट्रीय जल नीति और सी.डब्ल्यू.सी. की प्राप्ति मूल्यांकन पूरी तरह से कर्नाटक के पक्ष में है। कृपया राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार आस्थगन आदेश वापस लीजिए। मैं सरकार से केवल यही अनुरोध कर रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह मामला पिछले कई वर्षों में अनेक बार मेरे ध्यान में लाया गया है। मैं इसके उन विवरणों में नहीं जाना चाहता हूं।

माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार जी ने उन सभी बातों का जिक्र कर दिया है। इस मामले के पहलुओं पर कर्नाटक और गोवा द्वारा परस्पर चर्चा की गई है और उसके बाद ही सीडब्ल्यूसी ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। जब योजना आयोग ने 1982 में प्राप्ति मूल्यांकन पर चर्चा करने के लिए उप-समूह का गठन किया था तो गोवा सरकार ने इसका समर्थन किया था। वर्ष 1982 में योजना आयोग द्वारा किया गया प्राप्ति मूल्यांकन किए गए उपायों में से एक था और 1999 में सीडब्ल्यूसी का अद्यतन मूल्यांकन उस मूल्यांकन से काफी बेहतर था। वे आरम्भिक चरण पर तर्क कर रहे थे कि उन्हें सन्देह है कि कौन सा मूल्यांकन सही है और कौन सा मूल्यांकन गलत है। हमने पुन: एक मामले पर विचार किया। गोवा सरकार और सीडब्ल्यूसी दोनों के पूरे मामले का आकलन किया और निर्धारण किया और उसके अनुरूप योजना बनाई। दुर्भाग्यवश उनसे जो सहयोग हमने चाहा था उसमें सीडब्ल्यूसी की भागीदारी नहीं थी। स्वाभाविक तौर पर था कि सीडब्ल्यूसी ने पूरे निर्धारण मुद्दे पर अपनी ओर से आकलन किया, संपूर्ण निर्धारण मामले का पुन: मूल्यांकन किया और उन्हें कच्चे आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कच्चे आंकड़ों पर आपत्ति व्यक्त की और कहा ''यह सही नहीं है, हमें इस पर कार्यवाही करनी पड़ेगी और इसे स्पष्ट करना होगा'' अन्तत: वे पणजी की ओर के आंकड़ों पर निर्भर हुए। हमने भी हाल में वही उपलब्ध कराए है और अब उन्होंने कहा है कि वे इसकी जांच कर रहे हैं।

यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है। मामला जल बंटवारे का है चाहे यह पेयजल का हो अथवा सिचाई का कोई भी राज्य यह स्वीकार नहीं करता है कि उनके राज्य में फालतू जल है। सभी राज्य यही बात कहते हैं कि उनके राज्य में जल की कमी है।

संसद ने हमें अन्तर-राज्य-जल-अधिकरण तंत्र के अधीन इस मामले को निपटाने की शक्ति प्रदान की है। मैं सहमत हूं कि पेयजल के मामले, जहां वर्षों से लोग इसके लिए शोर मचा रहे हैं, को अधिकरण की प्रक्रिया को अपनाकर और देरी नहीं की जाए। इस देश के कानून के अनुसार, जिसे संसद ने भी स्वीकार किया है, अधिकरण ऐसे मामलों को हल करने का एकमात्र तंत्र है। लेकिन इसने हमेशा महसूस किया है और हमारा मत है कि राज्यों के बीच के मामलों को बातचीत से हल किया जाए तो परिणाम बेहतर होता है और हम इसे समझ भी सकते है।

मैंने गहराई से इस मामले का अध्ययन किया है मैंने पाया है कि 1982 में योजना आयोग के 'सब-ग्रुप' द्वारा की टिप्पणी में काफी अन्तर है और क्योंकि पिछले 15 वर्षों में जलागम क्षेत्र में औसतन वर्षा के जल संग्रहण में काफी अन्तर आया है। इसलिए मेरी राय में यह कहना सही नहीं है कि गोवा सरकार 1982 के मूल्यांकन से संबंधित आरिम्भक चरण को लेती है और 1999 के मूल्यांकन को गुणाधारित नहीं मानती।

उस बातचीत में दूसरी बात यह है कि मैं किसी एनडीए अथवा यूपीए का नाम नहीं लेना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश श्री अनन्त कुमार जी ने नाम लिया था। यह उचित नहीं है कि जल विवाद पर हम राजनीति करें। जब एन.डी.ए. सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दे दी थी तो गोवा के एनडीए के मुख्यमंत्री ने इस पर प्रश्न उठाया था और इसका विरोध किया था।

अत: हमें एनडीए और यूपीए की बात नहीं करनी चाहिए। हमें हुबली, धारवाड़ और इसके आसपास के गांवों के प्यासे लोगों की बात करनी चाहिए। उन्हें बनाए गए जलाशय से पेयजल की आवश्यकता है। उन्हें दो परियोजनाओं—कलसा और बंडुरीनाला परियोजनाओं से 7.56 टी.एम.सी. जल की और जहां जल पर्याप्त है और वह गोवा में जलागम क्षेत्र में बह रहा है और समुद्र में जा रहा है, उस जल की आवश्यकता है। अब उस समुद्र में जा रहे जल को यदि कोई राज्य कहे कि हमें दे दो तो उसमें तर्क-वितर्क करना कि उनकी मांग तर्कसंगत है कि नहीं, देश की आजादी के इतने वर्षों बाद उचित प्रतीत नहीं होती। लेकिन संघ सरकार यह निर्णय करने में सक्षम नहीं है कि वह आपको कहे यह करो, वह करो क्योंकि जल राज्य के विषय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हमारे हरसम्भव प्रबंधों के साथ हम तो केवल राज्यों के बीच मध्यस्थ और सहायक ही हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में गोवा के माननीय मुख्यमंत्री ने पहले अधिकरण में जाने की दी गई धमकी को वापस ले लिया है। इस समय वे बातचीत द्वारा हल करना चाहते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यालय ने हमारी बैठक में सम्मिलित होने पर सहमति दी है। अभी गोवा की सरकार में कुछ खलबली थी। उस समय, मुख्य सचिव ने बैठक में भाग लेना था। बैठक में भाग लेने से ठीक पहले दिन उन्हें सुनामी राहत कार्य के लिए अंडमान में स्थानान्तरित कर दिया गया। नए अधिकारी ने कहा कि सरकार बनने दीजिए उसके बाद हम वार्ता में भाग लेंगे क्योंकि हम सरकारी तौर पर नहीं कह सकते कि हम अधिकरण में जाएंगे अथवा वार्ता में जाएंगे। मैं उनकी बात समझ सकता हूं।

अन्तत:, मैंने मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से बातचीत की और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि परिस्थिति संबंधी प्रभावों का अध्ययन अत्यन्त प्रसिद्ध संगठन 'नेरी' ने किया है। चूंकि उन्हें

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

अन्देशा है कि पारिस्थितिक खतरा है तो इसमें गलत क्या है? अन्ततः मुख्यमंत्री मुझसे सहमत हुए और कहा कि आप इसे अन्यथा न लें। हम आपके मंत्रालय की सरलीकरण प्रक्रिया की अवज्ञा नहीं कर रहे हैं। हम सितम्बर मध्य में नई दिल्ली में मिलकर इसको हल करेंगे और पता लगाने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या हल हो सकता है। मैं इसमें केवल यह जोड़ना चाहता हूं कि मैं शान्त नहीं बैठा हुआ हूं। मैंने इस विषय पर कई प्रयास किए है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री धरम सिंह, श्री मल्लिाकर्जुन खाड़गे और माननीय सदस्य श्री प्रहलाद जोशी और अनन्त कुमार ने मेरे साथ कई बार इस मामले पर चर्चा की है। मैं इस मामले पर ध्यान दे रहा हूं और हाल के विरोध और उद्वेग पर नजर रखे हुए हूं। मैं मुख्यमंत्री से अकेले नहीं मिल रहा हूं। मैं उनके साथ समुद्र विज्ञान विशेषज्ञ, उनके संस्थान एनआईओ और नेरी के साथ मिल रहा हूं। मैं उस बैठक में सीडब्ल्यूसी के मूल्यांकन गुणवत्ता रिपोर्ट के लिए सभी संभव विशेषज्ञों को ला रहा हूं।

पूरी तैयारी के साथ मैं सितम्बर में ही इस पर निर्धारित कार्यवाही योजना बनाने जा रहा हूं। आप मेरी कठिनाई को समझ सकते हैं और आप प्रशंसा भी करेंगे कि यदि राज्य सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि हम इन चीजों से सहमत नहीं हैं और हम तो अधिकरण में ही जाएंगे तो यह कठिन हो जाएगा लेकिन जहां तक मैं समझता हूं मैं दोनों मुख्यमंत्रियों को निष्कर्ष पर लाने का प्रयास करने में समक्ष हूंगा ताकि हुबली और धारवाड़ शहरों में पेयजल समस्या का समाधान 31 दिसम्बर से पहले इसी वर्ष में ही किया जा सके।

मैं माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार को बताना चाहूंगा कि वे भी केन्द्रीय मंत्री रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री के विरोध पर सैद्धांतिक स्वीकृति को आस्थगित रखा जाता है तो मैं मुख्यमंत्री को तर्कसंगत निर्णय के लिए सहमत करूंगा, यदि मैं निर्णय को स्वतः वापस ले लेता हूं तो सितम्बर माह के मध्य में होने वाली बैठक का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। अतः मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि वे आज मुझ पर आस्थगित आदेश को वापस लेने पर जोर न डालें। इसका अर्थ होगा कि वे अभिकरण जाएंगे। इससे उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। समयबद्ध प्रश्नोत्तर क्रम में मैंने कहा था कि बैठक सितम्बर में होगी और 31 दिसम्बर से पूर्व में इस संबंध में सकारात्मक रुख से अवगत करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि गोवा के मुख्यमंत्री जो कि ऐसे विषयों पर अत्यंत संवेदनशील हैं, तकनीकी विशेषज्ञों के मूल्यांकन की तार्किक परिणति को समझेंगे। मुझे विश्वास है कि हम इस वर्ष इसका सार्थक समाधान ढूंढने में सफल होंगे।

श्री अनंत कुमारः हम आप से आग्रह कर रहे हैं आप उन्हें प्रोत्साहित करें और राजी करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः मैं न केवल उन्हें राजी करूंगा बल्कि मैं यह प्रयास भी करूंगा वे तार्किक परिणति को समझें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले लेंगे, सर्वप्रथम मैं श्री प्रभुनाथ सिंह को आमंत्रित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरे निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के महाराजगंज में पुलिस ज्यादती की जो घटना हुई है, उसे मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने लाना चाहता हूं। कल दिनांक 16.08.2005 को सुबह सादे छः बजे 12 वर्ष का एक लड़का निशांत नागराजन स्कूल पढ़ने जा रहा था तभी उसे एक जीप ने धक्का मारा। लड़का सड़क पर गिरा तो उसी समय पीछे से आ रहा ट्रक उस पर चढ़ गया। उस लड़के की वहीं मौत हो गयी। चूंकि स्कूल बगल में था इसलिए स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे और शिक्षक घटनास्थल पर धरने पर बैठ गये। उनकी यह मांग थी कि वहां पहले सिवान के कलैक्टर आयें, उसके बाद हम धरना समाप्त करेंगे। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाये। इस घटना के तीन-चार घंटे बाद वहां एक मजिस्ट्रेट पहुंचे। इन लोगों ने उनसे कहा कि आप कलैक्टर साहब को बुलाइये जबकि घटनास्थल से वहां के एसडीओ का कार्यालय और आवास तीन बीघा की दूरी पर है। थाना दो बीघा और डीएसपी तीन बिघा की दूरी पर रहते हैं। वे सारे लोग वहां धरने पर बैठे रहे। दो-ढाई बजे के करीब पुलिस बल और वहां के सिविल एसडीओ आये और अचानक लड़कों पर अंधाधुंध लाठी चलाने लगे। लाठी चलने से वहां भगदड़ मच गयी। इस बीच लड़कों ने भी कुछ ईंटों और पत्थर पुलिस पर चलाये तो पुलिस ने गोली चला दी जिससे घटनास्थल पर तीन आदमियों की मृत्यु हो गयी और 10-12 लोग घायल हो गये। हमने प्रशासन के लोगों से बात की। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया शोर न मचाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंहः सबसे पहले पुलिस की गोली में जो लोग मारे गये, मैं उनके नाम आपको बता दूं। उन मरने वालों में एक

राजनेश मांझी, पिता धुरंधर मांझी की उम्र 21 वर्ष थी। वह वहां के एक प्राइवेट स्कूल में पन्द्रह सौ रुपये की नौकरी करकर अपने परिवार की जीविका चलाता था। दूसरा लड़का शैलेश मेहता, पिता मंगल मेहता है जो ठेले पर हुचका बेचकर अपने परिवार की जीविका चलाता था। तीसरे लड़के का नाम हमें मालूम नहीं हुआ। इसके अलावा एक और व्यक्ति को गोली लगी है जिसका नाम श्रवण कुमार है। इसका पिता अभी पीछे ही मरा है। कल या परसों उसके पिता का श्राद्ध है। वह अपने घर की छत पर खड़े होकर पुलिस को बर्बरता को देख रहा था कि तभी उसे गोली लगी। वह भी मरणासन्न है। जब हमने इस संबंध में कलैक्टर से बात की, तो उन्होंने कहा कि क्या आपको यह सही जानकारी है कि लोग हमें बुलाने के लिए कह रहे थे? चूंकि वहां के पदाधिकारियों ने उन्हें सूचना दी थी कि स्थिति नार्मल है, कोई तनावपूर्ण नहीं है इसलिए वह वहां नहीं जा सके। इस बीच उनको सूचना मिली कि कुछ राजनीतिक लोग पीछे से पुलिस पर ईंट और पत्थल चला रहे हैं, तो पुलिस ने अपने बचाव के लिए गोली चलाई। अब किसका दोष है और किसका दोष नहीं है, यह जांच का विषय है। लेकिन इतना सत्य है कि जो लोग मरे हैं, वे कहीं से भी दोषी नहीं हैं।

हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार इस गंभीर मामले की जांच कराये और मृतक के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा, दोषी पुलिस पदाधिकरायिों पर कार्रवाई और जो लोग घायल हुए हैं, उनको एक-एक लाख रुपये का मुआवजा देने की व्यबस्था करे। यहां पर सरकार का कोई जिम्मेवार मंत्री नहीं बैठा हुआ है। केवल वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं। अब वित्त मंत्री जी इसका रिस्पांस करें या आप आसन से कोई निर्देश दें क्योंकि इस तरह से सत्यनारायण जी की कथा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस संबंध में सरकार को निर्देश दीजिए। क्या छोटे-छोटे बच्चों पर सरकार गोली चलवायेगी? बिहार में राष्ट्रपति शासन है। वहां भारत सरकार का शासन चल रहा है। ऐसे मामलों में सरकार रिस्पांस नहीं करेगी, तो फिर किसमें करेगी? हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप आसन से सरकार को निर्देश दीजिए कि सरकार इसका रिस्पांस दे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: दुर्भाग्यवश मैं सरकार को इस प्रकार का निर्देश नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस संबंध में नोटिस है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मोदी जी, आप एसोसियेट कर लें।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: मैं एक-दो लाइन बोलना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आप कम्पेल मत कीजिए। हमारा कहना है कि सरकार इस संबंध में सूचना तो ग्रहण करे। आप सरकार को यह निर्देश तो दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सरकार बैठी है। उनके नोटिस में यह मामला आ गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रभुनाथ सिंह जी ने जिन बातों को रखा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसमें एसोसिएयेट करना चाहेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: मैं इसमें दो लाइन बोलना चाहता हूं। कल शहीद फुलेना प्रसाद का धरने पर बैठे हुए थे। यह बड़ा दुखद है कि तीन लोग पुलिस फायरिंग में मारे गये। वहां महामहिम राज्यपाल जी को तत्काल जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी वहां तत्काल जायें और जो लोग मरे हैं, उनके परिवार के लोगों को पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। अभी भी वहां आतंक और भय का माहौल है तथा कभी भी दोबारा कोई घटना घट सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि चूंकि वहां केन्द्र सरकार का शासन है इसलिएं गृह मंत्रालय को इसमें अविलम्ब हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो पूरे इलाके में स्थिति विस्फोटक हो जायेगी।

[अनुवाद]

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा (मंगलौर): लगभग एक सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय ने कर्नाटक के मंगलोर में ओ.एन.जी.सी. द्वारा प्रस्तावित 25000 करोड़ रु. की एक परियोजना को स्वीकृति दी थी। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए ओ.एन.जी.सी. तथा केनरा चेम्बर आफ कामर्स के साथ किए गए समझौते ज्ञापन के बाद भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री इस मेगा परियोजना का लगातार विरोध कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति दी गयी। जिसका कर्नाटक राज्य में हर

[श्री डी.वी. सदानन्द गौडा]

किसी ने स्वागत किया। अब यह समझा जा रहा है कि निर्णय से असहमति व्यक्त करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय को वापस भेज दी है। समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि मंत्री महोदय नहीं चाहते कि ओ.एन.जी.सी. कर्नाटक में इतना बड़ा निवेश करे बल्कि कोई अन्य कम्पनी वहां कार्य करे और वे नहीं चाहते कि वहां पावर प्लांट भी स्थापित किया जाए। पावर प्लांट न होने का अर्थ है पूरी परियोजना का व्यर्थ होना। वास्तव में पावर प्लांट कर्नाटक राज्य के मंगलोर में एस.ई.सी. तथा पेट्रोकेमिकल परिसर सहित अन्य परियोजनाओं की पूरक है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सोच कर्नाटक राज्य के हितों के विरुद्ध है और यह प्रधानमंत्री कार्यालय के औचित्य पर सवाल उठा रहा है। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय की प्रवृत्ति वास्तव में कर्नाटक राज्य के हितों के विरुद्ध है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद भी प्रश्न पूछे जाने की बात को मैं समझ पाने में असमर्थ हूं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय अधिकारियों तथा संबंधित मंत्रालय ने हर पहलू पर विचार किया था और उसके बाद उसी मंत्रालय द्वारा प्रश्न उठाए जाने की बात उत्पन्न नहीं होती। इसलिए, माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे बिना किसी कारण के इस परियोजना का विरोध न करें क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इसको पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि वे इस परियोजना को मंजूर करने से संबंधित फाइलों का शीघ्र निपटान करें और इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु यथाशीघ्र उचित निर्देश दिए जाएं ताकि यह परियोजना कर्नाटक में आए और इस परियोजना से पूरे कर्नाटक को लाभ मिले।

मुझे लग रहा है कि माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा केवल इसलिए आपत्ति जताई जा रही है ताकि यह परियोजना कर्नाटक में क्रियान्वित न हो क्योंकि यह परियोजना राजग सरकार द्वारा दी गई थी। इसके अतिरिक्त यह भी पता चला है कि वे अब इस परियोजना को मंगलौर से चेन्नई स्थानांतरित करना चाहते हैं। निश्चित रूप से कर्नाटक राज्य के विकास पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से इसमें पुनः हस्तक्षेप करने तथा यह देखने का अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को मंगलौर लाया जाए।

[हिन्दी]

श्री महबूब जाहेदी (कटवा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहां बोलने का मौका दिया है। आप जानते हैं कि गोरखपुर जिले में चौरी-चौरा तहसील है। वहीं के कम से कम 18 गांव-देवकहिया, अवधपुर, देवीपुर, अयोध्याचक, केवलाचक, कमरहा, बरही और केवला डाबर इत्यादि गांव में कम से कम बीस हजार जनता बसती है। उन्हें के बीच में 1990 से एशियन फर्टिलाइजर फैक्ट्री स्थित है जो कि संगल सुपर फास्फेट और सलफ्यूरिक एसिड बनाती है। उस निर्माण की प्रक्रिया में सल्फर डाई आक्साइड इत्यादि जहरीली गैस कारखाने की चिमनी से धुंए के रूप में निकलती हैं जिसका शिकार मनुष्य और मवेशी दोनों को होना पड़ता है। इससे चारों तरफ अत्यधिक घातक बीमारियां फैल रही हैं, जैसे उल्टी आना, श्वास की तकलीफ, टी.बी. आदि और इन बीमारियों के बहुत सारे लोग शिकार हो गये हैं। इंसान तो इन बीमारियों से प्रभावित हो ही रहे हैं बल्कि इससे कम से कम 50 भैसें मर गई हैं। मैं खुद वहां गया था और पीड़ित व्यक्तियों से मिला था तथा किसानों से भी मिला था।

महोदय, आप भी किसान परिवार से हैं। आपको मालूम होगा कि वहां जितना भी गेहूं और अनाज है, सब जल गया है। वहां इतनी बुरी हालत है। मैं वहां गया था और पीड़ितों से मुलाकात की थी। इसी के साथ ही मैं वहां जो जिले के अधिकारी हैं, उनके आफिस में भी गया था। हमने इस विषय में केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण मंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसका जवाब भी मुझे मिल गया है। इस जवाब में यही कहा गया था कि हम इसके बारे में देखेंगे, मगर अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। जब मैंने वहां के जिलाधिकारी से मुलाकात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि इसको देखेंगे इसके विरोध में वहां आन्दोलन चल रहा है और वहां हालत बहुत ही खराब हो गया है। आप तो जानते ही हैं कि जो गैस ऊपर उठती है, वह हवा चलने पर बूंद-बूंद होकर नीचे गिरती है। वहां आज ऐसी ही हालत है। मैं आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां एशियन फर्टिलाइजर्स के कारण हालत बहुत खराब हो गयी है। मेरी मांग है कि इसे कम से कम वहां से हटाकर किसी दूसरी जगह पर, ऐसी जगह पर जहां कोई जन-बस्ती न हो, लगाया जाए और जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। इसी मांग के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): महोदय, मात्र दो दिन पूर्व हमें अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है। लकिन यह बताते हुए मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है कि मध्य प्रदेश के पटेहरा गांव के सरपंच श्रीमती अनिता बाई अहिरवार को बाजार में राष्ट्रीय झंडा फहराने नहीं दिया गया जो जगह उनके पंचयात के अंतर्गत आती है। उनके अधिकारियों ने उन्हें ध्वज नहीं फहराने

दिया। उसे कहा गया कि...* एक दलित जाति को ध्वज फहराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह अपमान है। यह एक गंभीर मामला है।

पुन:, सम्माननीय सभा में एक और घटना की चर्चा करते समय मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है। पिछले वर्ष भी यही स्थिति थी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: असंसदीय शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

...(व्यवधान)

श्री सांताश्री चटर्जी: उसी क्षेत्र में पथारिया चुनाव क्षेत्र की दलित महिला विधायक, श्रीमती सोनाबाई अहिरवार को ध्वज फहराने से रोका गया। इस गंभीर अपराध के लिए कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इसलिए, यह घटना फिर घटित हुई।

इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री से इस पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूं। मुझे उम्मीद है कि पूरी सभा मेरी चिंताओं को समझेगी और कुछ अधिकारियों की इस प्रकार की कार्रवाई की ध्वनि मत से निंदा करेगी। मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया जाए कि इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है। हमारे देश में यह सब कब तक सहन किया जाएगा? हमारे देश में दलित लोग दु:खी हैं और वंचित हैं। वे दलित हैं और आज जब हम अपनी आजादी की 58वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तब भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

महोदय, मैं इस मामले में आपका हस्तक्षेप चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी आएं और इस सभा में बयान दें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वर्ष बिहार में वर्षा में भारी कमी हुई है और वर्षा की कमी की वजह से मात्र 20 से 30 प्रतिशत खेतों में धान की रोपाई की व्यवस्था हो सकी है और 65 प्रतिशत भाग बिल्कुल सूखे की छाया में हैं। वहां अकाल सी स्थिति बन गयी है। वहां की स्थिति बहुत गंभीर है। चूंकि वहां धान ही मुख्य फसल है और धान वर्षा पर निर्भर होता है। बिहार में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सूखा झेलना पड़ रहा है। यह स्थिति गंभीर होती जा रही है। इससे किसानों में हताशा का वातावरण बन गया है और खास तौर पर बिहार के नवादा, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सारन, पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण, औरंगबाद, जहानाबाद, नालन्दा और पटना आदि जिले भयंकर सूखे की चपेट में हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार 10 अगस्त, 2005 तक पूरे प्रदेश में 390 मिलीमीटर वर्षा हो पाई है। कम से कम 60 मिलीमीटर वर्षा और होने की आवश्यकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र पटना में पानी की बहुत कमी है। वहां की कैनाल में पानी नहीं है। नौबतपुर, बिक्रम, फूलवाड़ी और बिहटा प्रखंड में करीब 40 प्रतिशत धान की रोपाई हो सकी है। पूरा बिहार हर साल कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ से प्रभावित रहता है। इस वर्ष वर्षा नहीं होने के कारण मध्य और उत्तर बिहार सूखे से प्रभावित हैं। मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि बिहार में जो किसान सूखे से जूझ रहे हैं, उनके लिए अविलम्ब कोई व्यवस्था कराएं, ताकि वे गरीब किसान जो सिर्फ खेती पर निर्भर हैं, आने वाले समय में उनके लिए रोजी-रोटी का प्रबंध हो सके। इसलिए केन्द्र सरकार तुरंत वहां व्यवस्था करे, ताकि किसानों को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय: बाकी के अविलम्बनीय लोक महत्व के जो विषय रह गए हैं, वे शाम को लिए जाएंगे। सदन की कार्यवाही दो बजकर चालीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.41 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.42 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.42 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 7 पर विचार करेंगे तथा वह है, नियम 377 के अधीन मामले।

(एक) हिमाचल प्रदेश के चहुंमुखी विकास हेतु विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्र हित में वन क्षेत्र में हरे वृक्षों की कटाई पर स्वयं अपनी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ओर से प्रतिबंध लगाया है। प्रदेश सरकार के इस प्रयास की प्रशंसा भारत सरकार एवं देश को करनी चाहिए, लेकिन इससे प्रदेश को जो अपेक्षित आय हो सकती थी उससे प्रदेश वंचित हो गया है। इससे प्रदेश को आर्थिक क्षति हो रही है जिसकी भरपाई भारत सरकार को करनी चाहिए ताकि प्रदेश में विकास तीव्र गति से हो सके। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास की शुरूआत है। वहां रेलों और हवाई अड्डों का जाल नहीं बिछ सका है। हिमाचल प्रदेश में आधारभूत ढांचा तैयार करने एवं तेजी से आर्थिक प्रगति हेतु धन का अभाव प्रदेश के सीमित संसाधनों के कारण सदैव बना रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करती हूं कि हिमाचल प्रदेश को सड़कों, पर्यटन, उद्योग, कृषि एवं बागवानी आदि के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी जाए।

(दो) 18 अगस्त, 2005 को स्वतंत्रता सेनानी, डा. सुन्दरम की जन्मशताब्दी पर स्मारक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): उपाध्यक्ष महोदय, डा. सुन्दरम का जन्म 18 अगस्त, 1904 को हुआ था इनके पिता कठिन परिश्रम करने वाले तथा विख्यात उद्योगपति टी.वी. सुन्दरम अयंगर तथा उनकी माता लक्ष्मी अम्मीयार थी। बचपन से ही एक होनहार, सुन्दर और साहसी बच्चे के रूप में वह कम सुविधा सम्पन्न लोगों की मदद करने वाली महिला के रूप में देखी जाती थी।

जब गांधी जी ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' का नारा दिया तब डा. सुन्दरम तथा उनके पति एम. चन्द्रन ने तिरूवनंतपुरम में आंदोलन का संचालन किया था।

अधिकांश वंचित लोगों की सेवा करने तथा ग्रामोद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए लोगों में दक्षता पैदा करने तथा उनकी सहायता करने के लिए दूर-दराज के गांव में उनसे एक ग्रामीण संस्थान की स्थापना करने को कहा गया तथा इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को मजबूत बनाने तथा उनके आत्मविश्वास को जगाने के लिए कहा गया और इसीलिए उन्होंने मेरे डिंडीगुल चुनाव क्षेत्र में 7 अक्तूबर, 1947 को गांधीग्राम की स्थापना की।

आज गांधी ग्राम न्यास स्वास्थ्य, कल्याण और शैक्षिक गतिविधियां चलाता है जबकि लक्ष्मी सेवा संघ तथा गांधी ग्राम खादी न्यास खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार सृजन कार्यक्रमों का संचालन करता है। प्रतिष्ठित गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान को 1976 में एक मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उप शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया था। उन्हीं के कार्यकाल में प्राथमिक शिक्षा को पूरे देश में नि:शुल्क किया गया था।

1962 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पंडित नेहरू ने 1964 में गांधीग्राम का दौरा किया था।

21 अक्तूबर, 1984 को डा. सुन्दर का देहांत हो गया। चूंकि यह डा. सुन्दरम की शताब्दी वर्ष है, यह अत्यंत उपयुक्त होगा यदि भारत सरकार भारत की गरिमायी पुत्री के सम्मान में एक डाक टिकट जारी करे।

(तीन) 315ए और 316ए रेल सेवाओं को पश्चिम बंगाल के जाल्दा होते हुए मुरी तक विस्तार किए जाने और शक्ति पूजा एक्सप्रेस को मुरी, जाल्दा और बोकारो स्टील सिटी होते हुए नए मार्ग पर चलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): महोदय, पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिला के पश्चिमी भाग के लोगों के लिए कोलकाता जाने हेतु कोई भी एक्सप्रेस या लोकल ट्रेन नहीं है। बहुत से लोग विभिन्न कार्यों के लिए अपने राज्य की राजधानी जाते हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 315ए और 316ए रेल सेवा को जाल्दा होते हुए मुरी तक विस्तार किया जाए और बड़खाना तथा धनबाद के बीच चलने वाली 1447 तथा 1448 शक्ति पूजा एक्सप्रेस, बरास्ता मुरी, जाल्दा और बोकारो स्टील सिटी से होकर चलाया जाए।

भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि वह 315ए और 316ए रेल सेवा को जाल्दा होते हुए मुरी तक विस्तार करे तथा 1447 और 1448 शक्ति पूजा एक्सप्रेस को मुरी, जाल्दा और बोकारो स्टील सिटी होते हुए चलाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री निखिल कुमार—उपस्थित नहीं।

डा. धनीराम शांडिल्य।

(चार) हिमाचल प्रदेश में, चांसल-शिमला-सोलन बहुउद्देशीय जलापूर्ति परियोजना स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला): महोदय, हिमाचल प्रदेश की वर्तमान राजधानी शिमला अंग्रेजों द्वारा

बसाई गई और तब बनाई गई पेयजल योजना से मूल रूप से 30 हजार व्यक्तियों को पेयजल प्रदान किया जा सकता था। शिमला की आबादी शनैः-शनैः बढ़ती रही और समय-समय पर पुरानी पेयजल योजना के संवर्धन से जैसे-दैसे काम चलाया जाता रहा है, लेकिन अब कठिनाई बढ़ती जा रही है।

इससे निपटने के लिए प्रदेश में बहुउद्देशीय जलप्रदाय योजना चांशल-शिमला-सोलन बनाई है, जिसके लिए केन्द्रीय आर्थिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस योजना की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये है। इस योजना से 50 लाख की आबादी को पेयजल, एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में पशुओं को पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी और लगभग 100 वर्ष तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना से हिमाचल की तस्वीर बदल जाएगी।

मेरा आग्रह है कि तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को तुरन्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

(पांच) आंध्र प्रदेश की लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार के निम्नलिखित प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लम्बित हैं:

(एक) गंगावरम ग्राम स्थित गोदावरी से 50 टीएमसी पानी लेने हेतु और वाटर कंडक्टर सिस्टम लगाने हेतु करीमनगर जिले में 344.005 हेक्टेयर वनभूमि तथा वारंगल डिवीजन में 136.125 हेक्टेयर वनभूमि की ओर ले जाने के लिए प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। वन्यजीव दल ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्थल का निरीक्षण किया और वन संबंधी मंजूरी के लिए प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

(दो) मादीगड्डा जलाशय की ब्रांच नहर बनाने हेतु राजामुंद्री सर्किल के काकीनाडा वन डिवीजन में वीरभद्रपुरम संरक्षित वन क्षेत्र के 3.824 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु वन संबंधी स्वीकृति का अनुरोध।

(तीन) पेड्डागड्डा जलाशय योजना के लिए 38.40 हेक्टेयर प्रतिपूर्ति वनरोपण की वन संबंधी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 07.01.2005 को भेजा गया था। पत्र सं. 27.04.2005 के द्वारा स्पष्टीकरण पर्यावरण और वन मंत्रालय को भी प्रस्तुत किए गए थे।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मामले में शीघ्र कार्यवाही करे और राज्य सरकार को सूचित करें।

(छह) पंजाब में युवकों द्वारा ड्रग्स के प्रयोग पर रोक लगाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज का नौजवान नशे की लत से ग्रस्त होकर कमजोर होता जा रहा है। नशे की तस्करी खास तौर पर पर बार्डर राज्य में काफी तेजी से और योजनाबद्ध तरीके से देश को कमजोर करने के लिए की जा रही है। पंजाब ने 10 वर्ष तक आतंकवाद को झेला है, तब इतना नुकसान नहीं हुआ लेकिन आज पंजाब के नौजवान को कमजोर करने की कोशिश योजनाबद्ध तरीके से जारी है। अगर पंजाब का नौजवान कमजोर हो गया तो मुसीबत के समय में इस देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नशे की लत को पूरा करने के कारण अपराधों की प्रवृत्ति की संख्या काफी बढ़ रही है। सारे मामले को सामाजिक तौर पर सामूहिक प्रयास से ही हल किया जा सकता है। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में आवश्यक कदम उठाए।

(सात) बंजारा और अन्य घुमंतु जनजातियों को उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान हेतु दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई राठौड़ (यवतमाल): उपाध्यक्ष महोदय, बंजारा समाज एवं अन्य विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है जिससे इनके जीवन में सुधार आया है परन्तु उक्त आरक्षण से भारत सरकार की योजना एवं देश स्तर तक की सेवाओं का उन्हें मौका नहीं मिला है। इसलिए आज महाराष्ट्र में बंजारा समाज एवं अन्य विमुक्त घुमन्तु एवं अति पिछड़े समाज को उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार विशेष योजना के तहत प्लानिंग करके जीवन स्तर में सुधार ला सकती है, जिसमें इन्हें अलग से आरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए सरकार को चाहिए कि ऐसी कमजोर तबके की जातियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु तीसरी आरक्षण अनुसूची बनाई जाए जिससे उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनैतिक स्तर को ऊपर उठाया जा सके। अतः मैं आपके माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पंकज चौधरी—उपस्थित नहीं।

(आठ) उड़ीसा में क्योंझरगढ़-दैतामी-बंसपानी रेलवे सेक्शन का कार्य द्रुतगति से पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री श्रमन्त नायक (क्योंझर): महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है कि पारादीप और उड़ीसा में बांसपानी-खरनान्दा-बारबिल और गंधमर्दन क्षेत्र की प्रचुर लौह अयस्क खानों के बीच कोई सीधा रेल संपर्क नहीं है। देतारी-बांसपानी लाइन का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। निर्माण में अनावश्यक विलम्ब रेल द्वारा लौह अयस्क के परिवहन में मुख्य बाधा है जिसका अंततोगत्वा पारादीप पत्तन के द्वारा लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर कटक और पारादीप के बीच इकहरी लाइन खंड पर यातायात बहुत अधिक है और जब तक पटरी को दोहरा नहीं किया जाता तब तक कोई और अतिरिक्त रेलगाड़ी नहीं चलाई जा सकती। इसलिए, दैतारी-बांसपानी रेल मार्ग का निर्माण तेज किए जाने की आवश्यकता है। इस समय क्योंझर खानों से लौह अयस्क तीन राज्यों—झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा को कवर करते हुए वृत्ताकार मार्ग में वाया टाटानगर, खड़गपुर, बालासोर, जाजपुर, क्योंझर रोड और कटक रेल द्वारा पारादीप भेजा जा रहा है।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान क्योंझरगढ़ और दैतारी और दैतारी-बांसपानी के शेष मार्ग के बीच रेल लाइन को तेजी से पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां स्वीकृत की जाएं।

(नौ) महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में आयुर्वेद के चिकित्सकों को एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली का उपयोग करने संबंधी दी गई अनुमति जारी रखे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद एक पारम्परिक उपचार पद्धति है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए आयुर्वेद उपचार प्रणाली के डाक्टर आवश्यक एलोपैथी का अभ्यास व ज्ञान प्राप्त कर रोगियों के लिए किफायती सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में आयुर्वेद डाक्टरों को जिन्होंने एलोपैथी का भी अभ्यास किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसी बी.ए.एम.एस. डाक्टर्स को एलोपैथी सेवा करने की इजाजत दी है। राज्य सरकार ने 1992 व 1999 में यह छूट दे रखी है तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसका अनुमोदन किया गया है तथा राज्य में अधिकांश ग्राम स्वास्थ्य केन्द्रों पर बी.ए.एम.एस. डाक्टर्स भेषज अधिकारी पदों पर नियुक्त हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार इन आयुर्वेद डाक्टरों को एलोपैथी उपचार प्रणाली अपनाने पर प्रतिबंध लगाने हेतु कदम उठाने की आशंका है। यदि केन्द्र सरकार यह निर्णय लेती है तो देश में अनेक दुर्गम व ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत डाक्टर उपचार सेवा से वंचित रह जाएंगे। इन क्षेत्रों की उपचार स्वास्थ्य सेवा चरमरा जाएगी और एलोपैथी उपचार प्रणाली का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा तथा इतनी संख्या में एलोपैथी डाक्टर्स हमारे यहां उपलब्ध नहीं हैं जो देश के इन ग्रामीण व दुर्गम इलाकों में रहकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा दे सकें। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बी.ए.एम.एस. आयुर्वेद डाक्टरों को एलोपैथी उपचार करने की इजाजत कायम रखें।

(दस) पश्चिम बंगाल में हल्दिया और दीघा के बीच समुद्रतटीय राजमार्ग के निर्माण के साथ-साथ इस क्षेत्र में पर्यटन और लघु उद्योग परिसर बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रशान्त प्रधान (कोंटई): महोदय, बंगाल की खाड़ी की और समुद्र के किनारे पर्यटन परिसर और लघु उद्योग परिसर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया से दीघा तक तटवर्ती राजमार्ग के निर्माण की भी आवश्यकता है। राजमार्ग को भविष्य में पारादीप (उड़ीसा) तक बढ़ाया जा सकता है। खेजूरी, तलपति, पेटुआ फाट, जूनपुट, दनपत्रषाद, शंकरपुर, दीघा जैसे स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन हेतु आधारभूत ढांचा भी विकसित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही नमक, काजू नट, मछली, फल कारखानों जैसे लघु उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। समुद्री और मत्स्यन पोताश्रय भी विकसित किया जाए। स्वरोजगार योजना के द्वारा हजारों बेरोजगार युवाओं को लगाया जाएगा और उन्हें लाभ होगा। हाल ही में वेबकोन ने इस संबंध में सर्वेक्षण किया है। यह परियोजना की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि मामले पर ध्यान दें और आवश्यक कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. के.एस. मनोज—उपस्थित नहीं।

श्री हरिकेवल प्रसाद।

(ग्यारह) सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने के कारण घाघरा नदी के किनारे पर बसे गांवों में आसन्न संकट को दूर करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में घाघरा नदी के कटाव से घाघरा नदी के किनारे बरहज बाजार में रामजानकी मार्ग मेहियवा तक बसे 40 गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। कभी भी अधिक बारिश से या घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ने से ये सभी गांव नदी के पेट में समा जाएंगे जिसमें हजारों लोगों की जान जा सकती है और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो जाएगी। इस कटाव के कारण होने वाले सर्वनाश से इन गावों को बचाने के लिए 2 फरवरी, 2005 से कई कार्य किए जा रहे हैं, परन्तु अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। इस संबंध में लोगों के निवेदन पर 20 जुलाई, 2005 को देवरिया के जिलाधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता मौके पर पहुंचे और वहां पर इस कार्य की समीक्षा की गई और इस कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए विचार करके नई योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे जनहित में इसी साल क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है, परन्तु वर्तमान समय में प्रदेश सरकार की वित्तीय हालत को देखते हुए उक्त कार्य को इस साल करना असम्भव लगता है।

मैं इस मान्य सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि घाघरा नदी के कटाव से उक्त गांवों को डूबने से बचाने के लिए केन्द्र सरकार प्रस्तावित योजना को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज देने की तत्काल व्यवस्था करे।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. धीरेन्द्र अग्रवाल—अनुपस्थित।

(बारह) ऐसे किसान जिनकी फसल सुल्तानपुर जिले के हलियापुर और जगदीशपुरी में गोमती नदी से कटाव के कारण प्रभावित हुई है, उन्हें राहत दिए जाने की आवश्यकता

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के लोक सभा क्षेत्र सुल्तानपुर के इसौली विधान सभा से गोमती नदी गुजरती है। इस क्षेत्र में नदी का अत्यधिक कटाव हो चुका है। यह कटाव लगभग 10 कि.मी. तक हो चुका है। इस कटाव के कारण आम घाट से लेकर हलियापुर तक का क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इससे कई गांव गोमती नदी में समाहित हो सकते हैं। केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष राज्यों को कटाव की सुरक्षा योजना पर निधि खर्च करने के लिए दी जाती है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा ऐसे कटाव की सुरक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। क्षेत्र के किसानों की भूमि तथा फसल दोनों नष्ट हुई हैं।

सरकार शीघ्र ही प्रभावित किसानों को सहायता राशि देने का आदेश जारी करे तथा इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को समुचित धन उपलब्ध कराए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ए.के.एस. विजयन—उपस्थित नहीं।

(तेरह) जनजातीय समुदाय के लाभार्थ उड़ीसा के फूलबनी संसदीय क्षेत्र में तकनीकी शैक्षणिक संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र फूलबनी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि जनजातीय बहुल क्षेत्र है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज अथवा नर्सिंग कालेज जैसे कोई तकनीकी शिक्षा संस्थान नहीं हैं। क्षेत्र के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के हैं। उनके लिए उच्च शिक्षा हेतु अन्य स्थानों पर जाना बहुत कठिन है। बच्चों को उच्च शिक्षा में प्रवेश करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इसलिए मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु और फूलबनी में ऐसा तकनीकी संस्थाएं खोलने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए।

(चौदह) अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर त्वरित न्यायालय ने 15 दिनों के भीतर बलात्कार मामले में जांच पूरी करके कानूनी इतिहास बनाया है। हमारी रेंगती हुई न्यायिक प्रक्रिया में यह एक स्वागतयोग्य परिवर्तन है। मैं शीघ्रता प्रदर्शित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को बधाई देता हूं अर्थात् राजस्थान उच्च न्यायालय को स्वत: संज्ञान लेने और तीव्र जांच के निर्देश जारी करने हेतु; पुलिस को घटना के दो दिन के भीतर ही आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए; डीएनए प्रयोगशाला

को रिकार्ड समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और जांच न्यायालय को मामले की सुनवाई करने और अपने सामने अंतिम साक्षी के साक्ष्य के एक दिन बाद ही निर्णय देने के लिए।

महोदय, इस मामले को कई अन्य मामलों, जिनमें बलात्कारी की पहचान होने के पश्चात भी उसे दंडित नहीं किया जा सकता है, में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। बलात्कार शरीर और आत्मा का सरेआम उल्लंघन होता है। इसमें कठोर और तेजी से सजा होनी जाहिए। शीघ्र निर्णय से उम्मीद पैदा होती है कि यदि चाह हो तो सजा देने में देर नहीं होगी और उसमें अनन्त वर्ष को लगने की आवश्यकता नहीं है जो कि सामान्यत: हमारे न्यायालय मामले को निपटाने में लगाते हैं।

मैं त्वरित न्यायालयों को जारी रखने का पुरजोर समर्थन करता हूं जिसकी कुछ माह पूर्व निधियन की लड़ाई में बंद होने की खबर थी। बलात्कार के हजारों मामले देश भर में लम्बित हैं। बलात्कार जैसे अपराध से तेजी से और सख्ती से निपटने की जरूरत है जो कि एक चेतावनी का कार्य कर सकता है। सरकार को वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लम्बित मामलों का निपटारा करने के लिए न्यायालयों के कार्य के घंटे बढ़ाने चाहिएं, छुट्टियां कम करनी चाहिएं और न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए।

(पन्द्रह) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से उत्तर पूर्व औद्योगिक नीति 1997 के अंतर्गत और क्षेत्रों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़): महोदय, असम सरकार ने पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 के अंतर्गत विभिन्न रियायतों का लाभ पाने के लिए अतिरिक्त परिसरों को शामिल करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव को पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के तहत विभिन्न प्रोत्साहनों के लाभों हेतु अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं राज्य के विभिन्न भागों के औद्योगिक क्षेत्रों को पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के लाभ सुलभ कराने के लिए उन्हें अभी भी अधिसूचित क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाना शेष है। पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 के अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए और दूसरे प्रोत्साहनों को प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्रों को शामिल करना आवश्यक हो गया है। इन क्षेत्रों को लेकर एक समेकित सूची संबद्ध मंत्रालय को पहले ही सौंपी जा चुकी है लेकिन इसे अभी भी मंजूरी नहीं मिल सकी है।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से भी यह अनुरोध है कि वह पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 के तहत और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए वह अपनी 8.7.1999 को जारी अधिसूचना सं. 32/97-सीई में आगे और अधिक संशोधन करे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग के लाभ के लिए इस नीति के तहत इसमें और अधिक क्षेत्रों को शामिल करें तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार के अवसर सृजित करें।

अपराह्न 3.05 बजे

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मंद सं. 8 पर विचार करेगी, श्री के. चन्द्रशेखर राव।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1936 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव पेश किया गया:

"कि मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1936 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2004 का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिनियम ऐसा अधिनियम है जो मजदूरों को समय पर निर्धारित वेतन दिलवाने का काम करता है और नियम विरुद्ध उनके वेतन आदि में से कटौती पर रोक लगाने का काम करता है। वैसे इस विधेयक में प्रमुख रूप से दो ही बातें हैं, परन्तु उससे संबंधित कुछ टेक्नीकल धाराएं, शब्दावली हैं, उनमें संशोधन करने का प्रयास है और कुल-मिलाकर धारा 1, 2, 3, 7, 8, 15, 20, 24 और 26 में छोटे-छोटे संशोधन हैं परन्तु प्रमुख रूप से संशोधन यह है कि इस एक्ट में सन् 1982 में एक संशोधन किया गया था और वर्ष 1982 में मजदूरों को जो वेतन दिया जाता है उसकी अधिकतम सीमा एक हजार रुपए की थी और वर्ष 1982 में संशोधन किया गया था उसमें एक हजार रुपए

से बढ़ाकर 1600 रुपए की अधिकतम सीमा कर दी गई। इस संशोधन विधेयक में 1600 रुपए के स्थान पर 6500 रुपए की अधिकतम सीमा का प्रावधान है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर वर्तमान मंत्री जी को तो धन्यवाद देना ही चाहता हूं परन्तु और ज्यादा धन्यवाद उस समय की सरकार को और उस समय के श्रम मंत्री श्री शरद यादव जी को देना चाहता हूं। वह इसलिए कि वर्ष 2002 में जो संशोधन विधेयक पेश हुआ था, वर्ष 1982 और वर्ष 2002 में, यानी 20 साल के बाद यह 20 साल का अंतर इस बात को दर्शाता है कि इस देश में मजदूरों के प्रति जो अन्याय, अत्याचार और शोषण होता है उसके प्रति सरकार को जैसे जागरूक होना चाहिए, वैसे सरकार जागरूक नहीं रही है क्योंकि सन् 1982 में एक हजार रुपए की बजाए 1600 रुपए की अधिकतम सीमा की गई और 20 वर्षों में महंगाई में कई गुना वृद्धि हुई, न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने का अनेक बार प्रयास हुआ और मांग की गई, इसलिए समय-समय पर कमीशन बैठे। उन्होंने अपनी अनुशंसाएं दीं, परन्तु 20 साल तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। उस सरकार ने 20 साल के अंतराल के बाद 1600 रुपए से 6500 रुपए का प्रावधान किया और उसी को लेकर माननीय मंत्री इस सदन में हमसे इस विषय को स्वीकृत कराने के लिए आग्रह कर रहे हैं। इस विधेयक पर श्रम संबंधी जो स्थायी समिति ने भी विचार-विमर्श किया और उसने विचार-विमर्श करने के बाद अनेक सुझाव दिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि उन सुझावों का भी यदि समावेश, जैसा उन्होंने कहा, वैसे कर दिया जाता, तो अच्छा था। मंत्री जी ने आंशिक रूप से सुझावों को माना है, परन्तु समिति के जो बाकी सुझाव थे, उन्हें नहीं माना। जिन सुझावों को नहीं माना है, उनके बारे में, मैं अन्त में बताने की कोशिश करूंगा।

महोदय, यह विधेयक वर्ष 2002 में प्रस्तुत हुआ और राज्य सभा में चर्चा हुई। वर्ष 2004 में राज्य सभा से पारित हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान हैं, उनका उल्लंघन अब भी देश में हो रहा है। मजदूरों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। इसमें प्रावधान है कि जिस फैक्ट्री में 1000 संख्या तक कर्मचारी या श्रमिक हैं, वहां हर महीने के 5 तारीख तक वेतन हर हालत में दे दिया जाना चाहिए और इससे अधिक श्रमिक जहां हैं, वहां प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वेतन दे दिया जाना चाहिए, लेकिन देखने में यह आता है कि 5 और 10 तारीख तक वेतन देने के प्रावधान का संस्थाओं द्वारा पालन नहीं किया जाता है।

महोदय, जब यह अधिनियम बनाया गया था, उस समय कंप्यूटर का युग नहीं था। उस समय रोकड़-बहीखाते हाथ से लिखे जाते थे। पेमेंट शीट, कटौती शीट आदि सभी हाथ से बनाते थे। इस कारण काफी समय इसमें दिया गया है, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब कंप्यूटर का जमाना आ गया है। सरकार के सारे विभागों में महीने के अंतिम तिथि के दूसरे दिन, यानी 1 तारीख को पेमेंट कर दिया जाता है, परन्तु इन संस्थानों में या इस एक्ट की परिधि में जो-जो संस्थान आते हैं, उनमें आज भी 5 और 10 तारीख को वेतन देने का नियम होने के बावजूद वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। मैं नागदा की बिरला मिल में नौकरी करता था, तब भी यही स्थिति थी। आप 5 और 10 तारीख को भी प्रयास कर के सारे देश में इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के श्रमिकों को वेतन मिल जाए, तो अच्छा है। यदि 1 से 5 तारीख के बीच में वेतन दिला दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिन मजदूरों को 2 हजार, 5 हजार या 10 हजार वेतन मिलता है, वे 1 तारीख को बैंक में जमा करा सकते हैं जिससे उन्हें 10 दिन का ब्याज मिल जाएगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि 1 तारीख को वेदन दे देते हैं, तो मजदूर की स्थिति मजबूत होती है, उसे फायदा होता है। किसी मजदूर को 2 हजार, 3 हजार या 5 हजार वेतन मिलता है और उसका भुगतान यदि 10 तारीख को होता है, तो उससे मैनेजमेंट को फायदा होता है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि 1, 2 या 3 तारीख तक हर हालत में संस्थानों के श्रमिकों को वेतन दिलाने की व्यवस्था करेंगे, तो उत्तम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 1, 2 या 3 तारीख को मजदूर को वेतन देने का सुझाव दिया है, उस बारे में मंत्री जी अभी फिलहाल तो कोई दूसरा विधेयक लाने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विधेयक में जो भी त्रुटियां हैं, उन्हें ठीक करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें, तो अच्छा होगा।

महोदय, नियमों के विरुद्ध मजदूरों के वेतन से कटौतियां होती हैं। व्यक्ति रूप से श्रमिक, इस कटौती के विरुद्ध, लेबर एक्ट के अंतर्गत किसी न किसी न्यायालय में जाते हैं। पहले लेबर कोर्ट में, फिर इंडस्ट्रियल कोर्ट में और फिर उच्च न्यायालय में जाते हैं और कई बार ऐसा देखने में आता है कि डिसीजन होने में साल भर या दो साल लग जाते हैं और न्यायालय से न्याय ही नहीं मिलता है। ऐसा अनेक प्रकरणों में देखने में आता है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। इस प्रकार से अनियमित और अवैधानिक कटौती के कारण जो श्रमिक न्यायालय में गए, वे प्रकरण वहां चल ही रहे हैं। यदि न्यायालय में प्रकरण चलते हैं, तो एक्ट में जुर्माने के जो प्रावधान हैं उनके अनुसार मैनेजमेंट पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वर्तमान अधिनियम में जुर्माना बढ़ाया गया है। पहले एक्ट के अनुसार रु. 250 थे। अब उन्हें बढ़ाकर रु. 750

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

कर दिया गया है। कुछ धाराओं में और ज्यादा जुर्माना बढ़ाया गया है, परन्तु मैनेजमेंट के ऊपर 750 या 1500 रुपए जुर्माने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह मजदूर और मजदूर यूनियनों को हतोत्साहित करने के लिए अगर कोई ट्रेड यूनियन लीडर है तो उसकी जान-बूझकर हरैस करने के लिए अनियमित कटौती कर लेते हैं या उल्टी-सीधी जगह काम पर भेजेंगे और कुछ पेरशान करेंगे ताकि वह ट्रेड यूनियर में भाग लेता है, उससे हतोत्साहित हो जाये और अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ सके, इसलिए उसको जान-बूझकर परेशान करते हैं और जब परेशान करते हैं और वह कहीं न्यायालय में जाता है तो उसको न्याय नहीं मिलता है।

मैं आपको गुड़गांव का ताजा उदाहरण याद दिलाना चाहता हूं, उनकी क्या गलती थी, वे ट्रेड यूनियन बनाना चाहते थे। ट्रेड यूनियन बनाने का यह संवैधानिक अधिकार है और मैनेजमेंट अवसर नहीं देना चाहता था। जो ट्रेड यूनियन के मैम्बर बने, उनको परेशान कर रहे थे, चार श्रमिकों को निकाल दिया। मजदूरों ने कहा कि इनको गलत निकाला है, आप इनको वापस रखो तो कुछ और लोगों को नोटिस दे दिये। ट्रेड यूनियन के मैम्बर बन गये तो किसी को 'शो काज नोटिस' देकर कह दिया कि क्यों नहीं, तुमको नौकरी से निकाला जाये, परन्तु उस मैनेजमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि प्रावधान होने के बाद भी ट्रेड यूनियन राइट हमारे यहां के श्रमिकों को होने के बाद भी ऐसा कोई आपराधिक दंड देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए वे चिन्ता नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह धनराशि के रूप में जो आप जुर्माना कर रहे हैं, इसके साथ-साथ आपराधिक प्रकरण मानकर अगर वह दोषी पाया जाता है तो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, दो साल या तीन साल की सजा का प्रावधान अगर करेंगे तो इस पर शायद अमल हो सकेगा, नहीं तो आप हम सब इस अधिनियम में कुछ भी लिख लेंगे, इसमें आंकड़े लिख लेंगे, परन्तु व्यावहारिक रूप में उस पर अमल नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है।

एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा, हालांकि यह 20 साल बाद संशोधन हुआ और 1600 के बजाय 6500 रुपये हो रहे हैं, परन्तु इस बीच में देश के भिन्न-भिन्न श्रमिक संगठनों ने और श्रमिकों के हित में काम करने वाले लोगों ने या श्रमिकों के बारे में अच्छा अध्ययन रखने वाले लोगों ने अध्ययन करके कुछ जानकारियां दीं और जानकारियों के आधार पर श्रम संबंधी स्थायी समिति ने भी एक राय दी है, अपना प्रतिवेदन दिया है, अनुशंसा की है कि यह 6500 रुपये को दस हजार रुपये कर दिया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध होगा कि यह 6500 रुपये के बजाय आप 10 हजार रुपये करेंगें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि यह जो धारा-दो और तीन में परिभाषा दी है और परिभाषा में जिन-जिन संस्थानों को हमने इस अधिनियम के दायरे में लाने का उल्लेख किया है, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जो आज भी वंचित हैं और वे वंचित होने के कारण यह एक्ट उन पर लागू नहीं होता है, यह तो संगठित श्रमिकों के लिए है, कम्पनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थानों के लिए है और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जिन पर लागू होता है, परन्तु कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र, इनमें ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों के ऊपर तो यह लागू होता है, परन्तु ठेकेदार अधिनियम एक अलग बना हुआ है और उसमें प्रावधान है कि 20 व्यक्ति से जो काम कराएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर बाद में दस कर दिया। अब इसमें भी जान-बूझकर अनियमितता करते हैं। पति भी ठेकेदार, पत्नी भी ठेकेदार और लड़का भी ठेकेदार और सब के नाम पर अलग-अलग, जैसे 20 की सीमा है तो 18-18 कर्मचारी रख लिए और ठेकेदार एक भी उस परिधि में नहीं आता है, जिसके कारण उन पर न्यूनतम मजदूरी का कानून लागू हो और न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ी। मैंने उदाहरण के लिए बताया कि उसमें 20 सदस्य या कर्मचारी होने चाहिए तो वे 20 नहीं दर्शाते हैं, 18 ही दर्शाते हैं और जो एक्ट में लागू होना चाहिए, वह उन पर लागू नहीं होने देते हैं। उन पर ठेकेदार एक्ट भी लागू नहीं होता और न्यूनतम मजदूरी वाला एक्ट भी लागू नहीं होता। ऐसे इस देश में करोड़ों लोग हैं, जो इस अधिनियम की परिधि में नहीं आते हैं, उससे वंचित हो रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक वृहद अध्ययन करने के बाद, एक विस्तृत अधिनियम बनाने के लिए आप ऐसा कोई विधेयक लायें। खेतिहर श्रमिक, ठेला हांकने वाले, गोदामों में काम करने वाले श्रमिक भी जाएं। बीड़ी श्रमिकों की भी इस देश में बहुत बड़ी समस्या है। अनेक राज्यों में बीड़ी श्रमिक काम करते हैं। अब उनके लिए नियम बन गया है कि वे चाहे हजार या दो हजार बीड़ी बनाएं, उनको सीमित रुपया दिया जाएगा। कई जगह तो घण्टों के हिसाब से पैसा देते हैं। अलग-अलग ठेकेदार अपने-अपने सिस्टम से काम करते हैं। बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। ऐसे में कटौती की बात करना बेमानी होगी। मेरी यह जानकारी है कि द्वितीय श्रमिक आयोग ने इस संबंध में एक राय दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस द्वितीय श्रमिक आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करें और जो भी श्रमिकों के हित में अच्छी बातें हैं, उनको अंगीकार करते हुए एक विस्तृत विधेयक भिन्न-भिन्न अधिनियमों के माध्यम से लाकर श्रमिकों के हित में बनाएं। हमारे बहुत से मित्र नारा लगाते हैं कि यदि व्यक्ति भूखा है तो उसे कानून-कायदा कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसी परिस्थिति में वह संघर्ष पर उतारू हो जाता है। अगर देश के मजदूर और मालिक आमने-सामने खड़े होंगे तो देश का विकास होने की बजाय देश के विकास में बाधाएं पहुंचेंगी और देश में अनेक समस्याएं खड़ी होंगी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए श्रम विभाग की स्थायी समिति ने भी उल्लेख किया है और मेरी

जानकारी के अनुसार उसकी रिपोर्ट में है कि जो औद्योगिक प्रबन्ध समिति होती है, उसमें श्रमिकों की भागीदारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक का पैसा लगता है और एक का श्रम लगता है। श्रमिक को श्रम के बारे में अनुभव होता है और मालिक जो पैसा लगाता है उसे संस्थान के बारे में पता होता है। इसलिए एक पहलू वह बताए और एक पहलू श्रमिक बताए। यदि श्रमिक की भागीदारी प्रबंध समिति में होगी तो देश में औद्योगिक विकास तेज गति से होगा और कानून कायदों का भी पालन हो सकेगा। लेकिन जो प्रबंध समितियां होती हैं, वे केवल मैनेजमेंट के लिए ही होती हैं या मैनेजमेंट अपना बोर्ड बना लेती है और उसमें प्रेजीडेंट, वाइस प्रेजीडेंट, सैक्रेटरी, मैनेजर इत्यादि इस प्रकार के लोग रहते हैं, उसमें श्रमिकों का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। इससे निर्णय के समय में उनको कठिनाई आती है और उनके विचारों में मतभेद होता है और जो भी व्यूह रचना बनती है, वह आधी-अधूरी होती है। इससे देश के औद्योगिक विकास में बाधाएं आती हैं। इस देश में श्रमिकों के संबंध में अनेक समस्याएं हैं। उन सब का अध्ययन करने की आवश्यकता है। इन 20 वर्षों में साढ़े सोलह सौ के बजाए साढ़े छह हजार की अधिकतम सीमा की गई है। इस प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक प्रावधान है कि हर पांच साल में इसका सर्वे होगा और जब सर्वे का प्रतिवेदन राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा तो उसके आधार पर इस अधिनियम में प्रावधान किया जाएगा। परन्तु वह सर्वे बीस-बीस साल, पच्चीस-पच्चीस साल तक नहीं होता है। यदि होता भी है तो वह फाइलों में ही पड़ा रहता है और वे फाइलें कहां हैं, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता है। यदि इसी प्रकार से बीस-बीस साल के अंतराल में मजदूरों के हित में संशोधन आएंगे तो यह ठीक नहीं होगा। इसकी एक निर्धारित अवधि होनी चाहिए। यदि एक निर्धारित अवधि में सर्वे रिपोर्ट नहीं आती है तो उनकी सीमा निर्धारण में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा तय कर लें कि यदि निर्धारित अवधि में सर्वे रिपोर्ट नहीं आई तो दस या पन्द्रह या बीस प्रतिशत कंडीशनल बढ़ेगा और जब वह प्रतिवेदन आ जाएगा तो विचार करते समय कम या ज्यादा जो भी होगा, उसे एडजस्ट कर लिया जाएगा। इस प्रकार की कोई व्यवस्था लागू करेंगे तो ठीक होगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहां कुछ ट्रेड यूनियन्स करती हैं कि केवल राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि निजीकरण होना चाहिए और कुछ कहते हैं कि दूसरा कोई वाद होना चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है कि देश का औद्योगिकीकरण होना चाहिए, उद्योगों का श्रमिकीकरण होना चाहिए और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। श्रमिकों को ऐसा लगना चाहिए कि यह उद्योग मेरा है और इस देश हित में व्यवस्थित रूप से चालने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार की भावना नहीं होगी तो इस देश में औद्योगिक विकास नहीं होगा और औद्योगिक इकाइयां, जो पिछले वर्षों में तेज गति से रुग्णता की ओर बढ़ रही हैं, वह गति नहीं रुकेगी और मिल मालिक या उद्योगपति एक उद्योग बंद करेगा, सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं, वह लेगा और अगले स्थान पर जाकर उद्योग लगाएगा, इसे बंद कर देगा, इस प्रकार की प्रवृत्तियां चलती रहेंगी।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका व्यापक अध्ययन करके एक व्यापक अधिनियम बनाने के लिए विधेयक लाएं और इस देश में मजदूरों के साथ जो अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है, उससे उन्हें मुक्ति दिलाने की कृपा करें।

अपराह्न 3.26 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करने की फीस में कमी करने के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अगले माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति देने से पहले मैं श्री ई. अहमद से अनुरोध करूंगा कि वह अपना वक्तव्य दें।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपनी ओर से एक वक्तव्य देना चाहूंगा।

हाल में महाराष्ट्र में आयी बाढ़ के मद्देनजर भारत सरकार के उन लोगों को डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करने का निश्चय किया है जिनके पासपोर्ट खराब हो गये हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों में हम 2500 रुपये लेकर और यदि आवश्यक हुआ हो तो अतिरिक्त तत्काल शुल्क लेकर डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के संसद सदस्यों के अभ्यावेदनों पर तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर विचार करते हुए, इसे एक विशेष मामला मानते हुए यह निश्चय किया गया है कि जिनके पासपोर्ट खराब हो गये हैं वे लोग केवल 500 रुपये का भुगतान कर डुप्लीकेट पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा महाराष्ट्र के मुंबई और थाणे स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 30 सितम्बर, 2005 तक प्राप्त आवेदनों पर उपलब्ध होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया पंचाब को भी शामिल करें।

अपराह्न 3.28 बजे

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004—*जारी*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): उपाध्यक्ष महोदय, पेमैंट आफ वेजेस एक्ट में अमैंडमैंट करने के लिए यह बिल लाया गया है, मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जैसे सामने वाली बैंच की ओर से मंत्री जी को बधाई दी गई है, मैं भी उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने 1,600 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये की लिमिट की है। हालांकि, स्टैंडिंग कमेटी की दरखास्त थी कि जैसे-जैसे प्राइस इंडैक्स बढ़ता जाए, उसी तरह लिमिट को भी रेज किया जाए, लेकिन इम्प्लायमैंट इंश्योरैंस एक्ट और दूसरे एक्ट के अंदर वर्कर्स की डैफिनेशन दी गई है। उस डैफिनेशन को ध्यान में रखते हुए यह सीलिंग नक्की की गई है, ऐसा मैं मानता हूं।

अपराह्न 3.29 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

मैं आपका ध्यान कई चीजों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे इस कानून के अंदर मजदूरों को समय से वेतन मिले और जो कटौतियां कानून के अंदर नहीं हैं, वैसी कटौतियां उसमें न हों, इसमें यह संरक्षण प्रदान करता हूं। यह कानून 1936 का है। मैं सदस्यों को थोड़ी हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूं कि यह कानून लाने की जरूरत इस वजह से खड़ी हुई थी। मुम्बई और अहमदाबाद के कपड़ा मिलों में जब रिसेशन का पीरियड आया तो उनके जो मालिक थे, वे उनको कैश पैमेंट देने के बजाय सिले-सिलाए कपड़े देने लगे। हम आपको इतना कपड़ा देते हैं, आप इसको बेचो और उसमें से आप अपनी तन्ख्वाह लो और यह मजदूरों के लिए यह बहुत मुश्किल काम था। क्योंकि लेबर के पास अपने खुद के रिसोर्सेस नहीं थे, इतनी जानकारी नहीं थी जिसकी वजह से वह कपड़ा बेच पाते और उसमें से अपनी मजदूरी का पैसा निकाल पाते।

इसका दूसरा कारण यह है कि उस जमाने में मजदूरी के लिए जब कोई ऐसी क्रेडिट फैसीलिटी नहीं थी, तो वे लोग बाहर से ब्याज पर पैसा लेते थे। जो लोग उनको ब्याज पर पैसा देते थे, वे उनसे बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे जिससे मजदूरों के हाथ में बहुत ही कम पैसा आता था। इस कारण मारा-मारी के किस्से होते थे या जबरदस्ती उनकी पगार या तन्ख्वाह ले ली जाती थी। उस वक्त ऐसी भी परिस्थिति पैदा हुई कि जब कभी पैसा देने वाले लोगों को मजदूर नहीं मिलते थे तो वे मिल के मुकादम या जो लोग मिल में तन्ख्वाह वगैरह देते थे, उनके साथ सांठ-गांठ करके पैसा उनकी तन्ख्वाह में से कटवा लेते थे। इस वजह से यह कानून लाने की जरूरत पड़ी। यह कानून बहुत स्टिपूलेट करता है कि यदि एक हजार रुपये से कम है तो उसको हफ्ते में तन्ख्वाह मिलनी चाहिए या उससे ज्यादा है तो महीने में उसको तन्ख्वाह मिलनी चाहिए और वह तन्ख्वाह कैश में मिलनी चाहिए। जो लोग कैश में पैमेंट नहीं करेंगे, उन पर कानून के तहत एक्शन ले सकते हैं, ऐसे सब प्रावधान इसके अंदर किये गये हैं।

मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने बहुत सालों तक यूनियन चलाई है और अभी भी चला रहा हूं। ...*(व्यवधान)* यूनियन चलाने के बाद मैंने देखा कि इसका इम्प्लीमैंटेशन स्टेट के हाथ में है। स्टेट के हाथ में होने की वजह से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, खासकर 1990 के बाद जब प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का प्रौसैस इस देश के अंदर शुरू हुआ, तो मजदूर और मजदूरों के वेल्फेयर के लिए जो कानून बने, वे उसका शिकार बने। अब लेकर मशीनरी है, लेबर डिपार्टमैंट है, उसमें कटौती नहीं हुई तो उसका बजट स्टेगनेट रहा या उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्लो हो या। जिस तरह का विगार होना चाहिए, वह भी उसमें कम हुआ, ऐसा इसमें साफ दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि लेबर मशीनरी के पास अगर पूरे राज्य के लिए 25 या 50 इंसपैक्टर्स हैं तो

[अनुवाद]

वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत एक निरीक्षक है। वह मजदूरी संदाय अधिनियम के तहत भी निरीक्षक है। वह बंधुआ मजदूर उत्सादन अधिनियम के तहत भी निरीक्षक है।

[हिन्दी]

चाइल्ड लेबर के एक्ट का भी वही इंसपैक्टर है। एज ए रिजल्ट, पैमेंट आफ वेजेज एक्ट के तहत जो केस फाइल करने चाहिए, वे भी बहुत कम फाइल हुए। इस कानून के तहत किसी को सजा हुई है या नहीं हुई, यह मुझे पता नहीं लेकिन कम से कम इंसपैक्शन इस कानून के तहत होते हैं।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि कानून तो सब फैक्टरीज और ऐस्टेबलिशमैंट पर लागू होता है लेकिन जहां पर खुद के एप्रोपियेट गवर्नमैंट के अमेंडमैंट हैं क्योंकि सैंटर और स्टेट गवर्नमैंट, दोनों को बताया गया है, उसके बजाए, एप्रोप्रियेट गवर्नमैंट शब्द यूज किया गया है। सरकार के डिपार्टमैंट्स में जो कैजुअल लेबर्स रहते हैं, डेली वेजेज पर रहते हैं, वहां बहुत बड़े पैमाने पर इसका वायलेशन देखा गया है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उदाहरण के लिए, इस देश के वन मजदूरों को लीजिए। महोदय, इस देश में 7.6 मिलियन वन मजदूर हैं। उनमें से अधिकतर

आदिवासी हैं और उन्हें अभी तक 'श्रमिक' की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है यहां तक कि आप वन विभाग को ही लें। वे पौधारोपण के लिए लाखों मजदूरों को काम कर लगाते हैं। वे नियमित रूप से पौधारोपण का कार्य करते रहते हैं। यह एक तरह से वाणिज्यिक कार्यकलाप है फिर भी मजदूरों को इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। उनके बीच कर्मचारी नियोक्ता जैसे संबंध नहीं होते।

दूसरे, मैं आपको एक मिसाल दूं, आप तेदूंपत्ता संग्रह करने वालों के बार में जानती हैं। यदि आप दूसरे छोटे वन उत्पाद संग्रहकर्त्ताओं की बात करें तो वे श्रम कानूनों के अंतर्गत नहीं आते। ये श्रम कानून वन विकास निगम जो अपने को एक संस्थान, एक प्रतिष्ठान कहता है इस पर लागू नहीं होते।

[हिन्दी]

ऐसे कानून उसमें लागू नहीं होते। मेरी होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि बीड़ी मजदूरों की संख्या, मैं नहीं मानता हूं कि इस देश में जितनी फारेस्ट लेबर है, उनकी जितनी उनकी संख्या होगी।

[अनुवाद]

यहां भवन निर्माण के कार्य में लगे मजदूर जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनकी संख्या इस देश में 4 करोड़ के आस-पास होगी और इस देश के 23 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं वे भी इन श्रम कानूनों के अंतर्गत नहीं आते। ऐसे मजदूरों की संख्या लाखों में है। कई लोग वन मजदूर के रूप में कार्य करते हैं पर वे इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। वन विभाग जब चाहे तभी उन्हें मजदूरी का भुगतान होता है।

[हिन्दी]

ऐसा नहीं है कि दस तारीख के अंदर उसकी तन्ख्वाह हो जाएगी या पन्द्रह तारीख को ही होगी। सबसे खराब बात यह है कि जब से सोशल फारेस्ट्री का प्रोग्राम पूरे देश के अंदर विश्व बैंक हो या ग्लोबल बैंक सुविधाओं की तरफ से लोन्स से हम पूरे देश के अंदर चला रहे हैं, वहां पर ऐसा बहाना दिया जाता है कि चूंकि हमारे पास ग्रान्ट नहीं है, इसकी वजह से हम आपको तन्ख्वाह समय से नहीं दे सकते और यह एक ब्लेटेंट वायलेशन है। मैं इसी विभाग की बात नहीं कर रहा हूं,

[अनुवाद]

सरकारी विभागों में भी उत्तरोत्तर यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि वे अपने यहां दैनिक आधार पर मजदूरों को रख रहे हैं।

[हिन्दी]

जिसकी तन्ख्वाह की तारीख कोई नहीं होती। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 29 तारीख या 30 तारीख हो जाती है लेकिन इनकी तनख्वाह की कोई तारीख नहीं होती, न उन्हें पेमेंट की कोई स्लिप दी जाती है और न डिडक्शन की स्लिप दी जाती है। किसी भी सरकारी एशटेबिलिशमेंट या सरकारी अफसर के ऊपर अगर कोई केस हमें दायर करना हो तो

[अनुवाद]

ऐसे कई राज्य हैं जिनके यहां के विधि विभाग से हमें इस बात की अनुमति लेनी पड़ती है कि हम इसके यहां के किसी विभाग के विरुद्ध मामला दायर करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

यह परिस्थिति पूरे देश के अंदर दिखाई देती है, ऐसा मुझे लगता है जबकि इसकी वजह से उनका शोषण रुकना चाहिए था, उनकी तन्ख्वाह उन्हें समय से मिलनी चाहिए थी, उनको दूसरे लाभ मिलने चाहिए थे, वे इसके अंदर उन्हें नहीं मिले हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और चीज की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारी केन्द्रीय सरकार की सब योजनाएं हैं, खासकर ऐसे मजदूरों के लिए जो वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं जिसमें स्वर्ण जयंती योजना, स्वरोजगार योजना भी है और जिसके अंदर दूसरी स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना का समावेश होता है, इंदिरा आवास योजना का भी समावेश होता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि सभी राज्य सरकारें उसमें बल्कि मैं कहूंगा कि कोई राज्य सरकार बाकी नहीं है। मैडम, ऐसा हुआ है कि

[अनुवाद]

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत, धारा 26(1) या (2) के अंतर्गत मेरी समझ से सरकार कुछ अनुसूचीबद्ध रोजगार के तहत कार्य कर रहे श्रमिकों को कुछ छूट दे सकती है।

[हिन्दी]

एक बार ऐसा एग्जेम्पशन मिलने के बाद उस शैडयूल्ड एम्पलायमेंट में काम करने वाले किसी भी मजदूर को मिनिमम वेजेज अगर आप नहीं देते हैं तो कानून के तहत दूसरी किसी भी कोर्ट के अंदर केस भी आप फाइल नहीं कर सकते क्योंकि कानून ससपेंडेड है, कानून उसको लागू नहीं होता। मिनिमम वेजेज और यह परिस्थिति उस पेमेंट आफ वेजेज एक्ट में आती है कि जब मिनिमम वेजेज का कानून उसको लागू नहीं होता, शैडयूल्ड

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

एम्पलायमेंट नहीं होती, इसकी वजह से उसकी तन्ख्वाह देना, उसके लिए कौन सी डिडक्शन करनी है, कितने पैसे देने हैं, वह भी उसमें तय नहीं होता है।

[अनुवाद]

परिणामस्वरूप देश में कई राज्य सरकारें इस तथ्य के बावजूद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन कर रही हैं कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गठन पर हस्ताक्षर किये हैं और हमने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन पर अपनी सहमति दी है। मैं समझता हूं कि यह अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है हमने वास्तव में एक कानून भी बनाया है लेकिन चूंकि यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत छूट देन का एक प्रावधान है उसी का फायदा उठाते हुए नियमित कार्य को सिर्फ कार्य दिखाकर छूट दे दी जाती है।

[हिन्दी]

जिसकी वजह से यह कानून यूज नहीं हो पा रहा है, बल्कि मैं कहूंगा कि सरकार की ओर से इसका भारी दुरूपयोग हो रहा है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस दिशा में कुछ करें।

महोदय, यहां पर आइडियोलाजी की बात कही गयी है, मैं उसकी भी बात करना चाहूंगा। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने गुड़गांव वाली घटना का जिक्र किया है। मैं बार-बार सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में हम लोगों को स्वयं, जो यूनियन चलाते हैं, जो मजदूर संगठनों को चलाते हैं, सोचना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1918-1919 में अहमदाबाद में एक बड़ी स्ट्राइक की थी, जो 21 दिन चली थी, उस समय उन्हें लगा था कि सबसे पहले हमारी मांग जायज होनी चाहिए। हम कोई ऐसी डिमाण्ड न करें जिसको पूरा न किया जा सके और जिसकी वजह से मजदूर और मालिक के बीच कांफ्लिक्ट बढ़ता ही जाए। हमारे और मालिक के बीच अगर ऐसा कोई बड़ा अन्तर है तो हमें तीसरी पार्टी के पास जाना चाहिए कि आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हम लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? प्राय: सभी जगहों पर यह देखने को मिलता है कि मजदूर संगठनों में एक आकांक्षा होती है कि हमने जो डिमाण्ड की है, वह हमें अभी मिलनी चाहिए, जल्दी मिलनी चाहिए, उसके लिए चाहे कोई भी साधन अपनाने की जरूरत पड़े, तो भी मिलनी चाहिए। इसी वजह से हमें इंट्रा-यूनियन राइवलरी देखने को मिलती है। मैं लेबर मिनिस्टर से यह भी कहूंगा कि एक लम्बे अर्से से हमारे देश में

[अनुवाद]

इस बारे में काफी विवाद चल रहा है कि मान्यता सदस्या के आधार पर दी जानी चाहिए अथवा इसे वोट या मत के आधार पर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

पूरे देश में यह बात चलती रही है कि यूनियनों की रिकग्निशन कैसे हो-बैलट से करना है या मेम्बरशिप से करना है। इसका एक डिवीजन पूरे देश में चलता रहा है और इसकी वजह से एक ही इण्डस्ट्री में एक यूनियन की बात नहीं आई है, शायद वह डेमोक्रेटिक नार्म्स उसमें फुलफलि नहीं होते हों या फिर जो दूसरी यूनियन है

[अनुवाद]

उसे भी यह अधिकार हों, लेकिन उद्योग में एक मान्यताप्राप्त यूनियन के रूप में मान्यता हासिल करने के बारे में मेरा स्पष्ट विचार है कि इसे सदस्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

क्योंकि वोट के बाद में एक यूनियन, दो यूनियन, तीन यूनियन बढ़ती ही चली जाती हैं। यह परिस्थिति पर एक इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। हमें अपने वर्ग में भी इस पर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि

[अनुवाद]

हम किस तरह के मजदूर संघ चाहते हैं और हमारे दायित्व क्या हैं। मैं आपको इसका एक सटीक उदाहरण देता हूं। एक समय अहमदाबाद को भारत का मेनचेस्टर कहा जाता था। उस समय वहां 80 कपड़ा मिलें थी। इनमें लगभग दो लाख से अधिक मजदूर काम करते थे।

[हिन्दी]

आज वह सभी मिलें बन्द हो गयी हैं, वहां यूनियनों के जो लोग होते हैं, वे उनमें आग लगा देते हैं, आज उनमें सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, कोई जान नहीं है, कोई इण्डस्ट्री नहीं है। जब इण्डस्ट्री होगी तभी यूनियनें चलेंगी, इण्डस्ट्री होगी तभी हम मजदूरों की बात करेंगे और इन दोनों में हमें बैलेंस रखना चाहिए। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने अपनी जिम्मेदारी खुद तय करनी पड़ेगी। मैं स्पष्ट मानता हूं कि जो हुआ उसके बारे में मेरा मानना है कि संघ के रूप में हमारी तरफ से भी कुछ कमियां

थीं। मेरा तो इस बारे में यही मानना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है लेबर मिनिस्टर साहब से कि इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, उसके लिए

[अनुवाद]

राज्य सरकार पर यह दबाव बनाया जाये कि वह मजदूरी के भुगतान और मजदूरी से संबंधित प्रावधानों को कड़ाई से लागू करे और श्रम विभाग को भी इससे संबंधित दूसरे कानूनों को जोर-शोर से लागू करना चाहिए। वित्त मंत्री जी से भी मेरा यही अनुरोध है। यद्यपि, इस समय हम निजीकरण और वैश्वीकरण के दौर से गुजर रहे हैं, फिर भी मेरा मत है कि इसका मतलब यह नहीं कि मजदूरों के उनका उचित हिस्सा नहीं मिले। मेरा मानना है कि यह एक ऐसा समय जब हमें श्रम विभाग को और मजबूत करना चाहिए। हमें उसे अधिक से अधिक धनराशि देनी चाहिए। यही सर्वोत्तम उपाय है। जो लोग इस कानून को लागू करने में यकीन नहीं रखते, केवल यह कहते हैं कि हम कानून तो बनायेंगे लेकिन मजदूरों को पैसा नहीं देंगे। इस तरह से तो पूरा कानून ही बेमानी हो जाता है। यदि कानून को लागू नहीं किया जाता तो ऐसे सैकड़ों कानून होंगे जिन्हें इस संसद ने पारित किया है, पर ऐसे कानूनों का क्या फायदा। वे संसद द्वारा पारित किये गये ऐसे कानून हैं जो बस दिखावे के लिए हैं। हमने श्रम से संबंधित कानून तो बना रखे हैं पर इन कानूनों का पूरी तरह कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है और इसका मुख्य कारण यह है कि श्रम विभाग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। विभिन्न राज्य सरकारों से इन्हें जो धन प्राप्त होना चाहिए वह नहीं मिल रहा है।

[हिन्दी]

जो फैक्टरीज में काम करने वाले मजदूर हैं, चाहे वे आर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले हों या अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले हों, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान सहन करना पड़ता है।

मैं पुन: मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने 6500 रुपए की लिमिट कर दी है। जिस तरह से इंडैक्स बढ़ता है, उसी तरह से यह लिमिट भी बढ़ाई जाए।

[अनुवाद]

वे उद्योग जो इस कानून की परिधि में नहीं आते उन्हें इनके अंतर्गत लाया जाना चाहिए और मैं कामना करता हूं कि इससे उन मजदूरों के साथ न्याय हो पायेगा जो काफी समय पहले उन्हें मिल जाना चाहिए था।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): सभापति महोदया, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर यहां चर्चा की जा रही है और दो माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार रखे हैं।

महोदया मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक काफी लम्बे समय से अतिदेय है। आइए मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के इतिहास पर दृष्टिपात करें जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री मधुसूदन मिस्त्री ने बताया है और देखें कि यह अधिनियम चर्चा में किस प्रकार आया। श्रमिक वर्ग के ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध अचल निरन्तर और संयुक्त संघर्ष ने प्रबंधन को मजबूर किया और उसी ने सरकार को यह विधान लाने के लिए मजबूर किया। उससे पूर्व ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हुआ करता था इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन्हें अपनी ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार था। 1920 में दिवंगत लाला लाजपत राय के नेतृत्व के अधीन आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया था ये देश की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों के लिए कार्य करती थी। हमें अपने देश के श्रमिक वर्ग के आन्दोलन की शानदार परम्पराओं और इस अधिनियम के बनने पर गर्व है मैं एक बार पुन: दोहराता हूं कि यह विधेयक इस देश के श्रमिक वर्ग के अचल, निरन्तर और संयुक्त संघर्ष का परिणाम है।

आज पूरे विश्व में श्रमिक वर्ग अत्यन्त विकट लड़ाई लड़ रहा है। उन्हें अत्यन्त गम्भीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के नाम पर कर्मकारों पर होने वाले प्रहारों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। एक सिद्धांत उभर कर आया है और इस सिद्धांत को पूंजीवादी राज्य ने नकारा है कि कर्मकार कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना सकती है दूसरा देश अथवा विश्व में कोई स्थायी कार्यबल नहीं होगा उन्हें 'नौकरी पर रखो और निकाल दो' का सिद्धांत होगा। तीसरा विभिन्न विधानों द्वारा और संघर्ष द्वारा कर्मकारों को दिए जाने वाले सभी सामाजिक सुविधाओं को वापस ले लिया जाए। इस पृष्ठभूमि में जब हम मजदूरी संदाय अधिनियम पर चर्चा करते हैं तो हमें वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए।

इस सत्र के दौरान गुड़गांव मामले पर सभा में व्यवधान हुआ था। मैंने उस स्थान का दौरा भी किया था मैंने स्वयं स्थिति का जायजा लेते हुए बहुराष्ट्रीय कम्पनी की ढिठाई और कर्मकारों के साथ किए गए व्यवहार को देखा। दुर्भाग्यवश उस राज्य में सरकार यूपीए के मुख्य पार्टी कांग्रेस की है और सरकार की भूमिका काफी निंदनीय है।

हमारे नेता श्री बसुदेव आचार्य ने माननीय प्रधानमंत्री को इसके बारे में लिखा है और मैं जानता हूं कि श्री गुरुदास दासगुप्त ने

[श्री सांताश्री चटर्जी]

भी माननीय प्रधानमंत्री को लिखा है। ट्रेड यूनियन बनाने के प्रश्न पर जब कर्मकार श्रम आयुक्त को मिले थे तो उन्हें कहा गया "नहीं नहीं इसकी अनुमति नहीं है।" "क्यों? क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम उद्योग लगाने में इच्छुक हैं ट्रेड यूनियन बनाने में नहीं।" यदि यह रवैया है तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आप इस देश के श्रमिक वर्ग के साथ उचित व्यवहार करेंगे?

महोदया, मैं जानता हूं कि इस अधिनियम की अपनी सीमाएं हैं। यह देश की पूरे कार्यबल को कवर नहीं करता है। जहां तक मुझे स्मरण है—माननीय श्रम मंत्री हमें बता सकते है—इस देश में 37 करोड़ श्रमिकों में से केवल 2 करोड़ के आस-पास श्रमिक संगठित क्षेत्र में हैं और यह अधिनियम केवल इसी क्षेत्र पर विचार करता है। इस सभा में हम असंगठित श्रमिकों के लिए पृथक विधान के मुद्दे पर भी विचार किया है। वह पृथक मुद्दा है। मैं आशा करता हूं कि श्रम मंत्री इस पर विचार करेंगे और उनके लिए एक व्यापक विधान लाएंगे।

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक तीन मुख्य बातों पर विचार करने के लिए लाया गया है पहला अधिकतम सीमा 6,500 रुपये क्यों निर्धारित की गई है? मेरे पास 21 नवम्बर, 2002 को इस सदन में प्रस्तुत की गई श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन की प्रति है। समिति ने श्रम मंत्रालय ने अधिकारियों से पूछा कि उनके 6500 रुपये की राशि पर पहुंचने का आधार क्या है। कुछ सुझाव दिए गए कि इसे बढ़ाकर 10,000 किया जाए लेकिन मंत्रियों के समूह इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि चूंकि उन्हें ईएमआईपीएफ की सुविधा दी गई है इसीलिए यह राशि निर्धारित की गई। संशोधन में कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात् भारत सरकार इसे संशोधित करने पर विचार करेगी। मेरा श्रम मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि 5 वर्ष की सीमा काफी अधिक है। क्या हम बढ़ते मूल्यों और घटते हुए वास्तविक वेतन को ध्यान में रखकर इस समय सीमा को कम करने पर विचार नहीं कर सकते हैं? इस बात को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए।

दूसरा दंडनीय उपबंध के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को उद्धृत करना चाहता हूं। यह कहता है:

> "समिति नोट करती है कि समय बीतने के साथ अधिनियम के दंडनीय उपबंध लगभग महत्वहीन हो गए हैं क्योंकि पिछली बार वर्ष 1982 में इनमें संशोधन किया गया था। समिति यह भी नोट करती है कि सरकार ने अब दंडनीय उपबंधों में 5 गुनी वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है ताकि इन्हें और अधिक यथार्थपरक और व्यावहारिक बनाया जा सके जो कि इस अवधि के दौरान मूल्य भिन्नता के अनुरूप हो जाए। समिति चाहती है कि विधि का उल्लंघन करने पर दंड और जुर्माने को कठोर बनाया जाए। ताकि इसे और अधिक सख्त प्रभाव से लागू किया जा सके।"

मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के नाम पर श्रमिक वर्ग पर अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं उन लोगों को स्मरण कराना चाहता हूं जो प्रो. अमर्त्य सेन के वैश्वीकरण की विचारधारा कि वैश्वीकरण नया नहीं है और न ही पश्चिमीकरण नया है की प्रशंसा करते हैं। विवादास्पद प्रश्न समानता का है। यह प्रश्न अमीर राष्ट्रों और गरीब राष्ट्रों के बीच बढ़ते हुए अन्तर के बारे में है। यहां श्रमिक लोगों को असामान्य व्यवहार दिया गया है। यदि प्रबन्धन जानबूझकर देश के कानून का उल्लंघन करता है तो इस अधिनियम में दण्डनीय उपबंध के बारे में क्या कहा गया है? किसी कर्मकार अथवा उसकी ट्रेड यूनियन के लिए लम्बे समय तक उसका केस लड़ना कठिन कार्य होगा। इसके लिए कुछ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं लगभग पिछले चार दशकों से ट्रेड यूनियन गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूं। मेरे निजी अनुभव में मैं कह सकता हूं कि ये प्रबन्धन कितने बेइमान होते हैं और ये अपने श्रमिकों को किस प्रकार धोखा देते हैं।

ठेका श्रम निवारण और विनियमन अधिनियम, 1970 लगभग पूर्णत: महत्वहीन हो गया है। ठेकेदार श्रमिकों को ठगते हैं और उन्हें उनकी वाजिब मजदूरी से वंचित रखते हैं। यह अच्छी बात है कि विधेयक में यह प्रावधान किया गया है और प्रधान नियोक्ता को ठेका वाले मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने के बारे में जिम्मेदार ठहराया गया है यह ठीक है लेकिन मेरे दिमाग में यह प्रश्न उठता है और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि केवल अधिनियम पारित कर देने से, कानून बना देने से ही हम इस देश में श्रमिकों के साथ समुचित न्याय नहीं कर पाएंगे जिन पर हर प्रकार से प्रहार किया जाता है।

भारत में तो विद्यमान श्रम कानूनों का उल्लंघन करना आम बात बनती जा रही है और सरकारी तंत्र इतना कमजोर है चाहे वे केन्द्र में हो अथवा राज्य में हो। वह कठोर नियोक्ताओं को पकड़ने में असमर्थ है। हमारे राज्य में भी स्थिति इसी प्रकार की है। हमारे राज्य में पटसन व्यापारियों ने श्रमिकों को हर प्रकार से अनेक उपदान, उनके प्रोविडेन्ट फण्ड से वंचित किया है और उन्हें अनियमित भुगतान किया जा रहा है। कई राज्यों में संगठित क्षेत्र में अधिकतर नियोक्ताओं में सामान्य अनुभव रहा है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करना आम बात है। अत: जब हम यह विधेयक पारित करें तो यूपीए सरकार को देश के श्रमिकों को आश्वस्त करना होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं हम यहां तुम्हारे हितों की रक्षा करने के लिए हैं।

यूपीए सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में देश के श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने के प्रति वचनबद्धता दर्शायी है। अत: मैं महसूस करता हूं कि यह विधेयक इसे निसन्देह आश्वास्त करेगा कि यह कर्मकारों के हितों की रक्षा करेगा और इसका कार्यान्वयन सही मायनों में करेगा।

अन्तत: हमारे देश में ट्रेड यूनियन गतिविधियों के बारे में कई प्रश्न उठाए गए हैं। चूंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूं मैं महसूस करता हूं कि मुझे अपने विचार अपने अन्य दोस्तों के साथ बांटने चाहिए जो ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के संबंध में मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं। मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में अधिनियम है कि कई ट्रेड यूनियनों के होने के संबंध में श्रमिकों को अपनी इच्छानुसार स्वयं यूनियन चुनने का अधिकार होता है। वहां संयुक्त सौदागर एजेन्ट, एकल सौदागर एजेन्ट के लिए कुछ उपबंध है और हमारे राज्य में अनुभव कहता है कि उस अधिनियम ने श्रमिकों में बंटवारा नहीं किया है दूसरी ओर, श्रमिक अपने अधिकारों को मांगने में समर्थ है। हम मांग करते हैं कि देश भर में एक अधिनियम होना चाहिए जहां श्रमिकों के गुप्त मतदान से ट्रेड यूनियन को अनिवार्य मान्यता दी जाए।

श्रमिक वर्ग की अन्य समस्याओं के संबंध में नियोक्ताओं की जोर-जबरदस्ती का सामना करने के लिए श्रमिक संघ मौजूद हैं। मैं व्यापारिक संघ के केन्द्र देश में सबसे ज्यादा संगठित श्रमिक संघ का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमने पूरे देश के श्रमिकों का आह्वान कर रखा है, एक हों, एक जिम्मेदार श्रमिक संघ आंदोलन करो, जिम्मेदार श्रमिक संघ आंदोलन का आयोजन करो हम उत्पादन और उत्पादकता के खिलाफ नहीं हैं लेकिन श्रमिकों की कीमत पर नहीं हम आम लोगों की भलाई के लिए लड़ रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

दिनांक 29 सितम्बर को हम सभी केन्द्रीय व्यापार संघ देश में सरकार को एक चेतावनी देने जा रहे हैं जिसका हम समर्थन करते हैं। श्रमिक वर्ग और समाज के अन्य वर्गों के अधिकारों को बरकरार रखने के लिए हमने तथा श्रमिक वर्ग, किसानों, महिलाओं, छात्रों और समाज के हर वर्ग के युवाओं के हित के लिए हमने 29 सितम्बर को एक संपूर्ण हड़ताल का आह्वान किया है। इसलिए श्रमिक संघ के आंदोलन के लिए इसका एक अन्तिम लक्ष्य है और हम इसके लिए लड़ रहे हैं। अंत में मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक आज ही पारित हो। मैं समझता हूं कि, संभवत:, यदि डेढ़ घंटा का समय इस विधेयक के लिए दिया जाए तो इसे पारित किया जा सकता है। अब हमें विधेयक के लिए डेढ़ घंटा और समय बढ़ाने दीजिए।

सभापति महोदया: यदि सभा सहमत हो तो हम समय बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

सभापति महोदया: ठीक है, विधेयक के लिए समय डेढ़ घंटा बढ़ा दिया गया है।

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): सभापति महोदय, जैसा कि सभा अवगत है। मैंने 8 दिसम्बर, 2004 को भी यह विषय लोक सभा में उठाया था और बाद में श्रम मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि बोनस और न्यूनतम मजदूरी की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाएगा और सभा में इसके लिए विधान लाया जाएगा। अधिकतम सीमा को 1600 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये करने के लिए इस विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं। श्रम मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस सीमा को भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ाएं। वास्तव में सभी श्रमिकों को मजदूरी संबंधी किसी भी अधिकतम सीमा पर विचार किए बिना बोनस दिया जाना चाहिए क्योंकि बोनस एक प्रकार की विलम्बित मजदूरी है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है।

मैं माननीय मंत्री से बोनस की राशि को 3500 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने हेतु पात्रता की गणना करने हेतु बोनस की गणना 2500 रु. से 3500 रुपये प्रति करने के लिए अधिकतम सीमा को बढ़ाने का अनुरोध करूंगा जैसा कि द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है। यह एकदम जरूरी है क्योंकि बोनस अधिनियम वर्ष 1965 में अधिनियमित किया गया था और उसके बाद जीवन निर्वाह सूचकांक पर आधारित बहुत से परिवर्तन हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त 1600 रुपये से अधिक पाने वाला श्रमिक मजदूरी संदाय अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत एक प्रबंधन से जुड़ा कर्मचारी माना जाता है और उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सभी प्रकार मजदूर संघ के अधिकारों और संरक्षण से वंचित कर कर दिया जाता है और वह मजदूर संघ का सदस्य नहीं बन सकता है। वर्तमान मजदूरी ढांचे पर आधारित और मजदूरी में वृद्धि के आधार पर इन प्रावधानों में भी संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें लाभ पाने के लिए हकदार बनाया जा सके।

मैं माननीय श्रम मंत्री से अपने मन में श्रमिकों के हितों को सबसे ऊपर रखने का आग्रह करता हूं तथा श्रमिकों की हितों की

[श्री सी. कुप्पुसामी]

रक्षा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की अपील करता हूं विशेषकर इस भूमंडलीकरण तथा निजीकरण के युग में। हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम, ठेकेदारी श्रम अधिनियम जैसे श्रमिक कानूनों को कमजोर बनाने के विरुद्ध हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी भारतीय श्रम कानूनों के प्रावधानों के दायरे में सख्ती से लाया जाना चाहिए और इस सीमा तक माननीय मंत्री को उपयुक्त कदम उठाना चाहिए ताकि कोई भेदभाव न हो। जब वे भारत की जमीन पर कारोबार कर रहे हैं तो उन्हें भारतीय कानूनों का भी पालन करना चाहिए।

वर्ष 1970 में जब बोनस घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव आया तब हमारे नेता जो उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, डा. कलाइगनर एम. करूणानिधि ने अपने राज्य के श्रम मंत्री को केन्द्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली भेजा था ताकि बोनस के प्रतिशत को कम न किया जाए और बोनस की राशि 1980 से 8.33 प्रतिशत पर निर्धारित की गई थी।

बोनस का भुगतान अधिनियम के अधिनियमन के बाद मजदूरी ढांचा जीवनयापन सूचकांक बदल चुका है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से बोनस की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का अनुरोध करूंगा। इसके लिए हकदारी तथा पात्रता के मानक इस प्रकार तय किये जाने चाहिए ताकि सभी श्रमिक बोनस पाने के पात्र हो जाएं।

मैं अपनी पार्टी, डी.एम.के. की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में संशोधन के लिए आए हुए माननीय श्रम मंत्री जी, श्री चन्द्रशेखर राव जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यूपीए सरकार जब इस देश में इस संकल्प के साथ आई थी कि हम मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करेंगे। वर्ष 1936 में सबसे पहले इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था और अंतिम वर्ष 1982 में किया गया था, उस वक्त यह देखा गया था कि इतने वर्षों में अधिनियम के अनेक उपबंध निरर्थक हो गए थे। तमाम ऐसे मामले, जो कोर्ट में थे, तीन वर्षों में मिनिमम वेजिस के 17409 मुकदमे दायर हुए थे जिनमें से 9739 पर निर्णय दिया गया था। वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2002 तक न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 20 के तहत 9214 क्लेम के मामले दायर किए गए थे जिनमें से 7650 मामलों पर फैसला हुआ था। इनमें से तीन वर्षों में जो मामले निर्णीत हुए थे, 592.86 लाख रुपए मुआवजा दिया गया था और 37.34 लाख रुपए जुर्माना किया गया था। पूरे देश में न्यूनतम वेतनमान पर चिंता जताई गई है। अगर अन्य देशों और प्रदेशों में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम वेतन 39.87 रुपए से बढ़ाकर 42.11 रुपए किया गया था। महाराष्ट्र में 45 रुपए से बढ़ाकर 116.55 रुपए किया गया था। देश में आज भी असंगठित श्रमिकों की संख्या 92 प्रतिशत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतनमान निर्धारित हो। अभी राज्य सभा में वेतन भुगतान अधिनियम, 2002 पर आपने मुहर लगाई है, उसमें 1600 से बढ़ाकर 6500 रुपए किया है, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। इसमें यह व्यवस्था भी है कि जो मालिक वेतन का भुगतान नहीं करेंगे उन्हें दंडित करने का प्रावधान रखा गया है और ठेका प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को पहली तारीख को या महीने के प्रथम सप्ताह में निश्चित तौर पर वेतन मिलता है उसी प्रकार से, जो तमाम मजदूर हैं, उन्हें भी पहली तारीख को या महीने के पहले सप्ताह को वेतन देने की व्यवस्था करा दें। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, बाल तथा बंधुआ मजदूरों को मुफ्त पुनर्वास व्यवस्था के लिए आपने मंडलीय स्तर पर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की बात कही है लेकिन आज भी आप देखें कि राजधानी में 90 प्रतिशत श्रमिकों को इस समय न्यूनतम मजदूरी कहीं से दो तिहाई और कहीं आधी मजदूरी मिलती है। अगर आप इसकी जांच करा लें तो प्रत्यक्ष रूप से सही आंकड़ा मिल जाएंगा। हमारे देश में सबसे बुरी हालत महिलाओं और बाल श्रमिकों की हैं। आज भी 80 प्रतिशत कामगार महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। उनके स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान दें। सबसे दयनीय स्थिति कूड़ा-करकट बीनने वाले बाल श्रमिकों की है। आजकल वे बच्चे नशीले पदार्थों के सेवन के आदी हो गए हैं। हम लोग जब ट्रेन से जाते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में कूड़ा-करकट बीनने वाले बच्चे बीड़ी या स्मैक पीते दिखाई देते हैं। आपने जो टास्क फोर्स गठित की है, उसको इनके स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बच्चे जिनको आज स्कूल और कालेज में होना चाहिए था, वे कूड़ा-करकट बीनकर नशीले पदार्थों के सेवन के आदी हो रहे हैं। इससे हमारे देश का भविष्य खराब होगा और देश के विकास पर बुरा असर पड़ेगा।

महोदया, दिल्ली की सरकार ने अभी अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग-अलग वेज बोर्डस के गठन की बात कही है। यह बात सत्य है कि समस्याओं और हालात को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो यह वाजिब है। आज वेतन को उत्पादन और उत्पादकता से जोड़ा जाना चाहिए। सम्मानित मंत्री शीश राम ओला जी

सामने बैठे हैं। इन्होंने जब श्रम मंत्रालय का काम संभाला था, उस समय कहा था कि न्यूनतम वेतन के अंतर को दूर करने के लिए क्षेत्रीय न्यूनतम वेतन सलाहकार समितियां गठित की जाएंगी। उसके अंतर के बारे में बताया गया कि सामाजिक, आर्थिक स्थिति, कृषि और मौसम के चलते, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, उत्पादकता और स्थानीय स्थितियों के कारण वेतन में अंतर आता है।

मैंने कुछ सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के सामने रखे हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इन पर विशेष ध्यान दे। अंत में इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदया, मजदूरी संदाय संशोधन विधेयक जो राज्य सभा से पारित होने के बाद इस सदन में रखा गया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने जो सुझाव इस विधेयक के संबंध में दिये थे, सरकार ने उनको इस विधेयक में शामिल नहीं किया है। ब्रिटिश शासन के समय में जो मजदूर संगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे, जिन लोगों का स्वाधीनता संग्राम में बहुत योगदान था, सबसे पहले वे लोग मिलकर इस विधेयक को लाए थे। आज 22 सालों के बाद इस विधेयक में कोई संशोधन आ रहा है। इससे पहले 1982 में इस विधेयक में अंतिम संशोधन हुआ था। मेरा कहना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स को देखकर ही विधेयक में संशोधन करने की आवश्यकता है। यदि हम देखें तो 1982 में कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स 100 पाइंट था और सन् 2000 तक वह 441 पाइंट हो गया था। जब से आप यह बिल लाए, तब से यह और भी बढ़ गया है। इसमें कम से कम 10000 रुपये की बढ़ोत्तरी की जरूरत थी, लेकिन आपने 6500 रुपये की ही बढ़ोत्तरी की है। स्टैंडिंग कमेटी की जो सिफारिशें थीं और हमारे देश में जो सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन्स हैं, उनकी मांग थी कि इस विधेयक में संशोधन की जरूरत नहीं है बल्कि जैसे-जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स बढ़ता है, उसी अनुपात में मिनिमम वेजेज के बढ़ने की व्यवस्था भी रहनी चाहिए। आप अभी आए हैं। गजट नोटीफिकेशन आप करेंगे तो संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पांच साल की सीलिंग आपने रखी है। जब से बिल प्रस्तुत हुआ है तब से पांच साल अब हो गए हैं। वर्ष 2002 में यह बिल राज्य सभा में प्रस्तुत हुआ था। वर्ष 2004 में राज्य सभा से पारित हुआ और अब लोक सभा से हम पारित करेंगे। यहां भी पांच साल हो गए हैं और फिर आप भी पांच साल लेंगे। इस तरह की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। आप जब चाहेंगे, गजट नोटीफिकेशन के माध्यम से पांच साल की सीलिंग को खत्म कर सकते हैं। पांच साल की सीलिंग नहीं रहनी चाहिए। इसे आप वापिस ले लीजिए। कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स जब बढ़ेगा, उसके आधार पर आप गजट नोटीफिकेशन निकाल सकते हैं, तो फिर संशोधन विधेयक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं। केबिनेट ने भी आपको स्वीकृति दे दी है। आप गजट नोटीफिकेशन के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं और पांच साल की जो सीलिंग रखी है और जो नई बढ़ोत्तरी हुई है, उसे हटा लेना चाहिए। सरकार और केबिनेट ने जो सिफारिश की है उसके मुताबिक आप संशोधन नहीं लाए हैं। पांच साल की सीलिंग आप हटा लेंगे तो ठीक होगा। मेरा निवेदन है कि आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

आपने एक और जो संशोधन लेबर कंट्रेक्टर की जिम्मेदारी फिक्स करने के बारे में किया है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। कंट्रेक्ट वर्क रेग्यूलेशन एबोलिशन एक्ट 1997 के मुताबिक प्रिंसीपल एम्प्लायर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, अब वह कंट्रेक्टर लेबर को पेमेंट नहीं करे। उस परिस्थिति में प्रिंसीपल एम्प्लायर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लेबर को पैसा मिले। अभी जो पेमेंट एक्ट संशोधन किया है, उसमें प्रिंसीपल एम्प्लायर को पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है।

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि अब मूल नियोजक को ही जवाबदेह बनाया गया है। यह प्रावधान अधिनियम में रखा गया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रिंसीपल एम्प्लायर को भी छोड़ा नहीं गया है। उनको इस एक्ट के तहत लेबर को पैसा देने के लिए जिम्मेदार माना गया है। अगर कंट्रेक्टर कहीं चला जाता है तो प्रिंसीपल एम्प्लायर की पूरी जिम्मेदारी होती है। यह एक्ट में है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यह संशोधन में तो ठीक है, प्रिंसीपल एम्प्लायर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह बात विधेयक में आप लाए हैं तो यह बिल्कुल सही है।

दूसरी बात यह है कि सैक्शन 3, 7, 8, 15 के जो संशोधन हैं, वह ठीक किया है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार की क्या मंशा है? जो मजदूर काम करते हैं, इतने सालों के बाद भी वह अपने आपको पूरी तरह से कम्फर्ट महसूस नहीं कर पाते हैं। देश में बहुत से कानून है लेकिन उनका सही ढंग से फोर्समेंट नहीं होता है। पेमेंट और वेजिज एक्ट में पूरी बातें क्लियर नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियेंस है। केन्द्रीय पब्लिक अंडरटेकिंग्स में

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

गलत हो रहा है। दो-तीन-चार साल तक केन्द्रीय पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भी पेमेंट नहीं दी गई है। राज्य सरकारों की भी यही हालत है। प्राइवेट सैक्टर की भी यही हालत है। देश में कानून में व्यवस्था है, लेकिन पेमेंट सैंट्रल गवर्नमेंट भी समय से नहीं करती है। देश में केन्द्र सरकार को माडल एम्प्लायर होना चाहिए, वह नहीं है।

महोदया, बहुत से पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऐसी हैं जिनमें मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो वेतन मिलना चाहिए वह दो-तीन सालों से नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आपको भारत सरकार के जो उपक्रम हैं, जो माडल एम्प्लायर हैं, जो मजदूरों को आवश्यक वेतन देना चाहिए, वह नहीं दे रहे हैं, इसे भी आपको देखना चाहिए और मजदूरों को आवश्यक वेतन दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से मजदूरों के खिलाफ कोई काम सरकारी लोक उपक्रमों में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट के लोक उपक्रम हैं। उनमें भी मजदूरों के वेतन के संबंध में नियमों का पालन नहीं होता है। मैं मानता हूं कि कुछ शिकायतें हो सकती हैं, कुछ कठिनाइयां लोक उपक्रमों की भी हो सकती हैं, लेकिन जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनको यदि साल-साल भर वेतन नहीं मिलेगा, तो कैसे काम करेंगे। इसलिए मंत्री जी को इन सब व्यवस्थाओं को देखना चाहिए और उसके अनुसार संशोधन करना चाहिए ताकि मजदूरों को समय पर वेतन मिल सके।

महोदया, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो पैनल्टी फिक्स की है, वह सफीशिएंट नहीं है। कभी-कभी रीजनेबल ग्राउंड पर अगर मजदूर को वेतन नहीं मिले, तो बात समझ में आती है, लेकिन एक, दो या तीन साल तक मजदूरों को वेतन नहीं दिया जाना ठीक नहीं है। मंत्री लोग समय पर वेतन ले लेते हैं, सांसद समय पर वेतन ले लेते हैं, विधायक समय पर वेतन ले लेते हैं, सरकारी कर्मचारी और बड़े सरकारी अधिकारी समय पर वेतन ले लेते हैं, लेकिन मजदूर को समय पर वेतन नहीं दिया जाए, यह उनके साथ सरासर अन्याय है। मजदूरों को समय पर वेतन देने की कोई व्यवस्था विधेयक में नहीं है। यह ठीक है कि पैनल्टी का प्रावधान है, लेकिन पैनल्टी का प्रावधान भी सफीशिएंट नहीं है। इसलिए मजदूरों को समय पर वेतन देने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदया, मजदूरों के लिए कानून में जो व्यवस्था है, उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं, कि कानूनों का लाभ मजदूरों को नहीं मिलता है। उनके लिए जो व्यवस्था है, उसका पालन नहीं किया जाता है। अब तो प्राइवेटाइजेशन का जमाना आ गया है। प्राइवेट सैक्टर में फैक्ट्रियां बहुत लग रही हैं। निजी क्षेत्र मुनाफा कहां से कमा रहा है? यह मजदूरी से ही अधिकतर मुनाफा कमा रहा है। प्राइवेट कंपनियों द्वारा वेजेज नहीं बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि वे अपना प्राफिट देखेंगी। हम उदारीकरण के पक्ष में नहीं हैं। यदि हम लेबर को ज्यादा वेतन देंगे, तो हम कैसे मुनाफा कमाएंगे और कैसे ग्लोबली कंपीट करेंगे। ये सब बातें अब हो रही हैं। इन सब बातों को आपको देखना चाहिए। यदि हम लेबर लाज का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे।

महोदया, हम आर्गेनाइज्ड सैक्टर के लिए सोच रहे हैं। वह 10 प्रतिशत है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में 90 प्रतिशत मजदूर हैं। आपको 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के प्रति भी चिन्तित होना चाहिए। आपको मालूम है कि हमारे देश में अंसगठित क्षेत्र में अनेक प्रकार के मजदूर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मजदूर एग्रीकल्चर लेबर के रूप में और कांट्रैक्ट लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी सेफ्टी के लिए आप अभी तक कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। आपने राज्य सभा में कहा था कि आप मजदूरों के बारे में कंसोलिडेटेड ला बनाना चाहते हैं और उसे लाना चाहते हैं, वह आप अभी तक नहीं लाए हैं। असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप अभी तक सफीशिएंट ला नहीं बना पाए हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कंसालिडेटेड ला लाने की जो बात आपने कही, उसे आप कब तक लाएंगे? मैं चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए आप एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाएं जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

महोदया, हमारे संविधान के प्रीऐंबल में समाजवाद का संशोधन वर्तमान सरकार ने ही किया और कहा था कि समाज में सबका सम्मान होगा और सबको काम मिलेगा। किंतु अभी क्या परिस्थिति है, क्या अब आप उदारीकरण के नाम पर हायर एंड फायर करेंगे? लोगों को लगाएंगे और फिर उन्हें निकाल कर बाहर करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवीय मूल्यों को देखना चाहिए। देश में समाजवाद लाने का वायदा आपकी ही पार्टी ने किया और उसके अनुसार संशोधन भी किया गया कि देश में सबको सम्मान मिलेगा और आदमी की जो जरूरत है, उसे सरकार देखेगी और उसकी व्यवस्था करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम ग्लोबलाइजेशन की ओर मुड़ गए हैं। समाजवाद और उसकी सारी व्यवस्था हम भूल गए हैं। आप इस तरफ नहीं सोच रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्री महतो, आपको सभा में समाचार पत्र नहीं पढ़ना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: ग्लोबलाईजेशन के जमाने में श्रमिकों के ऊपर अत्याचार होंगे। हायर एंड फायर की पालिसी अपनाई

जाएगी। आप उसे कैसे बन्द करेंगे? अब प्राइवेट सैक्टर को एन्करेज करने की जरूरत है, सरकारी उद्योगों में सब काम नहीं हो पाएंगे, प्राइवेट सैक्टर आना चाहिए, लेकिन अभी जो आप सोच रहे हैं, आप प्राइवेट सैक्टर को उत्साहित करने के लिए लेबर ला में संशोधन लाएंगे, ग्लोबलाइजेशन को उत्साहित करने के लिए, फारेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट को उत्साहित करने के लिए आप विधेयक लाने के लिए सोच रहे हैं, आपका मंत्रालय भी सोच रहा है, लेकिन वह ठीक नहीं रहेगा। देश के जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जिन्होंने अभी तक उद्योगों को बढ़ाया है, उनको प्रोटैक्शन देने का काम सरकार का है, इसलिए ऐसा विधेयक नहीं लाना चाहिए, जो श्रमिकों का भविष्य खराब करेगा। आज सबसे ज्यादा जरूरत देश में ऐसा वातावरण बनाने की है, जिससे देश में चुस्ती आये, अगर श्रमिक शक्ति स्वस्थ नहीं रहेगी तो देश में सुस्ती आएगी, जिससे हम नहीं बच पाएंगे।

इसीलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि देश में ऐसा कुछ विधेयक सरकार को लाना चाहिए, जिससे श्रम शक्ति जो आज अनकम्फर्टेबल फील कर रही है, उनका कोई भविष्य नहीं है, उनके वैलफेयर का कोई साधन नहीं है, वे ऐसा सोच रहे हैं। जो भी विधेयक हैं, उनका भी ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, मुझे आशा है कि इसे आप जरूर देखेंगे।

मैं पुन: इस बिल का समर्थन करके माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि जिसकी आवश्यकता है, ऐसा संशोधन बिल आप लाये हैं।

अपराह्न 4.26 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: एक अनुपूरक कार्य है। श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम को पत्र सभा पटल पर रखने हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): सभापति महोदया, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 32/2005-केउशु, जो 17 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की संबंधित राज्य सरकारों, पांडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित एजेंसियों द्वारा सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में रिहायशी आवासों (अस्थायी एवं स्थायी) के निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट (अध्याय 25) और स्टील की वस्तुओं (अध्याय 72 अथवा 73) को छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2637/05]

अपराह्न 4.28 बजे

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004—*जारी*

श्री के. सुब्बारायण (कोयम्बटूर): अध्यक्ष महोदया, मैं मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। जहां भी कर्मचारी-नियोक्ता का संबंध होता है वहां हरेक कर्मचारी मजदूरी संदाय अधिनियम के अंतर्गत शामिल होने चाहिएं। मजदूरी संदाय अधिनियम के अंतर्गत सीमा में विगत 20 वर्षों से कोई संशोधन नहीं हुआ है। इस तरह अधिनियम निष्फल हो गया था। जब भी आवश्यकता होती है सरकार अधिनियम को संशोधित करते हुए मजदूरी की सीमा बढ़ा देती है। अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की सीमा 7,500/- रुपए है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरी की सीमा विद्यमान मजदूरी स्तर से हमेशा अधिक हो और सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाए समय-समय पर बहुत से संशोधन किए हैं।

अपराह्न 4.29 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए]

आज भी इस संशोधन के अनुसार यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से 1,000/- रुपए कम है। औद्योगिक कामगारों में विद्यमान मजदूरी स्तर में 6,500/- रुपए की राशि की सीमा थी। उनमें से कुछ ने इस स्तर को भी पार कर लिया था। किंतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने से अल्पावधि में मजदूरी के स्तर में भी वृद्धि होगी और लगभग सभी कामगार 6,500/- रुपए की सीमा को पार कर जायेंगे और इस अधिनियम की परिधि से बाहर हो जायेंगे।

इसलिए, इस अधिनियम की धारा-2 के अंतर्गत कोई मजदूरी सीमा नहीं होनी चाहिए। इसे हरेक कर्मचारी को शामिल करना चाहिए भले ही वह कितनी भी मजदूरी प्राप्त करता हो। अन्यथा इस कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार मजदूरी-सीमा से अधिक निर्धारित किया जाना चाहिए।

[श्री के. सुब्बारायण]

महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मजदूरी का भुगतान न किया जाना इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय बनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत मजदूरी संदाय संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने बताया कि इस बिल के अंदर मजदूरों और श्रमिकों को समय पर निर्धारित वेतन प्राप्त हो सके तथा उसमें किसी प्रकार की कटौती न की जाए। इसको लाने के लिए यह बिल लाया गया है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि श्रमिकों के कल्याण की बात करने वाली यह सरकार इस संबंध में कितनी गम्भीर है, यह इसी से पता लगता है कि दिसम्बर 2004 में यह बिल राज्य सभा से पारित हो गया था और आज 2005 का आठवां महीना चल रहा है। इसे राज्य सभा से पारित होने के बाद यहां आने में आठ महीने का समय लग गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सरकार श्रमिकों के प्रति कितनी गम्भीर है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं पिछले दिनों गुड़गांव में होन्डा कम्पनी के श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया था, उसको फिर से पाने के लिए और वे अपनी न्यायोचित मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय उनको जिस ढंग से ले जाया गया, वर्तमान में वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उस सरकार के पुलिस अधिकारियों ने उन हड़ताली कर्मचारियों को इतनी निर्ममता से पीटा और सभी टीवी चैनलों ने जो दृश्य दिखाए, उन्हें देखकर हमारा सिर शर्म से झुक गया। क्या श्रमिकों को इतनी बेरहमी से पीटा जाएगा? श्रमिकों के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले मेरे वामपंथी मित्रों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सरकार को एक साल से समर्थन दे रहे हैं और इस बिल को राज्य सभा से यहां आने में आठ महीने लग गए। इससे पहले यह मूल बिल 1936 में बना था। 1982 में इसमें संशोधन किया गया। 1982 के बाद से आज तक बीस साल लग गए। उस समय किस का शासन था? आप अंदाजा लगा सकते हैं, माननीय श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय श्री नरसिंह राव जी और श्री इन्द्र कुमार गुजराल जी की भी सरकारें रही हैं। उन सरकारों को आपका समर्थन प्राप्त था। *...(व्यवधान)* एनडीए की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने 2002 में श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए मजदूरी संदाय संशोधन विधेयक का प्रस्ताव कर दिया था। लेकिन यह 2004 में प्रस्तुत हुआ था। एनडीए की सरकार को ही इसका श्रेय मिलना चाहिए क्योंकि उसने ही इसे राज्य सभा से पारित करवाया था परन्तु राज्य सभा से लोक सभा आने में इसे आठ महीने लग गए। यह श्रमिकों के प्रति इस सरकार की नीति का परिचायक है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि देश में 40 करोड़ श्रमिक हैं और उनमें से भी 37 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं। आजादी से पहले हमारे देश का औद्योगिकीकरण कम हुआ था, इसलिए रोजगार के अवसर भी कम थे और श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आयीं, उनका ध्यान श्रमिक कल्याण की तरफ और श्रम संरक्षण के ऊपर गया। साथ ही साथ औद्योगिकीकरण भी तेजी से हुआ और रोजगार के अवसर भी बढ़े, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों के हित के लिए कई कानून बने। कानून तो इस संबंध में बहुत बने हुए हैं लेकिन उनका पालन श्रमिकों के हित के लिए सही समय पर हो और वास्तव में उसका लाभ उन तक पहुंचे तभी हमारे देश की श्रम शक्ति लाभान्वित होकर राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से कार्य करने में समर्थ हो सकेगी। *...(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): क्या आपकी सरकार ने भी इस पर कुछ किया था? *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: 2002 में एनडीए की सरकार ही तो इसको लेकर के आयी थी और 2004 में राज्य सभा से पारित भी हो गया था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान न पैदा करें। माननीय सदस्य, प्रो. रासा सिंह रावत कृपया आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: गुड़गांव के अंदर आपकी वास्तविकता सामने आ गयी। "सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।" मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। हम ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में श्रम कानूनों को थोड़ा लचीला बनाने का प्रयास होना चाहिए। अगर हमें विश्व बाजार में आगे बढ़ना है, विदेशी निवेश को हमारे यहां लाना है, रोजगार के नए अवसर सृजित करने हैं, तो हमें श्रमिकों के कल्याणकारी उपायों के बारे में, उनकी प्रगति, शिक्षा, आवास, इलाज, उनको अच्छी तनख्वाह मिले, तालाबंदी कम हो, मजदूरों की छंटनी कम हो, इन सबके बारे में भी सोचना होगा।

भारतीय मजदूर संघ एक बात कहता रहा है-राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम के बदले लेंगे पूरे दाम। आज होना यही चाहिए। श्रमिकों के अंदर भी देशभक्ति का भाव होना चाहिए कि हमें

तनख्वाह पूरी मिले, हम देश के लिए पूरा काम करेंगे। लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे नारे लगवाते हैं-चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हों। परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल और केरल के अंदर उद्योगों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। वहां कोई नया उद्योग नहीं लगाना चाहता, क्योंकि नित नए झंडे, एक मांग पूरी हो दूसरी मांग शुरू, दूसरी मांग पूरी हो तीसरी मांग शुरू। परिणामस्वरूप सारा औद्योगिकीकरण अवरुद्ध हो गया। ...*(व्यवधान)* हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम श्रमिकों के कल्याण की बात सोच रहे हैं। देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़े, हमारी फैक्ट्रियां ठीक प्रकार से काम करें, कारखाने भली प्रकार चल सकें, श्रमिकों के हितों का सरकार और मालिक पूरा ध्यान रखें, सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन साथ ही देश के हित को सर्वोपरि मानकर कार्य भी बराबर करना पड़ेगा।

मैं दो-तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस एक्ट में वेज सीलिंग 1,600 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये की गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बात को भी लगभग आठ महीने हो गए हैं। महंगाई तेजी से बढ़ रही है और यूपीए सरकार के आने के बाद इनका कोई नियंत्रण नहीं रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि न्यूनतम वेज सीलिंग 10,000 रुपये कर देनी चाहिए। इसमें जो दूसरा अमेंडमैंट आया है, सैंट्रल गवर्नमैंट और स्टेट गवर्नमैंट की जगह ऐप्रोप्रिएट गवर्नमैंट, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके अलावा एक्ट के अंतर्गत कुछ सुझावों का प्रावधान किया गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए क्योंकि मंत्री को 5 बजे उत्तर देना है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

वे इतने कम हैं कि वास्तव में मजदूरों के हितों को आघात पहुंचाने वाले, मजदूरों के पेट के ऊपर लात मारने वाले अत्याचारी, चाहे वे मालिक हों अथवा और कोई हों, उनके प्रति कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि श्रमिक निश्चिंत होकर सेवा कार्य कर सकें।

इसमें बार-बार संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके वेतन वगैरह बढ़ाने हों, तो कन्ज्यूमर प्राइस इंडैक्स के आधार पर सरकार स्वयं एग्जीक्यूटिव आर्डर कर सकती है। एग्जीक्यूटिव आर्डर करके उनके वेतन में वृद्धि कर सकती है, सीमा बढ़ा सकती है, क्योंकि समस्त हैल्दी वर्क फोर्स राष्ट्र के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इसलिए मजदूरों का शोषण किसी भी हालत में नहीं हो, साथ ही ट्रेड यूनियन्स के अंदर आपसी होड़ के कारण मजदूरों का अहित नहीं हो, अपितु अगर एक उद्योग के अंदर ट्रेड यूनियन के बारे में कानून आ रहा था कि कहां, कौन सी ट्रेड यूनियन किन-किन नियमों के अंतर्गत काम कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल के बारे में अपना जो फैसला दिया है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वास्तव में मजदूरों पर अत्याचार हो रहा हो, श्रमिकों पर अत्याचार हो रहा हो, फैक्टरी बंद होने जा रही हो, उनका भविष्य चिन्ता में हो, तो फिर उनको हड़ताल करने का अधिकार होना चाहिए ताकि वे अपनी मांगों के लिए-जोर जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है-इंसाफ प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकें, उनको ऐसा हक प्राप्त होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि एक व्यापक बिल लाने का कष्ट करें। असंगठित श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनके हित के लिए भी जल्दी कोई कानून लाएं। बिल्डिंग लेबरर्स के लिए कानून बनाया गया, लेकिन उस कानून की जितनी पालना होनी चाहिए, उतनी नहीं हो रही है।

'श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की छाती से चिपक सिसक-सिसक कर रह जाते हैं।' आज झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय है। उन मजदूरों के कल्याण की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, कुछ वर्गों के लोगों को मजदूरी के भुगतान को विनियमित करने के लिए मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 एक उपयुक्त विधान है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री खारवेनथन आप अपनी जगह पर नहीं है। आपको किसी अन्य सीट से बोलने के लिए अध्यक्षपीठ से अनुमति लेनी होगी।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, मुझे इस स्थान से ही बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: अभी आप बोलिए लेकिन इसे आप फिर नहीं दोहराएंगे क्योंकि इस बारे में नियम बिलकुल स्पष्ट है कि सदस्य को अपने स्थान से ही बोलना चाहिए।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, मजदूरी संदाय विधेयक 16 मई, 2002 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था। इसके

[श्री एस.के. खारवेनथन]

बाद इसे श्रम संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था और समिति ने 21 नवम्बर, 2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जब यह संशोधन राजग के शासनकाल के दौरान पुर:स्थापित किया गया था तब भी मंत्रियों के समूह ने इस संशोधन का विरोध किया था और इस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। 2 दिसम्बर, 2004 को इस विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया और इसे पारित कर दिया गया। सर्वप्रथम मैं माननीय श्रम मंत्री को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। देश के श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए संप्रग सरकार ने यह संशोधन लाकर एक बहुत ही साहसिक कदम रखा है।

मजदूरी संदाय अधिनियम वर्ष 1936 में पुर:स्थापित हुआ था और यह 28 मार्च, 1937 को लागू किया गया। उस समय यह अधिकतम सीमा 200 रुपये था जिसे 1947 में संशोधित करके 400 रुपये, 1976 में 1,000 और 1982 में इसे बढ़ाकर 1,600 कर दिया गया। धारा 1 एक के उप-धारा (6) में प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है:

> "यह अधिनियम एक रोजगार प्राप्त व्यक्ति के लिए एक मजदूरी अवधि के संदर्भ में लागू होता है यदि ऐसी मजदूरी उस मजदूरी अवधि के लिए छः हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह या इससे अधिक राशि न हो, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय सरकार हर पांच वर्ष के बाद सरकारी गजट में अधिसूचना जारी कर विनिर्दिष्ट करे।"

अधिनियम को पढ़कर इस उपबंध को मैं इसलिए सुना रहा हूं कि केवल कांग्रेस के शासनकाल में ही श्रमिकों के कल्याण पर ध्यान दिया गया। चाहे वह 1957 में हो, 1978 या 1982 या अब 2004-2005 में हो। दूसरे पक्ष में बैठे मेरे साथियों ने कहा कि यह विधेयक राजग के काल में पेश किया गया था। तथापि, कई लोगों के विरोध को देखते हुए इसे इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वे इस विधेयक को पारित नहीं कर सके थे।

इस विधेयक में दो महत्वपूर्ण संशोधन हुए है। पहला संशोधन यह है कि वर्तमान अधिकतम सीमा को 1600 रुपये प्रतिमाह से 6500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है और दूसरा यह कि विद्यमान दंड की राशि को बढ़ाकर पांच गुणा कर दिया गया है। यहां मैं धारा 15, उपधारा (3), (4)(क), 4(ख) जैसे कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना चाहूंगा। इस अधिनियम में प्रस्तावित ये सभी संशोधन दंड के संबंध में है। राज्य सरकार और अन्य प्राधिकारों द्वारा नियुक्त निरीक्षणों को कारखाना अधिनियम के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और मैं इसके लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

धारा 2 के संशोधन में कहा गया है:

> "रेलवे, विमान परिवहन सेवाओं, खानों और तेल क्षेत्रों के संबंध में उपयुक्त सरकार का मतलब केन्द्र सरकार से है और अन्य सभी मामलों में इसका अर्थ राज्य सरकार है।"

यह दूसरा कदम है। हम सभी जानते हैं कि अधिकांश ठेकेदार कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। यह कठिनाई धारा 3, उप-धारा (1) के माध्यम से दूर किया गया है जिसमें कहा गया है:

> "(घ) ठेकेदार की स्थिति में वह व्यक्ति जिसे ऐसे ठेकेदार द्वारा पद स्थापित किया गया हो जो सीधे तौर पर उसके अधीन हो; और
>
> (ङ) अन्य दूसरे मामले में नियोक्ता द्वारा पद स्थापित अधिनियम के प्रावधानों में पालन करने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति।"

हमारे यहां एक संघीय ढांचा है। कुछ क्षेत्रों में श्रमिकों को संरक्षण नहीं प्राप्त है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में जब कांग्रेस सत्ता में थी ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने सात सहकारी कताई मिलें शुरू की थी। 'नाबार्ड ने भी इन सातों मिलों हेतु भारी धन आवंटित किया था। इन सातों मिलों में सात हजार लोग काम कर रहे थे। अचानक उन सातों मिलों को बंद कर दिया गया और उनमें काम करने वाले लोग सड़कों पर आ गए। दो सहकारी चीनी मिलें वर्तमान तमिलनाडु सरकार द्वारा बंद की गई। हजारों श्रमिक सड़कों पर भटक रहे हैं। केन्द्र सरकार को इन्हें अपने हाथ में ले लेना चाहिए और इनकी सम्पत्ति को बेच देना चाहिए। राज्य केन्द्र सरकार के दायरे में है। इसलिए सरकार और माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इन सातों सहकारी मिलों को बेचा जाए और बिक्री से प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत श्रमिकों को दिया जाए।

जब डी.एम.के. सरकार सत्ता में थी तो डा. कलाइंगनर करूणानिधि को सातों मिलों के श्रमिकों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी। अब, उन सहकारी मिलों को बंद कर दिया गया।

सभापति महोदय: ठेके पर काम करने वाले श्रमिक भी इस संशोधन के दायरे में आते हैं।

श्री एस.के. खारवेनथन: जी हां, महोदय।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जब 1996 में डी.एम.के. सरकार सत्ता में आई तो इसने 25 और 30 वर्ष के उम्र वर्ग के

10,000 'सलाई पनिया-लार्गल' को नौकरी दी थी। चूंकि उनकी नियुक्ति डी.एम.के. सरकार द्वारा की गई थी, उन सभी 10000 लोगों को वर्तमान तमिलनाडु सरकार द्वारा निकाल दिया गया। वे हर रोज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक की उच्च न्यायालय ने भी उन लोगों को काम पर लगाने का निदेश राज्य सरकार को दिया फिर भी राज्य सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उच्चतम न्यायालय में चली गई। तमिलनाडु में आज यह स्थिति है। लगभग 69 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। भारत सरकार को तमिलनाडु सरकार से उन्हें काम पर बहाल करने के निदेश देने चाहिए। यह स्थिति केवल कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की ही नहीं है बल्कि तमिलनाडु में अन्य श्रमिकों के साथ भी है। उन लोगों के हितों की रक्षा करने तथा यह देखने के लिए कि उन्हें राजनीतिक कारण से अचानक न हटाया जाए केन्द्र सरकार को कदम उठाने चाहिए।

सभापति महोदय: समय समाप्त हो गया है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एस.के. खारवेलथन: महोदय, यह अधिनियम से संबंधित है। पिछले 20 वर्षों में डाक विभाग द्वारा पूरे देश में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को मात्र 150 रुपये दिए जा रहे थे। जब राजग की सरकार थी तब भी यही स्थिति थी। सभी क्रोधित थे। वर्तमान में डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी के रूप में काम करने वाले लोग 1500 रुपये पा रहे है। लेकिन एक नियमित पोस्टमैन के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को 6500 रुपये या 7000 रुपये मिल रहे हैं। गांवों में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए और उन्हें भी समान-वेतन दिया जाना चाहिए।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संबंध में, उदाहरणार्थ सिलाई क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को केवल 30 रुपये या 40 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। पांच करोड़ लोग दर्जी के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। हमारी सरकार को चाहिए कि वह न केवल इस उद्योग में कार्यरत लोगों की ही सहायता करे बल्कि वह दर्जी जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी मदद करे। इस देश में असंगठित क्षेत्र में 30 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। उन लोगों की सहायता के लिए सरकार को एक व्यापक अधिनियम लाना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों को वेतन के रूप में लगभग 2000 करोड़ रुपये मजदूरी के रूप में देय हैं। हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा इस अधिनियम को क्रियान्वित किया जाए। सरकारी संगठन श्रमिकों को सही ढंग से वेतन के भुगतान नहीं कर रहे हैं। वेतन बकायों का निपटान तत्काल किया जाना चाहिए। अधिनियम के संशोधन की दिशा में यह विधेयक एक साहसिक कदम है। मैं कहना चाहूंगा कि अधिकतम सीमा को बदलना और दंडात्मक प्रावधानों को लागू करना ही पर्याप्त नहीं है। पूरे देश में कर्मचारियों की सहायता हेतु हमें और संशोधन करने होंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें 10,000 रुपये वेतन अवश्य मिले। जो लोग 6500 रुपये का वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें इस अधिनियम के तहत लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये अवश्य किया जाए। 1982 में यह 1600 रुपये था। अब हम 2005 में जी रहे हैं। 6,500 रुपये से गरीब लोगों का क्या होगा? इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये अवश्य ही किया जाना चाहिए। मेरा यही कहना है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय मैं मजदूरी संदाय अधिनियम में संशोधन करने वाले इस विधेयक का समर्थन करता हूं। ऐसा करते समय मैं माननीय मंत्री से इस विषय पर थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखने का अनुरोध करता हूं। मजदूरी संदाय अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम आदि जैसे कई श्रम कानून है। इनमें से अधिकांश तब पारित किए गये थे जब हम आजाद नहीं हुए थे। संभवत: भारत के श्रमिक वर्ग ने ही स्वाधीनता की वास्तविक लड़ाई लड़ी। भारतीय श्रमिकों द्वारा पहला हड़ताल वह था जिसमें लाला लाजपत राय पर लाठी चलाई गई, जब श्री तिलक पर लाठी चलाई गई थी। यह पहला राजनीतिक हड़ताल था। इसलिए भारत का श्रमिक वर्ग भी यह उम्मीद कर रहा था कि आजाद भारत में उनके साथ न्याय होगा। लेकिन इसके बदले हम उनकी मजदूरी की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के लिए कानून में छोटा-मोटा संशोधन कर रहे हैं। वास्तव में हम वैसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर रहे हैं जैसा अंग्रेजी शासन के दौरान उल्लेख किया गया था। मेरा पहला अनुरोध है कि इन सभी मुद्दों पर व्यापक दृष्टि रखते हुए विचार किया जाए। श्रम मंत्री एक व्यापक श्रम कानून क्यों नहीं लाते हैं जिसमें इन छोटे-मोटे परिवर्तनों के बजाए इन सभी विधानों को सम्मिलित किया जाए। उन्हें इस पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और इसे एक आधुनिक रूप देना चाहिए और वास्तव में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हम आज के श्रमिक वर्ग की चिंताओं को दूर कर रहे हैं। माननीय श्रम मंत्री से मेरा पहला अनुरोध यही है।

दूसरी बात, जैसा कि मेरे अन्य साथियों ने कहा है, अंतिम संशोधन 1982 में किया गया जब मजदूरी संदाय अधिनियम उन्हीं

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

श्रमिकों पर लागू था जो 1600 रुपये का वेतन पा रहे थे। आज भी न्यूनतम मजदूरी लगभग वही है। अगर हम कहें तो वास्तव में हम यही कर रहे हैं कि जो लोग न्यूनतम मजदूरी अधिनियिम के तहत आते हैं वे अब बढ़ी हुई अधिकतम सीमा के अंतर्गत आएंगे। यह विधेयक तीन वर्ष पूर्व राज्य सभा में पेश किया गया था। उस समय उच्चतम सीमा 6500 रुपये भी राज्य सभा में यह 16 मई, 2002 को प्रस्तुत किया गया था। अब, जबकि तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और हम विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया गया है। यह विधेयक शुरू में इस कारण प्रस्तुत किया गया क्योंकि हमने महसूस किया कि जो कर्मचारी वर्तमान विधान के अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे वे मजदूरी संदाय अधिनियम के लाभ को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। क्या आप कहना चाहते हैं कि विगत तीन वर्षों में कोई मुद्री-स्फीति नहीं हुई? क्या आप कहना चाहते हैं कि जब विधेयक पहली बार राज्य सभा में पेश हुआ था तब से मजदूरी की सीमा नहीं बढ़ी है? आप इस विधेयक को उसी तर्क के साथ पुर:स्थापित कर रहे है। आप इसे अब संसद में पुर:स्थापित कर रहे हैं। 1600 रुपये बहुत छोटी राशि है। उसी आधार पर 6500 रुपये की सीमा को बढ़ाया जाएगा और यह 7500 रुपये या 8000 रुपये होगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर भी विचार करने का अनुरोध करता हूं।

तीसरी बात, जिसका उल्लेख मेरे मित्र श्री शैलेन्द्र कुमार ने किया है। वह दंड के बारे में है। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड को भी बढ़ाया गया है। माननीय मंत्री श्रमिकों के प्रति बहुत ही उदार रहे है क्योंकि उन्होंने अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया है। इसलिए बात यह है कि बेहतर अनुपालन के लिए दंड की राशि को बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि कितने मामले में वास्तव में दंड लगाया गया है? कितने लोगों को वास्तव में यह दंड देना पड़ा है? यह संख्या बहुत ही स्पष्ट संकेत देती है जैसा कि श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने बताया। इसलिए बेहतर अनुपालन के लिए सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है कि दंड की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया जाए। क्या इसका मतलब है कि कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करेगा? यह सुनिश्चित करना बेहतर होगा कि सभी कर्मचारी जिन्हें समझा जाता है कि वे इस नियम के अंतर्गत आते है, उनको अनिवार्य रूप से एक खाता खोलना चाहिए तथा नियोक्ता को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वह इस राशि को विशिष्ट समय के भीतर जमा करा दे। इसके बारे में बैंकों को भी स्थायी निर्देश होनी चाहिए और राशि को बैंक खाते में तत्काल स्थानांतरित कर दिया जाए। उस मामले में आप उल्लंघन से बच सकते हैं क्योंकि यह स्वत: कभी नहीं होगा। यह अधिनियम 1936 में बनाया गया था। उस समय सूचना प्रौद्योगिकी का प्रचलन नहीं था। आज, जब हम दावा करते है कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी है हम उस ज्ञान या प्रौद्योगिकी का उपयोग आम श्रमिकों के लिए कैसे कर रहे हैं, यही प्रश्न है। इसलिए, मेरा यह अनुरोध होगा कि दंड की उपरी सीमा को सुनिश्चित करने और बढ़ाने की बजाए बेहतर अनुपालन होना चाहिए। हमारे अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है।

इसलिए, माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस विषय पर विशेष ध्यान दें।

अब मैं चौथे प्रश्न की चर्चा करता हूं। माननीय मंत्री जी तेलंगाना से आते हैं और उनको पता है कि वे एक अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए, वे सोचते हैं कि एक अलग राज्य बन जाए जिससे संभवत: क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हो जाए। लेकिन इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण राज्य के उस भाग से बहुत से लोग भवन निर्माण मजदूरों के रूप में रोजगार की तलाश में अन्य क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। बहुत से ऐसे कृषि श्रमिक, बीड़ी मजदूर और अन्य श्रमिक है जिन्हें अब तक कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की गयी है। इसलिए, ऐसा कहना एक छलावा होगा कि इस संशोधन से श्रमिक वर्ग की समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। वास्तव में, यह समस्या से बचने का एक बहाना भर होगा। यदि वे वास्तव में कुछ करने के प्रति गंभीर है तो मेरा अनुरोध है कि इस नई जानकारी का उपयोग करें जिसका मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है। आप किसी व्यक्ति को कैसे रख सकते हैं जिसका बैंक में कोई खाता नहीं है? वास्तव में, नियोक्ता की जिम्मेदारी बनती है कि वह उनके लिए बैंक खाते खुलवाए। इस समय, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंक है तथा बैंकिंग संबंधी कार्य होते हैं। इसी प्रकार उसे इन सभी बातों को सुनिश्चित करना चाहिए। कई गलतियों से जो होती है तभी बचा जा सकता है जब हमारे पास एक पारदर्शी खाता प्रणाली हो। इसके द्वारा हम यह सुनिश्चित करने में सफल होंगे कि श्रमिकों को उनका वेतन सीधे बैंक खाते में जाए और नियोक्ताओं को उनका वेतन उनके खातों में जमा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। महोदय, मेरा विश्वास है कि समाचार पत्रों में जिस रोजगार गारंटी योजना के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस पर शीघ्र ही हम चर्चा करेंगे जो इस महती सभा में प्रस्तुत होने जा रही है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): आप एक सी.पी.आई. (एम) के कार्यकर्त्ता की तरह बोल रहे है।

सभापति महोदय: श्री प्रभु, आपको उनका उत्तर नहीं देना चाहिए। आप अपना भाषण पूरा कीजिए, अन्यथा मैं दूसरे वक्ता का नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): महोदय, हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सी.पी.आई. (एम) आदि रूप है। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: मुझे उम्मीद है कि अगले सप्ताह हम रोजगार गारंटी विधेयक को पारित कर सकेंगे जिस पर इस सभा में चर्चा होने जा रही है। इस विधेयक को पारित करते समय इस अच्छी योजना को लागू करने में कई बड़ी आपत्तियों में से एक यह है कि मजदूरी को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है। लोगों का दावा है कि मजदूरी दी जा रही है, और इसके विपरीत कई मामले जिसमें हमारा राज्य महाराष्ट्र भी सम्मिलित है।

इसलिए, माननीय श्रम मंत्री, जिनका मुख्य काम श्रमिकों की हितों की रक्षा करना है, से मेरा अनुरोध है कि वे इस विधान को पारित न कराएं। इसका कारण यह है कि इस विधान को पारित कर हमें यह कहने भर का संतोष मिल जाएगा कि हमारा कानून इस संदर्भ में विश्व के अन्य भागों में लागू कानून से बेहतर है लेकिन क्या इसका मतलब यह होगा कि श्रमिकों की स्थिति शेष विश्व के श्रमिकों से बेहतर है? यदि वे वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि वे विधिक मामलों की बजाए संचालन संबंधी मुद्दों पर ध्यान दें। विधिक मुद्दों से हमें केवल कानूनी संचालन संबंधी ढांचा प्राप्त होता है लेकिन संचालन संबंधी मसले ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि संचालन संबंधी मुद्दों के समाधान के द्वारा हम लोगों की दशा में सुधार ला सकते हैं।

इसलिए, महोदय इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन सभी विषयों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्यथा हम लोग अपनी पीठ स्वयं थपथपाते रहेंगे और हम यह सोचकर खुश होंगे कि हम श्रमिकों के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं लेकिन वास्तव में इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। बल्कि वास्तविकता यह है कि उनकी स्थिति और खराब होती जाएगी।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004 पर बोलने का मौका दिया। देश को आजाद हुए 58 वर्ष हो चुके हैं। मैं बहुत लम्बे समय से देखता आ रहा हूं कि सदन में कई बार देश से गरीबी मिटाने, गरीबों की बेहतरी के लिए, श्रमिकों की बेहतरी के लिए चर्चा होती है। लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी यदि हम यह देखें कि क्या हमने वास्तव में गरीबी मिटाने के लिए कोई सार्थक कदम उठाए हैं, इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हम देखते हैं कि आजादी के बाद देश में जितने बड़े-बड़े कारखाने थे, चाहे एनटीसी की मिल्स हों, बीआईसी की मिल्स हों, जिनमें हजारों मजदूर काम करते थे, वे सभी आज बंद पड़ी हैं। उन्हें चालू करने के लिए और लाखों बेरोजगार हुए मजदूरों को काम देने के बारे में सदन में कोई चर्चा नहीं होती है।

अपराह्न 5.00 बजे

मान्यवर, संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक भारतीय की जो मूलभूत आवश्यकता है-रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और हर हाथ को काम देने की बात कही गयी है और इन चीजों को पूरा करने की जो हमारी योजना थी, उस पर हमें सोचना होगा कि हम कितने सफल हुए हैं। आज आजादी के 59 वर्ष होने पर सदन में इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर इन वर्षों में हम गरीबों की बेहतरी के लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाते, गरीबों की बेहतरी के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम बनाते, तो निश्चित तौर पर सदन में गंभीर चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती।

हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में आ रही हैं या जो राष्ट्रीय कंपनियां भी हैं उनके मालिक आज श्रमिकों को कंपनी में सीधे भर्ती न करके ठेकेदारों के द्वारा भर्ती करने का काम कर रहे हैं। ठेकेदार रजिस्टर में 6500 रुपये मासिक पर दस्तखत करवाता है जोकि न्यूनतम मजदूरी है और मजदूर को केवल 1000 रुपये, 1200 रुपये या 1500 रुपये ही देता है। अगर श्रमिक को 6500 रुपये मिल जाएं तो निश्चित तौर पर श्रमिक का कल्याण हो जाए। आज श्रमिक अपना पेट भरने के लिए उस रजिस्टर पर साइन करने के लिए मजबूर है।

किसी भी देश में कानून कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर कानून को लागू करने वालों की मंशा अच्छी नहीं होगी तो वह कानून बेकार होगा। न्यूनतम मजदूरी के बारे में भी यही हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपने न्यूनतम मजदूरी जो घोषित की है वह कहीं पर भी लागू नहीं हो रही है, आप इसका सर्वे पूरे भारत में करवा लें, केवल 10 प्रतिशत मजदूरों को ही न्यूनतम मजदूरी मिल पाती होगी, शेष 90 प्रतिशत मजदूरों को ठेकेदार के अंडर में रहकर 1000 रुपये, 1200 रुपये या 1500 रुपये ही मिलते हैं जबकि उनसे रजिस्टर

[श्री राजाराम पाल]

में साइन 6500 रुपयों पर कराया जाता है, इस बारे में हमें कोई ठोस निर्णय लेना होगा।

माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि चाहे राष्ट्रीय कंपनियां हों या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों, उनके मालिक केवल लाभ के लिए अपनी कंपनीज को चलाते हैं और संगठित क्षेत्र में कंपनी लगाने के बाद, आठ-दस साल बड़ा मुनाफा कमाने के बाद, उस कंपनी में ट्रेड-यूनियनों को उकसाकर, उसको बंद करवा कर, अपना कारोबार दूसरे स्टेट में लगाने का षडयंत्र करते हैं, इस पर भी हमें गंभीरता पूर्वक चिंतन करना होगा।

10 साल तक एक कंपनी में एक विशेष काम करने के बाद श्रमिक की कार्य-क्षमता जितनी उस कंपनी के लिए उपयोगी होती है, दूसरी कंपनी के लिए उतनी उपयोगी नहीं होती है। इसलिए भी मजदूर का नुकसान और शोषण हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों या राष्ट्रीय कंपनियां हों, उद्योग शुरू होने से पहले, उनसे मजदूरों के हित में करार कराना चाहिए और अगर कंपनी में ताला लगता है तो जो कंपनी की भूमि है, जो सामान है, जो एसैट्स हैं उनको बेचकर, साठ साल तक मजदूर के काम करने का मेहनताना कंपनीज के मालिकों से वसूल किया जाना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, मैं कानपुर नगर के बिल्हौर से चुनकर आता हूं। कानपुर जो कभी एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, आज एशिया का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर, जिसमें लाखों मजदूर मजदूरी करते थे, एशिया का मैनचेस्टर तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के नक्शे में कहीं कानपुर नजर नहीं आता है। आज जूट मिल के कर्मचारी अपने बीमा के लिए, बोनस के लिए हड़ताल पर हैं और भूखों मरने के लिए मजबूर हैं। मैं समझता हूं कि इस पर भारत सरकार और माननीय श्रम मंत्री जी निश्चित तौर पर ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप पीठासीन अधिकारों को सम्बोधित करें। आपका निर्धारित समय समाप्त हो गया है। कार्य के लिए निर्धारित समय भी समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: मैं आपके माध्यम से इतना ही चाहूंगा कि माननीय सदन की जो चिंता है, उसी के बारे में कहना चाहता हूं कि जो गरीब है, वह और गरीब होता जा रहा है, मजदूर और असहाय होता जा रहा है, जबकि इस देश में तमाम ऐसे औद्योगिक घराने हैं, जिन पर 90 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार को बकाया हैं। महोदय, ऐसे औद्योगिक घरानों से पैसा सख्ती से वसूल करके, उन पुरानी मिलों को मॉडीफाइड करके, उनको चला करके रोजगार के अवसर मुहैया कराने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर यह पर योजना कारगर साबित होगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपका निर्धारित समय तो समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो संशोधन लाए हैं, इसकी अवधि पांच साल न करके इसमें महंगाई के साथ आटोमैटिक न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का प्रावधान माननीय मंत्री जी करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री जी श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए निश्चित तौर पर चिंतित हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए मैं पुन: आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि अगर माननीय राव साहब जैसे मंत्री भी श्रमिकों के हितों पर कुछ ध्यान नहीं दे पाएं, उनकी बेहतरी नहीं कर पाए, तो जो लोग 58-59 साल तक देश की सत्ता में बैठे रहे हैं, मुझे उनकी नीयत पर जरा भी भरोसा नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि आप अभी भी जारी रखेंगे तो यह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: वह कतई गरीबों और श्रमिकों की भलाई के लिए नहीं हो सकते। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): यद्यपि यह एक देर से उठाया गया कदम है मैं मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004 का स्वागत करता हूं। श्रमिकों की मजदूरी 1982 में संशोधित की गई थी। आज 23 वर्षों के बाद श्रमिकों की मजदूरी को संशोधित किया जा रहा है। अब इसे बढ़ाकर 6500 रुपये किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह देर से उठाया गया कदम है क्योंकि पिछले बजट सत्र में ही इसे कार्य सूची में सम्मिलित किया

गया था लेकिन अचानक हमने पाया कि इसे सूची से हटा दिया गया था। श्रमिकों की हितों से जुड़े इस विधेयक को हमने पुन: सभा में प्रस्तुत करने की मांग की। विधान बनाए जाते हैं लेकिन श्रमिकों की हितों की रक्षा हेतु शायद ही कोई विधान सभा में पेश किया जाता है। कई विधान है। विधानों की कमी नहीं है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठेकेदारी श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 प्रसूति अधिनियम, भविष्य निधि, बोनस भुगतान भुगतान अधिनियम आदि कई अधिनियम है। विधानों की कोई कमी नहीं है लेकिन महोदय समस्या इस बात की है कि इन विधानों का क्रियान्वयन ईमानदारी से नहीं किया जाता है। वर्तमान विधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसे श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के लिए सभा में पेश किया जा सके।

श्रम मंत्रालय असहाय है। मैं एम.एम.टी.सी. नामक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम का उदाहरण दे सकता हूं। इसके कई प्रभाग है और एम.आई.सी.ए. प्रभाग उनमें से एक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एम.आई.सी.ए. प्रभाग के श्रमिकों का 300 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है। यही मूल वेतन है और मंत्री जी को इसकी जानकारी है। उन्होंने कदम उठाया और छ: माह पूर्व उन्होंने एक बैठक भी की थी लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जहां एम.आई.सी.ए. प्रभाग के श्रमिक 300 रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहे हैं और उनकी मजदूरी पिछले 15 से 20 वर्ष से नहीं बढ़ाई गई है। हमारे पास एक अधिनियम है लेकिन श्रम मंत्रालय असहाय है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसके श्रमिक त्रिपुरा, पूर्वोत्तर आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं लेकिन पिछले 17 से 18 महीनों से उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हर रोज हमें तार मिल रहे हैं। भूख के कारण एक मौत भी हुई है लेकिन श्रम मंत्रालय असहाय है। इस प्रकार के विधान का क्या मतलब है यदि इनका उचित क्रियान्वयन नहीं किया जाता है और यदि उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती है? श्रम कानूनों का घोर उल्लंघन हो रहा है।

हाल ही में गुड़गांव में एक घटना प्रकाश में आई है जो होंडा मोटर साईकिल कारपोरेशन कम्पनी के श्रमिकों से जुड़ी हुई थी। मुद्दा क्या था? यह मुद्दा न्यूनतम मजदूरी का था। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। यह उद्योग हमारे देश में चल रहा है और उन्हें इस देश के नियमों का पालन करना होगा। उन्हें इस देश के श्रम कानून का पालन करना होगा।

राजग के शासन काल में हम अक्सर सुना करते थे कि श्रम कानूनों में लचीलापन होना चाहिए इसका मतलब है कि मालिकों को श्रम कानूनों के उल्लंघन की छूट होनी चाहिए। इस संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को संशोधित करने के लिए तथा 1970 के ठेकेदारी श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम को निरस्त करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा न कि श्रम मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था। यह उन अधिकारों को भी वापस लेने के लिए था जो हमारे देश के श्रमिकों को मिला हुआ है। पूर्व में हम 'काम कराओ-हटाओ' नीति के बारे में सुना करते थे। मैं संप्रग सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस बात को शामिल किया कि देश में 'काम कराओ-हटाओ' जैसी कोई नीति नहीं होगी। इसे केवल राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि सरकार को यह अवश्य देखना चाहिए कि क्या ऐसी बातें कहीं हो रही हैं और यदि हां, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होना चाहिए।

स्थायी समिति ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। सिफारिश क्या थी, उसे मैं उद्धृत करता हूं:

> "इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि केन्द्र सरकार को संशोधन के लिए संसद में बार-बार अधिनियम लाने के बजाए भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर समय-समय पर मजदूरी की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।"

मुझे बताया गया कि इसे मंत्रीमंडल से अनुमोदन प्राप्त हो गया था। फिर इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता है। मूल्य सूचकांक के अनुसार राजपत्र अधिसूचना में श्रमिकों की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ायी जा रही है। जैसा कि न्यूनतम मजदूरी के मामले में किया जा रहा है?

महोदय, विधेयक में जितना दंड का प्रावधान है वह भी पर्याप्त नहीं है। हमने देखा है और अनुभव किया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यदि भविष्य निधि का पैसा नहीं दिया जाता है तो कुछ नहीं किया जा रहा है। एक मांग है कि बोनस के भुगतान के संबंध में कोई अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम सीमा क्यों होनी चाहिए? लेकिन सरकार उस प्रस्ताव के लिए सहमत नहीं हुई।

केवल विधान बना देना ही काफी नहीं है। विधान बनाने के साथ ही यह भी जरूरी है कि इस विधान का भाषा और भाव दोनों ही दृष्टिकोण से क्रियान्वयन हो। जब कभी अधिनियम के

[श्री बसुदेव आचार्य]

किसी भी प्रावधान का उल्लंघन हो तो सरकार द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। श्रमिकों को न्याय कहां मिलेगा?

हमने कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया है। काम करते समय यदि कोई श्रमिक घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो मुआवजा देना होगा। कई मामले है जहां मुआवजा कानून के अनुरूप नहीं दिया जाता। यदि कम्पनी का मालिक या नियोक्ता कानून का उल्लंघन करता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कुछ सख्त कानून सभा में लाया जाना चाहिए। इसलिए, केवल विधान बना देना ही पर्याप्त नहीं है। आज यहां इस बात की आवश्यकता है कि विधान क्रियान्वयन और पालन भाषा और भाव दोनों रूपों में हो। वह नहीं हो पा रहा है।

जहां तक श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों की बात है, श्रमिकों को संगठन बनाने का अधिकार है। चंडीगढ़ में हीरो साइकिल के 5000 से अधिक श्रमिकों की एक रैली में भाग लेने के लिए मैं गया था। वे एक एसोसिएशन बनाने चाहते थे तथा उन्होंने संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। सभा में भी मैंने इस मुद्दे को उठाया था। श्रमिकों को एसोसिएशन बनाने का मौलिक अधिकार है और वह एसोसिएशन या संघ पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन दो वर्ष पूर्व पंजाब सरकार तथा हरियाणा राज्य सरकार, दोनों को भेजा गया था। लेकिन संघ को पंजीकृत नहीं किया जा रहा था। श्रमिकों के एसोसिएशन बनाने के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। क्या केन्द्र सरकार या श्रम मंत्रालय इस संबंध में एक मूक दर्शक बना रहेगा। श्रम न्यायालय की स्थिति क्या है? वहां कितने पद रिक्त पड़े हैं? श्रमिकों को न्याय कहां मिलेगा। देर से प्राप्त न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है। श्रमिकों के मामले में यही हो रहा है।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं कि लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यह विधेयक, 2002 में प्रस्तुत हुआ था और आज यह सभा में लाया जा रहा है।

वर्ष 2002 में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 6500 करने का निर्णय लिया था। यह 23 वर्ष के बाद किया गया। वर्ष 2002 में ही इसे बढ़ाकर 6500 रुपये करने का निर्णय लिया गया था। इन तीन वर्षों में मूल्य सूचकांक में भी कुछ वृद्धि हो गई है। लेकिन मजदूरी वृद्धि में यह बात परिलक्षित नहीं हो रही है। यह विधेयक 2002 में प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, स्वाभाविक रूप से तीन वर्षों के बाद मजदूरी में वृद्धि प्रस्तावित विधान की मजदूरी वृद्धि से अधिक होनी चाहिए।

दंड संबंधी खंड में कुछ कठोर प्रावधान होने चाहिए। विधेयक को और कारगर बनाया जाना चाहिए ताकि कानून तोड़ने वालों को उचित रूप में दंडित किया जा सके।

अपराह्न 5.21 बजे

अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

लोक सभा की नियत बैठक रद्द करने और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का पुन-निर्धारण

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे एक उद्घोषणा करनी है।

कार्य मंत्रणा समिति ने आज सम्पन्न अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त, 2005 के लिए निर्धारित बैठक रद्द की जाए और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य, अर्थात् उस दिन के लिए निर्धारित विधेयकों पर गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त, 2005 को अपराह्न 4.30 बजे विचार किया जाए।

इस बात पर भी सहमति बनी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य, अर्थात् कल दिनांक 18 अगस्त, 2005 के लिए निर्धारित सदस्यों पर 25 अगस्त, 2005 को अपराह्न 2 बजे विचार हो।

मुझे उम्मीद है कि सभा इससे सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अपराह्न 5.22 बजे

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004—*जारी*

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, मैं उन वक्ताओं में से नहीं हूं, जो अक्सर बोलते हैं। मैं लोक सभा में बहुत कम बोलता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो बिल वह सदन में लाये हैं, मजबूरन हमें उसका समर्थन करना पड़ रहा है। भले ही वह इसे देरी से लाये हैं, लेकिन आखिरकार कुछ तो लाये हैं। वर्ष 2002

से, उस कमरे से इस कमरे तक इस बिल को आने में दो वर्ष का समय लग गया।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में संगठित मजदूरों की संख्या 40 करोड़ है और असंगठित मजदूरों की संख्या 37 करोड़ है। मेरे से पूर्व कुछ वक्ता बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें बोल रहे थे। मैं भी भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्त्ता हूं और जयपुर शहर में, चाहे रिक्शेवाले, तांगेवाले, आटो रिक्शावाले, ठेलेवाले, बैल ठेलेवाले, टैक्सी वाले, धोबी, मोची, फूलवाले, पटरी पर बैठने वाले या कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हों, इन सब लोगों की मैं सेवा करता हूं, यद्यपि इन सब लोगों का नेतृत्व करना बहुत मुश्किल काम है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि आप यह बिल लाये हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बिल में कहीं भी कारीगरों, किसानों, बीड़ी मजदूरों और फारेस्ट वर्कर्स का समावेश नहीं किया गया है। कृपया आप इस बिल के दायरे को बढ़ा करके इसमें इन सब मजदूरों का भी समावेश कर दें, तो बहुत अच्छा होगा। उन्हें वेतन ठीक समय पर नहीं मिलेगा, बोनस ठीक प्रकार से नहीं मिलेगा, ये बातें आपने इसमें कही हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक जयपुर मैटल इंडस्ट्री है, जहां मीटर बनाने का काम होता था। वह फैक्टरी लगभग 6-7 वर्षों से बेकार पड़ी है। इस बीच में उसके कई मजदूर मारे गये, कई पैट्रोल पम्पों पर काम कर रहे हैं। जब भी मैं वहां जाता हूं तो वे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे बारे में आपने क्या किया? आपने चुनाव में घोषणा की थी कि जयपुर मैटल इंडस्ट्री को चालू करवा देंगे। नेता जी आप तो एम.पी. बन गये और हमें भूल गये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर मैटल इंडस्ट्री के लोग आज बहुत दुखी हैं। फैक्टरी को बंद हुए कई वर्ष हो गये हैं। फैक्टरी के पास बहुत बड़ी भूमि है। उस भूमि को बेचकर वे लोग काम चला सकते हैं। यदि वह संभवन हो तो पड़ौस में रेलवे का कारखाना है, यदि रेलवे वालों को वह भूमि दे दी जाए जो तो मजदूरों का पेमेन्ट भी हो जायेगा और साथ ही कारखाना भी चालू हो जाए, जो बहुत अच्छी बात होगी। उस जमीन को बेचकर भी उन गरीब मजदूरों के पैसे, जो पांच-दस वर्षों से बकाया है, वे निकलकर आ जाएंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। रोजाना कोई न कोई घोषणाएं होती हैं। भारतीय मजदूर संघ आंदोलन करता है तो कहते हैं कि कल चालू हो जाएगी, परसों चालू हो जाएगी। वहां पर एक आई.ए.एस. अधिकारी बैठा दिया गया। वह अपना वेतन ले रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। केन्द्र सरकार कह रही है कि मिल चालू हो जाएगी पर राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे दयालु बनें। जब वे गरीबों के मसीहा बने हैं तो भारत सरकार उस फैक्ट्री को चलाने के लिए धनराशि दे। भारतीय मजदूर संघ की मांग से हमारा काम भी हो जाएगा और जो मजदूर मर रहे हैं, वे भी नहीं मरेंगे।

महोदय, जयपुर शहर की सबसे बड़ी कंपनी बाल बियरिंग कंपनी बंद होने के कगार पर है। वहां मजदूरों की छंटनी हो रही है। मैटल इंडस्ट्री और बाल बियरिंग कंपनी दो ही ऐसी कंपनियां थीं, जिनमें अधिकतर मजदूर लगे थे। आप बिल लाए हैं कि मजदूरों को पूरा वेतन मिलेगा, बोनस मिलेगा और जो नहीं देगा उसके लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन इसको करने से लाभ नहीं होगा। जयपुर में हम जाएंगे तो लोग कहेंगे कि हमारे लिए आप क्या करके आए हैं? हम मर रहे हैं, हमारा क्या होगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन दोनों कंपनियों की ओर विशेष ध्यान दें।

महोदय, गुड़गांव में सरकार ने जो कुछ किया, उसकी सजा ये अभी तो नहीं भोगेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जिन मजदूरों पर लाठी पड़ी, जो मर गए हैं, उनकी हाय निश्चित रूप से सरकार पर पड़ेगी। कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती। आज राजस्थान में हमारे दल की सरकार है, मैं नहीं मानता की हमारी सरकार वहां स्थायी है। सरकार तो आती जाती रहती है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो अगली बार फिर सत्ता में आएंगे और बुरा काम करेंगे तो भाग जाएंगे। पहले हम उधर बैठते थे लेकिन आजकल इधर बैठे हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में फिर से लौटकर आएंगे। ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य मथुरा के हैं। इनके उत्तर प्रदेश में तो कई मिलें बंद पड़ी हैं। कानपुर और लखनऊ की मिलें भी बंद पड़ी हैं और मजदूर रो रहे हैं। उनके आंसू पोंछने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। मेरी मांग है कि इस बिल में जो सजा का प्रावधान किया गया है, इस सजा के प्रावधान को आप बढ़ाएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया कोई व्यवधान न डालें। पहले ही काफी समय व्यर्थ हो चुका है। कृपया कोई हस्तक्षेप न करे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: भारतीय मजदूर संघ का नारा रहा है-'राष्ट्रहित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम'- यह बिल्कुल सही बात कही है। जो मजदूर लोग इनके साथ हैं, वे कहते हैं कि 'चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हों'। चाहे कारखाने का मालिक मर जाए लेकिन उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। हमारी मांग है कि मजदूर यूनियनों को मान्यता मिलनी चाहिए और समय पर मजदूरी न देना भी एक अपराध माना जाए। निर्धारित वेतन समय

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

पर मिलना चाहिए और उसमें कटौती न हो यह मेरी मांग है। इसके साथ जो बार-बार छंटनी का काम चलता है, वह खत्म होना चाहिए। गुड़गांव में जो झगड़ा हुआ, वह भी इसी कारण हुआ। इसलिए इस प्रकार छंटनी पर रोक लगनी चाहिए।

महोदय, जयपुर में छोटे मजदूरों के लिए एक ईएसआई अस्पताल चलता है। भारत सरकार ने उसको मॉडल अस्पताल के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह बन जाने के बाद जो कुछ पैसा मिला, वह अस्पताल में खर्च नहीं किया गया। वहां के जो नर्सेज और कर्मचारी हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, उनको बोनस नहीं मिल रहा है। जो ईएसआई अस्पताल जयपुर में मजदूरों के हित में बनाया गया था, माननीय मंत्री जी ने उसका उद्घाटन करते वक्त कहा था कि आप हमें चार रुपये दें तो बीमा की सहूलियत आपको मिल जाएगी। आज वे लोग इससे दुखी हैं। आज वहां सारा का सारा पैसा अनाप-शनाप खर्च हो रहा है। मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि सरकार इन सब बातों को जोड़कर एक अच्छा बिल लेकर आए तो हम आपका समर्थन करेंगे। वर्तमान में मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, उसमें हमारे पास समर्थन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि बाहर जाएंगे तो ये लोग कहेंगे कि मजदूरों के हितार्थ हम बिल ला रहे थे और आपने उसका विरोध किया। इसलिए अभी तो हम आपका समर्थन कर रहे हैं लेकिन आशा करते हैं कि सभी सुझावों का समावेश करके एक विस्तृत बिल आप लाएंगे तो हम यहां भी आपका पुरजोर समर्थन करेंगे और बाहर भी आपका स्वागत करवा देंगे।

सभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, जो अमेंडमेंट बिल आया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके साथ-ही-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ चेंजिज लाने की जरूरत है। आप देखें कि वर्ष 1947 से आज तक, इस देश की जंगे आजादी के लिए, मजदूरों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। बहुत से मजदूर तबाह और बरबाद हुए हैं। मजदूरों की बहुत सी ख्वाहिशें थीं कि मुल्क आजाद होगा तो उन्हें उनका हक मिलेगा, कोई उनको हक से महरूम नहीं कर सकेगा और उनकी फरियादें सुनने के लिए लोग होंगे-लेकिन हुआ क्या? आप देखें कि कहां वर्ष 1936 और कहां आज वर्ष 2005 चल रहा, अगर इस बीच के समय की तुलना करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत अंतर आ गया है। और अगर प्राइस राइज की बात करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपकी ओर से पहले ही इस विधेयक पर अनेक सदस्य बोल चुके हैं। हम इस विधेयक पर आधा घंटा अधिक ले चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: महोदय, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं बोलना चाहता हूं और आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप मजदूरों के नुमाइंदे रहे हैं और जब मजदूरों की बात आ रही है, तो आप ध्यान से सुनेंगे और माननीय मंत्री जी को भी आगाह करेंगे। इतने वर्षों में वर्ष 1936 से लेकर वर्ष 1957 तक, 21 वर्षों में उनके चार सौ रुपए बढ़ाए गए, 19 वर्षों के बाद एक हजार रुपए और छ: वर्ष के बाद छ: सौ रुपए बढ़ाए गए। आज तेईस वर्षों के बाद 6500 रुपये हुए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इतने वर्षों के बाद आज मजदूर अपने लिए एक पक्का मकान बनाने की हैसियत नहीं रखते। मजदूर की झुग्गियां हर जगह आपको मिल जाएंगी। उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मजदूरों के पास बच्चों को देने के लिए शिक्षा और पैसा नहीं है। इसके साथ उनके खाने का जो राशन होता है, वह सबसे वर्स्ट खाना होता है। जो मजदूर ताकत से सारा दिन मेहनत करता है, वह सबसे बेकार खाना खाता है। आप जानते हैं कि उनकी जो एजिटेशन 1945 में शुरू हुई थी, वह वर्ष 1954 तक चली। तेलेंगाना एजिटेशन अभी चल रही है। एजिटेशन अंग्रेजों के खिलाफ भी चली थी। उसके बाद भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज आप इंसाफ नहीं करेंगे, तो यह सही बात नहीं होगी। यह बहुत बड़ा मौका है, मजदूरों के साथ इंसाफ करने का। आज दुनिया को मंत्री जी से उम्मीदें हैं कि मजदूरों को रिप्रजेंट करने वाला कोई यहां बैठा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा पीडीसी है, उसे चार सौ रुपया महीने मिलता है। यह कौन सी तनख्वाह है? आज जो पानी पिलाता है, डेली वेजर है उसे पांच सौ रुपया मिलता है और दो-दो साल तक उसे तनख्वाह नहीं मिलती है। इसके साथ फारेस्ट लेबर है, उनका तो कोई खाता ही नहीं है कि किस एक्ट में वे आते हैं। इसके साथ खेतिहर मजदूर हैं। उनकी हालत आप देखें, डेली वेजर्स की हालत आप देखें। मैं कहना चाहता हूं कि एक कम्प्रीहेंसिव बिल आपको लाना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए ताकि सारे मजदूरों को फायदा मिल सके, नहीं तो इस बिल का कोई फायदा नहीं है। यह ठीक है कि आपने तरक्की की है, लेकिन पूरी तरक्की नहीं की है। कृपा करके आप एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाकर लाइए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री अब उत्तर दे सकते हैं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, उसमें मेरा नाम है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अन्य वक्ताओं के लिए समय नहीं है क्योंकि समय की कमी है और मंत्री महोदय को जवाब भी देना है।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, यह उचित नहीं है।

सभापति महोदय: मुझे खेद है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कार्यमंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया है।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: यह मेरा अधिकार है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण आपके अलावा अन्य सदस्यों ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने मुझे यह अधिकार दिया है। मैं क्या कर सकता हूं?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति जी, जिस पार्टी का कोई सदस्य विधेयक पर नहीं बोला हो, उसे विधेयक पर बोलने से नहीं रोका जा सकता, यह परम्परा है। आप चाहें, तो देख सकते हैं। वैसे हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन संख्या के आधार पर हमारी पार्टी से किसी भी माननीय सदस्य को इस विधेयक पर बहस में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। चूंकि यह विधेयक है, इस पर हमारी पार्टी के पार्टीसिपेशन के बिना, हमारी पार्टी की राय लिए बिना, विधेयक को सदन में पारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारी पार्टी के सदस्य को आप बोलने का अवसर प्रदान करें।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किसी को बोलने का अवसर नहीं दिया है। हमारे 24 सदस्य हैं। संख्या के आधार पर आप हमारे सदस्यों को बोलने से किस प्रकार रोक सकते हैं? माननीय सदस्य बोल सकते हैं। महोदय, यह हमारा अधिकार है। हमारी पार्टी को बोलने का अधिकार है।

सभापति महोदय: यादव जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे समक्ष एक पर्ची है जिसमें लिखा है कि मंत्री महोदय बोलना चाहते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आप सदस्य को बोलने से कैसे रोक सकते हैं? संसद में ऐसी कोई परम्परा नहीं है। आप सदस्य को बोलने से नहीं रोक सकते।

सभापति महोदय: राम कृपाल यादव जी, आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: माननीय सभापति जी, मैं सिर्फ दो-तीन मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: ठीक है, मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं। यद्यपि आप अपने स्थान पर नहीं हैं परन्तु मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं। आपको अपने स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको वहीं से बोलने की अनुमति देता हूं। आपको सभी प्रकार की रियायत दी गयी है परन्तु आप अपनी बात दो या तीन मिनट में समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वे उत्तम विधेयक लाए हैं। यू.पी.ए. सरकार की जो कमिटमेंट है, प्रधानमंत्री जी की जो कमिटमेंट है, उसके अनुसार मंत्री जी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मजदूरों को उनका वेतन सही समय पर दिया जाए और उनका शोषण न हो, लेकिन मैं समझता हूं कि इस विधेयक में व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। अच्छा होता है कि जो कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके अलावा अन्य अनेक वर्गों के जो मजदूर हैं, जिनके लिए आपने इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं किया है, उनके लिए भी कोई प्रावधान किया जाता। ऐसे वर्गों में खेतिहर मजदूर और बाल मजूदर आते हैं। यदि असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों के मजदूरों के लिए एक काम्प्रीहेंसिव विधेयक लाते, तो बहुत अच्छा होता। मेरा निवेदन है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस विधेयक की परिधि से बाहर रह गए हैं, उनके कल्याण के लिए आप कब तक विधेयक लाएंगे, इस बारे में अपने उत्तर में अवश्य बताएं।

सभापति जी, आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जमाना आ गया है। आपने इस विधेयक को लाकर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और

[श्री राम कृपाल यादव]

मजदूरों के प्रति अपनी कमिटमेंट का इजहार किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस तरह से मजदूरों का शोषण करने का काम कर रही हैं, जिस प्रकार से मजदूरों से 12 से 14 घंटे काम कराती हैं, उन्हें बहुत कम वेतन देती हैं और जब चाहे निकाल देती हैं, उस पर कुछ अंकुश आपके इस विधेयक से लगेगा, यह अच्छी बात है। मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। अब हमारे यहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां का दौर चल रहा है। उनके लिए हमारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। वे हमारे यहां के मजदूरों की आर्थिक बदहाली का लाभ उठाना चाहती हैं। उस पर आप इस विधेयक के माध्यम से रोक लगाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आप इस विधेयक के माध्यम से सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन समय पर मिले। मेरा निवेदन है कि आप इस बिल के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करें कि इसका रिव्यू होता रहे। कानून तो बहुत बनते हैं, लेकिन जब तक कानून सरजमीं पर नहीं उतरेगा, तब तक सारे कानून बेकार हैं। मेरा निवेदन है कि आप तीन-चार महीने के बाद इसका रिव्यू करें। उन्हें जो वेतन मिल रहा है, वह सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या हमारे मजदूरों का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि इस कानून में अगर आप इस बात का प्रावधान करें तो बहुत उत्तम रहेगा। आज बेचारे मजदूर की हालत क्या है। हमारे यहां मजदूर की हालत यह है कि बेचारा मजदूर दिन भर कमाता है तो रात को जब घर जाता है तो वह अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कपड़े की अलग बात है। आज इतना कम पैसा हमारे मजदूरों को मिल रहा है। आज उनमें बेरोजगारी है, गरीबी है, फटेहाली है और बेरोजगारी, गरीबी और फटेहाली जब तक रहेगी, जब तक भारतवर्ष गरीब है, तब तक मजदूरों का एक्सप्लायटेशन होता रहेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सब चीजों पर भी ध्यान दें।

मजदूर हमारी ताकत है, श्रमशक्ति है। भारतवर्ष की अगर कोई ताकत है तो उसकी श्रमशक्ति है। आज विदेशी कंपनियां हमारे यहां इसलिए आ रही हैं, क्योंकि यहां सस्ती दरों पर उन्हें श्रम मिल रहा है, कम पैसे पर उन्हें मजदूर मिल रहे हैं, इसलिए विदेशी कंपनियां यहां आ रही हैं। हां, वे आयें, हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं कि हमारे यहां जिस दृष्टिकोण से कोई बाहर की कंपनियां आ रही हैं, मगर हम अपने मजदूरों का एक्सप्लायटेशन नहीं होने देंगे, हम उनका शोषण नहीं होने देंगे। मैं समझता हूं कि सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मंत्री जी की और यू.पी.ए. सरकार की मंशा भी है और यह कमिटमेंट सिर्फ यू.पी.ए. सरकार ही कर सकती है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन यह होगा कि आने वाले दिनों में अगर आपने इस बिल में प्रावधान नहीं रखा है, खेतिहर मजदूरों की क्या हालत है, आप तो जानते हैं, आप किसान हैं, आप भी उसी स्तर से ऊंचे उठकर आये हैं, जब पूरे सदन के सदस्य किसान मजदूरों की हालत को देखते हैं कि आज इतना बड़ा उग्रवाद क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वे जो मेहनत करते हैं, वे जो काम करते हैं, उसका मेहनताना नहीं मिल रहा है, इसलिए गरीबी भी है, फटेहाली भी है और जब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा, इस देश में मजदूरी ही तो सब कुछ हैं, खेती में काम करने वाले, खलिहाल में काम करने वाले और वैसे तमाम वर्गों और तबकों पर आपको ध्यान देना होगा, जो बड़े पैमाने पर मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, उन पर निश्चित तौर पर आप रोक लगाने का काम करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए इस विश्वास के साथ कि कानून बनते हैं, मगर जब तक कानून को सरजमीं पर नहीं लाया जायेगा, तब तक सारे कानून बेकार हैं। एक अच्छी मंशा से आप यहां आये हैं, उस मंशा को सरजमीं पर उतारिये, उस ताकत के साथ, उस इच्छाशक्ति के साथ जो भावना है, वह भावना अगर सर्व नहीं होगी तो सारे कानून बेकार हैं। कानून तो बनते हैं, बहुत सारे कानून बनाये गये, मगर कानून जब तक जमीन पर नहीं उतरेगा, जिनकी सुरक्षा के लिए, जिनकी रक्षा के लिए, जिनके हितों के लिए आप यह कानून लाये हैं तो उसको निश्चित तौर पर सुनिश्चित करिये कि जब हम इस कानून को ला रहे हैं तो सरजमीं पर उतारेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आपका, मंत्री जी का और तमाम सदन का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपका धन्यवाद। श्री जोवाकिम बखला।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार): माननीय सभापति महोदय, मैं मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004 का समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप मेरी अनुमति के बिना नहीं बोल सकते।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आपको बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री बखला आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री जोवाकिम बखला: सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004 में एक संशोधन का प्रस्ताव किया है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक स्वागतयोग्य कदम है और मैं इसे एक सकारात्मक कदम मानता हूं। महोदय, अधिकतम सीमा को 1600 से बढ़ाकर 6500 किया गया है और समयावधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इसका संबंध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ होना चाहिए।

अत: इसकी समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए। मेरा यही सुझाव है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसकी समीक्षा करेंगे।

इसके बाद, यहां कई स्थानों पर नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने आरम्भ में नियमों का जान-बूझकर उल्लंघन किया है उन्हें सजा दी जानी चाहिए। ठेकेदारों के मामले में मूल नियोक्ता को दंडित किया जाना चाहिए। अन्यथा, यदि उन्हें खुला छोड़ दिया गया तो अन्तत: श्रमिकों को ही हानि उठानी पड़ेगी।

अपराह्न 5.46 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

महोदय, अभी माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया था कि मोदी नगर में, मोदी टायर कम्पनी के श्रमिक भूखों मर रहे हैं क्योंकि उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिल रही है। अत: मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। हमने यह महसूस किया है कि प्रबन्धन की इच्छा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने की नहीं है। जहां तक संभव हो वे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने में अनावश्यक विलंब करते हैं और उन्हें उनकी मजदूरी से वंचित रखने का प्रयास करते हैं। अत:, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि उन्हें इसको देखना चाहिए जिससे कि ईमानदार श्रमिक अपनी मजदूरी से वंचित न हों। उन्हें तर्कसंगत मजदूरी मिलनी चाहिए और उनकी मजदूरी का भुगतान समय पर होना चाहिए। अन्यथा, यदि उन्हें समय पर मजदूरी नहीं मिलेगी तो उनके परिवारों को इसका दुख उठाना पड़ेगा।

महोदय, हमने देखा है कि चाय के बागानों में मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। चाय बागानों के मालिक मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने में दो से तीन वर्ष का विलंब करते हैं। समझौते पर हस्ताक्षर के समय वे उसके ऐसी कुछ शर्तें डाल देते हैं जिनके अनुसार वेतन समझौते का पालन तभी किया जाएगा जब वे उत्पादन से जुड़ी मजदूरी को स्वीकार करेंगे। उस समझौते पर तभी हस्ताक्षर किए जाएंगे जब श्रमिक उस शर्त को मानेंगे। अब, वहां के मजदूर कष्ट उठा रहे हैं।

महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी जो कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं वहां एक सकारात्मक कदम है। अत: मैं इस कदम का स्वागत करता हूं लेकिन इसी के साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि मंत्री जी को एक व्यापक विधान लाना चाहिए जिससे कि श्रमिकों के सभी वर्गों का ध्यान रखा जा सके।

[हिन्दी]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): मजदूरी संदाय अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर हुई चर्चा में श्री थावरचंद गेहलोत, श्री मधुसूदन मिस्त्री, श्री सांताश्री चटर्जी, श्री सी. कुप्पुस्वामी, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी, श्री के. सुब्बारायण, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री एस.के. खारवेनथन, श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, श्री राजाराम पाल, श्री गिरधारी लाल भार्गव, चौधरी लाल सिंह, श्री राम कृपाल यादव, श्री जोवाकिम बखला आदि माननीय सदस्यों ने भाग लिया, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले भारत के मजदूरों की तरफ से। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): महोदय, मंत्री जी ने मेरा नाम नहीं पुकारा। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: मैं आपका नाम विशेष रूप से लेने जा रहा था। इस चर्चा से एक बात उभरकर सामने आयी है और जितने भी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, उन्होंने इसका स्वागत किया है, सभी ने इस बिल का समर्थन किया है। इसलिए मैं अपनी ओर से और भारत के वर्कर्स की ओर से सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा।

जो बातें यहां कही गई हैं, सब बातों से नहीं, लेकिन कुछ बातों से मैं भी सहमत हूं। एक बात पर खास तौर पर सब माननीय सदस्यों ने जोर दिया है कि इसमें 6,500 रुपये ही क्यों रखे गए हैं, इसे बढ़ा सकते हैं। इस विषय में सरकार की एक ही मंशा होती है कि जो हाई पेड इम्प्लाइज हैं, वे अपने आपको बचा सकते हैं, उनके पास उतनी ताकत है, लेकिन जो लो पेड ग्रुप्स हैं, वे अपने आपको बचा नहीं पाते, उन पर ध्यान देने के लिए इस प्रकार का प्रावधान रखा जाता है। यदि आप चाहें, तो इसे बढ़ा सकते हैं, सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन छोटे लैवल पर जो लोग अपने आपको डिफैंड करने की स्थिति में नहीं हैं, जो श्रमिक हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटैक्शन मिले, यही सरकार की मंशा है।

आज सुबह जब अधिकारीगणों से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने खुद इस पर आशंका जतायी थी। सरकार प्राइस इंडैक्स को डिक्लेयर करने के प्रोसैस में है। कुछ ही दिनों में यह होने वाला है। अभी-अभी हमें संस्था से रिपोर्ट मिली है। मुझे ट्रेड यूनियन के नेताओं से मीटिंग करके पहले प्राइस इंडैक्स ऐनाउंस करना है। उसके साथ-साथ जिस प्रकार से आज सदन में डिमांड आई थी, मैं सदन और सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि यह राशि 6,500 रुपये नहीं रहेगी, यह जरूर बढ़ेगी, लेकिन इसे किस हद तक बढ़ाना उचित होगा, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी। यह जल्दी से जल्दी हो जाएगा।

सभी माननीय सदस्यों ने अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर की बात बहुत जोर से कही है। इस बारे में सरकार को भी काफी चिन्ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यूपीए सरकार ने देश की जनता के सामने जो कामन मिनिमम प्रोग्राम रखा है, उसमें साफ कह दिया है कि अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर बिल जरूर लाया जाएगा। सरकार ने एक कमीशन भी ऐप्वाइंट किया। कमीशन अपना काम खत्म कर रहा है। हाल ही में हमने मीटिंग भी की है, हमारे मंत्रालय में मीटिंग हुई है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी कमीशन की मीटिंग में भी गए। नेशनल एडवाइजरी कमीशन में भी इसकी चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि कुछ समय में अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर बिल कम्प्रीहैनसिव रूप में लाने का प्रयास सरकार करेगी। जितनी जल्दी हो सके, सरकार उतनी जल्दी बिल लाने का प्रयास करेगी, मैं सदन और सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं।

ज्यादातर सदस्यों की यह डिमांड भी रही है कि सरकारी इम्प्लाइज, जैसे मंत्रालय में होते हैं, दूसरे डिपार्टमैंट्स में होते हैं, उनको एक या दो तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, इसी तरह उन लोगों को भी पेमैंट दिलाने का प्रयास करना चाहिए। यह पार्ट आफ एक्ट है, लेकिन कहीं-कहीं इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें होती हैं। दूसरी बात मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इसी सम्मानित सदन ने राज्य सरकार को कुछ अधिकार संविधान की तरफ से दे रखे हैं। राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से चलें, यह मामूली बात नहीं है। राज्य सरकारों के अपने अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। कहीं भी, किसी भी समय, किसी राज्य से अगर हमें इत्तिला मिलती है कि वहां न्यूनतम वेजेज नहीं दिए जा रहे हैं या वेजेज एक्ट का वायलेशन हो रहा है, यह एक ही एक्ट नहीं है, श्रम मंत्रालय की तरफ से कम से कम 50-55 ऐसे एक्ट्स हैं, उनमें से एक एक्ट यह है, जो संशोधन के लिए सदन में लाया गया है।

यदि किसी भी राज्य से हमें इत्तला मिलती है या किसी भी सम्मानित सदस्य से लैटर के रूप में या किसी और तरह से जानकारी मिलती है, तो हम इम्मीडिएटली स्टेप लेते हैं और उस राज्य सरकार से बात करते हैं। मैं खुद सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वहां के श्रम मंत्रियों को लैटर लिखता रहता हूं। कभी भी कोई मामला गंभीर होता है, तो यहां से सीनियर आफिसर्स की एक टीम वहां भेजी जाती है। वैस्ट बंगाल के बारे में जब सदन में चर्चा हुई, आप जानते हैं कि मैं खुद वैस्ट बंगाल गया था। हमने उस समस्या को हल करने का प्रयास किया था। चटर्जी साहब इस बारे में जानते हैं। वह प्रयास अभी भी जारी है। ...*(व्यवधान)* डेवलपमैंट के लिए हम गये थे। वहां जाकर हमने प्रयास किया था। अब कभी किसी में रिजल्ट आता है और कभी रिजल्ट आने में देर लग सकती है, लेकिन हम हर प्रकार से प्रयास जारी करते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।

इस विधेयक पर अमल करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे ताकि जमीनी स्तर तक इस पर अमल हो सके। सदन में माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं प्रकट की हैं, उनको कोट करते हुए मैं एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों, श्रम मंत्रियों और चीफ सैक्रेट्रीज को लैटर लिखूंगा, यह मैं सदन को आश्वासन देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर सभी माननीय सदस्यों का समर्थन मिला है। कुछ सदस्यों की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं, मैं अब उनके बारे में कहना चाहूंगा। अभी भार्गव साहब ने जयपुर मैटल इंडस्ट्री के बारे में कहा। मैं उन्हें इस बारे में आश्वासन देता हूं। यहां पर माननीय शीश राम ओला जी भी बैठे हुए हैं। वे भी उस समस्या के बारे में जानते हैं। इस संबंध में

हम जरूर प्रयास करेंगे और राज्य सरकार से भी बात करेंगे। मैं आफिसर्स की एक टीम भी वहां भिजवा दूंगा। वे वहां जाकर उसका जायजा लेंगे। इस संबंध में केन्द्र सरकार जो कुछ प्रयास कर सकती है, उसे हम जरूर करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसुदन मिस्त्री (साबरकंठा): ऐसा एनडीए सरकार ने नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें। आपके मंत्री बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री के. चन्द्रशेखर राव: श्री कुप्पुसामी जी अपने भाषण में कह रहे थे कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति होने के नाते, एक पुराने श्रमिक नेता होने के नाते-आप श्रमिकों के लिए काफी गंभीर तरीके से काम करते हैं। उन्होंन एक बात रखी है कि

[अनुवाद]

श्रमिक कानूनों को नरम मत बनाइए। कुप्पुसामी जी मैं पुन: सं.प्र.ग. सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। यह एक श्रमिक-हितैषी सरकार है; यह बिल्कुल भी श्रमिकों के विरुद्ध नहीं है और उसका यही दर्शन जारी रहेगा। यह एक श्रमिक-हितैषी सरकार रहेगी। यह श्रमिकों के कल्याण और उन्हें ऊपर उठाने का कार्य करेगी। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि एक स्वस्थ्य श्रमिक-बल एक राष्ट्र की सम्पत्ति होता है। इस सरकार की यही प्रतिबद्धता है। सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम से अलग नहीं हट रही है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): मंत्री जी, आप कानपुर के बारे में भी कुछ कहिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री के. चन्द्रशेखर राव: कानपुर इंडस्ट्री के बारे में हमारे राजाराम पाल जी ने कहा है। उनका कहना था कि वहां काफी मिलें बंद हो गयी हैं। मैं भी जानता हूं कि एक जमाने में कानपुर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होता था। कानपुर में जो कुछ हो रहा है, उसकी जानकारी इन्होंने अभी दी है। मैं उनको आह्वान करता हूं कि वे मेरे पास आयें और मुझे सारी डिटेल्स बता दें। मंत्रालय की तरफ से उसमें जो कुछ संभव हो सकता है, उसे हम करेंगे। इस संबंध में जो कदम उठाने हैं, वह हम सांसद साहब से मिलकर उठायेंगे।

अभी गोयल साहब मोदी नगर की बात कर रहे थे। मैं गोयल साहब का भी विनम्रतापूर्वक अपनी तरफ से आह्वान करता हूं कि मेरे पास आयें और मुझे सारी डिटेल्स समझा दें। उसमें हमें जो कदम उठाने जरूरी होंगे, जो प्रयास हम कर सकेंगे, मैं उनको आश्वासन देता हूं कि हर संभव वे प्रयास करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): कम्प्रीहैन्सिव बिल लाने की जो बात थी, उसका क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर): मजदूर संदाय अधिनियम की धारा पांच में लिखा है कि जहां एक हजार से कम श्रमिक हैं, वहां सात तारीख को और जहां उससे अधिक हैं, वहां दस तारीख को तनख्वाह देनी चाहिए। इस संबंध में मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। आपने अभी कहा कि मैं राज्य सरकारों को लिखूंगा और प्रयास करूंगा परन्तु इस एक्ट में। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: गेहलोत जी, मंत्री जी से परमीशन न लेकर, चेयर से परमीशन लेनी होती है।

...*(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

श्री थावरचंद गेहलोत: जी सर, मैं आपसे ही परमिशन लूंगा। ऐसा रहता है कि वह बोल रहे हों, यदि हम उनसे निवेदन करें और वह यील्ड कर जाएं, तो आपकी परमिशन आटोमैटिक मिल जाती है। इसलिए मैंने सीधा उधर निवेदन कर दिया था। इस गलती को मैं सुधारकर आपसे निवेदन करता हूं। इसमें यह जो प्रावधान है कि आप जब पत्र लिखेंगे और राज्य सरकार के साथ चर्चा करेंगे तथा एक्ट में सात और दस तारीख लिखी है, उसके कारण बाधा पहुंचेगी। मेरा एक निवेदन है। मैंने पहले भी निवेदन किया था और अब फिर निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में आप आश्वासन दे दें कि आप इस एक्ट में संशोधन करके एक तारीख और दो तारीख तक पेमेंट करने का प्रावधान कर दें और फिर राज्य सरकारों के साथ बात करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी। इसलिए मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अभी छ: बजे हैं। इस विधेयक के पश्चात्, मेरे पास 25 माननीय सदस्यों की सूची है जिन्हें नियम 193 के अधीन चर्चा में भाग लेना है, उसके पश्चात हम विशेष उल्लेख लेंगे। मेरे विचार से हमें इस विधेयक के पारित होने के पश्चात विशेष उल्लेख लेना चाहिए। यदि सभा सहमत हो तो हम नियम 193 के अधीन चर्चा बाद में अथवा किसी और दिन ले सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय अपना वक्तव्य जारी रखें।

...(व्यवधान)

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है मजदूरी संदाय अधिनियम में शर्त है कि कार्य समाप्त होने के सात दिन अथवा दस दिन के भीतर जैसा भी हो मजदूरी दी जानी चाहिए। परन्तु प्रबंधन पहले अथवा दूसरे दिन भुगतान करने के लिए बाध्यकारी नहीं है और मेरे विचार से इस संबंध में कोई नियम नहीं है। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय हमें और जानकारी दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री के. चन्द्रशेखर राव: उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों ने कहा है कि इसमें सिर्फ पैनल्टी ही पैनल्टी है। इसमें कुछ पनिशमेंट की बात होनी चाहिए। एक्ट के सैक्शन 9 (एफ) के तहत-

[अनुवाद]

> "छ: माह तक के कारावास के साथ-साथ प्रस्तावित स्लैब को 3750 रु. के स्लैब से 22500 रु. के स्लैब से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।"

[हिन्दी]

इसमें जहां जरूरत थी, जहां पनिशमेंट की जरूरत होती है, जहां सख्ती से लागू करने की जरूरत है, वहां एक्ट में प्रावधान है। उसमें वह बात भी लाई गई है, सारे सदस्यों ने समर्थन किया ही है लेकिन उस समय कुछ दुख होता है कि इसमें कुछ राजनीति की बात लाई गई है। प्रोफेसर साहब जी मेरे सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि आठ महीने इसे राज्य सभा से लोक सभा लाने में लग गये। मैं मानता हूं कि कुछ देरी हुई है लेकिन एनडीए के जमाने में सन् 2002 में बनकर 2004 तक कोई बात लाई ही नहीं गई और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दूसरी बात *...(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. चन्द्रशेखर राव: हमने स्थायी समिति कि रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया है मैंने यह स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात यह है कि वे कह रहे थे

[हिन्दी]

"हमारे वामपंथी मित्रों ने, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले और वे हमारा समर्थन कर रहे हैं।" महोदय, मगरमच्छ के आंसू कौन बहाते है? *...(व्यवधान)* आज सदन के जरिए सारा देश भी जान गया है और मैं प्रोफेसर साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश में केन्द्र सरकार में पहली बार डिसइंवेस्टमेंट मंत्रालय और डिसइंवेस्टमेंट मंत्रालय के खास मंत्री को ही कायम करने वाली कौन सी सरकार थी? जरा आप उसे नहीं भूलें और 'बालको' को बेचने वाली कौन सी सरकार थी? *...(व्यवधान)* तीन राज्यों में जिसमें हमारे आंध्र प्रदेश की भी सरकार थी। मैं वहां उस समय विधायक था। उन्हें यह परमीशन दी गयी कि लेबर ला को जिस प्रकार से आप चाहें संशोधित कर लें। एफडीआई को देश में लाने के लिए केन्द्र सरकार ने उन राज्यों को पूरे अधिकार दे दिए थे। प्रोफेसर साहब, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदय, मैं इसे नहीं मानता। मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: जो कोई सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोलेगा उनकी टिप्पणियां कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएंगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: खारबेल स्वाईं जी, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदय, बात इतनी ही है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आजमी जी, आप बैठ जाइए।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदय, इतनी बात तो तय है कि मैंने बाल्को के बारे में, तीन राज्यों को परमीशन देने के बारे में और डिसइनवेस्टमेंट के बारे में जो बातें कही हैं, वे फैक्ट्स हैं, मैंने कोई कल्पना नहीं की है, लेकिन *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप कृपया विधेयक पर ही बोले विनिवेश पर नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदय, जब मैंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, आपने मुझे अनुमति दी, सारे सदस्यों ने अपनी बातें रखी, राजनीति मैंने शुरू नहीं की है। लेकिन दूसरी तरफ से जब बात आई, जब उल्लेख हुआ तो उसके बारे में मुझे कम से कम जवाब देना ही पड़ेगा अन्यथा देश में एक ही वर्जन चला जाएगा। लेफ्ट के हमारे मित्र, अपनी नीतियों के बारे में हमें बार-बार कहते रहते हैं, गवर्नमेंट को एलर्ट और होशियार करते रहते हैं, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। मैं यह मानकर चलता हूं कि इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। इसलिए मैं इन बातों को प्रोफेसर साहब की विद्वत्ता के लिए छोड़ते हुए, यह कहूंगा कि यह बिल लेबर फ्रैण्डली है और जिस तरह से इसे राज्य सभा में बिना किसी विरोध के आम सहमति से पारित किया गया है, उसी तरह यह सदन उसे युनैनिमसली पास कर दे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा यथा पारित मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 11 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,-

"2004" के स्थान पर "2005" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री के. चंद्रशेखर राव)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गय संशोधन:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"पचपनवें" के स्थान पर "छप्पनवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री चन्द्रशेखर राव)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विशेष उल्लेख लेंगे। सर्वप्रथम मैं श्री शैलेन्द्र कुमार का नाम पुकारता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे स्पेशल मेंशन के जरिए विकलांगों की समस्या को उठाने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नेशनल फेडरेसन आफ दि ब्लाइंड और आल इंडिया फैडरेशन आफ दि ब्लाइंड, इन दो संगठनों ने हाल ही में अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया तथा संसद मार्ग पर मार्च किया। उनकी मुख्य मांग यह थी कि विकलांगता कानून में परिवर्तन किया जाए। सरकार ने जो विकलांगों के लिए कानून बनाया है, उससे उनके हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। तमाम जगहों पर विकलांग आरक्षण को लागू तो किया गया है, लेकिन सही मायनों में उन्हें वे सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। चाहे पक्ष में बैठे माननीय सदस्य हों या विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य हों, सभी ने हमेशा इस बात की मांग की है कि जिस तरह से संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा ओबीसी को आरक्षण की सुविधा मिली हुई है, उसी तरह से विकलांगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और निजी क्षेत्र में भी उन्हें आरक्षण दिया जाए। अगर आप उन्हें यह हक देंगे, तो उनकी लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सकेगा। ये लोग असहाय हैं, दया के पात्र हैं, हम लोगों के भरोसे हैं और मानवता के पात्र हैं। अगर हमें उन्हें ये सुविधाएं दे सकें, तो यह सरकार पर भी बहुत उपकार होगा और मानवता पर भी उपकार होगा।

सायं 6.14 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

मैं इन्हीं शब्दों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह इन बातों को गम्भीरता से लें, जिससे विकलांग, जो हमारे साथी हैं, उन्हें आरक्षण की सारी सुविधाएं मिल सकें।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, मैं सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ अर्जित करनी 13 इकाइयों का विनिवेश नहीं किया जाएगा। परन्तु मेरे विचार से अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां हैं जिनका पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता है तथा जिनका पुनरुद्धार किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि सरकार इन सभी इकाइयों को पुनरुद्धार करने के लिए कोई कदम उठाएगी अथवा नहीं।

हमारे देश में, कई उर्वरक के कारखाने हैं जिन्हें राजग के शासनकाल में बंद कर दिया गया है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन बंद उर्वरक कारखानों को पुनजीर्वित किया जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाए। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में संप्रग सरकार ने औद्योगिक विकास में अधिक निवेश का वचन दिया है। मैं समझता हूं कि बिना औद्योगिकीकरण के हमारे शिक्षित बेरोजगार लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश की आवश्यकता है। इस संबंध में निजी क्षेत्र बहुत अधिक नहीं कर सकता। औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश की ज्यादा आवश्यकता है। यही कारण है कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र आत्मनिर्भरता का प्रतीक है इसके साथ ही यह भूमंडलीकरण की चुनौतियों को स्वीकार करने का भी प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करे क्योंकि बिना सार्वजनिक निवेश के देश में औद्योगिक विकास संभव नहीं है।

हमारे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है; विशेषकर शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यह संभव हो सकता है यदि औद्योगिक विकास हो लेकिन देश में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। यही कारण है कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में नीति का निर्माण करना चाहिए।

कभी तो सरकार कहती है कि निवेश होगा और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों को रणनीतिक भागीदारों के माध्यम से बेचा जाएगा जब कि कभी कहती है कि सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण नहीं किया जाएगा और उनके शेयर का विनिवेश नहीं किया जाएगा। इससे भ्रम पैदा होता है। यही कारण है कि मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री तथा भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की सभी यूनिटों में सार्वजनिक निवेश के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करे ताकि हमारे देश को वास्तव में आत्म-निर्भरता प्राप्त हो और हम आर्थिक संप्रभुता प्राप्त कर सके।

राष्ट्रीय और राजनीतिक संप्रभुता के लिए आर्थिक संप्रभुता ही समाधान है। यही कारण है कि मैं सरकार से औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के संबंध में एक नीति के निर्माण के लिए अनुरोध कर रहा हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे संक्षेप में बोलें। अन्यथा हम सूची में दिए गए सभी सदस्यों को शामिल नहीं कर पायेंगे। 38 या 40 माननीय सदस्यों ने सूचना दी है। मैं उन सभी को एक-एक करके बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल एन. पाटले (भण्डारा): उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के विदर्भ में बहुत अधिक क्षेत्रफल में जंगल है, जोकि वन विभाग के अधीन हैं। मुख्य रूप से भण्डारा, गोंडिया, गचरौली, चन्द्रपुर एवं नागपुर में ज्यादा तादाद में जंगल है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड एवं राष्ट्रीय गणना के अनुसार 33 प्रतिशत जंगल हैं। जबकि इन जंगलों में 38 प्रतिशत से ज्यादा जंगल व्याप्त है। इतना ही नहीं भारतीय संविधान के परिशिष्ट 5 के अनुसार जो जिले बैकवर्ड जिलों में आते हैं, उन जिलों के लिए वन संरक्षण कानून शिथिल करने का प्रावधान है।

महाराष्ट्र के विदर्भ में बहुत अधिक मात्रा में उच्च कोटि का खनिज उपलब्ध है। जिसमें मैंगनीज, ग्रेनाइट जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अत्यधिक मांग है। वैसे ही कांच बनाने का कच्चा माल, सोना इत्यादि। इसके उपरांत विदर्भ में अभी तक वन संरक्षण कानून के रूकावट के कारण किसानों के खेती में सिंचाई की सुविधा कुल 11 प्रतिशत है। अगर विदर्भ के उपरोक्त जिलों को वन संरक्षण कानून से छूट दी जाती है, तो 59 प्रतिशत खेती में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिसके कारण विदर्भ के किसान आर्थिक संकट से ऊपर उठेंगे, उच्च कोटि के खनिजों की भारी मात्रा में खानें शुरू होंगी, जिससे विदर्भ की जनता को एवं बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इतना ही नहीं 89 जल विद्युत प्रकल्प वन कानून के कारण प्रलंबित हैं।

मैं सरकार को सूचित करता हूं कि और विनती भी करता हूं कि यहां जिलों में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार 33 प्रतिशत से ऊपर वन है एवं भारतीय संविधान के परिशिष्ट 5 के अनुसार उपरोक्त जिले बैकवर्ड हैं, जो राष्ट्रीय समविकास योजना में सम्मिलित है, इन जिलों को वन संरक्षण कानून से छूट दी जाए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज इस देश में अन्य पिछड़े वर्ग के 54 प्रतिशत लोग हैं और खासकर आज सत्ता की असली चाबी शिक्षा है और आज के सूचना और तकनीकी के युग में पिछड़े वर्गों को या दलित वर्गों या पिछड़े अल्पसंख्यक हों, उनके पास यदि शिक्षा नहीं होगी, उच्च शिक्षा नहीं होगी तो उस समुदाय के लोगों को रोजगार का कोई अवसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम इस सवाल को उठा रहे हैं। आज जितनी उच्च शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आज एक सवाल पर सुबह ही चर्चा हुई, वह अलग सवाल है जो अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते परिस्थिति उत्पन्न हुई है और सामान्य रूप से भी अभी तक मंडल कमीशन के तहत जो 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में, चाहे आईआईटी हो,

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

आईएमटी, चाहे एम्स हो, कहीं नहीं है। आरक्षण लागू नहीं हुआ है, इम्पलीमेंट नहीं हुआ है। कार्मिक विभाग के जरिए परिपत्र निकाल कर इसके इम्प्लीमेंटेशन में इस तरह की जटिलता अपनाई गई है कि आज तक धरती पर यह 27 प्रतिशत आरक्षण उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आईआईटी में तकनीकी संस्था में या आईएमआईटी या एम्स में आरक्षण सुनिश्चित नहीं हो पाया है। इसलिए मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि पिछड़े वर्गों को अभी भी शिक्षण संस्था या तो पिछड़ों को शिक्षा संस्थाएं खोलने की अनुमति दी जाए अन्यथा इसका समावेश कैसे होगा? आज इस सवाल पर दूसरी दृष्टि से हम लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन मैं यह कहूंगा कि निजी क्षेत्रों में भी ओबीसी लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए और निजी क्षेत्र का मतलब जो प्राइवेट क्षेत्र हैं, वहां आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए मैं खास तौर से मण्डल आयोग की सिफारिशों के तहत इस बात को उठा रहा हूं क्योंकि जो क्रीमी लेयर की बात है संविधान के तहत नहीं है, अभी एक विधेयक भी आने वाला है और स्टैण्डिंग कमेटी से भी इस संबंध में रिपोर्ट आई है। मैं कहना चाहता हूं कि क्रीमी लेयर आय सीमा जो इन्कम लेवल लगाया गया है, उस पर संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, वे पिछड़े वर्ग में आते हैं। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको विशेष अवसर देने का प्रावधान भारतीय संविधान में है। संविधान की मंशा के विपरीत यह लाया गया है। इसमें निश्चित रूप से लेजिस्लेशन तो आए ही, मैं यह भी मांग करता हूं कि सदन में इसी सत्र में एक विधेयक लाकर इस क्रीमी लेयर को, क्योंकि जो लड़के पढ़ेंगे ही नहीं उनको कैसे 27 प्रतिशत आरक्षण मिल पाएगा, क्रीमी लेयर को जब संविधान ने आर्थिक आधार ही नहीं माना है, संविधान ने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर विशेष अवसर का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इसलिए संविधान की मूल स्पिरिट के विपरीत जो इस तरह का वर्डिक्ट दिया गया है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय हमारे संसदीय कार्य में हमेशा हस्तक्षेप करके नई परिपाटी शुरू कर रहा है। यह नया फैशन हो गया है। अपनी सीमाओं को लांघ कर देश में नई परिस्थिति पैदा की जा रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक चिन्ता का विषय है। भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सब की सीमाएं सुनिश्चित की गई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य महोदय, इस विषय के संदर्भ में एक विधेयक है और स्थायी समिति इस पर विचार कर रही है। इसे दोहराया जा रहा है। आप वही कह रहे है जो विधेयक में है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इससे संबंधित बिल पर आगे बात होगी। उच्च श्रेणी की नौकरियों में 27 परसैंट आरक्षण कैसे होगा? शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं में यदि आरक्षण नहीं है तो उन्हें नौकरियों में कैसे अवसर मिलेगा? मंडल कमीशन के तहत सभी शैक्षणिक संस्थाओं में 27 परसैंट आरक्षण का प्रावधान है। आबादी के आधार पर 54 परसैंट लोगों का रिजर्वेशन सुनिश्चित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री लोनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम): महोदय, मैं केरल में अंगमली-मान्नुती और मान्नुती-वालायार खंडों पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 को चौड़ा करने से संबंधित विषय पर सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हूं। मैं अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में कार्रवाई में तेजी लाइ जाए और निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के मूथाकुन्नम-इडाप्पीली खंड पर 25 वर्ष पूर्व ही सड़क को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित कर ली गई थी। इस खंड पर भी निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। भू-अर्जन के समय भू-स्वामियों, कास्तकारों और दुकानदारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर चालाकुडी नदी के ऊपर पुल बहुत ही खतरनाक और जर्जर स्थिति में है। इसका मरम्मत कार्य तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। तथा इसके साथ ही इसके स्थान पर एक नया पुल बनाया जाना चाहिए।

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): करूर जिले के ओराथापलयम में स्थित नोरयाल नदी बांध तिरूप्पुर के बनियान निर्माता यूनिटों और बुनाई कम्पनियों के रंगाई यूनिटों से निकलने वाले औद्योगिक बहि:स्राव का जलाशय बन गया है।

पिछले 10 वर्षों से उस क्षेत्र के ओराथापलयम, चिन्नमुथुर, पुवलारासु, थेंगमलकोयल जैसे स्थानों में कृषि भूमि की लगभग 25 हजार एकड़ जमीन खेती के लिए अयोग्य बन गई है तथा ईख, जिंजिली जैसे पारंपरिक फसलों की खेती के लिए अयोग्य हो गई है। वहां लोगों को शुद्ध पेयजल पाना कठिन हो गया है और उन्हें उसे पाने के लिए कई किलोमीटर तक दूर-दराज के क्षेत्रों तक भटकना पड़ता है। ऐसी रिपोर्ट है कि जब 1994 में बांध के दरवाजे खोले गए थे तब लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में रासायनिक यौगिको से मिट्टी तथा जल दोनों के प्रदूषण के रूप में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। एक सर्वेक्षण दल ने ये निष्कर्ष निकाले थे। 68 राजस्व उपलब्ध कराने वाले गांव और 250 दूर-दराज की बस्तियां बुरी तरह प्रभावित हुए और कृषि योग्य भूमि प्रदूषित बंजर भूमि बन गई है

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

हाल ही में दूसरी बार जलप्लावन के कारण इसके दरवाजे पुनः खोले गए थे जिसका स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया था क्योंकि इससे जल संसाधन और कृषि योग्य भूमि खतरनाक स्तर तक बर्बाद हुई थी। प्रदूषकों की सफाई हेतु अभी तक नदी तल से अवसाद को नहीं निकाला गया है और इसे दूर नहीं किया जा सका है। इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह नोय्याल नदी के नदी तल से विशेषकर ओराथापलयम बांध के मुहाने के पास पड़े जहरीले रासायनिक यौगिक युक्त अवसाद को हटाए। चूंकि नोय्याल नदी, कावेरी नदी की एक सहायक नदी है, पर्यावरण मंत्रालय पर्याप्त धन आवंटित करते हुए कावेरी नदी सफाई योजना के अंतर्गत नोय्याल अवसाद सफाई कार्यक्रम को अपने हाथों में ले सकती है। इससे कृषि योग्य भूमि तथा उस क्षेत्र के कृषक समुदाय को बचाने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): माननीय सभापति जी, आज आपने मुझे महत्वपूर्ण बिंदु को उठाने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आज पूरे देश में सड़क चौड़ी करने के नाम पर, शहरों को प्रदूषण से मुक्त करने के नाम पर, अतिक्रमण हटाने के नाम पर, गरीबों, मजलूमों की बेहतरी करने वाली, नारे लगाने वाली सरकार ने पूरी तरह से उन्हें खुले आसमान में मरने के लिए छोड़ दिया है। आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के तमाम महानगरों में, खास तौर पर कानपुर महानगर में ऐसी बस्तियों को, जो न अतिक्रमण के अंतर्गत आती थी, न पार्कों में पर्यावरण सुधार में आती थीं, उत्तर प्रदेश की साजिश के तहत, सरकार की साजिश के तहत कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलीभगत करके ऐसे गरीब, कमजोर लोगों की बस्तियों को, जो लगभग आजादी से पहले बसी हुई थीं, उनको बिना नोटिस दिए, बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था, बुल्डोजर चला करके ऐसी बस्तियां, जो मलिन बस्तियां घोषित की गई थीं, जिनको सरकार ने मलिन बस्तियों के अंतर्गत लिया था, जहां विधायक द्वारा, सांसद द्वारा, नगर निगम द्वारा सड़कें, बिजली, सुलभ काम्पलेक्स तक बिना दिए गए थे, ऐसी बस्तियों को ध्वस्त करके आज उत्तर प्रदेश सरकार बड़े-बड़े भू-माफियाओं को फ्लैट आबंटित कर रही है। गरीब, मजलूमों को केवल खुले आसमान में मरने के लिए नहीं छोड़ दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप सिर्फ इसका उल्लेख करेंगे और कोई भाषण नहीं देंगे।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: बल्कि आजादी से अब तक जो अपने घरों में रह रहे थे, जिनका वोटर लिस्ट में नाम था, उन समूचे हजारों परिवारों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश कानपुर में चलाई जा रही है। कानपुर में नवीन नगर काकादेव, एम ब्लाक काकादेव, अम्बेडकर नगर, कच्ची बस्ती जो सैकड़ों वर्षों से बसी थी, जिनमें ज्यादा से ज्यादा दलित, मजदूर और किसान लोग रह रहे थे, उन्हें आज बड़े पैमाने पर उजाड़ने का काम किया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य मैं यहां अनिश्चितकाल तक बैठे नहीं रह सकता। कृपया आप समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहता हूं कि मिनिमम कामन प्रोग्राम, जो गरीबों की बेहतरी करने का प्रोग्राम था, उसके तहत हस्तक्षेप करके ऐसी जो उजाड़ी गई बस्तियां हैं, उनको बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए न उजाड़ा जाए, ऐसी व्यवस्था करने का काम करें। यह भारत है, भरत से भारत बना है, भरत का मतलब है भरण-पोषण करने वाला देश और भरण-पोषण करने वाला देश आज रोटी और रोजगार देना तो दूर, उनको उजाड़कर आज खुले आसमान में मरने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे हस्तक्षेप करके ऐसी बस्तियों को उजाड़ने से रोकें और जो उजाड़े गए लोग हैं, उनको वैकल्पिक व्यवस्था देने का काम करें।

श्री चन्द्रशेखर दूबे (धनबाद): माननीय सभापति महोदय, झारखंड प्रदेश के धनबाद जिलान्तर्गत जामाडोबा-सिजुआ कोलियरी में कार्यरत 1102 मजदूरों को मेसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धन के द्वारा 21 मार्च, 2005 से जबरन कार्य से बिना नोटिस दिए बैठा दिया गया है जो श्रम मंत्रालय के नियम के विरुद्ध है। इन मजदूरों के परिवार भूख से मरने को मजबूर हो गए हैं जबकि इन सभी मजदूरों की ऐसी कोई गलती नहीं थी जिससे उन्हें कार्य से हटाया जा सके।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के द्वारा नौकरी से निकाले गए सभी 1002 मजदूरों को अविलम्ब नौकरी पर वापस लिया जाए जिससे उनके परिवारों को भुखमरी से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आपने यह विषय 16 अगस्त को उठाया था। आज आप पुन: इसे उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप गांधी (राजनंदगांव): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ तथा मेरे संसदीय क्षेत्र राजनंदगांव कवर्धा जिले में दूरसंचार विभाग, बी.एस.एन.एल. द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सिमकार्ड की समस्या की ओर संचार मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां लम्बी प्रतीक्षा सूची में लोगों ने अपने आवेदन दिए हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के सभी मुख्यालयों में तथा तहसील मुख्यालयों में इस योजना को पहुंचाने का लक्ष्य है। लेकिन यह योजना जिला मुख्यालयों तक तो किसी हद तक पहुंची है, लेकिन तहसील मुख्यालयों में बी.एस.एन.एल. के सिमकार्ड की मांग बहुत तेजी के साथ उभरी है। हजारों की संख्या में लोगों के आवेदन लम्बित पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वहां वेटिंग लिस्ट समाप्त की जाए और छत्तीसगढ़ के तमाम उपभोक्ता जो बी.एस.एन.एल. सिमकार्ड की मांग 6-6, 8-8 महीनों और सालों से कर रहे हैं तथा जो लम्बी वेटिंग लिस्ट में हैं, उन्हें त्वरित गति से बी.एस.एन.एल. के सिमकार्ड्स उपलब्ध कराये जाएं, यही आपसे अपेक्षा है।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश पहले एक राज्य था। लेकिन वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया। अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बिलासपुर इस राज्य का एक शहर और रायपुर राजधानी बनीं। रायपुर राजधानी बनने के बाद बिलासपुर से राजधानी का आवागमन बढ़ गया। आज बिलासपुर से रायपुर तक आवागमन की सुविधा बढ़ाये जाने की बहुत आवश्यकता है। वहां चिरमिरी से मनेनगढ़ के लिए गाड़ी चलती है, जो बिलासपुर जाती है, लेकिन रायपुर जाने के लिए यात्रियों के लिए वहां कोई गाड़ी नहीं है। इस कारण से वहां के यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। वहां कम से कम एक लाख लोग आठ घंटे तक बिलासपुर के स्टेशन पर रायपुर जाने के लिए रूके रहते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिलासपुर से रायपुर तक गाड़ी चलाई जाए तथा उस गाड़ी को मनेनगढ़, चिरमिरी, बिलासपुर और दुर्ग तक बढ़ाया जाए। जिससे आम लोगों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक जाने में बहुत सुविधा होगी तथा लाखों लोग राजधानी में शासकीय तथा अन्य कार्यों का लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, हमने बड़ी त्रासदियों का सामना किया है और हमने सुनामी और हाल के दिनों में कई अन्य प्राकृतिक आपदाएं देखी हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि अधिकांश निधि, जिसे केन्द्र द्वारा जारी किया जाता है, का उचित उपयोग नहीं हुआ है या यह भी कह सकते हैं कि कुछ राज्यों द्वारा इनका गलत उपयोग किया जा रहा है।

मैं अपने राज्य के बारे में जानता हूं जहां सुनामी कोष के उपयोग के संबंध में कई शिकायतें हैं। केरल सरकार ने कोई मकान नहीं बनाया है यद्यपि मकान बनाए जाने थे। अब, वह धनराशि भी समय पर जारी नहीं की जा रही है जो मछुआरों और अन्य ग्रामीण लोगों के लिए होती थी और इस विषय के संबंध में कई शिकायते हैं।

मैं प्राकृतिक आपदा कोष की भी बात करना चाहूंगा। मैं बाढ़ राहत का उदाहरण पेश करना चाहूंगा। हमने पाया कि बाढ़ राहत कोष उन क्षेत्रों में जारी किए जा रहे हैं जहां कोई बाढ़ ही नहीं आई है और जहां बाढ़ वास्तव में आई और जहां गरीब लोगों में वास्तव में जरूरत है उन्हें राहत कोष नहीं मिल रहा है।

महोदय, हो सकता है कि यह एक मंत्री की या एक नौकरशाह की इच्छा रही हो कि वे कोष को ऐसे वितरित कर रहे हैं, जैसे यह उनकी जेब का पैसा हो। वे उसे केवल राजनीतिक कारणों से, अपने फायदे के लिए बांट रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसकी उचित रूप में निगरानी होनी चाहिए। मेरा नम्र निवेदन है कि सभा को इस विषय को गंभीरता से लेनी चाहिए। क्योंकि यह किसी एक राज्य विशेष से जुड़ी हुई शिकायत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह शिकायत बहुत से राज्यों से आई होगी।

इसका गहन अध्ययन होना चाहिए तथा इसके लिए गंभीर निगरानी प्रणाली होनी चाहिए। यद्यपि मैं राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा तथापि मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि जब तक इस तरह के मामलों की उचित रूप से निगरानी नहीं होती तथा इनसे समुचित रूप से निपटा नहीं जाता, इसके हकदार गरीब लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा।

अत:, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले में गंभीरतापूर्वक कार्यवाही की जाए विशेषरूप से उन मामलों में जिन्हें मैंने इस सम्माननीय सभा में प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी का ध्यान पहाड़ी प्रदेशों विशेषकर

हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में पर्यावरण का असंतुलन बहुत तेजी से हो रहा है। आज जहां संपूर्ण विश्व में 40 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित होना चाहिए, उसकी जगह पर 25 प्रतिशत भाग ही वनों से आच्छादित है। इसलिए यह आवश्यक है कि वहां पेड़ों की सुरक्षा हो ताकि पर्यावरण का संतुलन बैठाया जा सके। हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक हैं। लगभग 93000 भूतपूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। मेरा रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे भूतपूर्व सैनिकों की एक पर्यावरण क्षेत्रीय सेना का गठन करें जिसके माध्यम से उनको रोजगार पर भी लगाया जा सकता है और पेड़ों की सुरक्षा भी हो सकती है। इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि जो वन औषधि विशेषज्ञ हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए ताकि बड़ी मात्रा में जो वन औषधियों का क्षरण हो रहा है, उनको भी बचाया जा सके। मेरा वर्तमान सरकार से निवेदन है कि इसी सत्र में हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्यावरण क्षेत्रीय सेना का गठन करने की सरकार घोषणा करे जिसके माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को राहत मिले और पर्यावरण संतुलन की जो जिम्मेदारी उन प्रदेशों पर है, उसका निर्वाह वे ठीक से कर सकें और विश्व के पर्यावरण संतुलन में अपना योगदान दे सकें।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट): माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच आवागमन प्रदान करने वाली रेलवे लाइन विगत दो वर्षों से उखाड़ी गई है। वहां पर आमान परिवर्तन का काम चालू है। इसमें गोंदिया से बालाघाट के बीच 42 किलोमीटर रेलवे लाइन का काम पूरा हो चुका है और विभाग द्वारा पूर्णता का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जा चुका है। बालाघाट में सर्वाधिक पानी बरसता है। इन दो राज्यों के बीच जोड़ने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, केवल एक नदी का पुल है। विगत दो महीनों में लगभग दस दिन पानी रेल लाइन के ऊपर रहा जिसके कारण आवागमन बंद रहा। यह रेलवे मार्ग पूर्ण होने के बावजूद भी इसका शुभारंभ नहीं किया जा रहा है। मुझे नाम लेने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन कोई मंत्री उस पर समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बार-बार तिथि आगे बढ़ाई जा रही है। हमारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सांसदों की ओर से आग्रह है कि वहां की रेलवे पूर्ण हो चुकी है, पूर्णता का सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, अत: गोंदिया से बालाघाट के बीच की रेलवे लाइन शीघ्र चालू की जाए जिससे जबलपुर तक हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, आवागमन का लाभ मिल सके और इस पर जो करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं उनका समय से दोहन किया जा सके।

इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि बिलासपुर से भोपाल के लिए जो महानदी एक्सप्रैस सप्ताह में चार दिन चलती थी, उसको बंद कर दिया गया है। उसको पुन: प्रारंभ किया जाए।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): माननीय सभापति जी, केन्द्रीय सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा कुछ जनपदों और महानगरों में स्वच्छ और सस्ता ईंधन दिलाने के लिए सीएनजी गैस की पाइपलाइन उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया था। उत्तर प्रदेश के जो स्थान इसमें निश्चित थे, उनमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र बरेली जनपद भी था, क्योंकि एचबीजे पाइपलाइन उस क्षेत्र से जाती है। दो वर्ष पूर्व इसका कार्य प्रारंभ हो गया था और आधा कार्य हो चुका है पर विगत डेढ़ वर्ष से यह कार्य रूका हुआ है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हो सके, सस्ता ईंधन मिल सके और सीएनजी की आपूर्ति हो सके, इसके लिए सब व्यवस्था बरेली में उपलब्ध है, पर पाइपलाइन पूरी न होने के कारण यह कार्य नहीं हो पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से पैट्रोलियम मंत्रालय से आग्रह है कि इस ओर ध्यान दें और अतिशीघ्र इस पाइपलाइन को पूरा कर दें जिससे सीएनजी गैस बरेली जनपद के निवासियों को मिल सके।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मुझे उम्मीद है कि मेरा काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा।

महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के क्रमोन्नत करने का मामला काफी समय से केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। इस विश्वविद्यालय में सुयोग्य विख्यात शिक्षक है, शिक्षा देने हेतु सभी विषयों के पद स्वीकृत हैं, लैब भी मौजूद है और भूमि तथा भवन भी पर्याप्त है। जयपुर के महाराजा मानसिंह जी द्वारा इस विश्वविद्यालय के लिए मुफ्त में जमीन दी गई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति व राजस्थान के शिक्षा सचिव द्वारा भी अपने पत्रों द्वारा उक्त प्रकरण पर निर्णय लेने के लिए केंद्रीय मंत्री से प्रार्थना की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों को केंद्र की स्वीकृति दी गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान का सबसे पुराना और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है।

मेरी केंद्र सरकार से "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" से मांग है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कपड़ा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में एनटीसी की तीन मिलें हैं। दो मिलें मेरे क्षेत्र ब्यावर में ही हैं। ब्यावर में महालक्ष्मी मिल और विजय नगर में विजयकाटन मिल है। तीसरी मिल उदयपुर में है। इन एनटीसी

[प्रो. रासा सिंह रावत]

की मिलों को सरकार की तरफ से कहा गया था कि पुनर्जीवित करेंगे, मशीनों का आधुनिकीकरण करेंगे और इन्हें जाब वर्क भी दिया जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे इन मिलों में काम करने वाले मजदूरों को वीआरएस लेने के लिए जबरन प्रेरित किया जा रहा है। इन मिलों को न तो जाब वर्क दिया जा रहा है और न ही किसी प्रकार की सहायता दी जा रही है और प्रबंधन वर्ग सारी सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। मिलों को जाब वर्क नहीं दिया जा रहा है, जिससे पूरा उत्पादन नहीं हो पाता है और परिणामस्वरूप इन मिलों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कपड़ा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ब्यावर एक औद्योगिक नगर है, इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाए। राजस्थान में पत्थर उद्योग के अलावा एनटीसी का यह सार्वजनिक उपक्रम है। इनमें हजारों श्रमिक काम करते हैं। अगर यही स्थिति रही तो ब्यावर की दो मिलें पहले ही बंद हो गई हैं और यह भी बंद हो जाएगी। हमारे रोजगार का कोई साधन नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि तीनों एनटीसी मिलों को पुनर्जीवित किया जाए और उनका आधुनिकीकरण करके जाब वर्क दिया जाए। मजदूरों की भर्ती पर लगाई गई रोक को हटाकर नई भर्ती की जाए।

श्री मुन्शी राम (बिजनौर): महोदय, मेरी लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय सैंदवार (बिजनौर) स्थापित किया गया है। 15 अगस्त, 2005 स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं विद्यालय के स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। जिला बिजनौर एवं उससे लगे ग्रामीण क्षेत्रों के 504 छात्र/छात्राएं उपरोक्त विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस विद्यालय में 24 घंटों में मात्र दो से तीन घंटे ही विद्युत आपूर्ति होती है। विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से न होने के कारण छात्र एवं छात्राओं की जो प्रतिभा सामने आनी चाहिए, उसे सामने आने का मौका नहीं मिल पा रहा है। विद्यालय को स्थापित हुए 15 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन जो अभिभावक अपने बच्चों से मिलने विद्यालय में आते हैं उनके लिए अभिभावक प्रतीक्षालय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु हाल विद्यालय परिसर में नहीं है। इसी के साथ विद्यालय परिसर में 504 बच्चों के छात्रावास के स्थान पर मात्र 396 बच्चों के लिए ही छात्रावास उपलब्ध है।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): देश में निजीकरण बहुत तेजी से हो रहा है और जहां सरकारी उपक्रमों का निजीकरण हो रहा है, वहां आरक्षण नीति भी धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है। यूपीए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में सामाजिक आरक्षण लाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

सभापति महोदय, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट मैडीकल और इंजीनियरिंग कालेजों में रिजर्वेशन खत्म करने की बात कही है। महिलाओं का आरक्षण भी विदिन दि कोटा, करने की बात चलाई जा रही है। इससे ऐसा लगता है कि यह भी ठंडे बस्ते में जाएगा। हमेशा सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग, हमारे सारे रिजर्वेशन के मामले, धीरे-धीरे खत्म करते दिखाई दे रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करता हूं कि समाज को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु जल्दी से जल्दी प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण की नीति लागू करनी चाहिए और डीनोटिफाइड नौमैडिक ट्राइब, जिनके ऊपर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से यही निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): महोदय, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले तथा केरल के कतिपय पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उत्पादक तथा शहद व्यापारी अपनी आजीविका के लिए संकट का सामना कर रहे हैं।

आंकड़े उनकी करूण गाथा बयान करते हैं। केवल कन्याकुमारी जिले में प्रतिवर्ष लगभग 25 लाख किलो शहद का उत्पादन हो रहा है। जिले में शहद की खरीद के लिए एक मात्र सहकारी समिति केवल तीन लाख किलो शहद खरीद सकती है। यह शहद भी वहीं पड़ा हुआ है क्योंकि उसे लेने वाला कोई नहीं है। भण्डारण सुविधाओं तथा विपणन के अभाव में लगभग एक लाख लोग जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन और संबद्ध क्रियाकलापों में लगे हुए है, गरीबी के कगार पर जा रहे हैं। इसलिए यही समय है जब सरकार को स्वास्थ्य संवर्धन के रूप में शहद की उपयोगिता के महत्व का प्रचार-प्रसार करके, घरेलू दवाओं में संघटक के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले शहद के व्यापक विपणन की संभाव्यता का पता लगा कर, शहद मिश्रित तथा प्रसंस्कृत शीतल पेयों का संवर्धन करके, सार्वजनिक वितरण दुकानों में शहद तथा शहद मिश्रित उत्पादों की बिक्री करके तथा सरकारी भोज और समारोह तथा विमानों में शहद को भोजन तालिका में शामिल करके शहद के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करके मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

शहद की उपयोगिता का प्रचार-प्रसार करने तथा व्यापक विपणन अवसर पैदा करने हेतु खादी और ग्राम उद्योग निदेशालय बनाया जाना चाहिए और इस तरह लोगों को भुखमरी से बचाया जा सकता है तथा इस निदेशालय को कन्याकुमारी और केरल में रखे शहद को खरीद लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार (हरिद्वार): सभापति जी धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी के संज्ञान में ट्रेनों से संबंधित गंभीर तथ्य लाना चाहता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं-द्वितीय श्रेणी के शयनयानों में लूटपाट, डकैती, हत्याएं और महिलाओं व युवा लड़कियों से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की संख्या तेजी से फैल रही है, जिसका मुख्य उदाहरण-श्रमजीवी एक्सप्रैस की जनरल बोगी में विस्फोट था। द्वितीय श्रेणी के शयनयानों में दैनिक यात्री (मासिक टिकटधारी) और अनधिकृत टिकट यात्री जबर्दस्ती यात्रा करते हैं और यात्रियों के साथ मारपीट व छेड़खानी इत्यादि करते हैं। इस पर रेल मंत्रालय अथवा रेल प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

वर्ष 2004-05 की समय सारिणी (उत्तर, उत्तर मध्य व उत्तर पूर्व रेलवे) के पृष्ठ सी-7 व सी-8 में द्वितीय श्रेणी के कर्त्तव्यों के अनुसार प्रत्येक कोच में टिकट निरीक्षक (टी.टी.ई.) का उपस्थित रहना अनिवार्य है, जिससे यात्रियों को पर्याप्त आराम एवं उनके सामान को सुरक्षा मिल सके, किन्तु अफसोस है कि कई कोचों को मिलाकर पूरी गाड़ी में केवल तीन-चार टी.टी.ई. ही होते हैं।

अत: मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जनहित की सुरक्षा के लिए समय-सारिणी के अनुसार टी.टी.ई. का प्रत्येक कोच (शयनयान द्वितीय श्रेणी) में व्यवस्था करें साथ ही सभी कोचों में रेलवे सुरक्षा बल के सैनिकों की भी तैनाती करें।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): सम्माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय के संदर्भ में कुछ समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं।

देश में ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन में ग्रामीण विकास अभिकरण जिला स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसके माध्यम से देश में ग्रामीण विकास की योजनाओं को अमल में लाने का प्रयास होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले तथा आदिवासी, दलित और महिलाओं के विकास के लिए सक्षमीकरण के लिए जितनी योजनाएं हमारे देश में इस मंत्रालय के माध्यम से होती हैं, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, जल संधारण के काम होते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना होती हैं। इन सभी योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए डी.आर.डी.ए. में कर्मचारियों के पदों की बहुत सी जगह रिक्त हैं। साथ में इसका अवलोकन और समीक्षा करने के लिए वहां पर तकनीकी अधिकारी नहीं होते, इंजीनियर्स या विशेषज्ञों की कमी होने की वजह से जितनी सारी धनराशि हम योजनाओं पर खर्च करने के लिए भेजते हैं, सैण्टल गर्वनमेंट के माध्यम से, राज्य स्तर पर इसका तरीके से विनियोग नहीं होता है और जो हम इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का जितना विकास करने का प्रयास करते हैं, उसमें हम सफल नहीं हो रहे हैं, हम लक्ष्य पूर्ति की ओर नहीं जा रहे हैं। इसी वजह से मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण विषय है कि ग्रामीण विकास यंत्रणा अभिकरण जो काम करवाता है, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से या एन.जी.ओ. के माध्यम से तो एन.जी.ओ. जो वहां पर विकास के काम करते हैं तो एन.जी.ओ. के माध्यम से विकास कार्य का डिजाइन बनता है और उसका एस्टीमेट बनता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एस्टीमेट बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए वहां पर अभियन्ता होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। वहां पर इनके पद खाली रहते हैं। इसकी वजह से इसमें जितनी भी धनराशि जाती है, उसका अपहार होता है, भ्रष्टाचार होता है। मैं दो जिलों की इन समितियों का, विजिलेंस और मोनीटरिंग कमेटी का चेयरमैन हूं। मेरे सामने ऐसे कई मामले, ऐसी कई शिकायतें आई हैं, जिसके कारण मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजी गई राशि का तरीके से विकास में उपयोग होना चाहिए। इसे तरीके से अगर हम खर्च करते हैं तो निश्चित ही हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि डी.आर.डी.ए. को जिला स्तर पर और राज्य सरकार को कहा जाये कि आप इस योजना को अमल में लाने के समय में इंजीनियर्स और विशेषज्ञ की नियुक्ति करें, यह सख्ती की जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आज सुबह 9.30 बजे दो सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैं उन्हें बोलने का मौका दे रहा हूं। डा. रामचन्द्र डोम आप बोलिए। कृपया संक्षेप में कहिएगा।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): महोदय, मैं अत्यन्त संक्षेप में ही बोलूगां। मेरा विषय मेरे जिले और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। यह मेरे जिले में दूरसंचार सेवाओं की दयनीय स्थिति से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों पंजीकृत उपभोक्ता टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका इन्तजार कई वर्षों का है। विभाग दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में असमर्थ है क्योंकि वहां केबल सुविधा और एक्सचेंज सुविधा का अभाव है। वहां पर केबल डालने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है और डब्ल्यूएलएल सिस्टम की आपूर्ति भी अत्यन्त खराब है। लोग आधुनिक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए परेशानी झेल रहे हैं।

[डा. रामचन्द्र डोम]

एक अन्य बात मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन के बारे में है। मेरे जिले के एक बड़े भाग में नेटवर्क नहीं आता है। आज तक सिमकार्ड का वितरण के कार्य में बहुत ही कम प्रगति हुई है। राजनगर खैरासोल, मुरारई-एक और मुरारई-दो जैसे ब्लाकों में आज भी मोबाइल सेवा की सुविधा नहीं दी जा रही है। इसीलिए, तकनीकी सम्भाव्यता के अभाव में हमारे संसद सदस्यों के कोटे से हमारी की गई सिफारिशों पर भी टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किए जा रहे हैं।

सायं 7.00 बजे

अत: मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की छानबीन करे ताकि लोगों की कठिनाईयों को दूर किया जा सके। टेलीफोन कनेक्शन न्यूनतम आधारभूत सुविधा है लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाए और इसके साथ-साथ दूरसंचार सेवाएं अच्छी होनी चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक भी है।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से अवगत करवाना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र के झांसी जनपद में समाजवादी पार्टी द्वारा वहां के जिला प्रशासन से मिलकर वहां के गरीबों को, किसानों को, अध्यापकों को, उद्योगपतियों को ऐसे संगीन केसों में फंसाया जा रहा है, धारा 307 के केस में फंसाया जा रहा है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह राज्य का मामला है। इन मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को हस्तान्तरित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार का है।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: थाना ऐरच में अपराध संख्या 150/2005 में धारा 394 के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया, बिलकुल फर्जी मुकदमा बनाया गया। इनकी फरियाद कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इससे बचने के लिए वे इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, लेकिन अब उन्हें धारा 307 में सम्मन करके फंसाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही झांसी जनपद के नवाबाद थाने में अपराध संख्या 635/2005 में सरकार बनाम श्री बाबू लाल तिवारी, जो कि डिग्री कालेज में प्रोफेसर हैं, को 307 लगाकर, आर्म्स एक्ट के तहत फंसाकर जेल भेज दिया गया है। हमारे जनपद में समाजवादी पार्टी का जो व्यक्ति साथ नहीं दे रहा है उसे ऐसे संगीन मामलों में फंसाया जा रहा है या उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिल कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि जो मामले मैंने आपके सामने रखे हैं, उनकी सीबीआई से जांच कराई जाए, ताकि वहां के अधिकारियों को यह मालूम पड़े कि झूठे मामलों की सीबीआई जांच भी हो सकती है, इससे उनके मन में कानून का दुरूपयोग करने के प्रति भय पैदा होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.03 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा गुरुवार, 18 अगस्त, 2005/ 27 श्रावण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री अजीत जोगी	321
2.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्री हरिकेवल प्रसाद	322
3.	श्री ए.के. खारवेनथन	323
4.	श्री एम. शिवन्ना श्री कमला प्रसाद रावत	324
5.	श्री गिरिधारी यादव श्री सुनिल कुमार महतो	325
6.	श्री एन. जनार्दन रेड्डी श्रीमती नीता पटैरिया	326
7.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	327
8.	श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल डा. महादेवराव शिवनकर	328
9.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	329
10.	डा. चिन्ता मोहन श्री रामजीलाल सुमन	330
11.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	331
12.	श्री बाडिगा रामकृष्णा श्री तुकाराम गंगाधर गदाख	332
13.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	333
14.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	334
15.	श्री राजनरायन बुधोलिया श्री अनन्त नायक	335
16.	श्री रेवती रमन सिंह	336
17.	श्री गणेश सिंह	337
18.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	338
19.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	339
20.	श्री ई. पोन्नुस्वामी	340

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	3428, 3480
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	3319
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3396, 3413, 3446, 3456
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3363, 3461
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3295, 3366, 3423, 3450, 3504
6.	अजय कुमार, श्री एस.	3302, 3339, 3407, 3441, 3454
7.	अनंत कुमार, श्री	3345
8.	आठवले, श्री रामदास	3357, 3474
9.	बैठा, श्री कैलाश	3361, 3488
10.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	3289, 3475
11.	बर्मन, श्री हितेन	3471
12.	बखला, श्री जोवाकिम	3343
13.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3360, 3428, 3480
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	3359, 3415
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3326
16.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3301, 3371, 3420, 3502
17.	बोस, श्री सुव्रत	3300, 3406
18.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	3433, 3452, 3479, 3494
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3393
20.	चन्देल, श्री सुरेश	3308, 3378
21.	चौरे, श्री बापू हरी	3290, 3308, 3365, 3436
22.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3288, 3376

1	2	3
23.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3440
24.	चिन्ता मोहन, डा.	3387
25.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	3327
26.	धनराजू, डा. के.	3356
27.	डोम, डा. रामचन्द्र	3328, 3452
28.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	3465, 3478
29.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3285
30.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3360
31.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	3417
32.	गमांग, श्री गिरिधर	3464
33.	गांधी, श्री प्रदीप	3470
34.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	3292
35.	गोहेन, श्री राजेन	3327
36.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3377, 3428
37.	गुढ़े, श्री अनंत	3348
38.	हसन, श्री मुनव्वर	3397
39.	जगन्नाथ, डा. एम.	3330, 3395, 3490
40.	जैन, श्री पुष्प	3322
41.	झा, श्री रघुनाथ	3284, 3389, 3414, 3493
42.	जोगी, श्री अजीत	3383, 3426, 3468
43.	जोशी, श्री प्रहलाद	3341
44.	कलमाडी, श्री सुरेश	3442
45.	करूणाकरन, श्री पी.	3329, 3393
46.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3337, 3343, 3501
47.	खां, श्री सुनील	3293, 3392, 3460
48.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	3318, 3381
49.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	3294, 3398
50.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3310
51.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3372, 3422, 3448, 3457
52.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3287, 3370, 3419, 3498, 3505
53.	कोया, डा. पी.पी.	3309
54.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3335, 3469, 3485
55.	कुन्नूर, श्री मंजुनाथ	3441
56.	कुरूप, श्री सुरेश	3467, 3479, 3494
57.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3501
58.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3380, 3387, 3425
59.	महाजन, श्री वाई.जी.	3315
60.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3363, 3424, 3425
61.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3315, 3376
62.	माझी, श्री परसुराम	3340, 3402, 3438
63.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	3311, 3486
64.	मंडल, श्री सनत कुमार	3304
65.	माने, श्रीमती निवेदिता	3340, 3417
66.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	3339, 3400
67.	मनोज कुमार, श्री	3298, 3336, 3344
68.	मेघवाल, श्री कैलाश	3386
69.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3355
70.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3466
71.	मिश्रा, डा. राजेश	3286, 3360, 3480
72.	मोदी, श्री सुशील कुमार	3307, 3408, 3491
73.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	3318, 3346, 3381, 3393, 3484
74.	मो. ताहिर, श्री	3501
75.	मोहिते, श्री सुबोध	3283, 3368, 3492

1	2	3
76.	मूर्ति, श्री ए.के.	3449
77.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3342, 3401, 3437, 3484, 3501
78.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3360
79.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	3358
80.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	3384
81.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3335, 3482
82.	नायक, श्री अनन्त	3402, 3438
83.	निखिल कुमार, श्री	3320
84.	ओराम, श्री जुएल	3305, 3375, 3445, 3455, 3460
85.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3364, 3418
86.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3344
87.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3299
88.	पासवान, श्री रामचन्द्र	3376, 3501
89.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3484
90.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3391, 3416, 3431
91.	पाठक, श्री ब्रजेश	3354, 3410, 3489, 3501, 3503
92.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3353, 3409, 3442
93.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3353, 3362
94.	पिंगले, श्री देविदास	3333, 3481
95.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	3403, 3440, 3452, 3439
96.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3353, 3385, 3386
97.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	3314, 3394, 3432
98.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3382, 3440, 3497
99.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	3334
100.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	3463
101.	राजेन्द्रन, श्री पी.	3311, 3472
102.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3390, 3430, 3449, 3458
103.	राणा, श्री काशीराम	3424
104.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3347, 3459
105.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3347
106.	रावले, श्री मोहन	3353
107.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3483
108.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3297, 3404, 3425, 3496
109.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3338
110.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	3466
111.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3461, 3476
112.	रियान, श्री बाजू बन	3473
113.	सज्जन कुमार, श्री	3321, 3389, 3429
114.	साई प्रताप, श्री ए.	3312
115.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3373, 3421, 3447, 3459
116.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	3323, 3477
117.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	3433
118.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3313
119.	सेठ, श्री लक्ष्मण	3452
120.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3296, 3367, 3443, 3453
121.	शाहिद, मोहम्मद	3501
122.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	3462
123.	शर्मा, श्री मदन लाल	3348, 3405

1	2	3
124.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3352, 3396, 3413, 3434, 3501
125.	शिवन्ना, श्री एम.	3384, 3427
126.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3501
127.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3291, 3344
128.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3484
129.	सिंह, श्री रामसेवक	3383
130.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3351, 3484
131.	सिंह, श्री दुष्यंत	3331, 3412, 3495
132.	सिंह, श्री गणेश	3396, 3413, 3434, 3501
133.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3340
134.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	3489
135.	सिंह, श्री मोहन	3468
136.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3316
137.	सिंह, श्री राकेश	3393
138.	सिंह, श्री रेवती रमन	3313, 3379, 3433, 3500
139.	सिंह, श्री सुग्रीव	3391, 3431
140.	सिंह, श्री सूरज	3376, 3501
141.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3349
142.	सुब्बारायण, श्री के.	3325
143.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3303, 3374, 3431
144.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	3350
145.	सुमन, श्री रामजीलाल	3425
146.	थामस, श्री पी.सी.	3306, 3388
147.	ठुम्मर, श्री वी.के.	3425, 3484
148.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3360, 3487
149.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3288, 3347
150.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	3389
151.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	3422
152.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3399, 3435, 3451, 3506
153.	वाघमारे, श्री सुरेश	3285, 3369
154.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाध उर्फ साधु	3340
155.	यादव, श्री गिरिधारी	3382
156.	यादव, श्री पारसनाथ	3324
157.	यादव, श्री राम कृपाल	3317, 3443, 3489
158.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3332, 3411, 3444, 3499

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	334, 335
कोयला	:	325, 331
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	322, 333
विदेश	:	336
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	323, 324, 327, 329, 330, 332, 337
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	338, 340
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	321, 326
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	:	328, 339

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	3287, 3326, 3391, 3505
कोयला	:	3293, 3298, 3308, 3318, 3336, 3337, 3340, 3348, 3354, 3361, 3368, 3381, 3392, 3394, 3401, 3402, 3432, 3441, 3445, 3450, 3454, 3465, 3466, 3478
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	3283, 3285, 3300, 3306, 3310, 3313, 3331, 3332, 3344, 3358, 3359, 3369, 3372, 3375, 3378, 3379, 3384, 3388, 3390, 3397, 3404, 3409, 3412, 3414, 3415, 3416, 3420, 3422, 3428, 3437, 3443, 3455, 3459, 3461, 3490, 3497, 3503, 3504
विदेश	:	3299, 3303, 3315, 3320, 3324, 3334, 3347, 3364, 3386, 3407, 3430, 3439, 3468
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	3288, 3289, 3290, 3291, 3295, 3296, 3302, 3304, 3307, 3314, 3316, 3327, 3328, 3330, 3338, 3339, 3341, 3342, 3349, 3351, 3355, 3356, 3365, 3366, 3373, 3374, 3376, 3383, 3389, 3395, 3396, 3398, 3400, 3405, 3408, 3410, 3411, 3421, 3423, 3426, 3427, 3429, 3431, 3433, 3442, 3444, 3446, 3447, 3451, 3452, 3456, 3457, 3470, 3487

प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	3286, 3294, 3357, 3362, 3367, 3370, 3385, 3448, 3453, 3463, 3473, 3489
योजना	:	3311, 3312, 3317, 3319, 3382, 3387, 3419, 3424, 3425, 3434, 3440, 3469, 3479, 3494
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	3284, 3297, 3305, 3309, 3321, 3322, 3323, 3325, 3329, 3333, 3335, 3353, 3360, 3371, 3377, 3393, 3403, 3413, 3417, 3449, 3458, 3460, 3462, 3464, 3471, 3472, 3475, 3476, 3477, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3488, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	3380, 3438, 3474
युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	:	3292, 3301, 3343, 3345, 3346, 3350, 3352, 3363, 3399, 3406, 3418, 3435, 3436, 3506.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज एसोशिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।